चतुर्दश माला, खंड 33, अंक 20

सोमवार, 21 अप्रैल, 2008

1 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. PB-025
Block 'G'
Acc. No ...75.....
Dated..18.Mar.2009

(खण्ड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिभा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

सुनीता थपलियाल
सहायक सम्पादक

प्रतिभा कश्यप
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 33, तेरहवां सत्र, 2008/1930 (शक)
अंक 20, सोमवार, 21 अप्रैल, 2008/1 वैशाख, 1930 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 381, 383, 385, 388, 390 से 392	1-78
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 382, 384, 386, 387, 389 और 393 से 400	78-108
अतारांकित प्रश्न संख्या 3780 से 4009	108-545
सभा पर रखे गए पत्र	545-549
सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति	
33वां से 35वां प्रतिवेदन	549
समिति के लिए निर्वाचन	**550**
कार्य मंत्रणा समिति	
48वां प्रतिवेदन	550-564
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) ओ.एन.जी.सी. द्वारा किसानों से अधिगृहीत भूमि के बदले उन्हें दी गई प्रतिपूरक धनराशि पर लगाए गए टी.डी.एस. को समाप्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री जीवाभाई ए. पटेल	564-565
(दो) अमरेली, गुजरात और मुम्बई के बीच एक सीधी पैसेंजर गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री वी.के. दुम्मर	565
(तीन) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के लिए क्रयादेश जुटाने और इसके कर्मकारों को सभी लंबित बकाया राशि अदा किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा	566

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

(चार) देश के अन्य महानगरों के समकक्ष बरेली में बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार 567

(पांच) देश में बेरोजगार युवाओं को मौद्रिक भत्ता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना..... 567

(छह) प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना का केरल के कुट्टानाड तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सी.एस. सुजाता..... 568

(सात) 22 नवम्बर 2007 को उत्तर प्रदेश में हुई रेल दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाप्रदा 568-569

(आठ) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद 569

(नौ) गुजरात में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अकादमी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 569-570

(दस) असम में जिन सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सरकारी सहायता प्रदान नहीं की जाती उनको केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा..... 570-571

(ग्यारह) राजस्थान में भरतपुर-अलवर-बहरोड को हरियाणा में नारनोल से जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 14 की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

डा. करण सिंह यादव 571

(बारह) ई.आई. टैन्ड लेदर पर निर्यात शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता

श्री एस.के. खारवेनथन 571-572

(तेरह) शिपमेंट और रासायनिक अवशिष्ट, जिसके कारण अंकलेश्वर गुजरात में प्रदूषण तथा समुद्री जीवन को खतरा उत्पन्न हो रहा है, को विनियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा 572-573

विषय कॉलम

(चौदह) देश में बीड़ी कर्मकारों को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाने की आवश्यकता

श्री गणेश सिंह 573

(पन्द्रह) ऋण माफी योजना को सभी कृषि ऋणों पर 29-2-2008 तक लिए गए लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.वी. बेल्लारमिन 574

(सोलह) इंडियन ऑयल रिफाइनरी, मथुरा से वातावरण में छोड़ी गई सल्फर-डाय-ऑक्साइड के उत्सर्जन मानदंडों की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन 574-575

(सत्रह) अफगानिस्तान में कार्य कर रहे भारतीयों को समुचित सुरक्षा दिए जाने की आवश्यकता

श्री ई.जी. सुगावनम 575-576

(अठारह) परभनी, महाराष्ट्र में कपास आधारित उद्योग तथा टैक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील 576-577

(उन्नीस) महाराष्ट्र में नासिक रोड रेलवे स्टेशन का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री देविदास पिंगले 577

(बीस) उड़ीसा के जाजपुर में धार्मिक महत्व के स्थान नाभी गया में सड़क और रेल सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री मोहन जेना 577-578

अनुदानों की मांगें, (सामान्य) 2008-2009

गृह मंत्रालय 578

योगी आदित्यनाथ 579-591

श्री किरिप चालिहा 591-600

श्री रामजीलाल सुमन 600-604

मोहम्मद सलीम 604-618

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 619-624

श्री भर्तृहरि महताब 624-631

डा. सुरवरम सुधाकर रेड्डी 631-636

श्री ए.के.एस. विजयन 637-640

श्री प्रभुनाथ सिंह 640-647

श्री अनंत गंगाराम गीते 647-653

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन 653-657

श्री कीरेन रिजीजू 657-657

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा 657-661

श्री इलियास आजमी 661-664

प्रो. एम. रामदास 664-668

श्री वरकला राधाकृष्णन 669-672

प्रो. रासा सिंह रावत 672-676

चौधरी लाल सिंह 676-680

श्री हितेन बर्मन 680-683

श्री मणि चारेनामै 684-686

श्रीमती करूणा शुक्ला 686-687

डा. टोकचोम मैन्या 688-692

श्री टी.के. हमजा 696

श्री बृज किशोर त्रिपाठी 696-700

श्री पी.एस. गढ़वी 700-705

डा. के.एस. मनोज 705-709

श्री शिवराज वि. पाटील 709-730

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 731-732

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 732-740

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 741-742

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 742-744

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

सोमवार, 21 अप्रैल, 2008/1 वैशाख, 1930 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा, प्रश्न संख्या 381

गेहूं का वायरस

+

***381. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:**
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) ने भारत सहित गेहूं उत्पादक राष्ट्रों को तेजी से फैल रहे गेहूं के वायरस यू.जी. 99 की चेतावनी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) ने गेहूं उत्पादन करने वाले राष्ट्रों जिनमें भारत भी शामिल है, को यू.जी. 99 जो कि गेहूं के काला (तना) रस्ट फफूंद की एक अफ्रीकन प्रजाति है, के फैलने के बारे में चेतावनी दी है।

(ख) विशेषज्ञों के अनुसार निकट भविष्य में इस फफूंद के फैलने के प्रभाव, गति एवं मार्ग का पुर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए वर्तमान में यह केवल एक अनुमान है कि यह अफ्रीकन प्रजाति भारत पहुंच सकती है। गेहूं अनुसंधान निदेशालय, करनाल द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से इस प्रजाति की चाल पर निगरानी रखी जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अन्तर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केन्द्र (सी.आई.एम.एम.वाई.टी.), मैक्सिको के सहयोग से तना रस्ट फफूंद की नई प्रजाति के विरुद्ध प्रतिरोधकता रखने वाली किस्मों की पहचान करने के लिए कदम उठाए हैं। केन्द्रीय समेकित कीट प्रबंधन केन्द्रों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों तथा विभागों के माध्यम से देश में कीट एवं रोगों के प्रवेश पर नियमित निगरानी रखी जा रही है ताकि आवश्यकता पड़ने पर आपात उपाय किए जा सकें।

देश में पौध-संगरोध विनियामक प्रणाली पौध सामग्री एवं पौध उत्पादों के आयात के नियमन/प्रतिबन्ध द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले विदेशी कीटों एवं रोगों के प्रवेश एवं फैलाव को रोकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयातित पौध सामग्री किसी भी प्रकार के कीटों एवं रोगों से मुक्त है उसके प्रवेश पश्चात संगरोध निरीक्षण किए जाते हैं।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को विस्तृत उत्तर देने के लिए धन्यवाद देती हूं। यदि हम गेहूं में लगने वाली फफूंदी को रोकने में विफल हो जाते हैं, तो लाखों किसानों और करोड़ों उपभोक्ताओं को घोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। क्या माननीय कृषि मंत्री यह जानकारी देंगे कि क्या सुदृढ़ राष्ट्रीय कृषि जैव-सुरक्षा प्रणाली बनाने और लक्षद्वीप समूह में एक वीरान द्वीप पर अपतटीय निगरानी और संगरोध सुविधा स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश पर ध्यान दिया गया है और उस पर कार्यवाही की गई है?

श्री शरद पवार: महोदय, हाल में हमें डा. स्वामीनाथ से यह सिफारिश प्राप्त हुई है, लेकिन उस पर कोई अंतिम राय अभी नहीं बनी है। लेकिन उस विशेष प्रश्न, जिसे आप सभा में उठाया गया है, के संबंध में यह बताना चाहता हूं कि इस विशेष प्रकार के वायरस पर लूक्ष्म निगरानी रखने के लिए समुचित कार्यवाही की गई है।

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा: महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि गेहूं की यह खतरनाक बीमारी देश में कम उत्पादन और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे गेहूं उत्पादक राज्यों में जल स्तर में गिरावट के चलते

गेहूं उत्पादकों के लिए एक तीव्र झटका है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यक्रम द्वारा वर्ष 2012 तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक स्वप्न बनकर रह जाएगा। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकती हूं कि क्या सरकार ने हमारे देश में गेहूं पर निकलने वाले डंठल, पत्ती और धारीदार फफूंद के प्रसार को रोकने के लिए आनुवांशिक आवश्यक सहित गेहूं की फफूंद रोधी किस्में विकसित की हैं? क्या गेहूं की फसलों को महामारियों से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए जीन विकास रणनीति हमारे पास है?

अध्यक्ष महोदय: आप किसी अन्य वायरस की बात कर रही हैं।

श्री शरद पवार: महोदय, पहले तो यह बात ठीक है कि खाद्य एवं कृषि संगठन ने 5 मार्च को इस नई बीमारी, जिसे काला रस्ट फफूंद के नाम से जाना जाता है, के बारे में जानकारी दी है। यह वास्तव में युगांडा में होती है। इसीलिए इसे यू.जी. 99 के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह भारत में नहीं पहुंची है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने हाल में बताया है कि इस फफूंद के फैलने की संभावना है और विशेष रूप से ईरान, अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान और कजाकिस्तान जैसे गेहूं उत्पादक देशों में विनाश फैलने की संभावना है। लेकिन यह वास्तव में हमारे देश में नहीं पहुंची है।

हमने सभी प्रकार की सावधानियां बरती हैं और हम विशेष रूप से प्रतिरोधकता रखने वाली गेहूं की किस्में विकसित कर रहे हैं। इस विशेष बीमारी की शुरुआत मुख्यत: यमन, युगाण्डा और केन्या से हुई है। केन्या में आज भी यह विशेष प्रकार की बीमारी मौजूद है।

हमने 140 से अधिक किस्में ली हैं और यमन में रोपण किया है। हम उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी किस्मों पर सही प्रतिक्रिया क्या है। इसके साथ-साथ, हमारे कुछ अनुसंधान केन्द्रों और कृषि विश्वविद्यालयों में प्रतिरोधकता रखने वाली किस्में भी विकसित की जा रही हैं।

श्री मधु गौड यास्की: महोदय, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की हाल की जानकारी कहती है कि यूजी 99 का वायरस हवा के माध्यम से फैलता है। यदि यह पाकिस्तान पहुंच जाता है तो गेहूं की सबसे अधिक उपज वाले पड़ोसी राज्य पंजाब जो थोड़ी ही दूर पर हैं, के अमृतसर और गुरदासपुर जिले प्रभावित हो सकते हैं। यद्यपि, माननीय मंत्री ने विस्तृत रूप से बताया है कि कौन-कौन से निवारात्मक उपाय किए गए हैं, तथापि, चूंकि यह हवा के माध्यम से फैल सकता है और यदि यह पाकिस्तान पहुंच जाता है, तो यह जोखिम है कि यह पंजाब पहुंच सकता है। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि कृषि विभाग के माध्यम से उन किसानों और राज्य सरकार को सलाह देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

श्री शरद पवार: महोदय, वास्तव में यह विशेष समस्या पाकिस्तान सहित हमारे किसी पड़ोसी देश में नहीं पहुंची है। हमारे पास यह जानकारी है।

यह ठीक है कि तना का फफूंद हवा से फैलता है और आनुवांशिक रूप से भिन्न है। यह हवा के माध्यम से, यात्रियों के कपड़ों और कई अन्य प्रकार से लंबी दूरी भी तय कर सकता है। लेकिन इसका समाधान यह है कि हम प्रतिरोधकता रखने वाली किस्में अपने देश में विकसित करें और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं।

वास्तव में, यह विशेष समस्या कुछ देशों में 1976 में पहली बार देखी गई। यद्यपि, यह वायु से फैलती है, तथापि, 1976 से अब तक यह हम तक नहीं पहुंची है। हम सावधानी बरत रहे हैं। हम प्रतिरोधकता रखने वाली किस्मों का विकास कर रहे हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि यह समस्या हमारे अपने देश में विनाशलीला न करे। सभी कृषि विश्वविद्यालय और गेहूं अनुसंधान केन्द्र इससे भली-भांति परिचित हैं और सभी फसलों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 382 - श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ - उपस्थित नहीं हैं।

[हिन्दी]

किसानों के ऋण माफ करना

+

***383. डा. सत्यनारायण जटिया:**

श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसानों के ऋण माफ किए जाने संबंधी योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या का श्रेणी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना के दायरे में और अधिक किसानों को लाने के लिए इसकी दो हैक्टेयर की विद्यमान सीमा में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या ऋण माफी योजना के साथ-साथ सरकार का विचार छोटे और सीमांत किसानों को गुणवत्ता वाले बीज, कीटनाशक, उर्वरक और अन्य आदान निःशुल्क उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार का अनुमान है कि वर्ष 2008-09 के संघीय बजट में घोषित किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत की स्कीम से लगभग तीन करोड़ छोटे और सीमांत किसान तथा लगभग एक करोड़ अन्य किसान लाभान्वित होंगे। इस स्कीम के अधीन देश के सभी पात्र किसान ऋण राहत का लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं। तथापि इस संबंध में स्कीम के कार्यान्वित किए जाने के पश्चात सरकार के पास श्रेणी-वार और राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध होगा।

(ख) और (ग) वर्ष 2008-09 के संघीट बजट में सरकार द्वारा घोषित किसानों के लिए ऋण माफी तथा ऋण राहत की स्कीम देश के सभी किसानों के लिए लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यि बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी ऋण संस्थानों द्वारा 31 मार्च, 2007 तक किसानों को संवितरित किए सभी सीधे कृषि ऋणों तथा 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय ऋणों को शामिल किया जाएगा। तथापि, सीमांत किसानों (अर्थात् 1 हैक्टेयर तक जोत वाले) और छोटे किसानों (1-2 हैक्टेयर) के लिए सभी ऋणों जो 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय थे और जो 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे, को पूर्ण रूप से माफ किया जायेगा। अन्य किसानों के संबंध में सभी ऋणों जो 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय थे तथा 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे, के लिए एक बारगी निपटान (ओ.टी.एस.) स्कीम होगी। ओ.टी.एस. के अंतर्गत, शेष 75 प्रतिशत का भुगतान किए जाने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बहुत साफ है, किसान का कर्जा माफ है, उसका क्या हिसाब है, कैसे करेंगे आप, क्योंकि किसान पर कर्जा होता क्यों है? किसान को लागत पर लाभकारी मूल्य एवं विक्रय मूल्य को संतुलित करने के लिए, लाभकारी मूल्य देने के लिए अभी तक जो उपाय किये गये हैं, वे प्रभावकारी क्यों नहीं हो रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी हां, कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: मैं वही कह रहा हूं कि जो किसान पर कर्ज हो रहा है, उसमें हर्ज इसलिए हो रहा है चूंकि किसान को उसकी लागत का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इसलिए किसान को लाभकारी मूल्य देने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं और आपने यह कैसे हिसाब लगाया कि तीन करोड़ किसानों का कर्जा माफ होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: यह साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है कि 31 दिसम्बर तक...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक-एक करके पूछिए। एक साथ नहीं।

यह बेहतर होता यदि इस मामले पर चर्चा के लिए मुझे सूचना दी गई होती। लेकिन किसी ने भी मुझे सूचना नहीं दी।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: जी, किसान को लाभकारी मूल्य देने के लिए और विक्रय मूल्य को संतुलित करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे, यह मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और सब नहीं।

श्री शरद पवार: महोदय, यह प्रश्न किसानों की ऋण माफी से संबंधित है। जिन किसानों का ऋण 31 दिसंबर, 2007 तक अतिदेय है, वह इसके पात्र हैं। जिन किसानों के पास दो हेक्टेयर से कम कृषि भूमि है लघु और सीमांत किसान हैं उनका पूर्ण ऋण माफ कर दिया जाएगा। जिन किसानों के पास दो हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है और जो बैंक की एकमुश्त निपटान योजना स्वीकार करने को तैयार हैं तथा यदि वे राशि जमा करते हैं, तो उनका 25 प्रतिशत ऋण माफ कर किया जाएगा। यह योजना पूरे भारत में लागू है।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह बात अपने उत्तर में भी लिख कर दी है।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

डा. सत्यनारायण जटिया: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि 75 प्रतिशत का भुगतान करने के बाद 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। आपको पता है कि जिसे क्रेडिट कार्ड मिल गया है, वह भुगतान करता ही है। आपने कहा है कि 31 दिसम्बर, 2007 को जो अतिदेय थे, उन्हें आप छूट देने वाले हैं लेकिन वे इस सीमा में आने वाले नहीं हैं। आपने अपने उत्तर के पहले वाक्य में कहा है कि सब किसानों का कर्जा माफ होगा - वह बात पूरी नहीं हो रही है। मेरा कहना है कि सब किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? यदि किसानों का कर्जा माफ होता है, क्योंकि कर्जा बड़ा या छोटा नहीं होता है, कर्जा तो कर्जा होता है - किसानों के कर्जों को माफ करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम स्माल और मार्जिनल किसानों तथा जो 25 परसेंट का लाभ लेने के लिए तैयार हैं, उनके लिए रिस्ट्रिक्टिड है। हिंदुस्तान के कुल किसानों में से 81 परसेंट स्माल और मार्जिनल किसान हैं। 81 परसेंट किसानों को इसका लाभ हो सकता है, जिनकी एमाउंट 31 दिसम्बर से ओवरड्यू है। सौ प्रतिशत की पूरी जिम्मेदारी लेना सरकार के लिए आज पॉसिबल नहीं है। इस जिम्मेदारी का ही भार इस सरकार पर 50000 करोड़ रुपए का और वन टाइम सेटलमेंट का 10000 करोड़ रुपए यानी कुल 60000 करोड़ का भार सरकार पर है। पहले यह स्कीम पूरी होने दीजिए। जब तक इस स्कीम पर अमल नहीं होता, तब तक नई जिम्मेदारी लेने की स्थिति में सरकार नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, इस देश का ऋण से प्रभावित समग्र कृषक समुदाय हमारी सरकार की ऋण राहत योजना का स्वागत कर रहा है। चूंकि हम चूककर्ता किसानों को राहत दे रहे हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि उन लघु और सीमांत किसान को किस प्रकार की सुविधा दी जाएगी जिन्होंने बैंक से ऋण लिया और उसे निर्धारित समय-सीमा के भीतर वापस कर दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उन किसानों द्वारा प्रदत्त ब्याज वापस करने का प्रस्ताव किया है और उन्हें भविष्य में अग्रिम लेने में प्राथमिकता दी जाएगी।

श्री शरद पवार: महोदय, यह योजना केवल उन किसानों पर लागू है, जिन पर 31 दिसम्बर, 2007 तक ऋण अतिदेय है। ब्याज के संबंध में, पिछले दो-तीन साल में भारत सरकार ने नियमित रूप से राशि का भुगतान करने वाले किसानों को कुछ राहत देने की घोषणा की थी। इस योजना का नाम ब्याज अनुदान योजना है। आज की स्थिति के अनुसार, सभी संस्थाएं तीन लाख रु. तक ऋण लेने वाले किसानों से 7 प्रतिशत ब्याज ले रही हैं और भारत सरकार द्वारा बजट के माध्यम से अनुदान राशि दी जा रही है और यह राशि विभिन्न बैंकों को दी जाती है। यह योजना पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है। मूल ब्याज 12 प्रतिशत था, जिसे 10 प्रतिशत कर दिया फिर 8 प्रतिशत कर दिया और अब इसे घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। अतः ये सुविधाएं पहले ही उपलब्ध करा दी गई हैं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, जब कर्ज माफी

की घोषणा हुई थी, तब स्माल और मार्जिनल किसानों को बहुत प्रसन्नता हुई थी कि उनका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन नई स्थिति यह पैदा हुई है कि यदि किसी किसान ने एक किश्त भी चुका दी है, जिसकी दो हेक्टेयर से कम जोत है, तो उसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो स्माल और मार्जिनल किसानों की केटेगिरी है, जैसे विदर्भ में है, बुंदेलखंड में भी है, जहां लोगों के पास बहुत बड़ी जोत हैं, बड़ी होल्डिंग्स हैं, परन्तु सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं इरिगेटिड लैंड और अनइरिगेटिड लैंड है, दोनों को हम ईक्वल फुटिंग पर नहीं रख सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दो हैक्टेयर जमीन, बुन्देलखंड की 20 हैक्टेयर जमीन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें फर्क क्यों नहीं किया गया है, क्या आप इस पर विचार करेंगे? अगर किसान ने एक गलती कर दी है, उसने एक किश्त दे दी, तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा - आप स्पष्ट करें कि 31 मार्च को उनके जो भी ड्यूज थे, वे माफ होंगे या नहीं चाहे उसने कोई किश्त दी हो या न दी हो।

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात साफ की है कि जो किसान दो हैक्टेयर के अन्दर हैं, उन्होंने कोई किश्त दी है, लेकिन 30 दिसम्बर 2007, को बाकी किश्तें नहीं दी हैं, उनका एमाउन्ट ओल्ड ड्यू है, इसलिए उन्हें इनका बैनिफिट मिलता नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। यह बात सच है कि कुछ एरियाज में सिंचाई क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए मांग आई है कि उनके बारे में कुछ न कुछ करने की आवश्यकता है - चाहे राजस्थान का हिस्सा हो या बुन्देलखंड का हिस्सा हो, लेकिन डिसिजन सरकार का यह है कि पहले 81 परसेंट छोटे किसानों से इसकी शुरुआत करके इस पर अमल किया जाए और अमल करने के बाद ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होता है, ओवर ऑल क्रैडिट सिस्टम की क्या स्थिति है, हम ये सब देखेंगे। तब तक आज कोई नई जिम्मेदारी लेने की स्थिति में सरकार नहीं है।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मेरा प्रश्न किसानों की ऋण माफी से संबंधित है। यह विशिष्ट योजना जिसमें केवल उन विशिष्ट वर्गों के किसानों का ऋण माफ किया है, जिन्होंने बैंक से ऋण लिया था। लेकिन, जैसाकि माननीय मंत्री जानते हैं कि किसानों की ऋण की समस्या व्यापक है और इसमें वे किसान भी शामिल हैं जिन्होंने महाजनों से ऋण लेने के कारण आत्महत्या कर ली थी।

अत:, चूंकि सरकार ने बैंक से ऋण लेने वाले किसानों की समस्या पर विचार करते हुए यह योजना बनाई है, क्या सरकार महाजनों से उच्च ब्याज दर पर ऋण लेने वाले किसानों को राहत देने के लिए कोई योजना बनाएगी?

श्री शरद पवार: ऐसी कोई योजना नहीं है। जैसाकि मैंने कहा, आज हमारा प्रयास इस योजना को लागू करना है। यह सत्य है कि कुछ राज्यों ने हमसे महाजनों से ऋण माफी का अनुरोध किया है। लेकिन इस बारे में न तो कोई निश्चित रिकार्ड है और न ही कोई जानता है कि इसे किस आधार पर स्वीकार किया जाए। इसी कारण, अभी यह उत्तरदायित्व लेना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस सदन में सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों का 60 हजार करोड़ रुपए का ऋण माफ करके किसानों को लाभ दिया जाएगा, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसे किश्तवार यानी वर्षवार पैसा आंक करके दे रही है? वर्ष 2008-09 में भारत सरकार ने कितने रुपए का प्रावधान किसानों को देने के लिए किया है? अगर 60 हजार करोड़ रुपए से कम का प्रावधान है तो क्या यह किसानों के साथ ठगी होगी या नहीं?

इसके साथ पार्ट बी में कहना चाहता हूं कि जहां आप किसानों को राहत देना चाहते हैं - राहत देने के लिए दो हैक्टेयर का पैमाना रखा है, उसमें सिंचित जमीन रखी है या असीचिंत जमीन भी शामिल की है? मेरे इन दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण देने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय: आपने एक साथ दो प्रश्न किए हैं।

श्री शरद पवार: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने इसी सदन में यह बात साफ की है कि वह किस तरह पैसा देना चाहते हैं। उन्होंने एक नया फंड बनाने की बात कही थी जिसे एक तरह से एप्रूवल भी मिल गई है। उन्होंने सदन में एक कलैंडर भी दिया है।

[अनुवाद]

कि 30 जून, 2008 के तत्काल बाद संसद द्वारा वर्ष 2008-09 के लिए अनुपूरक अनुदान हेतु 25,000 करोड़ रु. स्वीकृत किए जाएंगे; 2009-10 के बजट में 15,000 करोड़ रु.; 2010-11 के बजट में 12,000 करोड़ रु.; 2011-12 के बजट में 8,000 करोड़ रु. रखे जाएंगे।

[हिन्दी]

इस तरह पैसा देने का प्रबंध किया है।

श्री प्रभुनाथ सिंह: यह किसानों के साथ धोखा है ...*(व्यवधान)*

श्री शरद पवार: हमने कोई धोखा नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्हें उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में अन्य कुछ भी शामिल नहीं कीजिए।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: सरकार ने पहली इनस्टॉलमेंट इसी जून को देने का प्रबन्ध किया है और सदन ने इसे स्वीकार करके सहमति भी दी है। पैसे बैंक से जाने वाले हैं, इसलिए किसानों को धोखा देने की बात इसमें नहीं है। इसमें धोखा नहीं होगा और न किसी को गुमराह किया जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अनिल शुक्ल वारसी, नए माननीय सदस्य।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: मुझे आधा उत्तर मिला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, मुझे खेद है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमने पूछा है कि आपने दो हेक्टेयर की सीमा बांधी है उसमें सिंचित भूमि है या असिंचित भूमि को भी शामिल किया गया है?

अध्यक्ष महोदय: सोचेंगे।

[अनुवाद]

नहीं, मैं दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: दो हेक्टेयर के अंदर सभी है, चाहे वह सिंचित है या असिंचित।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमें नए सदस्य की बात सुननी चाहिए।

[हिन्दी]

आप मौका दीजिए।

श्री अनिल शुक्ल वारसी: महोदय, बजट में प्रोवीजन किया गया है कि 31 मार्च, 2008 तक ओवरड्यू प्रिंसिपल और इन्टरस्ट को माफ किया जाएगा। हमारा प्रश्न है कि जो प्रिंसिपल और इन्टरस्ट ड्यू नहीं हुआ है, मान लीजिए किसी किसान ने पांच लाख कर्जा लिया है, एक लाख ओवरड्यू है और चार लाख ड्यू नहीं हुआ है तो क्या पूरा पांच लाख माफ किया जाएगा या एक लाख माफ किया जाएगा?

श्री शरद पवार: जो ओवरड्यू है, वह होगा।

अध्यक्ष महोदय: जो ओवरडयू है, वह होगा!

[अनुवाद]

आपको क्या चाहिये? आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। आपका अच्छा प्रश्न है, आपने पहली बार सभा में अपनी बात रखी। मैं उसके लिए आपकी सराहना करता हूं। मैं प्रशंसा करता हूं।

श्री अनिल शुक्ल वारसी: धन्यवाद महोदय।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपके डिप्टी लीडर एब्सेंट है।

श्री संतोष गंगवार: सरकार को इस साल जो मदद देनी थी, उसके बारे में उतना ही कहना चाहिए था क्योंकि

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अगले साल कौन आएगा, इसका क्या भरोसा, उसके लिए गलत बयान नहीं करना चाहिए था। मेरा आग्रह है और मुझे लगता है कि कृषि मंत्री और वित्त मंत्री जी में तालमेल नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न का टाइम है, बहस का टाइम नहीं है।

श्री संतोष गंगवार: महोदय, माननीय मंत्री जी स्वयं चार करोड़ की फिगर बता रहे हैं। मैं दो बिंदुओं के बारे में पूछना चाहता हूं, मुझे लगता है कि जो बिलफुल डिफाल्टर्स हैं, उनको फायदा होगा और जो प्रॉम्प्ट पेयर हैं, उनको फायदा नहीं होगा। क्या इसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कुछ सोचा है? आपको ध्यान होगा कि पहले जब दस हजार रुपए तक के कर्ज माफ हुए थे, लोगों को यह समझ में आ रहा था कि अब ये नहीं देंगे। जैसा पहले कहा गया कि के.सी.सी. के कारण...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मुझे खेद है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: मैं इसके साथ एक और बात कहना चाहता हूं कि आप के.सी.सी. का हिसाब किताब देख लें, जो 25 प्रतिशत छूट की बात की गई है, अगर 75 परसेंट होता तो उसके ऊपर 100 रुपए नहीं पड़ते। मेरा आग्रह है कि आप जो 25 प्रतिशत माफ कर रहे हैं, अगर आप उसमें 75 परसेंट की किश्तें बनाएंगे तभी किसान दे पाएगा वरना नहीं दे पाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सुझाव कार्रवाई करने के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: उसको आपकी माफी का फायदा नहीं होगा, इसलिए मेरा आग्रह है कि 25 परसेंट माफी वाले विषय पर विचार करें और इसे किश्तों पर देने की घोषणा करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: खास बात यह है कि आज पचास दिन हो गए हैं, अभी तक किसी किसान को यह पता नहीं चला है कि उसका कर्जा माफ हो गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। संतोष जी, कृपया सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: किसानों से वसूली निरंतर हो रही है, उनकी फसल कुर्क हो रही है। क्या इसके बारे में आप बैंकों को निदेश देने का काम करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी, नहीं, मुझे खेद है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। यह सुझाव कार्रवाई करने के बारे में है। प्र. सं. 384, डा. राम लखन सिंह - उपस्थित नहीं।

प्रश्न संख्या 385 : डा. के.एस. मनोज।

मछुआरों को न्यूनतम मजदूरी का संदाय

***385. डा. के.एस. मनोज:** क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में समुद्र से मछली पकड़ने वाले गांव में रहने वाले पारंपरिक मछुआरों के प्रतिदिन के काम हेतु कानूनी रूप से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का संदाय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों क्रमशः अनुसूचित नियोजनों में केन्द्र और राज्य क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने/संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। चूंकि मछली पकड़ना और उससे जुड़े क्रियाकलाप राज्य क्षेत्र के दायरे मे आते हैं, अतः समुचित सरकारों के रूप में राज्य सरकारों ने ऐसे अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित की है। इससे समुद्री मछली पकड़ने वाले गांवों में रहने वाले परंपरागत मछुआरे भी लाभान्वित होते हैं। उपलब्ध सूचना के आधार पर, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा मछली पकड़ने और इससे जुड़े क्रियाकलापों में लगे अकुशल कामगारों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को दर्शाने वाला एक अनुबंध संलग्न है।

राज्य क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान राज्य प्रवर्तन तंत्र द्वारा नियमित निरीक्षणों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने अथवा कम भुगतान किए जाने के किसी मामले का पता लगने की स्थिति में, नियोक्ताओं को कम मजदूरी के भुगतान को पूरा करने की सलाह दी जाती है। अनुपालन न किए जाने के मामले में, अधिनियम में विहित दंडात्मक उपबंधों का आश्रय लिया जाता है।

अनुबंध

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मछली पकड़ने और उससे जुड़े क्रियाकलापों में लगे अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुसूचित नियोजन का नाम	श्रेणी	दर प्रति दिन रुपये में
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	मछली पालन और समुद्री खाद्य	न्यूनतम	136.19
2.	असम	मछली पकड़ना	अकुशल	73.60
			अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	78.05
			कुशल/लिपिकीय कार्य	83.75
3.	बिहार	मछली पालन	अकुशल	68.00
			अर्धकुशल	70.00
			कुशल	86.00
			अतिकुशल	105.00
4.	गोवा	मछली और पेय पदार्थ सहित खाद्य सामग्री का प्रसंस्करण और डिब्बाबन्दी	अकुशल	103.00
			अर्धकुशल	114.00
			कुशल ख	122.00
			कुशल क	129.00

1	2	3	4	5
5.	गुजरात	मछली पालन उद्योग	अकुशल	103.70
			अर्धकुशल	104.70
			कुशल ख	105.80
			कुशल क	107.80
6.	झारखंड	मछली पालन	अकुशल	86.40
			अर्धकुशल	88.59
			कुशल	118.12
			अतिकुशल	133.53
7.	कर्नाटक	मछली पालन, मछली शोधन, मछली की पीलिंग करना और मेढक के पैरों का निर्यात	पीलिंग और वेनिंग में कार्यरत कामगार	106.77
8.	केरल	मछली की पीलिंग करना और मछली की डिब्बाबंदी, समुद्री खाद्य पदार्थों की फ्रीजिंग और निर्यात	न्यूनतम दर	100.39
9.	उड़ीसा	मछली पालन और समुद्री खाद्य उद्योग	अकुशल	70.00
			अर्धकुशल	80.00
			कुशल	90.00
			अतिकुशल	100.00
10.	तमिलनाडु	समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		77.98
11.	पश्चिम बंगाल	मछली पालन	अकुशल	77.50
12.	दमन और दीव	समुद्री खाद्य उद्योग	अकुशल	95.00
			अर्धकुशल	105.00
			कुशल	112.00
13.	लक्षद्वीप	मछली पालन विभाग	अकुशल	71.90
		(क) नाव निर्माण यार्ड	अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	77.90
		(ख) डिब्बाबंदी कारखाना	कुशल/लिपिकीय	83.90
			अतिकुशल	88.90

डा. के.एस. मनोज: अध्यक्ष महोदय, देश में 10 मिलियन से अधिक मछुआरे हैं। इसमें से 90 प्रतिशत से अधिक मछुआरे पारंपरिक क्षेत्र से हैं और सम्बद्ध मात्स्यिकी क्षेत्र में महिला कामगारों की संख्या भी बहुत अधिक है। मात्स्यिकी क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र हैं जहां न्यूनतम मजदूरी निर्धारित नहीं है। जब मछुआरे समुद्र में जाते हैं तो यदि वे मछली न पकड़ सकें, तो उन्हें कोई दिहाड़ी मजदूरी नहीं दी जाती।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

डा. के.एस. मनोज: मात्स्यिकी जोखिम से भरा व्यवसाय भी है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और अन्य कल्याणकारी अधिनियम जैसे बोनस संदाय अधिनियम, भविष्य निधि अधिनियम और ई.एस.आई. अधिनियम मछुआरों पर लागू नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: जी, हां, आपका प्रश्न क्या है?

डा. के.एस. मनोज: मैं, माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार मछुआरों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए कुछ उपाय अपनाने पर विचार कर रही है। यह सम्बद्ध मात्स्यिकी क्षेत्र के कामगार नहीं हैं। वक्तव्य में यह कहा गया है कि सम्बद्ध क्षेत्र के कामगारों को न्यूनतम मजदूरी दी गई है।

अध्यक्ष महोदय: डा. मनोज, मैं आपको दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दूंगा।

डा. के.एस. मनोज: जी महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपको प्रश्न पूछना है।

डा. के.एस. मनोज: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार मछुआरों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए कुछ उपाय करेगी। साथ ही, क्या सरकार उन्हें बोनस संदाय अधिनियम, ई.एस.आई. अधिनियम इत्यादि की परिधि में लाएगी?

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, मूल रूप से मात्यस्यिकी असंगठित क्षेत्र में आता है। हम मछुआरों को न्यूनतम मजदूरी दिए जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने लिखित उत्तर में मैंने पहले ही बताया है कि विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। दर निर्धारित कर दी गई है और यह दी जा रही है।

महोदय, साथ ही विभिन्न राज्यों में कार्रवाई की जा रही है। जहां कहीं भी यह देखा जाता है कि न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जा रही, तो इस संबंध में भी कार्रवाई की जाती है। अब, हम इसे असंगठित क्षेत्र मान रहे हैं और हम इस असंगठित क्षेत्र की सहायता करने के लिए विभिन्न उपाय अपना रहे हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को इस संबंध में बनाई गई विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: दूसरा पूरक प्रश्न कृपया, स्पष्ट प्रश्न पूछिये।

डा. के.एस. मनोज: जी, महोदय। जैसाकि माननीय मंत्री ने सही कहा कि मात्स्यिकी और सम्बद्ध क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में ही आते हैं। यांत्रिक मात्स्यिकी इत्यादि से जुड़े कुछ लोग संगठित क्षेत्र में आते हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री यह आश्वासन दें कि सरकार, मात्स्यिकी और सम्बद्ध क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए बनाए गए कानूनों की परिधि में लाएगी। क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देंगे?

अध्यक्ष महोदय: क्या वह ऋण लेने के पात्र होंगे?

डा. के.एस. मनोज: जी नहीं, महोदय। उन्हें असंगठित क्षेत्र के कल्याण के लिए बनाए गए कानूनों की परिधि में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, मछुआरे पारंपरिक रूप से असंगठित क्षेत्र में आते हैं। जो लोग संगठित क्षेत्र में आते हैं, उदाहरणार्थ मेकेनाइज्ड फिशिंग (यांत्रिक मात्स्यिकी) में लगे लोग, इसमें विद्युत का प्रयोग करने वाले कतिपय क्षेत्र ही संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहां देश का कानून लागू है और संगठित क्षेत्र की परिधि के अंतर्गत आने वालों, जिनकी संख्या लगभग 20 प्रतिशत है, तथा जो मेकेनाइज्ड फिशिंग (यांत्रिक मात्स्यिकी) की परिधि के अंतर्गत आते हैं, इसकी जांच की जा सकती है और मुझे लगता है कि हम इसे लागू कर पाएंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप जानते हैं कि गुजरात में बहुत बड़ा समुद्र का किनारा है और वहां बहुत ज्यादा फिशरमैन काम करते हैं, लेकिन आपने स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए जो वेजिज तय किये हैं, उसमें एक या दो रुपये का

बहुत कम डिफरैन्स है। इस तरह से स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो स्किल्ड वर्कर्स हैं, क्या आप उनकी डेली वेजिज में बढ़ोतरी करेंगे?

इसके अलावा अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में जो बहुत सारे फिशरमैन काम कर रहे हैं, उन्हें डेली वेजिज के हिसाब से पैसे नहीं मिलते - चाहे जूनागढ़ हो या कंडला साइड हो, पचास-साठ रुपये डेली वेजिज पर वे काम करते हैं। वे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर समुद्र में जाते हैं। आप जानते हैं कि गुजरात के बहुत सारे मछुआरों को पाकिस्तान की जेलों में रहना पड़ता है और हम सबके निवेदन करने के बाद उन्हें वहां से छुट्टी मिलती है।

अध्यक्ष महोदय: हम लोगों को ज्यादा छुट्टी मिलती है, यह सही बात है, लेकिन उन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती है।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: अध्यक्ष महोदय, मिनिमम वेजिज राज्य सरकार का सब्जैक्ट है, यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। हम राज्य सरकारों को जरूर सलाह देंगे कि वह इसे एग्जामिन करे कि स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के बीच में क्या फर्क है और यदि वे वेजिज बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करने के लिए हम राज्य सरकारों को सुझाव जरूर देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वर्मा जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा।

प्र. 386 - श्री हंसराज गं. अहीर - उपस्थित नहीं।

प्र. 387 - श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील - उपस्थित नहीं।

प्र. 388 - श्री पी.एस. गढ़वी

एम.टी.एन.एल. द्वारा टी.वी. चैनलों का चयन

***388. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा अपने मीडिया प्लान में दिल्ली और मुम्बई के दर्शकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आई.पी.टी.वी.) में शामिल किए गए निजी टी.वी. चैनलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त प्लान में कुछ प्रसिद्ध टी.वी. चैनलों को शामिल नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा टी.वी. चैनलों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) एम.टी.एन.एल. दिल्ली और मुंबई में राजस्व हिस्सेदारी के तहत क्रमशः मै. आकाश और मै. आई.ओ.एल. ब्रॉडबैंड के साथ करार करके आई.पी.टी.वी. सेवाएं प्रदान कर रहा है। टी.वी. चैनल वैंडर द्वारा प्रसारणकर्ताओं (ब्रॉडकास्टरों) के साथ करार करके उपलब्ध कराए जाते हैं। 31-03-2008 की स्थिति के अनुसार एम.टी.एन.एल. द्वारा दिल्ली और मुंबई में क्रमशः कुल 150 और 165 चैनल उपलब्ध कराए गए हैं।

एम.टी.एन.एल. ने प्रसारणकर्ताओं के साथ बातचीत करके अपनी सेवाओं के विज्ञापन हेतु टी.वी. चैनलों का चयन किया है। 2007-08 के दौरान मानदंडों [भाग (घ) में दिए गए] के अनुसार मीडिया प्लान में चयनित निजी चैनलों का ब्यौरा निम्नवत् है:

- जी टी.वी.
- सोनी
- आज तक (हैड लाइन्स टुडे, तेज, दिल्ली आज तक सहित)
- सी.एन.एन.-आई.बी.एन.
- टाइम्स नाउ
- सी.एन.बी.सी.
- डिस्कवरी
- एम.टी.वी.
- चैनल वी (V)

2008-09 के लिए मीडिया प्लान तैयारी के आरंभिक चरण में है।

(घ) एम.टी.एन.एल. द्वारा मीडिया के चयन हेतु निम्न-लिखित मानदंड अपनाए गए हैं:

(i) एम.टी.एन.एल. के बाजार अर्थात दिल्ली और मुंबई में टी.वी. चैनल की लोकप्रियता/पहुंच में वृद्धि करना।

(ii) टी.वी. के माध्यम से प्रोत्साहित (प्रोमोट) किए जाने के लिए अभिप्रेत एम.टी.एन.एल. के उत्पादों की किस्म और ऐसे उत्पाद के लिए लक्षित उपभोक्ताओं का प्रोफाइल।

(iii) टी.वी. चैनलों को देखने वाले जिन दर्शकों के प्रोफाइल पर विचार किया जा रहा है।

(iv) विज्ञापनों के प्रसारण की आवृत्ति और टाइम बैंडों को ध्यान में रखते हुए टी.वी. चैनल पर विज्ञापन की लागत।

(v) बजटीय बाधाएं।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में मीडिया के चयन के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा अपनाए गए मानदण्ड के बारे में बताया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा मीडिया के चयन के लिए यह मानदण्ड कब अपनाया गया तथा क्या इस मानदण्ड की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछली बार इसकी समीक्षा कब की गई और समीक्षा प्राधिकारी कौन है।

श्री ए. राजा: महोदय, टी.वी. चैनलों का चयन करने हेतु निर्धारित मानदण्ड स्थायी स्वरूप के हैं। यदि माननीय सदस्य इसमें कोई नए दिशानिर्देश शामिल करना चाहते हैं, तो वह सरकार को इसके बारे में बता सकते हैं। इस समय मुझे यह नहीं लगता कि मानदण्ड अस्थायी स्वरूप के हैं और इनकी समीक्षा की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है कि टेलीविजन की प्रति-सैकेण्ड रेटिंग संबंधी प्रणाली से सरकार को यह निर्धारित करने में सहायता मिलती है कि कितने दर्शक किसी विशेष समय कोई विशेष टी.वी. चैनल देखते हैं। हमारे पास यही तंत्र उपलब्ध है और हम इसी तंत्र के माध्यम से यह निर्णय करते हैं कि कौन सा विशेष टी.वी. चैनल अधिक लोकप्रिय है जिस पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के विज्ञापन दिए जा सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो इसकी समीक्षा भी की जा सकती है बशर्ते कि नये मानदण्ड अपनाए जाएं। यदि माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि इन मानदण्डों को समिति में सम्मिलित किया जाए तो सरकार इन सुझावों को सुनने के लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपने सुझाव उन्हें भेज सकते हैं।

श्री पी.एस. गढ़वी: महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि वर्ष 2008-2009 हेतु मीडिया योजना अभी अपने आरंभिक चरण में है। मैं इस संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। वर्ष 2008-2009 हेतु मीडिया योजना, जो अपने आरंभिक चरण में है, को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

श्री ए. राजा: महोदय, वर्ष 2007-08 के लिए हमने लगभग 6 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस वर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को बोर्ड में यह निर्णय लेना होगा कि विज्ञापनों पर कितनी धनराशि खर्च की जा सकती है। तत्पश्चात्, इसे एक माह के भीतर अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 389, श्री सुनील खां - उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 390, श्री मनसुखभाई डी. वसावा।

[हिन्दी]

जाली राशन कार्ड

+

***390. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**

श्री काशीराम राणा:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में किए गए सर्वेक्षणों से देश में बड़ी संख्या में जाली राशन कार्ड होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के लाभार्थियों की सूची की समीक्षा करने और जाली राशन कार्डों को रद्द करने का अभियान चलाने के लिए अनुदेश जारी किए हैं/सुझाव दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस

संबंध में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है तथा गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने जाली राशन कार्डों का पता चला और उन्हें रद्द किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने 6 राज्यों नामतः असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समवर्ती मूल्यांकन पर एक रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की है। वर्ष 2006 में देश में परिवारों की संख्या के अपने अनुमान के आधार पर राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद ने अपनी रिपोर्ट में उक्त वर्ष के दौरान देश में अनुमानित परिवारों की तुलना में लगभग 2.3 करोड़ अधिक राशन कार्ड होने का निष्कर्ष निकाला है। तथापि, यह परिणामी संख्या जाली राशन कार्डों की नहीं है बल्कि अधिक राशन कार्डों की है।

(ग) और (घ) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन और ओ.आर.जी. मार्ग द्वारा किए गए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्व के मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए तैयार की गई एक 9 सूत्री कार्ययोजना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस कार्ययोजना के भाग के रूप में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निदेश दिया गया है कि वे जाली राशन कार्डों को समाप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों की सूचियों की लगातार समीक्षा करें ताकि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के केवल पात्र परिवार कवर किए जाएं। ऐसी समीक्षा के परिणामस्वरूप 13 राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने जुलाई, 2006 से 67.455 लाख जाली/अपात्र राशन कार्डों का पता लगाया है और उन्हें रद्द किया है। रद्द किए गए कार्डों के ब्यौरे बताने वाला अनुबंध संलग्न है।

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे जाली राशन कार्ड रखने वाले व्यक्तियों और अपात्र परिवारों/व्यक्तियों को जाली राशन कार्ड जारी करने के लिए जिम्मेदार पाए गए सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करें।

अनुबंध

जुलाई, 2006 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा समाप्त किए गए जाली/अपात्र राशन कार्डों की संख्या

(05-03-2008 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	समाप्त की गई ग.रे.नी./ अं.अ.यो. की सूचियां तथा जाली कार्डों की संख्या (लाख में)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	06-07	10.46
2.	असम	06-07	0.02
3.	छत्तीसगढ़	06-07	2.00
4.	दिल्ली	06-07	14.62

1	2	3	4
5.	गुजरात	06-07	0.36
6.	कर्नाटक	06-07	3.47
7.	मध्य प्रदेश	07-08	24.87
8.	उड़ीसा	06-07	2.50
9.	उत्तर प्रदेश	06-07	3.96
10.	उत्तरांचल	06-07 व 07-08	0.14
11.	पश्चिम बंगाल	06-07	5.00
12.	मेघालय	06-07	0.00219
13.	सिक्किम	06-07	0.00914
	जोड़		67.45468

[हिन्दी]

श्री मनसुखभाई डी. वसावा: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न देश में जाली राशन कार्डों के बारे में था, लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया है, मैं उस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। जाली राशन कार्डों के मामले में सरकार ने माना है कि देश में 2 करोड़ से भी ज्यादा राशन कार्डों की संख्या है और यह प्रूव भी हुआ है। मैं जाली राशन कार्डों के बारे में यही जानना चाहता हूं कि क्या जाली राशन कार्डों में पाकिस्तानी नागरिक और बंग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार के पास क्या कुछ शक्ति है, और अगर है तो उनके लिए सरकार क्या करना चाहती है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): अध्यक्ष महोदय, सिम्पल बात यह है कि प्लानिंग कमीशन ने बी.पी.एल. के बारे में गाइडलाइन्स दी हैं, उनके मुताबिक हर राज्य सरकार को अपने राज्य में सूचना इकट्ठा करके राशन कार्ड एलॉट करने की जिम्मेदारी उनकी है। आज तक इन सभी लोगों को जो राशन कार्ड दिये गये, उनमें से दो-तीन बातें हमारे सामने आ रही हैं। एक यह है कि कुछ कार्ड जाली भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा बात यह है कि जो परिवार बी.पी.एल. कैटेगरी में नहीं आता है, ए.पी.एल. कैटेगरी में है, फिर भी उसे बी.पी.एल. कैटेगरी का राशन कार्ड दिया गया है, उसकी यहां कुछ फिगर्स भी दी गई हैं। जहां तक प्लानिंग कमीशन की गाइडलाइन्स के मुताबिक जो सूचना उपलब्ध है,

[अनुवाद]

6.52 करोड़ परिवार गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। वस्तुतः, राज्य सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 10.28 करोड़ राशन कार्ड जारी किए हैं।

[हिन्दी]

एक्चुअली बी.पी.एल. के लिए 3 करोड़ और 76 लाख ज्यादा कार्ड्स राज्य सरकार ने इश्यू किये हैं। यह बात हमने सरकार के ध्यान में लाई है और सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं। हाल ही में, एनैक्सचर-1 में जो सूचना दी गई है, उसके मुताबिक 12-13 राज्यों ने कुछ कदम उठाए हैं और कुछ कार्ड उन्होंने कैंसिल भी किए हैं।

श्री मनसुखभाई डी. वसावा: माननीय अध्यक्ष जी, हम सब यह जानते हैं कि जाली राशन कार्ड दिलाने का काम किसी एक व्यक्ति या संगठन के माध्यम से नहीं होता। जाली राशन कार्ड दिलाने में कई अधिकारी, सस्ते अनाज

की दुकान चलाने वाले दुकानदार और देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग या संगठन भी उसमें शामिल होते हैं। क्या सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी है या नहीं? यदि है, तो विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर आप ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहते हैं?

श्री शरद पवार: महोदय, यदि कोई स्पैसिफिक शिकायत माननीय सदस्य के पास किसी राज्य के संबंध में हो तो वह जानकारी हमें दीजिए। हम उस राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और उनके सामने यह बात लाएंगे और जांच करने के लिए सूचना देंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री काशीराम राणा - उपस्थित नहीं।

श्रीमती मेनका गांधी।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मंत्री जी ने काफी विस्तार से उत्तर दिया है, परन्तु उत्तर प्रदेश की ओर से मैं मंत्रीजी को यह बताना चाहती हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हजारों लोगों ने मुझसे जाली राशन कार्डों अथवा बी.पी.एल. कार्डों के बारे में नहीं, बल्कि बी.पी.एल. कार्डों की अपर्याप्तता के बारे में बार-बार शिकायत की है। प्रत्येक गांव से केवल तीन, चार अथवा पांच लोगों को ऐसे ही चुन लिया गया है जबकि सैंकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें पात्र होने के बावजूद बी.पी.एल. कार्ड नहीं मिले हैं। प्रश्न के भाग 'ग' में पूछा गया है कि क्या ऐसा कोई निदेश दिया गया था कि बी.पी.एल. कार्डों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए अथवा इस प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह कार्य रोक दिया गया है और कई लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

श्री शरद पवार: वास्तव में, मैंने सभा में आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इस देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कुल संख्या 'X' है और आबंटित किए गए कार्डों की वास्तविक संख्या 'X' से अधिक है। वस्तुतः हमने इस संबंध में राज्य सरकार को भी लिखा है

[हिन्दी]

कि जो बी.पी.एल. कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको जो कार्ड दिये गए हैं, वे कैन्सेल करिये और बी.पी.एल. कैटेगरी में बैठने वाले लोगों को ही सिर्फ कार्ड देना चाहिए। यह पूरी जिम्मेदारी हर स्टेट गवर्नमैंट की है। यदि इस संबंध में कोई स्पैसिफिक शिकायत हो, तो उनके सामने हम आपकी शिकायत भेजेंगे और उनको कार्रवाई करने के लिए लिखेंगे।

श्री सुग्रीव सिंह: मान्यवर, वर्ष 2000 में बी.पी.एल. कार्ड के लिए जो सर्वे हुआ, उसमें कुछ क्राइटीरिया रखा गया था। उसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं कि जिसके घर में टी.वी. है, साइकिल है, उसको बी.पी.एल. में नहीं लिया जाएगा। आजकल सारे व्यक्ति, चाहे वह रिक्शा वाला हो या लेबरर हो, वह मोबाइल भी पकड़ रहा है। बी.पी.एल. कैटेगरी के लिए सरकार ने जो प्रावधान किए हैं, नीति-नियम बनाए हैं, उसमें ठीक से सर्वे करना चाहिए ताकि बी.पी.एल. में ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। वर्ष 2000 में जो सर्वे हुआ, उसमें आपके द्वारा जो नीति निर्धारित की गई, उसके कारण हमारे उड़ीसा राज्य के बहुत ज्यादा लोग बी.पी.एल. में आने से वंचित रह गए। उनका ठीक क्राइटीरिया बनाकर फिर से सर्वे करने के संबंध में क्या सरकार कुछ सोच रही है?

श्री शरद पवार: इसमें मैंने साफ किया है कि प्लानिंग कमीशन ने, रूरल डैवलपमैंट मिनिस्ट्री ने इसका क्राइटीरिया तय किया है और उसके आधार पर ही राज्य में बी.पी.एल. कार्ड दिये गये हैं। कुछ शिकायतें हो सकती हैं, जिनको मैं नजरंदाज नहीं कर रहा हूं। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि बी.पी.एल. की संख्या से तीन करोड़ ज्यादा कार्ड दिये गये।

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचन्द पाल।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केन्द्र और राज्यों के बीच पूर्ण सहयोग होना चाहिए।

श्री रूपचंद पाल: मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या 'गरीबी रेखा से नीचे' रहने वाले लोगों की संख्या के निर्धारण हेतु 13 सूत्री मानकों अथवा मानदण्डों की नए सिरे से जांच हेतु एक विशेषज्ञ समिति पहले ही गठित की जा चुकी है? स्थायी समिति ने भी इस कार्य को शीघ्र पूरा करने की पुरजोर सिफारिश की है।

श्री शरद पवार: मैं समझता हूं कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर किसी और मंत्रालय में विचार किया जा रहा है जिसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे यहां जो सर्वे कराया गया है, वहां जो दूर-दराज के एरिया पड़ते हैं, जिनको आपके बनाए हुए पैरामीटर्स के हिसाब से उसमें आना चाहिए था, राज्य सरकार वहां तक पहुंची नहीं है। हमारे दूर-दराज के जो पहाड़ी एरियाज हैं, आज भी वहां लोग राशन लेने से वंचित हैं।

आप जानते हैं कि जब एक बी.पी.एल. गलत बनता है तो इंदिरा आवास योजना में उसका मकान नहीं बन सकता। वह पचास किस्म की फेसिलिटीज से महरूम रहता है। मेरा यहां कहने का मकसद यह है, क्योंकि मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या जाली कार्डों के बारे में बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: हां सर, मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं जो रिटायर्ड हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद आपको राशन देते हैं, उन्होंने डिपो खोले हुए हैं, जो उनके खुद के बने हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसकी करेक्शन क्यों नहीं हो रही? किसी का घर वाला मजदूर है और उसका काम ठीक चल रहा है। मेरा सबमिशन है कि अगर कोई रास्ते में एक्सीडेंट से मर जाता है तो उसी दिन वह बी.पी.एल. हो जाता है। अगर आपका सर्वे होगा, तो बात आगे चलेगी। दूसरी तरफ जो विधवा है, उसके जो बच्चे यतीम हो गए, उसके लिए सरकार इमीडिएट क्या कर सकती है और उसका क्या हो सकता है, यह मैं जानना चाहता हूं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसमें कवर नहीं होता।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: वह कैसे बी.पी.एल. में है, यह मैं जानना चाहता हूं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है,

[अनुवाद]

यह महत्वपूर्ण मामला है परंतु मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमें इसका जवाब चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, जवाब चाहिए, लेकिन जवाब दे नहीं सकते।

[अनुवाद]

कार्यवाही के लिए यह अच्छा सुझाव है।

[हिन्दी]

श्री शरद पवार: मैंने साफ कहा है कि भारत सरकार की यह जिम्मेदारी है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो रिकवायरमेंट आती है, हम प्लानिंग कमीशन की गाइड लाइन्स के मुताबिक काम करेंगे, उसके मुताबिक बी.पी.एल. और ए.ए.वाई. में जितना अनाज लगता है, उतना हमें सप्लाई करना है। एक बार सप्लाई करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन शॉप तक और वहां से उन परिवारों तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। मैंने शुरू में ही कहा कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग हों, जिन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता थी, लेकिन नहीं हुए, ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। हमारे पास जब-जब ऐसी शिकायतें आती हैं तो हम राज्य सरकारों के पास भेजते हैं कि इस पर आप ध्यान दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें भी जागरूक हो जाना चाहिए। प्रश्न सं. 391।

[हिन्दी]

मोबाइल टेलीफोन सेवा की व्यवस्था

***391. श्री वी.के. थुम्मर:** क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक क्षेत्रों में मोबाइल टेलीफोन सेवाएं अब तक शुरू नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) गत वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में उपर्युक्त

क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(ङ) इसके परिणामस्वरूप अब तक कितनी सफलता मिली है?

[अनुवाद]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) इस समय देश के लगभग 65% भौगोलिक क्षेत्र में मोबाइल सुविधा उपलब्ध है। तथापि, उन क्षेत्रों के संबंध में अवस्थिति-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं जहां ऐसी सेवा उपलब्ध नहीं है।

इसके अलावा, सरकार ने प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने के लिए जनवरी, 2008 में 120 नये एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस जारी किए हैं जिनसे सुविधारहित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के विस्तार में सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए, सरकार 27 राज्यों में फैले 500 जिलों में, जहां इस समय कोई फिक्स्ड वायरलेस या मोबाइल सुविधा नहीं है, 7871 अवसंरचना स्थलों (टावरों) की स्थापना करने और उनका प्रबंध करने के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के माध्यम से पांच वर्षों की अवधि के दौरान लगभग 587.88 करोड़ रुपये की कुल सब्सिडी प्रदान कर रही है। मई, 2007 में सफल बोलीदाताओं के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इन टावरों से वर्ष 2008 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से मोबाइल सेवाएं शुरू किए जाने की संभावना है। 29 फरवरी, 2008 तक इस योजना के तहत 150 टावर संस्थापित किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री वी.के. दुग्गर: अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें कहा गया है कि देश के लगभग 65 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में मोबाइल की सुविधा उपलब्ध है। तथापि, उन क्षेत्रों के संबंध में अवस्थिति-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मोबाइल क्षेत्र में 65 परसैंट क्षेत्र तक काफी सेवा मिल रही है, लेकिन जो दूरदराज के गांव हैं, एरियाज हैं, वहां मोबाइल फेसिलिटी नहीं मिल रही है।

प्राइवेट कम्पनियों का मोबाइल नेटवर्क वहां चल रहा है और बी.एस.एन.एल. के मोबाइल सस्ते हैं, देश के गरीब लोग भी इस मोबाइल फेसिलिटी का यूज कर सकते हैं, लेकिन गांव में मोबाइल फेसिलिटीज नहीं मिल रही है, इस वजह से उसका वहां उपयोग नहीं हो पाता। मैं मंत्री जी पूछना चाहता हूं कि जो 35 परसैंट एरिया बाकी बचा है, उस एरिया को कब तक कवर कर लिया जाएगा, क्योंकि अधिकारियों का इसमें इंटरस्ट नहीं है। वे प्राइवेट कम्पनियों में रिटायर होकर चले जाते हैं। इसलिए मंत्री जी हमें इस बात का जवाब दें कि जो गांवों में 35 परसैंट एरिया बाकी हैं, उसे कब तक पूरा किया जाएगा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मंत्री जी को उत्तर देने का टाइम दीजिए।

[अनुवाद]

श्री ए. राजा: महोदय, यह सच है कि देश के लगभग 65 प्रतिशत क्षेत्र में मोबाइल सेवा उपलब्ध है। परन्तु उस पर केवल सरकार का ही अनन्य अधिपत्य नहीं है। निजी आपरेटरों सहित सभी सेवा प्रदाताओं की ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने की समान प्रतिबद्धता है। इसके साथ ही, सरकार निजी आपरेटरों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों जैसे बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. पर ग्रामीण क्षेत्रों में यह सेवा प्रदान करने के लिए दबाव डालने के अपने अधिकार के प्रति प्रतिबद्ध है जिसके लिए हम सरकारी अथवा निजी सभी आपरेटर्स निर्विवाद रूप से अर्जित किए जा रहे लाभ से समायोजित मिश्रित राजस्व एकत्रित कर रहे हैं। ए.जी.आर. के रूप में भी कुछ प्रतिशत एकत्र किया जा रहा है और उसे सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में डाला जा रहा है जो तारयंत्र अधिनियम के तहत एक कानूनी निधि है। दूसरे शब्दों में, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए यह बाध्यता है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करें जिसके परिणामस्वरूप गांवों में रहने वाले लोग उनका लाभ उठा सकें। वर्ष 2007 तक इसके लिए लगभग 15,000 करोड़ रु. निधि एकत्रित की गई थी। उस 15,000 करोड़ रुपये की निधि में से हमने अब तक 5,383 करोड़ रु. खर्च किए हैं। शेष 9,900 करोड़ रु. सरकार के पास हैं। निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। उस राशि से हम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 8000 नए टावर लगाने जा रहे हैं।

निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही यह सेवा प्रारंभ हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: निविदा के पश्चात् आप ऐसा कर लेंगे।

[हिन्दी]

श्री बी.के. तुम्मर: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसमें प्राइवेट कंपनियों की भी जिम्मेदारी है, मैं इसे मानता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वोडाफोन और रिलायंस के नैटवर्क अच्छी तरह चलते हैं, उनके मोबाइल फोन ठीक तरह से चलते हैं।

महोदय, बी.एस.एन.एल. का नैटवर्क ठीक नहीं होने के कारण माननीय मंत्री जी के ऑफिस में भी इसके मोबाइल फोन ठीक प्रकार से नहीं चलते होंगे।...*(व्यवधान)* मैं पूछना चाहता हूं कि बी.एस.एन.एल. का नैटवर्क कब तक ठीक होगा।

अध्यक्ष महोदय: बी.एस.एन.एल. की सेवा अच्छी है।

श्री बी.के. तुम्मर: नहीं सर, नहीं चलता है। गांवों में तो चलता ही नहीं है। गांवों के घरों में किसी भी बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. का कनैक्शन नहीं चल रहा है। वोडाफोन और रिलायंस की फेसिलिटी ठीक प्रकार से मिल रही है। हो सकता है कि इसमें अधिकारियों की मिलीभगत हो। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आराम से बोलिए। इतनी जोर से क्यों बोल रहे हैं?

श्री बी.के. तुम्मर: माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगा कि बी.एस.एन.एल. की सुविधा कब तक ठीक होगी? मैं देश के पूर्व प्राईम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी का अभिनन्दन करता हूं, जिन्होंने इस तकनीक को देश में लाकर गरीब लोगों तक यह सुविधा पहुंचाई। बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. की सुविधा देश में ठीक प्रकार से चले, इसके लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह जानना चाहते हैं कि ऐसा कब किया जाएगा। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि भारत में मोबाइल फोन का एक बड़ा नेटवर्क है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में देखा है कि छोटे गांवों में भी लोग मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री ए. राजा: सामान्यत: मैं यह कह सकता हूं कि सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2006-07 तक 250 मिलियन मोबाइल कनेक्शन लोगों तक पहुंचाए गए थे। अत: हमारा लक्ष्य पूरा हो गया है। निस्संदेह संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए गए हैं; यदि अधिकारी के खिलाफ कोई आरोप लगाया गया है तो मुझे उसके बारे में बताइए, मैं उस संबंध में कार्यवाही करूंगा। परंतु मैं सभा के समक्ष यह बताना चाहूंगा कि वी.पी.टी. अर्थात् गांवों में टेलीफोन के जरिए चाहे वह क्षेत्र फोन हो या लैण्डलाइन हम 5,60,000 गांवों में से लगभग 5,40,000 गांवों तक पहुंच चुके हैं। चाहे सेलफोन हो या अन्यथा, चाहे लैण्डलाइन हो या मोबाइल कनेक्शन, हम 90 अथवा 93 प्रतिशत से अधिक लोगों तक पहुंच चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार में, हमें बी.एस.एन.एल. को भी प्रोत्साहन देना चाहिए जो अच्छा कार्य कर रहा है।

श्री कीरेन रिजीजू: महोदय, आप सही कह रहे हैं कि बी.एस.एन.एल. की कम-से-कम एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक पहुंच है। विज्ञापन के माध्यम से एयरटेल, बी.एस.एन.एल. से आगे निकल गया है। बी.एस.एन.एल को पूरे भारत में सेवा प्रदान करने का अधिकार है। मेरा प्रश्न यह है कि जब भी हम सीमावर्ती क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर भाग में जाते हैं, वहां पहुंचते ही हमारा फोन अन्य देशों के नेटवर्क को पकड़ने लगता है। यह एक अत्यंत गंभीर मामला है जो गृह मंत्रालय से भी संबंधित है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से यह प्रश्न है कि आप सीमावर्ती क्षेत्रों विशेषकर चीन, म्यानमार और बांग्लादेश में ऐसी क्या सुविधाएं प्रदान करने जा रहे हैं जिससे यहां के लोग केवल अपने देश की सेवाओं का उपयोग कर सकें अन्य देशों की सेवाओं का नहीं?

श्री ए. राजा: मेरा इस विशिष्ट स्थिति से सामना हो चुका है। निसंदेह भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि ऐसे अंत:स्थ क्षेत्र हैं जहां सुरक्षा कारणों से सेलफोन कार्य नहीं करने चाहिए। इसके बावजूद वे सीमावर्ती क्षेत्र को पार कर रहे हैं और सुरक्षा की परवाह किए बिना अन्य देश वहां टावर लगा रहे हैं। उनके मोबाइल सिग्नल हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आ रहे हैं। परन्तु हमारी यह प्रतिबद्धता है कि जहां तक सीमावर्ती क्षेत्र का संबंध है देश की सुरक्षा के लिए हमें वहां केवल लैण्डलाइन का प्रयोग करना चाहिए। गृह मंत्रालय के साथ इस विषय पर चर्चा चल रही है कि इन सिग्नलों को रोकने के लिए किस प्रकार की रुकावट

या अवरोध का प्रयोग किया जा सकता है। परंतु सरकार सुरक्षा कारणों से लैण्डलाइन का प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री बसुदेव आचार्य: जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि से 14,000 करोड़ रुपये एकत्रित किए गए हैं और इस निधि की अभी तक इस निधि के बहुत कम प्रतिशत का उपयोग किया गया है। अब निविदा जारी की गई है और फिर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। हमारा अनुभव यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत टेलीफोन सुविधाएं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न मोबाइल फोन से संबंधित है।

श्री बसुदेव आचार्य: परन्तु उन्होंने यह सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के संबंध में बताया है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि 14,000 करोड़ रुपये की संपूर्ण निधि का उपयोग करने में वह कितना समय लेंगे? अब तक केवल 5,000 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है और 9,000 करोड़ रुपये का उपयोग किया जाना अभी शेष है। संपूर्ण निधि का उपयोग करने में वह कितना समय लेंगे ताकि ग्रामीण टेलिफोन सेवाओं और हमारे टेलिफोन सेवा के उपयोग को बढ़ाया जा सके?...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा: महोदय, 9,900 करोड़ रुपये की शेष निधि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा। यह अव्यपगतनीय निधि है। अगले वर्ष हम और नई निधियां प्राप्त करने जा रहे हैं। इसलिए इसे इसी वर्ष व्यय कर दिया जाएगा। इस देश में 11,000 अतिरिक्त टावर लगाना जाना प्रस्तावित है।

श्री बसुदेव आचार्य: इसमें कितना समय लगेगा?

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि इसे इसी वित्तीय वर्ष में व्यय कर दिया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: इसका अर्थ है हमें एक वर्ष तक और इंतजार करना पड़ेगा।

श्री ए. राजा: अगले वर्ष हम नई निधियां प्राप्त करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: अन्यथा, कोई भी इतनी बड़ी राशि को व्यय नहीं कर सकेगा।

श्री ए. राजा: 11,000 नए टावर लगाना कोई मजाक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने आप स्वेच्छा से न बोलें। अन्यथा, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने कहा और हम सभी लोग इस बात के भुक्तभोगी हैं कि बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. की सर्विस अगर अन्य प्राइवेट ऑपरेटर्स से मिलाई जाए तो प्राइवेट ऑपरेटर्स के फोन से तो बात हो जाती है, लेकिन बी.एस.एन.एल. की सर्विस इतनी खराब है कि हमेशा यही सुनने को मिलता है कि फोन बिजी है, अथवा नम्बर ही नहीं मिलता है या बात करते-करते आवाज चली जाती है। क्या माननीय मंत्री जी बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. की सेवा में सुधार करवाएंगे? क्योंकि धीरे-धीरे लोग बी.एस.एन.एल. को छोड़कर प्राइवेट फोन ले रहे हैं। बी.एस.एन.एल. की क्रेडिबिलीटी को बढ़ाने के लिए क्या मंत्री जी इसे दिखाएंगे कि इसके सेवा क्षेत्र को किस तरह से बेहतर किया जाए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम सभी विज्ञापनों से प्रभावित हैं।

श्री ए. राजा: महोदय, यह विदित है कि मार्च माह में एम.टी.एन.एल. में कुछ समस्याएं थीं क्योंकि वे इसे उन्नत प्रौद्योगिकी में परिवर्तित करना चाहते थे। इसकी घोषणा समाचारपत्रों में भी की गई थी। अब तंत्र में सफलतापूर्वक उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग होने लगा है। मई से एम.टी.एन.एल. सेवाओं में कोई समस्या नहीं होगी। यदि बी.एस.एन.एल. सेवाओं से संबंधित किसी विशिष्ट क्षेत्र में कोई समस्या हो तो मुझे इसकी जानकारी दीजिए, मैं उस मामले में कार्यवाही करूंगा।

श्री भर्तृहरि महताब: माननीय मंत्री ने सभा में प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्टत: बताया है कि यू.एस.ओ. निधि अव्यपगतनीय है परन्तु इस निधि को जुटाने के लिए असीमित समयावधि नहीं है। हाल ही में, यू.एस.ओ. निधि के अंशदाताओं ने स्पष्टत: बताया है कि उन्हें यू.एस.ओ. निधि के लिए धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस निधि का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं हो रहा है, जिसके लिए इसे सृजित किया जाता था। माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया है कि लगभग 6 लाख गांवों में से 5,40,000 गांवों को पहले ही इसमें कवर किया जा चुका है। मेरा प्रश्न यहां यह है कि देश में मोबाइल सुविधा की पहुंच कहां तक

है? क्या यह दो प्रतिशत है या इससे अधिक? यदि यह दो प्रतिशत से कम या लगभग दो प्रतिशत है तो सरकार बी.एस.एन.एल. की अपनी मोबाइल पहुंच को बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान करने जा रही है?

श्री ए. राजा: ग्रामीण टेलिफोन सेवा का उपयोग 7.8 प्रतिशत है नि:संदेह हम चाहते हैं कि इसमें सुधार हो। यद्यपि शहरी टेलिफोन सेवा का प्रतिशत अधिक है, ग्रामीण टेलिफोन सेवा के उपयोग को बढ़ाने के लिए हम यू.एस.ओ. निधि का उपयोग कर रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं बताया है कि, यह एक अव्यपगतनीय निधि है। अब तक यू.एस.ओ. निधि में बनाए गए नियम काफी कड़े हैं। इसमें ब्रॉड-बैंड सुविधाओं के लिए स्वीकृति थी परन्तु क्योंकि हमारे पास काफी निधियां हैं, इसमें बनाए गए नियमों को ब्रॉड-बैंड सेवाओं के लिए भी छूट दी गई ताकि ओ.एफ.सी. कनेक्शनों हेतु केबलें बिछाई जा सकें। हम नियमों में विस्तार कर रहे हैं ताकि यू.एस.ओ. निधि के अंतर्गत सभी बड़ी सेवाएं दी जा सकें। तदनुसार, मैं आशा करता हूं कि संपूर्ण निधि को इसी वर्ष व्यय कर लिया जाएगा। अनुमानित राशि के आधार पर अगले वर्ष के लिए हम योजनाओं का प्रस्ताव अभी ही कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया है इन 8,000 टावरों के अलावा अगले वर्ष 11,000 अतिरिक्त टावर लगाए जाने प्रस्तावित हैं।

[हिन्दी]

जल प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी

***392. श्री थावरचन्द गेहलोत:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल प्रबंधन और परियोजना तैयार करने में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जल प्रबंधन और परियोजना तैयार करने हेतु अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत तथा पूरे किए गए कार्यों तथा परियोजनाओं और उनके लिए स्वीकृत धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राष्ट्रीय जलनीति, 2002 में उल्लेख किया गया है कि "जहां कहीं व्यवहार्य हो विविध उपयोगों के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र की भागीदारी से नए विचारों को शुरू करने, वित्तीय संसाधनों के सृजन तथा कारपोरेट प्रबंधन को लागू करने और प्रयोक्ताओं की सेवा दक्षता और उत्तरदायित्व में सुधार लाने में मदद मिल सकती है।" जल राज्य का विषय होने के कारण सभी संबद्ध कार्यकलाप संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए जाते हैं।

(ग) अनुसंधान और विकास कार्यकलापों सहित जल संसाधन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप संबंधित राज्य सरकारों द्वारा शुरू किए जाते हैं। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय, जल संसाधन विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देता है। जल संसाधन मंत्रालय के अग्रणी अनुसंधान संगठन अर्थात केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला, केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधान केन्द्र तथा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान विशेष क्षेत्रों में अनुसंधान करता है। जल संसाधन मंत्रालय, जल क्षेत्र में अनुसंधान शुरू करने के लिए विभिन्न शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों को सहायता भी मुहैया कराता है।

पिछले तीन वर्षों में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित तथा पिछले तीन वर्षों (01-04-2005 से) में ही पूर्ण की गई अनुसंधान स्कीमों के ब्यौरे संलग्न अनुबंध-I में दिए गए हैं।

जल संसाधन मंत्रालय ने देश भर में जल की प्रत्येक बूंद से उपज और आय बढ़ाने की दृष्टि से कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों, अर्द्ध शुष्क ऊष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान एवं भूमि प्रबंधन संस्थानों तथा अन्य इसी प्रकार के संस्थानों की मदद से लगभग 24.47 करोड़ रुपये की लागत से 5000 किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए हैं। उपरोक्त 5000 कार्यक्रम देश भर में 60 संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किए जाने हैं। संस्वीकृत राशि और जारी की गई निधि के संस्थावार ब्यौरे संलग्न अनुबंध-II में दिए गए हैं। अब तक लगभग 13.12 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

अनुबंध-I

अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों (01-04-2005) के दौरान स्वीकृत एवं पूर्ण हो चुकी अनुसंधान योजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का शीर्षक	संस्थान का नाम	पिछले 3 वर्षों के दौरान जारी निधि (रुपये)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	तिरूपति एवं इसके आसपास सतही एवं उप सतही जल में ट्रेस मेटल का अध्ययन	एस.वी. विश्वविद्यालय, तिरूपति		योजना अप्रैल, 99 में स्वीकृत हुई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त हुई है। कुल जारी निधि 488000 रुपये है।
2.	संयुक्त नहर एवं करंट क्षेत्र में जल निकायों के तहत अध्ययन	इंजीनियरिंग कालेज, के रंगाराव विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम		योजना जनवरी, 95 में स्वीकृत हुई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त हुई है। कुल जारी निधि 593100 रुपये है।
3.	कोडावीटी वेगु जल विभाजक में समेकित जल विज्ञानीय अध्ययन	नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुननगर, गुंटूर		योजना फरवरी, 95 में स्वीकृत हुई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त हुई है। कुल जारी निधि 137000 रुपये है।
4.	तटीय आंध्र प्रदेश के बलुई मार्गों के लिए सौर ऊर्जा ट्रिकल सिंचाई प्रणाली	कृषि महाविद्यालय, आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय		योजना अगस्त, 99 में स्वीकृत हुई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त हुई है। कुल जारी निधि 521800 रुपये है।
5.	कोंगल नदी बेसिन जोकि आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में एक कठोर चट्टानी क्षेत्र है, में गणितीय मॉडलिंग के माध्यम से कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन की व्यवहार्यता	राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	203082	योजना सितम्बर, 03 में स्वीकृत हुई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त हुई है। कुल जारी निधि 1097082 रुपये है।
6.	दूरस्थ संवेदन, जी.आई.एस., जी.पी.एस. एवं क्षेत्र अध्ययनों का प्रयोग करते हुए नागार्जुनसागर कमान क्षेत्र, आंध्र प्रदेश को एक भाग के लिए समेकित सिंचाई सूचना प्रणाली (आई.आई.आई.एस.) का विकास	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	2536000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 3650000 रुपये है।

1	2	3	4	5
7.	श्रीरामसागर जलाशय में अवसादीकरण नियंत्रण हेतु मृदा संरक्षण अध्ययनों पर आधारित दूरस्थ संवेदन आंकड़े	जवाहर लाल नेहरू प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	2739082	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 1524000 रुपये है।
	असम			
8.	बाढ़ एवं बाढ़ प्रवण क्षेत्रों के लिए फसल एवं फसल आयोजना	उत्तर पूर्व क्षेत्रीय जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, तेजपुर	1792000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 3748000 रुपये है।
	बिहार			
9.	बिहार एवं झारखंड में सिंचाई विकास का इतिहास	जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान, पटना	37000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 216000 रुपये है।
	गुजरात			
10.	इष्टतम फसल पद्धति का निर्धारण और रेखीय कार्यक्रम के द्वारा सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग के लिए निर्मुक्ति नीति	जल संसाधन इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन संस्थान, सामियाला		योजना मार्च, 94 में स्वीकृत हुई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त हुई है। कुल जारी निधि 137000 रुपये है।
11.	सेटेलाइट आंकड़ों, हीलियम और भू-भौतिक तकनीकों का प्रयोग करके भूजल अध्ययन-एक प्रायोगिक अध्ययन परियोजना	भौतिक अनुसंधान, प्रयोगशाला अहमदाबाद		योजना मार्च, 01 में स्वीकृत हुई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त हुई है। कुल जारी निधि 603000 रुपये है।
	हरियाणा			
12.	कृषि वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से जल जमाव एवं लवणता का नियंत्रण	वन विभाग, हरियाणा सरकार	2018000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 4595000 रुपये है।
	झारखंड			
13.	गहन कोयला खनन और प्रसंस्करण एककों के अंतर्गत बोकारो नदी बेसिन में बैराज के आसपास अवसादन मूल्यांकन	केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद		योजना जनवरी, 98 में स्वीकृत हुई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त हुई है। कुल जारी निधि 716000 रुपये है।
14.	बोल्ड लैंथ आवश्यकता की तुलना में अधिकतम दबाव के	केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद		योजना मार्च, 01 में स्वीकृत हुई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005

1	2	3	4	5
	विकास पर भूमिगत कंदराओं के आकार का प्रभाव			के बाद प्राप्त हुई है। कुल जारी निधि 370650 रुपये है।
15.	रॉक मॉस स्ट्रेंथ का आकलन और वास्तविक विश्लेषण द्वारा माड्यूल्स	केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद	591600	योजना मार्च, 04 में स्वीकृत हुई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त हुई है। कुल जारी निधि 1289600 रुपये है।
16.	दामोदर नदी के प्रदूषण स्तर को आत्मसात करने के लिए अपेक्षित जल बांधों से मानसून प्रवाह का इष्टतमीकरण।	केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद	1200000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 2314200 रुपये है।
17.	इष्टमीकृत टनल ब्लास्टिंग विधि के लिए एक कृत्रिम कारगर प्रणाली का विकास।	केन्द्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, धनबाद	864000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 1760000 रुपये है।
18.	कंक्रीट टनल लाइनिंग बांध की दीवारों और पिलरों में दबाव मापन के लिए एक स्थापना का विकास।	इंडियन स्कूल आफ माइन्स, धनबाद	1091000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 1522000 रुपये है।
	कर्नाटक			
19.	सुपर प्लास्टीसाइज्ड कंक्रीट की दीर्घावधिक परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन।	कर्नाटक इंजीनियरिंग अनुसंधान केन्द्र, कृष्णराजसागर		योजना नवम्बर, 96 में स्वीकृत हुई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त हुई है। कुल 275700 रुपये की निधि जारी की गई है।
20.	माइक्रोसीजमिक मॉनिटरिंग सिस्टम का विकास और इसे शुरू करना।	नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स कोलार		स्कीम नवम्बर, 98 में स्वीकृत की गई। 1-4-2005 के पश्चात् पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त हुई। कुल 1200000 रुपये की निधि जारी की गई है।
21.	झरना जल गुणवत्ता के लिए फुजी स्टोकेस्टिक मॉडलिंग।	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर	531000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 784000 रुपये है।
22.	नदी बेसिन पैमाने पर जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के अंतर्गत जल संसाधनों का आकलन।	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर	910000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 3074000 रुपये है।

1	2	3	4	5
23.	कर्नाटक में पूर्वी शुष्क क्षेत्र के वर्षापोषित एल्फीसोल्स में जल उत्पादकता का संवर्धन करने के लिए संचित खेत तालाब जल का विविध उपयोग।	यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बंगलोर	328000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 1815000 रुपये है।
24.	एरोबिक-राइस-कर्नाटक के दक्षिणी शुष्क क्षेत्र के लिए जमा बचत निधि।	युनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, बंगलोर	631000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 1630000 रुपये है।
	केरल			
25.	उच्च भूमि केरल के छोटे वॉटर-शेडों के जल विज्ञान संबंधी अध्ययन।	सेंटर फॉर वॉटर रिर्सोसेज डेवलेपमेंट एण्ड मैनेजमेंट, कोझीकोड	546000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 130000 रुपये है।
	मध्य प्रदेश			
26.	बार्गी कमान क्षेत्र में जैव जल निकास के लिए उपयुक्त वृक्ष प्रजातियों और अन्य वनस्पति की पहचान	ट्रॉपिकल फोरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जबलपुर	1822000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 3189000 रुपये है।
	महाराष्ट्र			
27.	आर-सी-सी अनुसंधान और जांच के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना।	महाराष्ट्र इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नासिक		स्कीम नवम्बर, 96 में स्वीकृत की गई। 1-04-2005 के पश्चात पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कुल 1080000 रुपये की निधि जारी की गई है।
28.	पूनर्बलित कंक्रीट संरचनाओं में कटाव में कमी लाने में फलाई-एश की भूमिका।	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, बंबई	1273000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 1530000 रुपये है।
29.	तैयारी और न्यूनीकरण के वास्ते सूखा संवेदनशीलता घातांक का विकास।	इंडियन इस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, बंबई	6308000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 14243000 रुपये है।
30.	ऊर्जा अपव्यय व्यवस्था के रूप में सामान्य ओगी - स्पिलवे की तुलना में स्टेप्ड स्पिलवे।	महाराष्ट्र इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नासिक	1859000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 3947000 रुपये है।

1	2	3	4	5
	उड़ीसा			
31.	डेरास सिंचाई कमान, भुवनेश्वर में नहर सिंचाई प्रणाली से संपन्न करने वाली दवाबयुक्त सिंचाई प्रणाली पर प्रायोगिक अध्ययन।	वॉटर टेक्नोलॉजी सेन्टर फॉर इस्टर्न रीजन, भुवनेश्वर		स्कीम अगस्त, 2000 में स्वीकृत की गई थी। 1-4-2005 के पश्चात पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त की गई है। कुल 2326206 रुपये की निधि जारी की गई है।
32.	उड़ीसा के तटीय भू-भाग में संयुक्त उपयोग आलोचना के माध्यम से फसल सघनता में वृद्धि करने के लिए जल का कुशल उपयोग।	वॉटर टेक्नोलॉजी सेन्टर फॉर इस्टर्न रीजन, भुवनेश्वर	699000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 1892000 रुपये है।
33.	उड़ीसा में सिंचाई विकास का इतिहास।	वॉटर एण्ड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, कटक	154700	योजना पूर्ण। कुल स्वीकृत लागत 154700 रुपये है।
34.	उड़ीसा में सूखा प्रभावित के.बी.के. जिले के सिंचाई कमान में त्वरित आर्थिक विकास के लिए जल उपयोग दक्षता।	स्पेशल प्लानिंग एवं एनालिसिस रिसर्च सेंटर, भुवनेश्वर (एन.जी.ओ.)	1136000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 1473000 रुपये है।
	पंजाब			
35.	पंजाब के कांडी क्षेत्र में जलाशयों के लिए एक अवसादन दर आकलन मॉडल विकसित करना	इरिगेशन एण्ड पॉवर रिसर्च इंस्टीट्यूट, अमृतसर	567000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 1163000 रुपये है।
	राजस्थान			
36.	कृषि विकास और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर इन्दिरा गांधी नहर के प्रभाव का अध्ययन।	राजस्थान ग्रामोत्थान संस्था, जयपुर	1820000	स्कीम पूर्ण। कुल 1820000 रुपये की निधि जारी की गई है।
37.	अधिशेष जल के माध्यम से राजस्थान के थार मरूस्थल क्षेत्र में भूजल पुनर्भरण अध्ययन।	आई.डी. एण्ड आर. यूनिट, राजस्थान सरकार, जयपुर	1780000	स्कीम जारी। कुल स्वीकृत लागत 8800000 रुपये है।
38.	राजस्थान के चम्बल कमान क्षेत्र के अर्धशुष्क पर्यावरण में जैव जल निकास के लिए क्षमतावान वनस्पति की पहचान और मूल्यांकन	महाराणा प्रताप युनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी	1196000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 3977000 रुपये है।

1	2	3	4	5
39.	जल संसाधन संवर्धन योजना के लिए थार मरूस्थल के पूर्वी किनारे में पलयों चैनल की पहचान और मानचित्रण	बी.एम. बिरला साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी सेन्टर, जयपुर	796000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 1691000 रुपये है।
40.	जल संसाधन आयोजना के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क-एक नवाचार दृष्टिकोण	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड साइंस, पिलानी	294000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 462000 रुपये है।
	तमिलनाडु			
41.	तमिलनाडु में तट सुरक्षा संरचना का विकास	इण्डियन इंस्टीट्युट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास		स्कीम मार्च, 04 में स्वीकृत की गई। 1-4-05 के पश्चात पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कुल 1113000 रुपये की निधि जारी की गई है।
42.	खारे जल के निर्माण के कारण इन्नोर पोर्ट के आसपास के क्षेत्र में तटरेखा में परिवर्तन का आकलन	इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रामिक्स एण्ड हाइड्रोलाजी, पूंजी	558000	स्कीम जारी। कुल स्वीकृति लागत 1570000 रुपये है।
43.	प्राकृतिक पर्यावरण में सर्फ जोन हाइड्रोलिक्स और बीच (ग्राउण्ड) वाटर टेबल के अन्त:क्रिया का निर्धारण करने के लिए प्रायोगिक डिजाइन	वी.ओ., चिदम्बरम कॉलेज, तूतीकोरिन	2855000	स्कीम जारी। कुल स्वीकृत लागत 3355000 रुपये है।
44.	वॉयोरिमेडिएशन का प्रयोग करते हुए सी.आर. (VI) प्रदूषित जलभृतों की साफ-सफाई के लिए मॉडलों का विकास	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी, मद्रास	1395000	स्कीम जारी। कुल स्वीकृत लागत 2212000 रुपये है।
45.	वीरानम आवाह में वर्षा जल संचयन	अन्नामलाई यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई नगर	1773000	स्कीम जारी। कुल स्वीकृत लागत 1630000 रुपये है।
46.	सिंचाई परियोजनाओं के लिए एक उद्देश्य ई.आई.ए. (पर्यावरण प्रभाव आकलन) प्रक्रिया के लिए	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई		स्कीम जनवरी, 98 में स्वीकृत की गई। 1-4-05 के पश्चात पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कुल 764000 रुपये की निधि जारी की गई है।

1	2	3	4	5
47.	पाण्डिचेरी क्षेत्र में जल गुणवत्ता आकलन और इसकी विशेषता	अन्ना यूनिवर्सिटी, चेन्नई		स्कीम अगस्त, 00 में स्वीकृत की गई। 1-4-05 के पश्चात पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कुल 618000 रुपये की निधि जारी की गई है।
48.	पर्यावरणीय पहलुओं सहित वॉटरशेड विकास और प्रबंधन का प्रभाव विश्लेषण	तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, कोयम्बटूर	1206000	स्कीम मार्च, 2004 में स्वीकृत की गई। 1-04-05 के पश्चात पूर्णता रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कुल 1613000 रुपये की निधि जारी की गई है।
49.	छोटे टैंकों से आंशिक रूप से गाद हटाने के प्रभावों पर अध्ययन	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	1190000	स्कीम जारी। कुल स्वीकृत लागत 2794000 रुपये है।
50.	अर्ध शुष्क क्षेत्र में आवाह के आसपास स्थित सिंचाई टैंक की रेन फॉल-रन आफ मॉडलिंग और ग्राउंड वाटर डायनेमिक्स	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	1217000	स्कीम जारी। कुल स्वीकृत लागत 3527000 रुपये है।
51.	किसान परिसर के कार्य पर विशेष बल देते हुए खेत संबंधी विकास कार्य सहित सिंचाई प्रणाली का मूल्यांकन	अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई	848000	स्कीम जारी। कुल स्वीकृत लागत 2417000 रुपये है।
52.	दक्षिण भारत के मिले जुले/ शहरी/ग्रामीण आवाहों में बाढ़ प्राक्कलन	अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई	733000	स्कीम जारी। कुल स्वीकृत लागत 222100 रुपये है।
	उत्तर प्रदेश			
53.	उत्तर प्रदेश में बलरामपुर जिले में प्रदूषित जल द्वारा सृजित समस्याओं का समाधान करने के लिए भूमिगत सेप्टिक टैंक की उपस्थिति के प्रभाव का आकलन करना और जलजनित बीमारियों के प्रसार तथा पहचान करने संबंधी उपाय करना।	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	550000	स्कीम अक्तूबर, 2004 में स्वीकृत की गई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-04-05 के पश्चात जारी की गई निधि 901000 रुपये है।
54.	दबाव प्रवाह स्थिति के तहत ब्रिजपीयर्स में स्थानीय कटाव का अन्वेषण	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर	241000	स्कीम जारी। कुल स्वीकृत लागत 1315000 रुपये है।

1	2	3	4	5
	उत्तराखंड			
55.	गतिकी बाढ़ बारंबारता माडल का विकास	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की		स्कीम सितम्बर, 97 में स्वीकृत की गई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-04-05 के पश्चात प्राप्त हुई। कुल जारी की गई निधि 360000 रुपये है।
56.	उत्तर प्रदेश (गंगा बेसिन) में सिंचाई का इतिहास	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	71000	स्कीम सितम्बर, 02 में स्वीकृत की गई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-04-05 के पश्चात प्राप्त हुई। जारी की गई निधि 354000 रुपये है।
57.	पिछोला झील उदयपुर (राजस्थान) के पुनरूद्धार के लिए जलवैज्ञानिक अन्वेषण	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	459000	स्कीम जारी। कुल स्वीकृत लागत 1079000 रुपये है।
58.	उत्तर प्रदेश में जलाशयों के आवाहों में कटाव दरों के उपाय के लिए पर्यावरणीय समस्थानिकों का उपयोग और मृदा संरक्षण उपाय	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	452000	स्कीम चल रही है। कुल संस्वीकृत लागत 1034000 रुपये है।
59.	फजी लाजिक का समेकन तथा सोलानी नदी बेसिन की बजादा भूमि में भूजल स्रोत को प्रस्तुत करने के लिए जी.आई.एस.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	548000	स्कीम चल रही है। कुल संस्वीकृत लागत 1439000 रुपये है।
60.	भारत में पिछले चार दशकों में सिंचाई और जल निकास में अनुसंधान एवं निकास संबंधी सूचना का संकलन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	308000	स्कीम चल रही है। कुल संस्वीकृत लागत 1934000 रुपये है।
61.	ऊपरी गंगा नहर कमान में जल उत्पादकता में सुधार के लिए कृषि तकनीकी बाधाओं का विश्लेषण	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	303000	स्कीम चल रही है। कुल संस्वीकृत लागत 557000 रुपये है।
62.	हिमालयी वाटरशेडों में संवेदन-शील क्षेत्रों की पहचान	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	389000	स्कीम चल रही है। कुल संस्वीकृत लागत 2155000 रुपये है।
63.	लैबिरिन्थ स्पिलवे पर प्रयोगात्मक अध्ययन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	676000	स्कीम चल रही है। कुल संस्वीकृत लागत 1779000 रुपये है।

1	2	3	4	5
64.	दूर संवेदी जी.आई.एस. का उपयोग करते हुए ऊपरी गंगा के मैदान में कृत्रिम भूजल पुनर्भरण के लिए स्थलों की पहचान	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	565000	स्कीम चल रही है। कुल संस्वीकृत लागत 1041000 रुपये है।
65.	सेतु बांधों के चारों तरफ कटाव में कमी लाने के लिए यंत्रों का परीक्षण और विकास	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की	1455000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 1953000 रुपये है।
	पश्चिम बंगाल			
66.	कमी वाली स्थितियों के अंतर्गत सिंचाई जल का इष्टतम प्रबंधन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर		स्कीम दिसम्बर, 96 में स्वीकृत की गई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त की गई। कुल जारी निधि 920000 रुपये है।
67.	कृषि भूमि से जल संसाधनों के गैर-बिन्दु स्रोत प्रदूषण की पहचान, परिमाणन और नियंत्रण	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	500000	स्कीम मार्च, 01 में स्वीकृत की गई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त की गई। कुल जारी निधि 4832000 रुपये है।
68.	विभिन्न द्रवीय स्थितियों के अंतर्गत बैराजों के लिए शमन कुंड और नम्य एप्रन की डिजाइन	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर	391000	स्कीम अगस्त, 03 में स्वीकृत की गई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त की गई। कुल जारी निधि 1615823 रुपये है।
69.	मृदा-जल-संयंत्र तंत्र में आर्सेनिक मोबिलाइजेशन का पता लगाना और संभावित सुधारात्मक उपायों का अन्वेषण, पश्चिम बंगाल	बिधान चन्द्र कृषि विश्व-विद्यालय, नादिया	417189	स्कीम दिसम्बर, 03 में स्वीकृत की गई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त की गई। कुल जारी निधि 845189 रुपये है।
70.	सिंचाई कमान संबंधी क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए कुछ न्यून लागत लाइनिंग सामग्री को बढ़ाना	बिधान चन्द्र कृषि विश्व-विद्यालय, नादिया	605000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 1237000 रुपये है।
71.	प्रदूषित भूजल के लिए डिफ्लो-राइडेशन माध्यम और इसके फील्ड में अनुप्रयोग के लिए संबंधित प्रयोगशाला का विकास	प्रेसिडेंसी कालेज, कोलकाता	499000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 614000 रुपये है।

1	2	3	4	5
	दिल्ली			
72.	फसलों की जल उपयोग दक्षता में सुधार करना	जल तकनीकी केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली		स्कीम मार्च, 95 में स्वीकृत की गई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त की गई। कुल जारी निधि 56000 रुपये है।
73.	नहर लाइनिंग के लिए फेब्रिक आधारित सामग्री	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली		स्कीम अगस्त, 03 में स्वीकृत की गई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त की गई। कुल जारी निधि 3204000 रुपये है।
74.	औद्योगिक जल लेखा-परीक्षण-गाजियाबाद जिले के [illegible] उद्योगों का मामला अध्ययन	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली (एन.जी.ओ.)	550000	स्कीम पूरी हो गई है। कुल जारी निधि 550000 रुपये है।
75.	एक अपवाह और अमापित वाटरशेडों के लिए एस.डी. एस.एस. का अनुमान लगाने वाली सार प्राप्ति का विकास	जल तकनीकी केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	1116000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 2335000 रुपये है।
76.	विभिन्न क्षेत्रों के लिए जल अकाउंटिंग दिशानिर्देशों का विकास	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स आफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली (एन.जी.ओ.)	803000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 4069000 रुपये है।
77.	एन.सी.टी. दिल्ली में नगर लैंडफिल के माध्यम से भूजल प्रदूषण संबंधी अध्ययन	जवाहर लाल नेहरू विश्व-विद्यालय, नई दिल्ली	1097000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 1617000 रुपये है।
78.	भारत में भूजल के उपयोग को विनियमित करने के लिए संस्थागत ढांचा	इंस्टीट्यूट फार रिसोर्स प्रबंधन और इकोनोमिक डेवलपमेंट, नई दिल्ली (एन.जी.ओ.)	1170000	योजना जारी है। कुल स्वीकृत लागत 1409000 रुपये है।
	पुडुचेरी			
79.	आउस्टरी लेक पारिस्थितिकी तंत्र संबंधी जल वैज्ञानिक और पारिस्थितिकीय अध्ययन	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, कालापेट	118700	स्कीम फरवरी, 95 में स्वीकृत की गई थी। पूर्णता रिपोर्ट 1-4-2005 के बाद प्राप्त की गई। कुल जारी निधि 1648700 रुपये है।

अनुबंध-II

किसानों की भागीदारी कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए स्वीकृत और जारी की गई राशि

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	पते सहित संस्थान का नाम	राज्य जहां लागू किया जाना है	प्रदर्शनों की संख्या	स्वीकृत लागत	जारी की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	केन्द्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.सी.ए.आर.), पोस्ट बाक्स नं. 181, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार	अंडमान और निकोबार	48	24	8.4
2.	अर्द्धशुष्क उष्णकटिबंधीय अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.) पटनचेरू, आंध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश	100	50	35
		छत्तीसगढ़	100	50	35
		मध्य प्रदेश	100	50	35
		राजस्थान	100	50	35
3.	जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, कृषि महाविद्यालय, आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश	50	25	8.75
4.	शुष्क भूमि कृषि केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आई.डी.ए.) संतोष नगर, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र	50	25	8.75
5.	आई.ए.सी.आर.पी. (जल प्रबंधन) असम कृषि विश्व-विद्यालय, जोरहाट, असम	असम	100	50	35
6.	जल और भूमि प्रबंधन उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय संस्थान, कालीयाभोमोरा, तेजपुर, असम	असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर	100	50	35

1	2	3	4	5	6
7.	पूर्वी क्षेत्र आई.ए.सी.ए.आर. अनुसंधान परिसर, आई.सी. ए.आर. परिसर पो.ओ. बी.वी. महाविद्यालय पटना, बिहार	बिहार	100	50	35
8.	कृषि इंजीनियरिंग संकाय, इंदिरा गांधी कृषि विश्व-विद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़	30	15	5.25
9.	भूमि और जल प्रबंधन अनुसंधान एकक, नवसारी, नवसारी कृषि विश्वविद्यालय, नवसारी, गुजरात	गुजरात	100	38	26.6
10.	अनुसंधान निदेशालय, आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात	गुजरात	80	40	14
11.	सरदार कृषि नगर दांतीवाड़ा, कृषि विश्वविद्यालय, जिला बनासकांठा, गुजरात	गुजरात	100	50	17.5
12.	विस्तार शिक्षा निदेशक, चौधरी चरन सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा	हरियाणा	100	50	35
13.	केन्द्रीय भूमि लवणता अनुसंधान संस्थान, (सी.एस. एस.आर.आई.), करनाल, हरियाणा	हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात	100	50	35
14.	अनुसंधान निदेशक, उद्यान और बानकी विश्वविद्यालय, नौनी (सोलन), हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	100	50	35
15.	कृषि इंजीनियरिंग विभाग, सी.एस.के. हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश	100	50	17.5

1	2	3	4	5	6
16.	कृषि इंजीनियरिंग प्रभाग, एस.के.यू.ए.एस.टी.-के, शालीमार, जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर	160	80	56
17.	जल प्रबंधन अनुसंधान केन्द्र, एस.के.यू.ए.एस.टी.-जम्मू, मुख्य परिसर, चठ, जम्मू	जम्मू एवं कश्मीर	100	50	35
18.	प्रशिक्षण रोजगार और संसाधन उपयोगिता वाटरशेड संघ-नई दिल्ली, प्लाट 23 गोयला विहार-II, पो.ओ. गोयला डेरी, नई दिल्ली	झारखंड	70	35	12.25
19.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड	झारखंड	50	25	8.75
20.	एस.ए.आर.पी.ए.एन. कृषि उद्यान अनुसंधान केन्द्र (एस.ए.एच.आर.सी.), पो.बा. नं. 401, बेलगम रोड, धारवाड़, कर्नाटक	कर्नाटक	50	25	17.5
21.	विस्तार निदेशक, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, कर्नाटक	कर्नाटक	100	50	35
22.	जैनेटिक प्लांटिक्स और प्लांट ब्रिडिंग विभाग, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, जी.के.वी.के., बंगलौर-65	कर्नाटक	100	50	17.5
23.	भारतीय उद्यान अनुसंधान संस्थान, हिसाघाटा नहर पोस्ट, बंगलौर	कर्नाटक	50	25	8.75
24.	जल प्रबंधन संबंधी ए.आई. सी.आर.पी. कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़, जल प्रबंधन अनुसंधान केन्द्र, बेलवतागी तालुका नवलागुंड जिला धारवाड़, कर्नाटक राज्य	कर्नाटक	50	25	8.75

1	2	3	4	5	6
25.	अनुसंधान निदेशक केरल कृषि विश्वविद्यालय, वलानिकारा, त्रिचूर, केरल	केरल	50	25	17.5
26.	केन्द्रीय पादप फसल अनुसंधान संस्थान, कसारागढ़, केरल	केरल	40	20	7.0
27.	जल संसाधन विकास और प्रबंधन केन्द्र, पो.बा. नं. 2, कुन्नामंगलम, कालीकट, केरल	केरल	40	20	7.0
28.	पर्यावरणीय स्थाई विकास के प्रोत्साहन संबंधी सोसायटी (एस.पी.एस.ई.डी.), सुरभि लाला लाजपत राय सोसायटी ई-7/65, अरेरा कालोनी भोपाल	मध्य प्रदेश	100	50	35
29.	एम.पी. जल और भूमि प्रबंधन संस्थान (डब्ल्यू.ए.एल.एम.आई.), पो.बा. नं. 538, भोपाल, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	100	50	17.5
30.	कृषि इंजीनियरिंग केन्द्रीय संस्थान, नबी बाग, बेरासिया रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	70	35	12.25
31.	भारतीय उद्योग संघ, बंगला नं.-2, गणेश खिंड रोड, न्यू राहुल थियेटर, पुणे, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	100	50	35
32.	जल और भूमि प्रबंधन संस्थान, कंचनवाड़ी, पो.बा. नं. 504, औरंगाबाद, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	50	25	17.5
33.	विस्तार शिक्षा निदेशालय महात्मा फुले कृषि विश्व-विद्यालय, राहौरी, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	100	50	17.5

1	2	3	4	5	6
34.	डा. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, कृषि नगर, अकोला, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	83	41.5	14.525
35.	भूमि और जल संरक्षण इंजीनियरिंग विभाग, सी.ए.ई.टी. मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, प्रभणी, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	36	18	6.3
36.	डब्ल्यू.एम. प्रभाग, आई.सी. ए.आर. अनुसंधान केन्द्र, एन.ई.एच. क्षेत्र, उमरोई रोड़, उमीयम, मेघालय	मेघालय	50	25	17.5
37.	पूर्वी क्षेत्र जल प्रौद्योगिकी केन्द्र चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	उड़ीसा	100	50	35
38.	भूमि विभाग, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना, पंजाब	पंजाब	100	50	17.5
39.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, डबवाली रोड भटिंडा, पंजाब	पंजाब	60	30	10.5
40.	पोस्ट हारवेस्ट इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केन्द्रीय संस्थान, पो.ओ. लुधियाना, पंजाब	पंजाब, उत्तरांचल, हिमाचल, राजस्थान	40	20	7.0
41.	भूमि और जल प्रौद्योगिकी विभाग, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग महाविद्यालय, महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर, राजस्थान	राजस्थान	50	25	17.5
42.	अनुसंधान निदेशक, राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, राजस्थान	राजस्थान	100	50	17.5

1	2	3	4	5	6
43.	केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, आई.सी.ए.आर. जोधपुर, राजस्थान	राजस्थान, गुजरात	100	50	17.5
44.	पलमीरा सेंटर फॉर इकोलाजीकल लैंडयूज, जल प्रबंधन और ग्रामीण विकास, अरोबरिंदावन, अरोविले, तमिलनाडु	तमिलनाडु	60	30	21
45.	आई.सी.ए.आर.-डब्ल्यू.एम.एस., कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, मदुरै, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, मदुरै, तमिलनाडु	तमिलनाडु	70	35	24.5
46.	भूमि और जल प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कट्टूथोट्टम, तनजौर, तमिलनाडु	तमिलनाडु	20	10	7.0
47.	गन्ना उत्पादन संस्थान, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	तमिलनाडु	50	25	8.75
48.	जल प्रौद्योगिकी केन्द्र, तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर, तमिलनाडु	तमिलनाडु	70	35	12.25
49.	कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान संस्थान, तमिल कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	तमिलनाडु	50	25	8.75
50.	धान फाउंडेशन, 18 पिलियार कोइल स्ट्रीट, एस.एस. कालोनी मदुरै, तमिलनाडु	तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश	98	36	25.2
51.	भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, राय बरेली रोड, पोस्ट दिलखुश, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	100	50	17.5
52.	निदेशक विस्तार, सी.एस.ए., कृषि एवं तकनीकी विश्व-	उत्तर प्रदेश	100	50	17.5

1	2	3	4	5	6
	विद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश				
53.	बी.ए.आई.एफ. विकास अनुसंधान फाउंडेशन, 27-ए, टैगोर टाउन, 27-ए, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	50	25	8.75
54.	भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश	100	25	8.75
55.	कृषि प्रौद्योगिकी आकलन और अंतरण, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली	उत्तर प्रदेश, राजस्थान हरियाणा	100	50	35
56.	भूमि विज्ञान विभाग, कृषि महाविद्यालय, जी.बी. पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्व-विद्यालय, पंत नगर जिला-उधम सिंह नगर, उत्तराखंड	उत्तरांचल	100	47.65	33.355
57.	विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान, सनातन (आई.सी.ए.आर.), अलमोड़ा, उत्तराखंड	उत्तरांचल	75	37.5	
58.	केन्द्रीय भूमि और जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, 218, कौलागढ़ रोड, देहरादून, उत्तराखंड	उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा	100	50	35
59.	बिधान चंद्रा विश्वविद्यालय, गयेशपुर, नादिया, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	100	49.2	34.44
60.	उत्तर बंग कृषि विश्वविद्यालय, पुंडीवारी, कूच बिहार, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल	100	50	17.5
	कुल		5000	2446.85	1311.695

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत: अध्यक्ष महोदय, जल प्रबन्धन बहुत आवश्यक है। एक तरफ बाढ़, और दूसरी तरफ सूखा, ऐसी स्थिति में नदी जोड़ो योजना की महत्ता बहुत आवश्यक है, ताकि हर खेत में पानी पहुंच जाए।

महोदय, मंत्री जी ने मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहा है कि - जहां कहीं व्यवहार्य हो विविध उपयोगों के लिए जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नदी जोड़ो योजना को कार्यान्यवित करने की दृष्टि से सरकार ने पहले एक आयोग बनाया था। उस आयोग ने प्रतिवेदन भी दे दिया है, जो सरकार के पास विचाराधीन है। कुछ राज्यों ने उस पर आगे विचार भी किया है। क्या मंत्री महोदय नदी जोड़ो योजना के प्रबंधन की दृष्टि से अनुसंधान और अन्य कार्यवाही करने के लिए इसे निजी क्षेत्र में देने की कार्यवाही करेंगे?

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: जनाबेवाला, जो मोअज्जिज मेंबर ने सवाल उठाया है, वे अपने ही सवाल से बाहर आकर दूसरा सवाल उठा रहे हैं। मैं इनका ऐहतराम करता हूं, मैं जवाब दे दूंगा।

پروفیسر سیف الدین سوز: جناب عالی، جو معزز ممبر نے یہ سوال اٹھایا ہے، وہ اپنے ہی سوال سے باہر آکر دوسرا سوال اٹھا رہے ہیں۔ میں ان کا احترام کرتا ہوں، میں جواب دے دوں گا۔

[अनुवाद]

पहली बार सरकारी-निजी भागीदारी के संबंध में ऐसा प्रश्न उठाया गया है। इसलिए मैं मंत्रालय की नीति को रिकॉर्ड पर रखता हूं। हमारी नीति यह है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को जहां संभव हो वहां विविध प्रयोग हेतु जैसे जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, विकास और प्रबंधन हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। निजी क्षेत्र की भागीदारी अभिनव विचारों, वित्तीय संसाधनों के सृजन, कॉर्पोरेट प्रबंधन, सेवा दक्षता में सुधार और प्रयोक्ताओं के लिए जबावदेही में सुधार लाने में मदद कर सकती है। विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर जल संसाधन सुविधाओं के निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन, पट्टा और स्थानांतरण में निजी क्षेत्र भागीदारी के विभिन्न संयोजनों पर विचार किया जा सकता है। सरकार की यही नीति है।

[हिन्दी]

जनाब, इनका नदी जोड़ने का जो सवाल है, वह अलग सवाल है। इनका सवाल था कि निजी सैक्टर को भी साथ रखना चाहिए। जो अभी लिंक्स हमारे सामने हैं, उनमें पहले केन-बेतवा है। उसका डी.पी.आर. बन रहा है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि एक वर्ष के अंदर देश के सामने वह कामयाबी होगी, जब केन-बेतवा नदियां मिलेंगी जिससे यूपी और मध्य प्रदेश के दरम्यान राहत होगी। मेरी अर्ज यह है कि बाकी जो लिंक्स हैं, उन पर काम हो रहा है। चार लिंक्स और हैं। मैं उनके नाम बताना चाहूंगा - पार्वती-कालीसिंध, नर्मदा-पार-तापी, दमनगंगा-पिंजाल और गोदावरी-कृष्णा। इसमें निजी सैक्टर को दावत नहीं दी गयी है।

جناب ان کا ندی جوڑنے کا جو سوال ہے، وہ الگ سوال ہے، ان کا سوال تھا کہ نجی سیکٹر کو بھی ساتھ رکھنا چاہئے۔ جو ابھی لنکس ہمارے سامنے ہیں، ان میں پہلا کین۔بیتوا ہے۔ اس کا ڈی۔پی۔آر۔ بن رہا ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک سال کے اندر ملک میں وہ کامیابی ہوگی، جب کین۔بیتوا ندیاں ملیں گی جس سے یو۔پی۔ اور مدھیہ پردیش کے درمیان راحت ہوگی۔ میری عرض یہ ہے کہ باقی جو لنکس ہیں، ان پر کام ہو رہا ہے۔ چار لنکس اور ہیں۔ میں ان کے نام بتانا چاہوں گا۔ پاروتی۔کالی سندھ، نرمدا۔پار۔تاپی، دمن گنگا۔پنجال اور گوداوری۔کرشنا۔ اس میں نجی سیکٹر کو دعوت نہیں دی گئی ہے۔

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने होल पालिसी को कवर कर दिया है। क्या अभी भी आपकी सप्लीमेंट्री है?

श्री थावरचन्द गेहलोत: महोदय, है। प्रश्न के अंत में माननीय मंत्री जी ने एक बात और कही है कि जल संसाधन मंत्रालय ने देश भर में जल की प्रत्येक बूंद से उपज और आय बढ़ाने की दृष्टि से भिन्न-भिन्न संस्थानों के अंतर्गत, पांच हजार किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किए हैं, उनके लिए धनराशि जारी की है और स्वीकृत भी की है। मैं जानना चाहता हूं कि पांच हजार किसान सहभागिता कार्रवाई अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तक क्या-क्या काम हुए हैं?

अध्यक्ष महोदय: इतना बड़ा जवाब कैसे देंगे? 6 पेज हैं, आपको पार्टिकुलर्स दिए हैं, तब भी आप खुश नहीं हैं।

श्री थावरचन्द गेहलोत: लास्ट के दो पेज में जो जानकारी दी है, मेरा प्रश्न उसी से संबंधित है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

प्रो. सैफुद्दीन सोज़: सबसे बड़ी बात यह है कि देश के मुख्तलिफ भागों में पांच हजार ऐसे सेंटर्स, बड़े गांवों में, जहां यह रिसर्च होगी, उनकी शिनाख्त की गयी है। उनको जो पैसा देना था, वह दे दिया है। जो रिसर्च होगी, उससे किसानों को बराहेरास्त लाभ होगा।

پروفیسر سیف الدین سوز: سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں پانچ ہزار ایسے سینٹرس ہیں، بڑے گاؤں میں، جہاں یہ ریسرچ ہوگی، ان کی شناخت کی گئی ہے۔ ان کو جو پیسہ دینا تھا، وہ دے دیا ہے۔ جو ریسرچ ہوگی، اس سے کسانوں کو براہ راست فائدہ ہوگا۔

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, मैं सदन का आकर्षित करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय: टाइम ज्यादा नहीं है, कम शब्दों में पूछिए।

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। माननीय मंत्री जी ने भी कहा और विस्तार से जवाब भी दिया, लेकिन वहां की जो स्थिति है, बुंदेलखंड जो जगह है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न से संबंधित नहीं है।

[हिन्दी]

आप संबंधित प्रश्न पूछिए।

श्रीमती जयाप्रदा: महोदय, वहां सूखा पड़ने की वजह से फार्मर्स बहुत बुरी हालत में हैं। यहां जो बजट पेश किया गया, उसमें उनके लिए कोई पैकेज भी नहीं दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि वाटर रिसोर्जेज के लिए, प्राइवेट सैक्टर्स के साथ मिलकर कोई पैकेज देने का कोई प्लान है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय: आप इस प्रश्न का रिप्लाई दे दीजिए, आप लिखकर भेज दीजिए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

गन्ना उत्पादन

*382. **श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों में देश में गन्ने के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के मौसम की तुलना में वर्ष 2007-08 के मौसम के अंत में गन्ने का उत्पादन कितना रहा;

(ग) कम उत्पादन के क्या कारण हैं और किन-किन क्षेत्रों में उत्पादन कम रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में गन्ने की अधिक पैदावार हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) से (ग) जी नहीं, देश में गन्ने का उत्पादन गत पांच वर्षों (2003-04 से 2007-08) के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शाता है। गन्ने का उत्पादन 2003-04 में 233.86 मिलियन टन था जोकि 2004-05 में 237.00 मिलियन टन तक बढ़ा, 2005-06 में 281.17 मिलियन टन तथा 2006-07 में पुन: 355.52 मिलियन टन तक बढ़ गया। 2007-08 के दौरान गन्ने का उत्पादन 340.32 मिलियन टन तक अनुमानित है (7 फरवरी, 2008 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमान) जोकि गत वर्ष के दौरान उत्पादन से कम है। 2007-08 के दौरान उत्पादन में कमी, 2006-07 की तुलना में 2007-08 के दौरान गन्ने के अंतर्गत कम क्षेत्र व्याप्ति के कारण है। प्रमुख उत्पादक राज्यों के बीच 2007-08 के दौरान उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश तथा गुजरात में कम उत्पादन पाया गया।

(घ) और (ङ) 2005-06 से 2007-08 वर्षों के दौरान में देश में गन्ने का उत्पादन इन्हीं लक्ष्यों से अधिक पाया गया है। देश में चीनी की मांग को ध्यान में रखते हुए जो प्राप्त किया जा रहा है उससे अधिक गन्ना उत्पादन लक्ष्य सुनिश्चित करने पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

देश में गन्ने का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार भिन्न-भिन्न राज्यों में अप्रैल, 2004 से कृषि की व्यापक प्रबंधन पद्धति के तहत शामिल करते हुए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम गन्ना आधारित फसल प्रणाली का विकास का कार्यान्वयन कर रही है।

[हिन्दी]

दूरवर्ती क्षेत्रों में खाद्यान्नों की उपलब्धता

*384. **डा. राम लखन सिंह:** क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में देश के दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) के अंतर्गत खाद्यान्नों की अनुपलब्धता और उनका वितरण न किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में खाद्यान्नों की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों में खाद्यान्नों का पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) जी, हां। कुछ राज्यों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्न उपलब्ध न होने और वितरण न किए जाने के बारे में व्यक्तियों, संगठनों और प्रैस रिपोर्टों के जरिए कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। 2006, 2007 और 2008 के दौरान प्राप्त हुई शिकायतों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। भारत सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे और अंत्योदय अन्न योजना के सभी परिवारों के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की है। इन खाद्यान्नों की आगे ढुलाई करने और पात्र राशन कार्ड धारकों को उचित वितरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। अत: सभी शिकायतों को उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिया गया है।

(ग) भारत सरकार लागू मानदंडों के अनुसार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन करती है। खाद्यान्नों के ये आवंटन अग्रिम में जारी कर दिए जाते हैं। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम अपने डिपुओं/गोदामों से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवंटित खाद्यान्नों की सुपुर्दगी करता है। विकेन्द्रीकृत वसूली वाले राज्य भी उनके द्वारा रखे गए स्टाक में से आवंटित खाद्यान्नों का उठान करते हैं।

कुछ विरले मामलों में यदि भारतीय खाद्य निगम नामित डिपुओं/गोदामों से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आवंटित मात्रा की सुपुर्दगी नहीं कर पाता है तो वह निकटतम डिपु/गोदाम से उन्हें इनकी सुपुर्दगी करता है।

राज्यों में दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों के लिए मानसून तथा शीत कालीन मौसमों के दौरान स्टाक रखने के लिए खाद्यान्नों के अग्रिम आवंटन की अनुमति भी दी जाती है।

विवरण

वर्ष 2006, 2007 तथा 2008 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों की उपलब्धता न होने और उनका वितरण न होने के बारे में व्यक्तियों, संगठनों से और मीडिया रिपोर्टों के जरिए विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतें

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	निम्न के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या				जोड़
		खाद्यान्नों की उपलब्धता न होना	खाद्यान्नों का वितरण न होना			
		2006	2006	2007	2008	
1.	असम	1	–	–	–	1
2.	बिहार	–	–	1	–	1
3.	दिल्ली	–	3	6	–	9
4.	हरियाणा	–	1	–	–	1
5.	मध्य प्रदेश	–	–	1	–	1
6.	मणिपुर	1	–	–	–	1
7.	उड़ीसा	–	1	–	–	1
8.	राजस्थान	–	1	–	–	1
9.	उत्तर प्रदेश	–	10	6	1	17
	जोड़	2	16	14	1	33

हथकरघा कामगारों को प्रशिक्षण

***366. श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से हथकरघा कामगारों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर हथकरघा उद्योग के आधुनिकीकरण और उसका विकास करने के लिए कहा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे कामगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्या कार्य योजना तैयार की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) से (ग) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय ने 12 राज्यों में फैले 20 हथकरघा समूहों के सकल और समन्वित विकास के लिए 2005-06 में समन्वित हथकरघा समूह विकास योजना आरंभ की थी। इन समूहों की कार्य योजना संबंधित अभिनिर्धारित क्रियान्वयी एजेंसी के माध्यम से क्रियान्वयन के अधीन है। अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार प्रत्येक समूह को एक डिजायनर मुहैया किया जाता है और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान/राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से उत्तीर्ण डिजायनरों को वरीयता दी जाती है ताकि समूहों के हथकरघा उत्पादों का विकास/विविधीकरण हो सके तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रेताओं के साथ बाजार संपर्क स्थापित हो।

11वीं योजना अवधि के दौरान, दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, समन्वित हथकरघा प्रशिक्षण योजना, कार्यशाला-सह-आवास योजना तथा समन्वित हथकरघा समूह विकास योजना के संघटकों को परिशोधन सहित अथवा उसके बिना विलय करके शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित आयोजना स्कीम के रूप में "समन्वित हथकरघा विकास योजना" नामक के योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत एक संघटक डिजाइन विकास और उत्पाद विविधीकरण है और क्रियान्वयी एजेंसी द्वारा डिजायनर संलग्न करने का प्रावधान है। दिशानिर्देशों के अनुसार समूह में संलग्न किए जाने वाले वस्त्र डिजायनर को कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसे एन.आई.एफ.टी./ एन.आई.डी. से उपाधि की डिग्री हासिल होनी चाहिए। अन्य संस्था के डिजायनर को संलग्न किए जाने के मामले में उसे विकास आयुक्त (हथकरघा) के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाना चाहिए। तदनुसार राज्य सरकारों/बुनकर सेवा केन्द्रों से अनुरोध किया गया है कि वे समन्वित हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2007-08 के दौरान स्वीकृत समूहों में डिजायनरों को लगाएं।

[अनुवाद]

ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने में विलंब

***387. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) और भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) द्वारा प्रदान की जा रही ब्रॉडबैंड सेवाएं प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने में हो रहे विलंब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) 31-03-2008 की स्थिति के अनुसार मुंबई और दिल्ली में एम.टी.एन.एल. के ब्रॉडबैंड कनेक्शनों के लिए क्रमशः 12,924 तथा 1,341 की प्रतीक्षा सूची है। तथापि, देश के अन्य भागों में बी.एस.एन.एल. के ब्रॉडबैंड कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं।

एम.टी.एन.एल. ने हाल ही में मुंबई और दिल्ली में अपने मौजूदा ब्रॉडबैंड नेटवर्क की क्षमता में क्रमशः 34,000 और 30,000 की वृद्धि की है। यह नई वृद्धि मौजूदा पिछले बैकलॉग और संभावित नई मांगों को पूरा करेगी। एम.टी.एन.एल. ने 2008-09 में मुंबई और दिल्ली में अपने ब्रॉडबैंड नेटवर्क की क्षमता में क्रमशः 1.66 लाख तथा 2.7 लाख की वृद्धि करने की योजना बनाई है।

31-03-2008 की स्थिति के अनुसार, बी.एस.एन.एल. ने 20.32 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किए हैं। मांग पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराने की स्थिति बनाए रखने के लिए बी.एस.एन.एल. ने 34.7 लाख की अपनी मौजूदा ब्रॉडबैंड क्षमता में 14 लाख (ग्रामीण क्षेत्रों सहित) की वृद्धि करने की भी योजना बनाई है।

बी.एस.एन.एल. की बाजार हिस्सेदारी

***389. श्री सुनील खां:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वायरलैस सेगमेंट में भारत संचार निगम लिमिटेड दूसरे स्थान से लुढ़क कर चौथे स्थान पर आ गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह गिरावट जी.एस.एम. और ब्रॉड-बैंड उपकरणों की खरीद में विलंब के कारण आई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में भारत संचार निगम लिमिटेड की बाजार हिस्सेदारी कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। वायरलेस सेगमेंट में भारत संचार निगम लिमिटेड की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट का कारण दूरसंचार क्षेत्र में निजी सेवा प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सेवा प्रदाताओं के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्द्धा हो रही है। तथापि, भारत संचार निगम लिमिटेड के कुल वायरलेस कनेक्शनों की संख्या जो 31-3-2007 की स्थिति के अनुसार 3.09 करोड़ थी 31-3-2008 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 4.07 करोड़ हो गई है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड की नई मोबाइल विस्तार परियोजना के लिए उपकरण खरीदने

के प्रयासों को धक्का पहुंचा क्योंकि बोलीदाताओं में से एक बोलीदाता उनकी बोली अस्वीकृत किए जाने के भारत संचार निगम लिमिटेड के निर्णय के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में चला गया।

(ङ) वायरलेस सेगमेंट में भारत संचार निगम लिमिटेड की बाजार हिस्सेदारी 29-2-2008 की स्थिति के अनुसार 15.52% है।

[हिन्दी]

महिला कृषि मजदूरों को न्यूनतम दैनिक मजदूरी

***393. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि क्षेत्र में महिला मजदूरों को दी जा रही न्यूनतम दैनिक मजदूरी के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या सरकार ने महिला कृषि मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (घ) समुचित सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजनों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरें पुरुष और महिला कामगारों पर समान रूप से लागू होती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की राज्य-वार दरों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का प्रवर्तन दो स्तरों पर सुनिश्चित किया जाता है। जबकि केन्द्रीय क्षेत्र में, केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सी.आई.आर.एम.) के रूप में सामान्य तौर पर नामोद्दिष्ट मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से प्रवर्तन सुनिश्चित किया जाता है, वहीं राज्य क्षेत्र में यह अनुपालन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। अधिकारी नियमित निरीक्षण करते हैं और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न किए जाने अथवा कम भुगतान किए जाने के किसी मामले का पता लगने की स्थिति में वे नियोजकों को मजदूरी की भरपाई करने की सलाह देते हैं। अनुपालन न किए जाने के मामले में, अधिनियम में विहित दंडात्मक उपबंधों का आश्रय लिया जाता है।

विवरण

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा कृषि कामगारों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरें

क्र. सं.	समुचित सरकार	श्रेणी	अकुशल कृषि कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी (प्रतिदिन रुपये में)
1	2	3	4
	केन्द्रीय क्षेत्र	अकुशल	117.65
		अर्धकुशल	122.68
		कुशल	132.22
		अतिकुशल	143.79

1	2	3	4
राज्य/संघ शासित क्षेत्र			
1.	आन्ध्र प्रदेश	न्यूनतम	64.00
		अधिकतम	149.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	अकुशल	55.00
		अर्धकुशल	60.00
		कुशल	65.00
3.	असम	अकुशल	76.35
		अर्धकुशल	80.96
		कुशल	87.81
4.	बिहार		66.00
5.	छत्तीसगढ़	अकुशल	69.00
6.	गोवा	अकुशल	110.00
7.	गुजरात		50.00
8.	हरियाणा	अकुशल	135.00
		अर्धकुशल क	140.00
		अर्धकुशल ख	145.00
		कुशल क	150.00
		कुशल ख	155.00
		अतिकुशल	160.00
9.	हिमाचल प्रदेश	अकुशल	75.00
10.	जम्मू और कश्मीर	अकुशल	66.00
		अर्धकुशल	88.00
		कुशल	147.00
11.	झारखंड		50.06
12.	कर्नाटक		71.28

1	2	3	4
13.	केरल		72.00 हल्के कार्य के लिए
			125.00 कठिन कार्य के लिए
14.	मध्य प्रदेश	अकुशल	61.37
15.	महाराष्ट्र		जोन-I 72.00
			जोन-II 70.00
			जोन-III 68.00
			जोन-IV 66.00
16.	मणिपुर	अकुशल	72.40
		अर्धकुशल	77.65
		कुशल	79.40
17.	मेघालय	अकुशल	70.00
		अर्धकुशल	75.00
		कुशल	85.00
18.	मिजोरम	अकुशल	103.00
		अर्धकुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	115.00
		कुशल ग्रेड-II	143.00
		कुशल ग्रेड-I	183.00
19.	नागालैंड	अकुशल	66.00
		अर्धकुशल	70.00
		कुशल	75.00
20.	उड़ीसा	अकुशल	70.00
		अर्धकुशल	80.00
		कुशल	90.00
		अतिकुशल	100.00

1	2	3	4
21.	पंजाब		100.70 (भोजन के बिना)
			91.00 (भोजन के साथ)
22.	राजस्थान	अकुशल	73.00
		अर्धकुशल	77.00
		कुशल	81.00
23.	तमिलनाडु	6 घंटे कार्य करने वाले पुरुषों के लिए	80.00
		5 घंटे कार्य करने वाली महिलाओं के लिए	70.00
24.	त्रिपुरा		85.00
25.	उत्तर प्रदेश		100.00
26.	उत्तराखंड		73.00
27.	पश्चिम बंगाल		71.13 (भोजन के साथ)
			74.33 (भोजन के बिना)
28.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान	
		अकुशल	130.00
		अर्धकुशल	151.00
		कुशल	183.00
		अतिकुशल	204.00
		निकोबार	
		अकुशल	139.00
		अर्धकुशल	165.00
		कुशल	204.00
		अतिकुशल	222.00
29.	चंडीगढ़	अकुशल	133.46
		अर्धकुशल-II	139.26

1	2	3	4
		अर्धकुशल-I	143.06
		कुशल-II	150.76
		कुशल-I	159.46
		अतिकुशल	174.86
30.	दादरा और नगर हवेली	अकुशल	99.80
		अर्धकुशल	106.30
		कुशल	112.80
31.	दिल्ली	अकुशल	140.00
		अर्धकुशल	146.00
		कुशल	156.00
32	पुदुचेरी		
	पुदुचेरी/कराइकल	अकुशल	54.00
		कुशल	100.00
	यनम	अकुशल	55.00
		कुशल	68.00

टिप्पणी: **हरियाणा:** 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले अकुशल कर्मचारियों को अर्धकुशल "क" के रूप में वर्गीकृत माना जाएगा। अर्धकुशल "क" में 3 वर्ष के अनुभव के बाद कर्मचारियों को अर्धकुशल "ख" के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा। कुशल "क" में 3 वर्ष के अनुभव के बाद कर्मचारी को कुशल "ख" के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।

महाराष्ट्र: जोन-I में सभी नगर निगमों की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र शामिल होंगे।

जोन-II में "क" और "ख" श्रेणी के सभी नगर निगमों की सीमाओं में आने वाले क्षेत्र शामिल होंगे।

जोन-III में, जोन-I व II में शामिल न किए गए राज्य के अन्य सभी क्षेत्र शामिल होंगे।

जोन-IV में जलगांव, धुले, नासिक, पुणे, शोलापुर, अहमदनगर, सांगली, सतारा, औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद एवं बुलधाना जिलों में उल्लिखित क्षेत्र शामिल होंगे।

अधिक मूल्य पर गेहूं का आयात

*394. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गेहूं का आयात किसानों के इसके दिए जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) से अधिक मूल्य पर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं

और आयात पर कितनी अधिक राशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या गेहूं के आयात के लिए भुगतान किए जाने वाले मूल्य पर इसकी खरीद करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गेहूं का प्रतिस्पर्धी मूल्य पर आयात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार): (क) और (ख) गेहूं का आयात वैश्विक निविदाएं आमंत्रित करके प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर किया गया था जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक थे। वर्ष 2005-06 के दौरान सरकारी खाते पर गेहूं का आयात नहीं किया गया था। वर्ष 2006-07 के दौरान 204.66 यू.एस. डालर प्रति टन के भारित औसत मूल्य पर 54.54 लाख टन गेहूं का आयात किया गया था और वर्ष 2007-08 के दौरान 372.82 यू.एस. डालर प्रति टन के भारित औसत मूल्य पर 17.69 लाख टन गेहूं का आयात किया गया था।

(ग) से (ङ) गेहूं की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है। गेहूं का आयात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के नामित उपक्रमों द्वारा वैश्विक निविदाएं आमंत्रित करके किया जाता है। निविदाओं को प्रमुख समाचार पत्रों में और इन उपक्रमों की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है ताकि निविदाओं में व्यापक प्रतिभागिता हो सके। इसके अलावा प्रतिस्पर्धी बोलियां प्राप्त करने के लिए निविदा की शर्तों को सुप्रवाही बनाया गया था।

[अनुवाद]

नदी तट रक्षण योजना

*395. **श्रीमती सी.एस. सुजाता:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में नदी तट रक्षण योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई तथा कितने प्रस्ताव मंत्रालय के पास लंबित हैं?

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) और (ख) "नदी तट रक्षण योजना" नामक कोई योजना हाल ही में शुरू नहीं की गई है परन्तु ग्यारहवीं योजना के दौरान राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट द्वारा नवम्बर, 2007 में "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" (एफ.एम.पी.) नामक एक राज्य क्षेत्र योजना (रुपये 8,000 करोड़ की अनुमानित लागत से) सैद्धांतिक रूप से स्वीकृत की गई है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों को नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण कटाव-रोधी एवं जल निकास विकास कार्यों को शुरू करने हेतु केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जिनके विस्तृत दिशानिर्देश जल संसाधन द्वारा 27 दिसम्बर, 2007 को सभी राज्यों को परिचालित किए गए हैं।

जनवरी, 2008 में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत 13 राज्यों से बाढ़ प्रबंधन के कुल 315 प्रस्ताव विचारार्थ प्राप्त हुए जिनकी जल संसाधन मंत्रालय के विस्तृत दिशानिर्देश के अनुसार जांच की गई। इनमें से कुल 239 योजनाओं को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु शामिल किया गया है।

रोजगार की एवं बेरोजगारी की वृद्धि दर

*396. **श्री बालासाहिब विखे पाटील:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान रोजगार की एवं बेरोजगारी की वृद्धि दर कितनी रही तथा ग्यारहवीं योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान बेरोजगारी को कम करने हेतु निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;

(ख) दसवीं योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के शिक्षित, अशिक्षित, कुशल तथा अकुशल ग्रामीण और शहरी युवकों में व्याप्त बेरोजगारी का श्रेणीवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान देश में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों के सृजन हेतु क्या योजना तैयार की गई है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.)

द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला पंचवर्षीय सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 में किया गया था। रोजगार एवं बेरोजगारी पर एन.एस.एस.ओ. के अभी हाल ही में किए गए दो पंचवर्षीय दौरों के अनुसार चालू दैनिक स्थिति (सी.डी.एस.) आधार पर वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2004-05 के दौरान रोजगार में प्रतिवर्ष 2.62 प्रतिशत की वृद्धि तथा इसी अवधि के दौरान बेरोजगारी में प्रतिवर्ष 5.42 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) दस्तावेज में प्लान अवधि के दौरान चालू दैनिक स्थिति आधार पर लगभग 58 मिलियन रोजगार अवसरों के सृजित होने का अनुमान लगाया है तथा तदनुरूपी अवधि के दौरान बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या वर्ष 2004-05 में 34.74 मिलियन से घटकर वर्ष 2011-12 में 23.35 मिलियन होने की संभावना है। वर्ष 2004-05 के दौरान 15-29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों के लिए शिक्षा स्तर विशिष्ट सामान्य स्थिति आधार पर बेरोजगारी दर का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष 2004-2005 के दौरान 15-29 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों के लिए शिक्षा स्तर विशिष्ट सामान्य स्थिति (पीएस+एस.एस.) बेरोजगारी दर (%)।

सामान्य शिक्षा स्तर	बेरोजगारी दर			
	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
असाक्षर	1.3	0.6	2.8	1.0
साक्षर तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त	2.5	1.7	4.6	5.1
मिडल स्कूल	3.1	4.7	7.8	11.7
माध्यमिक	6.4	13.3	9.6	22.5
उच्चतर माध्यमिक	9.2	22.1	10.5	25.4
डिप्लोमा/प्रमाणपत्र	15.2	32.5	17.5	24.5
स्नातक तथा उससे अधिक	15.7	36.3	18.5	30.4
माध्यमिक तथा उससे अधिक	9.1	20.8	13.3	26.7
समस्त	3.9	4.2	8.8	14.9

सरकार विभिन्न रोजगार सृजन तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती रही है, जिनमें से देश में लाभप्रद रोजगार को सृजित करने के लिए प्रमुख कार्यक्रम हैं- प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.); स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.); स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.); सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.); ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) इत्यादि।

अधिक रोजगार कार्यालयों की स्थापना

***397. श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार कुल कितने रोजगार कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना के दौरान देश में और अधिक रोजगार कार्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) 31-12-2007 की स्थिति के अनुसार देश भर में 965 रोजगार कार्यालय कार्य कर रहे थे। रोजगार कार्यालयों की राज्य-वार संख्या विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग) रोजगार कार्यालय संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के प्रत्यक्ष वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। अतएव, राज्य/संघ शासित प्रशासनों में उनके द्वारा नए रोजगार कार्यालयों की स्थापना का निर्णय स्थानीय आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। केन्द्र सरकार की इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है।

विवरण

31-12-2007 की स्थिति के अनुसार राज्य-वार कार्य कर रहे रोजगार कार्यालयों की संख्या निम्न प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	
1	2	3
(क)	**राज्य**	
1.	आन्ध्र प्रदेश	31
2.	अरुणाचल प्रदेश	11
3.	असम	52
4.	बिहार	37
5.	छत्तीसगढ़	17
6.	दिल्ली	14
7.	गोवा	01
8.	गुजरात	44
9.	हरियाणा	61
10.	हिमाचल प्रदेश	15
11.	जम्मू-कश्मीर	14
12.	झारखण्ड	39
13.	कर्नाटक	37
14.	केरल	89
15.	मध्य प्रदेश	58
16.	महाराष्ट्र	47
17.	मणिपुर	11
18.	मेघालय	12
19.	मिजोरम	03
20.	नागालैण्ड	08
21.	उड़ीसा	40
22.	पंजाब	46
23.	राजस्थान	42
24.	सिक्किम*	–
25.	तमिलनाडु	34
26.	त्रिपुरा	05
27.	उत्तराखंड	24
28.	उत्तर प्रदेश	90
29.	पश्चिम बंगाल	75
(ख)	**संघ शासित प्रदेश**	
30.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	01
31.	चंडीगढ़	02
32.	दादर व नगर हवेली	01
33.	दमन व दीव	02

1	2	3
34.	लक्षद्वीप	01
35.	पुडुचेरी	01
	योग	965

*राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा था।

डी.आर.डी.ओ. की प्रतिभा खोज योजना

*398. **श्री नन्द कुमार साय:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) का विचार अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) को आकर्षित करने के लिए प्रतिभा खोज योजना आरंभ करने का है ताकि इसके वैज्ञानिकों की कमी की समस्या से निपटा जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2007 के दौरान कितने एन.आर.आई. वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों ने डी.आर.डी.ओ. को अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक डी.आर.डी.ओ. द्वारा कितने वैज्ञानिकों का चयन किया गया है तथा अनुमानत: कितने वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों का चयन किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) अनिवासी (एन.आर.आई.) भारतीयों को आकर्षित करने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में प्रतिभा खोज योजना पहले से विद्यमान है। इस योजना के अंतर्गत देश में वापस आने का इच्छुक कोई भी अनिवासी भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में अपनी संभावित भर्ती के लिए भर्ती और मूल्यांकन केन्द्र (आर.ए.सी.)/रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की प्रयोगशालाओं में सीधे आवेदन कर सकता/सकती है। अनिवासी भारतीयों का साक्षात्कार वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए लिया जाता है और यदि उनकी अर्हताएं और अनुभव रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के प्रत्यक्ष हित में हों तो उन्हें शुरू में तदर्थ नियुक्तियों की पेशकश की जाती है। यह योजना वैज्ञानिकों के पलायन पर काबू पाने के लिए नहीं है बल्कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में प्रतिभाओं को शामिल करने के लिए है।

(ग) वर्ष 2007 के दौरान कुल 54 अनिवासी वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए हैं।

(घ) इस योजना के तहत वर्ष 2007 में 19 वैज्ञानिकों सहित अब तक 70 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है और चुने जाने वाले प्रस्तावित वैज्ञानिकों की अनुमानित संख्या लगभग 20 प्रतिवर्ष है।

[हिन्दी]

न्यूनतम मजदूरी में अन्तर

*399. **श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में न्यूनतम मजदूरी में बहुत अधिक अंतर है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अन्तर के कारण क्या हैं;

(ग) उक्त अन्तर को दूर करने तथा इसमें समानता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) सामाजिक-आर्थिक कारकों, कृषि-जलवायु दशाओं, निर्वाह लागत, उत्पादकता, भुगतान क्षमता, स्थानीय दशाओं आदि में भिन्नता की वजह से पूरे देश में समुचित सरकारों द्वारा न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में अंतर होता है। अकुशल कामगारों के लिए राज्य-वार न्यूनतम मजदूरी रेंज को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी में असमानता को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय निम्नतम

स्तर की न्यूनतम मजदूरी अवधारणा विकसित की है। इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है और इस समय यह 01-09-2007 से 80/- रुपये प्रतिदिन है। राज्य सरकारों को इस तरह से न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित/संशोधित करने के लिए राजी किया जाता है कि किसी भी अनुसूचित नियोजन में न्यूनतम मजदूरी राष्ट्रीय निम्नतम स्तर की न्यूनतम मजदूरी से कम न रहे।

इसके अलावा, सरकार ने पूर्वी, पूर्वोत्तर, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की पांच क्षेत्रीय समितियां भी बनाई हैं ताकि वे कम से कम क्षेत्रीय स्तर पर समान किस्म के अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी में असमानता को कम करने और उनके निर्धारण/संशोधन में एकरूपता लाने के मुख्य उद्देश्य से आवधिक रूप में बैठकें आयोजित कर सकें।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी रेंज

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी रेंज (रुपये प्रतिदिन)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	49.15-135.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	55.00
3.	असम	54.80-76.35
4.	बिहार	66.00-88.00
5.	छत्तीसगढ़	66.70-101.00
6.	गोवा	90.00-110.00
7.	गुजरात	50.00-109.90
8.	हरियाणा	135.00
9.	हिमाचल प्रदेश	75.00
10.	जम्मू-कश्मीर	66.00
11.	झारखण्ड	50.06-76.81
12.	कर्नाटक	71.28-125.17
13.	केरल	72.00-288.03
14.	मध्य प्रदेश	61.37- 94.12
15.	महाराष्ट्र	46.13-201.30
16.	मणिपुर	72.40
17.	मेघालय	70.00
18.	मिजोरम	103.00
19.	नागालैण्ड	66.00-90.00
20.	उड़ीसा	70.00
21.	पंजाब	96.90-100.70
22.	राजस्थान	73.00-87.81
23.	सिक्किम	85.00
24.	तमिलनाडु	57.94-158.70
25.	त्रिपुरा	47.15-85.00
26.	उत्तर प्रदेश	73.31-113.70
27.	उत्तराखण्ड	70.82-133.20
28.	पश्चिम बंगाल	49.81-138.04
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	130.00-161.77
30.	चंडीगढ़	133.46
31.	दादरा और नगर हवेली	99.80
32.	दमन और दीव	95.00
33.	दिल्ली	140.00
34.	लक्षद्वीप	71.90
35.	पुदुचेरी	54.00-120.00

[अनुवाद]

वस्त्र क्षेत्र में वृद्धि

*400. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:**

श्री कैलाश मेघवाल:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान वस्त्र क्षेत्र में किए गए निवेश तथा सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ग्यारहवीं योजना के दौरान वस्त्र क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि, रोजगार क्षमता तथा आवश्यक निवेश के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वस्त्र निर्यात में आने वाली बाधाओं तथा अड़चनों की पहचान कर ली गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(च) निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वस्त्र क्षेत्र में सुधार एवं नए उपाय संबंधी क्या-क्या पहल किए जाने का प्रस्ताव है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): (क) 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया कुल योजना व्यय 4475.42 करोड़ रु. है। योजना व्यय का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है-

(करोड़ रु.)

वर्ष	योजना व्यय
1	2
2002-03	602.45
2003-04	638.66
2004-05	729.87
2005-06	1101.37
2006-07	1403.07
कुल	4475.42

सरकार, प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के माध्यम से किए गए निवेश को छोड़कर वस्त्र क्षेत्र में होने वाले निजी निवेश के आंकड़ें नहीं रखती है। टी.यू.एफ.एस. के तहत पिछले पांच वर्षों के दौरान की गई निवेश राशि इस प्रकार है-

अवधि	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)
2002-03	1438
2003-04	3289
2004-05	7349
2005-06	15032
2006-07	48145

10वीं योजना के अंतिम वर्ष में वस्त्र क्षेत्र में कुल रोजगार वर्ष 2001 में 81.95 मिलियन की तुलना में 88.02 मिलियन था जिसमें 7.4% की वृद्धि प्रदर्शित होती है।

(ख) और (ग) जी, हां। 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के लिए सरकार द्वारा गठित वस्त्र एवं पटसन उद्योग संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार वस्त्र उद्योग का मूल्य के रूप में 16% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ने का अनुमान है जिससे यह 11वीं योजना के अंतिम वर्ष अर्थात 2012 तक 115 बिलियन अमरीकी डालर (वर्तमान बाजार आकार 47 बिलियन अमरीकी डॉलर) के स्तर को छू लेगा जिसमें 55 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का निर्यात तथा 60 बिलियन अमरीकी डालर मूल्य का घरेलू बाजार का उत्पादन शामिल है; मात्रा के रूप में कपड़े का उत्पादन 12% की दर से बढ़ने की आशा है; मात्रा के रूप में क्लोदिंग और अपैरल के 16% की दर से तथा मूल्य के रूप में 21% की दर से बढ़ने की संभावना है तथा मूल्य के रूप में निर्यात के 22% की दर से बढ़ने की संभावना है। वस्त्र उत्पादन में वृद्धि के साथ, इस क्षेत्र में 3.05% प्रतिवर्ष की दर से

रोजगार के बढ़ने की संभावना है। वस्त्र क्षेत्र में रोजगार जो 2006 में 33.17 मिलियन व्यक्ति था से बढ़कर 2012 तक 45.19 मिलियन व्यक्ति होने की संभावना है। सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार जो 2006 में 54.85 मिलियन था से बढ़कर 2012 तक 60.20 मिलियन होने की संभावना है। कार्यकारी समूह ने अनुमान लगाया है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान वस्त्र क्षेत्र में कुल निवेश की आवश्यकता 150600.00 करोड़ रु. की होगी।

(घ) और (ङ) वस्त्र निर्यात में अड़चनों और बाधाओं में अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए की मजबूती जिसके फलस्वरूप हमारे प्रतिस्पर्धी की तुलना में मूल्य की हानि, आंतरिक अर्थव्यवस्था की समस्याओं के कारण अमरीका जैसे कुछ प्रमुख आयातकों से मांग में कमी, उच्च प्रचालन लागत, विद्युत की उच्च लागत एवं अन्य अवसंरचनात्मक समस्याएं, पुरानी उत्पादन प्रौद्योगिकी, उद्योग के विखंडन की उच्च मात्रा तथा इसके फलस्वरूप किफायती उत्पादन का अभाव, कठोर श्रम कानून आदि शामिल है।

(च) वस्त्र उद्योग के विकास के लिए किए गए सुधारों एवं नई पहलों में निम्नलिखित थ्रस्ट क्षेत्रों को अभिज्ञात किया गया है-

- अपैरल एवं परिधान;
- फाइबर की उपलब्धता;
- मानवशक्ति का विकास;
- वस्त्र मशीनरी; और
- तकनीकी वस्त्र।

कार्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। जारी योजनाओं के अतिरिक्त, दो प्रमुख योजनाओं अर्थात प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना तथा एकीकृत वस्त्र पार्क योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने हेतु अनुमोदन दे दिया गया है। सरकार द्वारा प्रस्तावित कुछ अन्य नए पहलों में बाजार विकास एवं उत्पादन विविधीकरण संबंधी योजना, मानव शक्ति विकास योजना जिसे 'नेवरहुड' अपैरल एंड टेक्सटाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटस फार जाब एसुरेंस (नटीजा) के नाम से जाना जाता है, निवेश क्षेत्रों का सृजन, तकनीकी वस्त्र संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन शामिल है।

2008-09 के बजट में, हथकरघा, विद्युतकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की समस्याओं में और सुधार के लिए देश में 6 बड़े-समूहों की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

दूरसंचार उपभोक्ताओं के भाषा संबंधी अधिकारों का संरक्षण

3780. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार उपभोक्ताओं की भाषा तथा अन्य संबंधित समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन दूरसंचार कंपनियों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी के अलावा राजभाषा हिन्दी सहित संविधान में शामिल क्षेत्रीय भाषाओं में सेवा प्रदाता शर्तें तथा आपूर्ति फार्म, जमा रसीद उपलब्ध कराते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं के भाषा संबंधी अधिकारों के संरक्षण के लिए कोई कदम उठाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नॉन स्टिक बर्तनों के विनिर्माण हेतु मानक

3781. श्री महावीर भगोरा: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नॉन स्टिक स्टील के बर्तनों के विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली अलुमिनियम, निकेल तथा क्रोमियम की मात्रा के संबंध में सरकार ने कोई मानक अनुपात निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। भारतीय मानक ब्यूरो ने इस संबंध में कोई भारतीय मानक नहीं बनाया है।

(ख) ऊपर (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कपास का मुक्त व्यापार

3782. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन द्वारा कपास के मुक्त व्यापार से इंकार करने से भारतीय कपास उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) देश में कपास उत्पादकों की स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) कृषि मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार चीन से कपास के निर्यात पर प्रतिबंध है, किन्तु चीन को कपास के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अप्रैल-दिसम्बर, 2007 की अवधि के दौरान भारत से चीन को अपशिष्ट सहित कच्चे कपास के निर्यात का मूल्य वर्ष 2006 की इसी अवधि की तुलना में लगभग 36 प्रतिशत तक बढ़ा।

(ग) सरकार कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी.एम.सी.) कार्यान्वित कर रही है जिसमें चार मिनी मिशन हैं।

मिनी मिशन-I में उन्नत उत्पादन व फसल संरक्षण प्रौद्योगिकी के अनुसंधान तथा विकास का कार्य किया जाता है और इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

मिनी मिशन-II में कपास के उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए विकासात्मक कार्यक्रमों का कार्य होता है और इसे कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस मिनी मिशन के अधीन, 15 वर्ष से कम पुरानी किस्मों/संकरों के उत्पादन व वितरण, मुख्य रूप से प्रदर्शनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण, किसानों के प्रशिक्षण एवं विस्तार कार्यों, आई.पी.एम. प्रदर्शनों सहित पौध संरक्षण उपायों, छिड़काव यंत्रों, फेरोमोन ट्रैप्स, बायो एजेंटस और साथ ही स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिंचाई प्रणाली आदि जैसे जल बचत यंत्रों की आपूर्ति के लिए सहायता मुहैया कराई जाती है।

मिनी मिशन-III में विपणन अहातों, नीलामी केन्द्रों, ग्रेडिंग सुविधाओं, कपास गुणवत्ता की जांच हेतु प्रयोगशालाओं के निर्माण जैसे कार्यकलाप चलाकर विपणन अवसंरचना के विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। कपास की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जिनिंग तथा प्रेसिंग फैक्ट्रियों के उन्नयन और आधुनिकीकरण का कार्य मिनी मिशन-IV के अधीन किया जाता है। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, मिनी मिशन-III व IV का कार्यान्वयन करता है जिसका मुख्य उद्देश्य कपास की गुणवत्ता में सुधार करना है।

[हिन्दी]

डाकघर में अनियमितता

3783. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में शहडोल पोस्टल डिवीजन के शहडोल आर.एस. डाकघर में अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनियमितताओं के कारण वित्तीय हानि भी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन अनियमितताओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(छ) क्या देश में ग्रामीण डाक सेवक के स्थानांतरण के लिए कोई नीति तैयार की गई है; और

(ज) यदि हां, तो ग्रामीण डाक सेवकों को कौन-कौन सी सुविधाएं दी गई हैं तथा इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी हां।

(ख) से (च) शहडोल पोस्टल डिवीजन में शहडोल आर.एस. डाकघर के उप डाकपाल द्वारा सरकारी धन के दुर्विनियोजन से संबंधित एक मामला ध्यान में आया है। उप डाकपाल श्री एस.एल. रोहिणी ने जनता द्वारा जमा की गई राशि उनके खाते में न डालकर विभिन्न बचत योजनाओं के तहत अपने खाते में जमा करके धोखाधड़ी की है। उप डाकपाल ने जमाकर्ताओं/निवेशकों के फर्जी हस्ताक्षर करके धोखाधड़ी से अनेक बचत खातों/लिखतों से धन भी निकाला। 50,25,454/- रु. की धोखाधड़ी निर्धारित हो गई जिसमें से 3,06,020/- रु. की वसूली कर ली गई है। शहडोल प्रधान डाकघर के पदाधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण में कमी के कारण धोखाधड़ी होने के तुरंत बाद इसका पता नहीं लगाया जा सका तथा निरीक्षणकर्ता स्टाफ भी विभिन्न मैनुअलों में निर्धारित अपनी ड्यूटी को निभाने में असफल रहे। जांच के दौरान उप डाकपाल के अलावा, 36 अन्य कर्मचारी विभिन्न चूकों के लिए दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। मुख्य अपराधी श्री एस.एल. रोहिणी, उप डाकपाल 09-05-2006 के अपराह्न से निलंबनाधीन है और वह फरार है।

(छ) और (ज) मौजूदा ग्रामीण डाक सेवक (जी.डी.एस.) (आचारण एवं रोजगार) नियमावली, 2001 के अनुसार कोई भी ग्रामीण डाक सेवक जनहित के अलावा किसी भी हालत में एक पद/इकाई से दूसरे पद/इकाई में स्थानांतरण का पात्र नहीं होगा। जनहित को भी परिभाषित किया गया है। पुनःतैनाती पर दूरस्थ स्थान पर तैनात ग्रामीण डाक सेवक, अनुकम्पा आधार पर नियुक्त ग्रामीण डाक सेवक, विवाह/पुनः विवाह होने पर कोई महिला ग्रामीण डाक सेवक और गंभीर बीमारी से ग्रस्त ग्रामीण डाक सेवक अथवा शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग तथा उस पर आश्रित किसी पारिवारिक सदस्य के होने पर ऐसे ग्रामीण डाक सेवक के एक पद/इकाई से दूसरे पर स्थानांतरण पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

कपास का निर्यात

3784. श्री नवीन जिन्दल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात की गई तथा उसके बाद आज तक, किस्म-वार तथा देश-वार कपास की विभिन्न किस्मों, कपास सामग्री तथा सूती कपड़ों की मात्रा तथा मूल्य के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा कितनी सफलता हासिल की गई; और

(ख) 2008-09 के दौरान कपास के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) कच्चे कपास के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। अपशिष्ट, सूती यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स और सूती सिले-सिलाए परिधानों सहित कच्चे कपास संबंधी किस्म वार निर्यात ब्यौरे उपलब्ध नहीं है। 10वीं योजना अवधि (2002-2007) के दौरान अपशिष्ट, सूती यार्न, फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स और अन्य सहायक वस्तुओं सहित कच्चे कपास के निर्यात के लिए निर्धारित और प्राप्त किए गए लक्ष्य इस प्रकार हैं-

(मूल्य करोड़ रु. में)

(लक्ष्य अमरीकी डालर में)

वस्त्र मदें	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
	मूल्य	लक्ष्य	मूल्य	लक्ष्य	मूल्य	लक्ष्य	मूल्य	लक्ष्य	मूल्य	लक्ष्य	मूल्य	लक्ष्य
अपशिष्ट सहित कच्चा कपास	50.28	–	942.37	–	422.58	–	2904.35	–	6101.84	–	3881.52	–
सूती यार्न फैब्रिक्स एवं मेड-अप्स	18217.49	4250	15599.87	4775	15501.85	6000	17484.92	4200	18717.70	8000	13640.93	8350
सिले-सिलाए परिधान और अन्य सहायक वस्तुएं	21510.00	8000	22009.11	8250	22863.09	4200	29015.48	8450	30554.21	9500	20951.23	12085

कच्चे कपास के देश-वार निर्यात ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) कपास के निर्यात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। तथापि, कपास सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 2007-08 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान अनुमानित 65 लाख गांठ (प्रत्येक 170 कि.ग्रा.) कपास का निर्यात किया।

विवरण

वस्तु: वेस्ट सहित कच्ची कपास

मात्रा हजार इकाई में

क्रमांक	देश का नाम	अप्रैल-मार्च 2003	अप्रैल-मार्च 2004	अप्रैल-मार्च 2005	अप्रैल-मार्च 2006	अप्रैल-मार्च 2007
1	2	3	4	5	6	7
1.	अल्जीरिया	–	–	–	–	–
2.	अंगोला	0.03	–	–	–	–
3.	आस्ट्रेलिया	0.01	0.03	–	0.06	0.02
4.	बहरीन आईएस	–	–	–	–	0.25
5.	बंगलादेश पी.आर.	0.18	42.76	–	44.66	39.46
6.	बेल्जियम	1.49	0.16	–	0.75	2.55
7.	बोस्निया हरजगोविन	–	–	–	–	0.20
8.	कम्बोडिया	–	–	–	1.92	0.80
9.	कनाडा	0.05	–	–	0.10	1.11
10.	चाड	–	–	–	0.00	0.20
11.	चिली	–	–	–	0.07	29.64
12.	ताईवान	0.03	13.94	–	23.72	32.81
13.	चीन पी.आर.पी.	0.28	28.07	–	388.05	552.42
14.	कोलम्बिया	–	0.02	–	–	–
15.	चेक गणराज्य	–	0.02	–	0.04	–
16.	डी.जे.आई. बाउटी	–	–	–	0.02	–
17.	डोमिनीक गणराज्य	–	–	–	0.02	–
16.	मिस्र ए.आर.पी.	0.03	0.93	–	0.02	0.02

1	2	3	4	5	6	7
19.	फिजी आई.एस.	–	0.01	–	–	–
20.	फ्रांस	0.20	0.19	–	0.41	0.10
21.	जर्मनी	0.08	0.23	–	0.94	2.03
22.	गुआम	–	–	–	–	0.02
23.	ग्वाटेमाला	–	–	–	0.11	–
24.	ग्रीस	–	0.02	–	–	0.01
25.	हुंडारस	–	–	–	–	0.20
26.	हांगकांग	–	1.17	–	17.51	46.49
27.	हंगरी	–	0.01	–	–	–
28.	इंडोनेशिया	0.29	14.27	–	26.88	59.87
29.	इजरायल	–	0.02	–	0.04	–
30.	इटली	–	1.69	–	0.19	2.71
31.	जमैका	–	–	–	–	0.20
32.	जापान	5.51	3.78	–	4.28	4.41
33.	कोरिया डी.पी.आर.पी.	–	0.63	–	0.05	0.07
34.	कोरिया आर.पी.	0.88	8.39	–	4.15	8.29
35.	केन्या	–	–	–	0.01	–
36.	कुवैत	–	–	–	–	–
37.	लाटिवया	–	–	–	–	0.10
38.	लिथिआनिया	–	–	–	0.06	–
39.	मेडागास्कर	–	0.02	–	–	–
40.	मलेशिया	1.12	0.43	–	1.50	5.34
41.	मालदीव	–	–	–	0.01	–
42.	माली	–	–	–	–	0.62
43.	मॉरीशस	–	4.93	–	9.66	4.87

1	2	3	4	5	6	7
44.	मोरक्को	–	0.04	–	–	–
45.	मोल्डोवा	–	–	–	–	0.12
46.	नेपाल	0.69	1.40	–	2.28	1.18
47.	नीदरलैंड	–	–	–	0.08	0.46
48.	नाइजीरिया	–	1.36	–	–	–
49.	फिलीपींस	–	1.22	–	0.99	1.10
50.	पाकिस्तान आई.आर.	–	40.49	–	39.41	172.87
51.	पोलैंड	–	–	–	0.02	0.02
52.	पुर्तगाल	0.23	0.57	–	0.03	1.27
53.	कतर	–	–	–	–	1.15
54.	रूस	–	–	–	0.02	–
55.	सउदी अरब	–	–	–	0.12	0.12
56.	सिंगापुर	–	0.50	–	0.26	1.95
57.	स्लोवेनिया	–	0.01	–	–	–
58.	दक्षिण अफ्रीका	–	0.11	–	0.16	0.22
59.	स्पेन	0.04	0.02	–	0.18	0.21
60.	श्रीलंका डी.एस.आर.	0.19	0.09	–	0.17	0.08
61.	सेंट हेलेन	–	–	–	–	0.20
62.	सूरीनाम	–	–	–	–	0.60
63.	स्वीडन	–	–	–	–	0.83
64.	स्विटजरलैंड	0.05	0.04	–	0.21	0.00
65.	तंजानिया गणराज्य	–	0.01	–	–	–
66.	थाइलैंड	0.07	7.15	–	21.26	61.13
67.	ट्यूनेशिया	–	0.01	–	0.04	0.10
68.	तुर्की	0.04	0.38	–	4.63	79.09

1	2	3	4	5	6	7
69.	यूगांडा	–	0.02	–	–	–
70.	संयुक्त अरब अमीरात	–	1.27	–	0.70	0.91
71.	ब्रिटेन	0.19	0.16	–	0.01	0.06
72.	संयुक्त राज्य अमरीका	0.08	0.03	–	0.09	1.72
73.	वियतनाम संयुक्त गणराज्य	–	2.69	–	18.96	43.19
74.	वर्जिन यू.एस.	–	–	–	–	0.23
75.	अवर्गीकृत		0.14	–	–	1.01
	कुल	11.75	179.61	–	614.81	1,165.06

धन तथा दस्तावेजों का धोखाधड़ीपूर्ण तथा अवैध अन्तरण

3785. श्री के.एस. राव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में विदेशी डाकघरों द्वारा पासपोर्ट सहित धन तथा दस्तावेजों के धोखाधड़ीपूर्ण तथा अवैध अन्तरण के कुल कितने मामलों का पता चला है;

(ख) सरकार द्वारा चूककर्ताओं पर कितना अर्थदंड लगाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार देश से बाहर जाने वाले तथा देश में आने वाले सभी डाक/पार्सलों की गहनता से जांच करने के लिए प्रत्येक विदेशी डाकघरों में स्कैनिंग मशीन प्रदान करने तथा जाली पासपोर्ट दस्तावेजों पर विदेश की यात्रा करने की लोगों की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अन्य उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) शून्य।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान में प्रत्येक विदेशी डाकघरों में स्कैनिंग मशीन प्रदान करने का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

प्रसारण क्षेत्र में सरकारी एजेंसियां

3786. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) कई राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों तथा अन्य अस्तित्वों द्वारा देश में ब्रॉडकास्टिंग स्पेस/केबल टी.वी. व्यवसाय में शामिल होने के प्रयास से चिंतित है;

(ख) यदि हां, तो क्या तमिलनाडु सरकार ने केबल टी.वी. के वितरण में प्रवेश किया है तथा एक राज्य स्वामित्व वाली बहु-प्रणाली परिचालन यूनिट शुरू की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या टी.आर.ए.आई. ने निर्णय दिया है कि ब्रॉडकास्ट स्पेस सेक्टर पूरी तरह निजी दूरसंचार परिचालकों के स्वामित्व में होना चाहिए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) सरकार ने भारतीय

दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टी.आर.ए.आई.) से इस मामले पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। जैसा कि टी.आर.ए.आई. अधिनियम में अपेक्षित है, टी.आर.ए.आई. द्वारा इस मामले को परामर्श-पत्र के माध्यम से सार्वजनिक विचारार्थ रखा गया है।

(ख) और (ग) तमिलनाडु में सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई मैसर्स अरासू केबल टी.वी. कार्पोरेशन के केबल सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयं को बहु-प्रणाली प्रचालक के रूप में पंजीकृत किया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

मिलिट्री स्कूल

3787. श्री सुरेश बाघमारे: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त कितने मिलिट्री स्कूल हैं;

(ख) कितने मिलिट्री स्कूल अनुदान प्राप्त नहीं कर रहे हैं तथा किन शर्तों पर इन्हें मान्यता दी गई है;

(ग) स्कूलों को उनके खर्चों तथा वेतन के लिए कितना अनुदान दिया गया तथा क्या मिलिट्री स्कूलों के कर्मचारियों, अधिकारियों तथा शिक्षण कर्मचारियों को पूरा वेतन दिया जाता है;

(घ) क्या मिलिट्री स्कूलों में छात्रावास तथा खाद्य व्यवस्था के लिए कोई नियम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी जांच के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी/व्यक्ति कौन है तथा उनके खिलाफ आपत्तिजनक रिपोर्ट के मामले के निवारण के लिए क्या प्रावधान है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय के अधीन अजमेर और धौलपुर (राजस्थान), बेंगलूर और बेलगांव (कर्नाटक) और चैल (हिमाचल प्रदेश) में पांच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल (पूर्व में मिलिट्री स्कूल के रूप में ज्ञात) अवस्थित हैं। ये स्कूल पूर्णतया रक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय की किसी अन्य मिलिट्री स्कूल को मान्यता प्रदान करने अथवा अनुदान सहायता मुहैया करने की कोई योजना/कार्यक्रम नहीं है।

(ग) उपर्युक्त पांच राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के अधिकारियों एवं स्टाफ को वेतन एवं भत्तों का भुगतान रक्षा बजट से किया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक स्कूल को रोजमर्रा के कार्य के लिए प्रतिवर्ष निम्नलिखित अनुदान दिए जाते हैं:-

(i) आनुषंगिक और विविध (आई एवं एम) अनुदान - 20 लाख रुपए

(ii) वार्षिक प्रशिक्षण अनुदान (एटीजी) - 2.75 लाख रुपए

(iii) वार्षिक पुस्तकालय अनुदान (ए.एल.जी.) - 11.96 लाख रुपए

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) अनुदान - 1.39 लाख रुपए

(घ) छात्रावास चलाने और उनमें मेस की सुविधाओं का प्रबंधन करने के संबंध में विस्तृत सेना आदेश और अनुदेश मौजूद हैं।

(ङ) स्कूल के प्रधानाचार्य छात्रावासों के प्रशासन के लिए जिम्मेवार हैं। प्रधानाचार्य समग्र रूप से प्रशासन के स्थानीय बोर्ड के पर्यवेक्षण और नियंत्रण (एल.बी.ए.) के अधीन कार्य करते हैं जिसकी अध्यक्षता उस उपक्षेत्र के कमांडर द्वारा की जाती है जहां वह स्कूल अवस्थित है।

[अनुवाद]

बर्ड फ्लू पर खाद्य तथा कृषि संगठन की रिपोर्ट

3788. श्रीमती निवेदिता माने:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) ने भारत सरकार को चेतावनी दी है कि भयंकर बर्ड-फ्लू फिर से फैल सकता है;

(ख) यदि हां, तो एफ.ए.ओ. द्वारा इसके क्या कारण दिए गए हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) खाद्य और कृषि संगठन से ऐसा कोई आधिकारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, देश में बर्ड फ्लू के पुनः प्रवेश को रोकने के लिए समय पर सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेशम कीट पालन क्षेत्र पर चीनी निर्यात का प्रभाव

3789. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन से निर्यात किए जाने के कारण कच्चे रेशम के मूल्यों में कमी आएगी जिससे भारत के रेशम कीट पालन क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2001-02 के दौरान, भारतीय घरेलू बाजारों में चीन के सस्ते कच्चे रेशम की डंपिंग थी। चीन का आयातित रेशम काफी कम मूल्य पर बेचा जाता था। इससे भारतीय रेशम उद्योग काफी प्रभावित हुआ। 2001-02 के दौरान कच्चे रेशम का आयात पिछले वर्ष के दौरान 3800 मी.टन के हुए आयात से बढ़कर लगभग 6000 मी.टन हो गया। मात्रा में आयात में यह उछाल लगभग 65% था जबकि मूल्य उसी अवधि के दौरान 24 अमरीकी डालर से घटकर 13.00 अमरीकी डालर प्रति कि.ग्रा. हो गया। वर्ष 2001-02 के दौरान भारतीय कोया और कच्चे रेशम का मूल्य 150 रुपए और 1500 रुपए प्रति कि.ग्रा. से टूट कर 70/90 रुपए और 800/900 रुपए प्रति कि.ग्रा. तक आ गया।

(ग) चीन द्वारा सस्ते रेशम की डंपिंग के विरुद्ध सरकार द्वारा उठाए गए कदम-

केंद्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रीलर संघों और उपर्युक्त राज्यों के राज्य सरकारों के साथ भारत में चीन के कच्चे रेशम की डंपिंग के विरुद्ध 8 जुलाई, 2002 को एंटी-डंपिंग और अलाइड ड्यूटीज महानिदेशक (डी.जी.ए.डी.), वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास एक मामला दायर किया है। जांच और अंतिम निष्कर्ष के बाद डी.जी.ए.डी. ने 4 जुलाई 2003 को एक आदेश जारी किया जिसमें चीन लोक गणराज्य से आयात किए गए कच्चे रेशम पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया था। इस प्रकार से लगाया गया एंटी-डंपिंग शुल्क जनवरी 2008 तक लागू था। निर्णायक समीक्षा आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा लगाए गए शुल्क के जारी रहने के लिए इसकी समाप्ति के 6 माह पूर्व दायर की जा सकती है। नामित प्राधिकारी (डी.जी.ए.डी.) एंटी-डंपिंग शुल्क के सतत आरोपण की आवश्यकता की समीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार की निर्णायक समीक्षा इच्छुक पक्ष/घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध के आधार पर की जाती है।

तदनुसार, सी.एस.बी. ने विभिन्न रेशम रीलर संघों और राज्य सरकारों के साथ अगस्त 2007 के दौरान पुनर्विचार याचिका दायर की जिसमें कच्चे रेशम पर एंटी-डंपिंग शुल्क को जारी रखने के लिए सभी अपेक्षित दस्तावेज/प्रमाणों को प्रस्तुत किया गया है। डी.जी.ए.डी. ने 14 दिसंबर 2007 को एक प्रारंभिक सूचना जारी कर निर्णायक समीक्षा के लिए घरेलू उद्योग के अनुरोध पर विचार किया। उपर्युक्त राजपत्र अधिसूचना के जारी होने के बाद, सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने दिनांक 1 जनवरी, 2008 की अपनी अधिसूचना संख्या 01/2008-सीमा शुल्क द्वारा 2ए श्रेणी और उससे निम्न कोटि के चीन के कच्चे रेशम पर एंटी-डंपिंग शुल्क बढ़ाया है और लगाया गया शुल्क अंतिम निष्कर्ष के लंबित रहने तक लागू रहेगा जिसमें 1 जनवरी 2009 शामिल है।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क

3790. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एण्ड सर्विसेज कंपनीज ने भारत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों में इकाइयों के लाभ के विस्तार की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक इस संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) आयकर

अधिनियम की धारा 10क के अन्तर्गत कर के लाभ की अवधि को 31-3-2009 तक बढ़ाने के संबंध में नैसकॉम के अनुरोध पर सरकार द्वारा बजट तैयार करते समय विचार किया गया था लेकिन इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया।

नैसकॉम ने बाद में कर लाभ की अवधि को आगे बढ़ाने के अपने अनुरोध को दोहराया है। चूंकि मामले की जांच की जा रही है, अत: अभी यह कहना संभव नहीं है कि वस्तुत: किस समय तक निर्णय लिया जाएगा।

टेलीफोन कनेक्शन लेने में कठिनाइयां

3791. श्री सुभाष महरिया: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेष रूप से राजस्थान में लोग ग्रामीण जिलों में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने तथा पंचायत स्तर पर पी.सी.ओ. कनेक्शन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या नए कनेक्शन जारी करते समय गुणवत्ता वाले टेलीफोन उपकरण प्रदान करने में अनियमितताएं बरती जा रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन (पी.सी.ओ. कनेक्शन सहित) प्रदान करने में कुछ कठिनाइयां आती हैं। संभवत: प्रश्न में उल्लिखित "पंचायत स्तर पर पी.सी.ओ. कनेक्शन" का संबंध ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (पी.पी.टी.) से है। गांवों में वी.पी.टी. सुविधा प्रदान करने का कार्य सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.), दूरसंचार विभाग के निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है। तदनुसार यू.एस.ओ.एफ. द्वारा नवंबर, 2004 में बी.एस.एन.एल. को 66,822 अविवादित और बिना गड़बड़ वाले गांवों में, जिनकी जनसंख्या 1991 की जनगणना के अनुसार 100 से अधिक थी, वी.पी.टी. प्रदान करने का कार्य सौंपा गया। इनमें से 29-02-2008 तक 53,073 गांवों में वी.पी.टी. सुविधा पहले ही प्रदान कर दी गई है। शेष गांवों में करार की शर्तों के अनुसार उत्तरोत्तर रूप से वी.पी.टी. सुविधा प्रदान की जानी है। राजस्थान राज्य में यू.एस.ओ.एफ. द्वारा 12,386 गांवों में वी.पी.टी. प्रदान करने का कार्य सौंपा गया था जिनमें से 29-02-2008 तक 11,083 गांवों में वी.पी.टी. सुविधा उपलब्ध करा दी गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने में सामान्यत: निम्नलिखित कठिनाइयां सामने आती हैं:

(i) कुछ मामलों में विशेषकर दूर-दराज के, पर्वतीय और विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में केबल पेयर की अनुपलब्धता।

(ii) किसी विशेष क्षेत्र में डब्ल्यू.एल.एल. सिग्नलों की अनुपलब्धता।

(iii) कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक न होना।

(iv) मुख्य रूप से राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क चौड़ी करने के दौरान खुदाई से प्राइमरी केबल को हुई क्षति जिससे नए कनेक्शन प्रदान करने में बाधा उत्पन्न हुई।

ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्शन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं:

(i) क्षेत्र को व्यवहार्य बनाने के लिए भूमिगत केबल बिछाए जाते हैं।

(ii) पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भूमिगत केबल बिछाना संभव नहीं है, ओवर हेड लाइनें बिछाई जाती हैं।

(iii) क्षेत्र को डब्ल्यू.एल.एल. के संबंध में व्यवहार्य बनाने के लिए बी.टी.एस. संस्थापित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) नए टेलीफोन कनेक्शनों और वी.पी.टी. के मामले में भी टेलीफोन सेट बी.एस.एन.एल. के गुणवत्ता और आश्वासन स्कंध द्वारा जांच के बाद ही प्रदान किए जा रहे हैं। तथापि, पी.सी.ओ. कनेक्शनों के मामले में बी.एस.एन.एल. द्वारा पी.सी.ओ. मशीनें प्रदान नहीं की जा रही हैं।

(ङ) और (च) उपर्युक्त को देखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत पिछड़े राज्यों के मानदंड में छूट

3792. श्री राकेश सिंह: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछड़े राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के मानदंडों में संशोधन पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किए जाने की संभावना है कि निर्धारित किए गए मानदंडों के संदर्भ में पर्वतीय राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश से भेदभाव नहीं किया जाये?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) वर्तमान में, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के दिशानिर्देशों को संशोधित करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत सहायता के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों का ए.आई.बी.पी. के अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार कड़ाई से प्रक्रमण किया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय प्राधिकरण

3793. श्री एल. राजगोपाल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय प्राधिकरण नामक एक सस्ता, कम खर्चीली तथा तुरंत उपभोक्ता न्याय प्रदान प्रणाली सृजित करने वाले प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा प्रस्तावित प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने का एक प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है। उसको उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

कृषि में प्रचार तथा विस्तार कार्य

3794. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं योजना अवधि में कृषि मंत्रालय के प्रचार तथा विस्तार कार्य के लिए आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर पूर्व क्षेत्र में वर्ष-वार कितनी धनराशि उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इलैक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया के लिए कितनी धनराशि का उपयोग करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए कृषि मंत्रालय में प्रचार और विस्तार कार्य के संबंध में निधियों के आवंटन का अभी निर्णय लिया जाना है। तथापि, वर्ष 2007-08 और 2008-09 के दौरान प्रचार और विस्तार कार्य के लिए अब तक निर्णय लिए गए स्कीमवार आवंटन नीचे दिए हैं-

स्कीम	आवंटन (करोड़ रुपये में)	
	2007-08	2008-09
1	2	3
विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता	230.00	298.00
कृषि विस्तार को मास मीडिया सहायता	84.00	87.00

1	2	3
कृषि क्लीनिकों और कृषि व्यवसाय केन्द्रों की स्थापना	22.00	10.00
केन्द्रीय संस्थानों को विस्तार सहायता	8.75	7.23
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.)	25.98	50.00
राष्ट्रीय बांस मिशन	0.21	–
आई.सी.ए.आर. की प्रचार एवं सार्वजनिक संबंध स्कीम	1.5	0.85

(ख) कुल आबंटन का दस प्रतिशत हिस्सा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। तथापि, बांस मिशन के अधीन दर्शाया गया आबंटन केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित है।

(ग) 'कृषि विस्तार को मास मीडिया सहायता' स्कीम के अधीन आबंटनों का उपयोग आकाशवाणी के विभिन्न एफ.एम. केन्द्रों और दूरदर्शन के राष्ट्रीय/क्षेत्रीय केन्द्रों एवं नैरो कास्टिंग केन्द्रों पर कृषि कार्यक्रमों के प्रसारण और इन्हें तैयार करने के लिए किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) की प्रचार एवं सार्वजनिक संबंध स्कीम के अधीन आबंटनों की पचास प्रतिशत राशि को इलेक्ट्रौनिक तथा प्रिंट मीडिया के लिए उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है। 'विस्तार सुधारों के लिए राज्य विस्तार कार्यक्रमों को सहायता' नामक स्कीम में भी सूचना प्रसार की प्रिंट और मीडिया प्रणाली के लिए क्रमशः प्रति ब्लॉक 0.40 लाख रुपये और प्रति जिला 1.00 लाख रुपये के निर्धारित आबंटनों का प्रावधान है। एन.एफ.एस.एम. के अधीन प्रचार एवं विस्तार हेतु निर्धारित निधियों का उपयोग इलेक्ट्रौनिक और प्रिंट मीडिया दोनों के लिए किया जाना प्रस्तावित है।

[हिन्दी]

प्री-पेड सिम कार्डों के लिए आवेदन-पत्र

3795. डा. धीरेंद्र अग्रवाल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषरूप से झारखंड में वर्तमान में राज्य-वार तथा स्थान-वार भारत संचार निगम लिमिटेड के प्री-पेड सिम कार्डों की खरीद के लिए कितने आवेदन पत्र लंबित हैं;

(ख) आवेदकों को कब तक सिम कार्ड उपलब्ध कराए जाने की संभावना है;

(ग) उन्हें अब तक सिम कार्ड जारी नहीं करने के क्या कारण हैं; और

(घ) मांग पर सिम कार्ड उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) देश में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के प्री-पेड सिम कार्डों की खरीद के लिए कोई आवेदन लंबित नहीं है। प्री-पेड सिम कार्ड झारखंड सहित बी.एस.एन.एल. के सभी सर्किलों में मांग पर उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दूरस्थ क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं

3796. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरस्थ क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. ने डाक विभाग के साथ कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) अंडमान और निकोबार, हरियाणा तथा पंजाब दूरसंचार सर्किलों को छोड़कर, समस्त देश में प्रायोगिक आधार पर ग्रामीण संचार सेवक स्कीम (जी.एस.एस.) आरंभ करने के लिए दिनांक 3

दिसंबर, 2002 को बी.एस.एन.एल. और डाक विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस स्कीम के अंतर्गत दूरस्थ गांवों को ग्रामीण संचार सेवाओं द्वारा सुविधा प्रदान की जाती थी, जो अपनी नियमित गश्त में एक बैग में प्रदर्शन यूनिट के साथ फिक्सड बेतार टर्मिनल (एफ.डब्ल्यू.टी.) लेकर प्रत्येक घर में जाते थे, और ग्रामीण जनसंख्या को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराते थे। इस समय समस्त देश में 11,887 गांवों को 2,686 ग्रामीण संचार सेवाओं द्वारा टेलीफोन सुविधा प्रदान की जा रही है।

एम.टी.एन.एल. ने दूरदराज के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डाक विभाग के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तथापि, एम.टी.एन.एल. के दिल्ली एकक और डाक विभाग, ने टेलीफोन बिलों के वितरण के करार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और एम.टी.एन.एल. मुंबई एकक, डाक विभाग की बिल मेल सेवा का इस्तेमाल कर रहा है। डाक विभाग ने, मुंबई में एम.टी.एन.एल. टेलीफोन बिल के लिए बिल मेल सेवा की अनुमति एक माह की अवधि (अप्रैल, 2008) के लिए दी है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में मृदा परीक्षण केन्द्र स्थापित करना

3797. श्री तथागत सत्पथी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में मृदा धीरे-धीरे अपनी गुणवत्ता खो रही है जिसके परिणामस्वरूप चावल तथा अन्य खाद्यान्नों के उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य में एक मृदा परीक्षण केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां। राज्य सरकार ने अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा अम्लीयता की समस्या की सूचना दी है जो धान के उत्पादन में अधिक बाधा नहीं पहुंचाती है किन्तु दलहनों और तिलहनों के उत्पादन को प्रभावित करती है।

(ख) केन्द्र सरकार आर्गेनिक खादों और जैव-उर्वरकों के मिश्रण से गौण पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के संतुलित तथा विवेकपूर्ण उपयोग की वकालत करके समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (आई.एन.एम.) को बढ़ावा दे रही है। सरकार मृदा उर्वरता में सुधार करने के लिए उर्वरकों के संतुलित उपयोग पर प्रशिक्षण एवं फील्ड प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को शिक्षित भी कर रही है। राज्य सरकार अपनी ओर से मृदा सुधार के लिए जिप्सम जो कि कैल्सियम, सल्फर व अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर एक मृदा कण्डीशनर है, के उपयोग तथा पेपर मिल स्लज को बढ़ावा दे रही है।

(ग) और (घ) वर्तमान में उड़ीसा में 11 मृदा जांच प्रयोगशालाएं हैं। राज्य सरकार का चार मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

ऋण माफ करना

3798. श्री एम. अंजन कुमार यादव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश के किसानों पर कुल कितना ऋण बकाया है;

(ख) क्या ऐसे किसानों के ऋण माफ करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जैसा कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा सूचित किया गया है, पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के किसानों पर बकाया ऋण की कुल राशि इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

उद्देश्य	वर्ष 2004-05 31.3.05 को	वर्ष 2005-06 31.3.06 को	वर्ष 2006-07 31.3.07 को	वर्ष 2007-08 31.9.07 को
फसल ऋण	12655.00	14758.00	16852.00	18295.00
कृषि आवधिक ऋण	9030.00	10690.00	15010.00	19460.00
कुल	21685	25448.00	31862.00	37755.00

(ख) जी, हां।

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 के संघीय बजट में किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत की एक स्कीम की घोषणा की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी ऋण संस्थानों द्वारा किसानों को 31 मार्च, 2007 तक संवितरित किए गए और 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय सभी कृषि ऋणों को शामिल किया जाएगा। सीमांत किसानों (अर्थात 1 हैक्टेयर तक की जोत वाले) और छोटे किसानों (1-2 हैक्टेयर) के लिए सभी ऋणों जो 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय थे तथा 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे, को पूर्ण रूप से माफ किया जायेगा। अन्य किसानों के संबंध में सभी ऋणों जो 31 दिसम्बर, 2007 को अतिदेय थे तथा 29 फरवरी, 2008 तक अदत्त रहे, के लिए एक बारगी निपटान (ओ.टी.एस.) स्कीम होगी। ओ.टी.एस. के अंतर्गत, शेष 75 प्रतिशत का भुगतान किए जाने पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

खाद्यान्नों की मांग

3799. श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषत: महाराष्ट्र और पंजाब में खाद्यान्नों की मांग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) देश में खाद्यान्नों की मांग 2007-08 के लिए 214.03 मिलियन टन अनुमानित है तथा 11वीं योजना के अंत अर्थात 2011-12 तक मांग 234.26 मिलियन टन अनुमानित है। राज्यवार विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) सरकार ने कुल 4882.48 करोड़ रुपए के परिव्यय के योजना साथ क्षेत्र विस्तार, उत्पादकता बढ़ाने, भूमि की पैदावार क्षमता को पुर्नजीवित करने के लिए, रोजगार अवसर सृजित करने तथा लक्षित जिलों के किसानों के आत्मविश्वास को पुर्नस्थापित करने हेतु कृषि स्तरीय अर्थव्यवस्था बढ़ाने के माध्यम से 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में चावल का उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूं का 8 मिलियन टन तथा दालों का 2 मिलियन टन बढ़ाने हेतु रबी 2007-08 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया है।

सरकार ने किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने तथा इन फसलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु कृषि वर्ष 2007-08 के लिए चावल, गेहूं तथा दालों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया है।

[अनुवाद]

असम में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता

3800. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के विभिन्न भाग जो गत वर्ष विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित हुए थे, इस वर्ष सूखे अथवा असामान्य अल्प वर्षा की स्थिति का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मछली पकड़ने वाले किसानों सहित किसानों को सहायता देने के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग हेतु असम राज्य सरकार

द्वारा क्या प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है और कितनी राशि मांगी गयी है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जैसा कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) ने सूचित किया है, दक्षिण-पश्चिम मानसून, 2007 (1-6-2007 से 30-9-2007 तक) के दौरान असम में 1434.1 मि.मी. की सामान्य औसत वर्षा की तुलना में 1494.1 मि.मी. वर्षा हुई। आई.एम.डी. की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 2007 के दौरान राज्य में किसी मेटरोलाजिकल जिले में कम वर्षा नहीं हुई।

वर्ष 2007-08 के दौरान, असम सरकार ने राज्य के किसी हिस्से में न तो किसी सूखे/न ही सूखे जैसी स्थिति की सूचना दी और न ही सूखा राहत के लिए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता हेतु कोई ज्ञापन प्रस्तुत किया।

मोबाइल और फिक्स्ड लाइन कालों का डाटाबेस

3801. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में मोबाइल और फिक्स्ड लाइन कालों का विशाल डाटाबेस तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं को नया डाटाबेस कब तक उपलब्ध कराया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) सरकार का संचार सुरक्षा अनुसंधान और निगरानी के लिए एक केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है और इस केंद्र में अपने उपयोग के लिए चुनिंदा कॉल डाटा रिकार्ड (सी.डी.आर.) की एक प्रति रखने का विचार है। लाइसेंस शर्तों के अनुसार संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा पूरे सी.डी.आर. पहले ही एक वर्ष की अवधि के लिए अनुरक्षित किए जाते हैं।

(ख) यह केंद्र कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अपेक्षित ग्राहकों/प्रयोक्ताओं और उनके सामाजिक नेटवर्किंग संबंधी क्रियाकलापों के अंतरावरोधन, निगरानी और विश्लेषण हेतु प्रति-सक्रिय ऑनलाइन और सी.डी.आर. जैसी सूचनाओं के बाद में विश्लेषण के माध्यम से अनिवार्य रूप से अभिगम प्रदान करेगा।

(ग) इस डाटाबेस को उपभोक्ता को उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

आंध्र प्रदेश में बेस डिपो

3802. श्री ए. साईं प्रताप: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए भारतीय खाद्य निगम के बेस डिपो की वर्तमान संख्या पर्याप्त है; और

(ख) यदि नहीं, तो नए बेस डिपो की स्थापना के लिए पहचाने गए स्थान कौन-कौन से हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। फिलहाल आंध्र प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के 138 बेस डिपु प्रचालन में हैं जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए पर्याप्त हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मनीआर्डर सेवा में विलम्ब

3803. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार और पूर्वी क्षेत्रों में शाखा डाकघरों द्वारा मनीआर्डर की सुपुर्दगी में महीनों लगते हैं जिसके परिणामत: गत तीन वर्षों के दौरान मनीआर्डर की संख्या में कमी आयी है क्योंकि लोग अपने पैसों को मनीआर्डर से भेजना नहीं चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) इस क्षेत्र में मनीआर्डर की अदायगी में कुछ विलंब अपर्याप्त परिवहन सुविधा के कारण हुआ है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में मनीआर्डर के पारेषण पर असर पड़ा है। इस क्षेत्र के अधिकांश इलाके अधिक राशि की अदायगी के होने के कारण कभी-कभार भुगतान ग्रामीण डाकघरों की अनुमेय नकद सीमा को पार कर जाता है। कभी-कभी अधिक राशि की अदायगी मौसमी होती है और यह अन्य समय में माह की उस अवधि के दौरान हो जाती है जब मजदूर आदि अपनी मजदूरी प्राप्त करते हैं, जिसके कारण भुगतान में विलंब हो जाता है। मनी आर्डर परियात में कमी ग्राहकों के पास धन भेजने के वैकल्पिक माध्यमों के कारण भी होती है।

(ग) मनीआर्डर के भुगतान को सुगम बनाने के लिए विभाग ने अनुदेश जारी किए हैं जैसे पोस्टमैन द्वारा निपटान किए जा रहे नकद की सीमा में वृद्धि के साथ सभी स्तरों पर मनीआर्डर के भुगतान में विलंब की लगातार निगरानी करना इससे शिकायत एवं परियात का अनुपात जो 2004-05 में 0.42% था वह 2006-07 में घटकर 0.21% रह गया है।

[अनुवाद]

बाल श्रम उन्मूलन

3804. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बाल श्रम के उन्मूलन हेतु सरकार को विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इन वित्तीय सहायताओं के कितने सहायक होने की संभावना है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) सरकार का बाल श्रम के उन्मूलन हेतु कोई तारीख निर्धारित करने अथवा समयबद्ध कार्यक्रम का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह समस्या गरीबी जैसी अन्य समस्याओं से अभिजनित है और इसके पूरी तरह उन्मूलन के लिए कोई निश्चित समय-सीमा का निर्धारण संभव नहीं है। तथापि, सरकार देश में 20 राज्यों के 250 जिलों में बाल श्रम उन्मूलन के लिए पहले से ही राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्कीम चला रही है। इस स्कीम के अंतर्गत, पहचान किए गए जोखिमकारी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में कार्यरत बच्चों को कार्य से मुक्त कराया जाता है तथा उन्हें विशेष स्कूलों में दाखिल कराया जाता है जहां उन्हें नियमित शिक्षा पद्धति की मुख्य धारा में शामिल किए जाने से पूर्व त्वरित शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषण, वजीफा तथा स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने आई.पी.ई.सी. (बाल श्रम उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम) के माध्यम से देश में बाल श्रम के उन्मूलन के प्रयासों में सहयोग दिया है। तथापि, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वित्तीय सहयोग के रूप में अंशदान भारत सरकार के आबंटन के परिप्रेक्ष्य में बहुत अधिक नहीं है। इसी प्रकार, बाल श्रम के उन्मूलन के विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए यूनीसेफ का अंशदान भी बहुत कम है। जबकि इस प्रकार की वित्तीय सहायताएं मददगार सिद्ध होती रही हैं, फिर भी भारत सरकार का निधियन ही देश में बाल श्रम की समस्या से लड़ने हेतु प्रमुख स्रोत है।

पशुधन उत्पादकता

3805. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दुग्ध, मांस, ऊन और अंडों के संदर्भ में भारत की पशुधन उत्पादकता विश्व में न्यूनतम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और पशुधन की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) दूध, अंडा, मीट ऊन के संदर्भ में पशुधन उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं। इनमें अन्य उपायों के साथ-साथ निम्न कार्यक्रम भी शामिल हैं (1) सघन डेयरी विकास कार्यक्रम, (2) बेहतर उत्पादकता के साथ स्टॉक को बनाए रखने और इसका प्रसार करने के

लिए केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन, (3) राज्य कुक्कुट/बत्तख फार्मों को सहायता, (4) राष्ट्रीय गोपशु तथा मैंस प्रजनन परियोजना, (5) एकीकृत ऊन सुधार तथा विकास कार्यक्रम, (6) ऊन तथा ऊन उत्पादों का गुणवत्ता प्रसंस्करण, (7) राष्ट्रीय पशुधन रोग नियंत्रण कार्यक्रम, (8) सूअर विकास तथा (9) आहार तथा चारा परियोजना।

ब्राऊन राइस का उत्पादन

3806. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान व्हाइट राइस की तुलना में उत्पादित ब्राऊन राइस का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ब्राऊन राइस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) चावल के किस्मवार उत्पादन अनुमान नहीं रखे जाते। तथापि, देश में कुल चावल का उत्पादन 2004-05 के दौरान 83.13 मिलियन टन, 2005-06 के दौरान 91.79 मिलियन टन तथा 2006-07 के दौरान 93.35 मिलियन टन था।

सरकार ने 11वीं योजना के अंत तक अर्थात 2011-2012 तक देश में, अन्य विषयों के साथ, चावल का उत्पादन (जिसमें ब्राउन चावल शामिल है) 10 मिलियन टन बढ़ाने हेतु रबी 2007-08 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारम्भ किया है।

डाक विभाग का पुनर्गठन

3807. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का डाक विभाग का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) हालांकि डाक विभाग का पुनर्गठन करने का अभी कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है फिर भी 'भविष्य में डाक सेवाओं के प्रतिस्थापन' पर एक अध्ययन शुरू किया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ढांचागत परिवर्तन संबंधी पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा।

हथकरघा उद्योग/बुनकरों को सुविधाएं/रियायतें

3808. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषत: आंध्र प्रदेश में हथकरघा उद्योग और बुनकरों को दी जा रही सुविधाओं और रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त सुविधाओं और रियायतों का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.बी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वर्तमान में, भारत सरकार हथकरघा उद्योग के विकास तथा आंध्र प्रदेश सहित देश के हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए समन्वित हथकरघा विकास योजना, विपणन और निर्यात संवर्धन योजना, मिल गेट कीमत योजना, हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना तथा विविधीकृत हथकरघा विकास योजना कार्यान्वित कर रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सशस्त्र बलों में अधिकारियों की कमी

3809. श्री अवतार सिंह भडाना: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंग्रेजी और गणित की कम जानकारी के कारण सशस्त्र बलों में कैरियर के इच्छुक बड़ी संख्या में अभ्यर्थी भर्ती प्रतियोगिता में विफल हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सशस्त्र बलों में शामिल करने के लिए ऐसे अभ्यर्थियो को भर्ती हेतु विशेष अभियान चलाने का है जो अन्यथा पात्र हैं किंतु अंग्रेजी अथवा गणित में कमजोर हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए और कौन से कदम उठाए जाने के लिए प्रस्तावित हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) उन अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है जिन्हें अंग्रेजी या गणित का ज्ञान नहीं है क्योंकि भर्ती प्रक्रिया में कमी इन कारकों के कारण से नहीं हो सकती। सशस्त्र सेनाओं में अफसरों के चयन के लिए अंग्रेजी और गणित का ज्ञान एकमात्र मानदंड नहीं है। दूसरी ओर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षा के लिखित भाग के माध्यम से अच्छी संख्या में अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते हैं, अनेक सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार की अवस्था में ग्रेड बनाने में विफल हो जाते हैं जोकि अफसरों के चयन के लिए अनिवार्य है क्योंकि वे अपेक्षित चयन और चिकित्सा मापदंड पूरे करने में सक्षम नहीं होते हैं।

रक्षा सेनाओं में अफसरों की भर्ती में कमी अधिकांशतया सामाजिक-आर्थिक परिवेश में बदलाव और इसके परिणामस्वरूप कैरियर वरीयताओं में बदलाव, अन्य क्षेत्रों में बेहतर रोजगार अवसरों, रक्षा सेनाओं के लिए अपेक्षित सेवा-शर्तों के कारण हैं।

अफसरों की कमियों की समस्या का समाधान करने के लिए सशस्त्र सेनाओं ने चुनौतीपूर्ण और संतोषप्रद कैरियर अपनाने के लाभों के संबंध में युवाओं के बीच जागरुकता पैदा करने के लिए सतत छवि प्रदर्शन और प्रचार अभियान चलाए हैं। अधिक संख्या में अभ्यर्थियों को आकृष्ट करने के लिए अभ्यर्थी-अनुकूल भर्ती प्रक्रियाओं और संभावित अभ्यर्थियों को आकृष्ट करने के लिए विभिन्न संस्थाओं में सघन प्रचार अभियान की शुरुआत की है। जागरुकता अभियान, कैरियर मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना, प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देना, स्कूलों, कॉलेजों और एन.सी.सी. शिविरों में सलाह देना तथा प्रेरणादायक वार्ताएं करना भी इस दिशा में किए जाने वाले कुछ अन्य उपाय हैं। इसके अलावा, सशस्त्र सेनाओं के समर्पण भाव के कार्यों और उनकी बहादुरी को इलेक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार प्रदर्शित किया जाता है।

रक्षा सेनाओं में भर्ती के लिए अधिक प्रतिभाशाली युवाओं को आकृष्ट करने के लिए तीनों सेनाओं ने बहुत से कदम उठाए हैं। अल्पकालिक सेवा कमीशन के अफसरों सहित सभी अफसरों को क्रमशः 2, 6 और 13 वर्ष की संगणनीय सेवा के बाद कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल का मूल रैंक धारण करने के लिए पात्र बनाया गया है। उपर्युक्त के अलावा, लेफ्टिनेंट कर्नल के 750 पदों का दर्जा बढ़ा कर उन्हें कर्नल रैंक का कर दिया गया है। अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों का कार्यकाल भी 10 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया है।

खाद्यान्न भंडारण में निजी भागीदारी

3810. श्री पी.सी. थामस: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्यान्नों के भंडारण में निजी पक्षों को भागीदारी करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्यान्नों के भंडारण के लिए निजी पक्षों द्वारा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को किराए पर लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त कदम से देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति संकटापन्न हो गयी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार को राज्य सरकारों से सरकार द्वारा खाद्यान्नों के भंडारण और प्रबंधन की पुरानी प्रणाली को पुनर्जीवित करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित बनाओ और चलाओ आधार पर खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई सुविधाओं का विकास और प्रचालन करने की राष्ट्रीय नीति के अधीन मै. अदानी एग्री लॉजिस्टिक्स लि. द्वारा निम्नानुसार 5.5 लाख टन क्षमता का सृजन किया जा रहा है।

(आंकड़े लाख टन में)

सर्किट-1	
बेस डिपु - मेगा (पंजाब)	2.00
फिल्ड डिपु	
(i) चेन्नई (तमिलनाडु)	0.25
(ii) कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	0.25
(iii) बंगलौर (कर्नाटक)	0.25
सर्किट-2	
बेस डिपु - कैथल (हरियाणा)	2.00
फिल्ड डिपु	
(i) नवी मुम्बई (महाराष्ट्र)	0.50
(ii) हुगली (पश्चिम बंगाल)	0.25

मोगा और कैथल स्थित दोनों बेस डिपु मई, 2007 से प्रचालन में हैं।

भारतीय खाद्य निगम प्राइवेट पार्टियों को अपने गोदामों में खाद्यान्नों का भंडारण करने की अनुमति नहीं देता है। तथापि, जब कभी आवश्यक होता है तब भारतीय खाद्य निगम अपना स्टाक रखने के लिए प्राइवेट गोदाम किराए पर लेता है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम ने अपनी क्षमता की पूर्ण जांच के बाद सरकारी एजेंसियों/प्राइवेट पार्टियों को अधिशेष भंडारण स्थान किराए पर दिया है। अधिशेष क्षमता को किराए पर देकर अर्जित वर्षवार आय निम्नानुसार है:-

2005-06	6.34 करोड़ रुपए
2006-07	15.15 करोड़ रुपए
2007-08 (फरवरी, 2008 तक)	11.02 करोड़ रुपए (अनन्तिम)

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्पेक्ट्रम से संबद्ध मुद्दे संबंधी समिति

3811. श्री रशीद मसूद: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में स्पेक्ट्रम के मुद्दे के संबंध में कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में दूरसंचार क्षेत्र में नई कंपनियों ने जी.एस.एम. सेवाएं आरंभ करने के लिए आवेदन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने देश में उक्त सेवाओं हेतु आवेदन किया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यू.ए.एस.एल.) के संबंधित उपबंधों के अनुसार मोबाइल दूरसंचार सेवाओं को आरंभिक स्पैक्ट्रम का आवंटन, स्पैक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन किया जाता है। सेवा में वृद्धि तथा बढ़ते उपभोक्ता आधार को देखते हुए, अतिरिक्त स्पैक्ट्रम का आवंटन, पात्रता मापदंड जो सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या, प्रचालकों के नेटवर्क के व्यस्त परियात, सेवा क्षेत्र की जनसांख्यिकीय विशेषताओं पर निर्भर करता है, के अनुसार, उपलब्धता के अध्यधीन किया जाता है। संबंधित तथ्यों और प्रौद्योगिकीय विकासों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इन मापदंडों की समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) हाल ही में, 25-09-2007 तक आवेदन करने वाले 17 प्रचालकों को यू.ए.एस. लाइसेंस की मंजूरी के लिए सरकार ने 126 आशय-पत्र जारी किए हैं जिसमें से 120 यू.ए.एस. लाइसेंस 16 प्रचालकों को प्रदान किए हैं। इनमें से 14 प्रचालकों ने अपने सेवा लाइसेंस करारों के उपबंधों के अनुसार आरंभिक जी.एस.एम. स्पैक्ट्रम के लिए आवेदन किया है।

[अनुवाद]

टी.डी.आई.एल. कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुवाद सहायता प्रणाली

3812. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कोंकणी जैसी भाषा के लिए भारतीय भाषाओं हेतु प्रौद्योगिकी विकास (टी.डी.आई.एल.) के अन्तर्गत अनुवाद सहायता प्रणाली के बारे में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) टी.डी.आई.एल. कार्यक्रम के अन्तर्गत मशीन ट्रांसलेशन यूनिवर्सल नेटवर्किंग लैंग्वेज एंड-वर्डनेट के बारे में चालू परियोजनाओं के संबंध में गोवा विश्वविद्यालय द्वारा कितने प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ग) कोकणी में इस परियोजना में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) मशीनी अनुवाद प्रणाली के विकास का पहला चरण उस भाषा में पाठ कॉर्पोरा का विकास करना है। कोंकणी कॉर्पोरा का विकास भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था। गोवा विश्वविद्यालय में कार्यान्वित की गई सार्वत्रिक अंकीय लाइब्रेरी परियोजना के अंतर्गत दुर्लभ पुस्तकों के 4.35 लाख पृष्ठों का अंकीयकरण किया गया है।

(ख) से (घ) मशीनी अनुवाद एक बहुत जटिल प्रौद्योगिकी है। अंग्रेजी-हिन्दी तथा कुछ अन्य भाषा युग्मों के लिए प्रायोगिक संस्करण का विकास किया जा रहा है। इन प्रणालियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन हो जाने पर अन्य भाषा युग्मों के लिए मशीनी अनुवाद प्रणाली का विकास शुरू करने का प्रस्ताव है। सार्वजनिक नेटवर्कित भाषा (यू.एन.एल.) का विकास, प्रबंध यू.एन.डी.एल. फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, जो उन्नत अध्ययन के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय/संस्थान पर निर्भर एक अंतर्राष्ट्रीय अलाभकारी संगठन है।

प्राथमिक स्तर का कार्य आई.आई.टी., मुम्बई में कार्यान्वित की गई "भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी समाधान संसाधन केन्द्र" परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित पर किया गया:

- कोकणी रूप विज्ञान विश्लेषण के लिए नियमावली
- रूप विज्ञान विश्लेषक के आधारभूत सिद्धांत तैयार करना
- अंग्रेजी-कोंकणी शब्दकोश निर्माण
- मराठी वर्डनेट से शुरू होने वाला कोंकणी वर्डनेट

गोवा विश्वविद्यालय के छात्रों के एक दल ने वर्डनेट के सृजन और सार्वजनिक नेटवर्किंग भाषा दृष्टिकोण पर आधारित संभावित मशीनी अनुवाद को समझने के लिए आई.आई.टी., मुम्बई का दौरा किया।

इन्टरनेट एक्सचेंज की स्थापना

3813. श्री हरिन पाठक:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
डा. वल्लभभाई कथीरिया:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश में विशेषकर गुजरात में इन्टरनेट एक्सचेंज स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने वर्ष 2003 में इन्टरनेट एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) इंटरनेट एक्सचेंज संस्थापित करने के लिए गुजरात, पंजाब और राजस्थान राज्यों से सरकार को पत्र प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में इंटरनेट एक्सचेंज दिल्ली (नोएडा), मुंबई, चेन्नै, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु में कार्य कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, हां।

(ङ) अहमदाबाद में इंटरनेट एक्सचेंज की संस्थापना के लिए गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन (जी.एन.एफ.सी.), इन्फो टॉवर के स्थान का निर्धारण किया गया है। उपस्करों को स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

भारतीय किसानों के बारे में
डब्ल्यू.टी.ओ. समझौता

3814. श्री रामचन्द्र पासवान: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय किसान विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी.ओ.) समझौता के बाद आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते के बाद से भारतीय किसान अपने उत्पादों के बदले में लाभकारी मूल्य भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) नौवीं और दसवीं योजना अवधियों के दौरान कृषि जी.डी.पी. की वृद्धि दर लक्षित स्तर से कम थी। वर्ष 1994-95 से एक वर्ष में सप्ताहों के औसत के आधार पर बड़ी संख्या में कृषि जिन्सों के थोक मूल्यों में कुल मिलाकर वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। मुख्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में हाल ही में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी है।

(ग) और (घ) डब्ल्यू.टी.ओ. करार के पश्चात भारत सरकार ने किसानों हेतु लाभकारी मूल्यों के विशेष मुद्दे पर कोई सर्वेक्षण नहीं कराया है। अध्ययन के लिए वर्ष 1999 में आई.आई.एम., अहमदाबाद द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी देखा गया कि अब तक भारतीय कृषि को हुए कार्योत्तर लाभ काफी कम दिखाई पड़ते हैं क्योंकि विकसित देशों ने अपनी सुधार प्रतिबद्धताओं को न्यूनतम करने के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. करारों में बच निकलने के विभिन्न तरीकों का उपयोग किया है और भारत के कृषि क्षेत्र कल्याण में सुधार लाने के लिए गैर-मूल्य घटकों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

[हिन्दी]

मोबाइल संचालकों द्वारा
शून्य किराया योजना

3815. श्री रामदास आठवले: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए मोबाइल संचालकों द्वारा प्रचारित शून्य किराया अर्थात बिना कोई मासिक किराया जैसे विज्ञापनों की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "शून्य किराया योजना" नाम के अन्तर्गत ऐसे विज्ञापनों को रोकने तथा मोबाइल सचालकों को एक शीर्ष के अन्तर्गत अन्य मासिक किराए सहित मासिक, निर्धारित अथवा क्लब सदस्यता शुल्क के बारे में पूरी जानकारी देने के अनुदेश देने हेतु कोई कदम उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) शून्य किराया जैसी प्रशुल्क योजनाओं की पेशकश करने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते कि ऐसी योजनाओं में कोई निश्चित मासिक प्रभार लागू न हो। ग्राहक के हित की रक्षा और सेवा प्रदान करने में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 16 सितंबर, 2005 को दूरसंचार प्रचालकों को निम्न निर्देश जारी किए हैं:

(i) कोई भी प्रशुल्क योजना इस प्रकार से प्रस्तुत, पेश, विपणित या विज्ञापित नहीं की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं के गुमराह होने की संभावना हो। उदाहरण के लिए, प्रशुल्क योजना का ऐसा शीर्षक जो किराया नहीं होने की बात करता हो, लेकिन एक या अन्य रूप में उस योजना में मासिक अनिवार्य फिक्स्ड प्रभार शामिल हों, भ्रम उत्पन्न करेगा।

(ii) सभी मासिक फिक्स्ड आवर्ती प्रभार, जो दी गई किसी भी योजना के अन्तर्गत उपभोक्ता के लिए अनिवार्य हो, एक शीर्ष के तहत दर्शाए जाएंगे। इसमें मूल्यवर्धित सेवाओं के प्रभारों को भी शामिल किया जाना चाहिए, यदि ऐसी मूल्य वर्धित सेवाएं उपभोक्ता के लिए वैकल्पिक न हों।

रक्षा सौदों में बिचौलिए

3816. श्री श्यामाचरण गुप्त:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा सौदों में बिचौलियों की भूमिका के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) वर्तमान में हो रहे विभिन्न रक्षा सौदों में बिचौलियों की भूमिका के बारे में उपलब्ध जानकारी क्या है तथा रक्षा सौदों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार यह तय करने के लिए कि रक्षा सौदों में बिचौलियों की कोई भूमिका हो अथवा नहीं इस बारे में एक राष्ट्रीय सहमति तैयार करने का है; और

(घ) रक्षा सौदों में बिचौलियों की कोई संभावित भूमिका को पूर्णत: समाप्त करने के लिए कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों संबंधी 31 जनवरी, 1989 को जारी वित्त मंत्रालय के अनुदेशों के आधार पर, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के अधिकृत भारतीय प्रतिनिधियों/एजेंटों को विनियमित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 1989 में और नवंबर, 2001 में अनुपूरक अनुदेश जारी किए थे। इन अनुदेशों में पंजीकरण, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के अधिकृत प्रतिनिधियों/एजेंटों द्वारा मुहैया करायी जाने वाली सेवाओं के संबंध में उनके द्वारा स्पष्ट और खुली घोषणा और शुल्क, कमीशन अथवा किसी अन्य तरीके से उन्हें देय पारिश्रमिक के जरिए प्रतिनिधि संबंधी प्रबंधों को विनियमित किए जाने की व्यवस्था है। अब तक इन अनुदेशों के संदर्भ में रक्षा मंत्रालय ने किसी भी अधिकृत भारतीय प्रतिनिधियों/एजेंट को पंजीकृत नहीं किया है।

01 सितंबर, 2006 से लागू रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.) 2006 और रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डी.पी.एम. 2006) में सीधे ही मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओ.ई.एम.) अथवा अधिकृत विक्रेताओं अथवा सरकार द्वारा प्रायोजित एजेंसियों (उन देशों के मामले में लागू जहां स्थानीय कानून मूल उपस्कर विनिर्माताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्यात की अनुमति नहीं प्रदान करते हैं) से सौदा तय करने की व्यवस्था है। इसके अलावा, इन प्रक्रियाओं में अन्य बातों के साथ-साथ यदि कोई विक्रेता संविदा उसे दिए जाने के लिए भारत सरकार अथवा इसके किन्हीं अधिकारियों को आधिकारिक अथवा अनाधिकारिक तौर पर मध्यस्थता करने, सहायता करने अथवा किसी भी तरीके से सिफारिश करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा फर्म को नियुक्त करता है चाहे वह भारतीय हो अथवा विदेशी, कुछ भी हो, पर दंड लगाए जाने के प्रावधान अन्तर्निहित हैं।

[अनुवाद]

रक्षा सौदों की सी.बी.आई. जांच

3817. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने जर्मनी के साथ हुए एच.डी.डब्ल्यू. पनडुब्बी सौदा तथा रूसी विमान वाहक एडमिरल गोर्शकोव अनुबंध से संबंधित संवेदास्पद रक्षा सौदों की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सी.बी.आई. ने रूसी विमानवाहक पूर्व-एडमिरल गोर्शकोव की अधिप्राप्ति से संबंधित सौदे की जांच नहीं की है। सी.बी.आई. ने एच.डी.डब्ल्यू. पनडुब्बी मामले की जांच की थी और उनकी समापन रिपोर्ट, विशेष न्यायाधीश, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा 4 मार्च, 2005 को स्वीकार कर ली गई थी।

रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया का उद्देश्य, सशस्त्र सेनाओं द्वारा मांगी गई क्षमताओं के रूप में उनकी अनुमोदित आवश्यकताओं की आबंटित बजटीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करते हुए निर्धारित समय-सीमा के भीतर, मुस्तैदी से अधिप्राप्ति सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करते समय ये

प्रक्रियाएं उच्च स्तरीय सत्यनिष्ठा और जनता के प्रति जवाबदेही कार्रवाई में पारदर्शिता, मुक्त प्रतिस्पर्धा और निष्पक्षता प्रदर्शित करेंगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रक्षा अधिप्राप्ति में समाविष्ट प्रावधान इस प्रकार हैं; (i) 100 करोड़ रुपए से अधिक की सभी संविदाओं के लिए सरकारी विभाग और बोलीदाता के बीच एक 'स्त्यनिष्ठा समझौता'; (ii) मूल उपस्कर विनिर्माताओं (ओ.ई.एम.) अथवा प्राधिकृत विक्रेताओं अथवा सरकार द्वारा प्रायोजित निर्यात एजेंसियों (ऐसे देशों के मामले में लागू जहां के घरेलू कानून ओ.ई.एम.एस. द्वारा सीधे निर्यात किए जाने की अनुमति नहीं देते) के साथ सीधा लेन-देन; (iii) अर्जन प्रक्रिया में बड़े निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाना; (iv) फील्ड परीक्षणों के संचालन में अभिवर्धित पारदर्शिता; (v) विक्रेताओं के साथ बोली-पूर्व बैठकें; (vi) सरकार से कोई भी संविदा प्राप्त करने में विक्रेता द्वारा अनुचित प्रभाव को निषिद्ध करना; (vii) विक्रेता को कोई संविदा देने के लिए सरकार से सिफारिश करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा फर्म को नियुक्त करने और ऐसी किसी सिफारिश के लिए किसी धनराशि का भुगतान करने को निषिद्ध करना।

अन्तर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी

3818. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान अलग-अलग राज्य-वार सरकार द्वारा हस्तशिल्प और कालीनों के निर्यात संवर्धन हेतु कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गयी है;

(ख) क्या सरकार अंतर्राष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में विभिन्न समूहों तथा संगठनों को भाग लेने की अनुमति देती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए समूहों तथा संगठनों के चयन हेतु क्या मानदण्ड है;

(घ) दसवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् आज की तारीख तक विभिन्न देशों में आयोजित ऐसे मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने वाले लोगों की देश-वार संख्या कितनी है; और

(ङ) उक्त अवधि, के दौरान इस पर हुए व्यय का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) हस्तशिल्प एवं कालीनों के निर्यात के संवर्धन हेतु सरकार राज्यों को सीधे धनराशि आबंटित नहीं करती है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) समूहों अर्थात् हस्तशिल्प कारीगरों/उद्यमियों के चयन हेतु मानदण्ड यह है कि कारीगर को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अथवा शिल्प गुरू उद्यमी होना चाहिए और घरेलू बाजार में वार्षिक कुल बिक्री 10 लाख रुपये की होनी चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय विपणन कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु चयन के लिए राज्य/केन्द्रीय हस्तशिल्प विकास निगम, निर्यात संवर्धन निकाय, व्यापार संवर्धन संगठन जैसे संगठन पात्र हैं। समूहों एवं संगठनों का चयन वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है।

दसवीं योजना अवधि और आज की तारीख तक विदेशों में आयोजित हुए मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग ले चुके व्यक्तियों की संख्या और उपगत हो चुके व्यय के संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

दसवीं योजना - 2002-03 से 2006-07 तक

2002-03 सिद्धहस्तशिल्पियों के किसी भी समूह को किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया गया था

क्रमांक	स्थान/देश का नाम	सिद्धहस्तशिल्पियों की संख्या
2003-04		
1.	बर्लिन (जर्मनी)	8

क्रमांक	स्थान/देश का नाम	सिद्धहस्तशिल्पियों की संख्या
2.	डालास (यू.एस.ए.)	5
3.	बार्सेलोना (स्पेन)	3
उपगत व्यय - 16.85 लाख रुपये		
2004-05		
1.	टोरांटो, ओटावा और वैनकुघर (कनाडा)	12 (4 प्रत्येक)
2.	अमेस्टरडेम (द नीदरलैंड्स)	8
3.	उलानबटार (मंगोलिया)	5
4.	सियोल (दक्षिण कोरिया)	4
5.	ऐथेंस (ग्रीस)	2
6.	बोस्टन (यू.एस.ए.)	2
उपगत व्यय - 35.98 लाख रुपये		
2005-06		
1.	पोर्ट हुइस (मॉरीशियस)	4
2.	हौस्टन (यू.एस.ए.)	4
3.	अमेस्टरडेम (द नीदरलैंडस)	3
4.	ट्रिनिडेड एण्ड टोबेगो (वेस्ट इंडीज)	2
5.	कोलंबो (श्रीलंका)	5
उपगत व्यय - 19.35 लाख रुपये		
2006-07		
1.	वियेना (ऑस्ट्रिया)	4
2.	फैंकफर्ट (जर्मनी)	8
3.	सियोल (दक्षिण कोरिया)	5
4.	बेलजियम (ब्रुसैल्स))	5
5.	शिकागो (यू.एस.ए.)	6
6.	साओ पाअलो (ब्राजील)	5
7.	पनामा सिटी (पनामा)	5

क्रमांक	स्थान/देश का नाम	सिद्धहस्तशिल्पियों की संख्या
8.	बर्मिंगघहम (यू.के.)	5
9.	मूबा बेसल (स्वीटजरलैंड)	5
उपगत व्यय - 50.83 लाख रुपये		
11वीं योजना - 2007-08 और 2008-09 (आज की तारीख तक)		
1.	न्यूयॉर्क (यू.एस.ए.)	10
2.	हाइ प्वाइंट (यू.एस.ए.)	4 + 2 (2 उद्यमी)
3.	शिकांगो (यू.एस.ए.))	8 + 1 (1 उद्यमी)
4.	कायरो (इजिप्ट)	5 + 1 (1 उद्यमी)
5.	रिगा (लैतविया)	4
उपगत व्यय - 32.70 लाख रुपये		

आई.डी.एस.ए. और आई.एस.एस. के बीच करार

3819. श्री जुएल ओराम:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान (आई.डी.एस.ए.) और पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटजिक स्टडीज (आई.एस.एस.) के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो करार का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है; और

(ग) इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इस संबंध में क्या दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) जी, हां। करार पर हस्ताक्षर हुए और इसे 4 फरवरी, 2008 से पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया था। इस करार का उद्देश्य और लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान में सहयोग के लिए दोनों संस्थानों के बीच अकादमिक और विद्वतापूर्ण संबंध स्थापित करना है, जिसमें ये शामिल होंगे:-

- विद्वतापूर्ण संगोष्ठियां, सम्मेलन और 'गोलमेज' सभाएं आयोजित करके साझे महत्व के मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान;
- आपसी बातचीत और अनुसंधान से जुड़े विद्वानों का एक दूसरे के यहां आना-जाना;
- संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं;
- अनुसंधान कार्यों और प्रकाशनों का आदान-प्रदान;
- दोनों संस्थानों के प्रतिनिधियों के बीच नियमित बैठकें।

अकादमिक अनुसंधान और सहयोग से जुड़ी विधा को और आगे बढ़ाने की दृष्टि से दोनों संस्थानों के प्रतिनिधियों के बीच में नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी और इस करार के कार्यान्वयन के लिए निकटतम सहयोग करते हुए कार्य किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के मतभेदों अथवा कठिनाइयों को आपस में परामर्श करके निपटाया जाएगा। मौजूदा करार 4 फरवरी, 2008 से पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू हो गया है और इसे आगे एक बार में पांच वर्षों की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जब तक कि दोनों संस्थानों में से कोई एक संस्थान इस करार के समाप्त होने से पूर्व

इसे निरस्त करने के अपने आशय के बारे में दूसरे संस्थान को तीन महीने का अग्रिम लिखित नोटिस नहीं दे देता। करार के पाठ में किसी प्रकार के परिवर्तन और संशोधन आपसी परामर्श और आपसी सहमति के द्वारा ही किए जाएंगे।

बीड़ी कामगारों पर सचित्र चेतावनी का प्रभाव

3820. श्रीमती मनोरमा माधवराज:

श्री एम. शिवन्ना:

श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न क्षेत्रों से सभी तम्बाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी होने को अनिवार्य बनाने वाले कानून के संबंध में गरीब बीड़ी कामगारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में गरीब बीड़ी कामगारों की रक्षा हेतु क्या वैकल्पिक प्रबंध किए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न संगठनों/केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों तथा सीटू, एच.एम.एस., आई.टी.यू.सी., टी.यू.सी.सी., यू.टी.सी.सी., भारतीय तम्बाकू संस्थान, बिहार राज्य बीड़ी मजदूर परिसंघ, अखिल भारतीय बीड़ी उद्योग परिसंघ, कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फारमर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ फारमर्स एसोसिएशन आदि से विशेषकर प्रभावित होने वाले बीड़ी कामगारों के रोजगार खोने की आशंका, वैकल्पिक रोजगार व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव आदि के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) अध्ययन दर्शाते हैं कि तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 की पैकेजिंग एण्ड लेबलिंग नियमावली, 2008 के अंतर्गत अनिवार्य सचित्र स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी जैसे विभिन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के द्वारा तम्बाकू उत्पादों के आदतन उपभोग तथा मांग की कमी में लगने वाले समय के कारण उद्योगों पर कोई तात्कालिक आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, अनिवार्य सचित्र चेतावनी संबंधी विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है। अनिवार्य सचित्र चेतावनी के लिए समुचित आकार की सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी हेतु वैकल्पिक डिजायन को अंतिम रूप देने का निर्णय लिया गया।

डिजिटल अंतर को कम करना

3821. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लिंग अंतर को कम करने के लिए डिजिटल अंतर को कम करना एक सशक्त साधन है क्योंकि यह पाया गया है कि ग्रामीण लोग महिलाओं को ज्ञान केन्द्रों का प्रमुख बनाने को प्राथमिकता देते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) अंकीय विभाजन दूर करने से ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास होगा। यह सम्भावना है कि अंकीय विभाजन दूर करने की गतिविधि से लिंग अंतर दूर करने में भी सहायता मिलेगी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सामान्य सेवा केन्द्र/ज्ञान केन्द्र महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को किसी ऐसे अध्ययन की जानकारी नहीं है जिससे इस बात का संकेत मिले कि ग्रामीण इन ज्ञान केन्द्रों में महिलाओं को प्रमुख बनाने को वरीयता देते हैं।

[हिन्दी]

स्पेक्ट्रम वितरण के विरुद्ध शिकायत

3822. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सतर्कता आयोग ने दूरसंचार विभाग (डी.ओ.टी.) के विरुद्ध किसी दिशानिर्देश का पालन किए बिना स्पेक्ट्रम वितरित करने के बारे में शिकायत दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी.ओ.टी. ने मोबाइल फोन सेवा प्रदाता लाइसेंस नीति का उल्लंघन करके 4.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की सीमा के विरुद्ध 6.2 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम प्रदान किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या अधिक स्पेक्ट्रम के बदले मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों से कोई अतिरिक्त शुल्क लिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो किस आधार पर लाइसेंस नीति का उल्लंघन किया गया;

(च) वर्तमान स्पेक्ट्रम नीति का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या डी.ओ.टी. ने मुख्य सतर्कता आयुक्त (सी.वी.सी.) को कोई लिखित उत्तर भेजा गया है और सी.वी.सी. उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ज) स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के अध्यधीन एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यू.ए.एस.एल.) के सुसंबद्ध उपबंधों के अनुसार मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रारंभिक स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाता है। सेवा में वृद्धि और उपभोक्ता आधार बढ़ जाने से, पात्रता मानदंड के अनुसार उपलब्धता के आधार पर स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाता है, जो कि सक्रिय उपभोक्ताओं, प्रचालक के नेटवर्क के व्यस्ततम परियात, सेवा क्षेत्र की जनसांख्यिकीय विशेषताओं पर आधारित होता है। प्रासंगिक कारकों और प्रौद्योगिकीय विकास को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इन मानदंडों की पुनरीक्षा की जाती है। अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नवीनतम पात्रता मानदंड संबंधी आदेश 17 जनवरी, 2008 को जारी किए गये हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग ने स्पेक्ट्रम संबंधी मुद्दों पर कुछ सवाल उठाए थे और केंद्रीय सतर्कता आयोग को आवश्यक सूचना उपलब्ध करा दी गई थी।

सेवा प्रदाता अपने समायोजित सकल राजस्व (ए.जी.आर.) के प्रतिशत/हिस्से के रूप में स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करते हैं, जो इस संबंध में आदेशों के अनुसार सेवा प्रदाता के स्पेक्ट्रम की बढ़ती मात्रा के अनुसार बढ़ते जाते हैं।

[अनुवाद]

गोदामों का किराया

3823. डा. बाबू राव मिडियम: **क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य भांडागार निगम (ए.पी.एस.डब्ल्यू.सी.) को गोदामों को किराए पर लेने के लिए दिया जा रहा किराया अन्य राज्य भांडागार निगमों और केन्द्रीय भांडागार निगम को दिए जा रहे किराए के समान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एफ.सी.आई. द्वारा किस तारीख से संशोधित दर पर किराए का भुगतान किया जा रहा है; और

(ग) संशोधित किराए को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) आंध्र प्रदेश भंडारण निगम के गोदामों को किराए पर लेने के लिए उसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा अदा किया जा रहा किराया अन्य राज्य भंडारण निगमों को अदा किए जा रहे किराए के बराबर है। राज्य भंडारण निगमों के स्वामित्व के गोदामों के लिए उन्हें केन्द्रीय भण्डारण निगम के समतुल्य अर्थात् 1.79 रुपए प्रति 50 किलोग्राम बोरी प्रति माह के किराए का भुगतान किया जा रहा है। सात वर्षीय गारंटी योजना के अधीन प्राइवेट पार्टियों से राज्य भंडारण निगम द्वारा लिए गए और भारतीय खाद्य निगम को किराए पर दिए गए गोदामों के लिए राज्य भंडारण निगमों को भारतीय खाद्य निगम के निदेशक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उक्त भण्डारण निगमों द्वारा प्राइवेट पार्टियों के निवेशकों को वास्तव में अदा किए जा रहे किराए जमा 15% पर्यवेक्षण प्रभार के आधार पर भुगतान किया जा रहा है।

(ख) और (ग) राज्य भण्डारण निगमों को 1-4-2002 से प्रति 50 किलोग्राम बोरी के लिए 1.79 रुपए प्रति माह का भुगतान किया गया। सात वर्षीय गारंटी योजना के अधीन प्राइवेट पार्टियों से राज्य भंडारण निगम द्वारा लिए गए और भारतीय खाद्य निगम को किराए पर दिए गए गोदामों के लिए सात वर्षीय गारंटी योजना शुरू होने के समय से 30-4-2006 तक 1.51 रुपए प्रति 50 किलोग्राम प्रति माह की दर पर किराए का भुगतान किया गया और आंध्र प्रदेश में 1-5-2006 से वास्तविक खर्च जमा 15% पर्यवेक्षण प्रभार की दर पर भुगतान किया गया। उपर्युक्त निर्णयों के आधार पर और वर्ष 2005-06 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य भंडारण निगम के अनन्तिम खातों के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य

भंडारण निगम को भारतीय खाद्य निगम द्वारा 1.27 रुपए प्रति बोरी प्रति माह की दर पर तदर्थ भुगतान किया जा रहा है।

विदेशी कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय अवकाश न मानना

3824. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कार्यरत विदेशी कंपनियों के प्रबंधन को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय अवकाश मनाने हेतु कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों को राष्ट्रीय अवकाश नहीं देती हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों द्वारा राष्ट्रीय अवकाश मनाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) भारत में कार्यरत विदेशी कम्पनियों सहित सभी पर देश का कानून लागू होता है। अत: राष्ट्रीय अवकाशों को अनिवार्य रूप से मनाने के संबंध में देश में कार्यरत विदेशी कम्पनियों को अलग से निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते।

(घ) विदेशी कम्पनियां उन राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आती हैं जहां वे स्थित हैं और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए संबंधित अधिनियमों द्वारा उन्हें शासित किया जाता है। राष्ट्रीय अवकाशों के संबंध में सांविधिक उपबंधों को लागू करना समुचित सरकार अर्थात् संबंधित राज्य सरकार पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

सी.बी.सी. आदेश की अवहेलना

3825. पी. मुनव्वर हसन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.), सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के आदेश की अवहेलना की है और ऐसे अधिकारियों की संवेदनशील पदों पर तैनाती की है जिनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल हुआ है और उन पर जुर्माना लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सी.वी.सी. और सरकार द्वारा इन दोनों उपक्रमों द्वारा सी.वी.सी. के नियमों का पालन करने को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है और इन कदमों को कब तक उठाए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) ने संवेदनशील पदों पर तैनात अधिकारियों की अदला-बदली (रोटेशन) के संबंध में दिनांक 15-04-99 का परिपत्र सं. 98/डी.ओ.पी.टी./ 60 जारी किया है। इस विभाग ने दिनांक 07-07-2000 के पत्र सं. 17-8/99-वी.एम.-I के तहत संवेदनशील पदों की सूची जारी की है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के मामले में यह प्रयास किए जाते हैं कि जहां तक संभव हो, इन पदों पर उन अधिकारियों को तैनात न किया जाए जिन्हें आरोप-पत्र जारी किए गए हों तथा जिन्हें शास्तियां दी गई हों। जैसे ही आयोग या विभाग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन संबंधी किसी घटना की सूचना मिलती है, इस मामले को उपयुक्त रूप से संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

[अनुवाद]

महाडाकपाल कार्यालय को स्थानान्तरित करना

3826. डा. टोकचोम मैन्या: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड डाक मंडलों के प्रभारी महाडाकपाल (पी.एम.जी.) के कार्यालय को शिलांग से हटाकर इम्फाल, कोहिमा या आइजोल स्थानान्तरित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थानान्तरित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पेयजल की कमी

3827. श्री राजेन गोहेन: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नामक बारहमासी नदी के किनारे स्थित होने के बावजूद असम में पेयजल की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को शुद्ध करने के बाद उसकी आपूर्ति करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) असम सरकार ने सूचित किया है कि हालांकि असम को पेयजल की कमी का सामना करना पड़ रहा है फिर भी बस्तियों में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी और इसकी वितरिकाओं से भूमिगत भूजल स्रोत और सतही जल स्रोत स्कीम के माध्यम से पेयजल सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(ख) और (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय (पेयजल आपूर्ति विभाग) ने सूचित किया है कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है और पेयजल सुविधाएं प्रदान करना प्रमुखतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है और राज्य सरकारों के प्रयासों को बल देने के उद्देश्य से पेयजल आपूर्ति विभाग केन्द्र प्रायोजित स्कीम, राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। पेयजल आपूर्ति विभाग ने सूचित किया है कि राज्य सरकारें ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत प्रदान की गई निधि से ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, स्वीकृति और कार्यान्वयन करने में सक्षम हैं।

रोजगार के अवसर सृजित करना

3828. श्री अधीर चौधरी: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैनपावर इंक नामक अमेरिकी कंपनी द्वारा किए गए "मैनपावर एम्पलाइमेंट आउटलुक सर्वे" नामक सर्वेक्षण में यह बताया गया है कि देश में अप्रैल-जून, 2008 के दौरान अन्य देशों की तुलना में अधिक रोजगार सृजन होगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) अमेरिका की कम्पनी मैनपावर इंक द्वारा कुछ देशों में चुनिंदा नियोजकों को शामिल करते हुए "मैनपावर इम्पलाएमेंट आउटलुक सर्वे" नामक शीर्षक से किए गए सर्वेक्षण में अप्रैल-जून 2008 के दौरान भारत में नियोजकों द्वारा सर्वाधिक अनुकूल नियोजन योजना (हायरिंग प्लान) इंगित की गई है। भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी के विश्वसनीय अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए गए हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था। इसी अवधि के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर रोजगार सर्वेक्षणों के अभी हाल ही के दो पंचवर्षीय दौरों के अनुसार वर्ष 1999-2000 में रोजगार अवसर 397 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 459.10 हो गए।

[हिन्दी]

कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक

3829. श्री सूरज सिंह:
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक दशक से देश की कुल जनशक्ति की तुलना में कृषि क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के प्रतिशत में निरन्तर गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 1993-94 की तुलना में इस समय कृषि क्षेत्र में कार्यरत कुल जनशक्ति की संख्या और उसका प्रतिशत कितना है; और

(घ) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान कृषि क्षेत्र में जनशक्ति को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी हां। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा 1993-1994 और 2004-05 के दौरान कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार कृषि में कार्यरत श्रमिकों का प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कुल कार्यबल का 64.75% से घटकर 58.49% हो गया है। यह गिरावट शहरी क्षेत्रों में प्रवास के कारण आई है।

(ग) पुनः कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया है, जिसमें प्रत्येक परिवार को जिसके व्यस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए तैयार हों, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार हेतु प्रावधान किया गया है। यह योजना जो 330 जिलों में लागू की जा रही थी, अप्रैल, 2008 से देश के 604 जिलों में लागू कर दी गई है।

गेहूं की खरीद

3830. श्री पारसनाथ यादव: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा वर्ष 2008 के लिए गेहूं का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा वर्ष 2008 में गेहूं की खरीद हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) रबी विपणन मौसम 2008-09 में बेचे जाने वाली फसल वर्ष 2007-08 के गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000/- रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

(ख) चूंकि सरकारी एजेंसियों द्वारा खुली खरीदारी की जाती है इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

(ग) रबी विपणन मौसम 2008-09 में गेहूं की खरीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पग उठाए गए हैं।

(i) किसानों को अपने गेहूं का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रबी विपणन मौसम 2008-09 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर निर्धारित किया गया है जो रबी विपणन मौसम 2007-08 के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य की तुलना में 250 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य गत वर्ष किसानों को दिए गए 850 रुपये प्रति क्विंटल (100 रुपये प्रति क्विंटल के बोनस सहित) के खरीद मूल्य से 150 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।

(ii) 2007-08 में 18 लाख टन गेहूं का आयात किया गया था जिससे केन्द्रीय पूल में गेहूं के स्टाक की स्थिति में सुधार आ गया और रबी विपणन मौसम 2008-09 की शुरुआत में गेहूं का स्टाक (1-4-2008 की स्थिति के अनुसार) 40 लाख टन के बफर मानदंड से अधिक है।

(iii) निजी खाते पर गेहूं के निर्यात को अगले आदेशों तक प्रतिबंधित कर दिया गया है। केन्द्रीय पूल से गेहूं के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

(iv) 11-2-2008 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन गेहूं (कंपनियों अथवा फर्मों या व्यक्तियों द्वारा स्टाक की घोषणा) आदेश 2008 नामक अधिसूचना जारी की गई है। आदेश में प्रावधान है कि कोई कंपनी अथवा फर्म या व्यक्ति जो 2008-09 के दौरान 10 हजार टन से अधिक गेहूं खरीदेगा वह उस राज्य के सचिव, खाद्य विभाग को एक रिटर्न भेजेगा, जहां से अधिकतम मात्रा खरीदी गई है। यदि गेहूं की खरीदारी 25000 टन से अधिक होती है तो रिटर्न केन्द्रीय सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग को भेजी जाएगी।

(v) उपभोक्ता मामले विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन 31 अगस्त, 2008 तक अधिसूचना की अवधि बढ़ाई है ताकि राज्य सरकारें गेहूं के स्टाक की सीमा लागू कर सकें।

(vi) निजी खाते पर अगले आदेशों तक गेहूं के निःशुल्क आयात की अनुमति दी गई है।

(vii) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार आदि जैसे राज्यों में गेहूं की खरीद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पंजाब और हरियाणा में आढ़तिया कमीशन की तर्ज पर रबी विपणन मौसम 2008-09 के लिए समितियों/उप एजेंटों को दिए जाने वाले कमीशन को बढ़ा कर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

(viii) मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार में भारतीय खाद्य निगम की ओर से नेफेड को केन्द्रीय पूल हेतु गेहूं की खरीद करने की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

कम जोत वाले किसान

3831. श्री के. सुब्बारायण: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई आकलन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) वर्ष 2000-2001 कृषि संगणना के अनुसार, कुल 11,99,31,017 प्रचालनात्मक जोतों में से 2 हैक्टेयर से कम भूमि पर प्रचालन करने वाले जोत धारकों की संख्या 9,81,02,541 है। ऐसे प्रचालन धारकों का राज्यवार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

कृषि संगणना 2000-01 के अनुसार 2 हैक्टेयर से कम भूमि पर प्रचालन करने वाले जोत धारकों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	प्रचालन धारकों की संख्या
1	2	3
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	6342
2.	आन्ध्र प्रदेश	9541242
3.	अरुणाचल प्रदेश	35053
4.	असम	2260146
5.	बिहार	10811801
6.	चण्डीगढ़	969
7.	छत्तीसगढ़	2462788
8.	दादरा और नगर हवेली	11245
9.	दमन और दीव	6006
10.	दिल्ली	21949
11.	गोवा	58894
12.	गुजरात	2554310
13.	हरियाणा	998115
14.	हिमाचल प्रदेश	789172
15.	जम्मू-कश्मीर	1353454
16.	कर्नाटक	5161131
17.	केरल	6562238
18.	लक्षद्वीप	10096
19.	मध्य प्रदेश	4788854
20.	महाराष्ट्र	8911349
21.	मणिपुर	124135
22.	मेघालय	171909
23.	मिजोरम	61668
24.	नागालैण्ड	13703
25.	उड़ीसा	3408119
26.	पांडिचेरी	35073
27.	पंजाब	295831
28.	राजस्थान	3058693

1	2	3
29.	सिक्किम	51676
30.	तमिलनाडु	7072155
31.	त्रिपुरा	460386
32.	उत्तर प्रदेश	19745953
33.	उत्तरांचल	786669
34.	पश्चिम बंगाल	6471417
	अखिल भारत	98102541

टिप्पणी: कृषि संगणना 2000-2001 झारखंड राज्य में आयोजित नहीं की गई।

राष्ट्रीय कृषक नीति

3832. श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2007 की राष्ट्रीय कृषक नीति में कृषि योजना और कार्यक्रम में वस्तु केन्द्रित दृष्टिकोण के स्थान पर मानव केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और नीति के कार्यान्वयन हेतु क्या कार्य योजना तैयार की गई है; और

(ग) इस नीति के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि नीति, 2007 का मुख्य उद्देश्य किसानों का आर्थिक कल्याण करना है और इस नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों की निवल आय को पर्याप्त रूप से बढ़ाते हुए कृषि की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करना है। सरकार के कई जारी कार्यक्रम और योजनाएं राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 के अनुरूप है। हाल ही में सरकार ने दो नई स्कीमों अर्थात् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का प्रारम्भ किया है। कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए कृषि मौसम और अन्य स्थानीय दशाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट विकेन्द्रीकृत नीति द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति 2007 के प्रावधानों के परिचालन में इन दोनों स्कीमों के दीर्घावधिक परिणाम मिलने की सम्भावना है। इसके अलावा किसानों के लाभ के लिए और कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए संघीय बजट 2008-09 में घोषित अन्य पहलें और स्कीमें पालिसी के क्रियान्वयन में सुविधा प्रदान करेगी। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास सेवाएं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, लघु अवधि फसल ऋण सहित कृषि ऋण, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूक्ष्म सिंचाई राष्ट्रीय बागवानी मिशन, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा की पायलेट योजना, सहकारी ऋण संरचना के पुनः सक्रियकरण के लिए पैकेज, किसानों के लिए ऋण माफी और ऋण राहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना, असंगठित क्षेत्रों के कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा आदि शामिल है।

[हिन्दी]

डाकघर बचत बैंक का कार्यकरण

3833. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्रीमती करूणा शुक्ला:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने डाकघर बचत बैंक (पी.ओ.एस.बी.) कार्य कर रहे हैं;

(ख) आज की तारीख के अनुसार देश में ग्रामीण बचत में इन बैंकों का कितना हिस्सा है;

(ग) क्या ये बैंक सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप बचत प्राप्त नहीं कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार इन बैंकों के माध्यम से ग्रामीण बचत को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) आज की तारीख के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 136413 डाकघर, डाकघर बचत बैंक (पी.ओ.एस.बी.) संबंधी कार्य कर रहे हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत वसूलियां बचत जमाराशि, बचत पत्रों एवं लोक भविष्य निधि के रूप में मुख्यतया श्रेणीबद्ध हैं। इन श्रेणियों हेतु वसूलियों का अनुमान पूर्व वर्ष के रुख के आधार पर निकाला जाता है। अतः शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पर लघु बचतों के लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं।

(घ) और (ङ) केंद्र और राज्य सरकारें प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक माध्यमों तथा सेमिनार बैठकों के आयोजन द्वारा एवं इन योजनाओं के अंतर्गत जमाराशियां जुटाने में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान करके लघु बचत योजना को प्रोन्नत तथा लोकप्रिय बनाने हेतु समय रहते विभिन्न उपाय करती हैं। इस सतत प्रक्रिया के एक भाग के रूप में हाल ही में सरकार ने इन लघु बचत योजनाओं को आकर्षक एवं निवेशकोनुकूल बनाने हेतु निम्नलिखित पहलें की हैं:-

(i) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत एक ही कलैंडर वर्ष के दौरान एक से अधिक खाते खोलने पर लगे प्रतिबंध को 24 मई, 2007 से हटाया गया है।

(ii) सभी श्रेणियों के पेंशनभोगियों को डाकघर बचत खाता नियमों के तहत 11 जुलाई, 2007 से 'पेंशन खाता' खोलने और उसका रखरखाव करने की अनुमति दी गई है।

(iii) डाकघर मासिक आय खाता (पी.ओ.एम.आई.ए.) योजना के अंतर्गत परिपक्वता अवधि से पहले धन निकासी पर जुर्माने को तीन वर्षों के पूरा होने के दिन या इससे पहले की निकासी पर 3.5% से घटाकर 2% तथा तीन वर्षों के पूरे होने के बाद की निकासी पर 1% कर दिया गया है।

(iv) डाकघर मासिक आय खाता (पी.ओ.एम.आई.ए.) योजना में जमा राशि की अधिकतम सीमा को एकल एवं संयुक्त खातों के संबंध में क्रमशः 3.00 लाख रु. एवं 6.00 लाख रु. से बढ़ा कर 4.50 लाख रु. एवं 9.00 लाख रु. किया गया है।

(v) डाकघर मासिक आय खाता (पी.ओ.एम.आई.ए.) योजना के अंतर्गत 8 दिसंबर, 2007 को अथवा इसके बाद जमा की गई राशि पर जमाराशि की परिपक्वता के बाद 5% बोनस पुनः लागू किया गया है।

(vi) 01-04-2007 से 5 वर्षीय डाकघर सावधिक जमा खातों और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के लाभ का विस्तार इन तक किया गया है।

(vii) इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ-साथ संगोष्ठियों एवं बैठकों के आयोजन, लघु बचत योजनाओं आदि के लिए धन संग्रहण में शामिल विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान कर इन योजनाओं को प्रोत्साहित करने एवं लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

(viii) लघु बचत संबंधी सूचनाओं के प्रचार-प्रसार से लोगों से संपर्क बनाने तथा निवेशकों की शिकायतों के ऑन-लाइन पंजीकरण एवं निपटान हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बचत संस्थान की एक वेब साइट शुरू कर दी गई है। वेब साइट का पता nsiindia.gov.in है।

गेहूं और चावल में विषाक्त रसायन

3834. श्री कीरेन रिजीजू:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चला है कि गेहूं और चावल की फसलों में विषाक्त रसायन पाए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और खाद्य फसलों में इन हानिकारक कीटनाशकों की उपस्थिति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर में गेहूं और चावल की फसलों में विवाक्त नाशीजीवनाशी रसायनों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, खाद्य फसलों में हानिकारक नाशीजीवनाशकों की उपस्थिति को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों की सिफारिश की जाती है।

1. क्षेत्र के किसानों के लिए समेकित नाशीजीव प्रबन्ध कृषि क्रियाओं का समर्थन किया है ताकि गेहूं, चावल और अन्य खाद्य फसलों में नाशीजीवनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग तथा अच्छी कृषि क्रियाओं को सुनिश्चित किया जा सके।

2. गेहूं और चावल सहित खाद्य जिंसों में मिश्रण, संदूषण और स्थाई नाशीजीवनाशकों का सीधा प्रयोग, बिना उपयुक्त लेबल के दावों को रोकने के लिए किसानों और पणधारियों को समुचित जागरूकता एवं मार्गदर्शन मुहैया किया जाता है।

[अनुवाद]

विद्युतकरघा क्षेत्र का विकास और आधुनिकीकरण

3835. डा. के. धनराजू: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान ऐसे विकास और आधुनिकीकरण के कारण हथकरघा वस्त्र के उत्पादन और निर्यात की संभावनाओं में कितनी वृद्धि होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.), समूह कार्यशाला योजना (जी.डब्ल्यु.एस.एस.), एकीकृत विद्युतकरघा समूह विकास योजना (आई.पी.सी.डी.एस.) आदि के माध्यम से विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण पर बल दिया है। वर्ष 2004 से स्थापित विद्युतकरघों का वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है-

वर्ष	विद्युतकरघों की सं.
2004-05	19,02,953
2005-06	19,43,892
2006-07	19,90,308
2007-08 (फरवरी, 2008 तक)	20,97,941

विद्युतकरघा क्षेत्र के कुल कपड़ा उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	कुल उत्पादन	विद्युतकरघा पर उत्पादन	कुल उत्पादन में विद्युतकरघा का %	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि	
				कुल उत्पादन	विद्युतकरघा उत्पादन
2004-05	45378	28325	62%	7%	5%
2005-06	49577	30826	62%	9%	8%
2006-07	53389	32879	62%	8%	7%

सरकार के विकासात्मक कार्यक्रम और योजनाओं ने विद्युतकरघा क्षेत्र को गति दी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के तहत संस्थापित करघों की विभिन्न श्रेणियां इस प्रकार है:

संस्थापित करघों के प्रकार	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
अर्द्ध-स्वचालित करघा	3569	2811	2752	9132
स्वचालित करघा	2055	2878	1631	6564
शटलरहित करघा	4849	6367	5184	16400
कुल	10473	12056	9567	32096

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हथकरघा उत्पादन अनुमान इस प्रकार है:

वर्ष	हथकरघा के लिए उत्पादन अनुमान (मिलियन वर्ग मीटर)
2007-08	7865
2008-09	8788
2009-10	9828
2010-11	10985
2011-12	12298

हथकरघा उत्पादों के लिए किसी अन्य कोड के न होने के कारण अप्रैल, 2003 से निर्यात प्रवृति उपलब्ध नहीं है।

कृषि क्षेत्र में अनुसंधान

3836. श्री अबु अयीश मंडल:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री गिरधारी लाल भार्गव:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकसित देशों की तुलना में देश में कृषि अनुसंधान और विकास की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर उत्पादकता और कृषि उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु अनुसंधान और विकास संबंधी कार्यकलापों में तेजी लाने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृषि अनुसंधान में पारस्परिक सहयोग हेतु भारत और अमेरिका के बीच किसी करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या ऐसे करार से अमेरिकी कंपनियों द्वारा पेटेन्टशुदा बीजों का दुरुपयोग करने से भारतीय कृषि की स्थिति खराब होने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली विश्व की एक विशाल प्रणाली है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 95 संस्थान तथा 42 राज्य कृषि विश्वविद्यालय शामिल हैं। ग्यारहवीं योजना में कृषि अनुसंधान हेतु परिव्यय को दसवीं योजना की तुलना में योजना आयोग द्वारा दोगुना करते हुए 12,023 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं इसके अलावा स्थान विशिष्ट अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 500 करोड़ रु. अतिरिक्त रूप में प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2000 के दौरान जापान (3.62 प्रतिशत), यू.एस.ए. (6.25 प्रतिशत) तथा समस्त विकसित देशों (2.36 प्रतिशत) की तुलना में भारत ने कृषि पर कुल सार्वजनिक व्यय का 0.34 प्रतिशत खर्च किया। वर्ष 2005-06 में भारत ने कृषि अनुसंधान एवं विकास पर ए.जी.डी.पी. का 0.62 प्रतिशत खर्च किया। विभाग ने उत्पादन से उपभोग प्रणाली अनुसंधान, गैर लाभकारी क्षेत्र में टिकाऊ जीविका सुरक्षा तथा मूल और

नीतिगत अनुसंधान पर ध्यान देने के लिए मध्यम तथा दीर्घावधि कार्यक्रमों द्वारा अनुसंधान एजेंडा को स्थिति अनुकूल निर्धारित किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आरंभ की गई अन्य नई पहलों में गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन और उपलब्धता; जैविक कृषि; जलवायु परिवर्तन; आण्विक प्रजनन; संकर किस्म प्रौद्योगिकी; जल प्रबंधन; संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकी आदि शामिल हैं। क्षेत्रीय रूप से विभेदीकृत प्रौद्योगिकियों के प्रसार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उच्च कृषि वृद्धि के लिए राज्य-वार प्रौद्योगिकियों का दस्तावेजीकरण किया है। पेटेंट प्रणाली से संबंधित बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) के मामलों पर ध्यान देने के लिए आई.पी.आर. दिशानिर्देश परिचालित किए गए हैं।

(ग) भारत ने कृषि अनुसंधान में परस्पर आपसी सहयोग के लिए वर्ष 2006 के दौरान 'कृषि में भारत-अमेरिका जानकारी पहल' से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें कृषि शिक्षा, अनुसंधान सेवा तथा व्यावसायिक सम्पर्क के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर अन्वेषण कार्य करने के साथ-साथ और शिक्षण संसाधनों, खाद्य प्रसंस्करण, उपोत्पाद तथा जैव ईंधन के उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी तथा जल प्रबंधन पर सर्वप्रथम ध्यान दिया जाएगा। प्राथमिक रूप से अपने पैसे को अपने देश में खर्च करने के साथ-साथ सूचना और वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान पर ध्यान दिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

हथकरघा क्षेत्र हेतु विपणन और निर्यात संवर्धन योजना

3837. श्री हरिभाऊ राठौड़:

डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए एक विपणन और निर्यात संवर्धन योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) ग्यारहवीं योजनावधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित और जारी की गई; और

(घ) दसवीं योजनावधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान सूती हथकरघा उत्पादों के निर्यात की मात्रा और कीमत के संबंध में देश-वार क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) घरेलू और निर्यात बाजारों में विपणन चैनलों के विकास और संवर्धन तथा इन दोनों के मध्य समग्र और समन्वित ढंग से संपर्क बनाए रखने की दृष्टि से भारत सरकार ने 10वीं योजना के विपणन संवर्धन कार्यक्रम और हथकरघा निर्यात योजना को हथकरघा उद्योग में मिला करके "विपणन और निर्यात संवर्धन योजना" की घोषणा की है। इस योजना के उद्देश्य हैं:-

(i) राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य तथा जिला स्तर पर प्रदर्शनियां आयोजित करके हथकरघा उत्पादों के घरेलू विपणन में सहायता करना आदि।

(ii) हथकरघा क्षेत्र में नवीनतम डिजाइनों, वस्त्रों की किस्मों, तकनीकी विकास, प्राकृतिक रंगों का उपयोग आदि के बारे में उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना।

(iii) उपभोक्ताओं को गुणवत्ता हथकरघा उत्पाद उपलब्ध कराने हेतु स्थायी केन्द्र निर्माण की दृष्टि से प्रमुख शहरों और कस्बों में हथकरघा एजेंसियों को स्थायी विपणन आधारभूत सहायता प्रदान करना;

(iv) हथकरघा मार्क और अन्य उपायों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हथकरघा ब्रांड का विकास करना;

(v) उपयुक्त हथकरघा सहकारी समितियों और निगमों तथा ऐसे व्यक्तिगत निर्यातकों की पहचान और सहायता करना जो डिजाइन विकास, कुशलता उन्नयन, व्यावसायिक विपणन परामर्शक आदि संलग्न करने के लिए पेशेवर डिजायनर को लगाने जैसे निर्यात योग्य कार्रवाई करना।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों जिसमें प्रतिलोभी क्रेता-विक्रेता बैठक आदि भी शामिल हैं, में प्रतिभागिता के जरिए बाजार में पैठ बनाने के साथ-साथ हथकरघा मार्क तथा अन्य उपायों के जरिए प्रचार और ब्रांड विकास करना।

(ग) 11वीं योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा अनुमोदित निधियां नीचे दी गई हैं:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	विपणन संवर्धन के तहत परिव्यय	हथकरघा निर्यात योजना के तहत परिव्यय	कुल	जारी निधियां
2007-08	30.00	5.00	35.00	23.43
2008-09	57.00	5.00	62.00	13.90 लाख रुपए (वित्त वर्ष अभी आरंभ हुआ है)
2009-10	48.00	5.00	53.00	लागू नहीं
2010-11	31.00	5.00	36.00	-वही-
2011-12	39.00	5.00	44.00	-वही-
कुल	205.00	25.00	230.00	-वही-

(घ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2002-03 के दौरान हथकरघा के सूत के उत्पादों का कुल निर्यात मूल्य, इसके पिछले वर्ष के 2064 करोड़ रुपए के निष्पादन की तुलना में 2633.27 करोड़ रुपया रहा। तथापि, हथकरघा उत्पादों का पृथक आई.टी.सी. (एच.एस.) संहिता नहीं होने के कारण अप्रैल, 2003 के पश्चात के निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय हथकरघा उत्पादों के लिए पृथक आई.टी.सी. (एच.एस.) संहिता आवंटित करने के मामले को वित्त मंत्रालय और विदेश व्यापार महानिदेशक, वाणिज्य मंत्रालय के पास पहले ही उठा चुका है। वित्त मंत्रालय को अभी हथकरघा उत्पादों के लिए संहिता को अधिसूचित करना है।

नहरों के द्वारा भूमि की सिंचाई

3838. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नहरों द्वारा सिंचाई करने के काम में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान नहरों के द्वारा राज्य-वार कितनी भूमि की सिंचाई की गई; और

(ग) सिंचाई क्षेत्र को बढ़ाने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी नहीं। नहर और सतही जल का प्रयोग करते हुए वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत तैयार की गई जल वितरण प्रणाली के माध्यम से सिंचाई क्षमता के सृजन में लगातार वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उड़ान प्रशिक्षण हेतु वायु क्षेत्र

3839. श्री पंकज चौधरी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन क्रियाकलापों में आई तेजी की वजह से उड़ान प्रशिक्षण हेतु वायु क्षेत्र की उपलब्धता कठिन होती जा रही है;

(ख) क्या विमान यातायत में क्रमबद्ध रूप से हुई वृद्धि की वजह से वायु सेना और नागर विमानन यातायात के बीच वायु क्षेत्र का अनुपात गड़बड़ हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या वायु सेना ने नए वायु क्षेत्रों की खोज हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) "अप्रतिबंधित उपयोग" संकल्पना के अंतर्गत वायुक्षेत्र की हिस्सेदारी और उपयोग का नागर विमानन मंत्रालय के साथ नियमित रूप से समन्वय किया जाता है। अतिरिक्त/नए वायुयान बेसों की आवश्यकता का संक्रियात्मक और राष्ट्रीय सुरक्षा परिप्रेक्ष्य में नियमित अंतरालों पर विश्लेषण किया जाता है और यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण

3840. **श्री रमेश दूबे:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:
पी. मुनब्बर हसन:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री संतोष गंगवार:
डा. सत्यनारायण जटिया:
श्री सुभाष महरिया:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ द्वारा मूल्यवृद्धि को नियंत्रित करने के प्रयास विफल हो गए हैं तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्य पिछले तीन महीनों के दौरान अप्रत्याशित स्तर तक पहुंच गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की तिथि के अनुसार और पिछले महीने की इसी तिथि के अनुसार आवश्यक वस्तुओं के मूल्य क्या रहे हैं और मूल्यों में हो रही सतत वृद्धि के लिए किन कारणों को उत्तरदायी पाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा मूल्यवृद्धि रोकने और देश में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुकर बनाने हेतु क्या नए कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन स्थापित मूल्य निगरानी कक्ष को केवल 14 आवश्यक वस्तुओं अर्थात चावल, गेहूं, आटा, चना, तूर/अरहर, चाय, दूध, चीनी, वनस्पति, सरसों के तेल, मूंगफली के तेल, आलू, प्याज और नमक के खुदरा मूल्यों की दैनिक आधार पर निगरानी करने का अधिदेश प्राप्त है। इसकी स्थापना आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि को रोकने/नियंत्रित करने के लिए नहीं की गई है। इस संबंध में रिपोर्टें तैयार की जाती हैं और उनको प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, वित्त मंत्रालय तथा अन्य संबंधित विभागों को भेजा जाता है। इसके अलावा, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की स्थिति की मूल्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति, सचिवों की समिति और मंत्रिमण्डल की उच्चस्तरीय बैठकों में निगरानी की जाती है जो मूल्यों को नियंत्रण में रखने के लिए निर्णय लेती है। पिछले तीन महीनों के दौरान आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि अप्रत्याशित स्तर तक नहीं पहुंची है। केवल सरसों के तेल और वनस्पति तेल के खुदरा मूल्यों में ही वृद्धि दिखाई दी है। अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य या तो स्थिर रहे या फिर उनमें गिरावट आई।

(ख) दिल्ली में 15-4-2008 की स्थिति के अनुसार पिछले महीने की खुदरा मूल्य स्थिति नीचे दर्शाई गई है:-

वस्तु	चालू मूल्य 15-04-2008	खुदरा मूल्य (रुपए प्रति किलोग्राम)		अंतर
		एक सप्ताह पूर्व 8-04-08	एक माह पूर्व 15-03-08	1 माह में
1	2	3	4	5
चावल	18.00	18.00	18.00	0.00

1	2	3	4	5
गेहूं	13.00	13.00	13.00	0.00
आटा	14.00	14.00	14.00	0.00
चना दाल	37.50	38.00	39.00	-1.50
तुर दाल	42.00	42.00	42.00	0.00
चीनी	18.00	18.00	18.00	0.00
मूंगफली का तेल*	121.00	121.00	121.00	0.00
सरसों का तेल*	73.00	74.00	87.00	-14.00
वनस्पति	75.00	75.00	79.00	-4.00
चाय (खुली)	106.00	107.00	109.00	-3.00
दूध	20.00	20.00	20.00	0.00
आलू	8.00	8.00	8.50	-0.50
प्याज	9.00	0.00	9.00	0.00
नमक (पैकबंद)	10.00	10.00	10.00	0.00

* रिफाइन्ड तेल

पिछले एक महीने के दौरान आवश्यक वस्तुओं के खुदरा मूल्य कुल मिलाकर स्थिर रहे अथवा कम हुए। मूल्य वृद्धि का मूल्य कारण भारत में अधिकांश आवश्यक वस्तुओं की मांग और आपूर्ति में विषमता के साथ-साथ कृषिजन्य वस्तुओं में वैश्विक मुद्रास्फीति रहे।

(ग) देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने और उपलब्धता में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए नए कदम इस प्रकार हैं:-

(1) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात एम.एम.टी.सी., पी.ई.सी., एस.टी.सी. और नेफेड से वर्ष 2008-09 के लिए प्रतिमाह एक लाख टन खाद्य तेलों का आयात करने के लिए कहा गया है जिसको राज्य सरकारों तथा उनकी एजेंसियों द्वारा राजसहायता प्राप्त दरों पर वितरित किया जाएगा।

(2) उपभोक्ता मामले विभाग ने 7-4-2008 को खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा लगाने के बारे में आदेश जारी किया है।

(3) विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपनी दिनांक 1-4-2008 की अधिसूचना के द्वारा गैर-बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है। राजस्व विभाग ने अपनी दिनांक 20-3-2008 की अधिसूचना संख्या 37/2008-कस्टम के द्वारा 31-3-2009 तक चावल पर आयात शुल्क घटाकर शून्य करने के आदेश जारी किए हैं। सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि लाइसेंसिंग, स्टाक सीमा और चावल के संचलन पर प्रतिबंध हटाने के आदेश को एक वर्ष की अवधि के लिए आस्थगित रखा जाए।

(4) विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपनी दिनांक 1-4-2008 की अधिसूचना के द्वारा बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य को बढ़ाकर 1200 अमेरिकी डालर प्रति टन कर दिया है।

(5) राजस्व विभाग ने अपनी दिनांक 1-4-2008 की

अधिसूचना के द्वारा खाद्य तेलों के आयात शुल्क में निम्नलिखित परिवर्तन किए हैं:-

- कच्चे खाद्य तेलों पर आयात शुल्क शून्य कर दिया गया है;
- रिफाइन्ड और हाइड्रोजेनेटिड तेलों पर आयात शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है।
- हाइड्रोजेनेटिड वनस्पति तेलों पर भी आयात शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है।
- मक्खन और घी पर सीमा शुल्क घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया है।

(6) विदेश व्यापार महानिदेशालय ने अपनी दिनांक 1-4-2008 की अधिसूचना के द्वारा खाद्य तेलों के आयात को 31-3-2009 तक एक वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया है।

(7) विदेश व्यापार महानिदेशालय की दिनांक 1-4-2008 की अधिसूचना के द्वारा 5 लाख प्रतिवर्ष के टैरिफ रेट कोटा के तहत मक्का पर सीमा शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है।

टेलीफोन नम्बरों को शामिल किया जाना

3841. श्री रेवती रमन सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आस-पास के गाजियाबाद, फरीदाबाद इत्यादि जैसे शहरों के टेलीफोन नम्बरों को दिल्ली की टेलीफोन डायरेक्टरी के अगले अंक में शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अगली टेलीफोन डायरेक्टरी को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली की अद्यतन निदेशिका सूचना निम्नलिखित पर पहले ही उपलब्ध है:

(i) 197

(ii) सीडी-रॉम

(iii) इंटरनेट

[हिन्दी]

वस्त्र आयात पर शुल्क से छूट

3842. श्री देवियानी खोबरागडे: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने एशियाई देशों से आयात किए जाने वाले वस्त्रों पर शुल्क से छूट दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय से राजस्व की कितनी हानि होने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त आयात नीति से देश में परिधानों के मूल्यों के कम होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त कदमों की वजह से वस्त्र व्यापार में वृद्धि होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक वर्ष आयात किए जाने वाले वस्त्रों की लक्षित संख्या कितनी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (च) भारत, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), जो 01 जुलाई 2006 से प्रचालन में आया, से संबंधित करार पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में से हैं। साफ्टा में सदस्य देशों द्वारा 10 वर्षों के भीतर शुल्क में जीरो से 5% तक कमी करने की परिकल्पना की गई है और यह रियायत संवेदनशील सूची की मदों को छोड़कर है। साफ्टा बातचीत के दौरान की गई वचनबद्धताओं के अनुसरण में भारत, बांग्लादेश से 8 मिलियन (संख्या) परिधानों को बाजार पहुंच पर जीरो शुल्क प्रदान करेगा, जिसे भारत सरकार और बंगलादेश सरकार के बीच 16-9-2007 को सम्पन्न समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) के माध्यम से प्रचालित किया जाना है। श्रीलंका से आने वाले 3 मिलियन परिधानों को बाजार पहुंच पर किसी स्रोत शर्त और बंदरगाह प्रतिबंध के बिना जीरो शुल्क प्रदान करने का भी निर्णय किया गया। इस पर भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के बीच 5-10-2007 को एक

समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया गया है। उपर्युक्त रियायतें घरेलू खपत की छोटी प्रतिशत होने की वजह से व्यावहारिक रूप से मूल्य को प्रभावित नहीं करती हैं।

[अनुवाद]

डेयरी किसानों हेतु पैकेज

3843. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री पन्नियन रवीन्द्रन:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केरल डेयरी फार्मर्स वेलफेयर फंड बोर्ड के माध्यम से डेयरी किसानों को व्यापक बीमा पैकेज मुहैया कराने हेतु एक योजना क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार से शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता की मांग की है: और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) केरल राज्य सरकार से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, केरल डेयरी किसान कल्याण कोष ने 2-1-2008 के अपने पत्र द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसमें 2007-08 से 2011-12 तक शुरू होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए पेंशन, परिवार पेंशन, विकृति के लिए सहायता, व्यापक बीमा कवरेज, विवाह सहायता, दाह संस्कार गतिविधियों के लिए सहायता, शैक्षिक छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभों जैसी गतिविधियों को कवर करते हुए 10,859.75 लाख रुपए की कुल लागत से भारत सरकार से 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता की मांग की गई है। केरल डेयरी किसान कल्याण कोष को 24-1-2008 को सूचित किया गया था कि इस विभाग द्वारा ऐसी कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा रही है जिसके तहत इस प्रकार के प्रस्ताव को वित्त पोषित किया जा सके।

शिमला स्थित सैन्य अस्पताल

3844. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिमला स्थित सैन्य अस्पताल अग्निकांड में ध्वस्त हो गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अस्पताल के पुनर्निर्माण हेतु क्या प्रस्ताव हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) शिमला स्थित सैन्य अस्पताल दिसंबर, 1998 में एक अग्नि दुर्घटना में ध्वस्त हो गया था। आग लगने का संभावित कारण शॉर्ट-सर्किट था। इस समय यह अस्पताल शिमला से 14 कि.मी. दूर जतोघ में एक अस्थाई जगह पर कार्य कर रहा है। शिमला में 100 बिस्तर वाले एक सैन्य अस्पताल के पुनर्निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। निर्माण-कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है और कार्य पूरा किए जाने की अनंतिम तारीख दिसंबर, 2010 है।

[हिन्दी]

नए ई.एस.आई. औषधालय/केन्द्र/ नर्सिंग होम खोला जाना

3845. श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री मित्रसेन यादव:
श्री देविदास पिंगले:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ई.एस.आई. अस्पतालों के कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) के अभिदाताओं के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को उपचार कराने की अनुमति देने के लिए कोई योजना स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में वर्तमान में राज्य-वार कितने ई.एस.आई. औषधालय और केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान नए ई.एस.आई. औषधालय, केन्द्र और नर्सिंग होम खोलने का भी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा की कम प्रयुक्त चिकित्सा सुविधाओं के उपयोग के लिए, गैर अंशदाताओं को प्रयोक्ता प्रभार लेकर उपचार देने का कर्मचारी राज्य

बीमा निगम का प्रस्ताव है। इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में संशोधन अपेक्षित है।

(ग) फिलहाल सम्पूर्ण भारत में कर्मचारी राज्य बीमा के 144 अस्पताल और 1422 औषधालय कार्यरत हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) जी हां। निगम ने नए क.रा.बी. औषधालय और अस्पताल खोलने का अनुमोदन किया है। औषधालयों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अस्पतालों का विवरण निम्नवत् है:-

अस्पताल

(क) सनतनगर, आंध्र प्रदेश

(ख) बद्दी, हिमाचल प्रदेश

(ग) गुडगांव, हरियाणा

(घ) भिवाड़ी, राजस्थान

(ङ) तिरूनेलवेली, तमिलनाडु

(च) तिरूपुर, तमिलनाडु

(छ) हल्दिया, प. बंगाल

(ज) हरिद्वार, उत्तराखंड

(झ) रूद्रपुर, उत्तराखंड

(ञ) पीन्या, बंगलौर (कर्नाटक)

जांच केन्द्र (10 बिस्तर)

(क) रायपुर (छत्तीसगढ़)

(ख) देहरादून (उत्तराखंड)

(ग) पीतमपुर (मध्य प्रदेश)

(घ) मंडीदीप (मध्य प्रदेश)

(ङ) तुडिलियर (पुदुचेरी)

(च) अयानावरम (तमिलनाडु)

औषधालय विवरण-II के अनुसार

विवरण-I

कर्मचारी राज्य बीमा के अस्पतालों और औषधालयों का राज्यवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	अस्पताल 2005-06	औषधालय 2005-06
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	133
2.	असम	1	27
3.	बिहार	3	24
4.	चंडीगढ़ प्रशासन	1	2
5.	छत्तीसगढ़	–	11
6.	दिल्ली	4	43
7.	गोवा	1	9
8.	गुजरात	12	125

1	2	3	4
9.	हरियाणा	05	57
10.	हिमाचल प्रदेश	01	9
11.	कर्नाटक	09	118
12.	केरल	13	137
13.	मध्य प्रदेश	07	47
14.	महाराष्ट्र	14	72
15.	मेघालय	–	2
16.	उड़ीसा	06	49
17.	पांडिचेरी	01	15
18.	पंजाब	07	69
19.	राजस्थान	05	64
20.	तमिलनाडु	09	187
21.	उत्तर प्रदेश	16	143
22.	उत्तरांचल	–	7
23.	पश्चिम बंगाल	14	35
24.	जम्मू-कश्मीर	01	8
25.	झारखण्ड	03	29
	कुल	144	1422

विवरण-II

नव कार्यान्वित भौगोलिक क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत संस्वीकृत क.रा.बी. औषधालय

1. आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जगैयापेट और आस-पास
2. आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में श्री कलाहस्ती
3. आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में कुर्मन्नापलेम
4. हरियाणा के तोहाना क्षेत्र में चल औषधालय
5. उत्तराखंड में नैनीताल में नैनीताल क्षेत्र
6. उत्तराखंड में हरिद्वार जिले में भगवानपुर
7. उत्तराखंड में रोशनाबाद औद्योगिक क्षेत्र (सिडकुल)
8. गोपीचेत्तीपलायम, चेन्नई
9. भिलाई क्षेत्र/केन्द्र, छत्तीसगढ़
10. कोरबा क्षेत्र/केन्द्र, छत्तीसगढ़
11. कुआजमुंडा, जिला सुंदरगढ़, उड़ीसा

12. डुबुरी, जिला जैपोर, उड़ीसा

वर्तमान कार्यान्वित क्षेत्रों में अनुमोदित क.रा.बी. औचधालय

13. अलवर संख्या-1 (राजस्थान)

14. भिवाड़ी (राजस्थान)

15. जांच केन्द्र, जीदीमेटला (आंध्र प्रदेश)

16. ऑटोनगर, (आंध्र प्रदेश)

17. औद्योगिक क्षेत्र, विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)

18. कोर्लिम (गोवा)

19. मीनमबक्कम (तमिलनाडु)

20. अम्बर, तमिलनाडु

21. विरूधनगर (तमिलनाडु)

22. हिसार औद्योगिक क्षेत्र (हरियाणा)

23. फरीदाबाद, हरियाणा

24. मानेसर (हरियाणा)

25. मुरथल (हरियाणा)

26. आर्यनकुप्पम (पांडिचेरी)

27. रेड्डीपलायम, पांडिचेरी

28. एंडोगिडी, कर्नाटक

29. वजीरपुर, दिल्ली

30. पप्पनकलां, दिल्ली

31. आगरा, उत्तर प्रदेश

32. रायपुर, छत्तीसगढ़

33. माइलम, केरल

34. विलाकुड़ी (केरल)

35. आश्रमम, कोल्लम (केरल)

[अनुवाद]

कीटपालन उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम में परिवर्तन

3848. डा. एम. जगन्नाथ: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेशम कीटपालन उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेशम कीटपालन क्षेत्र हेतु आकलन में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में रेशम कीटपालन के विकास हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। 11वीं योजना के दौरान उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) का कार्यान्वयन लाभार्थियों के सभी श्रेणियों जैसे किसानों, रीलरों और बुनकरों को लाभान्वित करने और 11वीं योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सहायता सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित तीन क्षेत्रों अर्थात बीज, कोया और कोया-पश्चात क्षेत्रों के तहत मुख्य रूप से पैकेजों के रूप में परियोजना रूप में किया जा रहा है। प्रत्येक पैकेज में लचीलापन देश में विभिन्न रेशम क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लाया गया है। सी.डी.पी. के तहत संघटक रेशम उत्पादन करने के लिए मौजूदा और नए दोनों किसानों के लिए लाभदायक हैं। राज्य सरकारों को मौजूदा और नए किसानों की पहचान और संघटकों के समूह में से उनकी आवश्यकतानुसार संघटकों को प्रदान करना है। अधिकतर संघटकों की इकाई लागत 11वीं योजना में लाभार्थियों और विशेष दर्जा वाले राज्यों में राज्य सरकारों की वित्तीय बोझ को कम करने के अलावा बढ़ा दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां। जहां तक रेशम क्षेत्र का प्रश्न है, विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र/केंद्रीय रूप से प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 10वीं योजनावधि (2002-07) के दौरान भारत सरकार द्वारा अनुमोदित आबंटन 526.99 करोड़ रु. था जिसमें उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के लिए अनुमोदित

244.47 करोड़ रु. शामिल है। उसी प्रकार से 11वीं योजना के दौरान उपर्युक्त केंद्रीय क्षेत्र/केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं को जारी रखने के लिए सी.एस.बी. के प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार ने 816.49 करोड़ रु. कुल परिव्यय मंजूर किया है जिसमें 661.62 करोड़ रु. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए है। जबकि सी.एस.बी. की सभी योजनाओं के लिए 10वीं योजना की तुलना में 11वीं योजना के आवंटन में वृद्धि की प्रतिशतता 55% है, उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के मामले में यह वृद्धि 171% है।

(ङ) सी.डी.पी. के कार्यान्वयन के अलावा, निम्नलिखित कदम देश में उत्कृष्ट रेशम के उत्पादन के लिए भारत सरकार द्वारा सी.एस.बी. के माध्यम से उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं-

- केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों ने उन्नत शहतूत किस्म (वी1) और रेशम कीट नस्ल (सी.एस.आर. नस्ल) विकसित किया है जिसे आयात के प्रतिस्थानापन्न के रूप में उच्च कोटि के रेशम का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज द्वारा सहायता दी जाती है।

- केंद्रीय रेशम बोर्ड ने सिल्क कंडीशनिंग और टेस्टिंग हाऊस की स्थापना की है और उत्कृष्ट रेशम के उत्पादन का संवर्धन करने के लिए कोया और कच्चे रेशम परीक्षण केंद्रों की स्थापना में सहयोग किया है।

- केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों ने लागत कम करने वाले विभिन्न प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित किए हैं और रेशम उत्पादन शृंखला के विभिन्न चरणों में रेशम उत्पादकों को बेहतर आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए अन्य छीमीदार फसलों और सब्जियों के साथ शहतूत/वण्य रेशम स्थानीय पौधों की अंतर-खेती का संवर्धन किया है।

- केंद्रीय रेशम बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों ने प्राथमिक उत्पादकों को अपेक्षाकृत अधिक आय प्राप्त करने में सहायता देने के लिए उप-उत्पाद की उपयोगिता के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकी पैकेज विकसित किए हैं।

- कोया-पश्चात क्षेत्र के तहत सीधे अथवा राज्य रेशम विभागों के माध्यम से बहु छोर रीलिंग/टिवस्टिंग/शटल रहित बुनाई इकाइयों की स्थापना के लिए रीलिंग, टिवस्टिंग, शीत प्रसंस्करण और बुनाई जैसे विभिन्न क्रियाकलापों में लगे उद्यमियों को सहायता प्रदान किया जा रहा है।

- वण्य रेशम क्षेत्र के तहत केंद्रीय रेशम बोर्ड ने तसर और मूगा के लिए उन्नत रिलींग सह टिवस्टिंग मशीन और उचित मूल्य पर उत्कृष्ट रेशम का उत्पादन करने के लिए उन्नत कताई चक्र विकसित किया है। इन उपकरणों को उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम के तहत लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

- उत्पाद विकास कार्यक्रम के तहत नए उत्पाद विकसित किए गए हैं और उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से वण्य रेशम क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

मल्टी-फाइबर समझौता

3847. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उद्योग ने प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु वित्तपोषण के माध्यम से आधुनिकीकरण करने और भारतीय वस्त्र हेतु वैश्विक ब्रान्ड निर्मित करने के सहायतार्थ स्थिर नीति माहौल की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय वस्त्र उद्योग को विशेषकर मल्टी-फाइबर समझौता प्रणाली के पश्चात वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) सरकार को प्रौद्योगिकीय उन्नयन के वित्तपोषण के माध्यम से आधुनिकीकरण सहायता और भारतीय वस्त्रों के वैश्विक ब्रांड निर्माण सहायता की आवश्यकता के बारे में मालूम है। सरकार, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और विश्व स्तरीय अवसंरचना के द्वारा भारतीय वस्त्र उद्योग की संभाव्यता को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) और एकीकृत वस्त्र पार्क (एस.आई.टी.पी.) जैसी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इसके अलावा, सरकार वस्त्र उद्योग को वस्त्रों के विश्व बाजार में इसके हिस्से को

बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के माध्यम से बाजार विकास सहायता (एम.डी.ए.) और बाजार प्रवेश पहल (एम.ए.आई.) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

सरकार द्वारा वस्त्र उद्योग के विकास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं-

(1) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(2) सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र (एस.एस.आई.) से अनारक्षित कर दिया है।

(3) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण और उन्नयन को सुकर बनाने के लिए 1-1-1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) प्रचालन में है। टी.यू.एफ.एस. को 31-03-2007 से आगे बढ़ाया गया था और दिनांक 1 नवंबर, 2007 को उद्योग तथा सक्षम प्राधिकारी के साथ परामर्श में संशोधित किया गया। योजना वर्तमान में प्रचालन में है। वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तीव्र आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने 20-4-2005 से टी.यू.एफ.एस. के तहत वर्तमान 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना शुरू की है।

(4) वस्त्र एवं परिधान उद्योग के उत्पादन आधार को बढ़ाने के लिए "निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना" और "वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना" को मिलाकर "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" नामक एक योजना शुरू की गई थी।

(5) देश के भीतर वृद्धि और अधिकतम मूल्यवर्द्धन प्राप्त करने के लिए आमतौर पर राजकोषीय शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाया गया है। मानव निर्मित फिलामेंट यार्नों और मानव निर्मित स्टैपल फाइबरों पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर समस्त मूल्यवर्धन शृंखला को उत्पाद शुल्क छूट का विकल्प दिया गया है।

(6) निवेश आकर्षित करने और वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान मशीनरी के आयात को सीमा शुल्क के रियायती दर पर अनुमति दी गई है। मशीनरी की लागत को रोजकोषीय नीति उपायों के माध्यम से भी घटाया गया है।

(7) परिधान निर्यातकों को ट्रीमिंग और एंबलिशमैंट की 21 मदों को शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी गई है। यह उनके पिछले वर्ष के वास्तविक निर्यात निष्पादन का 3% तक हो सकता है।

(8) 2004-05 में मानव निर्मित फाइबर और फिलामैंट यार्न को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट दी गई थी। 2005-06 में पोलिएस्टर फिलामैंट यार्न पर 24% केंद्रीय मूल्य सहायित कर (सेनवेट) को घटाकर 16% कर दिया गया है। राजकोषीय उपशुल्कों में संशोधन वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए अधिक निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

(9) कोटा पश्चात व्यवस्था में भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु अत्याधुनिक मशीनरी के आयात को सुकर बनाने के लिए बजट, 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क घटा कर 10% कर दिया गया था। तथापि, इसमें सूची 49 में दर्शायी गयी 23 मदें शामिल हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बी.सी.डी.) लगता है। 5% का यह रिआयती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर जारी है।

(10) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

(11) इसके अलावा, सरकार ने जुलाई, 2007 से वस्त्र निर्यातकों के लिए अनेक राहत उपाय शुरू किए। ये उपाय इस प्रकार हैं-

- वस्त्र (हथकरघा भी), सिलेसिलाए परिधान (आर.एम.जी.) और हस्तशिल्प सहित 9 क्षेत्रों के लिए शुल्क हकदारी पासबुक (डी.ई.पी.बी.) दरों को 3% बढ़ा दिया गया है। अन्य मदों के लिए डी.ई.पी.बी. दरों को 2% बढ़ाया गया।

- निर्यात ऋण गारंटी निगम (ई.सी.जी.सी.) प्रीमियम में 10% तक कमी की गई।
- केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) प्रतिपूर्ति और टर्मिनल उत्पाद शुल्क के बकायों को निपटाने के लिए 600 करोड़ रु. जारी कर दिए गए हैं।
- मौजूदा शुल्क वापसी दरों को 10-40% तक बढ़ा दिया गया है।
- 2% की ब्याज सब्सिडी सहित ऋण दर पर 4% तक अनुदान की अनुमति।
- सामानों के निर्यातों से संबंधित सेवाओं यथा निर्यात के लिए पोर्ट सेवाएं, कंटेनर डिपो से निर्यात पोर्ट तक रोड द्वारा सामानों का परिवहन, निर्यात सामानों के बीमा के लिए सामान्य बीमा सेवाओं, तकनीकी परीक्षण एवं विश्लेषण एजेंसी सेवाओं तथा निरीक्षण एवं प्रमाणन सेवाओं, स्टोरेज एवं वेयरहाऊसिंग सेवाओं और क्लिरिंग क्रियाकलाप सेवाओं पर निर्यातकों द्वारा भुगतान किए गए सेवा कर की वापसी।
- पोलिएस्टर फिलामैंट यार्न और पोलिएस्टर स्टैपल फाइबर पर 7.5% सीमा शुल्क को घटाकर 5% करना।
- इंटरमिडिएट पी.टी.ए. के लिए एक कच्ची सामग्री पैरा-एक्सीलीन पर सीमा शुल्क को 2% से घटाकर शून्य करना।
- अन्य मानव निर्मित फिलामैंट यार्न एवं अक्रैलिक तथा विस्कोस के स्टैपल फाइबर पर 10% सीमा शुल्क को घटाकर 5% करना।
- मानव निर्मित स्टैपल फाइबर के स्पन यार्न और फिलामैंट यार्न (नाइलोन को छोड़कर) पर 10% सीमा शुल्क को घटाकर 5% करना।
- पोलिएस्टर चिप्स पर 7.5% सीमा शुल्क को घटाकर 5% करना।

डाकघरों के माध्यम से सिक्कों का वितरण

3848. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में विशेषकर गुजरात में डाकघरों के माध्यम से एक, दो और पांच रुपये के सिक्कों (आर.बी.आई.) को वितरित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में विशेषकर गुजरात में उक्त डाकघरों की संख्या कितनी है जिन्हें सिक्कों का वितरण करने हेतु चुना गया है;

(ग) क्या सरकार के पास इस कार्य के लिए प्रत्येक तालुका में दो डाकघरों को शामिल करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सिक्कों के खुदरा वितरण तथा फटे-पुराने नोटों के विनिमय हेतु व्यापक माध्यम खोजने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने डाक विभाग से संपर्क किया है जिससे कि सिक्कों के वितरण एवं फटे-पुराने नोटों के विनिमय हेतु देश में डाकघरों का उपयोग किया जा सके। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक की संबंधित शाखाओं के सहयोग से गुजरात सर्किल के सीमित डाकघरों सहित विभिन्न डाक सर्किलों द्वारा कार्यान्वित की गई है।

गुजरात डाक सर्किल में 5 डाकघरों - अहमदाबाद जी.पी.ओ., नवरंगपुरा प्रधान डाकघर, बड़ोदरा प्रधान डाकघर, सूरत प्रधान डाकघर तथा राजकोट प्रधान डाकघर ने वितरण का कार्य शुरू किया है।

(ग) और (घ) ऐसे डाकघर, जहां सिक्कों का वितरण किया जाना है, की पहचान करने का निर्णय डाक सर्किलों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से लिया जाता है जो जनता की जरूरत तथा संबंधित डाकघरों में आधारभूत ढांचे की उपलब्धता पर निर्भर करता है। वर्तमान में इस कार्य के लिए तालुका में दो डाकघरों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली

3849. श्री उदय सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. को अपने उपभोक्ताओं और निजी दूरसंचार ऑपरेटरों से कई करोड़ रुपये वसूलने हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. ने उपभोक्ताओं और निजी दूरसंचार ऑपरेटरों से उक्त बकाया राशि की समय-सीमा के अंदर वसूलने हेतु योजनाएं तैयार की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उपभोक्ताओं से इतनी बड़ी बकाया राशि वसूलने में विफल रहे बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों पर कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। 31-10-2008 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वसूली नहीं जा सकी बकाया राशि एक लंबे समय से संचित होती रही है और लैंडलाइन ग्राहकों के मामले में यह राशि बी.एस.एन.एल. गठित होने से पहले की है और तब की अवधि से संबंधित है जबकि सेवाएं भारत सरकार द्वारा प्रचालित की जाती थीं।

बाजार में नए प्रचालकों के आ जाने से भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ता अपने बकाया का भुगतान किए बिना अन्य प्रचालकों की सेवाएं लेने लगते हैं जिससे उनकी बकाया देनदारी में वृद्धि होती है।

निजी प्रचालकों से बकाया अंत:संयोजन भुगतानों के मामले में अन्य लाइसेंस प्राप्त प्रचालकों द्वारा बी.एस.एन.एल. के विरुद्ध विभिन्न आधारों पर दायर कराए गए अदालती मामलों में बहुत अधिक बकाया राशि फंसी हुई है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी कानून के उपबंधों के अनुसार कानूनी उपाय सीमित हैं और एक कंपनी होने के कारण बी.एस.एन.एल. को सामान्यत: सरकारी एजेंसियों की सहायता से बकाया राशि वसूल करने की सुविधा प्राप्त नहीं है जैसाकि पहले किया जाता था जिसके कारण भी बकाया राशि में वृद्धि हुई है।

(ग) और (घ) बकाया राशि की समय से वसूली के लिए प्रत्येक वर्ष विस्तृत योजना तैयार की जाती है। जिन क्षेत्रीय इकाइयों की राशि बकाया है उनके लिए बकाया राशि की वसूली के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा बकाया राशि की वसूली के लिए विशेष प्रोत्साहन स्कीम शुरू की गई और इसके लिए विशेष वसूली एजेंट भी नियुक्त किए गए हैं।

बिल जारी करने, कनेक्शन काटने, भुगतान के लिए संपर्क करने और आवश्यकता होने पर बाद में की जाने वाली कानूनी कार्रवाई के लिए निर्धारित मानीटरिंग प्रक्रियाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) और (च) अनेक मामलों में बकाया इस कारण सृजित होती है कि अनेक उपभोक्ता अपने बिलों का समय से भुगतान नहीं करते हैं, अपना परिसर बदल देते हैं और राशि बकाया हो जाने पर भुगतान किए बिना अन्य नए प्रचालकों की सेवाएं प्राप्त कर लेते हैं। बकाया मामलों में वसूली के प्रयास निरंतर किए जाते हैं और उनकी गौण स्विचन क्षेत्र/सर्किल मामला-वार समीक्षा की जा रही है तथा विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण-I

31-03-2008 की स्थिति के अनुसार बी.एस.एन.एल. के संबंध में सेवा-वार ब्यौरा निम्नवत् है:

(करोड़ रु.)

	उपभोक्ता		निजी प्रचालक आई.यू.सी. (इंटरकनेक्ट उपयोग प्रभार)	कुल
	स्थिर लाइन सेवा	मोबाइल (पोस्टपेड)		
1	2	3	4	5
1997-98 तक	146.42			146.42

1	2	3	4	5
1998-99	140.55			140.55
1999-00	168.36			168.36
2000-01	251.74			251.74
2001-02	310.30			310.30
2002-03	310.18	9.75		319.93
2003-04	441.53	178.94		620.47
2004-05	448.27	90.49	184.07	722.83
2005-06	518.39	111.42	194.35	824.16
2006-07	687.85	133.00	112.89	933.74
2007-08 (जनवरी, 08 तक)	675.28	101.80	272.46	1049.54
जोड़	4098.87	625.40	763.77	5488.04

विवरण-II

बकाया राशि की वसूली के अनुवर्ती कानूनी कार्यवाही हेतु विहित निगरानी प्रक्रिया का ब्यौरा

बकाया राशि की वसूली के लिए बी.एस.एन.एल. द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(1) सर्किलों को टेलीफोन के बिल समय से जारी होना सुनिश्चित करने और भुगतान न किए जाने पर शीघ्र टेलीफोन काट देने के संबंध मे अनुदेश जारी किए गए हैं और इस संबंध में समय-समय पर फिर से उल्लेख किया जाता रहा है। भुगतान नहीं किए जाने के कारण टेलीफोन काटने के संबंध में समय सीमा निम्नवत निर्धारित की गई है:

सेवा	भुगतान की अवधि	आउट गोइंग कॉल करने की सुविधा काटना
स्थिर लाइन	बिल की तारीख से 21 दिन	बिल की तारीख से 35 दिन
मोबाइल	बिल की तारीख से 15 दिन	बिल की तारीख से 21 दिन
आई.यू.सी.	बिल की तारीख से 15 दिन	30 दिन की नोटिस के बाद

(2) यूनिटों द्वारा भुगतान के संबंध में आई.वी.आर.एस. के जरिए अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं।

(3) यदि कनेक्शन काटे जाने के बावजूद कोई भुगतान प्राप्त नहीं होता तो यदि आवश्यक हो तो पहले एक पंजीकृत नोटिस ओर तब एक कानूनी नोटिस भेजा जाता है।

(4) प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सर्किल/मेट्रो जिले के संबंध में विभिन्न बिलिंग अवधियों के दौरान बकाया राशि चुकाने के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा संबंधित कार्य-निष्पादन की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(5) राज्य सरकारों से अपने भूमि राजस्व अधिनियमों में संशोधन करने का अनुरोध किया गया है ताकि बी.एस.एन.एल. की वसूल न हुई बकाया राशि को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल किया जा सके।

(6) सर्किल प्रमुखों को बकाया राजस्व की वसूली में बी.एस.एन.एल. की सहायता करने के लिए कमीशन आधार पर निजी वसूली एजेंटों को नियुक्त करने के अधिकार दिए गए हैं। सर्किलों से बकाया राशि की वसूली के लिए राज्य सरकार के विभागों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए भी कहा गया है।

(7) उपभोक्ताओं को पहले की बकाया राशि जमा कराने और प्रतिस्पर्धा के दौर में बेहतर संबंध बनाने के लिए सहमत करने हेतु छूट स्कीम भी शुरू की गई।

(8) बकाया राशि से संबंधित मामले को लोक अदालत के जरिए निबटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

(9) बुनियादी डब्ल्यू.एल.एल. सेवा और सी.एम.टी.एस. के अंतर्गत स्थायी तौर पर बंद किए जा चुके कनेक्शनों के संबंध में टेलीफोन बकाये की वसूली के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिए जाने की स्कीम शुरू की गई है।

(10) उगाही में सुधार के लिए दूसरे, तीसरे और छठे माह के संबंध में उगाही दक्षता के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

(11) निर्धारित किए गए समय के अनुसार भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में अपने-आप टेलीफोन कनेक्शन काट देना।

(12) इनकमिंग कॉल काट देने के बाद भी भुगतान नहीं किए जाने के कारण काट दिए कनेक्शनों को स्थायी तौर पर काट दिया जाता है तथा यदि कोई जमानत जमा-राशि उपलब्ध हो तो उससे समायोजित करके लेखा विनयमित कर दिया जाता है।

(13) निजी वसूली एजेंटों की नियुक्ति के लिए संशोधित नीति को लागू करना।

(14) 2 वर्ष से अधिक पुराने बकाया को निपटाने के लिए ग्राहकों के लिए ग्रेडेड छूट देना।

(15) चूककर्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए बी.एस.एन.एल. के कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्कीम प्रदान करना।

(16) बकाया राशि के निबटान के लिए सर्किल-वार और वर्ष-वार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(17) उचित समझे जाने पर चूककर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की जाती है।

(18) लोक अदालत के जरिए भी बकाया राशि की वसूली के प्रयास किए जाते हैं।

(19) निजी प्रचालकों से बकाया राशि की समय से वसूली के लिए सभी प्रचालकों को समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

(20) बकाया राशि की वसूली के संबंध में हुई प्रगति पर निकट से निगरानी रखी जाती है और सर्किलों को वसूली के संबंध में सभी आवश्यक उपाय करने के लिए समय-समय पर कहा जाता है।

दसवीं योजना के दौरान रोजगार सृजन

3850. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री काशीराम राणा:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजनावधि के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में राज्य-वार और क्षेत्र-वार कितना रोजगार सृजित किया गया;

(ख) सरकार द्वारा दसवीं योजनावधि के दौरान रोजगार सृजन हेतु क्या प्रावधान किए गए; और

(ग) इसमें कितनी प्रगति हुई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए जाने वाले पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। ऐसा पिछला सर्वेक्षण वर्ष 2004-05 के दौरान किया गया था। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के हाल ही के दो पंचवर्षीय दौरों के अनुसार सामान्य स्थिति आधार पर रोजगार वर्ष 1999-2000 में 397.0 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 459.1 मिलियन होने से 62.1 मिलियन की वृद्धि दर्ज की गई। क्षेत्रवार रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) दसवीं योजना में लगभग 50 मिलियन रोजगार अवसरों, 30 मिलियन सामान्य विकास प्रक्रिया से तथा 20 मिलियन विशेष रोजगार सृजन योजनाओं के माध्यम से, के सृजन का लक्ष्य रखा गया। सरकार विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं यथा; प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.); स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.); स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.); सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.); ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आर.ई.जी.पी.) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (एन.आर.ई.जी.ए.) इत्यादि का देश में लाभप्रद रोजगार अवसरों के सृजन के लिए कार्यान्वयन करती रही है।

(ग) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा क्रमश; वर्ष 1999-2000 तथा 2004-05 के दौरान किए गए 61वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान दैनिक स्थिति आधार पर, 10वीं योजनावधि के दौरान 50 मिलियन रोजगार अवसरों के सृजन के लक्ष्य की तुलना में 47 मिलियन रोजगार अवसर सृजित किए गए।

विवरण

1993-94 से 2004-05 की अवधि के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर कार्य बल का उद्योग-वार संवितरण

उद्योग	रोजगार मिलियन में		
	1993-94	1999-2000	2004-05
कृषि	242.46	237.56	268.57
खनन व उत्खनन	2.7	2.27	2.75
विनिर्माण	42.5	48.01	53.71
विद्युत, गैस व जल आपूर्ति	1.35	1.28	1.38
निर्माण	11.68	17.62	25.71
व्यवसाय	27.78	37.32	47.29
परिवहन, भण्डारण व संचार	10.33	14.69	17.45
वित्तीय सेवाएं	3.52	5.05	6.89
समुदाय सामाजिक व वैयक्तिक सेवा	32.13	33.2	35.81
योग रोजगार	374.45	397.0	459.1

[हिन्दी]

किसानों को लाभकारी मूल्य

3851. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार किसानों की कृषि उत्पादन लागत के मद्देनजर एक नया नियम या उनके उत्पाद का अधिनियम लागू करने का है ताकि उन्हें लाभकारी मूल्य मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) कृषि लागत और मूल्य आयोग विभिन्न कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय, जिसके आधार पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करती है, अन्य तथ्यों के साथ उनकी उत्पादन लागत पर भी विचार करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों के निर्धारण के लिए सरकार किसी नये नियम या अधिनियम पर विचार नहीं कर रही है।

दूरसंचार सेवा के माध्यम से गांवों को जोड़ा जाना

3852. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दूरसंचार के माध्यम से सभी गांवों को जोड़ने की सरकार की योजना हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गयी है;

(ख) क्या राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिला के तहसीलों के अधीन गांवों में अभी तक कोई दूरसंचार प्रणाली विद्यमान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) चित्तौड़गढ़ जिला के सभी तहसीलों में दूरसंचार प्रणाली कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) ने देश में टेलीफोन सुविधा से वंचित शेष 66,822 गांवों में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी.पी.टी.) प्रदान करने के लिए नवंबर, 2004 में भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ एक करार किया था। उन शेष गांवों में 100 से कम जनसंख्या वाले गांव, घने वन क्षेत्र/नक्सल प्रभावित क्षेत्र आदि शामिल नहीं किए गए थे। 29-02-2008 की स्थिति के अनुसार बी.एस.एन.एल. द्वारा 53,073 वी.पी.टी. प्रदान कर दिए गए हैं तथा शेष वी.पी.टी. दिसंबर, 2008 तक प्रदान कर दिए जाने की योजना है।

(ख) और (ग) राजस्थान राज्य में जिला चित्तौड़गढ़ के तहसीलों के 1,159 गांवों में से 1,147 गांवों को यू.एस.ओ.एफ. द्वारा वी.पी.टी. प्रदान कर दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त, इस जिले के जिन विशेष ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज मौजूद नहीं है, उनमें मोबाइल सेवाएं प्रदान करने के लिए जिले में 11 अवसंरचना स्थलों (टावरों) के संस्थापन और प्रबंधन हेतु यू.एस.ओ.एफ. द्वारा हाल ही में वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक स्कीम शुरू की गई है। इन स्थलों को दिसंबर, 2008 तक संस्थापित कर दिए जाने की संभावना है।

(घ) जिला चित्तौड़गढ़ के सभी 13 तहसीलों को बी.एस.एन.एल. के नेटवर्क द्वारा कवर कर लिया गया है।

[अनुवाद]

स्थायी महाप्रबंधक की पदस्थापना

3853. श्री राजू राणा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. भावनगर एस.एस.ए., गुजरात में जिले में बी.एस.एन.एल. नेटवर्क के समग्र विकास कार्य की देखभाल करने हेतु स्थायी महाप्रबंधक (जी.एम.) की पदस्थापना नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बी.एस.एन.एल. प्राधिकारी उक्त क्षेत्रों में एक नियमित एवं स्थायी महाप्रबंधक कब तक पदस्थापित कराएंगे;

(घ) क्या बी.एस.एन.एल. प्राधिकारी ने ऐसे महाप्रबंधकों के मामलों की जांच की है जिन्हें बी.एस.एन.एल. भावनगर में पदस्थापित किया गया परंतु उन्होंने वहां का प्रभार नहीं लिया;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (च) भावनगर एस.एस.ए., गुजरात सर्किल में एक नियमित महाप्रबंधक (जी.एम.) की तैनाती की गई है जिसने 05-03-2008 को पदभार ग्रहण कर लिया है।

[हिन्दी]

खराब पड़ी टेलीफोन लाइनें

3854. श्री मित्रसेन यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, आजमगढ़ और फैजाबाद जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन लाइनें अधिकांश समय खराब पड़ी रहती हैं जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के टेलीफोन एक्सचेंजों में काम करने वाले कर्मचारी आमतौर पर स्थानीय क्षेत्रों से होते हैं और उपभोक्ताओं की शिकायतों को नजरअंदाज कर देते हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवाओं को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार के पास स्थानीय कर्मचारियों को दूर स्थानों पर स्थानांतरित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, आजमगढ़ और फैजाबाद जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में टेलीफोन लाइनें सामान्यत: संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं। तथापि, केबलों की चोरी तथा अन्य एजेंसियों द्वारा केबलों को पहुंचाई गई क्षति के कारण कुछ टेलीफोनों की सेवाएं प्रभावित हो जाती हैं, जिन्हें शीघ्रातिशीघ्र बहाल कर दिया जाता है।

(ख) उपर्युक्त भाग "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात कर्मचारी सामान्यत: सर्किल/गौण स्विचन क्षेत्र संवर्गों के होते हैं और आमतौर पर ये उपभोक्ताओं की शिकायतों को नजरअंदाज नहीं करते हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग "ग" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कर्मचारियों को सेवा की आवश्यकताओं और लागू स्थानांतरण नीति के अनुसार उनके भर्ती एककों अर्थात् सर्किल/गौण स्विचन क्षेत्र के भीतर ही स्थानांतरित किया जाता है।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डाक सेवा के निष्पादन में कमी

3855. श्री पुष्प जैन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नीजी डाक सेवा (कुरियर) की तुलना में सरकारी डाक सेवाओं का उपयोग कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह कमी मुख्यतया सरकारी डाक सेवाओं के घटिया स्तर तथा डाक विभाग के अधिकारियों द्वारा ड्यूटी का निष्पादन नहीं किए जाने के कारण आई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इससे निपटने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) महोदय, देश में निजी डाक सेवाओं (कुरियर) की तुलना में सरकारी डाक सेवाओं के उपयोग में सामान्यतया कोई कमी नहीं हो रही है। डाक विभाग विभिन्न प्रकार के मेल उत्पाद प्रदान करता है। यद्यपि पिछले छह वर्षों में अपंजीकृत डाक वस्तुओं में अस्थिर अधोगामी प्रवृत्ति देखने को मिली है तथापि स्पीड पोस्ट, बिल मेल सेवा जैसे उत्पादों में काफी बढ़त दर्ज हुई है। यहां तक कि वर्ष 2006-07 में पंजीकृत डाक वस्तुओं के मामले में परियात में 4.2% की वृद्धि दर्ज की गई।

स्पीड पोस्ट और अंतर्राष्ट्रीय डाक परियात के आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) अपंजीकृत डाक तथा निजी पत्र-व्यवहार में आई कमी का कारण प्रमुख रूप से टेलीफोन, ई-मेल जैसे प्रौद्योगिकीय प्रतिस्थापनों तथा मेल बाजार में आई प्रतिस्पर्द्धा है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के अनुसार डाक कर्मी अपने कार्य का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते हैं।

(घ) और (ङ) डाक विभाग ने सेवाओं को सुधारने और बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। व्यवसाय क्षेत्र के लिए विभाग समय संवेदनशील डाक के लिए स्पीड पोस्ट, प्री-मेलिंग समाधान प्रदान करने हेतु बिजनेस पोस्ट, वाणिज्य एवं पार्सलों के थोक केंद्रों के लिए एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, मेल लेन-देन के लिए बिल मेल सेवा आदि सेवाएं प्रदान कर रहा है। सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने और कर्मचारियों की उत्पादकता को सुधारने के लिए भारत के उत्तरपूर्व क्षेत्र के लिए कार्गो एयरक्राफ्ट को पट्टे पर लेना, मेल बिजनेस केन्द्रों की स्थापना जैसी नई पहलें, वितरण की इलैक्ट्रॉनिक सूचना जैसे मूल्यवर्द्धन, त्वरित वितरण हेतु पिन कोड को पुनःतैयार करने का कार्य भी शुरू किया गया है।

विवरण

पिछले चार वर्षों के दौरान स्पीड पोस्ट से अर्जित राजस्व

वर्ष	परियात (लाख में)	राजस्व (करोड़ में)
2003-04	826	298.35
2004-05	959.78	354.16
2005-06	1086	408.42
2006-07	1286	449.15

भारत से भेजी गई अंतर्राष्ट्रीय डाक परियात

वर्ष	पत्र डाक कि.ग्रा. में	पार्सल संख्या में	ई.एम.एस. संख्या में
2003	2809076.70	108118	576418
2004	2831375.10	129641	639315
2005	2966894.60	132281	756228
2006	3126065.60	166503	881141

[अनुवाद]

भूमिहीन श्रमिकों की समस्याएं

3856. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों की वास्तविक समस्याओं के समाधान हेतु इच्छा जाहिर की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) सरकार ने भूमिहीन श्रमिकों को समस्याओं का समाधान करने के लिए अनेक उपायों की शुरुआत की है। विभिन्न श्रम कानून जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार और सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1979 इन श्रमिकों पर भी लागू होते हैं। इसके अतिरिक्त जनश्री बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे और कुछ ऊपर जीवनयापन करने वाले भूमिहीन श्रमिकों सहित ग्रामीण और शहरी गरीब

व्यक्तियों को जीवन बीमा संरक्षण प्रदान करती है। इसके साथ-साथ सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से अनेक कल्याण और रोजगारोन्मुख योजनाएं और कार्यक्रम भी लागू कर रही है। ऐसी कुछ योजनाएं स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इत्यादि हैं। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाया है, जिसमें प्रत्येक परिवार को जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार हेतु प्रावधान किया गया है। सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को जीवन और अपंगता कवर प्रदान करने के लिए 'आम आदमी बीमा योजना' आरंभ की है। इस योजना के अंतर्गत लाभों में स्वाभाविक मृत्यु के मामले में 30,000/- रुपये; दुर्घटना के कारण मृत्यु अथवा दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थाई अपंगता के मामले में 75,000/- रुपए शामिल हैं। दुर्घटना के कारण आंशिक अपंगता के मामले में 37,500/- रुपये का बीमा कवर होगा।

असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए 1 अक्तूबर, 2007 से असंगठित क्षेत्र के कामगार के पांच सदस्यों वाले परिवार हेतु 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' (आर.एस.बी.आई.) आरंभ की है। इस योजना में परिवार फ्लोटर आधार पर 30,000/- रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष के स्मार्ट कार्ड आधारित नकद भुगतान रहित स्वास्थ्य बीमा कवर का प्रावधान है।

संयुक्त उद्यम समझौते

3857. डा. राजेश मिश्रा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक जी.एस.एम. आपरेटरों ने वैश्विक फर्मों जैसे एरिक्सन, आई.बी.एम., नोकिया, सीमेन्स और अन्य वैश्विक दूरसंचार कंपनियों के साथ आउटसोर्सिंग सौदे हेतु संयुक्त उद्यम किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग/ट्राई ने जी.एस.एम. आपरेटरों और विदेशी दूरसंचार आपरेटरों के बीच उक्त आउटसोर्सिंग व्यवस्था हेतु अनुमति दी है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त नियमों/विनियमों का ब्यौरा क्या है जिनके अंतर्गत ऐसे आउटसोर्सिंग सौदों की अनुमति दी जाती है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निकास प्रणाली में सुधार

3858. श्री गणेश सिंह:

श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जल निकास से संबंधित योजनाओं के लिए निधियां प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों से निकास नालों के विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार, XIवीं योजना के दौरान एक राज्य क्षेत्र स्कीम "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" के अंतर्गत गंभीर क्षेत्रों में जल निकास विकास स्कीमों के लिए निधियां मुहैया करायेगी, इसके लिए सभी राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 27-12-07 को विस्तृत दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार से एक स्कीम अर्थात 'दक्षिण सरस्वती नदी का सुधार' (ऊपरी एवं निचले भाग दोनों) जो नसीबपुर, जिला हुगली से निकल कर (चेनेज 0.00) संकरेल, जिला हावड़ा के मुहाने (चेनेज 1410.00) में गिरती है, प्राप्त हुई है और केन्द्रीय सहायता के लिए "बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम" के तहत शामिल की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को 31-3-2008 को 1.00 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की गई है।

[अनुवाद]

विद्युतकरघा क्षेत्र के लिए नई प्रोत्साहन योजना

3859. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिए नई प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो नई प्रोत्साहन योजना के संघटक क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (ग) सरकार 11वीं पंचवर्षीय योजना में विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रही है-

(1) एकीकृत विद्युतकरघा समूह विकास योजना

(2) समूह कार्यशाला योजना

(3) समूह बीमा योजना

वर्ष 2008-09 के दौरान इन योजनाओं के लिए परिव्यय 10.00 करोड़ रुपए है।

•

कृषि विपणन अवसंरचना

3860. श्री हितेन बर्मन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि विपणन अवसंरचना श्रेणीकरण एवं स्तरीकरण योजना का सुदृढ़ीकरण/विकास योजना के अंतर्गत अवसंरचना परियोजनाओं पर निवेश सब्सिडी (राज-सहायता) के लिए सहायता स्वीकृत करने हेतु कतिपय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिसूचित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और लाभार्थी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पहचान के लिए मानदण्ड क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत सहायता स्वीकृत करने के लिए पश्चिम बंगाल पर भी विचार किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) यह केन्द्रीय क्षेत्र की सुधार से जुड़ी हुई एक स्कीम है जो केवल उन राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित है जो अपने कृषि उत्पाद विपणन विनियमन (ए.पी.एम.आर.) अधिनियमों में संशोधन द्वारा सीधे विपणन और ठेका खेती और निजी एवं सहकारी क्षेत्र में कृषि उत्पाद बाजारों की स्थापना की अनुमति देते हैं। जिन राज्यों में ए.पी.एम.आर. अधिनियम नहीं है, वो भी स्कीम के तहत पात्र हैं। इस आधार पर, अब तक 25 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को स्कीम के कार्यान्वयन के लिए पात्र अधिसूचित किया गया है। इस स्कीम के तहत बाजार अवसंरचना के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए व्यक्तियों, किसानों, किसान समूहों, कम्पनियों, सहकारिताओं, एन.जी.ओ., राज्य एजेंसियों इत्यादि द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं पर अनुमोदित पूंजी लागत की 25% की दर पर जिसकी ऊपरी सीमा 50.00 लाख रुपये है, ऋण से जुड़ी हुई पश्च अन्त राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है। अनुसूचित जातियों (एस.सी.) और अनुसूचित जन जातियों (एस.टी.) के लाभार्थियों और उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी एवं आदिवासी क्षेत्रों के लिए राजसहायता की दर 33.33% है जिसकी ऊपरी सीमा 60.00 लाख रुपये है। राज्य एजेंसियों जैसे राज्य कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड एवं ए.पी.एम.सी. को स्कीम के तहत सहायता की अनुमति है जिसमें विपणन अवसंरचनाओं के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण लिए बगैर अपनी निजी निधि के निवेश पर राज सहायता की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

(ग) से (ङ) पश्चिम बंगाल सरकार को अपने ए.पी.एम.आर. अधिनियम में आवश्यक संशोधनों को अभी अधिसूचित करना है और इन संशोधनों की अधिसूचना पर राज्य को स्कीम के तहत पात्र के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

कपास की खरीद के लिए सब्सिडी

3861. श्री प्रतीक पी. पाटील: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में जनशक्ति तथा अवसंरचना की कमी के कारण कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया (सी.सी.आई.) का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) कपास प्रचालन पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद के लिए महाराष्ट्र सरकार को अनुमति प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान में सी.सी.आई. को प्रदान किए जा रहे लाभ तथा सब्सिडी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन परिसंघ लिमिटेड (एम.एस.सी.सी.जी.एम.एफ.) को भी दिए जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) अभियानों के लिए भारतीय कपास निगम लि. को लाभ नहीं दिया जा रहा है।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे जूट तथा जूट से निर्मित सामानों का शुल्क मुक्त आयात

3862. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के आरंभ से कच्चे जूट तथा जूट से निर्मित सामानों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त प्रावधान जूट पैकेजिंग सामान अधिनियम, 1987 का उल्लंघन है जैसा कि स्थानीय जूट उद्योग तथा व्यापार मंडलों द्वारा आरोप लगाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रकार जूट की आयात की कोई सीमा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या इससे घरेलू जूट उद्योग के अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और घरेलू जूट उद्योग के हित की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) 'कच्चे पटसन' और अन्य पटसन सामानों पर मूल सीमा शुल्क के सामान्य प्रभावी दर का 10% आयात शुल्क लगता है। तथापि, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और नेपाल से आयात करने पर 1-1-2008 से इन वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क की शून्य दर है।

(ग) जी, नहीं। पटसन पर आयात शुल्क और पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मद्देनजर कोई प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) ऐसे पटसन के आयात पर कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं है।

(छ) और (ज) जी नहीं। सरकार ने पटसन क्षेत्र के विकास के लिए कुल मिलाकर अभी हाल ही में अनेक कदम उठाए हैं-

(1) सरकार ने पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (जे.टी.एम.) को अनुमोदित किया है जिसका उद्देश्य उद्योग का आधुनिकीकरण और उत्पादकता में वृद्धि करना है ताकि पटसन क्षेत्र और प्रगतिशील क्षेत्र बन सके।

(2) पटसन उद्योग में सतत रोजगार के लिए 1987 के बाद से जे.पी.एम. अधिनियम के माध्यम से पटसन उद्योग को संरक्षण प्रदान किया गया है।

(3) पटसन क्षेत्र का एकीकृत और समग्र विकास करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पटसन बोर्ड स्थापित करने के लिए संसद में पटसन बोर्ड विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया गया है।

संगठित क्षेत्र में मत्स्यन

3863. एडवोकेट सुरेश कुरूप: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मत्स्यन (मछली उद्योग) तथा इसके सहायक क्षेत्र के अधिकांश कार्यकलाप लघु क्षेत्र तथा असंगठित क्षेत्र में किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाकर इसकी क्षमता का उपयोग करने तथा रोजगार का सृजन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[हिन्दी]

जल शुद्धीकरण संयंत्र

3864. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भूजल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए एक जल शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) भूजल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जल शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय की कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) ऊपर दिये गये उत्तर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बर्ड फ्लू के नए मामले

3865. श्री निखिल कुमार:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में विशेषकर पश्चिम बंगाल में पुन: बर्ड फ्लू के नए मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो बर्ड फ्लू के मामलों की पुनरावृत्ति के लिए उत्तरदायी कारक क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। बर्ड फ्लू के ताजे मामले हाल ही में दो राज्यों अर्थात् पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से रिपोर्ट किए गए हैं।

(ख) बर्ड फ्लू प्रकोप के होने के लिए उत्तरदायी संभावित कारण निम्नलिखित हो सकते हैं:-

(1) बंग्लादेश, चीन, म्यांमार और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की स्थिति, जहां यह प्रकोप निरन्तर चलता है।

(2) अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की भागीदारी।

(3) भारत अप्रवासी पक्षियों के तीन प्रमुख उड़ान रास्तों में पड़ता है।

(4) घरेलू कुक्कुट उत्पादन प्रणाली में अपर्याप्त जैव सुरक्षा आदि।

(ग) निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं:-

(1) संक्रमित क्षेत्र में सभी पक्षियों को मुआवजे का भुगतान करके मारा जा रहा है।

(2) कुक्कुट और कुक्कुट उत्पादों की संक्रमित क्षेत्र से असंक्रमित क्षेत्र में आवा-जाही पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(3) सभी राज्य सरकारों को अधिक सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

(4) समूचे देश में बर्ड फ्लू के विरुद्ध निगरानी गतिविधियां तेज की गई हैं।

(5) टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से विशेषकर पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बर्ड फ्लू संबंधी व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया है।

नारियल बीमा योजना

3866. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड यास्खी:
श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि बीमा कंपनी नारियल पाम उत्पादकों के लिए एक बीमा योजना आरंभ कर रही है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस योजना को किन-किन राज्यों में आरंभ किया जाएगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) जी हां। हाल ही में नारियल पाम की बीमा स्कीम के लिए एक प्रस्ताव सरकार की जांच के अधीन है जिसमें नारियल पाम के कवरेज पर विचार की परिकल्पना की गई है और जो मार्गदर्शी आधार पर छः मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों नामतः केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित है।

मिजोरम में बांस फ्लावरिंग तथा अकाल

3867. श्री बनलाल जावमा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मिजोरम को बांस फ्लावरिंग के कारण गंभीर अकाल का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अकाल की स्थिति पर काबू पाने तथा लोगों को राहत प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) मिजोरम सरकार ने हाल ही में राज्य के विभिन्न भागों में बांस पुष्पण पर कृन्तक खतरे के कारण फसलों के नुकसान की रिपोर्ट की थी और इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) से सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किया था। हाल ही में एक अन्तर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल ने स्थिति के निर्धारण के लिए राज्य का दौरा किया था। दल से रिपोर्ट प्राप्ति के पश्चात विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

भारतीय तथा अमरीकी कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन

3868. श्री एस. अजय कुमार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा संबद्ध मदों के विनिर्माण के लिए भारतीय और अमरीकी कंपनियों के बीच कई समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे समझौता ज्ञापनों के ब्यौरे क्या हैं और इसमें कितनी पूंजी लगेगी; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रक्षा संबद्ध मदों के विनिर्माण के लिए विदेशी कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इन्द्रजीत सिंह): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बाढ़ राहत के लिए खाद्यान्नों का उपयोग

3869. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2007 के दौरान देश के बाढ़ग्रस्त राज्यों में किए गए राहत कार्य के लिए उपयोग किए गए खाद्यान्नों का ब्यौरा प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2007 में विशेषकर बिहार के 24 जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बी.पी.एल.) तथा अंत्योदय अन्न योजना (ए.ए.वाई.) परिवारों को वितरण के लिए राज्य खाद्य निगम गोदामों में उपलब्ध खाद्यान्नों का उपयोग राहत कार्यों के लिए किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बी.पी.एल. तथा ए.ए.वाई. के अंतर्गत उन लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का है जिन्हें वर्ष 2007 के बाढ़ के दौरान राहत के रूप में कोई खाद्यान्न नहीं दिया गया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) 2007-08 के दौरान बाढ़ राहत के लिए राज्यों को निम्नानुसार खाद्यान्नों का आवंटन किया गया है:-

(टन में)

राज्य	आवंटन		उठान	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
असम	10000		10000	
बिहार	100000	50000	64624	48355
पश्चिम बंगाल	10333	600	2300	
जोड़	120333	50600	76924	48355

(ग) से (च) बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवंटित खाद्यान्नों का वितरण बाढ़ राहत के लिए भी किया गया था जो बाढ़ राहत के प्रयोजनार्थ आवंटित खाद्यान्नों के अलावा था। तथापि, राज्य सरकार से इनके बारे में सही-सही ब्यौरे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

डाक पार्सल सेवा में कमी

3870. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में प्राइवेट कुरियर कंपनियों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डाक प्रणाली की रक्षा करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार द्वीपसमूह से मुख्यभूमि में डाक पार्सल सेवाओं पर शुल्क में कमी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) डाक विभाग बाजारोन्मुखी सेवाएं यथा स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, बिल मेल सेवा, राष्ट्रीय बिल मेल सेवा आदि उपलब्ध करा रहा है ताकि दस्तावेजों, पार्सलों तथा व्यापार से संबंधित पत्राचारों का तेजी से एवं समयबद्ध वितरण उपलब्ध करवाया जा सके। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को और वहां से भेजे जा रहे पार्सलों सहित सभी डाक सामग्री हवाई जहाज द्वारा भेजी जाती है ताकि उनको तेजी से एवं समय से वितरित किया जा सके। विभाग द्वारा द्वीप समूह में स्पीड-पोस्ट बुकिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 33 कर दी गई है जिससे दूर-दराज के द्वीपों तक और सभी बड़े नगरों व गावों में एक्सप्रेस मेल सेवा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा, द्वीप समूह में स्पीड-पोस्ट की सामग्री ग्राहक के परिसर से एकत्र करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) द्वीप समूह से मुख्य भूमि में डाक पार्सल सेवाओं पर प्रशुल्क में कमी करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

पनधाराओं का निर्माण

3871. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में पनधाराओं के निर्माण के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र में नदी घाटी योजना के अंतर्गत कितनी पनधाराओं को स्वीकृति प्रदान की गई है/का निर्माण किया गया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ङ) क्या लघु कृषि पनधाराओं का उचित ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) लघु पनधाराओं का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां। कृषि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख पनधारा विकास कार्यक्रम है- (i) वर्षा सिंचित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (एन.डब्ल्यू. डी.पी.आर.ए.) (ii) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ प्रवण नदियों (आर.वी.पी. और एफ.पी.आर.) के श्रवण क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु मृदा संरक्षण और (iii) झूम खेती क्षेत्रों में पनधारा विकास योजना (डब्ल्यू.डी. पी.एस.सी.ए.)। इन पनधाराओं का आकार 500 है. से 2000 है. के बीच है और ऐसी पनधारा का उपयुक्त मृदा तथा जल संरक्षण उपायों के साथ एक समेकित तरीके से उपचार किया जा रहा है ताकि प्राकृतिक संसाधनों का विकास और प्रबंधन किया जा सके।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र सहित प्रत्येक पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गत तीन वर्षों (2004-07) में उपयोग की गई निधि और चल रहे पनधारा कार्यक्रमों की संख्या का स्कीम-वार और राज्य-वार विवरण संलग्न है।

महाराष्ट्र राज्य में इन कार्यक्रमों में से दो कार्यक्रम यथा एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए. और आर.वी.पी. तथा एफ.पी.आर. कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ङ) से (छ) इन पनधारा विकास कार्याक्रमों के अंतर्गत छोटी पनधाराएं भी शामिल हैं। सृजित की गई परिसम्पत्तियों के नियोजन, कार्यान्वयन तथा रख-रखाव में लाभानुभोगियों/ किसानों की सहभागिता पर जोर दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए प्रभावी सहभागिताएं सुनिश्चित करने के लिए पनधारा समितियां/संघ गठित किए गए हैं। किसानों के लिए लाभानु-भोगियों का क्षमता विकास और प्रशिक्षण, प्रदर्शन, एक्सपोजर दौरों आदि का आयोजन किया जाता है ताकि एक सतत तरीके से छोटी पनधाराओं के संसाधनों का उपयोग किया जा सके।

कृषि संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) की उपसमिति और शुष्क भूमि/वर्षा पोषित खेती प्रणाली जिसमें अवक्रमित/बंजर भूमि के पुर्नःनवीकरण सहित संबंधित मुद्दों पर कार्यकारी दल ने सिफारिश की है कि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 38 मि. है. भूमि का विकास किया गया जिसमें देश में पनधाराओं के उपचार और विकास पर मुख्य जोर दिया गया है।

विवरण

कृषि मंत्रालय के पनधारा कार्यक्रमों अन्तर्गत चल रही पनधाराओं की संख्या और गत तीन वर्षों (2004-07) के दौरान उपयोग की गई निधि दर्शाने वाला विवरण

उपयोगित निधि (लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्यो के नाम	एन.डब्ल्यू.डी.पी.आर.ए.		आर.वी.पी. तथा एफ.पी.आर.		डब्ल्यू.डी.पी.एस.सी.ए.	
		चल रही पनधाराएं	उपयोगित निधि	चल रही पनधाराएं	उपयोग की गई निधि	चल रही पनधाराएं	उपयोग की गई निधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	143	2041.40	21	1679.34	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	अरुणाचल प्रदेश	45	1214.53	9	144.78	13	574.80
3.	असम	50	1009.40	2	68.54	15	1200.00
4.	बिहार	74	1337.99	1	27.40	0	0.00
5.	झारखण्ड	200	3380.89	5	0.00	0	0.00
6.	गोवा	27	810.34	0	0.00	0	0.00
7.	गुजरात	409	4171.27	39	5397.17	0	0.00
8.	हरियाणा	37	582.10	4	632.26	0	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	37	926.11	42	2587.11	0	0.00
10.	जम्मू-कश्मीर	111	327.83	15	1348.69	0	0.00
11.	कर्नाटक	568	6992.73	107	3299.19	0	0.00
12.	केरल	148	2809.91	9	690.84	0	0.00
13.	मध्य प्रदेश	594	4854.27	59	3104.54	0	0.00
14.	छत्तीसगढ़	185	4478.37	16	901.74	0	0.00
15.	महाराष्ट्र	433	5946.09	130	5478.26	0	0.00
16.	मणिपुर	79	1916.97	1	163.92	30	1200.00
17.	मिजोरम	105	2701.94	12	567.35	42	1600.00
18.	मेघालय	78	1487.15	6	11.49	38	1147.60
19.	नागालैण्ड	100	2093.50	1	444.00	119	2100.00
20.	उड़ीसा	212	4410.41	13	410.30	0	0.00
21.	पंजाब	49	1329.18	2	165.17	0	0.00
22.	राजस्थान	1138	12426.03	75	6584.84	0	0.00
23.	सिक्किम	32	699.05	2	235.47	0	0.00
24.	तमिलनाडु	755	7817.92	41	2360.98	0	0.00
25.	त्रिपुरा	62	1030.11	6	79.85	39	876.70
26.	उत्तर प्रदेश	400	4942.37	100	4940.70	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	उत्तराखंड	158	4125.33	32	1164.09	0	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	78	1359.51	12	291.38	0	0.00
29.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0	0.00	0	0.00
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	8	92.93	0	0.00	0	0.00
31.	डी.वी.सी.	0	0.00	45	3234.00	0	0.00
	योग	6315	87315.63	807	46013.40	296	8699.10

सैन्य अस्पताल

3872. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में राज्य-वार कितने सैन्य अस्पताल कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या निकट भविष्य में और अस्पताल खोले जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों की पहचान की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) इस समय देश में 109 सेना अस्पताल कार्य कर रहे हैं। सेना अस्पतालों की राज्य-वार स्थिति इस प्रकार है:-

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सेना अस्पतालों की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	2
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	4
बिहार	2
दिल्ली	2
गोवा	1
गुजरात	5
हरियाणा	2
हिमाचल प्रदेश	8
जम्मू-कश्मीर	9
झारखण्ड	2
कर्नाटक	1
केरल	2
मध्य प्रदेश	7
महाराष्ट्र	9
मणिपुर	1
मेघालय	1
नागालैण्ड	2
पंजाब	9
राजस्थान	10
सिक्किम	1
तमिलनाडु	3

1	2
त्रिपुरा	1
उत्तर प्रदेश	11
उत्तराखंड	5
पश्चिम बंगाल	7

इनके अलावा, 8 नौसेना अस्पताल तथा 11 वायुसेना अस्पताल हैं।

(ख) और (ग) अस्पताल, शांति और युद्ध/प्रति-विद्रोही संक्रियाओं - दोनों के दौरान संक्रियात्मक आवश्यकताओं के आधार पर खोले/स्थापित किए जाते हैं। सैन्य टुकड़ियों की संख्या, संक्रिया तथा भू-भाग की प्रकृति तथा निष्क्रमण शृंखला चिकित्सा सुविधा का निर्धारण करते हैं। जैसलमेर (राजस्थान) तथा एझिमाला (केरल) में क्रमशः वायुसेना तथा नौसेना हेतु नए अस्पताल खोले जाने के लिए अनुमोदन दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि सहायता योजना

3873. श्री सुब्रत बोस: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय कृषि सहायता योजना आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में इस योजना के अंतर्गत कितने किसानों, फसलों तथा कृषि भूमि को कवर किया गया है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत फसल-वार प्रीमियम की दर निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) केन्द्र तथा राज्यों द्वारा वित्तीय देनदारियों की साझेदारी का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्व क्षेत्र के चार राज्यों यथा असम, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम में कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) प्रत्येक राज्य में योजना की शुरुआत से कवर किये गये किसानों की संख्या, क्षेत्र और फसलों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) खाद्य और तिलहन फसलों और वार्षिक व्यावसायिक/बागवानी फसलों के लिए बीमांकन दरों के लिए योजना के प्रावधान के अनुसार 1.5% और 3.5% (बीमित राशि) की सीमा में फ्लेट रेट योजना के अन्तर्गत किसानों से वसूल किया जा रहा है।

(घ) दावों के कारण वित्तीय जिम्मेदारी (खाद्य और तिलहन फसलों के लिए और जनित प्रीमियम से आगे और वार्षिक व्यावसायिक बागवानी फसलों के लिए 150% प्रीमियम एकत्रित कर लिया गया है); प्रीमियम राजसहायता (छोटे और सीमान्त किसानों के लिए प्रीमियम का 10%), बैंक सेवा प्रभार (गैर ऋणी किसानों के लिए एकत्र प्रीमियम का 2.5%) और प्रशासनिक एवं परिचालन (ए एण्ड ओ) व्यय (कुल ए एण्ड ओ व्यय का 20%) जैसा स्कीम के अन्तर्गत दिया है, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन की जाती है।

विवरण

प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.आई.एस.) की शुरुआत से पश्चिम बंगाल और चार पूर्वोत्तर राज्यों में कवर किये गये किसानों की संख्या, क्षेत्र और फसल को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	कवर किये गये किसान	कवर किया गया क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कवर की गई फसलें
1	2	3	4	5
1.	पश्चिम बंगाल	55,35,517	28.64.185	अमन धान, आस धान, बोरो धान, मक्का, गेहूं, तोरिया एवं सरसों, आलू

1	2	3	4	5
2.	असम	93,500	73,337	आहू धान, सालि धान, जूट, बोरो धान, गेहूं, तोरिया एवं सरसों, आलू और गन्ना
3.	मेघालय	14,160	17,047	आहू धान, सालि धान, बोरो धान, अदरक, आलू और तोरिया एवं सरसों
4.	सिक्किम	1,408	823	सोयाबीन, फिंगर सिलेट, मक्का, अमन धान, अदरक, आलू, जौ, उड़द, सरसों और गेहूं
5.	त्रिपुरा	9,670	5.957	अमन धान, आस धान, बोरोधान और आलू

बिना लाइसेंस वाले बीटी कॉटन बीज

3874. श्री रनेन बर्मन:

श्री हितेन बर्मन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में बिना लाइसेंस वाले बीटी कॉटन बीज काफी मात्रा में आ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे बीटी कॉटन बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं जिसके परिणामस्वरूप किसानों को काफी नुकसान होता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने किसानों तक ऐसी बीजों को पहुंचने से रोकने के लिए कदम उठाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे बीजों के उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) बी.टी. कपास आनुवांशिक रूप से संशोधित ऐसी अकेली फसल है जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में आनुवांशिक अभियांत्रिकी अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) द्वारा पर्यावरण एवं जैव सुरक्षा मूल्यांकन के आधार पर व्यापारिक कृषि के लिए अनुमोदित की गई है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि मैसर्स नवभारत बीज प्राइवेट लि., अहमदाबाद ने वर्ष 2001 के दौरान बाजार में "नवभारत 151" के ब्रांड नाम पर बिना लाइसेंस के बी.टी. कपास बीजों की आपूर्ति की थी और उक्त कम्पनी के खिलाफ अहमदाबाद उच्च न्यायालय में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत खतरनाक सूक्ष्म-जैविकों/आनुवांशिक रूप से तैयार जैविकों अथवा कोशिका नियम, 1989 के निर्माण प्रयोग, आयात, निर्यात एवं भंडारण के लिए नियम बनाए हैं ताकि आनुवांशिक रूप से संशोधित जैविकों अथवा उत्पादों के प्रयोग के साथ पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की सुरक्षा की जा सके। इन नियमों के तहत राज्य सरकारों को स्वीकृति रहित बीजों की कृषि अथवा जी.ई.ए.सी. द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन न होने की स्थिति में जांच करने तथा दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य जैव प्रौद्योगिकी समिति एवं जिला स्तरीय समितियां गठित करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी बी.टी.कपास उगाने वाले राज्यों में बी.टी.कपास कृषि के विभिन्न पहलुओं पर जागरुकता अभियान का आयोजन किया जाना चाहिए।

बी.एस.एन.एल. द्वारा जी.एस.एम. क्षमता का विस्तार

3875. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)

ने पूरे देश में जी.एस.एम. क्षमताओं का विस्तार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. ने देश में वर्ष 2010 तक 10 करोड़ ग्राहक का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बी.एस.एन.एल. दो वर्ष पहले के अपने दूसरे स्थान से नीचे आ रही है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड ने 2008 से प्रति माह 30 लाख उपभोक्ता जोड़ने की योजना बनाई है।

(ङ) जी, हां।

(च) बेतार क्षेत्र में बी.एस.एन.एल. की बाजार हिस्सेदारी घटने का कारण भारती, रिलायंस, वोडाफोन, टाटा और आइडिया जैसे निजी प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि और विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होना है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय श्रम कानूनों में संशोधन

3876. श्री छत्तर सिंह दरबार: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जैड) से संबंधित केन्द्रीय श्रम कानूनों में संशोधन के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से विशेषकर मध्य प्रदेश से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत संवितरण में विलम्ब

3877. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र उद्योग को प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) के अंतर्गत सहायता धनराशि के संवितरण में एक वर्ष का विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं एवं वर्ष 2007-08 से कुल बकाया धनराशि कितनी है; और

(ग) बकाया धनराशि के अतिशीघ्र संवितरण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005-06 से योजना के असाधारण कार्य निष्पादन के कारण निधियों की मांग बढ़ रही है। बजट आवंटन मांग के समानुपातिक नहीं है। लगातार वित्तीय वर्षों के लिए देयताओं की गिरावट और स्पिलिंग ओवर से वर्ष 2007-08 से पिछला बकाया बढ़कर लगभग 1138 करोड़ रुपए हो गया है।

(ग) पिछले बकाया के निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2008-09 में स्थिति से निपटने के लिए बजटीय आवंटन बढ़ाया गया है।

पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का विकास

3878. श्री परसुराम माझी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि के विकास पर अधिक जोर देने का है; और

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं योजना में उड़ीसा में विशेषकर कोरापुट जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का विकास करने के लिए क्या विनिर्दिष्ट कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

डेयरी तथा कुक्कुट बाजार का उन्नयन

3879. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं योजना के दौरान डेयरी तथा कुक्कुट बाजार के विकास के लिए सरकार द्वारा किसी विनिर्दिष्ट प्रस्ताव पर विचार किया गया है तथा उक्त प्रस्तावों के लिए राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी नहीं, तथापि कृषि विपणन अवसंरचना, ग्रेडिंग और मानकीकरण के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की सुधार से जुड़ी योजना जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जा रही है, के अन्तर्गत, पशु बाजारों के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है जोकि डेयरी और मुर्गीपालन क्षेत्रों के लिए विपणन और मूल्य संवर्धन अवसंरचना को कवर करती है। इस योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों, किसानों, किसान समूहों, कम्पनियों, सहकारिताओं, एन.जी.ओ., राज्य अभिकरणों द्वारा आरम्भ की गई परियोजनाओं की पूंजी लागत पर स्वीकृत पूंजी लागत के 25% की दर से जिसकी ऊपरी सीमा 50 लाख रुपये है, एक ऋण से जुड़ी, पार्श्वांत राजसहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जातियों (एस.सी.) और अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के लाभार्थियों और पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के लिए राजसहायता की दर 33.33% है जिसकी ऊपरी सीमा 60 लाख रुपये है। राज्य अभिकरणों जैसे राज्य कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड और ए.पी.एम.सी. को भी विपणन अवसंरचना के विकास/सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय संस्थाओं से उधार लिए बिना अपनी स्वयं की निधियों से निवेश पर बिना ऊपरी सीमा के इस योजना के अन्तर्गत राजसहायता की अनुमति दी गई है।

अनुकंपा आधार पर नियुक्ति

3880. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में विशेषकर डाक विभाग के कन्याकुमारी प्रभाग में अनुकंपा आधार पर कितनी नियुक्तियां की गईं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा देश में विशेषकर कन्याकुमारी डाक प्रभाग में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति चाहने वाले आवेदकों की लंबित सूची का ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभाग में अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्तियों की संख्या 656 है तथा कन्याकुमारी डिवीजन में गत तीन वर्षों के दौरान अनुकंपा के आधार पर की गई नियुक्तियों की संख्या शून्य है।

(ग) देश में लंबित आवेदनों की संख्या 475 और कन्याकुमारी डिवीजन में लिबंत आवेदनों की संख्या 11 है। कन्याकुमारी डिवीजन में लंबित आवेदकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

चूंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है, तमिलनाडु सर्किल में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियां नहीं जा रही हैं, इसमें कन्याकुमारी डिवीजन भी शामिल है।

विवरण

कन्याकुमारी डाक डिवीजन में लंबित आवेदकों की सूची

सर्वश्री/श्रीमती

1. जे. शांतकुमारी, पत्नी स्वर्गीय सी. राघ, पोस्टमैन, कोट्टार, कन्याकुमारी
2. जे. जॉनली रोज, सुपुत्र स्वर्गीय ई. जोनसन, उप डाकपाल, उदयमार्ताण्डम उप डाकघर, कन्याकुमारी डिवीजन
3. एच.एफ. घऊसिल हाजा हनीफ, सुपुत्र स्वर्गीय एम. हबीबुदीन, डाक सहायक, नागरकोविल प्रधान डाकघर, कन्याकुमारी डिवीजन
4. पी.एस. चेल्लम्माल, पत्नी स्वर्गीय एस. सूयांबू, उप

डाकपाल, अम्मांडिविलई डाकघर, कन्याकुमारी डिवीजन

5. एम. सिवा वैद्यनाथन, सुपुत्र स्वर्गीय सी. मनोनरन, पोस्टमैन, कोट्टार उप डाकघर, कन्याकुमारी डिवीजन

6. एस. पुनीता, पत्नी स्वर्गीय जे. शेखर, पोस्टमैन, अलगिकपांडिपुरम डाकघर, कन्याकुमारी डिवीजन

7. एस.एस. बीना, सुपुत्री स्वर्गीय जी. सदासिवम, उप डाकपाल, अरुमनई डाकघर, कन्याकुमारी डिवीजन

8. सी.एस. जस्टिन लावी, सुपुत्र स्वर्गीय सी. राजु, पोस्टमैन, थक्कालाय उप डाकघर, कन्याकुमारी डिवीजन

9. आई. लियो जोस फेसटस, सुपुत्र स्वर्गीय आई. लेनाडिमई, पोस्टमैन, नेय्यूर उप डाकघर, कन्याकुमारी डिवीजन

10. पी. कल्पना विद्या, सुपुत्री स्वर्गीय आई. पोनराज, डाक सहायक, थक्कालाय प्रधान डाकघर, कन्याकुमारी डिवीजन

11. आर. पद्मकुमारी, सुपुत्री स्वर्गीय सी. रामकुमार, उप डाकपाल, कोलाचेल पोर्ट उप डाकघर, कन्याकुमारी डिवीजन

स्पेक्ट्रम की नीलामी

3881. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 5 मेगाहर्ट्ज के छोटे खंडों वाले स्पेक्ट्रम की नीलामी होने की सम्भावना है जैसाकि दिनांक 31 मार्च, 2008 के "द बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को अनुमानित कितना राजस्व प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) दिनांक 31-03-2008 के "द बिजनेस लाइन" में छपी रिपोर्ट ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम (बी.डब्ल्यू.ए.) सेवाओं में और अधिक प्रचालकों को प्रवेश देने और उन्हें स्पेक्ट्रम आवंटित करने के बारे में है। सरकार ने बी.डब्ल्यू.ए. सेवाओं के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो विवरण के रूप में संलग्न हैं।

सरकार द्वारा स्पेक्ट्रम की नीलामी से अर्जित राजस्व के बारे में इस चरण पर बताया नहीं जा सकता है। सरकार द्वारा नीलामियों से एकत्र राशि के अतिरिक्त प्रचालक भी अपने समायोजित सकल राजस्व के आधार पर वार्षिक स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान करते हैं।

विवरण

प्रेस रिलीज

सरकार ने **ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम (बी.डब्ल्यू.ए.) सेवाओं के लिए दिशा-निर्देश** भी जारी किए हैं। इससे देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड उपलब्धता के स्तर में वृद्धि होगी। ब्रॉडबैंड वायरलेस अभिगम (बी.डब्ल्यू.ए.) सेवाओं को शुरू करने से ब्रॉडबैंड उपलब्धता में वृद्धि होगी और साथ ही ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ेगी।

ब्राडबैंड वायरलेस अभिगम (बी.डब्ल्यू.ए.) सेवाओं के लिए **दिशानिर्देश**

- प्रारंभ में बी.डब्ल्यू.ए. सेवाओं की अनुमति बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. के अलावा, 2.5 गीगाहर्टज बैंड में यू.ए.एस.एल. और श्रेणी "क" के इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को होगी।

- प्रत्येक सेवा प्रदाता को 2.5 गीगाहर्ट्ज बैंड में 2x10 मेगाहर्टज तक स्पेक्ट्रम आबंटित किया जाएगा जिसका उपयोग सेवा प्रदाता एफ.डी.डी. (युग्म में) या टी.डी.डी. मोड में करेगा।

- बी.डब्ल्यू.ए. सेवाओं की अनुमति एक विशिष्ट एजेंसी द्वारा एक नियंत्रित, एककालिक आरोही ई-ऑक्शन के माध्यम से दी जाएगी ताकि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

- आधार/आरक्षित कीमत 3 जी स्पेक्ट्रम की राशि का 25% होगी।

- प्रारंभिक, एक बारगी स्पेक्ट्रम प्रभार के अलावा, कुल समायोजित सकल राजस्व (ए.जी.आर.) का 0.5% अतिरिक्त स्पेक्ट्रम प्रभार आवर्ती वार्षिक

स्पेक्ट्रम प्रभार के रूप में लगाया जाएगा। इस अतिरिक्त राजस्व हिस्सेदारी को स्पेक्ट्रम के आबंटन के समय से तीन वर्षों के पश्चात समायोजित सकल राजस्व का 1% रखे जाने का प्रस्ताव है।

- रॉल आऊट शर्तें, जिनमें ग्रामीण रॉल आऊट और इसका अनुपालन न होने पर कठोर दंड लगाना शामिल है, विहित की गई हैं।

- शुरुआती पांच वर्षों के दौरान विलय की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पेक्ट्रम की क्रय-बिक्री/पुनः बिक्री की अनुमति नहीं है।

- अन्य सेवा प्रदाताओं पर 2.3 गीगाहर्टज बैंड और 3.3-3.4 गीगाहर्टज बैंड में बी.डब्ल्यू.ए. सेवाओं हेतु स्पेक्ट्रम आबंटन के लिए विचार किया जाएगा।

- उपग्रह आधारित सेवाओं के साथ संगतता का मूल्यांकन करने के पश्चात 3.4-3.6 गीगाहर्टज बैंड में स्पेक्ट्रम के आवंटन पर विचार किया जाएगा।

सॉफ्टवेयर का निर्यात

3882. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एम.टी.पी.आई.) का डिजाइन एवं विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) आज की तिथि तक देश में एस.टी.पी.आई. के अन्तर्गत राज्य-वार कितनी इकाइयों का पंजीकरण किया गया है;

(घ) वर्ष 2007-08 के दौरान सदस्य इकाइयों द्वारा किए गए सॉफ्टवेयर निर्यात तथा वर्ष 2008-09 के दौरान किए जाने वाले निर्यात संबंधी अनुमानों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में ऐसे निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.आई.) के देश में 49 केन्द्र हैं। वर्ष 1991 में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना कार्यान्वित करने, मूल संरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना एवं प्रबंध करने तथा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी।

(ग) एस.टी.पी.आई. के अनुसार दिनांक 31-3-2008 की स्थिति के अनुसार देश में एस.टी.पी.आई. के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों की संख्या 9718 है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) एस.टी.पी.आई. के अनुसार वर्ष 2007-08 के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात लगभग 187,478 करोड़ रुपए होने का अनुमान है; एस.टी.पी.आई. का यह भी अनुमान है कि वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान लगभग 224,973 करोड़ रुपए का निर्यात होने की संभावना है।

विवरण

31-03-2008 तक एस.टी.पी. योजना में पंजीकृत इकाइयां

क्र. सं.	केन्द्र का नाम	अप्रैल, 07-मार्च, 08 तक नई पंजीकृत इकाइयां	31-03-2007 के अनुसार पंजीकृत इकाइयां	31-03-2008 के अनुसार पंजीकृत इकाइयां
1	2	3	4	5
1.	बंगलौर	115	1763	1878
2.	भुवनेश्वर	20	135	155

1	2	3	4	5
3.	चेन्नै	139	1202	1341
4.	गांधीनगर	44	326	370
5.	हैदराबाद	172	1023	1195
6.	कोलकाता	34	232	266
7.	मुम्बई और पुणे	144	1689	1833
8.	नोएडा	147	2079	2226
9.	तिरुवनन्तपुरम	29	389	418
10.	गुवाहाटी	1	35	36
	कुल	845	8873	9718

उपयुक्ति केन्द्रों में निम्नलिखित राज्य शामिल हैं।

1. बंगलौर (कर्नाटक))
2. भुवनेश्वर (उड़ीसा)
3. चेन्नै (तमिनलाडु, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार)
4. गांधीनगर (गुजरात, दमन, दियू, दादर और नगर हवेली)
5. हैदराबादा (आंध्र प्रदेश)
6. कोलकाता (पश्चिम बंगाल))
7. मुम्बई एवं पुणे (महाराष्ट्र तथा गोवा)
8. नोएडा (पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र) राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़।
9. तिरुवनन्तपुरम (केरल और लक्षद्वीप)
10. गुवाहाटी (बिहार, असम, मेघालय, नागालैण्ड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम)।

जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

3883. श्री विजय कृष्ण: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने बताया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में गेहूं तथा अन्य अनाजों की उत्पादकता कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए संस्थान ने बीज बोए जाने के समय में परिवर्तन किए जाने की भी सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) अनुसंधान अध्ययनों ने दर्शाया कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन से भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में गेहूं और अन्य अनाजों की उत्पादकता कम हो सकती है।

(ख) अनुरूपण मॉडलों पर आधारित अध्ययनों ने निर्दिष्ट किया है कि भविष्य में तापमानों में वृद्धि तथा सिंचाई की उपलब्धता में संभावित कमी के साथ-साथ वैश्विक जलवायु परिवर्तन के कारण उत्तर-पश्चिमी भारत में गेहूं की उपज में काफी हानि हो सकती है।

(ग) और (घ) संस्थान ने जलवायु परिवर्तन के कारण इस समय गेहूं की बुआई के समय में परिवर्तन करने की सिफारिश नहीं की है। तथापि, अनुसंधान बताते हैं कि भविष्य में रोपाई के समय में परिवर्तन करना एक महत्वपूर्ण अनुकूलन रणनीति है तथा इसका उपयोग जलवायु परिवर्तन के नाकारात्मक प्रभावों को कम करने में किया जा सकता है।

बाल श्रमिकों की पहचान के लिए निरीक्षण

3884. श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विभिन्न उद्योगों में बाल श्रमिकों की पहचान के संबंध मे निरीक्षण करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं तथा विधि के अन्तर्गत अनिवार्य उपबन्ध क्या हैं;

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष तथा उसके बाद आज की तिथि तक राज्य-वार तथा उद्योग-वार कितने निरीक्षण किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश में राज्य-वार कितने बाल श्रमिकों की पहचान की गई तथा उन्हें बचाया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार बाल श्रम पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद भी बाल श्रमिकों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर विद्यमान निरीक्षण प्रणाली की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) राज्य सरकारों द्वारा, जो इस अधिनियम के प्रवर्तन हेतु समुचित प्राधिकरण हैं, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के उल्लंघनों के मामलों का पता लगाने के लिए उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों में समय-समय पर निरीक्षण किए जाते हैं और छापे डाले जाते हैं। केन्द्रीय क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय श्रम आयुक्त तंत्र द्वारा निरीक्षण किए जाते हैं।

(ख) और (ग) दसवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान निरीक्षणों और उल्लंघनों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है। मंत्रालय द्वारा उद्योगवार ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

बाल श्रमिकों की पहचान के लिए किए गए निरीक्षण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अंडमान और निकोबार सं.शा. क्षेत्र	11	14	23	330	191	*	594
2.	आन्ध्र प्रदेश	16218	29355	14736	11220	53843	*	271895
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	36	199	199		*	434
4.	असम	1633	1888	497	3506		*	18407
5.	बिहार	48276	36835	22800	19984		*	223766

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	चण्डीगढ़ सं.शा. क्षेत्र	458	711	1123	994	1454	*	5984
7.	छत्तीसगढ़	886	966	1427	1217	3648	*	16037
8.	दादरा और नगर हवेली सं.शा. क्षेत्र	67	69	70	71	69	*	647
9.	दमन और दीव सं.शा. क्षेत्र	215	310	405	365	150	*	3535
10.	दिल्ली सं.शा. क्षेत्र	1482	1017	1400	1020		*	27427
11.	गोवा	0	218	147	387		*	2979
12.	गुजरात	1002	323	47	2560		*	15822
13.	हरियाणा	2817	2830	1200	1136	1956	*	12285
14.	हिमाचल प्रदेश	1843	1749	1096	2072	2267	*	10805
15.	जम्मू-कश्मीर	842	2393	600	1481	4378	*	11003
16.	झारखण्ड	3096	4086	3355	2635	1704	*	17881
17.	कर्नाटक	18618	17427	16253	27601		*	148474
18.	केरल	3400	1140	4414	5874	6073	*	25799
19.	लक्षद्वीप सं.शा. क्षेत्र	0	0	0	1	0	*	1
20.	मध्य प्रदेश	3381	1101	5319	5360	5317	*	42853
21.	महाराष्ट्र	15979	18214	27228	24965		*	198122
22.	मणिपुर	92	134	244	241		*	799
23.	मेघालय	242	205	229	299	425	*	2550
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	*	0
25.	नागालैण्ड	6115	6681	5750	0	5871	6916	37281
26.	उड़ीसा	167	183	239	153		*	2006
27.	पुड्डुचेरी सं.शा. क्षेत्र		12497	17494	15291	16590	*	114427
28.	पंजाब	3128	4725	4946	5737		*	30765
29.	राजस्थान	6019	3803	2832	3950	6090	*	41455
30.	सिक्किम	14	18	21	32	40	*	135

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	तमिलनाडु	184948	132619	120265	121166	220667	*	1823157
32.	त्रिपुरा	334	336	844	898	157	*	3114
33.	उत्तर प्रदेश	2058	8498	3	1926	3807	*	17967
34.	उत्तराखण्ड	525	2589	847	2178	2101	*	44138
35.	पश्चिम बंगाल	5851	6517	5000	3722	3821	*	87428
	कुल	329725	299285	261053	267971	340639	6916	3050036

*राज्य सरकार से सूचना प्रतीक्षित है।

विवरण-II

पता लगाए गए उल्लंघन

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7
1.	अंडमान और निकोबार सं.शा. क्षेत्र	11	14	23	0	0
2.	आन्ध्र प्रदेश	8398	16395	9211	8099	53843
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	13	13	
4.	असम	119	38	48	1	
5.	बिहार	6065	5431	4332	3488	
6.	चण्डीगढ़ सं.शा. क्षेत्र	0	0	0	0	0
7.	छत्तीसगढ़	104	0	4	10	19
8.	दादरा और नगर हवेली सं.शा. क्षेत्र	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव सं.शा. क्षेत्र	0	0	0	0	0
10.	दिल्ली सं.शा. क्षेत्र	98	209	243	273	
11.	गोवा	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7
12.	गुजरात	7	177	329	1219	
13.	हरियाणा	15	42	40	0	0
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0
15.	जम्मू-कश्मीर	5	9	2	1	64
16.	झारखण्ड	103	444	528	82	67
17.	कर्नाटक	350	1508	1434	2405	
18.	केरल	1	29	22	20	23
19.	लक्षद्वीप सं.शा. क्षेत्र	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	35	28	54	37	150
21.	महाराष्ट्र	291	124	70	117	
22.	मणिपुर	0	0	0	0	
23.	मेघालय	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0
25.	नागालैण्ड	0	0	0	0	0
26	उड़ीसा	110	162	177	120	
27.	पुड्डुचेरी सं.शा. क्षेत्र	10	0	0	0	0
28.	पंजाब	0	29	9	23	
29.	राजस्थान	26	8	12	0	19
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	791	575	553	1434	636
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	493	860	0	246	2513
34.	उत्तराखण्ड	8	0	0	0	2
35.	पश्चिम बंगाल	94	96	78	36	112
	कुल	17134	26178	17173	17624	57448

[हिन्दी]

भारतीय सीमा के साथ-साथ रेल लाइन

3885. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती राज्य होने के मद्देनजर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में मांग पत्रों, ज्ञापनों या अन्य किसी प्रकार से रेलवे से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या पाकिस्तान में भारत की सीमा के साथ-साथ कोई समानान्तर रेल लाइन हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सीमा के साथ-साथ पाकिस्तान में रेल नेटवर्क होने के मद्देनजर भारतीय रेल नेटवर्क के विकास की आवश्यकता की ओर रेलवे का ध्यान आकर्षित किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (छ) मौजूदा रेल नेटवर्क रक्षा आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध कराता है। इसलिए राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में अतिरिक्त रेल लाइनों की कोई आवश्यकता नहीं है। मुनाबाओ, जैसलमेर, कोलायत, अनूपगढ़, गंगानगर, फ़ाजिल्का और फिरोजपुर के लिए पर्याप्त संभरकों के साथ समदरी-जोधपुर-मेर्ता शहर-बीकानेर-बठिंडा-जालन्धर से एक बड़ी रेल लाइन मौजूद है। इसके अतिरिक्त, बीकानेर-मेर्ता रोड, जोधपुर-जैसलमेर, जोधपुर-लूनी-मारवाड़ और लूनी-बाड़मेर-मुनाबाओ खण्डों में गेज परिवर्तन का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा रेवाड़ी-सादुलपुर, सादुलपुर-बीकानेर, अजमेर-नसीराबाद, चित्तौड़गढ़-मावली-मारवाड़ और बांदीकुई-भरतपुर-आगरा में गेज परिवर्तन कार्य भी रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार जारी है।

2. राजस्थान सीमा के पास पाकिस्तान में रेल लाइनों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(क) अमरूखा-बहावलनगर-बहावलपुर-रहीमयारखान-सुक्कुर-नावबशाह-कराची

(ख) बहावलनगर-फोर्ट अब्बास (प्रयोग में नहीं है)।

(ग) नवाबशाह-मीरपुआर्कस-नौकोट।

(घ) मीरपुआर्कस-खोखरोपार।

3. चूंकि अब तक राजस्थान में विद्यमान रेल नेटवर्क रक्षा आवश्यकताएं पूरी करने के लिए अपेक्षित अवसंरचना की व्यवस्था करता है इसलिए रेल लाइनों के विकास की अतिरिक्त आवश्यकता की समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है और आवश्यकता होने पर इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

विपणन यार्ड

3886. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कम्प्यूटरीकृत विपणन यार्डों सहित राज्य-वार कुल कितने विपणन यार्ड हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों के मूल्य से सम्बन्धित सूचनाएं प्रदान करने हेतु विपणन यार्डों का कम्प्यूटरीकरण करने का है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश में 31-3-2007 तक 7465 मार्केट यार्ड है जिसमें 2459 मुख्य मार्केट यार्ड एवं 5006 उप-मार्केट यार्ड हैं। केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम की विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क (एम.आर.आई.एन.) स्कीम के अंतर्गत कृषि मंत्रालय ने 31 मार्च, 2008 तक ऐसे 2902 मार्केट यार्डों को कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराए हैं ताकि किसानों एवं अन्य पणधारियों के हित के लिए एगमार्कनेट नामक पोर्टल के माध्यम से बाजार सूचना (मूल्य एवं बाजार संबंधित) एकत्रित एवं प्रसारित की जा सके। इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पोर्टल बाजार संबंधित, मूल्य संबंधित, अवसंरचना-संबंधित और पदोन्नति-संबंधित सूचना उपलब्ध कराता है और कुछ संबंधित साइटों जैसे भारत में जिन्स एक्सचेंजों, एफ.ए.ओ. विपणन बोर्ड इत्यादि से भी जुड़ा हुआ है। एगमार्कनेट ने राष्ट्रीय डाटाबेस का सृजन किया है जिसमें लगभग 300 जिन्सों 2000 किस्मों से संबंधित दैनिक बाजार सूचना है। वर्तमान में देश की 10 भाषाओं में दैनिक बाजार सूचना सुलभ है।

विवरण

देश में मार्केट यार्डों की संख्या जिसमें 31-03-2008 तक कम्प्यूटरीकृत विपणन यार्ड भी शामिल है।

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	मुख्य यार्ड	उप-मार्केट यार्ड	कुल	कम्प्यूटरीकृत मार्केट यार्ड
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	312	577	889	324
2.	अरुणाचल प्रदेश	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है			15*
3.	असम	20	204	224	23
4.	बिहार#	95	415	510	58
5.	झारखण्ड	28	170	198	26
6.	गोवा	1	7	8	6
7.	गुजरात	196	214	410	319
8.	हरियाणा	106	178	284	150
9	हिमाचल प्रदेश	10	32	42	35
10	जम्मू-कश्मीर	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है			41*
11.	कर्नाटक	146	352	498	144
12.	केरल	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी नहीं बनाया गया है			92*
13.	मध्य प्रदेश	235	256	491	218
14.	छत्तीसगढ़	73	106	179	73
15.	महाराष्ट्र	294	586	880	346
16.	मणिपुर	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी नहीं बनाया गया है			5*
17.	मेघालय	2	–	2	11
18.	मिजोरम	ए.पी.एम.आर. अधिनियम कार्यान्वित नहीं किया गया है			9*
19.	नागालैण्ड	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है			14*
20.	उड़ीसा	45	269	314	73
21.	पंजाब	145	292	437	181

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	125	301	426	166
23.	सिक्किम	1	–	1	7
24.	तमिलनाडु	277	15	292	205
25.	त्रिपुरा	21	–	21	13
26.	उत्तर प्रदेश	245	342	587	257
27.	उत्तराखण्ड	25	31	56	20
28.	पश्चिम बंगाल	43	641	684	56
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी नहीं बनाया गया है			0
30.	चण्डीगढ़	1	–	1	1
31.	दादरा और नगर हवेली	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी नहीं बनाया गया है			I*
32.	दमन एवं दीव	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी कार्यान्वित नहीं किया गया है			2*
33.	दिल्ली	9	14	23	9
34.	लक्षद्वीप	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी नहीं बनाया गया है			0
35.	पुड्डुचेरी	4	4	8	2
	योग	2459	5006	7465	1902

#बिहार कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम 1 सितम्बर, 2006 से निरस्त

*अनियमित मार्केट यार्ड

कर्मचारी राज्य बीमा पेंशन में वृद्धि

3887. डा. के.एस. मनोज: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) पेंशन के रूप में मामूली धनराशि दिए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इतनी कम धनराशि दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो ई.एस.आई. पेंशनधारकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ग) जी नहीं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम के लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान नहीं करता है। यद्यपि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम उन कर्मचारियों को चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्धारित अर्जन क्षमता की क्षति के अनुसार स्थायी अपंगता हितलाभ का आवधिक भुगतान करता है जिन्हें रोजगार के दौरान रोजगारजनित चोट लग जाती है।

रोजगारजनित चोट के कारण मरने वाले कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को दिवंगत कर्मचारी द्वारा आहरित की गई औसत दैनिक मजदूरी के आधार पर आवधिक रूप से आश्रितजन हितलाभ का भुगतान भी किया जाता है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बीमांकन गणनाओं के आधार पर वास्तविक मूल्य में कमी होने के कारण स्थायी अपंगता हितलाभ/आश्रित हितलाभ दरों में बढ़ोतरी करता रहा है। पूर्व में 01-10-1977, 01-04-1980, 01-01-1987, 01-01-1989, 01-01-1992, 01-01-1993, 01-04-1995, 01-08-1997, 01-08-1999 और 01-08-2002 को आवधिक बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पुन: 18-12-2007 को स्थायी अपंगता हितलाभ/आश्रित हितलाभ की दरों में बढ़ोतरी की है जिसे 01-08-2005 से लागू किया गया है।

बाढ़ बीमा योजना

3888. श्री एस.के. खारबेनथन: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ बीमा योजना शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) बाढ़ से संबंधित मामले गृह मंत्रालय देखता है और उनसे आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है।

गाय के दूध का उत्पादन

3889. श्री सुभाष महरिया: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गाय के दूध के उत्पादन में प्रतिवर्ष गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों के अलावा, भारत सरकार निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों की प्रतिपूर्ति कर रही है:-

(1) राष्ट्रीय गोपशु और भैंस प्रजनन परियोजना

(2) केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म

(3) केन्द्रीय पशुयूथ पंजीकरण योजना।

ई.एस.आई.सी. के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय

3890. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) ने चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोल्लम जिले के पारीपल्ली में ई.एस.आई.सी. के अंतर्गत एक चिकित्सा महाविद्यालय की स्वीकृति देने हेतु केरल से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी राज्य बीमा मेडिकल योजना के अंतर्गत चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग कालेज तथा पैरा-मेडिकल प्रशिक्षण स्कूल शुरू करने संबंधी संभावनाओं का पता लगा रहा है। इस प्रस्ताव पर व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु 29-02-2008 को एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

(ग) केरल सरकार से भी कोल्लम जिले के पारीपल्ली के ई.एस.आई. अस्पताल में चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने संबंधी अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है।

(घ) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा गठित एक उप-समिति ने क.रा.बी. योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से मेडिकल तथा पैरा-मेडिकल शिक्षा प्रदान करने संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में संशोधन करने की सिफारिश की थी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 22-02-2008 को आयोजित अपनी बैठक में इस सिफारिश का अनुमोदन कर दिया है। अगली कार्रवाई क.रा.बी. अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन किए जाने के पश्चात् तथा व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी।

गुजरात में आई.टी. पार्क

3891. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात राज्य सरकार ने राज्य में आई.टी. पार्क स्थापित किए जाने हेतु केन्द्र सरकार से किसी सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास राज्य में आई.टी. पार्कों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। गुजरात राज्य में सूरत, राजकोट, जामनगर तथा भावनगर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एस.टी.पी.) की स्थापना का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। सूरत में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एस.टी.पी.आई.) केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 1991 में भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना कार्यान्वित करने, मूल संरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना एवं प्रबंध करने तथा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी।

एक नया एस.टी.पी.आई. केन्द्र स्थापित करने की चालू नीति के अनुसार राज्य सरकार को एस.टी.पी.आई. को 3 एकड़ भूमि, 10,000 वर्ग फुट निर्मित स्थल और 1 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान उपलब्ध कराना होता है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार नए एस.टी.पी.आई. केन्द्र स्थापित करने के लिए एस.टी.पी.आई. को 50 लाख रुपए की आरम्भिक राशि प्रदान करती है। प्रस्ताव की निर्यात क्षमता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन के लिए एस.टी.पी.आई. को राज्य सरकार के साथ मिलकर व्यवहार्यता अध्ययन का आयोजन करना पड़ता है।

बी.एस.एन.एल. के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचालन हेतु वित्तपोषण

3892. श्री नवीन जिन्दल: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी.एस.एन.एल. के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचालन हेतु वित्त पोषण के लिए निजी ऑपरेटरों पर शुल्क प्रभारित किए जाने के विचार का विरोध करते हुए प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटरों ने कहा है कि उद्योग विनियामक को यूनिवर्सल सर्विस ऑबलीगेशन फण्ड (यू.एस.ओ.एफ.) से सरकार द्वारा प्रचालित बड़ी दूरसंचार कंपनी का वित्त पोषण नहीं किया जाना चाहिए जैसा कि दिनांक 10 फरवरी, 2008 के "द एशियन ऐज" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव तथा इस पर की गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) दिनांक 10 फरवरी, 2008 के "द एशियन ऐज" में इस विषय पर कोई खबर छपी हुई नहीं पाई गई। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों में भारत संचार निगम लिमिटेड के बेतार प्रचालनों का वित्त पोषण करने हेतु, वर्ष 2008-09 के लिए अभिगम घाटा प्रभार (ए.डी.सी.) की पुनरीक्षा के लिए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा आयोजित परामर्श प्रक्रिया के दौरान, ट्राई द्वारा स्टेकधारकों से इस संबंध में निम्नलिखित विशिष्ट प्रश्न पूछे गए:

(i) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल. को, उनके स्थिर (फिक्सड) तारशुदा प्रचालनों के लिए सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) से सहायता प्रदान करने का कोई मामला है? यदि नहीं, तो कारण बताएं।

(ii) यदि हां, तो आर्थिक सहायता की राशि, सहायता की अवधि आदि जैसे कार्यान्वयन के ब्यौरों का उल्लेख करते हुए एक उपयुक्त ढांचे का सुझाव दें।

हालांकि कुछ बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के तारशुदा ग्रामीण प्रचालनों के वित्तपोषण के प्रस्ताव का समर्थन किया है,

लेकिन कुछ अन्य प्रदाताओं ने इसका विरोध किया है। इस बारे में स्टेकधारकों की कुछ मुख्य आपत्तियां इस प्रकार थीं:

(i) एक प्रौद्योगिकी-तटस्थ माहौल में, किसी विशिष्ट प्रौद्योगिकी, विशेषतः तारशुदा प्रौद्योगिकी, जो बहुत ही महंगी है, के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ii) वित्त पोषण, घाटों को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसके माध्यम से सेवा प्रदाताओं के बेहतर कार्य-निष्पादन को बढ़ावा मिलना चाहिए।

(iii) यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत यू.एस.ओ.एफ. से फिलहाल बी.एस.एन.एल. को जो कुछ प्राप्त हो रहा है तथा दी जाने वाली विचाराधीन आर्थिक-सहायता के बीच, सहायता की द्विरावृत्ति न हो।

(iv) बी.एस.एन.एल. को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर (फिक्सड) तारशुदा लाइन के लिए यू.एस.ओ.एफ. से सहायता प्रदान नहीं की जानी चाहिए क्योंकि इस सहायता से, जैसे ए.डी.सी. बाजार स्थितियां खराब हो जाएंगी।

(v) तारशुदा ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रदान करने में बी.एस.एन.एल. को कोई घाटा होता प्रतीत नहीं होता और इसलिए यू.एस.ओ.एफ. के अंतर्गत किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त सहायता प्रदान करने का औचित्य नहीं है।

(vi) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक-सहायता का उपयोग प्रशुल्कों को कम करने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर नहीं किया जाए, जो कि लागत से कम हो तथा अन्य प्रतिस्पर्द्धी इनका मुकाबला नहीं कर सकें, बी.एस.एन.एल. को तारशुदा सेवाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में निर्धारित ग्रामीण प्रशुल्क की तुलना में कम प्रशुल्कों की पेशकश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

(ग) परामर्श प्रक्रिया के आधार पर, ट्राई ने 27 मार्च, 2008 को "ए.डी.सी. को फेज आउट करने पर 01-04-2002 से पूर्व संस्थापित ग्रामीण तारशुदा कनेक्शनों को यू.एस.ओ.एफ. से सहायता" पर अपनी सिफारिशें जारी कीं। ट्राई की सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

जैव कृषि

3893. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:
श्री के.एस. राव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जैव-खाद्य व्यवसाय में वृद्धि दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार उपभोक्ताओं में जैव उत्पादों की उपयोगिता तथा लाभदायकता को लोकप्रिय बनाकर इसके उपयोग तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई नई नीति बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जैविक खाद्य क्षेत्र अभी उदीयमान अवस्था में है और इसकी वृद्धि के बारे में राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है। हालांकि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ए.पी.ई.डी.ए.) ने जैविक उत्पादों की निर्यात वृद्धि दर वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान क्रमशः 31%, 10% एवं 187% सूचित की है जिसका मूल्य 95.33 करोड़ रुपये, 104.87 करोड़ रुपये और 301.24 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) वर्तमान में सरकार के पास जैव-उत्पादों की खपत एवं वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु नई नीति शुरू करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि सरकार ने पहले ही देश में जैविक कृषि के उत्पादन, संवर्धन एवं बाजार विकास के लिए वर्ष 2004-05 से राष्ट्रीय जैविक कृषि परियोजना शुरू कर रखी है। इस परियोजना के अन्तर्गत मुख्य घटक है: जैविक कृषि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं खेत-प्रदर्शन, जैव आदान इकाईयों की स्थापना, सेवा प्रदाताओं के माध्यम से क्षमता-निर्माण एवं बाजार विकास।

उपर्युक्त के अलावा बागवानी फसलों की जैव कृषि, कृमि कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना एवं जैविक प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

महाराष्ट्र में बी.एस.एन.एल. मोबाइल फोन कनेक्शन

3894. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर महाराष्ट्र के सतारा जिले में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) मोबाइल फोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) देश में विशेषकर महाराष्ट्र के सतारा जिले में मोबाइल टावरों की संख्या कितनी है;

(ग) देश में विशेषकर सतारा जिले में तहसील-वार कितने मोबाइल टावर संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सतारा जिले के दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) 31-03-2008 की स्थिति के अनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड के अपने प्रचालन क्षेत्र में 4.07 करोड़ मोबाइल फोन प्रयोक्ता हैं जिनमें से महाराष्ट्र के सतारा जिले में 97,816 मोबाइल फोन प्रयोक्ता हैं।

(ख) 31-03-2008 की स्थिति के अनुसार, भारत संचार निगम लिमिटेड के 32,208 मोबाइल (जी.एस.एम.) टॉवर हैं जिनमें से महाराष्ट्र के सतारा जिले में 105 मोबाइल टॉवर हैं।

(ग) चालू जी.एस.एम. परियोजना में बी.एस.एन.एल. के नेटवर्क में लगभग 21,007 मोबाइल टॉवर संस्थापित करने प्रस्तावित हैं और इनमें से 116 टॉवर सतारा जिले में प्रस्तावित हैं (तहसील-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है)

(घ) ज्यादातर टॉवर सतारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं और इन्हें संस्थापित करने का काम उच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।

विवरण

महाराष्ट्र के सतारा जिले में बी.एस.एन.एल. द्वारा संस्थापित किए जाने वाले मोबाइल टॉवरों का ब्यौरा

क्र. सं.	तहसील का नाम	प्रस्तावित टॉवरों की सं.
1	2	3
1.	दाहीवाड़ी	14
2.	कराड	13
3.	कोरेगांव	8
4.	महाबलेश्वर	4
5.	मेधा	7
6.	पाटन	8
7.	फाल्टन	20
8.	सतारा	11
9.	शिरवाल	8
10.	वदुज	14
11.	वाई	9
	कुल	116

[हिन्दी]

जल क्षेत्र में चंबल नियंत्रण बोर्ड के साथ समझौता

3895. श्री कैलाश मेघवाल: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंबल नियंत्रण बोर्ड ने गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर तथा कोटा बांध परियोजना के जरिए चंबल के जल का प्रयोग करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई राज्य दूसरे राज्य की अनुमति के बिना उसके जल अपवाह क्षेत्र का अतिक्रमण करने के लिए स्वतंत्र है;

(ग) यदि हां, तो गांधी सागर परियोजना के जल अपवाह क्षेत्र में हाइड्रॉलिक संरचना का निर्माण किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार का विचार उसकी अनुमति के बिना राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई ऐसी अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक कर दिए जाने की संभावना है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) मध्य प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि चम्बल नियंत्रण बोर्ड ने राजस्थान सरकार के साथ 30 जून, 1948 को गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज के माध्यम से चम्बल के जल के उपयोग संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने आगे सूचित किया है कि समझौते में ऐसी किसी शर्त का उल्लेख नहीं है परन्तु मध्य प्रदेश, राजस्थान अंतर्राज्यीय (आई एवं पी) नियंत्रण बोर्ड की 25-08-2005 को जयपुर में आयोजित 13वीं बैठक के कार्यवृत्त में बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि किसी भी परियोजना के लिए एक राज्य अपने स्वयं के आवाह क्षेत्र की प्राप्ति के साथ क्षेत्र में कोटा बैराज के अनुप्रवाह में अन्य राज्य के आवाह क्षेत्र के 10% का उपयोग कर सकता है।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, गांधी सागर के निर्माण के समय और उसके बाद की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच गांधी सागर में आवाह क्षेत्र में किसी परियोजना का निर्माण न करने के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ था। इसलिए 231.67 मिलियन क्यूमेक की जल क्षमता रखने वाली 151 स्कीमों का निर्माण किया गया है।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि किसी अवैध संरचना का निर्माण नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन

3896. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ना आयुक्त की हाल की रिपोर्ट में चालू वर्ष के दौरान राज्य में चीनी के उत्पादन में कमी की ओर इशारा किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा चीनी उत्पादन में कितनी कमी आने का अनुमान है; और

(ग) राज्य में चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) आयुक्त (चीनी), महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त अद्यतन सूचना के अनुसार आरम्भ में अनुमानित 91 लाख टन के प्रति 88 लाख टन चीनी का उत्पादन होने की संभावना है। चीनी के उत्पादन में कमी मुख्य रूप से गन्ने की उत्पादकता में कमी होने के कारण है जिसके परिणामस्वरूप गन्ने का कम उत्पादन हुआ है।

(ग) महाराष्ट्र में गन्ने की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है जो राज्य की चीनी मिलों की पेराई क्षमता के अनुरूप है।

हथकरघा केन्द्र खोलना

3897. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार और स्थान-वार कितने हथकरघा केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में और अधिक हथकरघा केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रतिवर्ष उक्त हथकरघा केन्द्रों को राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) वर्तमान में, देश में 25 बुनकर सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इन केन्द्रों का राज्यवार, स्थान-वार ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र. सं.	राज्य का नाम	केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद तथा विजयवाड़ा
2.	असम	गुवाहाटी

1	2	3
3.	बिहार	भागलपुर
4.	छत्तीसगढ़	रायगढ़
5.	दिल्ली	दिल्ली
6.	गुजरात	अहमदाबाद
7.	हरियाणा	पानीपत
8.	जम्मू-कश्मीर	श्रीनगर
9.	कर्नाटक	बंगलूर
10.	केरल	कन्नूर
11.	मध्य प्रदेश	इंदौर
12.	महाराष्ट्र	मुंबई एवं नागपुर
13.	मणिपुर	इम्फाल
14.	उड़ीसा	भुवनेश्वर
15.	राजस्थान	जयपुर
16.	तमिलनाडु	चेन्नई, कांचीपुरम तथा सेलम
17.	त्रिपुरा	अगरतला
18.	उत्तर प्रदेश	मेरठ तथा वाराणसी
19.	उत्तराखंड	चमोली
20.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता

(ख) और (ग) वर्तमान में हिमाचल प्रदेश तथा झारखंड में बुनकर सेवा केन्द्र खोले जाने संबंधी दो प्रस्तावों की विभिन्न चरणों पर जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश में बुनकर सेवा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) इन केन्द्रों से प्राप्त व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:-

विवरण

वर्ष 2002-03 से 2006-07 तक राज्य वार सभी बुनकर सेवा केन्द्रों के संबंध में 10वीं योजना के पांच वर्षों के दौरान किया गया व्यय

(लाख रुपए)

क्र. सं.	बुनकर सेवा केन्द्र का नाम	राज्य	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	कुल
1.	दिल्ली	दिल्ली	134.06	138.46	143.64	137.25	117.82	671.23
2.	वाराणसी/मेरठ	उत्तर प्रदेश	93.13	99.38	107.49	107.98	111.51	519.49
3.	श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर	0.00	20.09	28.76	41.76	35.92	126.53
4.	चमोली	उत्तराखंड	25.82	26.71	37.52	30.19	52.04	172.28
5.	पानीपत	हरियाणा	47.16	49.14	45.76	48.20	50.56	240.82
6.	जयपुर	राजस्थान	47.04	49.91	51.15	57.87	58.93	264.90
7.	गुवाहाटी	असम	76.03	78.03	67.36	76.14	76.55	374.11
8.	अगरतला	त्रिपुरा	38.08	40.82	57.03	52.68	52.08	240.69
9.	इम्फाल	मणिपुर	39.00	42.85	41.29	72.97	86.18	282.29
10.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल	82.15	85.84	93.12	92.91	116.08	470.10
11.	भागलपुर	बिहार	40.10	42.92	46.84	49.28	54.59	233.73
12.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	45.80	47.55	66.76	71.04	66.99	298.14
13.	चेन्नई/कांचीपुरम/ सेलम	तमिलनाडु	153.48	159.58	159.02	175.91	169.48	817.47

14. बंगलौर	कर्नाटक	49.90	50.29	51.82	62.50	61.58	276.09
15. कन्नूर	केरल	52.19	55.11	43.85	54.60	68.44	274.19
16. विजयवाड़ा/हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	126.87	198.49	162.62	220.73	121.33	830.04
17. मुंबई/नागपुर	महाराष्ट्र	134.01	139.79	132.98	141.28	165.58	713.64
18. अहमदाबाद	गुजरात	38.10	39.75	45.57	49.09	38.47	210.98
19. इंदौर	मध्य प्रदेश	34.19	36.76	34.01	35.90	39.63	180.49
20. रायगढ़	छत्तीसगढ़	29.60	31.60	29.69	32.86	37.56	161.31
	कुल	1286.71	1433.07	1446.28	1611.14	1581.32	7358.52

[अनुवाद]

अपातनी कृषि प्रणाली

3698. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अपातनी कृषि प्रणाली की उच्च सतत् पैदावार, पर्यावरण अनुकूलता और ऊर्जा दक्षता गुणों के मद्देनजर सरकार का ध्यान अरुणाचल प्रदेश के अपातनी जनजाति के बीच प्रचलित, इस अपातनी कृषि प्रणाली की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में ऐसे क्षेत्रों और प्रदेशों की पहचान की है जहां पर कृषि भूमि से अधिकतम उत्पादन और उच्च पैदावार प्राप्त करने के उद्देश्य से कृषि और सिंचाई की इस प्रणाली को बेहतर ढंग से प्रोत्साहन दिया जा सके और इसे अपनाया जा सके; और

(ग) सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) नम भूमि चावल, कृषि वानिकी और मत्स्य सह धान संवर्धन सहित कृषि की अपातनी प्रणाली, कृषि की अत्यन्त रूप से स्थान विशिष्ट प्रणाली है जो कि अपातनी जनजातियों द्वारा रसायनिक उर्वरक और कीटनाशी के उपयोग किये बिना अरुणाचल प्रदेश के निचले सुभांसिरी जिले में की जाती थी जिसमें सिंचाई के लिए वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है। राज्य सरकार द्वारा इस कृषि प्रणाली विशेषरूप से राज्य में अन्यत्र नम भूमि चावल कृषि को अपनाने के प्रयास किये गये हैं। तथापि, सर्दी के दौरान जल के बारहमासी स्रोतों के सूखने से सिंचाई प्रबंधन की सीमाबद्धता के कारण राज्य के अन्य भागों में अपातनी कृषि प्रणाली सफलतापूर्वक नहीं अपनाई जा सकी है। नम भूमि चावल सहित चावल के प्रोत्साहन के लिए समेकित अनाज विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.-चावल) वृहद प्रबंधन कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश में प्रचालन में है।

एफ.सी.आई. की आर्थिक लागत को कम करना

3699. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत को कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है; और

(ग) उक्त कदमों से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) जी, नहीं। पिछले कई वर्षों के दौरान धान और गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि होने और उसके परिणामस्वरूप खरीद प्रासंगिक खर्चों में वृद्धि होने के कारण भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत में बढ़ोतरी हुई है। तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने अपनी प्रचालनात्मक लागत को कम करने के लिए निम्नलिखित पग उठाए हैं:-

(i) **भाड़ा:** रेल भाड़ा प्रभारों को कम करने के लिए लाइनियर प्रोग्रामिंग मॉडल क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ii) **हैंडलिंग प्रभार:** भारतीय खाद्य निगम ने निर्णय लिया है कि तब तक किसी और डिपु/यूनिट को विभागीय श्रमिक प्रणाली के अधीन नहीं लाया जाएगा जब तक उनके पास उपलब्ध मौजूदा अधिशेष श्रम बल समाप्त नहीं हो जाएगा।

(iii) **भंडारण प्रभार:** अधिशेष गोदाम क्षमता को किराए से खाली करने और राजस्व अर्जित करने हेतु अधिशेष क्षमता को किराए पर देने के प्रयास किए गए हैं।

(iv) **ब्याज:** भारतीय खाद्य निगम ने ब्याज लागत में कमी लाने के लिए बांड जारी किए हैं।

(v) **कमियां:** भारतीय खाद्य निगम ने भंडारण और मार्गस्थ हानियों को सीमित रखने के लिए प्रयास किए हैं।

हथकरघा निर्यात क्षेत्र

3900. श्री ई.जी. चुगावनम: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हथकरघा निर्यात क्षेत्रों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना करने के लिए राज्य-वार किन-किन स्थानों की पहचान की गई है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है;

(घ) उक्त क्षेत्रों से हथकरघा उद्योग को कितना लाभ मिलने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार फाइबर नीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञ पैनल भी गठित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त पैनल के सदस्य कौन-कौन हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद ने राज्य एजेंसियों की वित्तीय सहायता से नगरकोयल, कांचीपुरम, तिरूवण्णमलई, नागपट्टिनम और तिरूवल्लुर में हथकरघा निर्यात क्षेत्र परियोजना को कार्यान्वित करना आरंभ कर दिया है। इन परियोजनाओं का ध्येय सामान्य सुविधा केन्द्र स्थापित करना, हथकरघा उत्पादों की उत्पादकता, गुणवत्ता बढ़ाना और करघों का उन्नयन करना है।

(ग) हथकरघा निर्यात क्षेत्र की परियोजनाएं राज्य एजेंसियों की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही हैं।

(घ) हथकरघा निर्यात क्षेत्र की परियोजनाओं से प्रशिक्षित कार्यक्षमता सहित निर्यात बाजारों के लिए घरेलू वस्त्रों की आपूर्ति व्यवस्था का सृजन होगा।

(ङ) और (च) फाइबर नीति तैयार करने के लिए विशेषज्ञ पैनल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

छोटे और सीमांत किसानों के लिए योजनाएं

3901. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों के लाभार्थ कोई नई सिंचाई योजनाएं तैयार की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है और आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इन योजनाओं को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इससे कितने किसानों के लामान्वित होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (ङ) जल संसाधन मंत्रालय ने कोई नई सिंचाई स्कीम नहीं बनाई है। तथापि, भूजल की स्थिति में सुधार करने, जल की कमी की अवधि के दौरान कुओं के स्थायित्व को बढ़ाने और प्रभावित क्षेत्रों में समग्र सिंचित कृषि उत्पादकता, स्थानीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से सात राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में 2007-10 की अवधि के दौरान "डगवेलों के माध्यम से भूजल का कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी एक स्कीम कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई है।

[हिन्दी]

शहरी और ग्रामीण टेलीफोन घनत्व

3902. श्री महावीर भगोरा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय शहरी और ग्रामीण टेलीफोन घनत्व का अलग-अलग राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है;

(ग) देश में टेलीफोन घनत्व को बढ़ाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या लक्ष्य कम निर्धारित किए गए हैं और ये लक्ष्य वैश्विक टेलीफोन घनत्व (टेली डेन्सिटी) के अनुरूप नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) 29-02-2008 की स्थिति के अनुसार देश में शहरी और ग्रामीण टेली-घनत्व क्रमशः 64.48% और 9.03% है। 29-02-2008 की स्थिति के अनुसार शहरी और ग्रामीण टेली-घनत्व का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) टेलीफोनों की संख्या के आधार पर, भारत के टेलीफोन नेटवर्क का विश्व में तीसरा स्थान है।

(ग) 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार, देश में टेली-घनत्व में बढ़ोत्तरी करने के लिए मार्च, 2012 के अंत तक 600 मिलियन टेलीफोनों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) और (ङ) दिसंबर, 2006 के अंत तक, विश्व टेली-घनत्व 61.01% था (नवीनतम उपलब्ध)। 11वीं पंचवर्षीय योजना के 600 मिलियन टेलीफ़ोनों के लक्ष्य के फलस्वरूप देश में मार्च, 2012 के अंत तक टेली-घनत्व लगभग 50% हो जाएगा।

विवरण

क्र. सं.	सर्किल/राज्य का नाम	29-02-2008 की स्थिति के अनुसार टेली-घनत्व (% में)		
		ग्रामीण	शहरी	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार	13.89	24.77	17.94
2.	आन्ध्र प्रदेश	10.15	72.44	27.34
3.	असम	3.85	72.46	13.67
4.	बिहार	3.10	89.13	12.13
5.	छत्तीसगढ़	1.31	14.27	4.18
6.	गुजरात	15.57	58.15	32.34
7.	हरियाणा	16.06	57.67	29.45
8.	हिमाचल प्रदेश	30.50	118.64	39.90
9.	जम्मू-कश्मीर	7.35	59.40	20.99
10.	झारखंड	1.14	11.38	3.49
11.	कर्नाटक	11.14	73.38	33.68
12.	केरल	25.50	97.46	43.98
13.	मध्य प्रदेश	4.96	58.34	19.54
14.	महाराष्ट्र (-) मुम्बई	11.66	55.16	26.18
15.	पूर्वोत्तर-I	6.65	89.45	26.32
16.	पूर्वोत्तर-II	3.06	27.47	8.71
17.	उड़ीसा	6.66	53.64	14.28

1	2	3	4	5
18.	पंजाब	24.83	80.63	46.85
19.	राजस्थान	12.07	57.98	22.98
20.	तमिलनाडु (-) चेन्नै	15.37	56.80	34.01
21.	उत्तरांचल	5.03	24.43	10.37
22.	उत्तर प्रदेश	6.00	50.36	15.58
23.	पश्चिम बंगाल (-) कोलकाता	7.02	55.43	13.78
24.	कोलकाता	#	57.43	62.30
25.	चेन्नै	#	100.13	101.62
26.	दिल्ली	#	107.96	107.96
27.	मुंबई	#	81.41	81.41
	अखिल भारत	9.03	64.48	25.34

मैट्रो शहरों चेन्नै, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई के लिए कोई ग्रामीण जनसंख्या आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

नोट: निजी प्रचालक, आंकड़े सेवा क्षेत्र-वार ही उपलब्ध करवाते हैं तथा अंडमान और निकोबार, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर-II के लिए अलग से उपलब्ध न कराकर इन्हें क्रमशः पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर-I के साथ शामिल किया गया है। तथापि, भारती एयरटेल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए अलग से लैंडलाइन आंकड़े उपलब्ध कराता है।

[अनुवाद]

भागीदारी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम

3903. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सिंचाई के विकास और जल को सावधानी से उपयोग करने के उद्देश्य से शुरू किया गया भागीदारी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त कार्यक्रम अब तक कितने राज्यों में लागू किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जल संसाधन मंत्रालय ने भागीदारी सिंचाई प्रबंधन के संबंध में कोई स्कीम अथवा कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। तथापि, राष्ट्रीय जल नीति में विचार किया गया है कि विभिन्न उपयोगों के लिए जल संसाधनों के प्रबंधन में जल संसाधनों संबंधी स्कीम की आयोजना, डिजाइन, विकास और प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पक्षों में न केवल विभिन्न सरकारी अभिकरणों बल्कि अन्य प्रयोक्ताओं और अन्य दावाधारकों को भी प्रभावी और निर्णायक प्रकार से शामिल कर एक भागीदारी सोच को समाविष्ट किया जाना चाहिए। जल संसाधन मंत्रालय कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सी.ए.डी. एवं डब्ल्यू.एम.) संबंधी स्कीम के माध्यम से भागीदारी सिंचाई प्रबंधन (पी.आई.एम.) को प्रोत्साहित करता है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बांधों का निर्माण

3904. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक बांधों में स्लैजिंग सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्माण के समय उक्त सुविधा मुहैया न कराये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त सुविधाओं के अभाव में बांधों के प्रबंधन और अनुरक्षण में आ रही कठिनाईयों के संबंध में शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) "स्लैजिंग सुविधाएं" भारत में बांधों की रूपरेखा, प्रबंधन अथवा रखरखाव का घटक नहीं हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सेल्यूलर टॉवरों का रखरखाव

3905. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) का विचार देश में अपने मोबाइल सेवा प्रचालकों के लिए सेल्यूलर टॉवरों को किराए पर लेने और उनके रखरखाव हेतु कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत संचार निगम लिमिटेड ने देश में ऐसे टॉवरों के किराए और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी स्वतंत्र तीसरी पार्टी विक्रेताओं से लेकर इनका आऊटसोर्स (बाह्य सहायता लेने) करने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, हां। बी.एस.एन.एल. ने देश में अपने मोबाइल टेलीफोनी प्रचालन के लिए सेल्यूलर टॉवरों को किराए पर लेने के लिए पहले ही एक स्कीम बना रखी है। तथापि, किराए पर लिये गये सेल्यूलर टॉवरों का रखरखाव मालिक द्वारा स्वयं किया जाना है।

(ग) अब तक, बी.एस.एन.एल. ने सेल टॉवर किराए पर लेने के लिए एक दूरसंचार सेवा प्रदाता (मैसर्स टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड) और छह स्वतंत्र अवसंरचना प्रदाताओं अर्थात् मैसर्स जी.टी.एल. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, मैसर्स ऐस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स क्विपो टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स एस्सार टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स टी.वी.एस. इंटरकनेक्ट सिस्टम लिमिटेड और मैसर्स एक्सेल टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड से करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

[हिन्दी]

महिलाओं को भू-स्वामित्व प्रदान करना

3906. श्री रशीद मसूद: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि पर निर्भर महिलाओं को भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत महिलाओं को भूमि उपलब्ध कराने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) भारत सरकार के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार भूमि एक राज्य विषय है इसलिए भूमि वितरण, जिसमें कृषि पर आश्रित महिलाओं के भू-स्वामित्व अधिकार शामिल हैं, से संबंधित समुचित विधान बनाना राज्य सरकार का काम है।

हालांकि, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान आयोग की संस्तुतियों पर आधारित राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 अनुमोदित की है जो पहले ही विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों एवं विभागों की विभिन्न स्कीमों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वयनाधीन है। नीति में निवास भूमि एवं कृषि भूमि दोनों के लिए

कृषक महिलाओं के लिए संयुक्त पट्टे जारी करने की व्यवस्था है, क्योंकि यह ऋण एवं अन्य सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच बनाने के लिए आवश्यक है।

दूरसंचार सेवाओं के लिए लाइसेंस

3907. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री बी.के. दुम्मर:
श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री देविदास पिंगले:

क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में दूरसंचार सेवाएं शुरू करने के लिए लैंडलाइन/मोबाइल टेलीफोन लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक कितनी कंपनियों को लाइसेंस दिए गए हैं और लाइसेंस किन परिमंडलों के लिए दिए गए हैं तथा इनके आवेदनों को रद्द किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कतिपय निजी दूरसंचार प्रचालकों के दबाव में अन्य निजी कंपनी को लाइसेंस जारी नहीं किया है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में आशंकाओं को समाप्त करने के लिए कोई जांच कराई है;

(च) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) क्या सभी परिमंडलों में स्थानीय कॉलों की दरों को 25 पैसे प्रति मिनट करने का कोई प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 6 मार्च, 2008 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) कॉल दरों के कब तक कम होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां। सरकार को देश के विभिन्न सेवा क्षेत्रों में एकीकृत अभिगम सेवा (यू.ए.एस.) लाइसेंस प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें वायरलाइन तथा वायरलेस (बेतार) अभिगम सेवाएं भी शामिल हैं।

(ख) से (च) पिछले तीन वर्षों के दौरान 22 सेवा क्षेत्रों में 20 कंपनियों को 143 नए यू.ए.एस. लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। जिन कंपनियों ने यू.ए.एस. लाइसेंस मंजूर करने के लिए दिनांक 14-12-2005 के यू.ए.एस. दिशानिर्देशों की पात्रता शर्तें पूरी नहीं की थीं, उन्हें यू.ए.एस. लाइसेंस जारी नहीं किए गए थे। 143 नए यू.ए.एस. लाइसेंसों में से, 120 लाइसेंस हाल ही में फरवरी-मार्च, 2008 में 16 कंपनियों को जारी किए गए हैं जिससे देश के 22 सेवा क्षेत्रों में 7 नए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में 4 की वृद्धि हुई है। इससे दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा में बढ़ोत्तरी होगी।

कतिपय आवेदन कंपनियों, जिन्होंने पात्रता मानदंड पूरा नहीं किया और जिन्हें यू.ए.एस. लाइसेंस प्रदान नहीं किए गए, उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और ये मामले निर्णयाधीन हैं।

(छ) से (झ) देश में दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्क भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (टी.टी.ओ.), 1999, द्वारा निर्धारित ढांचे के अध्यधीन है। टी.टी.ओ. के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में फिक्स्ड लाइन सेवा, राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवा तथा लीज्ड लाइन सेवा को छोड़कर दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रशुल्कों का परिहार किया जा रहा है। सेवा प्रदाताओं को कम कॉल प्रभारों की पेशकश करने का लचीलापन है।

सहकारी संगठन

3908. श्री रामदास आठवले: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नेफेड), राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.सी.टी.) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.) जैसे अधिकतर सरकारी सहायता प्राप्त संगठन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ेवर्गों के लिए बनाई गई आरक्षण नीति को लागू नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठनों सहित अन्य सरकारी

संगठनों में विभिन्न संवर्गों के पदों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व कितने प्रतिशत है; और

(ग) मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न संगठनों में इन जातियों/वर्गों से संबंधित लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

यूरोकॉप्टर सौदे में विसंगतियां

3909. श्री के.एस. राव:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूरोकॉप्टर सौदे की चयन प्रक्रिया में कैसी और कितनी विसंगतियां पाई गई हैं और इसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक क्या परिणाम होंगे;

(ख) यूरोकॉप्टर हेतु दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में चिन्हित व्यक्ति/एजेन्सी का क्या नाम है और सेना के लिए उचित हेलिकॉप्टरों की खरीद में विलम्बकारी चयन प्रक्रिया में पाई गई तकनीकी विसंगतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सौदे को रद्द करने, और सेना विमानन कोर्ट के लिए शीघ्रातिशीघ्र समुचित मशीन की नई खरीद करने तथा रक्षा सौदे में दलाल के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए तंत्र को मजबूत बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) मैसर्स यूरोकॉप्टर द्वारा फील्ड परीक्षण के लिए प्रदान किया गया हेलिकॉप्टर सिविलियन रूपांतर था जबकि उनके द्वारा दी गई बोली मिलिटरी रूपांतर की थी। इसके अलावा, परीक्षण के दौरान हेलिकॉप्टर में लगाया गया इंजन मैसर्स यूरोकॉप्टर की बोली वाले मिलिटरी रूपांतर में लगाए गए इंजन से अलग था। इस मंत्रालय को ऐसे किसी व्यक्ति अथवा एजेन्सी की जानकारी नहीं है जो इस अर्जन प्रक्रिया में यूरोकॉप्टर की ओर से मध्यस्थ के रूप में रहा हो।

(ग) और (घ) इस मामले को समय से पूर्व समाप्त कर दिया गया है और विद्यमान रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार मामले को नए सिरे से शुरू किया गया है। मौजूदा रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार रक्षा सौदों में बिचौलिए की भूमिका को हटाने के संबंध में पहले ही अपेक्षित प्रावधान हैं।

मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं हेतु प्रशुल्क

3910. श्री एस. अजय कुमार: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से देश में मोबाइल फोन सेवा प्रदाताओं के लिए न्यूनतम प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार स्पैक्ट्रम की क्षमता में वृद्धि करने की संभावनाएं तलाश रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं। देश में दूरसंचार प्रशुल्कों को विनियमित करने की शक्ति भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) में ही निहित है। ट्राई ने मोबाइल सेवाओं के प्रशुल्कों (रोमिंग प्रभारों को छोड़कर जिनके लिए कतिपय उच्चतम सीमाएं है) के निर्धारण से स्वयं को अलग रखा है। इस प्रकार, मोबाइल सेवा प्रदाता बाजार की प्रचलित परिस्थितियों, ग्राहक की जरूरतों और ट्राई के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के प्रशुल्क पैकेज देने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पैक्ट्रम एक प्राकृतिक, सीमित और दुर्लभ संसाधन है। सरकार मोबाइल प्रचालकों को सलाह देती रही है कि वे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकीय विकास/समाधानों के माध्यम से स्पैक्ट्रम का इष्टतम व दक्षतापूर्ण उपयोग करें।

काजू उत्पादन

3911. श्री पी.सी. थामस: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में देश में उत्पादित काजू का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या काजू के मूल्यवर्द्धन की अपार संभावना है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के मूल्यवर्द्धन के लिए उपयोग किए जा सकने वाले भागों (कैशूनट को छोड़कर) के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त मूल्यवर्द्धन के संबंध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में काजू उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) काजू फल अर्थात हरा काजू के मूल्य वर्धन के काफी अवसर हैं। इस रसदार फल को विभिन्न खाद्य उत्पादों जैसे सीरप, स्क्वैश, जूस, जैम, कैन्डी, डिब्बाबंद फल, अचार एवं सिरका तैयार करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। गोवा राज्य में हरे काजू का उपयोग "फेनी" बनाने के लिए किया जाता है।

(घ) जूस, जैम, जैली, अचार एवं अन्य विभिन्न उत्पाद तैयार करने के लिए प्रोटोकॉल केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान (सी.एफ.टी.आर.आई.), मैसूर एवं काजू अनुसंधान स्टेशन पर ए.आई.सी.आर.पी. (काजू) केन्द्रों में विकसित किए गए हैं।

इस मूल्यवान खाद्य उत्पाद की उपयोगिता पर कृषक समुदाय में जागरूकता लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने इन उत्पादों को तैयार करने को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 'हरा काजू की उपयोगिता पर मार्गदर्शी प्रदर्शन' नामक एक कार्यक्रम परिकल्पित किया है। काजू के मुख्य उत्पादक राज्यों में अनुसंधान केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्रों एवं गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 2006-07 से काजू कृषकों विशेषतया कृषक महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

विवरण

भारत में काजू का क्षेत्र, उत्पादन एवं उत्पादकता

ए-क्षेत्र 000 है. में

पी-उत्पादन 000 मि.मी. में

ए.पी.वाई.-औसत उत्पादकता प्रति है.कि.ग्रा. में

राज्य	2004-05			2005-06			2006-07		
	ए	पी	ए.पी.वाई.	ए	पी	ए.पी.वाई.	ए	पी	ए.पी.वाई.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
केरल	102	64	900	80	67	900	80	72	900
कर्नाटक	95	43	680	100	45	700	102	52	700
गोवा	55	26	660	55	27	690	55	29	690
महाराष्ट्र	160	174	1200	160	183	1300	164	197	1500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
तमिलनाडु	105	53	610	121	56	640	123	60	670
आन्ध्र प्रदेश	150	88	840	170	92	880	171	99	890
उड़ीसा	126	74	810	120	78	860	125	84	860
पश्चिम बंगाल	9	8	800	10	10	950	10	10	1000
अन्य	18	14	800	21	15	900	24	17	700
कुल	820	544	810	837	573	815	854	620	820

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

3912. डा. बापूराव मिडियम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 मार्च, 2007 की तारीख की स्थिति के अनुसार दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कुल हिस्सेदारी कितनी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): अगस्त, 1991 से मार्च, 2007 के दौरान देश में दूरसंचार क्षेत्र में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 16,691 करोड़ रु. था जबकि इसी अवधि के दौरान देश में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2,32,041/- करोड़ रु. था। दूरसंचार क्षेत्र में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कुल निवेश का 7.19% बनता है।

हानिकारक कीट

3913. श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री एम. अप्पादुरई:
श्री चंद्रकांत खैरे:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयातित कृषि उपभोक्ता वस्तुओं के साथ आ रहे संगरोधन हानिकारक कीड़े-मकोड़ों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में कृषि संबंधी दक्षेस देशों की बैठक में जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर एक देश से दूसरे देश में जाने वाले कीटों संबंधी निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने पर सहमति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कीटरोधी पैथोजन के लिए और अधिक प्रभावी पेस्टनाशी विकसित करने हेतु किए गए अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) देश की कृषि जैव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पादपों और पादप सामग्री का आयात विनाशक कीट एवं कृमी अधिनियम, 1914 और पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। इस आदेश के तहत देश में आयात की अनुमति से पहले प्रत्येक सामग्री अथवा उसके हिस्से का कृमि जोखिम विश्लेषण (पी.आर.ए.) करना और पौध संगरोध परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(ग) और (घ) कृषि पर 'सार्क' देशों की हाल ही में हुई बैठक में जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप ट्रांसबाउण्ड कृमियों के लिए निगरानी और समयपूर्व चेतावनी प्रणाली के विकास के लिए समझौता पर विचार-विमर्श किया गया।

(ङ) कृमिनाशीयों के प्रति विभिन्न कृमियों द्वारा प्रतिरोधकता विकास के विस्तार के अध्ययन के लिए शोध किया जाता है। तथापि, कृमिनाशी उद्योग द्वारा नये कृमिनाशीयों का

विकास किया जाता है। कृमिनाशी उद्योग द्वारा लाये गये नये कृमिनाशी अणुओं का आकलन सभी लक्षित कृमियों के विरुद्ध किया जाता है और किसी अनुसंशित कृमिनाशी के प्रति किसी संदिग्ध प्रतिरोध की स्थिति में उन्हें उपयोग किया जाता है।

कृषि उपज विपणन समितियां

3914. श्री पी.एस. गढ़वी:

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कितनी कृषि उपज विपणन समितियां हैं;

(ख) इन समितियों के कृषि उत्पादों की कुल आदान/आवक क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इन ए.पी.एम.सी. द्वारा राज्य-वार कुल कितना बाजार शुल्क लगाया गया है;

(ग) क्या कतिपय राज्यों ने अपने ए.पी.एम.सी. अधिनियमों में संशोधन किया है और उन्हें सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया है जैसाकि कृषि विपणन सुदृढ़ीकरण और विकास संबंधी एस.एल. गुरू विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाव दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों की सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्तमान में देश में 2170 कृषि उत्पाद विपणन समितियां हैं। राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कृषि उत्पाद विपणन समितियों द्वारा लगाई गई कुल मण्डी शुल्क के साथ इन समितियों के कृषि उत्पाद के कुल आदान/आवक, जैसा कि विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त हुआ है, संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ग) से (ङ) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, सिक्किम और त्रिपुरा की राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार द्वारा परिचालित माडल ए.पी.एम.आर. अधिनियम जोकि श्री एस.एल. गुरू विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के बाद राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किया गया है के आधार पर अपने कृषि उत्पाद विपणन विनियम अधिनियमों में संशोधन कर दिया है और राज्यपत्र में अधिसूचित कर दिया है। पंजाब का अधिनियम केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में भी लागू है तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने अधिनियम में संशोधन ना करने का निर्णय लिया है क्योंकि बाजार सुधारों से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए पहले ही प्रबंध कर लिया है। बिहार राज्य सरकार ने अपने ए.पी.एम.सी. अधिनियम को 1-9-2006 से निरस्त कर दिया है। हरियाणा, झारखण्ड, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केन्द्रीय क्षेत्र पांडिचेरी भी अपने अधिनियमों में आवश्यक संशोधनों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। केरल, मणिपुर, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव और लक्ष्य द्वीप राज्यों/केन्द्रीय क्षेत्रों के कोई ए.पी.एम.आर. अधिनियम नहीं हैं।

विवरण-I

कृषि उत्पाद विपणन समितियों (ए.पी.एम.सी.) की संख्या-राज्यवार

क्र.सं.	राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र का नाम	ए.पी.एम.सी. की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	316
2.	अरुणाचल प्रदेश	14
3.	असम	24

क्र.सं.	राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र का नाम	ए.पी.एम.सी. की संख्या
4.	बिहार *	1-9-2006 से अधिनियम निरस्त
5.	झारखण्ड	28
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	209
8.	हरियाणा	106
9.	हिमाचल प्रदेश	10
10.	जम्मू-कश्मीर	ए.पी.एम.आर. अधिनियम क्रियान्वित किया जाना है
11.	कर्नाटक	146
12.	केरल	ए.पी.एम.आर. अधिनियम क्रियान्वित किया जाना है
13.	मध्य प्रदेश	233
14.	छत्तीसगढ़	73
15.	महाराष्ट्र	295
16.	मणिपुर	ए.पी.एम.आर. अधिनियम क्रियान्वित किया जाना है
17.	मेघालय	2
18.	मिजोरम	ए.पी.एम.आर. अधिनियम क्रियान्वित किया जाना है
19.	नागालैण्ड	12
20.	उड़ीसा	61
21.	पंजाब	145
22.	राजस्थान	125
23.	सिक्किम	1
24.	तमिलनाडु	21
25.	त्रिपुरा	21
26.	उत्तर प्रदेश	247
27.	उत्तराखण्ड	20

क्र.सं.	राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र का नाम	ए.पी.एम.सी. की संख्या
28.	पश्चिम बंगाल	47
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	ए.पी.एम.आर. अधिनियम क्रियान्वित किया जाना है
30.	चण्डीगढ़	1
31.	दादरा और नगर हवेली	ए.पी.एम.आर. अधिनियम क्रियान्वित किया जाना है
32.	दमन और दीव	ए.पी.एम.आर. अधिनियम क्रियान्वित किया जाना है
33.	दिल्ली	9
34.	लक्ष्यद्वीप	ए.पी.एम.आर. अधिनियम क्रियान्वित किया जाना है
35.	पुड्डुचेरी	3
	कुल	2170

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल बाजार फीस सहित इन समितियों के कृषि उत्पाद के कुल आदान/आगमन

क्र. सं.	राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र का नाम	कुल आदान/आगमन (लाख मी. टन)			लगाई गई कुल बाजार फीस (लाख रुपये में)		
		2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	216.94	219.32	233.15	20358	20284	2474
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.86	1.40	1.62	23.89	32.12	17.51
3.	असम*	52.88	58.27	60.56	1729.94	1906.26	2233.48
4.	बिहार	1-9-2006 से निरस्त					
5.	झारखण्ड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1618.47 (2005-06)	1793.54 (2006-07)	1728.95 (2007-08 फरवरी 08 तक)
6.	गोवा**	0.42	0.40	0.45	135.33	151.25	148.65
7.	गुजरात	138.66	125.9	115.3	6296.55	7340.96	8625.85
8.	हरियाणा	122.61 (2005-06)	107.16 (2006-07)	115.45 (2007-08)	17182.00 (2005-06)	16662.00 (2006-07)	22830.00 (2007-08)
9.	हिमाचल प्रदेश	2.73 (2005-06)	2.78 (2006-07)	3.31 (2007-08 फरवरी, 08 तक)	1919.62 (2005-06)	1384.88 (2006-07)	1327.60 (2007-08 फरवरी, 08 तक)

10. जम्मू-कश्मीर	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी क्रियान्वित किया जाना है।					
11. कर्नाटक**	823.37	919.65	259.98	109.23	130.40	152.06
12. केरल	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी क्रियान्वित किया जाना है।					
13. मध्य प्रदेश	126.96	135.52	157.26	27795.45	32739.65	37023.46
14. छत्तीसगढ़	54.85	59.23	59.34	4425.88	5042.43	8331.92
15. महाराष्ट्र	175.94	179.32	152.33	15331.64	17408.92	20003.05
16. मणिपुर	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी क्रियान्वित किया जाना है।					
17. मेघालय	0.45	0.45	0.43	28.53	28.00	32.47
18. मिजोरम	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी क्रियान्वित किया जाना है।					
19. नागालैण्ड	सरकार द्वारा सामग्रीगों की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है।					
20. उड़ीसा	51.03	54.32	57.28	3118.48	3277.34	3458.64
21. पंजाब	277.70	273.47	252.00	35310.00	36230.00	34539.00
22. राजस्थान	89.55 (2005-06)	85.63 2006-07)	97.81 (2007-08)	19097.01 (2005-06)	19077.14 2006-07)	19361.04 (2007-08)
23. सिक्किम	नगण्य आगमन			कर अभी तय किया जाना है।		
24. तमिलनाडु	15.04	13.87	16.48	4241.07	4277.25	4297.24
25. त्रिपुरा	1.02	1.39	1.06	18.48	28.86	25.44
26. उत्तर प्रदेश	371.82	347.51	338.16	30498.00	29824.00	306.00
27. उत्तरांचल	120.16 (2005-06)	22.13 (2006-07)	18.32 (2007-08)	1486.66 (2005-06)	1413.91 (2006-07)	1584.02 (2007-08)
28. पश्चिम बंगाल	1667.63	272.17	270.78	3835.37	3875.23	3920.18

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी क्रियान्वित किया जाना है।					
30.	चण्डीगढ़	6.54 (2005-06)	4.40 (2006-07)	6.45 (2007-08)	276.90 (2005-06)	274.20 (2006-07)	339.40 (2007-08)
31.	दादरा और नगर हवेली	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी क्रियान्वित किया जाना है।					
32.	दमन और दीव	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी क्रियान्वित किया जाना है।					
33.	दिल्ली@	145.96 (2005-06)	207.30 (2006-07)	167.79 (2007-08)	4511.64 (2005-06)	5071.25 (2006-07)	5835.66 (2007-08)
34.	लक्षद्वीप	ए.पी.एम.आर. अधिनियम अभी क्रियान्वित किया जाना है।					
35.	पांडिचेरी**	1.29 (2005-06)	1.26 (2006-07)	1.34 (2007-08)	62.74 (2005-06)	71.30 (2006-07)	67.15 (2007-08)

* इसमें पशु शामिल नहीं हैं।

** इसमें नारियल शामिल नही हैं।

@ इसमें पुष्पों जो बंडलों में होते हैं, की आवक और स्टिकस की संख्या शामिल नहीं है।

अमरीका के साथ रक्षा सौदा

3915. श्री सुनील खां: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका से कोई पुराना रक्षा पोत 200 करोड़ रुपए में खरीदा गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पोत की क्या उपयोगिता है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) 48.23 मिलियन अमरीकी डालर की कुल लागत पर अमरीका से लैंडिंग प्लेटफार्म डॉक (पूर्व-अमरीकी पोत ट्रेंटन) के अर्जन के लिए 31 जुलाई 2006 को भारतीय पक्ष ने प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र (एल.ओ.ए.) पर हस्ताक्षर किए थे। कुल लागत में पोत की लागत, 04 लैंडिंग क्राफ्ट मैकनाइज्ड, अतिरिक्त कलपुर्जो, प्रलेखन, चालक दल के प्रशिक्षण की लागत, पोत रिफिट की लागत आदि शामिल है। रिफिट कार्य पैकेज के निष्पादन के दौरान भारतीय नौसेना ने कार्य का क्षेत्र बढ़ाना आवश्यक समझा था। अत: रिफिट कार्य पैकेज वर्द्धित कार्य क्षेत्र के साथ पूरा हुआ था। कुल मिलाकर परियोजना की कुल लागत मे 2.4 मिलियन अमरीकी डालर की वृद्धि हुई। पोत पुराना था परन्तु भारतीय नौसेना ने उसकी अवशिष्ट उपयोग अवधि 10 वर्ष से अधिक आंकी थी। रिफिट होने के बाद यह पोत सितम्बर 2007 में भारत पहुंचा। यह पोत जल-थलचर संक्रियाओं के साथ-साथ आपदा राहत में उपयोग में लाया जा सकता है।

[हिन्दी]

आई.एस.आई. चिन्ह का दुरुपयोग

3916. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री रामदास आठवले:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो (आई.एस.आई.) चिन्हों के दुरुपयोग के मामलों की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान बी.आई.एस. द्वारा इस संबंध में छापे मारे गए तथा परीक्षण कराए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इनके क्या परिणाम निकले;

(ङ) इन परीक्षणों को पास न करने वाले उत्पादकों/ ट्रेडर्स की संख्या तथा ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, हां। पिछले तीन वर्षों में भारतीय मानक ब्यूरो के गैर-लाइसेंसधारक और लाइसेंसधारक व्यक्तियों द्वारा आई.एस.आई. चिन्ह के दुरुपयोग के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	भारतीय मानक ब्यूरो के गैर-लाइसेंसधारक व्यक्तियो द्वारा आई.एस.आई. चिन्ह का दुरुपयोग	भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंसधारक व्यक्तियों द्वारा आई.एस.आई. चिन्ह का दुरुपयोग
2005-06	241	1135
2006-07	212	1149
2007-08	125	1378

(ग) और (घ) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा देश के विभिन्न भागों में वैध लाइसेंस के बिना आई.एस.आई. चिन्ह का दुरुपयोग कर रहे विनिर्माताओं के परिसरों सहित दुकानों/प्रतिष्ठानों पर मारे गए छापों और अपने लाइसेंसधारकों के नमूनों के परीक्षण के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	गैर-लाइसेंसधारकों के यहां मारे गए छापे	लाइसेंसधारकों के परीक्षित नमूने
2005-06	241	21882
2006-07	212	29081
2007-08	125	25794

तथापि, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मारे गए छापों के दौरान जब्त की गई सामग्री के संबंध में कोई परीक्षण नहीं किया जाता है।

(ङ) 219 मामले जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, ऐसे थे जिनमें लाइसेंसधारक अपेक्षित सुधारक कार्रवाई नहीं कर सके और/अथवा उनके उन्नत नमूने परीक्षण में सफल नहीं हो पाए। ऐसे मामलों पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अनुसार निरस्तीकरण के लिए कार्रवाई की गई।

वर्ष	निरस्त किए गए लाइसेंसों की संख्या
2005-06	53
2006-07	52
2007-08	114
कुल	219

(च) भारतीय मानक ब्यूरो ने गैर-लाइसेंसधारकों द्वारा आई.एस.आई. चिन्ह के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस लिए बिना आई.एस.आई. चिन्ह का दुरुपयोग कर रहे विनिर्माताओं के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करने में सहायता हेतु बाहरी एजेंसियों को नियुक्त करके अपनी प्रवर्तन गतिविधियों को मजबूत करने के लिए कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा, ऐसे विनिर्माताओं द्वारा आई.एस.आई. चिन्ह के दुरुपयोग के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए सूचना नेटवर्क विकसित करने हेतु उद्योग/व्यापार एसोसिएशनों तथा भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंसधारकों के साथ निरंतर संपर्क भी बनाए रखा गया। अपने लाइसेंसधारकों के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो अपनी परीक्षण और निरीक्षण तथा बाजार निगरानी स्कीम के जरिए सुनिश्चित करता है कि वे संबंधित या संगत भारतीय मानकों में निर्धारित विनिर्देशनों का कड़ाई से पालन करें और आई.एस.आई. चिन्ह का दुरुपयोग न करें।

टेक्सटाइल पार्क

3917. **श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री काशीराम राणा:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
योगी आदित्यनाथ:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजना अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में कितने टेक्सटाइल पार्कों को स्वीकृति दी गई तथा स्थापना की गई तथा ग्यारहवीं योजना हेतु क्या प्रस्ताव है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन पार्कों को राज्य-वार तथा पार्क-वार कितनी धनराशि आवंटित तथा जारी की गई;

(ग) शेष स्वीकृत पार्कों के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है;

(घ) क्या ये पार्क अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस.आई.टी.पी.) को, उपयुक्त सहायता अवसंरचना सुविधाओं के साथ वस्त्र पार्क स्थापित करने को सुकर बनाने के लिए, जुलाई 2005 में स्वीकृत किया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार 30 वस्त्र पार्क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। यद्यपि, प्रथम चरण में 10(दस) नई वस्त्र पार्क परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए इस योजना के 11वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा गया है परंतु अभी तक कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

(ख) स्वीकृत परियोजनाओं के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार जारी की गई निधियां नीचे तालिका में दी गई है-

राज्य	परियोजनाओं की सं.	वर्ष-वार जारी की गई निधियां (करोड़ रु. में)			
		2005-06	2006-07	2007-08	कुल
आन्ध्र प्रदेश	5	0.00	12.74	49.92	62.66
बिहार	1	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	7	8.00	8.00	64.00	80.00
कर्नाटक	1	0.00	2.12	10.62	12.74
महाराष्ट्र	5	4.82	6.89	45.39	57.10
पंजाब	1	0.00	0.00	4.00	4.00
राजस्थान	3	0.00	3.87	15.75	19.62
तमिलनाडु	6	5.73	5.39	40.91	52.03
पश्चिम बंगाल	1	0.00	4.00	8.00	12.00
कुल	30	18.55	43.01	238.59	300.15

(ग) आशा है कि अभी तक स्वीकृत की गई सभी परियोजनाएं 2009 से प्रचालन में आ जाएंगी।

(घ) सरकार को, यह सुझाव देने कि ये पार्क अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

3918. श्री बालासाहिब विखे पाटिल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना निरर्थक हो गई है क्योंकि जिन किसानों ने पहले इसका लाभ उठाया था, वे अब इसे छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार किसानों को बीमा कवर प्रदान के लिए एक नई योजना आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी नहीं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एन.ए.आई.एस.) जोकि देश में रबी मौसम 1999-2000 से कार्यान्वित की जा रही है, ने वर्ष 2000-01 में 163 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर लगभग 105 लाख किसानों को कवर किया है। 2006-07 के दौरान किसानों का कवरेज 273 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर 179 लाख किसानों तक बढ़ गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) एन.ए.आई.एस. के अंतर्गत दावों के विलम्बित निपटान की प्रतिबन्धता से पार पाने के लिए सरकार ने खरीफ 2007 से मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.) की शुरुआत की है। योजना मौसम

के विषम परिस्थितियों के पैमानों जैसे वर्षा की कमी/अधिकता; उच्च/निम्न तापमान; पाला आदि के परिणामस्वरूप फसल उत्पादन में होने वाले अनुमानित नुकसान के कारण सम्भावित वित्तीय हानि के लिए किसानों को बीमित करती है। खरीफ 2007 और रबी 2007-08 फसल मौसम में डब्ल्यू.बी.सी. आई.एस. को पायलेट आधार पर कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चयनित क्षेत्रों/फसलों में कार्यान्वित किया गया है। इसे खरीफ 2008 में भी क्रियान्वयन के लिए बढ़ाया गया है।

समेकित हथकरघा विकास योजना

3919. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समेकित हथकरघा विकास योजना (आई.एच.डी.एस.) के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ख) आई.एच.डी.एस. के अंतर्गत दसवीं योजना के दौरान क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार देश के बुनकरों हेतु आई.एच.डी.एस. को क्रियान्वित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ग्यारहवीं योजना में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत सरकार ने चुने गए हथकरघा समूहों में हथकरघा बुनकरों के समूह निर्माण को दृश्यमान उत्पादन समूह के रूप में ध्यान देने, हथकरघा बुनकर समूहों को आत्मनिर्भर बनने में सहायता करने, सहकारी क्षेत्र के बाहर और भीतर के बुनकरों को शामिल करने, प्रत्येक क्लस्टर/समूह आदि को समग्र और सुनम्य ढंग से आवश्यकता आधारित निविष्टियां प्रदान करने के उद्देश्य से 11वीं योजना अवधि के दौरान क्रियान्वयन के लिए समन्वित हथकरघा विकास योजना शुरू की है।

(ख) समन्वित हथकरघा विकास योजना 11वीं योजना अवधि के दौरान दिसंबर, 2007 में शुरू की गई है।

(ग) से (ङ) समन्वित हथकरघा विकास योजना देश के हथकरघा बुनकरों के लिए है। इस योजना के मुख्य संघटक हैं - समूह विकास कार्यक्रम, हथकरघा विकास समूह दृष्टिकोण, विपणन प्रोत्साहन, हथकरघा संगठनों का सुदृढ़ीकरण आदि। 11वीं योजना अवधि के लिए समन्वित हथकरघा विकास योजना के अंतर्गत वर्ष-वार निधियों का आवंटन इस प्रकार है:-

क्र.सं.	वर्ष	निधियों का आवंटन (करोड़ रुपए में)
1.	2007-08	111.00
2.	2008-09	125.00
3.	2009-10	160.00
4.	2010-11	175.00
5.	2011-12	190.00

ब्राडबैंड अवसंरचना का विकास

3920. श्री नन्द कुमार साय: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड अवसंरचना के विस्तार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजना अविध में सभी ग्राम पंचायतों तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों और सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दायरे में लाने की प्रस्तावित योजना क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितना खर्च होने का अनुमान है तथा कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) इस विस्तार द्वारा ब्रॉडबैंड प्रयोक्ताओं को किस तरह लाभ होगा; और

(ङ) सरकार का विचार किन संसाधनों से देश में इस विस्तार योजना हेतु धनराशि जुटाने का है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, हां।

सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड की उपलब्धता में वृद्धि हेतु अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उपाए किए हैं:-

(i) ग्रामीण जनता को ई-गवर्नेंस तथा डाटा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की व्यवस्था को सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यू.एस.ओ.एफ.) के क्षेत्राधिकार में लाने के प्रयोजनार्थ भारतीय तार नियमावली में संशोधन किए गए हैं।

(ii) 15,000 गांवों को शामिल करने वाले 2850 ब्लॉकों में ब्रॉडबैंड सेवाएं पहले ही प्रदान कर दी गई हैं और उत्तरोत्तर रूप से और गांवों को भी शामिल किया जा रहा है।

(iii) बी.एस.एन.एल. द्वारा सार्वजनिक उपयोग वाले प्रमुख स्थानों जैसे हवाई अड्डों, मॉलों, होटलों आदि में वाई-फाई अभिगम को उत्तरोत्तर रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(iv) सभी ग्राम पंचायतों को ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना के अंतर्गत उत्तरोत्तर रूप से शामिल किया जाएगा और वर्ष 2012 के अंत तक इन्हें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।

(v) सभी सरकारी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को उत्तरोत्तर रूप से सुविधा प्रदान की जाएगी और इन्हें वर्ष 2012 के अंत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान कर दी जाएगी।

(vi) ई-गवर्नेंस परियोजना के भाग के रूप में, सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्ष 2012 के अंत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उत्तरोत्तर रूप से प्रदान कर दी जाएगी।

बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. ने अपने निजी संसाधनों से ब्रॉडबैंड विस्तार की योजना बनाई है।

(घ) ब्रॉडबैंड के उपभोक्ताओं को ई-गवर्नेंस, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसीन, वीडियो कान्फ्रेंसिंग, डिजिटल इंटरटेनमेन्ट, फास्टर वेब सर्च, ई-कॉमर्स आदि विभिन्न सुविधाएं सुलभ होंगी।

(ङ) दूरसंचार विभाग, सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के माध्यम से ग्रामीण तथा दूरदराज के क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए अवसंरचना लागत को आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगा।

टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत
प्रोत्साहन एवं धनराशि

3921. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस समय देश में चल रहे वस्त्र, पटसन तथा संबंधित उद्योगों हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (टी.यू.एफ.एस.) आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टी.यू.एफ.एस. के अंतर्गत सरकार द्वारा इन उद्योगों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं;

(घ) टी.यू.एफ.एस. आरंभ होने के बाद से इसके अंतर्गत इन उद्योगों को वर्षवार तथा उद्योगवार कितनी धनराशि आवंटित तथा जारी की गई; और

((ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात् आज तक पटसन उद्योग का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) योजना की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ग) टी.यू.एफ.एस. के तहत सरकार द्वारा उद्योग को दिए जा रहे प्रोत्साहन संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) टी.यू.एफ.एस. की शुरुआत से इसके तहत वर्ष-वार और उद्योग-वार आबंटित और जारी निधियां संलग्न विवरण-III और IV में दी गई हैं।

(ङ) पिछले तीन वर्षों का पटसन उत्पादन ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

विवरण-I

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टी.यू.एफ.एस.) का विवरण

(1) यह एक योजना स्कीम है।

(2) इसका उद्देश्य भारतीय वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ब्याज दर पर पूंजी प्रदान करना है।

(3) विशिष्ट मशीनरी के लिए प्रौद्योगिकी स्तर निर्धारित है।

(4) इस योजना के तहत वित्त पोषण की सीमा नहीं है।

(5) स्पिनिंग, कॉटन जिनिंग और प्रेसिंग, सिल्क रिलींग एवं ट्विस्टिंग, वुल स्काउरिंग एवं कोम्बिंग, सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सटराइजिंग, क्रिम्पिंग एवं ट्विस्टिंग, विस्कोस फिलामेंट यार्न (वी.एफ.वाई.)/विस्कोस स्टेपल फाइबर (वी.एस.एफ.) का विनिर्माण, नॉन वूवेन एवं तकनीकी वस्त्र सहित बुनाई/कताई, परिधान, मेड-अप मैनुफैक्चरिंग, फाइबर प्रसंस्करण, यार्न, फैब्रिक्स, परिधान और मेड-अप्स जैसे क्षेत्र और पटसन क्षेत्र अपने प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस योजना के तहत रियायती ऋण प्राप्त करने के पात्र हैं।

(6) उद्योग संघो, ट्रस्ट अथवा सहकारी समिति द्वारा साझी अवसंरचना अथवा सुविधाओं में निवेश और अन्य विनिर्दिष्ट निवेश भी इस योजना के तहत वित्त पोषण के पात्र हैं।

(7) हथकरघा बुनकरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उन्नत धातु फ्रेम वाले हथकरघे भी इस योजना के तहत शामिल हैं।

विवरण-II

टी.यू.एफ.एस. के तहत सरकार द्वारा दी जा रही प्रोत्साहन

(i) इस योजना में मुख्यतः योजना के अनुरूप प्रौद्योगिकी उन्नयन परियोजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा पांच प्रतिशत ब्याज प्रभारों की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। स्पिनिंग मशीनरी पर ब्याज प्रतिपूर्ति की दर 4% है।

(ii) इसके अलावा, इस योजना में 5% ब्याज सहायता के बदले विदेशी मुद्रा ऋण के मामले में विनिमय दर में 5% तक के उतार-चढ़ाव को कवर करने का प्रावधान है। तथापि, स्पिनिंग मशीनरी के लिए कवरेज 4% है।

(iii) यह योजना विद्युतकरघा इकाइयों को 200 लाख रु. की अधिकतम पूंजी और 20 लाख रु. की अधिकतम सब्सिडी सीमा के अध्यधीन टी.यू.एफ. की उपयुक्त विनिर्दिष्ट मशीनरी में निवेश पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बदले टी.यू.एफ.एस. के तहत 20% मार्जिन मनी सब्सिडी लेने का अतिरिक्त विकल्प प्रदान करती है।

(iv) इस योजना में वस्त्र लघु उद्योग और पटसन क्षेत्र के लिए 200 लाख रु. की अधिकतम पूंजी और 15 लाख रु. की अधिकतम सब्सिडी सीमा के अध्यधीन टी.यू.एफ. की उपयुक्त विनिर्दिष्ट मशीनरी में निवेश पर 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बदले 15% मार्जिन मनी सब्सिडी का प्रावधान है।

(v) इस योजना में तकनीकी वस्त्रों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण मशीनरी, परिधान मशीन और मशीनरी के वास्ते 5% ब्याज प्रतिपूर्ति जमा 10% पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है।

(vi) इस योजना में हथकरघा उत्पादन एककों के लिए करघा पूर्व और करघा पश्चात प्रचालनों, हथकरघों/हथकरघों के उन्नयन एवं परीक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण उपस्करों के वास्ते नई मशीनरी एवं उपस्करों की खरीद पर 25% पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है।

(vii) इस योजना में केवल मशीनरियों के मूल मूल्य पर ब्याज सब्सिडी/पूंजी सब्सिडी/मार्जिन मनी का प्रावधान है।

विवरण-III

टी.यू.एफ.एस. के तहत बजट आवंटन तथा ब्याज/पूंजी राजसहायता की प्रतिपूर्ति के लिए वर्ष-वार निधियों को जारी करना

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान	कुल जारी राशि
1999-00	1.00	1
2000-01	70.00	70
2001-02	200.00	198.894
2002-03	220.00	202.59
2003-04	250.00	249.06
2004-05	284.00	283.604
2005-06	485.08	485.00
2006-07	835.00	823.92
2007-08	1143.37	1143.37
योग	3488.37	3457.438

विवरण-IV

टी.यू.एफ.एस. के तहत क्षेत्रवार/संस्थानवार प्रगति (अनंतिम)
(01-04-1999 से 31-3-2007 तक)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	उद्योग क्षेत्र	क्षेत्रों	प्राप्त			स्वीकृत			संवितरण	
			आबंटनों की सं.	परियोजना लागत	राशि	आबंटनों की सं.	परियोजना लागत	राशि	आबंटनों की सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	मिश्रित उन्नयन	गैर-एस.एस.आई.	525	27385.06	14357.58	501	25344.42	11213.33	465	8646.55
		एस.एस.आई.	225	275.83	171.20	216	257.25	164.47	208	127.13
	कुल-जोड़		**750**	**27660.89**	**14528.78**	**717**	**25601.67**	**11377.80**	**673**	**8773.68**
2.	कॉटन गिनिंग और प्रेसिंग	गैर-एस.एस.आई.	25	118.31	80.58	24	108.31	69.37	24	66.77
		एस.एस.आई.	65	91.87	46.56	62	84.15	34.45	53	26.52
	कुल-जोड़		**90**	**210.18**	**127.14**	**86**	**192.46**	**103.82**	**77**	**93.29**
3.	फेब्रिक काशीदकारी	गैर-एस.एस.आई.	148	1014.20	540.57	142	824.73	442.55	134	395.37
		एस.एस.आई.	2194	661.98	471.37	2189	659.66	466.24	1992	404.57
	उप-जोड़		**2342**	**1676.18**	**1011.94**	**2331**	**1484.39**	**908.79**	**2126**	**799.94**
4.	परिधान विनिर्माण	गैर-एस.एस.आई.	191	1998.37	1181.53	184	1920.59	1105.19	167	905.38

		एस.एस.आई.	625	686.81	416.59	610	661.35	398.95	557	321.30
	उप-जोड़		**816**	**2685.18**	**1598.12**	**794**	**2581.94**	**1504.14**	**724**	**1226.68**
5.	इंडिपेंडेंट विवींग प्रेपरेटरी	गैर-एस.एस.आई.	8	115.89	80.27	7	101.89	68.88	6	37.57
		एस.एस.आई.	85	27.45	16.20	82	26.43	15.52	77	13.04
	उप-जोड़		**93**	**143.34**	**96.47**	**89**	**128.32**	**84.29**	**83**	**50.61**
6.	पटसन उद्योग	गैर-एस.एस.आई.	29	306.31	172.35	27	287.54	157.45	24	134.48
		एस.एस.आई.	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	उप-जोड़		**29**	**306.31**	**172.35**	**27**	**287.54**	**157.45**	**24**	**134.48**
7.	निटींग	गैर-एस.एस.आई.	94	2130.25	723.93	90	1958.66	560.02	85	449.69
		एस.एस.आई.	1003	763.45	537.30	991	729.24	510.02	955	445.92
	उप-जोड़		**1097**	**2893.70**	**1261.23**	**1081**	**2687.90**	**1070.04**	**1040**	895.61
8.	मेड-अप मैनुफैक्चरिंग	गैर-एस.एस.आई.	69	2079.16	1434.17	66	1718.97	950.25	62	817.28
		एस.एस.आई.	139	121.15	80.02	136	117.21	67.39	125	46.37
	उप-जोड़		**208**	**2200.31**	**1514.19**	**202**	**1836.18**	**1017.64**	**187**	**863.65**
9.	विस्कोस फिलामेन्ट, यार्न का विनिर्माण	गैर-एस.एस.आई.	29	630.64	397.95	29	630.64	385.95	28	216.95
		एस.एस.आई.	12	20.42	9.52	12	20.42	9.52	11	4.10
	उप-जोड़		**41**	**651.06**	**407.47**	**41**	**651.06**	**395.47**	**39**	**221.05**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	नॉन-वीवर्स	गैर-एस.एस.आई.	15	148.02	61.22	15	148.02	59.27	14	37.43
		एस.एस.आई.	2	0.63	0.49	2	0.63	0.35	2	0.35
	उप-जोड़		**17**	**148.65**	**61.71**	**17**	**148.65**	**59.62**	**16**	**37.78**
11.	अन्य	गैर-एस.एस.आई.	2	2.97	52.24	2	2.97	52.24	2	52.24
		एस.एस.आई.	1	2.80	2.00	1	2.80	2.00	1	1.00
	उप-जोड़		**3**	**5.77**	**54.24**	**3**	**5.77**	**54.24**	**3**	**53.24**
12.	फाइबर्स, यार्नस, फैब्रिक्स परिधान और मैड-अप्स का प्रसंस्करण	गैर-एस.एस.आई.	479	8683.1	4125.38	449	7987.34	3562.79	433	2763.17
		एस.एस.आई.	596	642.2	397.43	580	595.45	356.07	523	271.49
	उप-जोड़		**1075**	**9325.30**	**4522.81**	**1029**	**8582.79**	**3918.86**	**956**	**3034.66**
13.	सिल्क रिलींग	गैर-एस.एस.आई.	12	354.58	274.24	11	335.58	94.2	9	21.82
		एस.एस.आई.	71	26.87	15.61	67	22.13	11.77	67	9.46
	उप-जोड़		**83**	**381.45**	**289.85**	**78**	**357.71**	**105.97**	**76**	**31.28**
14.	स्पिनिंग	गैर-एस.एस.आई.	1165	27885.2	13460.17	1083	24703.26	11917.51	956	7916.88
		एस.एस.आई.	344	484.17	310.72	339	472.66	308.10	305	192.46
	उप-जोड़		**1509**	**28369.37**	**13770.89**	**1422**	**25175.92**	**12217.61**	**1261**	**8109.34**
15.	सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टैक्सटराइजिंग क्रिमपिंग एवं ट्विस्टिंग	गैर-एस.एस.आई.	225	1711.72	1009.46	216	1557	905.10	208	804.30

		एस.एस.आई.	916	394.52	250.58	905	350.76	221.86	871	196.40
	उप-जोड़		**1141**	**2106.24**	**1260.04**	**1121**	**1907.76**	**1126.96**	**1079**	**1000.70**
16.	तकनीकी वस्त्र	गैर-एस.एस.आई.	26	405.75	167.66	25	387.9	162.41	24	96.78
		एस.एस.आई.	45	42.88	27.65	44	38.71	24.96	43	20.51
	उप-जोड़		**71**	**448.63**	**195.31**	**69**	**426.61**	**187.37**	**67**	**117.29**
17.	विबींग	गैर-एस.एस.आई.	374	13488.44	2545.79	349	13233.33	2136.48	330	1653.50
		एस.एस.आई.	1526	709.56	485.48	1520	699.83	501.52	1443	343.25
	उप-जोड़		**1900**	**14198.00**	**3031.27**	**1869**	**13933.16**	**2638.00**	**1773**	**1996.75**
18.	वूल स्काउटींग एंड कार्म्बिग	गैर-एस.एस.आई.	5	31.01	18.96	5	31.01	18.96	3	5.86
		एस.एस.आई.	9	5.62	3.11	9	5.62	3.11	9	2.95
	उप-जोड़		**14**	**36.63**	**22.07**	**14**	**36.63**	**22.07**	**12**	**8.81**
19.	सभी क्षेत्र	गैर-एस.एस.आई.	3421	88488.98	40684.05	3225	81282.16	33861.84	2974	25022.02
		एस.एस.आई.	7858	4958.21	3241.83	7765	4744.30	3088.30	7242	2426.82
	कुल		11279	93447.19	43925.88	10990	86026.46	36950.14	10216	27448.84

नोट: 1. ए.आई.एफ.आई. और स्डिकी में उनके पी.एल.आई. शामिल।

2. परियोजना लागत में इक्विटी (गैर-ऋण राशि) टी.यू.एफ. के लिए पात्र नहीं निवेश की राशि शामिल है।

3. टी.यू.एफ.एस. के तहत सरकारी प्रवाह संवितरित राशि का लगभग 5% है।

विवरण-V

पिछले तीन वर्षों के दौरान पटसन उत्पादन का ब्यौरा

(मात्रा: हजार गांठ में)

राज्य	2005-06	2006-07	2007-08
आन्ध्र प्रदेश	455.0	560.0	486.0
असम	603.6	583.3	726.4
बिहार	1386.6	1389.8	1443.2
छत्तीसगढ़	3.0	3.5	4.0
झारखण्ड	6.0	5.0	5.0
कर्नाटक	2.7	6.5	5.0
मध्य प्रदेश	1.2	6.0	4.5
महाराष्ट्र	36.0	38.0	38.0
मेघालय	55.7	72.6	73.0
नागालैण्ड	10.5	23.5	25.0
उड़ीसा	141.5	209.5	227.0
तमिलनाडु	0.0	1.5	3.0
त्रिपुरा	23.3	15.3	22.0
उत्तर प्रदेश	0.0	0.8	4.0
पश्चिम बंगाल	8114.5	8506.0	8316.1
अन्य	0.0	0.0	0.0
कुल	10839.6	11421.3	11382.2

स्रोत: पटसन विकास निदेशालय

[हिन्दी]

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत फसलें

3922. **श्री सूरज सिंह:**
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो विकास हेतु शामिल की गई फसलों का ब्यौरा क्या है तथा उक्त योजना के अंतर्गत राज्य-वार विशेषकर पूर्वोत्तर हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु कोई समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) द्वारा 29-5-2007 को पारित संकल्प के अनुसरण में, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) की एक नई राज्य योजना स्कीम अर्थात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) या राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम (एन.ए.डी.पी.) को 2007-08 के दौरान आरम्भ किया था।

आर.के.वी.वाई. का व्यापक उद्देश्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में 4% वृद्धि दर हासिल करने के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रेरित करना है।

इस स्कीम में कृषि उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए स्थानीय कृषि जलवायु दशाओं के अनुसार स्कीम की आयोजना और निष्पादन की प्रक्रिया में राज्य को लचीलापन और स्वायत्ता की व्यवस्था है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर अनुमोदन समिति (एस.एल.एस.सी.) आर.के.वी.वाई. के तहत समयबद्धता परियोजनाओं का अनुमोदन करती है और वानिकी, वन्य जीव और वृक्षारोपण (अर्थात काफी, चाय और रबर) को छोड़कर कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए उद्देश्यों का अनुमोदन करती है। कार्यकलापों की सूचक सूची जिन्हें आर.के.वी.वाई. के तहत निष्पादित किया जा सकता है, में गेहूं, धान, मोटे अनाज, बाजरा, दलहनों, तिलहनों इत्यादि जैसी प्रमुख खाद्य फसलों का एकीकृत विकास शामिल है।

2007-08 के दौरान आर.के.वी.वाई. के तहत राज्यों के लिए निधियों का आवंटन और निर्मुक्ति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2007-08 के दौरान आर.के.वी.वाई. के तहत निधियों का राज्यवार आवंटन और निर्मुक्ति

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	पात्र/अपात्र	आवंटन	निर्मुक्ति
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	पात्र	93.13	61.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	पात्र	2.85	1.90
3.	असम*	अपात्र	23.77	
4.	बिहार	पात्र	64.02	57.77
5.	छत्तीसगढ़	पात्र	60.54	52.96
6.	गोवा	पात्र	2.29	1.70
7.	गुजरात	पात्र	53.71	49.81
8.	हरियाणा	पात्र	23.12	21.52
9.	हिमाचल प्रदेश	पात्र	17.39	16.17

1	2	3	4	5
10.	जम्मू-कश्मीर*	अपात्र	6.85	
11.	झारखण्ड	पात्र	61.66	55.68
12.	कर्नाटक	पात्र	171.97	154.30
13.	केरल	पात्र	61.41	55.40
14.	मध्य प्रदेश	पात्र	110.01	101.62
15.	महाराष्ट्र	पात्र	142.20	128.20
16.	मणिपुर*	अपात्र	1.35	
17.	मेघालय	पात्र	7.00	6.37
18.	मिजोरम*	अपात्र	1.05	
19.	नागालैण्ड	पात्र	9.45	3.19
20.	उड़ीसा	पात्र	46.59	39.30
21.	पंजाब	पात्र	39.85	36.05
22.	राजस्थान	पात्र	71.68	55.76
23.	सिक्किम	पात्र	2.77	2.77
24.	तमिलनाडु	पात्र	188.21	153.80
25.	त्रिपुरा	पात्र	4.69	4.16
26.	उत्तराखण्ड	पात्र	30.54	28.25
27.	उत्तर प्रदेश	पात्र	116.15	103.90
28.	पश्चिम बंगाल	पात्र	60.87	54.93
	कुल राज्य		**1475.12**	**1246.39**
	संघ शासित क्षेत्र			
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	पात्र	9.52	
2.	चंडीगढ़	पात्र	0.22	
3.	दादरा व नगर हवेली	पात्र	0.25	0.10
4.	दमन व दीव	पात्र		

1	2	3	4	5
5.	दिल्ली	पात्र	0.56	0.10
6.	लक्षद्वीप	पात्र	0.92	0.10
7.	पांडिचेरी	पात्र	3.13	0.40
	कुल संघ शासित क्षेत्र		**14.58**	**0.70**
	जिला कृषि योजना		10.30	
	एन.आई.आर.डी.			0.50
	कुल योग		1500.00	1247.59

***नोट** - आर.के.वी.वाई. के तहत राज्यों की पात्रता निर्धारण मानदंडों के अनुसार चार राज्यों असम, मणिपुर, जम्मू और कश्मीर और मिजोरम 2007-08 में आर.के.वी.वाई. के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र थे। तथापि, इन राज्यों के पक्ष में इस शर्त के अध्यधीन एक काल्पनिक आवंटन किया गया था कि इन राज्यों को राज्य योजना 2008 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के तहत संशोधित अनुमान चरण में उनके नाम के सामने दी गई यथा निर्दिष्ट राशि का अतिरिक्त परिव्यय प्रदान किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर के लिए (107.10 करोड़), असम (102.77 करोड़), मणिपुर (12.74 करोड़) तथा मिजोरम (4.42 करोड़) 2007-08 के दौरान आर.के.वी.वाई. के तहत लाभ पहुंच प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। चूंकि इन राज्यों को राज्य योजना 2007-08 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के तहत अतिरिक्त आवंटन प्रदान नहीं किया गया है और 2007-08 के दौरान इन चार राज्यों को कोई निधि निर्मुक्त नहीं की गई है।

[अनुवाद]

महिला किसानों द्वारा आत्महत्या

3923. श्री के. सुब्बारायण:
डा. एम. जगन्नाथ:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान आत्महत्या करने वाली महिला किसानों की संख्या का पता लगाने के लिए आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का कब तक आकलन कराने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार आत्महत्या प्रवण जिलों को विशेष कृषि जोतों के रूप में विकसित करने का है, जैसा कि स्वामीनाथन आयोग द्वारा सुझाव दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) राज्य सरकारें महिला किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या की रिपोर्ट पृथक रूप से नहीं रखती है। कृषि मंत्रालय ने उन महिला किसानों की संख्या का निर्धारण नहीं किया है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान आत्महत्या की है, आकलन नहीं किया है। तथापि, राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में किसान आत्महत्याओं पर एक नैदानिक अध्ययन में बताया कि अधिकांश नमूने पीड़ित पुरुष जन के हैं। इसी प्रकार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में किसान आत्महत्या नामक शीर्षक के अध्ययन के अनुसार जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद ने किया, यह देखा गया था कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में 40 आत्महत्याओं के मामलों में से 4 मामलों में महिला किसान थीं और कर्नाटक राज्य में 22 आत्महत्याओं में से 1 महिला किसान थीं।

(घ) और (ङ) आत्महत्या उन्मुख जिलों में किसानों के लिए पुनर्वास पैकेज के भाग के रूप में, कृषि मंत्रालय ने केरल में कुट्टानाड वेटलेंड एको सिस्टम को विशेष कृषि क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया है। आत्महत्या

उन्मुख जिलों को विशेष कृषि क्षेत्रों में विकसित करने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

कृषि विकास

3924. श्री राकेश सिंह: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने टिप्पणी की है कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र के विकास में पर्याप्त प्रगति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कृषि क्षेत्र के विकास हेतु नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे अनुसंधानों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन ने 1990 के दशक के मध्य के पश्चात कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में गतिशीलता की हानि की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि जी.डी.पी. की विकास दर प्रति वर्ष 4% के लक्ष्य से कम थी। तथापि, 10वीं योजना 2005-06 और 2006-07 के अंतिम दो वर्षों में कृषि क्षेत्र में 4.35% की औसत विकास दर दर्ज की गई है। तथापि, कृषि एवं कृषि क्षेत्र की पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 को इन प्रावधानों के साथ अनुमोदित कर दिया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भूमि के संबंध में परिसंपत्ति सुधार, पानी, पशुधन, मात्स्यिकी और जैव संसाधन समर्थन सेवाएं और सतत रीति से उत्पादकता सुधार के लिए सीमांत प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग जैसे आदान, कृषि जैव सुरक्षा पद्धति, अच्छे गुणवत्ता वाले बीजों और रोग मुक्त पौध रोपण सामग्री की आपूर्ति, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने के उपाय और समेकित पोषक तत्व एवं कीट प्रबंधन तत्व इत्यादि शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने दो नई स्कीमें शुरू की हैं, यथा-खाद्यान्नों की उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.) का उद्देश्य राज्यों को प्रोत्साहित करना है जिससे कि कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा मिल सके और कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की स्कीमों के नियोजन एवं निष्पादन की प्रक्रिया में राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, कई पहलें, योजना स्कीमें और कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जिनमें राष्ट्रीय बांस मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, लघु सिंचाई, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन और बृहद कृषि प्रबंधन के अंतर्गत कवर की गई स्कीमें शामिल हैं।

(घ) 11वीं योजना की अनुसंधान प्राथमिकताओं में जलवायु परिवर्तन के लिए कृषि का अनुकूलन, गुणवत्ता बीजों की उपलब्धता, जल एवं आदान प्रयोग की दक्षता बढ़ाना और कृषि संरक्षण के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण शामिल है। आधुनिक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है जिसमें जैव प्रौद्योगिकी मार्कर असीस्टिड ब्रीडिंग, संकर प्रौद्योगिकी इत्यादि शामिल है। मूल्य एवं नीतिगत अनुसंधान और उत्पादन से खपत प्रौद्योगिकी के विषयों का पता लगाने, अलाभकर क्षेत्रों में सतत आजीविका सुरक्षा पर अनुसंधान का केन्द्रण करना है। क्षेत्रीय रूप से भिन्न प्रौद्योगिकियों का सृजन करने के लिए विशेष तौर पर शुष्क एवं कमजोर कृषि इको सिस्टम में उत्पादकता बढ़ाने के लिए थल विशिष्ट अनुसंधान पर दबाव डालने के लिए मध्यावधि एवं दीर्घावधिक कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान एजेंडे को पुन उन्मुख बनाया गया है।

[अनुवाद]

ट्रम्प और डॉल्फिन कनेक्शनों की खराब कनैक्टिविटी

3925. श्री मधु गौड यास्की:
श्री पी.सी. थामस:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले महीनों के दौरान दिल्ली में एम.टी.एन.एल. के टेलीफोन ठीक से कार्य नहीं कर रहे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है;

(घ) इन टेलीफोनों के सुचारू कार्यकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार को एम.टी.एन.एल. के ट्रम्प और डॉल्फिन कनैक्शनों की खराब कनैक्टिविटी के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(छ) एम.टी.एन.एल. के उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) एम.टी.एन.एल. दिल्ली अपनी वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली (जी.एस.एम.) नेटवर्क में 7,50,000 लाइनों की वृद्धि करने तथा नेटवर्क का उन्नयन 3जी क्षमता सहित इंटरनेट प्रोटोकॉल आधारित नए सामान्य नेटवर्क में करने की प्रक्रिया में था। एम.टी.एन.एल., दिल्ली जी.एस.एम. नेटवर्क की संरचना में संपूर्ण परिवर्तन तथा बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण संबंधी कार्यकलाप के कारण फरवरी और मध्य-मार्च, 2008 के बीच सेवा में कुछ गिरावट आई थी।

तब से दिल्ली में जी.एस.एम. नेटवर्क का उन्नयन किया गया है और इसमें 750 हजार लाइनों की वृद्धि की गयी है। यह प्रणाली अब सामान्य ढंग से कार्य कर रही है। दक्षता संबंधी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए गए हैं।

(ङ) जी. नहीं।

(च) उपर्युक्त भाग (ङ) को देखते हुए लागू नहीं होता।

(छ) उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाए किए गए हैं:

- 2007-08 के दौरान 750 हजार जी.एस.एम. लाइनें चालू किया जाना। उक्त अतिरिक्त क्षमता के साथ 146 बेस ट्रांसीवर स्टेशन भी जोड़े गए हैं।
- कवरेज को बेहतर बनाने, संकुलन, कॉल ड्रॉप आदि को कम करने के लिए नेटवर्क को इष्टतम बनाने का कार्य सतत रूप से किया जाता है।
- एम.टी.एन.एल., पी.एस.टी.एन. तथा मोबाइल दोनों उपभोक्ताओं के लिए उभरते हुए रूझानों के अनुरूप बहुत सी मूल्यवर्द्धित सेवाएं जैसे समाचार, गाने, एस्ट्रोलोजी, ई-टिकटिंग, एस.एम.एस., वॉयस एस.एम.एस., इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट प्रोटोकाल टी.वी. इत्यादि भी प्रदान कर रहा है।
- लैंडलाइन और सेल्युलर आधारित पी.सी.ओ., दोनों में नई प्रशुल्क योजनाएं आरंभ की जा रही हैं ताकि मौजूदा पी.सी.ओ. धारकों को बनाए रखा जाए और नए पी.सी.ओ. फ्रैंचाइजियों को आकर्षित किया जा सके।
- एम.टी.एन.एल., संचार हाट, ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर, डीलर तथा एजेंट नियुक्त करके तथा अपने निगमित ग्राहकों का विशेष ध्यान रखकर, अपने ग्राहकों की सेवा भी कर रहा है।
- एम.टी.एन.एल. विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं के लिए अपने प्रशुल्कों की पुनरीक्षा कर रहा है, ताकि ये सेवाएं ग्राहक हितैषी बनें और समाज के विभिन्न वर्गों के अनुकूल हों।
- मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए अलग कॉल सेन्टर कार्य कर रहे हैं ताकि नई सेवाओं के ग्राहक बनाए जा सकें और शिकायतों का निपटारा किया जा सके।

बीड़ी कामगारों को चिकित्सा सुविधाएं

3926. श्री काशीराम राणा:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बीड़ी कामगारों के लिए कितने अस्पताल तथा चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) उपरोक्त में से कितने अस्पतालों को कर्मचारियों तथा दवाओं की कमी तथा दवाओं के अन्यत्र प्रयोग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) इन अस्पतालों में कुल मिलाकर कर्मचारियों और दवाओं की कमी नहीं है। दवाओं के अन्यत्र प्रयोग की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। चिकित्सा अधिकारियों के कुछ रिक्त पदों को, अनुबंध आधार पर डॉक्टरों को रख कर भर लिया गया है।

विवरण

देश में बीड़ी श्रमिकों के लिए अस्पतालों की संख्या और उपलब्धता चिकित्सा सुविधाएं

अस्पताल

बीड़ी श्रमिकों और उनके आश्रितों को निम्नांकित पांच अस्पतालों के जरिए स्वास्थ्य सेवा दी जाती है:-

(i) धुलियान (पश्चिम बंगाल) में 65 बिस्तरों वाला अस्पताल

(ii) कोडरमा (झारखंड) में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल

(iii) मैसूर (कर्नाटक) में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल

(iv) गुरसहायगंज (उत्तर प्रदेश) में 10 बिस्तरों वाला अस्पताल

(v) सागर (मध्य प्रदेश) में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल

2 अन्य अस्पताल बिहारशरीफ (बिहार) और मुक्कुदल (तमिलनाडु) में निर्माणाधीन हैं।

बीड़ी श्रमिकों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं

बीड़ी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों को श्रम कल्याण संगठन द्वारा प्रशासित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के जरिए निम्नांकित चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं:-

क्र.सं.	योजना का नाम	उपलब्ध लाभ
1.	कैंसर उपचार	बीड़ी श्रमिक और उनके आश्रितों द्वारा उपचार, दवाओं और आहार प्रभारों के रूप में किए गए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति। श्रमिक के एक या कोई आश्रित न होने पर 750/- रुपये प्रतिमाह का और एक या इससे अधिक आश्रित होने पर 1000/- रुपये प्रतिमाह का जीवन निर्वाह भत्ता अधिकतम 9 माह की अवधि के लिए।
2.	हृदय रोग उपचार	बीड़ी श्रमिकों और उनके आश्रितों को 1.30 लाख रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति। श्रमिक के एक या कोई आश्रित न होने पर 750/- रुपये प्रतिमाह का और एक या इससे अधिक आश्रित होने पर 1000/- रुपये प्रतिमाह का जीवन निर्वाह भत्ता अधिकतम 9 माह की अवधि के लिए।
3.	गुर्दा प्रत्यारोपण और संबद्ध उपचार	2 लाख रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति। श्रमिक के एक या कोई आश्रित न होने पर 750/- रुपये प्रतिमाह का और एक या इससे अधिक आश्रित होने पर 1000/- रुपये प्रतिमाह का जीवन निर्वाह भत्ता अधिकतम 9 माह की अवधि के लिए।
4.	हर्निया, अल्सर आदि जैसे छोटे रोगों का उपचार	30,000/- रुपये तक के व्यय की प्रतिपूर्ति।
5.	प्रसूति लाभ	प्रथम दो प्रसवों के लिए प्रति प्रसव 1000/- रुपये का एकमुश्त अनुदान।
6.	बंध्याकरण हेतु आर्थिक क्षतिपूर्ति	नसबंदी/नलबंदी अपनाने वाले श्रमिकों/उनके जीवन साथियों को अन्य एजेंसियों द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त 5000/- रुपये का आर्थिक प्रोत्साहन।

क्र.सं.	योजना का नाम	उपलब्ध लाभ
7.	तपेदिक पीड़ित श्रमिक का उपचार	दवाओं की लागत के तौर पर प्रतिमाह 50/- रुपये तक के उपचार प्रभारों की प्रतिपूर्ति। श्रमिक के एक या कोई आश्रित न होने पर 750/- रुपये प्रतिमाह का और एक या इससे अधिक आश्रित होने पर 1000/- रुपये प्रतिमाह का जीवन निर्वाह भत्ता अधिकतम 9 माह की अवधि के लिए।
8.	चश्मों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता	फ्रेम और शीशे की लागत की तौर पर 300/- रुपये तक की वित्तीय सहायता।

प्याज के मूल्यों में कमी

3927. श्री हरिभाऊ राठौड़:

श्री प्रतीक पी. पाटील:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में प्याज के भारी उत्पादन तथा महाराष्ट्र के बाजारों में प्याज की आगम के कारण प्याज के मूल्यों में कमी होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय को महाराष्ट्र सरकार से प्याज उत्पादकों के हितों की रक्षा हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का कोई अनुरोध हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) प्याज के लिए साप्ताहिक थोक मूल्य सूचकांक की गति में 6 अक्तूबर, 2007 को 377.6 से 29 मार्च, 2008 को 162.7 तक गिरावट हुई है। 2005-06 की तुलना में 2006-07 में प्याज के उत्पादन में कमी आई है। हाल ही के वर्षों में महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा गुजरात राज्यों के साथ-साथ देश में प्याज का उत्पादन नीचे दिया गया है-

2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान प्याज का उत्पादन

(000 टन में)

	2004-05	2005-06	2006-07
महाराष्ट्र	1645.0	2469.0	1112.0
कर्नाटक	856.0	870.0	845.0
गुजरात	1223.0	2128.0	2128.0
अखिल भारत	6434.6	8682.6	7158.4

(ग) और (घ) मूल्यों में गिरावट के अवसर पर उत्पादकों को दबावपूर्ण बिक्री से बचाने के उद्देश्य से सरकार बाजार हस्तक्षेप योजना क्रियान्वित कर रही है। नष्ट होने वाली प्रकृति की कृषि तथा बागवानी जिन्सों के प्रापण न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कवर नहीं होते। तथापि, राज्य/संघ शासित सरकार के अनुरोध पर बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत इनका प्रापण किया जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार से प्याज के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना लागू करने के लिए प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है। तथापि अभी तक बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत प्याज के प्रापण के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मोबाइल प्लान्स में परिवर्तन

3928. श्री रमेश दूबे: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक मोबाइल सेवा प्रदाता विशेषकर वोडाफोन उपभोक्ताओं से लिखित पुष्टि प्राप्त किए बिना लगातार उनके

मोबाइल प्लान्स में परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर अधिक भार पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या नीति बनाई गई है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) उपभोक्ता उपलब्ध विभिन्न प्रकार की प्रशुल्क योजनाओं में से कोई भी प्रशुल्क योजना चुनने के लिए स्वतंत्र है। उपभोक्ता को एक प्रशुल्क पैकेज छोड़कर दूसरी प्रशुल्क पैकेज अपनाने का भी अधिकार है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने यह अधिदेशित किया है कि एक प्रशुल्क पैकेज को छोड़कर दूसरी प्रशुल्क पैकेज अपनाने के लिए उपभोक्ता से किसी प्रकार का माइग्रेशन शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा। एक प्रशुल्क योजना के बदले दूसरी प्रशुल्क योजना अपनाने के लिए उपभोक्ता द्वारा लिखित अनुरोध/पुष्टिकरण अनिवार्य नहीं है।

बार-बार प्रशुल्क संशोधन से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने प्रशुल्क में वृद्धि के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो निम्नानुसार हैं:-

(i) सेवा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ताओं को एक बार प्रस्तुत की गई प्रशुल्क योजना कम से कम छह माह की अवधि के लिए उपभोक्ता को उपलब्ध होनी चाहिए।

(ii) अग्रिम (अपफ्रंट) भुगतान के बदले में आजीवन या असीमित वैधता के रूप में या छह माह से अधिक की किसी निर्धारित अवधि के लिए वैधता के रूप में प्रस्तुत की गई, विपणन की गई या पेशकश की गई कोई भी प्रशुल्क योजना उपभोक्ता को योजना में यथा निर्धारित समयावधि के लिए उपलब्ध होती रहेगी तथा आजीवन अथवा असीमित वैधता योजना के मामले में जब तक सेवा प्रदाता को सेवा प्रदान करने की अनुमति हो, तब तक उपलब्ध होती रहेगी।

(iii) निम्नलिखित स्थितियों में सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी योजना की प्रशुल्क मद में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी:-

(क) आजीवन या असीमित वैधता वाली प्रशुल्क योजनाओं सहित छह माह से अधिक की निर्धारित अवधि की वैधता वाली प्रशुल्क योजना और जिसमें उपभोक्ता द्वारा ऐसी वैधता अवधि के लिए अपफ्रंट भुगतान किया जाना शामिल हो, के मामले में प्रशुल्क योजना में विनिर्दिष्ट वैधता की संपूर्ण अवधि के दौरान;

(ख) अन्य प्रशुल्क योजना के मामले में उपभोक्ता को नामांकित करने की तारीख से छह माह के भीतर; और

(ग) किसी प्रशुल्क योजना के अंतर्गत छह माह से अधिक की अवधि की वैधता वाले रिचार्ज कूपनों के मामले में ऐसे रिचार्ज कूपन की संपूर्ण वैधता अवधि के दौरान।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने दिनांक 13 मार्च, 2008 को मैसर्स वोडाफोन एस्सार मोबाइल सर्विसेज लिमिटेड को उपभोक्ताओं की स्पष्ट सहमति के बिना प्रदान की गई मूल्य वर्द्धित सेवा हेतु लिए गए प्रभार वापिस करने का निदेश दिया है।

[हिन्दी]

खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि

3929. श्री देविदास पिंगले: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य तेल के आयात पर बिचौलियों द्वारा अत्यधिक लाभ कमाने के कारण देश में खाद्य तेल के मूल्य बढ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा खाद्य तेल का आयात मूल्य कितना है तथा इसे किस मूल्य पर बाजार में बेचा जा रहा है और बिचौलियों को इससे कितना लाभ हो रहा है; और

(ग) बिचौलियों को अत्यधिक लाभ कमाने से रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य

और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय के उपभोक्ता मामले विभाग ने खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों सहित कुछ वस्तुओं की विशिष्ट खाद्य पदार्थ (लाइसेंस अपेक्षाएं, स्टाक सीमा और संचलन प्रतिबंध) हटाना आदेश, 2002 के तहत खरीदारी, संचलन, बिक्री, आपूर्ति, वितरण अथवा बिक्री के लिए भंडारण को दिनांक 7-4-2008 की अधिसूचना द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए आस्थगित रखा है ताकि इन वस्तुओं की उपलब्धता और मूल्यों की वर्तमान स्थिति से निपटा जा सके।

[अनुवाद]

केन्द्रीय समुद्री मत्स्यन अनुसंधान केन्द्र

3930. श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री पन्नियन रवीन्द्रन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में केन्द्रीय समुद्री मत्स्यन अनुसंधान संस्थान (सी.एम.एफ.आर.आई.) के विजिजम अनुसंधान केन्द्र की बिल्डिंग के निर्माण के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा सी.एम.एफ.आर.आई. को दी गई भूमि का स्वामित्व तथा कब्जा अब हस्तांतरित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान ने विजिंजम अनुसंधान केन्द्र के लिए प्रयोगशाला एवं कार्यालय भवन का निर्माण करने के लिए ग्यारहवीं योजना के ई.एफ.सी. प्रस्ताव में प्रावधान किया है, जोकि प्रक्रियाधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केरल सरकार ने केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान को उसके विजिंजम केन्द्र पर मैरीकल्चर (समुद्री मात्स्यिकी) प्रौद्योगिकी के विकास और हस्तांतरण (सी.डी.टी.एम.टी.) हेतु केन्द्र स्थापित करने के लिए 1.7 एकड़ भूमि दी थी। उस स्थान पर स्थायी भवन का निर्माण संभव नहीं था क्योंकि भूमि का स्वामित्व राज्य मात्स्यिकी विभाग के पास था। हालांकि, मार्च, 2003 में, केरल सरकार ने केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पक्ष में 25 वर्षों के लिए भूमि को बाजार मूल्य से 1 प्रतिशत की किफायती दर से लीज पर देने का प्रस्ताव किया था। इसी बीच, संस्थान के दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव को बनाते समय, व्यय वित्त समिति ने इस केन्द्र को केन्द्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के मण्डपम क्षेत्रीय केन्द्र के साथ मिलाने का निर्णय लिया था। साथ ही, ई.एफ.सी. के फैसले को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के ई.एफ.सी. प्रस्ताव में, विजिंजम अनुसंधान केन्द्र के लिए प्रयोगशाला एवं कार्यालय भवन के निर्माण का प्रावधान किया गया है।

ग्रीन एंड एवरग्रीन रिवोलूशन

3931. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्रीमती जयाप्रदा:
श्री निखिल कुमार:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ग्रीन एंड एवरग्रीन रिवोलूशन से संबंधित ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में भविष्य हेतु क्या कार्य योजना प्रस्तावित की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार कृषि संकट को कम करने के लिए अन्य देशों की सहायता लेने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) कृषि क्षेत्र के पुनरूद्धार, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार तथा किसानों की आय बढ़ाने जैसे कुछ प्रमुख बल क्षेत्रों पर केन्द्रित और सघन कार्रवाई करने के लिए इन्हें सरकार द्वारा अभिज्ञात किया गया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग की प्रमुख सिफारिशों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय किसान

नीति, 2007 को सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कई कार्यक्रम/स्कीमें पहले से ही चल रहे हैं, जो राष्ट्रीय किसान नीति, 2007 के अनुरूप है। दो नई स्कीमें अर्थात - "राष्ट्रीय कृषि विकास योजना" जिसका उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए 11वीं योजनावधि के दौरान कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक विकास को प्राप्त करना है और "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन" को चावल, गेहूं और दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए हाल ही में शुरू किया गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, सूक्ष्म सिंचाई और राष्ट्रीय बागवानी मिशन सहित कई अन्य स्कीमों को भी सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जून, 2004 में सरकार द्वारा एक व्यापक ऋण नीति घोषित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र के ऋण प्रवाह बढ़ाना और जिन किसानों के पास बकाया है और संकट में फंसे किसानों के लिए बकाया ऋणों की ऋण पुर्नसंरचना को बढ़ाना उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय बजट 2008-09 में ऋण छूट और ऋण राहत स्कीम की भी घोषणा की गई है ताकि ऋण ग्रस्तता के कारण किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का पता लगाया जा सके और नवीन सांस्थानिक ऋण प्राप्त करने के लिए उनको सक्षम बनाया जा सके। राज्यों एवं केन्द्र शासित क्षेत्रों को कृषि विकास स्कीमो के प्रभावीकरण के लिए समय-समय पर परामर्श दिया जाता है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का पता लगाने के लिए, जैसा कि उपर्युक्त में दर्शाया गया है, सरकार ने पहले से ही कदम उठा लिए हैं।

नेशनल एग्रीकल्चरल इन्नोवेशन प्रोजेक्ट

3932. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चरल इन्नोवेशन प्रोजेक्ट (एन.आई.ए.पी.) आरंभ/स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के उद्देश्य तथा कार्य क्या हैं; और

(ग) इस परियोजना के अंतर्गत क्रियाकलापों हेतु कुल कितनी धनराशि निर्धारित तथा खर्च की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) जी, हां।

(ख) परियोजनाओं के उद्देश्य और कार्य उत्पादकता, लाभप्रदता, आय सृजन तथा जीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारतीय कृषि के त्वरित तथा टिकाऊ रूपान्तरण को सुसाध्य बनाना है।

(ग) कुल 250 मिलियन यू.एस. डालर (करीब 1190 करोड़ रुपये) निर्धारित की गई है जिसमें भारत सरकार का अंशदान 50 मिलियन अमेरिकी डालर है। इस परियोजना के तहत वर्ष 2007-2008 के दौरान कार्यकलापों के लिए 48.52 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई।

डाकघरों द्वारा विदेशी मुद्रा सेवा

3933. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाकघरों द्वारा विदेशी मुद्रा सेवा चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस सेवा को चलाने के लिए एक भागीदार तलाशने हेतु खुली निविदा आमंत्रित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या डाक विभाग अपने डाकघरों द्वारा विदेशी मुद्रा सेवाओं के परिचालन को संभालने में असमर्थ है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) डाकघरों द्वारा इन सेवाओं के परिचालन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) मार्च, 2008 में डाक विभाग ने सेंचुरीयन बैंक आफ पंजाब के साथ देश के चुनिंदा डाकघरों के जरिए उनके विदेशी विनिमय उत्पादों जैसे विदेशी करेंसी, ट्रेवेल्र्स चैक, ट्रेवेल कार्ड्स, विदेशी करेन्सी डिमान्ड ड्राफ्ट्स और ग्राहकों को वायर

ट्रान्सफर करने संबंधी रिटेल सेवा करने का समझौता किया है।

(ग) और (घ) जुलाई, 2005 में, डाक विभाग ने देश में चुनिंदा डाकघरों में धन हस्तान्तरण सुविधाएं प्रारंभ करने के बारे में 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति' आमंत्रित करने के लिए एक नोटिस जारी किया था। तथापि, इस कार्रवाई से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ।

(ङ) से (छ) देश के चुनिंदा डाकघरों में विदेशी करेन्सी, ट्रेवलर्स चैक, ट्रेवल कार्ड्स, विदेशी करेन्सी डिमान्ड ड्राफ्ट और ग्राहकों को वायर ट्रान्सफर जैसे विदेशी विनिमय उत्पादों की योजना प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ की गई है।

एम.टी.एन.एल. द्वारा उपस्करों का उन्नयन

3934. श्री उदय सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. अपने 'मिशन क्रिटिकल' उपस्करों का समय पर उन्नयन करने में विफल रहा है, जिसके कारण दिल्ली में लाखों मोबाइल उपभोक्ता कनैक्टिविटी समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एम.टी.एन.एल. निजी दूरसंचार प्रचालकों से प्रतिस्पर्धा करने में पूरी तरह विफल रहा है और यहां तक कि उपभोक्ताओं को बढ़े हुए बिल प्राप्त हो रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं। एम.टी.एन.एल. ने हाल ही में दिल्ली में मोबाइल नेटवर्क की क्षमता में 7,50,000 की वृद्धि की है। परिवर्तन अवधि के दौरान कुछ अस्थायी समस्याएं थी जिनके बारे में उपभोक्ताओं को सूचित कर दिया गया था। अब उन पर ध्यान दिया गया है।

(ग) जी, नहीं, जी,एस.एम. में एम.टी.एन.एल. की बाजार हिस्सेदारी दिनांक 31-03-2003 की स्थिति के अनुसार 4.56% से बढ़कर दिनांक 29-2-2008 की स्थिति के अनुसार 16.47% हो गयी है। एम.टी.एन.एल. उपभोक्ता आधार को बनाए रखने तथा अपने नेटवर्क का विस्तार करने के प्रयोजनार्थ प्रतिस्पर्धा का सामना करने के हर संभव उपाय कर रहा है। बिलिंग शिकायतों की प्रतिशतता भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा विहित मानदंडों के भीतर है।

(घ) निम्नलिखित सुधारात्मक उपाए किए गए हैं/किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं:

- 2007-08 के दौरान 750 हजार जी.एस.एम. लाइनें चालू किया जाना उक्त अतिरिक्त क्षमता के साथ 146 बेस ट्रांसीवर स्टेशन भी जोड़े गए हैं।
- आर/एफ कवरेज को बेहतर बनाने और इस प्रकार संकुलन, कॉल ड्रॉप आदि को कम करने के लिए नेटवर्क को इष्टतम बनाने का कार्य सतत रूप से किया जाता है।
- एम.टी.एन.एल., पी.एस.टी.एन. तथा मोबाइल दोनों उपभोक्ताओं के लिए उभरते हुए रूझानों के अनुरूप बहुत सी मूल्यवर्द्धित सेवाएं जैसे समाचार, गाने, एस्ट्रोलोजी, ई-टिकटिंग, एस.एम.एस., वॉयस एस.एम.एस., इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट प्रोटोकाल टी.वी. इत्यादि भी प्रदान कर रहा है।
- लैंडलाइन और सेल्युलर आधारित पी.सी.ओ., दोनों में नई प्रशुल्क योजनाएं आरंभ की जा रही हैं ताकि मौजूदा पी.सी.ओ. धारकों को बनाए रखा जाए और नए पी.सी.ओ. फ्रैंचाइजियों को आकर्षित किया जा सके।
- एम.टी.एन.एल., संचार हाट, ग्राहक सेवा केंद्र खोलकर, डीलर तथा एजेंट नियुक्त करके तथा अपने निगमित ग्राहकों का ध्यान रखकर, अपने ग्राहकों की सेवा भी कर रहा है।
- एम.टी.एन.एल. विभिन्न उत्पादों तथा सेवाओं के लिए अपने प्रशुल्कों की पुनरीक्षा कर रहा है, ताकि ये सेवाएं ग्राहक हितैषी बनें और समाज के विभिन्न वर्गों के अनुकूल हों।
- मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए अलग कॉल सेन्टर कार्य कर रहे हैं ताकि नई सेवाओं के ग्राहक बनाए जा सकें और शिकायतों का निपटारा किया जा सके।
- बिल तैयार करने में शुद्धता बनाए रखने तथा इस

प्रकार गलत बिलिंग संबंधी शिकायतों को कम से कम करने के प्रति उचित ध्यान दिया जाता है।

- बिलिंग संबंधी विसंगति को समुचित ढंग से रोकना।
- अधिक संख्या में कॉल करने वाले उपभोक्ताओं के बिलों के सत्यापन पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
- निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ताओं के ज्यादा बिल आने संबंधी शिकायतों की उचित जांच के बाद जहां कहीं न्यायोचित हो, उपभोक्ताओं को कॉल में छूट की अनुमति दी जाती है।
- एम.टी.एन.एल. वर्ष 2008-09 में कन्वर्जेंट बिलिंग तथा सी.आर.एम. समाधान शुरू करने की योजना बना रहा है। इस प्रणाली के अंतर्गत किसी उपभोक्ता को सभी सेवाओं के लिए एक बिल देने की व्यवस्था होगी और इसके अंतर्गत उपभोक्ता की सेवाओं, प्रशुल्कों, शिकायत समाधान आदि से संबंधित अनुरोधों पर भी ध्यान दिया जाएगा।
- उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण मौके पर ही करने के लिए टेलीफोन अदालतें आयोजित की जाती हैं।
- बिलों का ऑन लाइन, इ.सी.एस., स्वचालित टेलर मशीनों, इजी बिल केन्द्रों, संचार हाटों, रोकड़ खिड़कियों के माध्यम से आसानी से भुगतान।

भुखमरी का उन्मूलन

3935. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री नवीन जिन्दल:
श्री दुष्यंत सिंह:
डा. के.एस. मनोज:
श्री हितेन बर्मन:
श्री रनेन बर्मन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किए गए वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जी.एच.आई.) और खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ.) की रिपोर्ट में हमारे देश में गरीबों के लिए भोजन की उपलब्धता और भुखमरी की स्थिति संबंधी एक बहुत ही निराशाजनक तस्वीर पेश की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में भुखमरी की स्थिति पैदा होने और भोजन की कमी के लिए किन कारणों को उत्तरदायी माना गया है;

(ग) देश में भुखमरी मिटाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या सफलता मिली है; और

(घ) देश में भुखमरी मिटाने और खाद्यान्नों की उपलब्धता में सुधार करने के उद्देश्य से देश में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं। न्यू ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर दिनांक 12 अक्तूबर, 2007 के आई.एफ.पी.आर.आई. प्रैस रिलीज में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और वह 2015 तक मिलेनियम डवलपमेंट गोल पर आधारित ग्लोबल हंगर इंडेक्स लक्ष्य को हासिल करने की राह के बहुत निकट है। इसके अलावा "क्राप प्रासपेक्ट्स एंड फूड सिचुएशन" पर अप्रैल, 2008 के खाद्य और कृषि संगठन के प्रकाशन सं. 2 के अनुसार भारत में कुल खाद्य उत्पादन/आपूर्ति में कोई गिरावट नहीं आई है और 2008 के दौरान कुल 251.7 मिलियन टन अनाज का उत्पादन होने का पूर्वानुमान लगाया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पोलावरम परियोजना

3936. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश की पोलावरम बहुउद्देश्यीय परियोजना की स्थापना के कारण उड़ीसा के बड़ी संख्या में लोग और क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ीसा के लोगों और क्षेत्र पर इस परियोजना के संभावित विपरीत प्रभावों पर विचार किए बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में उड़ीसा राज्य सरकार के विचारों की अनदेखी के क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) पर्यावरण स्वीकृति मांगने के समय पर्यावरण और वन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.) को परियोजना प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार इस परियोजना से उड़ीसा के 6315 व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है। उड़ीसा के 12 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के जलमग्न हो जाने की संभावना है।

(ख) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने इस मामले की जांच की थी और आंध्र प्रदेश सरकार की पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास नीति 2005 जो कि पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2003 से बेहतर थी, के अनुसार पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना प्रदान करने का सुझाव दिया। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने आगे यह भी सूचित किया है कि उड़ीसा सरकार ने परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति मिलने तक कोई आपत्ति नहीं उठाई।

रक्षा क्षेत्र के लिए बजट आबंटन

3937. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2007-08 के दौरान और वर्ष 2008-09 के लिए प्रस्तावित हथियारों, विमानों, पोतों और हेलिकॉप्टरों की खरीद के लिए अंतिम रूप से तैयार और कार्यान्वित किए गए सौदों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) नई खरीद के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 2007-08 की तीसरी तिमाही तक पूंजीगत अर्जन शीर्ष के तहत हथियारों, विमानों, पोतों और हेलिकॉप्टरों सहित विभिन्न प्रकार के रक्षा अर्जनों के लिए 1439.65 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। वित्त वर्ष 2007-08 के लिए अंतिम व्यय संबंधी आंकड़े तथा पूंजीगत अर्जन शीर्ष के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान अर्जन के लिए निर्धारित की गई धनराशि यथा समय उपलब्ध होगी।

[हिन्दी]

दुग्ध उत्पादन के लिए धनराशि

3938. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान सरकार ने स्वच्छ दुग्ध उत्पादन योजना के अंतर्गत धनराशि की अगली किश्त जारी करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त योजना के लिए अगली किश्त कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण" योजना के तहत राजस्थान के लिए स्वीकृत दस परियोजनाओं में से आठ परियोजनाओं के लिए समूची राशि भारत सरकार द्वारा पहले ही जारी की जा चुकी है। पाली जिले में चल रही परियोजना के लिए धनराशि पहले ही जारी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी। चुरू जिले में परियोजना के लिए अगली किश्त राज्य सरकार से मांगे गए स्पष्टीकरण, जिसकी अभी प्रतीक्षा है, प्राप्त होने के बाद जारी की जाएगी।

डाल्फिन की "जीवन साथी" योजना को बंद किया जाना

3939. श्री मित्रसेन यादव: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) की डॉल्फिन "जीवन साथी" योजना को निर्धारित की गई तिथि से पहले ही अचानक मार्च, 2008 में बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत मोबाइल नंबरों की कालाबाजारी की बड़ी संख्या में घटनाएं प्रकाश में आई थीं;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त योजना को निर्धारित की गई तिथि से एक महीने पहले ही बंद किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत एम.टी.एन.एल. द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों की कुल संख्या कितनी है;

(च) क्या सभी आवेदकों को डाल्फिन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) दिल्ली में "डाल्फिन जीवन साथी" योजना उपलब्ध क्षमता को ध्यान में रखते हुए सीमित अवधि के लिए 15-02-2008 को एक प्रोत्साहन योजना के रूप में चालू की गई थी। इसे 01-3-2008 को बंद कर दिया गया था। यह योजना एम.टी.एन.एल., मुंबई में चल रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 15-02-2008 से 01-03-2008 की प्रोत्साहन अवधि के दौरान दिल्ली में 32,169 आवेदन प्राप्त हुए। मुंबई में, मार्च, 2008 माह के दौरान 528 नए आवेदन प्राप्त हुए।

(च) जी, हां।

(छ) उपर्युक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एन.टी.सी. की भूमि और मिलों की बिक्री

3940. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न पर्यावरणीय और नागरिक अधिकार समूहों द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की भूमि और मिलों की बिक्री का विरोध किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (ग) बाम्बे पर्यावरणीय कार्रवाई समूह (बी.ई.ए.जी.) ने मुंबई में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की मिल की भूमि की बिक्री के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। चूंकि उच्च न्यायालय का निर्णय एन.टी.सी. के पक्ष में नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गई थी जिसने दिनांक 07-03-2006 के अपने निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय को खारिज कर दिया तथा एन.टी.सी. मिलों की भूमि की बिक्री का समर्थन कर दिया।

इसके अलावा, इंडियन ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज (आई.एन.टी.ए.सी.एच.) ने भी महाराष्ट्र राज्य सरकार और एन.टी.सी. सहित सात अन्य के विरुद्ध जून 2005 में मुंबई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। याचिकाकर्त्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य सरकार एवं बाम्बे नगर निगम (बी.एम.सी.) को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया कि विकास नियंत्रण विनियमन नियम सं. 67 के अनुसार जिसमें ऐतिहासिक, सौन्दर्यशास्त्रीय, वास्तुशिल्पीय अथवा सांस्कृतिक धरोहर के भवनों के संरक्षण का प्रावधान है, को छोड़कर 'सांस्कृतिक ढांचों' के रूप में सूचीबद्ध ढांचों का विकास अथवा पुन:विकास करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। फरवरी 2006 में, एन.टी.सी. मिलों के ढांचों को गिराने के विरुद्ध आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने दिनांक 5 मई 2006 के अपने आदेश द्वारा एन.टी.सी. को इंडिया यूनाइटेड मिल नं. 2 और 3 तथा न्यू हिंदू टेक्सटाइल मिल्स के ढांचों को गिराने का कार्य जारी रखने की अनुमति दी गई। मार्च, 2007 में, एन.टी.सी. ने उच्च न्यायालय में बी.एम.सी. और महाराष्ट्र सरकार द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार करने के लिए निर्देश देने का प्रस्ताव किया-

- केवल एक स्थान पर 6 सांस्कृतिक ढांचों को बनाये रखना।
- उसी स्थान पर वस्त्र संग्रहालय की स्थापना करना।
- एन.टी.सी. संग्रहालय के लिए 15 करोड़ रु. का वित्त पोषण करेगा।
- एन.टी.सी. को मिलों के अन्य अधिसूचित ढांचों को गिराने की अनुमति देना ताकि वह औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा अनुमोदित भूमि की बिक्री और पुनर्वासन योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ा सके।

महाराष्ट्र सरकार ने एन.टी.सी. के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा दिनांक 04-03-2008 के अपने राजपत्र अधिसूचना सं. एम.एच./एम.आर./साउथ-229/2006-08 द्वारा

केवल इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं. 2 और 3 के ढांचों को अधिसूचित किया है। इस आधार पर मुंबई उच्च न्यायालय से याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

तिलहनों की खेती

3941. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिलहनों के उत्पादन में 40 प्रतिशत की कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तिलहनों के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल की मिलें उत्पादन में कमी के कारण अपनी संस्थापित क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी नहीं श्रीमान जी। 7 फरवरी, 2008 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2007-08 के दौरान तिलहनों का उत्पादन 27.16 मिलियन टन अनुमानित किया है जोकि 2006-07 के दौरान हुए 24.29 मिलियन टन तिलहन उत्पादन से 11.8% अधिक है। गत 3 वर्षों के दौरान तिलहनों के उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) देश में तिलहनों का उत्पाद तेल की मिलों, सोलवेट एक्ट्रेक्शन प्लान्स, रिफाइनीज तथा वनस्पति यूनिटों की सुनिश्चित की गई निर्माण-क्षमता से कम है। इन यूनिटों की क्षमता उपयोग 10% से 45% के बीच है। वनस्पति तेल उद्योग की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) खोपरा/नारियल तेल के अतिरिक्त तिलहनों/खाद्य तेल के आयत की ओपन जनरल लाइसेंस के तहत अनुमति दे दी है।

(ii) देश में तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तिलहन, दालें, पाम आयल तथा मक्का हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम (आइसोपाम) कार्यान्वित की जा रही है।

(iii) किसानों के लिए तिलहन के और अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्यों के माध्यम से प्रोत्साहनों को बढ़ावा देना।

(iv) अपरिष्कृत सामग्री की उपलब्धता को सुलभ बनाने के लिए खाद्य श्रेणी के अपरिष्कृत वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क शून्य प्रतिशत तथा रिफाइन्ड तेलों पर 7.5% रखा है।

(v) खाद्य ग्रेड हेक्सन पर निर्यात शुल्क 32% से घटाकर 16% कर दिया ताकि देश में शोधक्षम सत वाले तेलों का उत्पादन बढ़ाया जा सके तथा उनके सतों के निर्यात का बढ़ावा दिया जा सके।

(vi) अपरिष्कृत तथा रिफाइन्ड खाद्य ग्रेड वनस्पति तेलों को 01-03-2007 से 4% विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट दे दी गई है।

विवरण

कुल तिलहनों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज के अनुमान

राज्य	क्षेत्र (000 हैक्टेयर)			उत्पादन (000 टन)			उपज (किलोग्राम/हैक्टेयर)		
	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
आन्ध्र प्रदेश	2918.4	2922.0	2235.0	2209.4	2041.0	1362.0	757	698	609
अरणाचल प्रदेश	25.9	27.1	27.1	27.0	22.7	22.7	1042	838	838
असम	277.4	243.4	270.5	146.8	113.2	134.0	529	465	495
बिहार	131.8	139.0	142.9	116.9	136.5	147.4	887	982	1031
छत्तीसगढ़	2907	302.1	321.1	123.7	126.5	161.4	426	419	503
गोवा	3.4	3.3	2.6	5.4	7.9	4.6	1588	2394	1769
गुजरात	3016.1	3032.0	2828.0	2986.9	4682.0	2569.0	990	1544	908
हरियाणा	714.6	734.2	621.0	840.5	825.2	834.6	1176	1124	1344
हिमाचल प्रदेश	19.0	15.1	14.9	12.0	5.2	7.1	632	344	477
जम्मू-कश्मीर	110.4	6.3	69.4	124.2	2.7	42.3	1125	429	610
झारखण्ड	29.0	27.3	118.5	7.0	8.5	50.0	241	311	422
कर्नाटक	2674.0	2857.0	2354.0	1570.0	1715.0	1125.0	587	600	478
केरल	2.4	3.9	3.6	1.9	2.6	3.2	792	667	889
मध्य प्रदेश	5760.2	5668.3	6086.7	4797.7	5721.9	5814.2	833	1009	955
महाराष्ट्र	3359.0	3648.0	3863.0	2744.1	3373.0	3721.0	817	925	963
मणिपुर	1.8	0.1	0.1	0.8	0.7	0.7	444	7000	7000

मेघालय	9.8	9.8	9.8	6.5	6.7	6.6	663	684	673
मिजोरम	7.3	4.8	4.1	5.6	5.4	3.8	767	1125	927
नागालैण्ड	70.3	67.8	69.5	81.9	62.8	62.6	1165	926	901
उड़ीसा	316.0	332.0	318.1	179.5	187.7	175.1	568	565	550
पंजाब	91.4	81.7	70.4	100.4	89.6	78.2	1098	1097	1111
राजस्थान	5133.4	5257.0	4508.0	5541.1	5964.0	5166.8	1079	1134	1146
सिक्किम	9.9	9.9	9.9	7.6	7.2	7.2	768	727	727
तमिलनाडु	715.7	709.9	592.4	1061.1	1152.9	1083.5	1483	1624	1829
त्रिपुरा	5.4	5.5	4.4	3.9	3.9	3.1	722	709	705
उत्तर प्रदेश	1105.6	1073.5	1234.2	952.3	1066.5	1033.3	861	993	837
उत्तराखंड	41.0	35.0	28.0	38.0	30.0	21.0	927	857	750
पश्चिम बंगाल	677.5	641.1	703.4	652.9	610.4	645.4	964	952	918
दादरा और नगर हवेली	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1000	1000	1000
दिल्ली	4.1	3.8	0.2	5.0	2.9	0.3	1220	763	1500
पांडिचेरी	1.7	1.8	1.8	3.3	3.2	3.2	1941	1778	1778
कुल	27523.3	27862.8	26512.7	24353.5	27977.9	24289.4	885	1004	916

पशु चारा

3942. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पशु चारा अनाज व्यापार गेहूं और चावल की तुलना में अधिक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में पशु चारे की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। 11वीं योजना कार्यदल ने निम्नलिखित आहार स्थिति का आकलन किया है:

(मिलियन टन)

आहार सामग्री	खपत	आवश्यकता
कुल संकेन्द्रण	62	87

(घ) सरकार आहार उपलब्धता में सुधार लाने के लिए अपरिष्कृत खाद्यान्नों सहित आहार अवयवों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। इसके अलावा, पोषक अवयवों को शामिल करके चारा सुधार के लिए केन्द्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना के तहत एक योजना क्रियान्वित की जा रही है।

सशस्त्र सेनाओं में परामर्शदात्री इकाइयां

3943. एडवोकेट सुरेश कुरुप: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कार्मिकों में दबाव संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए सशस्त्र सेनाओं के सभी अंगों में परामर्शदात्री इकाइयां कार्य कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये इकाइयां जटिल भावनात्मक स्थितियों से निपटने के लिए अपने कार्मिकों की किस प्रकार सहायता कर रही हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) कार्मिकों में तनाव संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए सशस्त्र सेनाओं में तनाव परामर्श तंत्र मौजूद है। सेना द्वारा अलग से कोई परामर्श यूनिट स्थापित नहीं की गई है। तथापि, 22 मनोविज्ञान केन्द्रों में परामर्श सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, यूनिट स्तर पर मनोवैज्ञानिक परामर्श की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। 74 गैर-चिकित्सा कार्मिक, जिन्हें यूनिट परामर्शदाताओं के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, सहित कुल 46 सैन्य चिकित्सा कोर कार्मिकों को मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। उत्तर और पूर्व क्षेत्रों में तैनात सैन्य टुकड़ियों की तनाव संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए इन सैक्टरों में प्रत्येक संक्रियात्मक क्षेत्र में एक-एक तथा कुल दो मनोवैज्ञानिक केंद्रों का विस्तार किया गया है। सेना अपनी सैन्य टुकड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए निरंतर उपाय कर रही है और उन्हें तनावरोधी सुविधाएं मुहैया करा रही है।

2. नौसेना में मुम्बई, विशाखापट्टनम और कोच्चि स्थित मनोविकृति केन्द्रों में परामर्शी यूनिटें कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में अवस्थित व्यक्तियों की समस्याओं को सुनने के लिए विभिन्न कमानों के मन-चिकित्सक इन क्षेत्रों का दौरा करते हैं। गैर-चिकित्सा स्थापनाओं के वरिष्ठ नाविकों को उनकी संबंधित स्थापनाओं में परामर्शी ड्यूटियां निष्पादित करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। नौसेना कार्मिकों के परिवारों की आवश्यकताओं को सुनने के लिए प्रमुख नौसेना स्टेशनों के परिवार क्लिनिकों में सिविलियन परामर्शदाताओं की भी तैनाती की गई है।

3. भारतीय वायुसेना में कार्मिकों के बीच तनाव संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए चिकित्सा अधिकारियों द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। परामर्शदाताओं के रूप में कार्य करने के लिए गैर-चिकित्सा कार्मिकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। परामर्शदाताओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए अंशकालिक आधार पर कुछेक चयनित स्थानों पर पिछले कुछ वर्षों में प्रशिक्षण आधार पर कुल 62 मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं की तैनाती की गई है।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्स्थापन

3944. श्रीमती किरण माहेश्वरी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में भूतपूर्व सैनिकों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण और पुनर्स्थापन के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजनाओं से राज्यवार कितने भूतपूर्व सैनिक लाभान्वित हुए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं पर राज्यवार कितना व्यय हुआ है;

(ङ) क्या भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्स्थापन के लिए धनराशि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार जिला सैनिक बोर्ड/ राज्य सैनिक बोर्ड के पास 20,54,230 भूतपूर्व सैनिक और 4,58,134 विधवाएं पंजीकृत हैं। राज्यवार ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है।

(ख) भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग पुनर्वास महानिदेशालय के माध्यम से निम्नलिखित स्व-रोजगार योजनाएं चलाता है:-

(i) भूतपूर्व सैनिक कोयला परिवहन योजना।

(ii) विधवाओं और निशक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए टिप्पर संलग्नता योजना।

(iii) 8% रक्षा कोटे के अंतर्गत तेल उत्पाद एजेंसियों का आबंटन।

(iv) घर आउटलेटों का आबंटन।

(v) भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं के लिए श्रेणी V 'ख' सेना अधिशेष वाहनों का आबंटन।

(vi) मदर डेरी दुग्ध और फल-सब्जी बूथों का आबंटन।

(vii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सी.एन.जी. स्टेशनों का प्रबंधन।

(viii) किडजी शिक्षा केंद्र - बच्चों के लिए स्कूल चलाए जाने के वास्ते भूतपूर्व सैनिकों और आश्रितों को फ्रेंचाइजी योजना।

इन स्व-रोजगार योजनाओं के अलावा निवृत्तमान अफसरों और अफसर रैंक से निचले कार्मिकों को पुनर्वास महानिदेशालय के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद लाभप्रद रोजगार के लिए तैयार किया जा सके।

कल्याणकारी योजनाएं

भूतपूर्व सैनिकों को विवाह, चिकित्सा देखभाल, मकान की मरम्मत, शिक्षा, अंत्येष्टि आदि के लिए जरूरत के आधार पर अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री की योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लड़कों के लिए 1250/- रुपए प्रतिमाह और लड़कियों के लिए 1500/- रुपए प्रतिमाह की दर पर भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों/विधवाओं को 4000 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। रक्षा मंत्री के विवेकाधीन कोष से पुत्रियों के विवाह के लिए 16,000/- रुपए और मकान की मरम्मत के लिए 20,000/- रुपए की दर पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। गंभीर बीमारियों के वास्ते जरूरतमंद भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1,25,000/- रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। डायलेसिस और कैंसर के इलाज के लिए प्रतिवर्ष 75,000/- रुपए भी दिए जाते हैं। इसके अलावा, विभिन्न कोषों से निम्नलिखित अनुदान भी दिए जाते हैं:-

सेना केंद्रीय कल्याण कोष

क्र.सं.	विवरण	हकदारी की राशि
(क)	ऑपरेशन विजय के अशक्त/डाक्टरी आधार पर कार्यमुक्त/निम्न चिकित्सा श्रेणी में सेवा से समयपूर्व कार्यमुक्त को छोड़कर 15 अगस्त, 1947 के बाद सभी संक्रियाओं के कार्यमुक्त सैनिक (बी.सी.)	1 लाख रुपए का एकबारगी अनुदान

क्र.सं.	विवरण	हकदारी की राशि
(ख)	01 मई 1999 से निशक्तता के प्रतिशत के आधार पर सेवा में प्रतिधारित निशक्त सैनिक (बी.सी.):-	
(i)	50% से नीचे	10,000/- रुपए
(ii)	50% से 74% तक	20,000/- रुपए
(iii)	75% और उससे अधिक	30,000/- रुपए
सेना कल्याण कोष से सहायता		
(क)	कृषि आधारित उद्यम	25,000/- रुपए
(ख)	चल उपस्कर	40,000/- रुपए
(ग)	पुत्री का विवाह	20,000/- रुपए
ऑपरेशन विजय के सैनिकों की राष्ट्रीय रक्षा कोष (एन.डी.एफ.) से निम्नलिखित सहायता मुहैया कराई जाती है:-		
(क)	अनुग्रह राशि (अशक्त/सेवामुक्त किए गए)	
(i)	50% निशक्तता तक	3 लाख रुपए
(ii)	50% से अधिक 75% तक निशक्तता	4.50 लाख रुपए
(iii)	75% से अधिक निशक्तता	6 लाख रुपए
(ख)	रिहायशी यूनिट	5 लाख रुपए
(ग)	संतान शिक्षा भत्ता	अधिकतम दो बच्चों तक प्रति बच्चा 1 लाख रुपए की दर से 2 लाख रुपए

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस.) को एक कल्याणकारी उपाय के रूप में वर्ष 2003 में शुरू किया गया था तथा इस समय 6,33,596 भूतपूर्व सैनिक और उनके 14,59,269 आश्रित इसका लाभ उठा रहे हैं।

(ग) 31-12-2007 को समाप्त वर्ष के दौरान पुनर्वास महानिदेशालय व केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल 6191 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार मुहैया कराया गया है। इसके अलावा, 44405 भूतपूर्व सैनिकों को गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार मुहैया कराया गया था। विगत तीन वर्ष के दौरान राज्य सैनिक बोर्ड (आर.एस.बी.) के जरिए भूतपूर्व सैनिकों को राज्यवार प्रदान किए गए रोजगार का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कल्याण तथा प्रशिक्षण योजनाओं पर किया गया व्यय इस प्रकार है:-

(आंकड़े लाख रुपए में)

	2005-06	2006-07	2007-08
कल्याण	93.47	197	336.17
प्रशिक्षण	240.17	786.76	1226.95

पिछले तीन वर्षों के कल्याण अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण III, IV, V, VI के रूप में संलग्न है।

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना निधि का आबंटन राज्यवार नहीं किया जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में किया गया व्यय इस प्रकार है:-

क्र.सं.	बजट (करोड़)	2005-06	2006-07	2007-08
(क)	राजस्व	181.78	320.80	489.91
(ख)	पूंजीगत	16.81	20.22	8.10
	कुल	198.59	341.02	498.01

(ङ) और (च) इस वित्तीय वर्ष में भूतपूर्व सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए बजट को 13.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 17.00 करोड़ रुपए किए जाने तथा कल्याण संबंधी कार्यकलापों के लिए 24.00 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 41.50 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण-I

पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं की राज्यवार संख्या

31 दिसंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार

क्र. सं.	राज्य सैनिक बोर्ड/ जिला सैनिक बोर्ड	भूतपूर्व सैनिक				विधवाएं			
		सेना	वायुसेना	नौसेना	योग	सेना	वायुसेना	नौसेना	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	57587	10336	4250	72173	18018	1174	429	19621
2.	अरुणाचल प्रदेश	284	0	0	284	5	0	0	5
3.	असम	27086	2155	488	29729	2410	236	34	2680
4.	बिहार	64972	3075	1458	69505	5892	245	125	6262
5.	छत्तीसगढ	4073	279	147	4499	919	45	22	986
6.	गोवा	1123	203	619	1945	116	116	78	310
7.	गुजरात	15780	3708	545	20033	1897	232	46	2175
8.	हिमाचल प्रदेश	93302	1938	3103	98343	24056	208	317	24581
9.	हरियाणा	209019	12490	9771	231280	54927	1899	1760	58586
10.	जम्मू-कश्मीर	63413	568	430	64411	17480	104	45	17629
11.	झारखण्ड	16444	1027	796	18267	2013	124	154	2291
12.	कर्नाटक	52220	8901	2021	63142	14609	1379	420	16408
13.	केरल	121021	19463	10587	151071	31712	2753	1393	35858
14.	मध्य प्रदेश	34272	1491	1011	36774	6683	200	140	7023
15.	महाराष्ट्र	130363	10930	13010	154303	37867	1104	832	39803

16. मणिपुर	5815	73	33	5921	643	13	8	664
17. मेघालय	2030	81	51	2162	696	21	19	736
18. मिजोरम	4551	20	20	4591	1692	14	12	1718
19. नागालैण्ड	2533	8	17	2558	597	0	0	597
20. उड़ीसा	19848	4053	1903	25804	2268	297	98	2663
21. पंजाब	256323	9482	4922	270727	49264	1356	714	51334
22. राजस्थान	131027	6136	3451	140614	33006	1088	696	34790
23. सिक्किम	1141	1	9	1151	429	1	0	430
24. तमिलनाडु	103867	10169	3305	117341	47153	2129	828	50110
25. त्रिपुरा	2010	100	49	2159	509	16	11	536
26. उत्तर प्रदेश	213031	17986	10251	241268	37477	3044	1225	41746
27. उत्तराखंड	114779	1940	2004	118723	23186	230	264	23680
28. पश्चिम बंगाल	46327	8925	3231	58483	5839	824	283	6946
29. अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	392	96	125	613	75	0	5	80
30. चंडीगढ़	5774	2292	319	8385	1130	379	40	1549
31. दिल्ली	27715	6018	2670	36403	4481	839	628	5948
32. पांडिचेरी	1202	288	78	1568	360	24	5	389
योग	1829324	144232	80674	2054230	427409	20094	10631	458134

टिप्पणी: अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पांडिचेरी के राज्यों के आंकड़े अनंतिम हैं।

विवरण-II

(जनवरी-दिसम्बर 2007)

भूतपूर्व सैनिकों का राज्य सैनिक बोर्ड-वार नियोजन

क्र. सं.	राज्य सैनिक बोर्ड	केंद्रीय सरकार (क)	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ख)	राज्य सरकार (ग)	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (घ)	स्थानीय निकाय (ङ)	निशक्त (च)	निजी क्षेत्र (छ)	केंद्रीय सरकार/ केंद्रीय सरकार के सार्व. क्षेत्र उपक्रमों को छोड़कर कुल (ज)	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	11	20	2		9		6	17	48
2.	असम	9	6		6			21	27	42
3.	अरुणाचल प्रदेश								0	0
4.	बिहार	10	2	25					25	37
5.	छत्तीसगढ़	3		32				49	81	84
6.	गोवा			5					5	5
7.	गुजरात	9	8	12		2		59	73	90
8.	हरियाणा	9	17	69	9	95		309	482	508
9.	हिमाचल प्रदेश			61					61	61
10.	झारखण्ड		30			6	10		16	46
11.	जम्मू-कश्मीर	8	31	16	1			34	51	90
12.	कर्नाटक	4	16	31		22		55	108	128

13. केरल	2		48	115	53		135	351	353
14. मध्य प्रदेश	12	12	7		5		58	70	94
15. महाराष्ट्र	45	19	74	21	546		88	729	793
16. मणिपुर	5	5	6	2	36		16	60	70
17. मेघालय				1				1	1
18. मिजोरम			49					49	49
19. नागालैण्ड	48							0	48
20. उड़ीसा	4	4	127	8	1		64	200	208
21. पंजाब	2		1				2	3	5
22. राजस्थान	6	16	7	3	2		213	225	247
23. सिक्किम			10	8			2	20	20
24. तमिलनाडु	8	18	54	3	13		2	72	98
25. त्रिपुरा	1		34				1	35	36
26. उत्तराखंड	1		1	7	14		18	40	41
27. उत्तर प्रदेश	17	8	7	62	192		198	459	484
28. पश्चिम बंगाल	3	19	19	0	0		17	36	58
29. अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह								0	0
30. चंडीगढ़	5			3			72	75	80
31. दिल्ली								0	0
32. पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जोड़ (1 से 32)	222	231	697	249	996	10	1419	3371	3824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	**कुल केंद्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (क+ख)**	453								
34.	पुनर्वास महानिदेशालय के जरिए रोजगार									
	(क) मंत्रालय/विभाग	0								
	(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	72								
	(ग) राष्ट्रीयकृत बैंक	406								
	(घ) अर्ध सैनिक बल	452								
	जोड़ (क+ख+ग+घ)	**930**								
35.	आयुध निर्माणी	0								
36.	रक्षा सुरक्षा कोर	1437								
37.	कुल केन्द्रीय सरकार (33+34+35+36)	2820								
38.	**कुल राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि (ग+घ+ङ+च)**	**1952**								
39.	कुल निजी क्षेत्र (छ)	1419								
	सकल जोड़	6191								

टिप्पणी: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, अंडमान-निकोबार, चंडीगढ़, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पांडिचेरी से संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से नियोजन उपलब्ध नहीं है।

विवरण-III

वर्ष 2005-06 के लिए रक्षा मंत्री विवेकाधीन कोष से संस्वीकृत मामले/राशि

क्र. सं.	राज्य/देश	विवाह अनुदान		चिकित्सा अनुदान		मकान मरम्मत अनुदान		शिक्षा अनुदान	
		मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	7	56000	24	308700	0	0	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	10	80000	4	41300	0	0	0	0
4.	बिहार	3	24000	1	15000	1	10000	0	0
5.	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	दिल्ली	3	28000	5	58500	0	0	1	7200
7.	गोवा	0	0	1	15000	0	0	0	0
8.	गुजरात	0	0	2	21000	1	10000	0	0
9.	हरियाणा	9	69500	8	99000	1	10000	1	7200
10.	हिमाचल प्रदेश	31	248000	13	155830	2	20000	0	0
11.	जम्मू-कश्मीर	9	68500	3	37000	2	20000	0	0
12.	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	17	136000	26	340000	0	0	0	0
14.	केरल	48	381500	40	510800	2	20000	0	0
15.	मध्य प्रदेश	3	24000	6	35150	1	10000	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	महाराष्ट्र	2	11000	33	470950	5	50000	1	2400
17.	मणिपुर			3	25700	1	10000		0
18.	मेघालय	1	8000	0	0	0	0	0	0
19.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	नागालैण्ड	2	16000	2	17100	0	0	4	26400
21.	उड़ीसा	19	160000	4	44000	1	10000	3	21600
22.	पंजाब	30	240000	64	827324	2	20000	0	0
23.	राजस्थान	44	404000	10	132400	7	80000	1	7200
24.	सिक्किम	2	16000	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	41	320000	73	903550	1	10000	0	0
26.	त्रिपुरा	5	40000	0	0	1	10000	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	11	92000	8	91000	4	40000	0	0
28.	उत्तरांचल	10	80000	5	66000	3	30000	1	7200
29.	पश्चिम बंगाल	5	40000	5	49000	0	0	1	4800
30	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह (संघ शासित क्षेत्र)			0	0	0	0	0	0
31.	चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	1	8000	1	8123	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	नेपाल (देश)	1	8000	21	294000	0	0	0	0
	कुल	314	2558500	362	4566427	35	360000	13	84000

क्र. सं.	राज्य/देश	मासिक अनुदान		आर्थिक तंगी अनुदान		कुल	
		मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में
1	2	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	0	0	0	0	31	364700
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	4	96000	0	0	18	21730
4.	बिहार	0	0	0	0	5	4900
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0
6.	दिल्ली	3	72000	0	0	12	16570
7.	गोवा	0	0	0	0	1	15000
8.	गुजरात	0	0	0	0	3	31000
9.	हरियाणा	0	0	0	0	19	185700
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	46	423830
11.	जम्मू-कश्मीर	1	24000	0	0	15	149500
12.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	1	24000	0		44	500000
14.	केरल	1	24000	0	0	91	936300
15.	मध्य प्रदेश	3	72000	0	0	13	141150
16.	महाराष्ट्र	7	168000	0	0	48	702350

1	2	11	12	13	14	15	16
17.	मणिपुर	0	0	0	0	4	35700
18.	मेघालय	0	0	0	0	1	8000
19.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
20.	नागालैण्ड	6	14400	0	0	14	203500
21.	उड़ीसा	1	24000	0	0	28	259600
22.	पंजाब	11	240000	0	0	107	1327324
23.	राजस्थान	3	72000	2	30000	67	725600
24.	सिक्किम	0	0	0	0	2	16000
25.	तमिलनाडु	27	644400	0	0	142	1877950
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0	6	50000
27.	उत्तर प्रदेश	2	48000	0	0	25	271000
28.	उत्तरांचल	2	48000	0	0	21	231200
29.	पश्चिम बंगाल	1	24000	0	0	12	117800
30.	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0
31.	चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	2	16123
32.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	1	24000	0		1	24000
33.	नेपाल (देश)	0	0	0	0	22	302000
	कुल	74	1748400	2	30000	800	9347327

वर्ष 2005-06 के लिए अनुमोदित बजट - 415.00 लाख रुपए

विवरण-IV

वर्ष 2006-07 के लिए रक्षा मंत्री विवेकाधीन कोष से संस्वीकृत मामले/राशि

क्र. सं.	राज्य/देश	विवाह अनुदान		चिकित्सा अनुदान		मकान मरम्मत अनुदान		शिक्षा अनुदान	
		मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	4	32000	19	242500	1	5000	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	8	64000	3	3240	1	5000	0	0
4.	बिहार	2	16000	0	0	2	20000	1	2400
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	दिल्ली	0	0	2	30000	1	10000	0	0
7.	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	0	0	0	0	3	27500	0	0
9.	हरियाणा	4	32000	0	0	12	110000	1	4800
10.	हिमाचल प्रदेश	97	776000	2	20000	9	85000	0	0
11.	जम्मू-कश्मीर	30	240000	3	32000	7	55000	0	0
12.	झारखण्ड	1	8000	0	0	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	16	128000	6	67300	2	20000	5	21600
14.	केरल	60	480000	35	349100	3	30000	4	16800
15.	मध्य प्रदेश	8	59000	7	195000	33	317500	2	9600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	महाराष्ट्र	11	85000	7	82000	12	117500	11	43200
17.	मणिपुर			1	15000	2	20000	0	0
18.	मेघालय	3	24000	0	0	0	0	0	0
19.	मिजोरम	0	0	2	20000	54	525000	0	0
20.	नागालैण्ड	4	32000	5	74000	2	20000	16	82800
21.	उड़ीसा	32	256000	2	20000	3	30000	2	7200
22.	पंजाब	52	424000	7	86900	5	47000	0	0
23.	राजस्थान	37	304000	8	56300	50	470000	1	2400
24.	सिक्किम	2	16000	1	5200	1	10000	7	24000
25.	तमिलनाडु	68	539000	31	350900	9	85000	32	124800
26.	त्रिपुरा	6	48000	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	23	184000	18	198600	28	270000	9	48000
28.	उत्तरांचल	62	500000	6	72000	113	1005000	7	31200
29.	पश्चिम बंगाल	10	80000	0	0	0	0	0	0
30.	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	नेपाल (देश)	2	16000	56	679000	0	0	0	0
	कुल	542	4343000	221	2628200	353	3284500	98	418800

क्र. सं.	राज्य/देश	मासिक अनुदान		आर्थिक तंगी अनुदान		कुल	
		मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में
1	2	11	12	13	14	15	16
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	24000	9	135000	34	438500
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3.	असम	2	48000	2	30000	16	17940
4.	बिहार	1	24000	0	0	6	6240
5.	छत्तीसगढ़	0	0	1	1500	1	15000
6.	दिल्ली	4	96000	7	10500	14	241000
7.	गोवा	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	0	0	0	0	3	27500
9.	हरियाणा	0	0	0	0	17	146800
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	2	3000	110	911000
11.	जम्मू-कश्मीर	1	24000	1	1500	42	366000
12.	झारखण्ड	0	0	0	0	1	8000
13.	कर्नाटक	2	24000	1	1500	32	275900
14.	केरल	6	144000	79	117300	187	2192900
15.	मध्य प्रदेश	5	120000	31	41900	86	1120100
16.	महाराष्ट्र	9	216000	59	872000	109	1415700

1	2	11	12	13	14	15	16
17.	मणिपुर	0	0	0	0	3	35000
18.	मेघालय	0	0	0	0	3	24000
19.	मिजोरम	0	0	2	30000	58	575000
20.	नागालैण्ड	6	144000	9	135000	42	487800
21.	उड़ीसा	1	24000	6	90000	46	427200
22.	पंजाब	1	24000	12	162000	77	743900
23.	राजस्थान	19	456000	27	375000	142	1663700
24.	सिक्किम	0	0	1	15000	12	70200
25.	तमिलनाडु	35	840000	106	1590000	281	3529700
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0	6	48000
27.	उत्तर प्रदेश	7	168000	5	75000	90	943600
28.	उत्तरांचल	27	648000	48	707000	263	2963200
29.	पश्चिम बंगाल	0	0	1	15000	11	95000
30.	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह (संघ शासित प्रदेश)	0	0	0	0	0	0
31.	चण्डीगढ़ (संघ शासित प्रदेश)	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी (संघ शासित प्रदेश)	0	0	0	0	0	0
33.	नेपाल (देश)	0	0	0	0	58	695000
	कुल	127	3024000	409	6003000	1750	19701500

वर्ष 2006-07 के लिए अनुमोदित बजट 233.00 लाख रुपए

विवरण-V

वर्ष 2007-08 (21 जनवरी, 2008 तक) के लिए रक्षा मंत्री विवेकाधीन कोष से संस्वीकृत मामले/राशि

क्र. सं.	राज्य/देश	विवाह अनुदान		चिकित्सा अनुदान		मकान मरम्मत अनुदान		शिक्षा अनुदान	
		मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	24000	2	29000	1	10000	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	15	128000	2	18900	5	70000	1	2400
4.	बिहार	0	0	0	0	1	20000	2	8400
5.	छत्तीसगढ़	2	24000	3	34000	7	90000	0	0
6.	दिल्ली	2	40000	2	30000	4	70000	3	12000
7.	गोवा	1	8000	0	0	0	0	0	0
8.	गुजरात	0	0	0	0	1	8750	0	0
9.	हरियाणा	17	187000	1	14000	11	200000	1	2400
10.	हिमाचल प्रदेश	55	456000	2	27000	23	320000	1	7200
11.	जम्मू-कश्मीर	51	616000	1	8000	15	255000	1	4800
12.	झारखण्ड	2	16000	0	0	0	0	0	0
13.	कर्नाटक	14	144000	2	23000	3	30000	3	12000
14	केरल	18	168000	12	118500	4	40000	3	14400
15.	मध्य प्रदेश	2	24000	4	47000	25	302000	1	4800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	महाराष्ट्र	15	152000	6	85000	5	80000	0	0
17.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	3	24000	0	0	0	0	0	0
19.	मिजोरम	0	0	7	113000	191	3537500	0	0
20.	नागालैण्ड	5	40000	2	3000	1	20000	17	81600
21.	उड़ीसा	11	96000	3	45000	2	20000	2	16800
22.	पंजाब	25	216000	5	77000	2	20000	0	0
23.	राजस्थान	34	392000	1	25000	135	1925000	0	0
24.	सिक्किम	31	284000	0	0	1	20000	13	57600
25.	तमिलनाडु	28	272000	10	148400	36	390000	151	582000
26.	त्रिपुरा	3	24000	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	23	248000	7	94000	48	800000	4	19200
28.	उत्तराखण्ड	54	488000	1	1500	97	1500000	28	127200
29.	पश्चिम बंगाल	9	88000	0	0	1	20000	0	0
30.	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	नेपाल (देश)	0	0	43	598500	0	0	0	0
	कुल	423	4159000	116	1566800	619	9748250	231	952800

क्र.	राज्य/देश सं.	विवाह अनुदान		चिकित्सा अनुदान		मकान मरम्मत अनुदान		शिक्षा अनुदान	
		मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में	मामले	राशि रुपए में
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आन्ध्र प्रदेश	3	72000	15	360000	0	0	24	495000
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	0	0	1	30000	0	0	24	249300
4.	बिहार	0	0	0	0	0	0	3	28400
5.	छत्तीसगढ़	0	0	6	105000	0	0	18	253000
6.	दिल्ली	1	24000	13	345000	0	0	25	521000
7.	गोवा	0	0	0	0	0	0	1	8000
8.	गुजरात	0	0	1	30000	0	0	2	38750
9.	हरियाणा	0	0	10	225000	0	0	40	628400
10.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	81	810200
11.	जम्मू-कश्मीर	0	0	29	720000	1	5000	98	1608800
12.	झारखण्ड	0	0	0	0	0	0	2	16000
13.	कर्नाटक	0	0	1	15000	0	0	3	224000
14.	केरल	6	144000	86	1710000	1	5000	130	2199900
15.	मध्य प्रदेश	0	0	48	1170000	0	0	80	1547800
16.	महाराष्ट्र	1	24000	82	1680000	4	20000	113	2041000

1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
17.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	0	0	0	0	1	5000	4	29000
19.	मिजोरम	0	0	46	1380000	0	0	244	5030600
20.	नागालैण्ड	1	24000	62	1485000	0	0	88	1680600
21.	उड़ीसा	1	24000	3	90000	0	0	22	291800
22.	पंजाब	0	0	4	60000	0	0	36	373000
23.	राजस्थान	11	288000	48	1185000	0	0	229	3815000
24.	सिक्किम	0	0	25	735000	0	0	70	1095600
25.	तमिलनाडु	26	624000	105	2085000	13	65000	369	4166400
26.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	3	24000
27.	उत्तर प्रदेश	3	72000	8	165000	0	0	93	1398200
28.	उत्तराखण्ड	20	480000	72	1710000	0	0	272	4306700
29.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	10	108000
30.	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	नेपाल (देश)	0	0	1	30000	0	0	44	628500
	कुल	/3	1776000	666	15315000	20	100000	2148	33617850

वर्ष 2007-08 के लिए अनुमोदित बजट-415.00 लाख रुपए

विवरण-VI

गत तीन वर्षों के लिए गंभीर बीमारियों की वित्तीय सहायता के ब्यौरे

	2005-06		2006-07		2007-08	
	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि	मामलों की सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	8	376350	4	286430	3	276209
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
असम	0	0	1	83776	0	0
बिहार	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़					1	112500
दिल्ली	3	276750	4	208465	3	337500
गोवा	1	58500	0	0	2	187500
गुजरात	1	9750	2	34835	1	93750
हरियाणा	12	769223	9	495706	11	929344
हिमाचल प्रदेश	11	973923	7	529921	4	343898
जम्मू-कश्मीर	5	298556	3	129790	2	164700
झारखण्ड			0	0	0	0
कर्नाटक	13	1041668	13	774975	6	299937
केरल	21	1300138	29	1699199	11	850338
मध्य प्रदेश	1	93600	4	191850	0	0
महाराष्ट्र	9	786324	14	875033	3	132358
मणिपुर					0	0
मेघालय					0	0
मिजोरम					1	23543

1	2	3	4	5	6	7
पंजाब	29	2356691	8	752817	10	833130
राजस्थान	5	412923	5	75029	2	9270
सिक्किम					0	0
तमिलनाडु	6	357263	10	482071	4	234947
त्रिपुरा					0	0
उत्तराखण्ड	5	426214	4	103729	1	35371
उत्तर प्रदेश	9	655268	14	1004467	6	310627
पश्चिम बंगाल					0	0
अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह					0	0
चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र	3	260600			0	0
पांडिचेरी संघ शासित क्षेत्र					0	0
नेपाल	10	319606	41	1679162	37	1598329
नागालैंड					1	75000
योग	152	10773347	172	9407255	109	6848251

अनुमोदित बजट

2005-06	350.00 लाख
2006-07	250.00 लाख
2007-08	90.00 लाख

[अनुवाद]

विभिन्न देशों के साथ समझौता ज्ञापन

3945. श्री निखिल कुमार: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य विषयों के साथ-साथ कृषि सहयोग, जैव सुरक्षा, प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के संबंध में विभिन्न देशों विशेषकर इटली और न्यूजीलैण्ड के साथ समझौतों अथवा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) ऐसे समझौतों/समझौता ज्ञापनों का कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, हां।

इटली और न्यूजीलैण्ड के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है:-

भारत के कृषि मंत्रालय और इटली के कृषि, खाद्य और वानिकी नीति मंत्रालय के बीच 16-1-2008 को एक समझौता ज्ञापन संपन्न हुआ। इस समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ कृषि और बागवानी, ग्रामीण विकास, खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा, पादप विज्ञान, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रजनन, मत्स्य पालन, जैव प्रौद्योगिकी, कृषि इंजीनियरी और खाद्य प्रसंस्करण में सहयोग की व्यवस्था है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पादप संगरोध मसलों पर पहले ही एक समझौता ज्ञापन है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भूमि देखभाल अनुसंधान और मासे विश्वविद्यालय, न्यूजीलैंड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर भी चर्चा चल रही है और जैसे सभी अनुमोदन उपलब्ध हो जाएंगे इस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे।

(ग) इस समझौता ज्ञापन में परिकल्पित द्विपक्षीय सहयोग से दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, विचारों और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिलेगा तथा यह दोनों देशों के कृषि क्षेत्रों के लिए लाभदायक होगा।

राज्यों द्वारा गेहूं का आयात

3946. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या उपभोक्ता मामले, **खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अपने राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) की मांग को पूरा करने के लिए सीधे तौर पर गेहूं का आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने राज्यों को इस प्रकार की अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) क्या इस प्रकार के आयात के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राजसहायता दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन राज्यों में गेहूं की उपलब्धता में सुधार के लिए इससे राज्यों को किस हद तक सहायता मिलने की संभावना है; और

(च) इस प्रकार की अनुमति से वंचित रहने वाले राज्यों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) से (च) जी, हां। 2007 के दौरान केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की कम खरीदारी और श्वेत/स्वदेशी गेहूं की अधिक मांग होते हुए चार राज्यों नामतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों को मार्च से मई, 2008 तक अपनी पसन्द के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गेहूं आयात करने का निदेश दिया गया था ताकि वे इस अवधि के दौरान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कल्याण योजनाओं के अधीन गेहूं की अपनी लगभग आधी जरूरत को पूरा कर सकें। आंध्र प्रदेश और केरल की राज्य सरकारों को भी सुझाव दिया गया था कि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार से गेहू आयात करने के संबंध में विचार करें।

उपर्युक्त महीनों के लिए गेहूं का आयात करने हेतु भारतीय खाद्य निगम को भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता के समतुल्य राजसहायता की प्रतिपूर्ति राज्य सरकारों को उनके द्वारा आयात किए जाने वाले गेहूं के लिए की जाएगी।

[हिन्दी]

उपभोक्ता शिकायत निपटान केंद्र

3947. श्री हेमराज मुर्मू: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर राज्य सरकारों को उपभोक्ताओं की शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए रेल पूछताछ सेवा की तर्ज पर विभिन्न स्तरों पर शिकायत केंद्र स्थापित करने और दूरभाष सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश के कितने जिलों में इस प्रकार के केंद्रों की पहल ही स्थापना की जा चुकी है; और

(घ) अन्य जिलों में इसका विस्तार कब तक किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) विभाग ने 24 राज्यों में 103 जिला

उपभोक्ता सूचना केंद्र मंजूर किए हैं। जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र की स्कीम 2004 से बंद कर दी गई है। तथापि, विभाग ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में हाल ही में 'राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन' नामक एक नई स्कीम शुरू की है और अब तक गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य सरकारों को निधियां रिलीज की गई है।

[अनुवाद]

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कृषि उत्पादन

3948. श्री मनोरंजन भक्त: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) निम्नलिखित सारणी में अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह संघशासित प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान उगाई गई भिन्न-भिन्न कृषि जिन्सों का उत्पादन एवं उत्पादकता दर्शाई गई है:

फसल	उत्पादन (000 टन)			उत्पादकता (किलोग्राम/हैक्टेयर)		
	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05	2005-06	2006-07
चावल	29.2	30.7	30.7	2729	2896	2896
मक्का	0.1	0.1	0.2	1000	1000	2000
दालें	0.4	0.4	0.4	571	500	571
खाद्यान्न	29.7	31.2	31.3	2583	2713	2746
गन्ना	5.7	5.9	2.6	28500	19667	26000
सुपारी	4.8	4.8	5.8	1091	1091	1415
केला	17.8	17.8	13.7	8900	8900	8563
नारियल*	87.1	87.1	89.0	3402	3402	4159
मिर्चें	1.0	1.0	0.9	2500	2500	2250
अदरक	1.8	1.8	1.9	3600	3600	9500
मीठा आलू	2.6	2.6	0.5	5200	5200	5000
हल्दी	0.7	0.7	0.5	7000	7000	5000
टेपियाका	5.0	5.0	2.0	6250	6250	6667

*गिरियों/हैक्टेयर में उपज एवं मिलियन गिरियों में उत्पादन

अधिकांश मामलों में 2006-07 के दौरान उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों मत दो वर्षों से 2006-07 वृद्धि दर्शाते हैं।

सरकार 2005-06 से क्षेत्र आधारित, बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने, खेतीहर परिवारों की खाद्य सुरक्षा एवं आय आधार में सुधार हेतु क्षेत्रीय भिन्नताओं वाली नीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के हालिस्टिक विकास के लिए अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह संघशासित प्रदेश को समाश्रित करते हुए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय बागवानी मिशन का कार्यान्वयन कर रही है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

3949. श्री सुब्रत बोस:

श्री परसुराम माझी:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में निर्यात की संभावना का सृजन करने के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत कार्यकलापों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कार्यान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा किसानों को बाजार में कारोबार करने और ग्राहकों का मूल्यांकन करने के लिए किस प्रकार शिक्षित किया जा रहा है; और

(ग) किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की भूमिका क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर केन्द्र प्रायोजित स्कीम 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक एंड-टू-एंड दृष्टिकोण अपना करके बागवानी के समग्र विकास के लिए जारी रखी गई है। इस स्कीम के तहत निष्पादित कार्यकलापों में बीज और रोपण सामग्री का उत्पादन, क्षेत्र विस्तार, कायाकल्प, जैविक खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन, फसलोपरांत प्रबंधन और विपणन के लिए ढांचागत सृजन शामिल हैं। मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.) भी इस स्कीम का एक महत्वपूर्ण घटक है। इन कार्यकलापों से घरेलू उपभोग और निर्यातों के लिए बागवानी उत्पाद के उत्पादन की वृद्धि हो सकेगी। 2007-08 के दौरान इन कार्यकलापों के लिए प्रदत्त निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) देश में बागवानी के विकास के लिए निम्नलिखित स्कीमों का कार्यान्वयन कर रहा है-

1. उत्पादन और फसलोपरांत प्रबंधन के जरिए वाणिज्यिक बागवानी का विकास।

2. शीत भण्डारों/बागवानी उत्पाद के लिए भण्डारों के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश राजसहायता।

(3) बागवानी के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी विकास और अंतरण।

एन.एच.बी. ने किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए जिंस आधारित उत्पादक संगठनों के गठन को सुकर बनाया है और 19 ऐसे संगठनों को भारतीय बागवानी परिसंघ के पूर्ण तत्वाधान में गठित किया गया है।

विवरण

एन.एच.एम. (2007-08) के तहत भौतिक लक्ष्य और वित्तीय लक्ष्य

वित्तीय (रु. लाख में)

भौतिक * है. क्षेत्र में

**मात्रा सं. में

राज्य	क्षेत्र कवरेज*		जीर्णोद्धार*		जैविक खेती*		आई.पी.एम.*		नर्सरी**	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	32156.000	2839.439	9410.000	837.848	3700.000	314.500	20200.000	171.700	51.000	216.000
बिहार	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
छत्तीसगढ	32872.000	2853.900	820.000	104.550	3800.000	323.000	10800.000	91.800	15.000	183.600
गोवा	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
गुजरात	11615.600	1011.120	260.000	33.150	185.000	15.730	3100.000	26.350	14.000	124.950
हरियाणा	8032.050	703.380	477.000	60.860	358.000	30.410	3950.000	33.580	38.000	323.850
झारखण्ड	3151.000	293.910	85.000	10.840	700.000	59.500	56.000	0.480	9.000	73.950
कर्नाटक	33809.900	2929.691	6000.000	765.893	3110.000	264.350	40800.000	365.925	114.000	304.725
केरल	30800.000	1019.665	12016.680	1506.090	1020.000	86.700	2617.000	22.420	51.000	302.175
मध्य प्रदेश	17896.000	1901.325	3290.000	419.480	3755.000	319.180	1871.000	15.900	71.000	402.900

महाराष्ट्र	25127.000	4410.011	11100.000	1640.500	4767.610	405.247	1810.000	15385	36.000	307.875
उड़ीसा	22255.000	1665.920	800.000	102.000	800.000	68.000	1159.000	9.850	52.000	288.150
पंजाब	11636.000	1138.030	2048.000	261.120	1250.000	106.250	0.000	0.000	5.000	53.550
राजस्थान	15420.030	1469.951	550.000	70.125	2350.000	199.750	5850.009	49.725	44.000	248.625
तमिलनाडु	46931.000	4018.393	7951.000	1013.727	6152.000	522.900	10168.000	86.428	0.000	0.000
उत्तर प्रदेश	28603.690	3039.970	3460.000	441.150	8366.000	940.530	9064.000	77.045	150.000	448.800
पश्चिम बंगाल	1650.000	206.710	130.000	16.575	0.000	0.000	350.000	2.975	0.000	0.000
कुल	321955.270	29501.415	58397.680	7283.908	40313.610	3656.047	111795.000	969.563	650.000	3279.150

वित्तीय (रु. लाख में)

भौतिक * है. क्षेत्र में

**मात्रा सं. में

राज्य	एच.आर.डी.**		पी.एच.एम.**		विपणन**	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	12	13	14	15	16	17
आन्ध्र प्रदेश	34146.000	89.895	8.000	130.210	5.000	7.968
बिहार	-	-	0.000	0.000	0.000	0.000
छत्तीसगढ़	4126.000	54.350	0.000	0.000	0.000	0.000
गोवा	-		0.000	0.000	1.000	3.190
गुजरात	400.000	15.300	1.000	36.120	1.000	3.190
हरियाणा	1415.000	55.590	1.000	0.850	0.000	0.000
झारखण्ड		-	0.000	0.000	0.000	0.000
कर्नाटक	473.000	10.073	4.000	58.363	30.000	375.590
केरल	1504.000	148.965	0.000	0.000	20.000	82.340
मध्य प्रदेश	3222.000	186.810	1.000	2.890	0.000	47.180
महाराष्ट्र	11297.000	70.157	253.000	208.620	2.000	6.375
उड़ीसा	7074.000	105.600	0.000	0.000	0.000	0.000

पंजाब	1751.000	33.130	2.000	86.110	0.000	0.000
राजस्थान	5467.000	146.005	7.000	174.960	0.000	0.000
तमिलनाडु	24671.000	322.597	0.000	0.000	0.000	0.000
उत्तर प्रदेश	24170.000	671.230	12.000	230.380	1.000	115.820
पश्चिम बंगाल	-	-	2.000	197.100	3.000	6.024
कुल	119716.000	1909.762	291.000	1125.603	63.000	647.677

बहिस्राव उपचार संयंत्र की स्थापना के लिए सहायता

3950. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आधुनिक हाईटेक बुनाई/सिलाई के लिए पार्कों, आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों और बहिस्राव उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दसवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यवार इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलँगोवन): (क) और (ख) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एस.आई.टी.पी.) को उपयुक्त सहायता अवसंरचना सुविधाओं के साथ वस्त्र पार्कों की स्थापना को सुकर बनानेके लिए जुलाई 2005 में अनुमोदित किया गया था। एस.आई.टी.पी. में 40 करोड़ रु. की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत (सामान्य अवसंरचना, सामान्य सुविधाएं और कारखाना भवन) का 40% की दर से सहायता देने का प्रावधान है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए लक्ष्य के अनुसार, 30 वस्त्र पार्क परियोजनाएं अनुमोदित की गई है। स्वीकृत परियोजनाओं को वर्ष-वार एवं राज्य-वार जारी राशियां नीचे तालिका में दी गई है-

राज्य	परियोजना की सं.	वर्ष-वार जारी राशि (करोड़ रु. में)			
		2005-06	2006-07	2007-08	कुल
आन्ध्र प्रदेश	5	0.00	12.74	49.92	62.66
बिहार	1	0.00	0.00	0.00	0.00
गुजरात	7	8.00	8.00	64.00	80.00
कर्नाटक	1	0.00	2.12	10.62	12.74
महाराष्ट्र	5	4.82	6.89	45.39	57.10
पंजाब	1	0.00	0.00	4.00	4.00
राजस्थान	3	0.00	3.87	15.75	19.62
तमिलनाडु	6	5.73	5.39	40.91	52.03
पश्चिम बंगाल	1	0.00	4.00	8.00	12.00
कुल	30	18.55	43.01	238.59	300.15

निजी कंपनियों द्वारा गेहूं की खरीद पर प्रतिबंध

3951. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निजी व्यापारियों द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्यों से गेहूं की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, विशेषकर तब जबकि यह प्रतिबंध अन्य राज्यों में लागू नहीं है;

(ग) क्या भारतीय किसान संघ और अन्य संगठनों तथा लोगों ने सरकार से इस प्रकार का भेदभावपूर्ण प्रतिबंध वापिस लेने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बाह्य विभागीय कर्मचारियों का पुनर्नियोजन

3952. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक दशक (दस वर्ष) से अधिक अवधि तक सेवा करने वाले बाह्य विभागीय कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों को डाक विभाग के नागरकोइल मंडल में बिना किसी दोष के सेवा से बाहर किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने कर्मचारियों को सेवा से बाहर किया गया है;

(ग) क्या सरकार का उनको पुन: बहाल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

लीज पर टेलीफोन लाइनें

3953. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी क्षेत्र के अधिकतर बैंकों ने विशेष रूप से ए.टी.एम. तथा कोर बैंकिंग समाधानों के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) से लाइनें लीज पर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए.टी.एम. से जुड़ी लाइनों की बी.एस.एन.एल. स्टाफ द्वारा मरम्मत के कारण इनमें बार-बार बाधाएं आई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने बी.एस.एन.एल. द्वारा अनिवार्य रूप से वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कोई विशेष दिशानिर्देश बनाए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के वे मुख्य बैंक जिन्होंने बी.एस.एन.एल. से पट्टे पर सर्किट लिए हैं, निम्नानुसार हैं:

1. यूको बैंक
2. भारतीय स्टेट बैंक और इसके संबद्ध बैंक
3. कैनरा बैंक
4. सैंट्रल बैंक
5. यूनियन बैंक
6. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
7. सिंडिकेट बैंक
8. पंजाब नैशनल बैंक
9. भारतीय रिजर्व बैंक
10. इलाहाबाद बैंक
11. इंडियन बैंक
12. बैंक ऑफ बड़ौदा
13. विजया बैंक
14. बैंक ऑफ इंडिया
15. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
16. बैंक ऑफ राजस्थान
17. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स

18. इंडियन ओवरसीज बैंक

19. कॉर्पोरेशन बैंक

20. आंध्रा बैंक

21. देना बैंक

22. पंजाब एंड सिंध बैंक

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी, हां। बी.एस.एन.एल. के अपने दिशा-निर्देश हैं। प्रमुख स्थानीय जगहों पर जहां भी तकनीकी रूप से व्यवहार्य है वहां सहायता के रूप में वैकल्पिक केबल पेयर प्रदान किया जा रहा है। वैकल्पिक कनेक्टिविटी के लिए लंबी दूरी वाले मीडिया को स्वतः ठीक हो जाने वाले ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओ.एफ.सी.) रिंगों पर प्रदान किया जा रहा है। बी.एस.एन.एल. उपभोक्ताओं की मांग पर इंटीग्रेटिड सर्विसेज डिजीटल नेटवर्क (आई.एस.डी.एन.) कनेक्शनों के रूप में भी सहायता प्रदान कर रहा है।

परिधान (अपैरल) पार्क

3954. श्री सुग्रीव सिंह: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में निर्यात हेतु कार्य कर रहे अपैरल पार्कों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) दसवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान संस्वीकृत तथा स्थापित निर्यात अपारेल पार्कों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित, जारी तथा खर्च की गई;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्यारहवीं योजना के दौरान ऐसे और पार्क खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (ए.पी.ई.एस.) के तहत स्वीकृत बारह (12) अपैरल पार्क परियोजनाओं में से, तमिलनाडु में एक पार्क पूर्ण रूप से कार्य कर रहा है। मूल अवसंरचना सुविधाएं आठ (8) परियोजनाओं में विकसित किए गए हैं जहां उत्पादन क्रियाकलाप कुछ इकाइयों में शुरू कर दिए गए हैं। ये परियोजनाएं आंध्र प्रदेश (1), गुजरात (1), कर्नाटक (1), केरल (1), महाराष्ट्र (1), तमिलनाडु (1) और उत्तर प्रदेश (2) में स्थित हैं।

(ख) वर्ष-वार और राज्य-वार स्वीकृत अपैरल पार्क परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है-

वर्ष	राज्य का नाम (परियोजनाओं की सं.)
2001-02	गुजरात (1), उत्तर प्रदेश (1)
2002-03	आन्ध्र प्रदेश (1), कर्नाटक (1), केरल (1), तमिलनाडु (2), उत्तर प्रदेश (1)
2003-04	मध्य प्रदेश (1), राजस्थान (1)
2004-05	महाराष्ट्र (1), पंजाब (1)

(ग) ए.पी.ई.एस. के तहत सहायता प्रतिपूर्ति आधार पर कार्यान्वयन एजेंसी को जारी किया जाता है। निधियों का वर्षवार और राज्यवार रिलीज नीचे तालिका में दिया गया है:-

राज्य	निधियों का वर्षवार रिलीज (करोड़ रु. में)					
	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	कुल
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	0.00	1.25	1.12	0.67	1.68	4.72
गुजरात	4.22	5.39	0.00	0.00	0.00	9.61

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	0.00	2.41	8.74	0.00	4.15	15.30
केरल	1.54	1.73	4.09	4.44	4.42	16.22
मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00	1.69	2.82	4.51
महाराष्ट्र	0.00	0.00	4.18	0.00	5.74	9.92
पंजाब	0.00	0.00	0.06	0.88	1.52	2.46
राजस्थान	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.98
तमिलनाडु	1.33	7.43	13.10	1.90	0.00	23.76
उत्तर प्रदेश	3.05	3.78	7.16	6.61	8.20	28.80
कुल	10.14	21.99	39.43	16.19	28.53	116.28

(घ) जी, नहीं। निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (ए.पी.ई.एस.) को जुलाई 2005 में समाप्त कर दिया गया था। तथापि, सहायता उन स्वीकृत परियोजनाओं को दिया जा रहा है जहां कार्य 31-07-2005 के पहले शुरू हो गया था।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

डाक बचत योजना में कमी

3955. श्री एस.के. खारवेनन: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या घरेलू बचतों विशेष रूप से डाक प्रतिभूतियों संबंधी निवेश में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का डाक घर मासिक आय खाते (पी.ओ.एम.आई.ए.) पर बोनस बहाली का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आगामी वर्षों में डाक जमा में कितनी वृद्धि अपेक्षित है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी हां, डाकघर बचत बैंक योजना में जमाराशि कमी का रुख दर्शा रही है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान जमाराशि का स्कीमवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जमाराशि की परिपक्वता पर डाकघर मासिक आय खाता योजना (पी.ओ.एम.आई.ए.) के तहत 8 दिसंबर, 2007 को या उसके बाद जमाराशि पर सरकार ने पहले ही 5% की दर से लाभांश की घोषणा कर दी है। इससे आने वाले वर्ष में और अधिक जमाकर्ता इस योजना की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों की विभिन्न डाकघर बचत बैंक योजनाओं में जमा राशि का ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ में)

वर्ष	बचत खाता	आवर्ती जमा	सावधिक जमा	मासिक आय खाता	वरिष्ठ नागरिक भविष्य बचत योजना	लोक भविष्य निधि	कुल
2004-05	25416.55	20135.3	20429.29	48691.8	8818.14	3112.94	126604.02
2005-06	31432.28	23488.41	20526.45	47272.63	7435.42	3024.47	133179.66
2006-07	35958.42	26333.05	19799.86	26460.37	7238.19	3797.87	119587.76
2004-05 की तुलना में 2005-06 में वृद्धि/कमी	6015.73	3353.11	97.16	(-)1419.17	(-)1382.71	(-)88.47	(-)6575.66
2005-06 की तुलना में 2006-07 में वृद्धि/कमी	4526.14	2844.64	(-)726.58	(-)20812.26	(-)197.23	773.39	13544.28

गत तीन वर्षों का किसान विकास पत्र और 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र (VIIIवां इश्यू) में जमा राशियों का ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ में)

बचत पत्र का नाम	2004-05	2005-06	2006-07	2004-05 की तुलना में 05-06 में वृद्धि/कमी	2005-06 की तुलना में 06-07 में वृद्धि/कमी
के.वी.पी.	23600.73	29281.00	23495.00	5680.27	-5786.00
6 वर्षीय राष्ट्रीय विकास पत्र VIIIवां इश्यू	10246.88	10539.91	8971.00	293.03	-1568.91

आई.पी.टी.वी. के संबंध में सिफारिश

3956. श्री नवीन जिन्दल: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आई.पी.टी.वी.) के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा संस्तुत सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जैसाकि दिनांक 19 फरवरी, 2008 के दैनिक भास्कर में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) सरकार को जनवरी, 2008 में "आई.पी.टी.वी. सेवाओं की उपलब्धता" के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। इन सिफारिशों में आई.पी.टी.वी. सेवाओं के संदर्भ में लाइसेंस देने, विषय-वस्तु का विनियमन करने और डाउनलिंक नीति से संबंधित मामले शामिल हैं। आई.पी.टी.वी. सेवाओं की उपलब्धता संबंधी ट्राई की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। नीतिगत मामला होने के कारण सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

भारत-जापान रक्षा वार्ता

3957. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मई 2006 से रक्षा सहयोग पर भारत-जापान वार्ता में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी कितनी वार्ताएं हुईं तथा इनमें कितनी सफलता मिली है; और

(ग) रक्षा क्षेत्र में भारत-जापान सहयोग को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) रक्षा मंत्री के मई, 2006 में जापान के दौरे के परिणामस्वरूप, अप्रैल, 2007 में टोकियो में आरंभिक रक्षा नीति वार्ता आयोजित की गई थी। इसके अलावा, हमारी चल रही सुरक्षा वार्ता के एक हिस्से के रूप में चौथी मिलिट्री से मिलिट्री वार्ता के साथ-साथ पांचवीं विस्तृत सुरक्षा वार्ता फरवरी, 2008 में जापान में आयोजित की गई थी।

जापान की तरफ से वरिष्ठ उप रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों ने अगस्त, 2007 के दौरान भारत का दौरा किया।

दोनों पक्ष सक्रिय रूप से प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग,

एक दूसरे के यहां उच्च स्तरीय दौरों का आदान-प्रदान, संगोष्ठी और सम्मेलनों आदि में भाग लेना जारी रखे हुए हैं। उपर्युक्त कार्याकलापों के साथ-साथ घटनाक्रम का वार्षिक कैलेंडर भी तैयार किया गया है।

टेलीफोन एक्सचेंजों को पुनः शुरू करना

3958. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा नष्ट किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों को पुनः शुरू करने तथा मोबाइल टावरों को पुनः स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी, हां।

(ख) नक्सलियों ने येल्विल में माइक्रोवेव पुनरावर्तक एवं पावरप्लांट, इत्यादि जला दिए थे जिससे पटापल्लि अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र (एस.डी.सी.ए.) के लैंडलाइन, डब्ल्यू.एल.एल. एवं जी.एस.एम. मोबाइल सहित दूरसंचार सेवाएं बाधित हो गई थीं। टॉवर अप्रभावित रहा, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उसी स्थान पर पावरप्लांट तथा माइक्रोवेव उपस्कर के पुनःसंस्थापन द्वारा पुनरावर्तक के पुनः प्रचालन की सलाह नहीं दी गई।

पेरिमिल्ली में माइक्रोवेव टॉवर, माइक्रोवेव पुनरावर्तक उपकरण उपलब्ध कराकर एटापल्लि अल्प दूरी प्रभारण क्षेत्र की सभी दूरसंचार सेवाएं पुनः चालू कर दी गई हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या

3959. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बेरोजगारी को एक प्रमुख समस्या के रूप में पहचाना गया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में शिक्षित, अशिक्षित, कुशल, अकुशल तथा तकनीकी रूप से प्रशिक्षित युवाओं की संख्या के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान उक्त श्रेणी के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों के सृजन हेतु कौन-कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं, क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं तथा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश इस समय बेरोजगारी की जिस समस्या का सामना कर रहा है, उससे अवगत है।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत युवाओं सहित शिक्षितों, अशिक्षितों, कुशल एवं अकुशल रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश भर में अनेक रोजगार सृजन एवं निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती रही है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.), प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) तथा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। 10वीं योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के विशेष रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रगति का ब्यौरा विवरण- II में दिया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कुल योजना परिव्यय का 10% भी पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु उद्दिष्ट किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित 11वीं योजना दस्तावेज ने पूर्वानुमान लगाया है कि 11वीं योजनावधि के दौरान 58 मिलियन रोजगार अवसर सृजित किए जाने की संभावना है। भविष्य में अतिरिक्त रोजगार अवसर मुख्यतया पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पाद, फुटवियर तथा कपड़ा जैसे श्रम सघन विनिर्माण क्षेत्रों में तथा पर्यटन एवं निर्माण जैसे सेवा क्षेत्रों में सृजित किए जाएंगे। विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास से सामान्यतः रोजगार अवसरों में भी वृद्धि होती है। "पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना" पर परियोजनाओं के तहत 22 नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जा रही है, 35 विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है तथा योजना आयोग द्वारा अब 3 अतिरिक्त नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना को अनुमोदन दिया गया है। परियोजना स्कीम के कार्यान्वयन की पूर्णता पर, पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता में 8900 सीटों की वृद्धि से यह वर्तमान 7244 से बढ़कर 16144 हो जाएगी।

विवरण-I

31-12-2005 को रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार चाहने वालों की संख्या

(हजार में)

राज्य	कुल	शिक्षित	अशिक्षित	भूतपूर्व-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	पूर्णकालिक शिक्षु
अरुणाचल प्रदेश	25.1	15.4	9.7	0.01	–
असम	1760.8	1224.0	536.8	14.0	0.5
मणिपुर	532.3	342.8	189.5	2.1	@
मेघालय	38.0	24.3	13.7	0.3	@
मिजोरम	34.4	20.4	14.0	1.6	–
नागालैंड	44.3	25.8	18.5	0.3	–
सिक्किम*					
त्रिपुरा	399.7	175.7	224.0	3.2	0.2
योग	2834.6	1828.4	1006.2	21.6	0.7

*इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

@आंकड़े पचास से कम।

विवरण-II

10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रोजगार सृजन योजनाओं के अंतर्गत वास्तव में रोजगार उपलब्ध करवाए गए व्यक्तियों की संख्या

क्र. सं.	राज्यों का नाम	पी.एम.आर.वाई. अनुमानित सृजित रोजगार (संख्या में)	आर.ई.जी.पी. अनुमानित रोजगार अवसर (संख्या में)	एस.जे.एस.आर. वाई. सृजित कार्य के मानव दिवसों की संख्या (संख्या में)	एस.जी.आर. वाई. सृजित मानवदिवस (संख्या में)	एस.जी.एस.वाई. कुल सहाय्यित स्वरोजगारी (संख्या में)	एन.आर.ई. जी.ए. रोजगार उपलब्ध करवाए गए परिवारों की संख्या (संख्या में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	3049.5	6253	2.49	64.73	6864	16926

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	असम	38743.5	116832	1.33	3094.85	283810	792270
3.	मणिपुर	2892	4986	1.16	106;70	5524	17880
4.	मेघालय	2878.5	11466	0.00	163.37	17904	96627
5.	मिजोरम	2361	41169	0.00	60.59	17242	50998
6.	नागालैण्ड	4542	15485	260.27	505.72	15009	27884
7.	सिक्किम	208.5	8722	28.62	35.24	7800	4107
8.	त्रिपुरा	11604	15933	0.50	511.45	39398	74335
	योग	66279	220846	294.37	4542.65	393551	1081027

कृषि श्रमिकों को ई.एस.आई. सुविधाएं

3960. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में पुरुष, महिला किसानों तथा कृषि श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में इस समुदाय को उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं/सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) की तर्ज पर उनके लिए अलग से चिकित्सा सुविधाएं शुरू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस समुदाय की चिकित्सा आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) जनगणना 2001 के अनुसार कृषि श्रमिकों (पुरुष, महिला) की राज्यवार संख्या का विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख प्रदान करने हेतु प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आरंभ किया है। सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगार के पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए 1 अक्तूबर, 2007 से असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' भी आरंभ की है, जिसमें अन्य के साथ, कृषि श्रमिक शामिल हैं। इस योजना में परिवार प्लोटर आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000/- रुपये के स्मार्ट कार्ड आधारित नकद भुगतान रहित स्वास्थ्य बीमा कवर का प्रावधान किया गया है। इस समय कृषि श्रमिकों के लिए 'कर्मचारी राज्य बीमा' की तर्ज पर अलग से चिकित्सा सुविधा लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

कृषि कामगारों महिला, पुरुष के संबंध में अलग-अलग राज्यवार विवरण

(स्रोत: जनगणना 2001)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	कृषि श्रमिकों की संख्या		
		पुरुष	महिला	कुल
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	6453741	7378411	13832152

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	10329	8511	18840
3.	असम	832508	431024	1263532
4.	बिहार	8730251	4687493	13417744
5.	छत्तीसगढ़	1262559	1828799	3091358
6.	गोवा	15970	19836	35806
7.	गुजरात	2509651	2652007	5161658
8.	हरियाणा	717133	561688	1278821
9.	हिमाचल प्रदेश	55658	38513	94171
10.	जम्मू-कश्मीर	190339	56082	246421
11.	झारखण्ड	1485322	1365975	2851297
12.	कर्नाटक	2620927	3606015	6226942
13.	केरल	1078354	542497	1820851
14.	मध्य प्रदेश	3518368	3882302	7400670
15.	महाराष्ट्र	4924034	5891228	10815262
16.	मणिपुर	49928	63702	113630
17.	मेघालय	90888	80806	171694
18.	मिजोरम	12775	14008	26783
19.	नागालैण्ड	15985	14922	30907
20.	उड़ीसा	2587196	2411908	4999104
21.	पंजाब	1104140	385721	1489861
22.	राजस्थान	1055332	1468387	2523719
23.	सिक्किम	8762	8238	17000
24.	तमिलनाडु	4256360	4381270	8637630
25.	त्रिपुरा	162640	113492	276132
28.	उत्तर प्रदेश	8245599	5155312	13400911
27.	उत्तराखंड	190494	69189	259683

1	2	3	4	5
28.	पश्चिम बंगाल	5080236	2282721	7362957
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4043	1126	5169
30.	चंडीगढ़	461	102	563
31.	दादरा और नागर हवेली	5429	9286	14715
32.	दमन और दीव	347	976	1323
33.	दिल्ली	11224	4549	15773
34.	लक्षद्वीप	00	00	00
35.	पुदुचेरी	42117	30134	72251
	कुल	57329100	49446230	106775330

*टिप्पणी: भारत और मणिपुर के आंकड़ों में मणिपुर के सेनापति जिले के माओ मारम, पाओमाटा और पुरूल उपमंडल शामिल नहीं हैं क्योंकि प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से जनगणना परिणाम रद्द कर दिए गए थे।

अंतर्राष्ट्रीय काल दरों में कमी

3961. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.टी.एन.एल. ने हाल ही में विभिन्न देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कॉल दरों में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बी.एस.एन.एल. का विचार भी ऐसा करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) एम.टी.एन.एल. ने 1 फरवरी, 2008 से केवल वी.ओ.आई.पी. ग्राहकों के लिए आई.एस.डी. कॉल दरों में कमी की है। कम की गई दरें 1/- रुपये प्रति मिनट की दर से 100 देशों एवं 22 मोबाइल गंतव्यों के लिए लागू हैं। सामान्यत: जिन देशों के लिए कॉल दरें 2/- रुपये एवं 3/- रुपये प्रति मिनट थीं, उन्हें घटाकर 1/- रुपये प्रति मिनट कर दिया गया है। जिन देशों के लिए कॉल दरें 6/- रुपये, 8/- रुपये एवं 12/- रुपये थीं, उन्हें घटाकर तदनुसार 4/- रुपये, 6/- रुपये एवं 8/- रुपये प्रति मिनट कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) बी.एस.एन.एल. उपभोक्ताओं, की आवश्यकता मौजूदा बाजार हालातों तथा विदेशी वाहकों/आई.एल.डी.ओ. प्रचालकों तक अंतर्राष्ट्रीय कॉल के वहन हेतु देय निर्धारित दर के मद्देनजर समय-समय पर प्रशुल्कों की समीक्षा करता है। इसके पहले ही "कॉल नाउ" कार्ड की पेशकश कर दी है, जिससे ग्राहक काफी कम प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर आई.एस.डी. कॉल कर सकता है।

स्पैक्ट्रम शुल्क के माध्यम से राजस्व

3962. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक स्पैक्ट्रम शुल्क के माध्यम से वर्ष-वार कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या सरकार स्पैक्ट्रम शुल्क को बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इसका प्रशुल्कों पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) क्या सरकार प्रशुल्क पर नियंत्रण करके तथा स्पैक्ट्रम से और अधिक राजस्व अर्जित करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) आज की तारीख तक पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान स्पेक्ट्रम प्रभार से संबंधित संगृहीत राजस्व निम्नानुसार है:-

	राशि (करोड़ रु. में)
2005-06	1376
2006-07	2090
2007-08	3015

(ख) से (ङ) विभिन्न प्रासंगिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्पेक्ट्रम शुल्क/प्रभारों की समीक्षा की जाती है। स्पेक्ट्रम प्रभारों को व्यावहारिक स्तर पर लाने की दृष्टि से तथा इस दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन का व्यावहारिक मूल्य दर्शाने के लिए स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श किया जाता है।

घटिया कृषि सामग्री

3963. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में घटिया, नकली तथा बनावटी कृषि सामग्री जैसे बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि बड़े पैमाने पर बेचे जा रहे हैं और इसके कारण कृषक समुदाय पर बुरा असर पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संकट से बचने के लिए क्या निवारक/दण्डात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को कृषक समुदाय से शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि बीज निगम गुणवत्तायुक्त बीजों को उपलब्ध कराने में विफल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी, नहीं। सरकार बीजों, उर्वरकों, कृमिनाशियों इत्यादि जैसे घटिया आदानों के विक्रय पर रोक लगाने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। सरकार ने समय समय पर यथा संशोधित, बीज अधिनियम, 1966, बीज नियमावली, 1968, बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 कृमिनाशी अधिनियम, 1968 और कृमिनाशी नियमावली, 1971 के अंतर्गत विभिन्न कृषि आदानों के लिए गुणवत्ता आश्वासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए वैधानिक ढांचा प्रदान किया है। इन वैधानिक तंत्रों का प्रवर्तन राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों के पास है। इन वैधानिक तंत्रों के अंतर्गत अधिसूचित निरीक्षकों को नमूने आहरित करने, भण्डारों की जांच करने और यदि कृषि आदान इन अधिनियमों/नियमों और आदेशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं पाए जाते तो विक्रय रोक आदेश जारी करने के अधिकार हैं।

(ग) और (घ) ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

[हिन्दी]

स्वचालित डाक छंटनी मशीनों की खरीद

3964. श्री रशीद मसूद: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक विभाग का विचार डाक की छंटाई करने के लिए स्वचालित डाक छंटनी मशीन खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त मशीनों को कब तक खरीदे जाने की संभावना है; और

(घ) डाक विभाग के पास कितने कार्गो यान हैं और इनका प्रयोग देश में किन रूटों पर किया जा रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी हां।

(ख) और (ग) डाक छंटाई हेतु स्वचालित मेल प्रोसेसिंग मशीनों की संस्थापना डाक विभाग की 11वीं पंचवर्षीय योजना का एक भाग है। मशीनों का ब्यौरा और उनका प्रापण सरकार की मंजूरी पर निर्भर करता है। दिल्ली और कोलकाता स्थित स्वचालित मेल प्रोसेसिंग मशीनों के लिए 10वीं योजना में सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया था और प्रस्तावों हेतु अनुरोध को पुष्ट करने की पहले ही कार्रवाई कर दी गई है।

(घ) डाक विभाग ने एक वर्ष की अवधि के लिए एयर इंडिया से एक कार्गो विमान चार्टर्ड किया है। कार्गो विमान सप्ताह में छह दिन कोलकाता-गुवाहाटी-इम्फाल-अगरतला-कोलकाता मार्ग पर उड़ान भरता है।

[अनुवाद]

गहरे सागर में मछली पकड़ने की अनुमति

3965. श्री रमेश दूबे: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गहरे सागर में मछली पकड़ने वाली ईकाईयों को अनुमति पत्र जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कतिपय एजेंसियां अनुमति पत्र की आड़ लेकर मछली पकड़ने के कार्यों में बाधा डाल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) और (ख) गहरे समुद्र में मत्स्यन के लिए अब तक 40 कम्पनियों को 158 अनुमति पत्र जारी किये जा चुके हैं, इनमें से 119 टुना लांग लाईनिंग, 25 मिड वाटर/पिलेजिक ट्राउलिंग, 7 हुक तथा लांग लाईनिंग, 5 प्योर सीनींग तथा 2 स्क्विड जिगर्स के लिए जारी किए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि में विदेशी निवेश

3966. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में से कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का हिस्सा कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेश के एक निश्चित प्रतिशत को कृषि क्षेत्र के लिए आरक्षित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा एक विवरण उपलब्ध कराया गया है जिसमें कृषि सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2008 तक वित्तीय वर्षवार एफ.डी.आई. इनफलो संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उदार आर्थिक परिवेश के अंतर्गत, उद्यमियों द्वारा उनके तकनीकी आर्थिक निर्णय और वाणिज्यिक विचार-विमर्शों के आधार पर निवेश निर्णय लिये हैं। सरकार ने एफ.डी.आई. के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है।

विवरण

अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2008 तक वित्तीय वर्षवार एफ.डी.आई. अंतप्रवाह संबंधी विवरण

(राशि मिलियन अमेरिकी डालर में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2004-05 अप्रैल-मार्च	2005-06 अप्रैल-मार्च	2006-07 अप्रैल-मार्च	2007-08 अप्रैल-जनवरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	धातुकर्मीय उद्योग	182.39	146.89	172.85	519.62	1,021.75

1	2	3	4	5	6	7
2.	खनन	9.92	6.15	6.62	441.60	464.29
3.	विद्युत	52.94	87.09	157.47	232.50	530.00
4.	गैर-पारम्परिक ऊर्जा	0.01	0.11	2.11	32.96	35.20
5.	कोयला उत्पादन	0.00	0.00	1.30	14.08	15.38
6.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	113.47	14.17	89.37	378.48	595.49
7.	बॉयलर एवं स्ट्रीम उत्पादक संयंत्र	0.54	0.00	3.31	0.97	4.82
8.	प्राइम मवर (बिजली जनरेटरों से इतर)	0.05	0.00	0.00	0.28	0.34
9.	विद्युत उपकरण	97.70	35.18	76.85	619.56	829.29
10.	कम्प्यूटर साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर	538.52	1,374.84	2,614.43	1,254.74	5,782.53
11.	इलेक्ट्रानिक्स	86.16	39.05	41.45	16.27	182.92
12.	दूर संचार	124.53	623.55	477.74	1,084.63	2,310.44
13.	सूचना एवं प्रसारण (प्रिन्ट मीडिया सहित)	10.24	55.95	43.56	233.10	342.86
14.	आटोमोबाइल उद्योग	122.17	142.97	275.73	447.79	988.66
15.	वायु परिवहन (वायु किराये सहित)	4.11	10.27	92.14	93.24	199.76
16.	समुद्री परिवहन	34.91	53.63	72.52	87.78	248.84
17.	बंदरगाहें	13.04	0.50	0.00	0.00	13.55
18.	रेलवे से संबंधित घटक	4.48	14.67	25.82	12.36	57.33
19.	औद्योगिक मशीनरी	8.89	42.80	19.27	19.19	90.15
20.	मशीन उपकरण	11.04	23.00	37.34	47.54	118.92
21.	कृषि मशीनरी	0.00	92.71	25.19	6.10	125.00
22.	अर्थ मशीनरी	0.10	50.87	0.99	66.09	118.06
23.	विविध यांत्रिक एवं इंजीनियरी उद्योग	12.34	51.26	64.32	182.83	310.75

1	2	3	4	5	6	7
24.	वाणिज्यिक कार्यालय एवं घरेलू उपकरण	14.12	25.54	44.88	6.15	90.69
25.	मेडीकल एवं सर्जीकल उपकरण	5.25	1.53	13.43	10.08	30.29
26.	औद्योगिक उपकरण	1.08	0.38	0.00	2.23	3.69
27.	वैद्यानिक उपकरण	0.03	0.10	0.07	0.00	0.21
28.	गणीतीय सर्वेयिंग एण्ड ड्राइंग उपकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29.	उर्वरक	13.46	4.24	5.01	1.17	23.88
30.	रसायन (उर्वरकों से इतर)	198.07	389.77	205.43	194.15	987.43
31.	फोटोग्राफिक रा फिल्म एण्ड पेपर	6.30	0.00	2.81	52.84	61.95
32.	डाइस्टप्स	1.18	0.00	0.00	1.93	3.11
33.	ड्रग्स एवं फार्मास्यूटीकल्स	292.07	172.44	214.84	236.98	916.33
34.	वस्त्र (जिसमें रंगे हुए प्रिन्ट किये हुए शामिल है)	43.04	94.33	125.26	93.87	356.49
35.	कागज एवं गूदा (कागज उत्पाद शामिल हैं)	2.70	27.38	5.08	29.72	64.88
36.	चीनी	2.94	3.00	16.54	10.07	32.54
37.	खमीर उद्योग	9.13	169.83	27.58	25.85	232.39
38.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	38.51	41.74	98.24	61.70	240.20
39.	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	9.09	12.31	16.22	0.26	37.88
40.	साबुन सौन्दर्य प्रसाधन	0.89	88.51	6.04	9.78	105.23
41.	रबड़ सामग्री	40.06	34.01	18.75	5.98	98.81
42.	चमडा, चमडा माल एवं पिकर्स	0.44	1.11	8.26	5.28	15.10
43.	ग्लीयू एवं जिलेटिन	0.00	0.00	0.00	1.71	1.71
44.	सीसा	8.36	0.81	1.43	10.37	20.98
45.	सेरेमिक्स	26.79	5.59	57.46	90.29	180.13
46.	सीमेंट एवं जिप्सम उत्पाद	0.16	452.08	242.69	9.43	704.36

1	2	3	4	5	6	7
47.	लकड़ी उत्पाद	0.07	0.33	0.00	0.39	0.79
48.	रक्षा उद्योग	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
49.	परामर्शदात्री सेवाएं	254.61	46.89	115.36	173.29	590.15
50.	सेवा क्षेत्र	443.55	543.42	4,663.65	3,040.81	8,691.44
51.	अस्पताल एवं नैदानिक केंद्र	25.16	32.53	38.14	219.12	314.96
52.	शिक्षा	1.91	4.53	47.29	23.23	76.96
53.	होटल एवं पर्यटन	37.01	71.78	194.83	324.02	627.65
54.	ट्रेडिंग	14.56	27.82	115.42	539.75	697.55
55.	खुदरा ट्रेडिंग (एकल ब्रांड)	0.00	0.00	0.00	1.98	1.98
56.	कृषि सेवाएं	3.83	7.59	15.11	106.38	132.90
57.	हीरे, सोने के आभूषण	8.33	15.37	61.78	37.62	123.10
58.	चाय एवं काफी (काफी एवं रबड़ का प्रसंस्करण एवं भण्डारण)	0.00	1.43	6.20	18.94	26.57
59.	पुस्तकों का मुद्रण (लिथो मुद्रण उद्योग सहित)	12.03	9.52	51.19	19.50	92.25
60.	क्वायर	0.47	0.59	0.04	0.01	1.12
61.	निर्माण कार्यकलाप	152.00	150.58	985.36	1,313.32	2,601.26
62.	हाउसिंग एवं रीयल एस्टेट (काम्पलैक्स, मल्टीप्लेक्स, समेकित टाउनशिप्स एवं वाणिज्यक काम्प्लैस इत्यादि शामिल हैं)	0.00	38.04	467.34	1,635.66	2,141.04
63.	विविध उद्योग	123.91	198.92	319.62	361.54	1,004.00
	उप-योग	**3,218.69**	**5,539.72**	**12,491.77**	**14,467.16**	**35,717.33**
64.	अंतःप्रवाह का अग्रिम	540.25	0.00	0.00	0.00	540.25
65.	स्टॉक स्वप्पड	0.00	6.23	3,234.42	0.17	3,240.82
	कुल योग	3,758.94	5,545.95	15,726.19	14,467.33	39.498.40

टिप्पणी: कृषि सेवाओं में पुष्प कृषि, बागवानी और संकर बीज एवं पौध रोपण सामग्री शामिल हैं।

निजी दूरसंचार कंपनियों द्वारा भ्रामक प्रचार

3967. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

श्री वी.के. दुग्मर:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ निजी कंपनियां विज्ञापनों तथा विपणन अभियानों के माध्यम से लोगों को बरगला रही हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) सरकार द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) का गठन किन उद्देश्यों से किया गया है;

(घ) इस प्राधिकरण द्वारा इन भ्रामक कैम्पेनों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज की तारीख तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क), (ख) और (घ) से (च) कंपनियों द्वारा दूरसंचार सेवाओं की उपलब्धता एवं उनके विपणन में रखी जाने वाली पारदर्शिता सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपने गठन के समय से ही अनेक ऐसे उपाय किए हैं जिससे उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए सेवाओं की पेशकश में पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके। इन उपायों के अंतर्गत समय-समय पर जारी किए जाने वाले विनियम, निदेश, आदेश एवं सलाह शामिल हैं, जो एक सतत प्रक्रिया है। ट्राई द्वारा उपभोक्ता पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए जिन महत्वपूर्ण उपायों के संबंध में आदेश दिए गए वे निम्नलिखित हैं:-

(i) ट्राई ने "आजीवन वैधता" नाम से शुरू किए गए प्रशुल्क प्लानों के बारे में भ्रम को दूर करने के आशय से दिनांक 21 मार्च, 2006 को अधिसूचित दूरसंचार प्रशुल्क आदेश 43वां संशोधन के तहत विनियामक दिशा-निर्देश जारी किए। "आजीवन या असीमित वैधता" के नाम से प्रस्तुत, बाजार में लांच की गई या ऑफर किए गए सभी "प्रशुल्क प्लान" की सुविधा उपभोक्ता को मौजूदा लाइसेंस या नवीकृत लाइसेंस के तहत ऐसी दूरसंचार सेवा के उपलब्ध रहने की अनुमत अधिकतम अवधि तक प्राप्त होगी। सेवा प्रदाताओं को अपने उपभोक्ताओं को उनके लाइसेंस की समाप्ति की मौजूदा अवधि के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया।

(ii) प्रशुल्क संबंधी सभी प्रचार/विज्ञापन विनिर्दिष्ट प्रारूप में ही दिए जाएंगे तथा इनमें दिनांक 2 मई, 2005 के निदेश के तहत कतिपय आवश्यक सूचना भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(iii) सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों तथा छोटे बिक्री-केंद्रों पर उपलब्ध प्रशुल्क संबंधी विवरणिकाओं में दिनांक 2 मई, 2005 के निदेश के तहत प्रशुल्क प्लानों की पूर्ण जानकारी दी जाएगी।

(iv) दिनांक 3 मई, 2005 एवं 30 अक्तूबर, 2007 के निदेश के तहत, उपभोक्ता की स्पष्ट सहमति के बिना उसे कोई प्रभार्य मूल्य वर्द्धित सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

(v) दिनांक 3 मई, 2007 के निदेश के तहत, सभी प्रचारों/विज्ञापनों में प्रीमियम दर सेवा की पल्स दर/प्रशुल्क के बारे में जानकारी दी जाएगी।

(vi) सेवा प्रदाता अपने प्रशुल्क प्लान की पूर्ण जानकारी सेवा के एक्टिवेट होने से एक सप्ताह की अवधि के भीतर उपभोक्ता को लिखित में देंगे। चयनित पैकेज में प्रशुल्क के किसी भी मद/पहलू में परिवर्तन के बारे में भी दिनांक 29 जून, 2005 के निदेश के तहत उपभोक्ता को लिखित रूप से सूचित किया जाएगा।

(vii) दिनांक 16 सितंबर, 2005 के निर्देश के अनुसार किसी भी प्रशुल्क योजना की पेशकश, प्रस्तुतीकरण, विपणन अथवा विज्ञापन इस ढंग से नहीं किया जाएगा जिससे उपभोक्ताओं के भ्रम में पड़ने की संभावना हो।

(viii) सभी मासिक स्थिर आवर्ती शुल्क जो किसी दी हुई योजना के अंतर्गत किसी उपभोक्ता के लिए

अनिवार्य हों, को दिनांक 16 सितंबर, 2005 के निर्देशानुसार एक शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाएगा।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा अधिदेशित विनियमों, निर्देशों, आदेशों के अनुपालन को ध्यानपूर्वक मॉनीटर किया जाता है। ट्राई ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अधिसंख्य मामलों में हस्तक्षेप किया है। सेवा प्रदाताओं ने ट्राई के इन हस्तक्षेपों के प्रति तत्परतापूर्वक अनुकूल कार्रवाई की है और जरूरी संशोधन किए हैं। समग्र रूप से, ट्राई द्वारा समय-समय पर की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा में पारदर्शिता बढ़ी है। हाल ही में (29 जनवरी, 2008 को), ट्राई ने "अभिगम सेवा व्यवस्था में अनेकानेक प्रशुल्क पेशकशों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों" विषय पर एक परामर्श प्रक्रिया प्रस्तुत की है। इस प्रयास का उद्देश्य और अधिक पारदर्शिता लाना है।

(ग) जैसा कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 में परिकल्पना की गई है भारत के दूरसंचार विनियामक ट्राई की स्थापना का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना, दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और दूरसंचार क्षेत्र तथा उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों के क्रमबद्ध विकास को बढ़ावा देना एवं सुनिश्चित करना है। स्वयं दूरसंरचार क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व विकास से यह तथ्य स्पष्ट है कि ये उद्देश्य ट्राई की कार्य योजना में सर्वोपरि हैं।

रक्षा सेवाओं में पदोन्नति

3968. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा सेवाओं में जवानों को पदोन्नति के अवसर नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या स्पष्टीकरण है;

(ग) वह उच्चतम पद कौन सा है जहां तक कोई जवान अपनी सेवा के दौरान पदोन्नति पा सकता है; और

(घ) रक्षा कार्मिकों के सामने पदोन्नति के अवसरों की कमी के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सशस्त्र बलों में अफसर रैंक से निचले कार्मिकों को पदोन्नति के अवसर दिए जाते हैं बशर्ते वे निर्धारित पात्रता मानदण्ड पूरा करते हों। सेना, नौसेना और वायुसेना में क्रमशः सूबेदार मेजर, मास्टर चीफ पेटी अफसर प्रथम श्रेणी (एम.सी.पी.ओ.-1) और मास्टर वारंट अफसर उच्च पद हैं, जिन पर अफसर रैंक से निचले कार्मिक अपने सेवाकाल के दौरान पदोन्नति पा सकते हैं। इसके अलावा, सभी तीनों सेनाओं के अफसर रैंक से निचले कार्मिक अपेक्षित चयन मानदंड पूरा करने पर अफसर के रूप में पदोन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, रक्षा सेनाओं में अफसर रैंक से निचले सभी कार्मिकों के लिए सुनिश्चित कैरियर पदोन्नति का प्रावधान विद्यमान है। तथापि, अफसर रैंक से निचले कार्मिकों की सेवा शर्तों और पदोन्नति संबंधी अवसरों में सुधार करना एक सतत् प्रक्रिया है।

कॉल दरों में कमी

3969. श्री वी.के. दुग्मर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी मोबाइल प्रचालकों ने हाल ही में स्थानीय, एस.टी.डी. तथा आई.एस.डी. कॉल दरों में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भी ऐसा करेंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) स्थानीय, एस.टी.डी. और आई.एस.डी. कॉल दरों का निर्धारण सेवा प्रदाताओं के निर्णय पर निर्भर करता है और इन्हें बाजार की प्रचलित शक्तियों के अनुसार विभिन्न प्रशुल्क पैकेजों के तहत प्रचालकों द्वारा निरंतर संशोधित/कम किया जाता रहा है। हाल ही में अधिकांश निजी मोबाइल प्रचालकों ने काल दरें कम की हैं।

(ग) और (घ) ग्राहकों की जरूरतों, बाजार की प्रचलित परिस्थितियों और ट्राई के दिशा-निर्देशों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां भारत संचार निगम लिमिटेड

और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड समय-समय पर प्रशुल्कों की समीक्षा करती हैं। हाल ही में बी.एस.एन.एल. ने सर्किल के भीतर अन्य नेटवर्कों को की जाने वाली कॉलों के लिए प्रीपेड सामान्य सेल्युलर सेवा के तहत स्थानीय कॉल प्रभारों को 1.20 रु. से घटाकर 0.90 रु. कर दिया है।

[अनुवाद]

लघु बचत खातों में बढ़ोत्तरी

3970. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय डाक के पश्चिम बंगाल सर्किल में पिछले वर्ष के दौरान कम से कम सात लाख लघु बचत खाते बंद हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डाकघरों में लघु बचत खातों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) जी हां।

(ख) खातों की संख्या में कमी का कारण अन्य बातों के साथ-साथ, निवेशक का प्रभावी बचतों के लिए वैकल्पिक लिखतों को चुनना है।

(ग) हाल ही में सरकार द्वारा लघु बचत की प्रवृत्ति को बढ़ाने तथा लघु बचत योजनाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(i) वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत एक ही कलैंडर वर्ष के दौरान एक से अधिक खाते खोलने पर लगे प्रतिबंध को 24 मई, 2007 से हटाया गया है।

(ii) सभी श्रेणियों के पेंशनभोगियों को डाकघर बचत खाता नियमों के तहत 11 जुलाई, 2007 से 'पेंशन खाता' खोलने और उसका रखरखाव करने की अनुमति दी गई है।

(iii) डाकघर मासिक आय खाता (पी.ओ.एम.आई.ए.) योजना के अंतर्गत परिपक्वता अवधि से पहले धन निकासी पर जुर्माने को तीन वर्षों के पूरा होने के दिन या इससे पहले की निकासी पर 3.5% से घटाकर 2% तथा तीन वर्षों के पूरे होने के बाद की निकासी पर 1% कर दिया गया है।

(iv) डाकघर मासिक आय खाता (पी.ओ.एम.आई.ए.) योजना में जमा राशि की अधिकतम सीमा को एकल एवं संयुक्त खातों के संबंध में क्रमश: 3.00 लाख रु. एवं 6.00 लाख रु. से बढ़ा कर 4.50 लाख रु. एवं 9.00 लाख रु. किया गया है।

(v) डाकघर मासिक आय खाता (पी.ओ.एम.आई.ए.) योजना के अंतर्गत 8 दिसंबर, 2007 को अथवा इसके बाद जमा की गई राशि पर जमाराशि की परिपक्वता के बाद 5% बोनस पुन: लागू किया गया है।

(vi) 01-04-2007 से 5 वर्षीय डाकघर सावधिक जमा खातों और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के लाभ का विस्तार इन तक किया गया है।

(vii) इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ-साथ संगोष्ठियों एवं बैठकों के आयोजन, लघु बचत योजनाओं आदि के लिए धन संग्रहण में शामिल विभिन्न एजेंसियों को प्रशिक्षण प्रदान कर इन योजनाओं को प्रोत्साहित करने एवं लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

(viii) लघु बचत संबंधी सूचनाओं के प्रचार-प्रसार से लोगों से संपर्क बनाने तथा निवेशकों की शिकायतों के ऑन-लाइन पंजीकरण एवं निपटान हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय बचत संस्थान की एक वेब साइट शुरू कर दी गई है। वेब साइट का पता nsiindia.gov.in है।

ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण

3971. श्री नन्द कुमार साय:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मार्च 2008 के महने में ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पर्यावरण पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कई देशों ने इस प्रक्षेपास्त्र की खरीद में दिलचस्पी दिखाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र की पोत से सतह पर लक्ष्य भेदन की अतिरिक्त क्षमता को सिद्ध करने के लिए एक उड़ान-परीक्षण किया गया था। इस मिशन को उच्च परिशुद्धता के साथ, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरणीय संरक्षण को ध्यान में रखते हुए निष्पादित किया गया था। इस मिशन से प्रक्षेपास्त्र की परिपूर्णता सिद्ध हुई। पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण को कोई हानि नहीं हुई थी।

(घ) और (ङ) कई देशों ने इस उत्पाद में दिलचस्पी दिखाई है। भारत और रूस दोनों देशों की सरकारों को यह तय करने के लिए संयुक्त निर्णय लेना होगा कि किन-किन देशों को प्रक्षेपास्त्र का निर्यात किया जा सकता है।

[हिन्दी]

दालों का उत्पादन

3972. श्री दलपत सिंह परस्ते:

डा. चिन्ता मोहन:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां पर चावल और दालों का उत्पादन और फसल भारी मात्रा में होती है;

(ख) क्या सरकार ने गेहूं, चावल तथा दालें, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर जैसी दालों की वार्षिक आवश्यकता के संबंध में कोई मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार दालों के लिए अतिरिक्त क्षेत्र मुहैया कराकर धान के परती खेतों का उपयोग करके और अन्य फसलों के साथ दालों की फसल लगाकर राज्यों को दालों का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय दाल मिशन पर कितनी राशि खर्च की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) राज्यों के ब्यौरे जहां 2006-07 के दौरान चावल का उत्पादन 1 मिलियन टन से अधिक है तथा दालों का उत्पादन 5 लाख टन से अधिक है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) व्यवहारिक एप्रोच के आधार पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (2007-08) तथा अन्तिम वर्ष (2011-12) के दौरान गेहूं, चावल तथा दालों की मांग निम्न सारणी में दी गई है:

(मिलियन टन)

वर्ष	गेहूं	चावल	दालें
2007-08	71.19	90.91	16.77
2011-12	77.36	98.79	19.91

मांग के राज्यवार तथा दालवार विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) से (च) सरकार ने रबी 2007-08 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) प्रारम्भ किया है जिसका आमने-सामने उद्देश्य, दालों के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाने, भूरे चावल के उपयोग तथा 1239.88 करोड़ रुपए के कुल योजना परिव्यय के अनुसार देश के 14 राज्यों में चुनिन्दा 170 जिलों में अन्य फसलों के साथ दालों की अन्तर्फसल के द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक दालों का उत्पादन 2 मिलियन टन बढ़ाना है। 2007-08 के दौरान 104.63 करोड़ रुपए के आबंटन के विरुद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम.) दालों के अन्तर्गत 103.65 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस राशि के अतिरिक्त 106 लाख रुपए की राशि भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान, कानपुर तथा 88 लाख रुपए आई.सी.आर.आई. एस.ए.टी. को 2007-08 के दौरान देश में दाल उत्पादन के सुधार के लिए जारी की गई है।

विवरण

2006-07 के दौरान चावल का अनुमानित क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज

राज्य	क्षेत्र (000 हैक्टेयर)	उत्पादन (000 टन)	उपज (किलोग्राम./हैक्टेयर))
पश्चिम बंगाल	5687.0	14745.9	2593
आन्ध्र प्रदेश	3978.0	11872.0	2984
उत्तर प्रदेश	5920.6	11124.0	1879
पंजाब	2621.0	10138.0	3868
उड़ीसा	4450.3	6824.7	1534
तमिलनाडु	1931.4	6610.6	3423
छत्तीसगढ़	3723.6	5041.4	1354
बिहार	3357.1	4989.3	1486
कर्नाटक	1395.0	3446.0	2470
हरियाणा	1041.0	3371.0	3238
झारखण्ड	1623.6	2967.8	1828
असम	2189.0	2916.0	1332
महाराष्ट्र	1529.0	2569.0	1680
गुजरात	734.0	1390.0	1894
मध्य प्रदेश	1661.3	1368.4	824
अन्य	1971.7	3981.2	2019
समस्त भारत	43813.6	93355.3	2131

2006-07 के दौरान दालों का अनुमानित क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज

राज्य	क्षेत्र (000 हैक्टेयर)	उत्पादन (000 टन)	उपज (किलोग्राम./हैक्टेयर))
1	2	3	4
मध्य प्रदेश	4108.1	3203.1	780

1	2	3	4
महाराष्ट्र	3828.0	2304.0	602
उत्तर प्रदेश	2724.3	1975.1	725
राजस्थान	3207.6	1481.3	462
आन्ध्र प्रदेश	1984.0	1347.0	679
कर्नाटक	2369.0	893.0	377
गुजरात	1000.0	593.0	593
अन्य	3970.7	2401.0	605
समस्त भारत	23191.7	14197.5	612

[अनुवाद]

कृषि उत्पाद

3973. श्री मधु गौड यास्खी:

श्री नरहरि महतो:

श्री सुब्रत बोस:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) प्राक्कलनों के अनुसार विकासशील राष्ट्रों में कृषि उत्पादन का मूल्य संयुक्त राज्य जैसे विकसित राष्ट्रों से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो सस्ता भोजन करवाने, गरीबी घटाने और कृषकों को रोजगार मुहैया करवाने के लिए कृषि उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्यों को आगामी खरीफ के मौसम में उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने के लिए अन्तर फसल लगाने सहित श्रेष्ठ कृषि व्यवहार को बढ़ावा देने हेतु कोई सलाह दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार अंतर फसल लगाने के कारण कृषकों को पर्याप्त लाभ मिलने के मामले में जोखिम उठाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) विकास हेतु कृषि पर विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2008 में उपलब्ध सूचना के अनुसार कृषि उत्पादकता प्रति कामगार 2001-03 में निम्न तथा मध्यम वर्गीय आय वाले देशों के लिए अधिक आय वाले देशों के लिए 24,438 अमरीकी डालर की तुलना में 557 अमरीकी डालर थी।

भारत सरकार ने कृषि क्षेत्र के पुर्नजीवन हेतु दो नयी स्कीमें नामत: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, खाद्यान्नों के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि लाने के लिए तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए ताकि कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र में लोकनिवेश बढ़ाया जा सके, नियोजित तथा व्यवस्थापक कृषि की प्रक्रिया एवं संबंद्ध क्षेत्रीय स्कीमों में राज्यों के लिए उदारता एवं स्वायत्ता प्रदान की जा सके एवं किसानों को अधिकतम आय प्राप्त करवाने के लिए नए कदम उठाए हैं।

(ग) से (ङ) फरवरी, 2008 में खरीफ फसल 2008 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन में राज्यों को खरीफ उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए समय पर सभी प्रकार के आवश्मयक कदम उठाने की सलाह दी गयी है। इनमें निवेश संबंधी आपूर्ति सुनिश्चित करना, विस्तार नेटवर्क बढ़ाना

एवं उत्तम कृषि अर्थव्यवस्था कार्यों में सुधार लाना शामिल है।

विभिन्न स्कीमों यथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कपास पर प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन-2 तथा पटसन प्रौद्योगिकी मिशन का मिनीमिशन के माध्यम से अनुकूल अंत:फसल दर्शाने वाली समुचित उत्पादन प्रौद्योगिकी को क्षेत्रीय प्रदर्शन, किसानों एवं प्रसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से लोक प्रिय बनाया गया है।

[हिन्दी]

एकल डाकघर को बंद करना

3974. श्री गिरधारी लाल भार्गव:

श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक नेटवर्क सेवाओं को कार्यकुशल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं योजना के दौरान इस संबंध में क्या करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में एकल डाकघरों को बंद करने जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने एकल डाकघरों को बंद किया गया है: और

(च) देश में उक्त 'एकल डाकघरों' को बंद करने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी हां। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरे देश में-

(i) 3000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर,

(ii) 2000 विभागीय उप डाकघर और

(iii) 10000 फ्रेंचाइजी आउटलेट खोलने प्रस्तावित हैं।

उपर्युक्त (i) में दिए गए 3000 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर मुख्यत: देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने प्रस्तावित हैं।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में एकल डाकघरों को बंद करने का कोई सामान्य नीति निर्णय नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) विगत तीन वर्षों अर्थात् 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान केवल 9 एकल डाकघर बंद किए गए हैं। राज्य/सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) डाकघरों को कभी-कभार अत्यंत असाधारण एवं अपरिहार्य परिस्थितियों जैसे किसी बांध का निर्माण कार्य पूरा होना, जीर्ण-शीर्ण कार्यस्थल, भवन खाली करने के अदालती आदेश और निकटवर्ती अन्य डाकघरों का उपलब्ध होना, में बंद किया जाता है।

विवरण

बंद किए गए एकल डाकघरों की सर्किलवार संख्या

क्र. सं.	सर्किल	बंद किए गए डाकघरों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य
2.	असम	शून्य
3.	बिहार	शून्य
4.	छत्तीसगढ़	शून्य
5.	दिल्ली	शून्य
6.	गुजरात	शून्य
7.	हरियाणा	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य
9.	जम्मू-कश्मीर	शून्य

1	2	3
10.	झारखण्ड	शून्य
11.	कर्नाटक	शून्य
12.	केरल	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	2
14.	महाराष्ट्र	1
15.	उत्तर पूर्व	6
16.	उड़ीसा	शून्य
17.	पंजाब	शून्य
18.	राजस्थान	शून्य
19.	तमिलनाडु	शून्य
20.	उत्तर प्रदेश	शून्य
21.	उत्तराखण्ड	शून्य
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य
	कुल	9

[अनुवाद]

कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम

3975. श्री सुभाष महरिया: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता मुहैया कराने के लिए प्रणाली की खामियों को सुधारने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने चम्बल कमान क्षेत्र की 36-कैनल प्रणाली के लिए प्रणाली की खामियों को सुधारने हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो इस उद्देश्य से आबंटित निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार व्यय के अनुसार प्रतिवर्ष निधियों की प्रतिपूर्ति करने का है ताकि निधियों की कमी से कार्य प्रभावित न हो और उससे तुरंत लाभ मिलना प्रारंभ हो जाए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजना के कब तक प्रारंभ होने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) जी, हां।

(ख) दिशानिर्देश के अनुसार, 4.25 क्यूमेक (150 क्यूसेक) तक की क्षमता के माइनरों और वितरिकाओं में प्रणाली दोष का सुधार करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रणाली दोष का सुधार कार्य केवल उन्हीं वितरिकाओं/माइनरों में किया जाना है जहां पर वैधानिक जल प्रयोक्ता संघों (डब्ल्यू.यू.ए.एस.) का गठन कर लिया गया है और माइनर/वितरिका स्तर पर उनके परिसंघ सक्रिय रहे हैं। इसके अतिरिक्त केवल उन्हीं वितरिकाओं/माइनरों में कार्य किया जा सकता है जिसके अंतर्गत खेत संबंधी विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही वितरिका/माइनर समितियां प्रणाली दोष के सुधार के पश्चात प्रणाली संबंधी कार्य अपने हाथ में लेंगी।

(ग) और (घ) राजस्थान सरकार ने चम्बल कमान क्षेत्र की 40 नहर प्रणालियों के लिए प्रणाली दोष के सुधार के वास्ते प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जिनमें से 20 वितरिकाओं/माइनरों के प्रस्ताव स्वीकृत हो गए हैं जिसमें खेत संबंधी विकास कार्य पूरे कर लिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों एवं अनुमोदित प्रस्ताव का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) राज्य सरकार को निधि की प्रतिपूर्ति तभी की जाएगी जब सिंचाई अधिनियम 2000 के प्रबंधन में राजस्थान के किसानों की भागीदारी के अंतर्गत गठित वैधानिक जल प्रयोक्ता संघों की प्रणाली सौंप दी जाती है।

(च) अनुमोदित की जा चुकी परियोजनाओं को राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान पूरा किए, जाने की संभावना है।

विवरण

केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत चम्बल परियोजना में प्रणाली दोष के सुधार के लिए राजस्थान सरकार से प्राप्त और जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित स्कीमों का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्यों से प्राप्त प्रणाली दोष के सुधार संबंधी स्कीमों का नाम	हे. में शामिल सी.सी.ए.	अनुमानित लागत रुपये लाख में	अनुमोदित अथवा नहीं	यदि अनुमोदित नहीं तो उसका कारण/स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	किशनपुरा उपशाखा	6230	250.20	हां	
2.	झालीपुरा वितरिका	8168	279.00	हां	
3.	मानसगांव वितरिका	3421	136.25	हां	
4.	दिगोड वितरिका	4789	192.00	हां	
5.	कल्याणपुरा वितरिका	3867	154.70	हां	
6.	भौंरा वितरिका	2904	116.16	हां	
7.	किशनगंज वितरिका	2840	110.00	हां	
8.	हनोतिया वितरिका	2197	87.86	हां	
9.	पलैचा वितरिका	8082	323.28	हां	
10.	अयाना वितरिका	6618	264.70	हां	
11.	बजर वितरिका प्रणाली	6770	270.80	हां	
12.	दोहित वितरिका प्रणाली	1632	65.28	हां	
13.	सुनवासा वितरिका प्रणाली	2503	100.12	हां	
14.	बलकासा वितरिका प्रणाली	6073	242.92	हां	
15.	पाटन वितरिका प्रणाली	4110	163.59	हां	
16.	चारी वितरिका प्रणाली	1275	51.00	हां	
17.	चितया और कुलिंदा वितरिका प्रणाली	5983	239.32	हां	
18.	ईश्वरनगर वितरिका	1272	55.88	हां	
19.	अरनेचा वितरिका	3176	127.04	हां	

1	2	3	4	5	6
20.	आनंतपुरा वितरिका प्रणाली	6098	243.92	हां	
21.	इटावा शाखा नहर प्रणाली	5624	224.96	नहीं	*
22.	खटोली वितरिका	4156	166.00	नहीं	*
23.	मुगेना वितरिका	1389	55.56	नहीं	*
24.	लक्ष्मीपुरा वितरिका	8775	351.00	नहीं	*
25.	मऊ वितरिका	2210	88.30	नहीं	*
26.	कंकारा वितरिका	880	35.20	नहीं	*
27.	गैंता वितरिका	5406	216.00	नहीं	*
28.	बर्नावली वितरिका	1273	50.92	नहीं	*
29.	नीमोला वितरिका	566	26.00	नहीं	*
30.	छपोल वितरिका	1221	48.84	नहीं	*
31.	कुनारी वितरिका प्रणाली	2108	84.32	नहीं	*
32.	जमीतपुरा वितरिका प्रणाली	4159	166.36	नहीं	*
33.	तलेरा वितरिका प्रणाली	1794	71.76	नहीं	*
34.	अल्फा नगर वितरिका प्रणाली	3414	136.56	नहीं	*
35.	अंधेर वितरिका प्रणाली	4126	165.04	नहीं	*
36.	खतगढ़ वितरिका प्रणाली	5051	202.04	नहीं	*
37.	दोलारा प्रणाली	3074	122.96	नहीं	*
38.	ओंकारपुरा वितरिका प्रणाली	1396	55.84	नहीं	*
39.	दयालपुरा वितरिका प्रणाली	1161	46.44	नहीं	*
40.	कापरेन शाखा 43.89 से 51.35 कि.मी. तक एवं प्रणाली	7533	301.32	नहीं	*
	कुल	153324	6089.44		

* इन स्कीमों का अनुमोदन नहीं किया गया है क्योंकि खेत संबंधी विकास कार्य पूरे नहीं हुए हैं जो कि अनुमोदन की पूर्व आवश्यकता है।

[हिन्दी]

संकर मक्का

3876. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बच्चों और गरीबों की पोषाहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में संकर मक्का का उत्पादन प्रारंभ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत सरकार गरीबों और बच्चों की पोषकीय आवश्यकताओं का संपूर्ण करने और मक्का के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1-4-2004 से देश के 15 प्रमुख मक्का उत्पादक राज्यों में केन्द्रीय प्रायोजित समेकित तिलहन, दलहन, आयल पाम एवं मक्का स्कीम (आइसोपाम) का कार्यान्वयन कर रही है। मक्का की उत्पादकता बढ़ाने के विचार से, मक्का की उच्च उत्पाद वाली किस्मों और संकरों को जिसमें उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन मक्का (एच.क्यू.पी.एम.) शामिल हैं, स्कीम के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है।

देश में किसानों के खेतों पर खेती करने के लिए प्रोटीन गुणवत्ता वाले मक्का के एच.क्यू.पी.एम.-1, एच.क्यू. पी.एम.-5, शक्तिमान-1, शक्तिमान-2, शक्तिमान-3, शक्तिमान-4 जैसे संकरों को निर्मुक्त कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र में मक्का संकरों को लोकप्रिय बनाने के लिए किसानों में निशुल्क वितरण के लिए आइसोपाम के बीज मिनीकिट घटक के अंतर्गत राज्यों को संकर मक्का के बीज मिनीकिट उपलब्ध कराये जाते हैं।

[अनुवाद]

हैंडलूम मार्क स्कीम

3977. डा. एम. जगन्नाथ: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हैंडलूम मार्क स्कीम प्रारंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या उसके प्रवर्तन में कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त समस्याओं से निपटने तथा आम जनता के बीच योजना को प्रसिद्ध करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपने उत्पादों के विपणन और बिक्री के लिए बुनकरों को कितनी वित्तीय सहायता मुहैया करवाई गयी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। भारत के माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने 28-06-2006 को हथकरघा मार्क आरंभ किया।

(ख) हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय, भारत सरकार ने 'हथकरघा मार्क' आरंभ किया जिससे क्रेता को यह गारंटी दी जाएगी कि जो उत्पाद खरीदा जा रहा है वह वास्तव में हाथ से बुना हुआ है न कि विद्युतकरघा और मिल निर्मित है। इस अर्थ में हथकरघा मार्क से हथकरघा उत्पादों को एक विशिष्ट पहचान मिलेगी और भारत तथा विदेशों में हस्त निर्मित उत्पादों की लोकप्रियता भी बढ़ेगी। हथकरघा मार्क से न केवल हथकरघा उत्पादों की बिक्री संवृद्धि में मदद मिलेगी बल्कि बुनकरों को बेहतर पारिश्रमिक भी प्राप्त होगा। हथकरघा मार्क के लिए वस्त्र समिति क्रियान्वयी एजेंसी है। बुनकर, सिद्धहस्त बुनकर, हथकरघा सहकारी समिति और निगम, हथकरघा खुदरा व्यापारी और हथकरघा निर्यातक इस योजना के पणधारी हैं और इसके हितलाभ प्राप्त कर सकते हैं। हथकरघा मार्क चिन्ह दो रूपों में है। पहले में चिन्ह के नीचे लिखित 'हथकरघा' शब्द घरेलू प्रयोग के लिए है तथा दूसरा उसी चिन्ह के साथ निर्यात के लिए है, लेकिन चिन्ह के नीचे शब्द लिखा होगा 'भारत में हस्तनिर्मित'। वस्त्र समिति हथकरघा मार्क लेबल 60 पैसे प्रति लेबल की कीमत पर पणधारियों को जारी करती है। इस योजना में हथकरघा के सभी वस्त्र और उससे निर्मित उत्पाद शामिल हैं। हथकरघा मार्क लेबल प्रत्येक हथकरघा वस्त्र, निर्मित वस्तु अथवा हाथ से बुने गए गारमेंट में लगाया जा रहा है। यह स्वैच्छिक योजना है और संपूर्ण देश में संचालित है।

उपलब्धियां: 31 मार्च, 2008 तक कुल 76,54,686 हथकरघा मार्क लेबल बेचे गए हैं; 3545 पणधारियों को पंजीकृत किया गया है तथा पहले ही पूरे देश में 500 खुदरा दुकानदार हथकरघा मार्क युक्त हस्तनिर्मित उत्पादों को बेच रहे हैं।

(ग) और (घ) हथकरघा मार्क को लागू करने से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। बुनकरों और सामान्य जनता में इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए 29 हथकरघा समूह स्तरीय संगोष्ठियां, 3 राज्य स्तरीय संगोष्ठियां/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्रों में विज्ञापन देश भर में दिए गए हैं ताकि पणधारियों में इस योजना को लोकप्रिय बनाया जाए। इसके अलावा, देश भर में हथकरघा मार्क को उपभोक्ताओं में लोकप्रिय बनाने के लिए अंग्रेजी, हिंदी, देशी भाषाओं के पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन दिए गए हैं। इसके अलावा, मिलान फैशन वीक, विल्स लाइफस्टाइल फैशन वीक, हेमटेक्सिटल फ्रेंकफर्ट, इंडिया @60 समारोह, न्यूयार्क आदि जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभागिता आयोजित की गई ताकि उपभोक्ताओं, आयातकों और निर्यातकों आदि में हथकरघा मार्क को लोकप्रिय बनाया जाए।

(ङ) हथकरघा मार्क के अंतर्गत पणधारियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। तथापि, बुनकरों और सिद्धहस्त बुनकरों के लिए एककालिक पंजीकरण शुल्क क्रमशः 100 रुपए और 500 रुपए है। इसके अलावा, हथकरघा मार्क लेबल की कीमत 60 पैसे प्रति लेबल कर दी गई है।

अवांछित कॉल्स हेतु अर्थदण्ड

3978. श्री उदय सिंह: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री (एन.डी.एन.सी.) में दर्ज मोबाइल उपभोक्ताओं को अवांछित कॉल्स और एस.एम.एस. करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और टेलीमार्केटर्स पर भारी अर्थदण्ड लगाने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और टेलीमार्केटर्स पर अर्थदण्ड लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विनियामक द्वारा पहले जारी विनियमों का अनुपालन और प्रवर्तन नहीं हो पाया था;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सेवा प्रदाताओं ने इस संदर्भ में सरकार के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए/उठाये जा रहे कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अवांछित कॉलों से होने वाली असुविधा को रोकने के लिए जून, 2007 में "दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संचार विनियम, 2007" जारी किया है। इन विनियमों का और अधिक प्रभावी ढंग से अनुपालन करने की दृष्टि से निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

(i) पंजीकृत टेलीमार्केटिंग करने वालों को अवांछित वाणिज्यिक संचार करने से रोकने के लिए दूरसंचार प्रशुल्क आदेश (47वां संशोधन) जारी किया गया है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

- यदि टेलीमार्केटिंग करने वाले द्वारा पहली बार अवांछित वाणिज्यिक संचार किया गया हो तो सेवा प्रदाता को उसके प्रशुल्क के रूप में 500 रु. का भुगतान किया जाए।
- यदि टेलीमार्केटिंग करने वाले द्वारा दूसरी बार (बाद में) अवांछित वाणिज्यिक संचार किया गया हो तो सेवा प्रदाता को उसके प्रशुल्क के रूप में 1000 रु. का भुगतान किया जाए।
- यदि सेवा प्रदाता द्वारा 500 रु. और 1000 रु. का निर्धारित प्रशुल्क अधिरोपित करने के बाद भी अवांछित वाणिज्यिक संचार करना बंद नहीं हुआ हो तो सेवा प्रदाता द्वारा टेलीमार्केटिंग करने वाले की दूरसंचार सुविधाओं के कनेक्शन काट दिए जाएं।

(ii) यदि सेवा प्रदाता उपर्युक्त विनियमों के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है और प्राधिकरण को कोई शिकायत की जाती है तो सेवा प्रदाता पर वित्तीय

जुर्माने के रूप में कोई राशि अधिरोपित की जा सकती है (पहली बार अनुपालन नहीं करने पर ऐसी राशि जो पांच हजार रुपए से अधिक न हो और दूसरी बार अथवा बाद में अनुपालन नहीं किए जाने पर ऐसे प्रत्येक अनुपालन न करने के मामले में ऐसी राशि जो बीस हजार रुपए से अधिक न हो)।

(ग) जहां तक टेलीमार्केटिंग करने वालों पर अर्थदंड लगाए जाने का संबंध है, ट्राई के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, सेवा प्रदाताओं द्वारा टेलीमार्केटिंग करने वालों के विरुद्ध ट्राई के दूरसंचार प्रशुल्क आदेश के अनुसार कार्रवाई की गई है। जहां तक सेवा प्रदाता के लिए वित्तीय जुर्माने का संबंध है, इस विनियम का संशोधन सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होना था। यह संशोधन 09-04-2008 को ही राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

(घ) सेवा प्रदाताओं द्वारा टेलीमार्केटिंग करने वालों के विरुद्ध दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संचार विनियम, 2007 का उल्लंघन करने पर 31-03-2008 की स्थिति के अनुसार की गई कार्रवाई का ब्यौरा:-

(i)	पंजीकृत टेलीमार्केटिंग करने वालों को जारी किए गए चेतावनी पत्रों की संख्या	= 11346
(ii)	जिन पंजीकृत टेलीमार्केटिंग करने वालों पर 500/-रु. प्रभारित किए गए उनकी सं.	= 1026
(iii)	जिन पंजीकृत टेलीमार्केटिंग करने वालों की लाइनें काटी गईं उनकी संख्या	= 321
(iv)	जिन अपंजीकृत टेलीमार्केटिंग करने वालों की लाइनें काटी गईं उनकी संख्या	= 718

(ङ) और (च) जी, नहीं। पहले जारी किया गया विनियम असफल नहीं रहा। मार्च, 2008 में ट्राई के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, टेलीमार्केटरों द्वारा औसतन प्रतिदिन 20 से 25 मिलियन नंबर नैशनल डू नॉट कॉल (एन.डी.एन.सी.) रजिस्ट्री में जमा कराए गए। ये नंबर डू नॉट कॉल सूची की श्रेणी में आते हैं।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, लगभग 10 मिलियन उपभोक्ताओं ने नैशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में पंजीकरण करवाया है। इसके अतिरिक्त, सेवा प्रदाताओं ने सूचित किया है कि 29 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, उन्हें केवल 29,665 शिकायतें मिली हैं जो एन.डी.एन.सी. में पंजीकृत कुल उपभोक्ताओं का केवल 0.29% की है।

अत: प्रमुख विनियम के अनुपालन को प्रभावी बनाने के लिए ट्राई ने दूरसंचार अवांछित वाणिज्यिक संचार (संशोधन) विनियम, 2008 (2008 का 1) लाकर वित्तीय जुर्माने के रूप में राशि का भुगतान करने के लिए सेवा प्रदाता को उत्तरदायी बनाने का निर्णय लिया है।

(छ) जी, नहीं।

(ज) उपर्युक्त भाग (छ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

डी.आर.डी.ओ. का कार्यकरण

3979. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) के कार्यकरण की जांच करने के लिए गठित पी. रामाराव समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक स्वीकृत और कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) जी, हां। डा. पी. रामाराव समिति ने 05 मार्च 2008 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है।

नई स्पैक्ट्रम नीति

3980. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल ही में घोषित स्पेक्ट्रम नीति और उसमें पाई गयी कमियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार के स्पेक्ट्रम के आबंटन के लिए क्या मानदण्ड बनाया गया है;

(ग) क्या हाल ही में विभिन्न दूरसंचार प्रचालकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) स्पेक्ट्रम नीति की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है; और

(च) नई और आशोधित नीति कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (घ) मोबाइल दूरसंचार सेवाओं के लिए प्रारंभिक स्पैक्ट्रम एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस (यू.ए.एस.एल.) के संगत प्रावधानों के अनुसार आवंटित किया जा रहा है, बशर्ते कि स्पैक्ट्रम उपलब्ध हो। सेवा का विकास होने तथा उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि होने पर, सक्रिय उपभोक्ताओं की संख्या, प्रचालक के नेटवर्क के अधिकतम परियात, सेवा क्षेत्र की जनसांख्यिकीय विशिष्टताओं पर आधारित पात्रता मानदंडों के अनुसार अतिरिक्त स्पैक्ट्रम, यदि उपलब्ध हो, का आवंटन किया जाता है। इन मानदंडों की समीक्षा संगत कारकों और तकनीकी विकासों को ध्यान में रखकर समय-समय पर की जाती है। अद्यतन मानदंड जनवरी, 2008 में जारी किए गए हैं।

(ङ) और (च) इस समय, सेवा प्रदाता स्पेक्ट्रम प्रभारों का भुगतान अपने समायोजित सकल राजस्व की प्रतिशतता/हिस्से के आधार पर कर रहे हैं। विभिन्न संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्पेक्ट्रम प्रभारों की समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना करना

3981. श्री महावीर भगोरा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा देश में मुहैया कराए गए कनेक्शन सहित इस अवधि में फिक्स्ड लाइन, डब्ल्यू.एल.एल. और जी.एस.एम. कनेक्शन मुहैया करवाने के लिए निर्धारित लक्ष्य का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मुहैया करवाए जा रहे कनेक्शनों के अनुरूप अवसंरचना की स्थापना भी की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सर्किल वार लक्ष्य और उपलब्धियों के ब्यौरे क्रमशः विवरण-I, II, III और IV में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा जोड़ी गई सज्जित क्षमता निम्नानुसार है:-

(यूनिट लाख में)

मद	बी.एस.एन.एल.		
	2005-66	2006-67	2007-68
तारयुक्त लाइन	2.87	-0.95	-5.66
डब्ल्यू.एल.एल.	12.86	13.78	19.52
जी.एस.एम.	98.61	76.55	51.02
डब्ल्यू.एल.एल. बी.टी.एस.	1715	837	2949
जी.एस.एम. बी.टी.एस.	8636	9474	5090

	एम.टी.एन.एल.		
	2005-66	2006-67	2007-68
स्थिर लाइन डब्ल्यू.एल.एल. और जी.एस.एम. सहित समेकित क्षमता	10.85	6.7	7.7

विवरण-I

विगत तीन वर्षों के लिए तारयुक्त लाइनों का सर्किलवार एम.ओ.यू. संबंधी लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र. सं.	सर्किल/मेट्रो जिले का नाम	2005-06		2006-07		2007-08	
		एम.ओ.यू. लक्ष्य	उपलब्धि	एम.ओ.यू. लक्ष्य	उपलब्धि	एम.ओ.यू. लक्ष्य	अनंतिम उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान व निकोबार	87	362	100	-6,699	534	-6,767
2.	आन्ध्र प्रदेश	2,185	-145,268	20,600	-257,893	35,130	-315,112
3.	असम	4,498	8,516	3,700	-17,418	11,138	-72,078
4.	बिहार	28,303	85,396	19,400	-50,425	22,010	-13,305
5.	छत्तीसगढ़	728	419	600	-11,792	5,793	-17,279
6.	गुजरात	12,332	-109,981	8,300	-201,231	29,737	-214,776
7.	हरियाणा	9,669	6,777	15,500	-96,748	17,303	-77,888
8.	हिमाचल प्रदेश	905	-1,865	1,200	-22,175	10,005	-42,662
9.	जम्मू-कश्मीर	9,173	2,366	4,200	-7,061	6,546	-35,974
10.	झारखण्ड	2,935	14,864	6,000	-20,971	9,671	-2,809
11.	कर्नाटक	10,175	-66,352	21,500	-157,309	31,338	-162,512
12.	केरल	75,625	143,800	49,800	61,870	62,838	-44,448
13.	मध्य प्रदेश	3,054	2,183	13,100	-35,754	22,105	-73,734
14.	महाराष्ट्र	15,455	12,908	31,900	-129,310	48,136	-340,493
15.	पूर्वोत्तर-I	1,455	3,050	1,200	2,976	4,402	1,321
16.	पूर्वोत्तर-II	1,597	-793	1,500	-789	3,335	-22,496
17.	उड़ीसा	7,464	18,844	5,400	-14,601	17,084	-3,953
18.	पंजाब	19,435	-131,731	19,100	-224,213	26,898	-163,163
19.	राजस्थान	30,121	-28,938	25,900	-89,308	28,727	-92,590
20.	तमिलनाडु	6,805	6,501	8,900	-173,822	31,843	-246,648

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	उत्तराखण्ड	1,797	1,038	1,200	-20,480	7,260	-21,361
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	22,267	-61,548	17,600	-76,938	26,145	-54,491
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	9,129	-101,035	4,200	-116,967	17,208	-72,743
24.	पश्चिम बंगाल	35,652	8,539	29,200	-34,177	20,943	-91,976
25.	कोलकाता	4,174	329	16,700	16,716	16,484	53
26.	चेन्नै	1,391	-104,974	1,200	234	12,387	567
	बी.एस.एन.एल.	316,411	-436,593	328,000	-1,684,285	525,000	-2,187,317

विवरण-II

विगत तीन वर्षों के लिए डब्ल्यू.एल.एल. की सर्किलवार एम.ओ.यू. संबंधी लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र. सं.	सर्किल/मेट्रो जिले का नाम	2005-06		2006-07		2007-08	
		एम.ओ.यू. लक्ष्य	उपलब्धि	एम.ओ.यू. लक्ष्य	उपलब्धि	एम.ओ.यू. लक्ष्य	अनंतिम उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान व निकोबार	175	443	300	-509	2,917	4,036
2.	आन्ध्र प्रदेश	25,363	46,577	40,000	24,028	58,333	73,328
3.	असम	6,621	17,993	7,500	34,012	23,333	19,253
4.	बिहार	40,864	31,927	40,600	22,694	43,750	35,187
5.	छत्तीसगढ़	1,129	9,366	7,500	25,295	29,167	25,031
6.	गुजरात	17,239	47,028	28,700	30,470	58,333	43,527
7.	हरियाणा	36,069	12,442	18,800	20,449	17,500	14,303
8.	हिमाचल प्रदेश	23,857	27,034	14,900	12,917	20,417	30,607
9.	जम्मू-कश्मीर	12,470	21,804	8,400	32,717	23,333	35,375
10.	झारखण्ड	4,589	6,171	11,300	17,869	14,583	21,046
11.	कर्नाटक	34,970	54,410	63,000	55,651	58,333	100,684

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	केरल	182,446	155,875	76,800	122,489	116,667	120,758
13.	मध्य प्रदेश	9,517	84,584	26,000	67,961	87,500	116,066
14.	महाराष्ट्र	65,497	63,127	62,400	142,008	87,500	39,159
15.	पूर्वोत्तर-I	2,426	2,832	2,100	16,298	11,667	16,270
16.	पूर्वोत्तर-II	2,355	3,863	2,700	8,486	11,667	6,957
17.	उड़ीसा	10,393	24,910	10,800	38,841	29,167	40,008
18.	पंजाब	26,875	12,204	37,000	-2,934	11,667	-5,579
19.	राजस्थान	44,593	106,508	50,200	2,900	43,750	52,049
20.	तमिलनाडु	26,790	95,407	24,800	187,715	102,083	66,639
21.	उत्तराखण्ड	2,679	13,196	2,700	14,072	14,583	9,485
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	30,447	54,566	34,300	58,921	58,333	96,660
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	13,014	16,007	8,100	13,246	26,250	36,709
24.	पश्चिम बंगाल	49,062	28,401	56,700	30,672	58,333	18,587
25.	कोलकाता	12,016	867	34,000	3,473	20,417	-2,008
26.	चेन्नै	2,133	6,872	2,400	3,997	20,417	10,044
	बी.एस.एन.एल.	683,589	944,414	672,000	983,738	1,050,000	1,024,181

विवरण-III

विगत तीन वर्षों के लिए जी.एस.एम. मोबाइल की सर्किलवार एम.ओ.यू. संबंधी लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र. सं.	सर्किल/मेट्रो जिले का नाम	2005-06		2006-07		2007-08	
		एम.ओ.यू. लक्ष्य	उपलब्धि	एम.ओ.यू. लक्ष्य	उपलब्धि	एम.ओ.यू. लक्ष्य	अनंतिम उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान व निकोबार	6,000	21,404	3,600	12,005	12,805	9,727
2.	आन्ध्र प्रदेश	450,000	431,832	545,400	600,147	563,415	394,095

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	130,000	225,022	100,800	206,213	230,488	234,703
4.	बिहार	380,000	331,282	540,000	190,324	256,098	313,653
5.	छत्तीसगढ़	100,000	64,100	72,900	250,582	256,098	208,707
6.	गुजरात	400,000	232,256	333,000	215,133	409,756	951,555
7.	हरियाणा	170,000	199,061	308,700	469,296	358,537	266,138
8.	हिमाचल प्रदेश	80,000	117,334	144,900	283,050	179,268	51,508
9.	जम्मू-कश्मीर	120,000	353,744	113,400	289,589	204,878	23,832
10.	झारखण्ड	150,000	190,828	155,700	149,977	204,878	48,466
11.	कर्नाटक	500,000	575,525	760,500	495,767	512,195	9,006
12.	केरल	450,000	802,240	1,139,400	349,360	435,366	201,217
13.	मध्य प्रदेश	200,000	111,689	351,900	509,352	409,756	401,481
14.	महाराष्ट्र	500,000	281,523	848,700	1,108,815	717,073	943,231
15.	पूर्वोत्तर-1	45,000	45,814	29,700	83,432	76,829	89,400
16.	पूर्वोत्तर-2	45,000	90,397	37,800	106,440	76,829	119,834
17.	उड़ीसा	224,000	267,559	145,800	200,292	204,878	245,148
18.	पंजाब	220,000	-13,819	504,900	758,337	563,415	800,866
19.	राजस्थान	410,000	727,923	684,900	951,809	614,634	206,499
20.	तमिलनाडु	400,000	561,301	303,300	606,200	486585	329,678
21.	उत्तराखण्ड	80,000	152,116	35,100	209,031	102,439	131,198
22.	उत्तर प्रदेश पूर्व	570,000	884,497	467,100	1,219,242	512,195	1,424,533
23.	उत्तर प्रदेश पश्चिम	250,000	252,451	110,700	233,613	307,317	516,223
24.	पश्चिम बंगाल	220,000	403,298	773,100	367,774	307,317	310,256
25.	कोलकाता	200,000	182,076	456,300	189,819	204,878	403,154
26.	चेन्नै	200,000	224,951	32,400	209,298	192,073	149,020
	बी.एस.एन.एल.	6,500,000	7,716,404	9,000,000	10,264,897	8,400,000	8,783,128

विवरण-IV

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.)

वर्ष	दिल्ली		मुंबई	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2005-06 डी.ई.एल.*	400000	370045	400000	400900
2006-07 डी.ई.एल.*	500000	371980	500000	370563
2007-08 डी.ई.एल.*	350000	182638	350000	360238

*इनमें स्थिर लाइन, डब्ल्यू.एल.एल. और जी.एस.एम. शामिल हैं।

सरसों की खेती

3982. श्री मित्रसेन यादव: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरसों की खेती करने वाले क्षेत्र में कमी आई है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में, विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) जी हां श्रीमान। दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2007-08 के दौरान रेपसीड तथा सरसों के अंतर्गत कवरेज क्षेत्र 64.46 लाख हैक्टेयर पर अनुमानित है जोकि 2006-07 के लिए अनुमानित कवरेज क्षेत्र 67.90 लाख हैक्टेयर से कम है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान रेपसीड तथा सरसों के अंतर्गत कवरेज क्षेत्र के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं-

विवरण

रेपसीड तथा सरसों के क्षेत्र के अनुमान

राज्य	क्षेत्र (000 हैक्टेयर)			
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08*
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	4.0	6.0	5.0	4.0
अरुणाचल प्रदेश	21.4	22.2	22.2	#
असम	244.9	212.5	238.0	232.0
बिहार	83.1	82.1	86.9	85.0
छत्तीसगढ	57.1	57.2	58.9	56.0

1	2	3	4	5
गुजरात	291.2	338.0	361.0	341.0
हरियाणा	702.0	709.0	597.0	550.0
हिमाचल प्रदेश	12.0	9.6	8.9	9.0
जम्मू-कश्मीर	103.0	3.2	57.0	59.0
झारखण्ड	एन.आर.	एन.आर.	67.3	एन.आर.
कर्नाटक	6.0	5.0	4.0	4.0
मध्य प्रदेश	681.8	809.4	694.2	585.0
महाराष्ट्र	9.0	13.0	14.0	9.0
मणिपुर	1.0	0.0	0.0	#
मेघालय	7.2	7.2	7.2	#
मिजोरम	2.2	1.2	0.5	#
नागालैण्ड	26.3	26.5	27.5	#
उड़ीसा	16.0	17.4	15.2	13.0
पंजाब	60.0	49.0	41.0	44.0
राजस्थान	3681.9	3665.3	3211.7	3159.0
सिक्किम	6.0	5.9	5.9	#
तमिलनाडु	0.6	0.5	0.3	1.0
त्रिपुरा	2.9	2.8	1.7	#
उत्तर प्रदेश	818.7	790.2	826.9	790.0
उत्तराखण्ड	17.0	18.0	16.0	16.0
पश्चिम बंगाल	457.0	421.5	421.5	425.0
दिल्ली	4.1	3.8	0.2	#
अन्य	एन.ए.	एन.ए.	एन.ए.	64.0
समस्त भारत	7316.4	7276.5	6790.0	6446.0

एन.आर. - सूचित नहीं

एन.ए. - उपलब्ध नहीं

*दूसरे अग्रिम अनुमान

#अन्यों में शामिल

ई.पी.एफ. पेंशनभोगियों की समस्याएं

3983. श्री पी.सी. थामस: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) पेंशनभोगियों से उनकी समस्याओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनकी समस्या को सुलझाने के लिए उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आज की तारीख के अनुसार भविष्य निधि में उपलब्ध कुल निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) जी, हां। पेंशनभोगियों से कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के तहत अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें वार्षिक सहायता अनुदान, सरकारी कर्मचारियों के समान पेंशन की मंजूरी आदि जैसी सुविधाएं बढ़ाए जाने की मांग की गई है।

कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 की व्यापक समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है ताकि इस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले सुझावों/विचारों की जांच की जा सके।

(ग) 31-12-2007 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि निवेश खाते में समेकित राशि के रूप में 1,13,492.92 करोड़ रुपये (अंकित मूल्य पर) उपलब्ध हैं।

जैसाकि निवेश एक केन्द्रीयकृत प्रक्रिया है अतः राज्यवार सूचना नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

मत्स्यन क्षेत्र में मजदूरी ढांचा

3984. एडवोकेट सुरेश कुरूप: क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के मत्स्यन क्षेत्र में अपनाए जा रहे मजदूरी ढांचे का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस क्षेत्र के मजदूरी ढांचे में लिंग भेद विद्यमान है;

(ग) यदि हां, तो मजदूरी की समानता के संबंध में कानून/नियमों के अनुपालन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मत्स्यन उद्योग में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 लागू है; और

(ङ) यदि नहीं, तो मत्स्यन उद्योग में लगे कामगारों के हित के लिए उक्त कानून को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) से (ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों क्रमशः केन्द्र और राज्य क्षेत्र में अनुसूचित नियोजनों में न्यूनतम मजदूरी निर्धारित/संशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। चूंकि मछली पकड़ना और उससे जुड़े क्रियाकलाप राज्य क्षेत्र के दायरे में आते हैं, अतः समुचित सरकारों के रूप में राज्य सरकारों ने ऐसे अनुसूचित नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिसूचित की है। उपलब्ध सूचना के आधार पर, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा मछली पकड़ने और इससे जुड़े क्रियाकलापों में लगे अकुशल कामगारों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत समुचित सरकारों द्वारा अनुसूचित नियोजनों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरें पुरुष तथा महिला कामगारों पर समान रूप से लागू होती हैं। इसके अतिरिक्त समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 में पुरुष तथा महिला कामगारों के लिए समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

राज्य क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी की भुगतान सुनिश्चित करने का प्रवर्तन राज्य प्रवर्तन तंत्र के माध्यम से किया जाता है। वे नियमित निरीक्षण करते हैं तथा न्यूनतम मजदूरी के भुगतान न किए जाने अथवा कम भुगतान किए जाने के मामले पाए जाने पर वे नियोक्ता को कम भुगतान की भरपाई करने की सलाह देते हैं। अनुपालन किए जाने के मामले में अधिनियम के तहत निर्धारित दांडिक उपबंधों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार इसके प्रवर्तन हेतु समान पारिश्रमिक अधिनियम में विद्यमान उपबंधों का उपयोग किया जाता है।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मछली पकड़ने और उससे जुड़े क्रियाकलापों में लगे अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुसूचित नियोजन का नाम	दर प्रति दिन (रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	मछली पालन और समुद्री खाद्य	136.19
2.	असम	मछली पकड़ना	73.60
3.	बिहार	मछली पालन	68.00
4.	गोवा	मछली और पेय पदार्थ सहित खाद्य सामग्री का प्रसंस्करण और डिब्बाबन्दी	103.00
5.	गुजरात	मछली पालन उद्योग	103.70
6.	झारखंड	मछली पालन	86.40
7.	कर्नाटक	मछली पालन, मछली शोधन, मछली की सफाई करना और मेंढक के पैरों का निर्यात	106.77
8.	केरल	मछली की सफाई करना और मछली की डिब्बाबंदी, समुद्री खाद्य पदार्थों की फ्रीजिंग और निर्यात	100.39
9.	उड़ीसा	मछली पालन और समुद्री खाद्य उद्योग	70.00
10.	तमिलनाडु	समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	77.98
11.	पश्चिम बंगाल	मछली पालन	77.50
12.	दमन और दीव	समुद्री खाद्य उद्योग	95.00
13.	लक्षद्वीप	मछली पालन विभाग	71.90
		(क) नाव निर्माण यार्ड	
		(ख) डिब्बाबंदी कारखाना	

पावरलूम इकाइयों का बंद होना

3985. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश से पावरलूम उद्योग के होने वाले निर्यात में से संयुक्त राष्ट्र को कितना प्रतिशत भेजा जाता है;

(ख) क्या संयुक्त राष्ट्र बाजार में मंदी के कारण काफी सारी पावरलूम इकाइयां बंद हो गयी हैं;

(ग) यदि हां, तो विगत एक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में बंद इकाइयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस गिरावट को पूरा करने के लिए नए बाजार तलाश रही है;

(ङ) यदि हां, तो नए बाजारों को तैयार करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई रणनीति सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पावरलूम क्षेत्र के विकास और संवर्द्धन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) देश से विद्युतकरघा उद्योग के होने वाले निर्यात में से संयुक्त राष्ट्र का प्रतिशत हिस्सा को दर्शाया नहीं जा सकता है क्योंकि प्रौद्योगिकी आधार पर अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। आई.टी.सी.एच.एस. वर्गीकरण प्रणाली जिसका भारत भी हस्ताक्षरकर्त्ता है, वस्तुओं पर आधारित है। तथापि, भारत से संयुक्त राष्ट्र को होने वाले वस्त्र एवं क्लोदिंग निर्यात का कुल हिस्सा 2005-06 में 26.65% था।

(ख) ऐसी कोई घटना सूचित नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(च) देश में विद्युतकरघा क्षेत्र के संवर्धन, विकास और आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई है-

1. विद्युतकरघा क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत योजना जिसमें निम्नलिखित संघटक हैं-
   (i) विपणन विकास कार्यक्रम।
   (ii) विद्युतकरघा बुनकरों का अन्य समूहों में अनुभव दौरा।
   (iii) विद्युतकरघों का सर्वेक्षण।
   (iv) विद्युतकरघा समूह विकास।
   (v) कौशल विकास एवं उन्नयन।
2. संशोधित समूह कार्यशाला योजना
3. समूह बीमा योजना

इसके अलावा, विद्युतकरघा क्षेत्र प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत सहायता के लिए भी पात्र है।

धान की फसल का नुकसान

3986. श्री एस. अजय कुमार:
श्री सुव्रत बोस:
श्री नरहरि महतो:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानसून में देरी के कारण दाल, तिलहन और अनाज की फसलें प्रभावित हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या असामान्य वर्षा के कारण केरल में धान फसल की भारी क्षति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तथ्यों का पता लगाकर क्षति का मूल्यांकन करने के लिए राज्य का दौरा करने वाले दल सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आम और लीची के बागों में बीमारी

3987. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आम और लीची के बागों में मधुवा और काल झंरड बीमारी फैलने के कारण कई राज्य, विशेषकर बिहार में कृषकों को भारी नुकसान होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अब तक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, आम और लीची

उद्यानों में मधुवा और काल-झरंड नामक रोग फैलने के कारण भारी नुकसान की कोई संभावना नहीं है।

(ख) सरकार ने देश में समस्त फसल उत्पादन कार्यक्रम में पौध संरक्षण रणनीति के मुख्य आधार स्तम्भ के रूप में एकीकृत कीट प्रबंध (आई.पी.एम.) अपनाया है। 21 राज्यों और एक यू.टी. में 31 केन्द्रीय आई.पी.एम. केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों का अधिदेश कीट/रोग मानीटरन, उत्पादन और जैव नियंत्रण कारकों/जैव कीटनाशक दवाओं की निर्मुक्ति, कृषि/बागवानी विस्तार अधिकारियों के लिए और किसानों के लिए किसान फील्ड स्कूलों (एफ.एफ.एस.) का आयोजन करके मूल स्तर पर प्रशिक्षण दे करके आई.पी.एम. में जैव नियंत्रण कारकों का संरक्षण और मानव संसाधन विकास है।

[अनुवाद]

पनघारा-सह-आवासीय योजना

3988. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख तक विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पनघारा-सह-आवासीय योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासीय इकाइयों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी स्वीकृत आवासीय इकाइयों का निर्माण हो चुका है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कारण क्या हैं;

(घ) क्या आवासीय इकाइयों के निर्माण की प्रगति की कोई समीक्षा की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है और निर्माण कार्य में देरी से बचने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) आज की तारीख तक विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की इकाइयों के निर्माण पर आबंटित, निर्मुक्त और खर्च की गई निधियों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) कार्यशाला-सह-आवास योजना के अंतर्गत, 2005-06 के दौरान 17,971 इकाइयों को मंजूरी दी गई। तत्पश्चात 2006-07 और 2007-08 के दौरान किसी नई इकाई को स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि यह 10वीं योजना का अंतिम वर्ष था और इस योजना को 2007-08 से समाप्त कर दिया गया है। स्वीकृत और निर्मित इकाइयों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) राज्य सरकारों से अब तक 14,217 इकाइयों के निर्माण संबंधी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) राज्य सरकारों को केन्द्रीय निधियां जारी की जाती हैं और वे क्रियान्वयी एजेंसियों को पुन: जारी करती हैं जिसमें कभी-कभी विलंब हो जाता है। अत: राज्य सरकारों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में परिणामी विलंब होता है। तथापि, राज्य सरकारों को समय-समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र और प्रगति रिपोर्ट समय से प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है ताकि पश्चातवर्ती किस्त को जारी किया जा सके।

(घ) जी, हां। वर्ष 2006-07 के दौरान कार्यशाला-सह-आवास योजना इकाइयों के निर्माण की प्रगति सहित समीक्षा एन.आई.एस.आई.ई.टी., हैदराबाद द्वारा की गई।

(ङ) एन.आई.एस.आई.ई.टी., हैदराबाद के निष्कर्षों के अनुसार निर्माण प्रक्रिया में विलंब के कारण निम्नलिखित थे:-

(i) समय सीमा के अनुसार निर्माण कार्य को पूरा करने के कारण उपयोगिता प्रमाण पत्र देरी से प्रस्तुत करने के संभावित कारण से बुनकरों को बैंक ऋण प्राप्त करने/किस्त प्राप्त करने में दिक्कतें महसूस हुईं।

(ii) अनेक मामलों में विशेष रूप से पूर्वोत्तर में निर्माण कार्य में वर्षा के कारण बाधा उत्पन्न हुई।

(iii) विभिन्न और दूरस्थ संसाधनों से निर्माण के लिए अपेक्षित सामग्री प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

(iv) कभी-कभी संबंधित राज्यों द्वारा किस्त की धनराशि समय पर जारी नहीं की गई जिसके कारण निर्माण में विलंब हुआ।

केन्द्रीय सरकार निरंतर राज्य सरकारों को यह कहती आ रही है कि वे समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि पश्चातवर्ती निधियां जारी की जा सकें।

(घ) कार्यशाला-सह-आवास योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधियां आवंटित नहीं की जाती हैं। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्य प्रस्तावों के आधार पर जारी निधियां संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

कार्यशाला-सह-आवास योजना

विगत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत इकाइयों की संख्या

(धनराशि लाख रुपए में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06*	
		स्वीकृत इकाइयों की संख्या	निर्मित इकाइयों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	803	803
2.	अरुणाचल प्रदेश	2150	1570
3.	छत्तीसगढ़	209	209
4.	हिमाचल प्रदेश	612	306
5.	केरल	89	19
6.	मध्य प्रदेश	104	104
7.	मणिपुर	3963	1982
8.	मेघालय	558	279
9.	नागालैण्ड	6590	6590
10.	उड़ीसा	841	841
11.	तमिलनाडु	1084	1084
12.	त्रिपुरा	860	430
13.	उत्तराखण्ड	108	–
	कुल	17971	14217

* 2006-07 के दौरान कार्यशाला-सह-आवास योजना के अंतर्गत किसी नई इकाई को स्वीकृत नहीं किया गया क्योंकि यह 10वीं योजना का अंतिम वर्ष था।

* 2007-08, के दौरान कार्यशाला-सह-आवास योजना को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत किसी नई इकाई को स्वीकृत नहीं किया गया।

विवरण-II

कार्यशाला-सह-आवास योजना
विगत तीन वर्षों में जारी की गई निधियां

(धनराशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2005-06 जारी की गई धनराशि	2006-07 जारी की गई धनराशि	2007-08 जारी की गई धनराशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	57.33	05.24	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	218.00	74.32	32.55
3.	असम	172.45	19.92	–
4.	छत्तीसगढ़	7.92	12.83	–
5.	हिमाचल प्रदेश	21.42	–	21.42
6.	कर्नाटक	–	764.45	–
7.	केरल	42.14	–	–
8.	मध्य प्रदेश	10.38	–	–
9.	मणिपुर	158.07	208.16	–
10.	मेघालय	19.53	–	19.53
11.	मिजोरम	12.75	–	–
12.	नागालैण्ड	247.60	247.60	–
13.	उड़ीसा	29.44	53.48	–
14.	राजस्थान	26.61	–	–
15.	तमिलनाडु	162.95	388.70	–
16.	त्रिपुरा	31.60	–	31.60
17.	उत्तर प्रदेश	218.20		
18.	उत्तराखण्ड	7.85	20.30	–
	कुल	1444.24	1795.00	105.10

*2006-07 और 2007-08 के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं के लिए पूर्व वर्षों हेतु दूसरी किस्त जारी की गई।

आउटसोर्सिंग सौदों में जी.एस.एम. आपरेटर्स

3989. श्री जे.एम. आरुन रशीद: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारती, वोडाफोन और आइडिया जैसे जी.एस.एम. आपरेटरों ने विदेशी कंपनियों के साथ आउटसोर्सिंग सौदे किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस लाइसेंस जिसके अंतर्गत जी.एस.एम. दूरसंचार आपरेटर्स ने अपने नेटवर्क और आई.टी. आवश्यकताएं विदेशी कंपनियों को आउटसोर्स की हैं, सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

देश में छावनी परिषदें

3990. श्री रामदास आठवले: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश में छावनी परिषदों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार छावनी परिषदों का चुनाव कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) देश में 62 छावनी बोर्ड हैं। छावनी बोर्डों की राज्यवार अवस्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) देश में 61 छावनी बोर्डों के चुनाव (छावनी बोर्ड, मेरठ को छोड़कर) 18 मई, 2008 को किए जाने के लिए अधिसूचित कर दिए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	छावनी बोर्डों की संख्या	छावनी बोर्ड का नाम
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	13	आगरा, इलाहाबाद, बबीना, बरेली, झांसी, फिरोजाबाद, फतेहगढ़, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, शाहजहांपुर
2.	गुजरात	01	अहमदाबाद
3.	महाराष्ट्र	07	अहमदनगर, औरंगाबाद, देहू रोड, देवलाली, काम्पटी, किरकी, पुणे
4.	राजस्थान	02	अजमेर, नसीराबाद
5.	उत्तराखण्ड	09	अलमोड़ा, चकराता, क्लेमेंट टाउन, देहरादून, लंढोर, लैंसडाउन, नैनीताल, रानीखेत, रुड़की
6.	हरियाणा	01	अंबाला
7.	पंजाब	03	अमृतसर, फिरोजपुर, जालंधर
8.	जम्मू-कश्मीर	02	बादामी बाग, जम्मू

1	2	3	4
9.	हिमाचल प्रदेश	07	बकलोह, डगसाई, डलहौजी, जटोघ, कसौली, खस्योल, सुबाथू
10.	पश्चिम बंगाल	03	बैरकपुर, जलापहाड़, लेबांग
11.	कर्नाटक	01	बेलगाम
12.	केरल	01	कण्णूर
13.	बिहार	01	दानापुर
14.	दिल्ली	01	दिल्ली
15.	मध्य प्रदेश	05	जबलपुर, मऊ, मोरार, पंचमढ़ी, सागर
16.	झारखण्ड	01	रामगढ़
17.	आन्ध्र प्रदेश	01	सिकन्दराबाद
18.	मेघालय	01	शिलांग
19.	तमिलनाडु	02	सेंट थॉमस माउंट, वेलिंग्टन

[अनुवाद]

सूचना जारी किया जाना

3991. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) ने मंत्रालय को उन ब्यौरों व अभिलेखों के बारे में बताने को कहा है जिसे सामान्य जनता के लिए "डिक्लासिफाई" किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सी.आई.सी. ने रक्षा मंत्रालय को जनसाधारण को सूचना जारी किए जाने हेतु डिक्लासिफिकेशन की रूपरेखा तैयार करने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) केन्द्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) ने 31 दिसंबर, 2007 के निर्णय संख्या सी.आई.सी./डब्ल्यू.बी./ए/2007/01192 की एक प्रति अग्रेषित की है जिसमें सी.आई.सी. ने यह सिफारिश की है कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं अपनी सूचना का भंडार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के तहत दिए गए अधिदेश के अनुसार तैयार करें। तथापि, उपर्युक्त निर्णय में किसी भी सूचना को सार्वजनिक रूप से जारी करने के लिए अवर्गीकृत करने के लिए नहीं कहा गया है। सी.आई.सी. की सिफारिश की सरकार द्वारा जांच की जाएगी।

हालमार्किंग सेंटर्स

3992. श्री एस.के. खादवेनथन: क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कितनी मात्रा में स्वर्ण आभूषणों की बिक्री हुई है;

(ख) देश में वर्तमान में राज्यवार प्रचालनाधीन हालमार्किंग सेंटरों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार देश में और अधिक सोने के हॉलमार्किंग सेंटर स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त सेंटर कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) देश में बेचे जाने वाले सोने और आभूषणों की मात्रा के बारे में भारतीय मानक ब्यूरो/उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ख) अब तक की स्थिति के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त 93 एसेईंग और हॉलमार्किंग केंद्र देश में कार्य कर रहे हैं और उनके राज्य वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र.सं.	राज्य	केंद्रों की संख्या
1.	नई दिल्ली	9
2.	कर्नाटक	11
3.	केरल	15
4.	आन्ध्र प्रदेश	7
5.	तमिलनाडु	18
6.	गुजरात	10
7.	महाराष्ट्र	11
8.	पश्चिम बंगाल	5
9.	मध्य प्रदेश	2
10.	राजस्थान	1
11.	पंजाब	1
12.	उत्तर प्रदेश	1
13.	छत्तीसगढ़	1
14.	चंडीगढ़	1
	कुल	93

(ग) और (घ) देश में उपयुक्त आधारढांचे की स्थापना को सुकर बनाने के लिए स्वर्ण हॉलमार्किंग और एसेईंग केंद्रों की स्थापना की स्कीम के तहत पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड को छोड़कर सभी राज्यों के लिए पात्र आवेदकों को प्रति केंद्र मशीनरी और उपकरण की लागत के 15 प्रतिशत की दर से अधिकतम 15 लाख रुपए की एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह सहायता मशीनरी और उपकरणों की लागत की 30 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 30 लाख रुपए प्रति केंद्र है।

(ङ) स्वर्ण हॉलमार्किंग और एसेईंग केंद्रों की स्थापना की योजनागत स्कीम 10वीं योजनावधि के दौरान शुरू की गई थी और इसको 11वीं योजना (2007-12) में भी जारी रखा गया है। 11वीं योजना का लक्ष्य 50 स्वर्ण हॉलमार्किंग और एसेईंग केंद्रों की स्थापना को सुकर बनाना है।

[हिन्दी]

एन.टी.सी. द्वारा कपास मिलों की स्थापना

3993. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कपास की भरपूर फसल होने के मद्देनजर नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन ने क्षेत्र में बंद पड़ी कपास मिलों का अधिग्रहण करने तथा उनका पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित नई कपास मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एन.टी.सी.) की पांच मिलें महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित है जिसमें से 3 गैर-अर्थक्षम मिलें औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत बंद कर दी गई है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, 2 मिलें अर्थात श्री सावतराम, अकोला और रायबहादुर बंशीलाल अबीरचंद स्पिनिंग एंड विविंग मिल, हिंगनघाट को आधुनिकीकृत किए जाने और संयुक्त उद्यम मार्ग द्वारा चलाए जाने का प्रस्ताव है। विदर्भ क्षेत्र के कपास उत्पादक क्षेत्र, जो इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है, को ध्यान में रखकर, एन.टी.सी. अपनी एक बंद मिल अर्थात विदर्भ टेक्सटाइल्स मिल्स, अचलपुर की जमीन पर फिनले मिल्स

को मुंबई से स्थानांतरित कर नई प्रौद्योगिकी वाली ग्रीनफील्ड मिल स्थापित करने का भी प्रस्ताव करती है।

[अनुवाद]

निजी दूरसंचार कंपनियों की संख्या

3994. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सेल्युलर फोन सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों की संख्या कितनी है तथा आज की स्थिति के अनुसार उनके द्वारा कितना निवेश किया गया है एवं उनके उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ख) आकार, प्रौद्योगिकी तथा अवसंरचना के संदर्भ में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) के साथ निजी दूरसंचार कंपनियों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ निजी दूरसंचार कंपनियां देश में अपनी सेल्युलर सेवाओं के लिए बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. की अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उपयोग कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) 134 निजी लाइसेंसधारक मोबाइल टेलीफोनी सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, जिनके उपभोक्ताओं की कुल संख्या 29 फरवरी, 2008 तक 20,86,22,799 हैं एवं निवेश की कुल राशि 95,000 करोड़ रु. है। इन लाइसेंसधारकों के अतिरिक्त, 120 नए निजी लाइसेंसधारक अभी अपनी सेवा का प्रचालन करने वाले हैं।

(ख) 29 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार, बी.एस.एन.एल. एवं एम.टी.एन.एल. की इस क्षेत्र में कुल बाजार हिस्सेदारी 16.86% है। मोबाइल टेलीफोन सेवा की उपलब्धता के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना एक सतत प्रक्रिया है तथा बी.एस.एन.एल. एवं एम.टी.एन.एल. को भी ऐसी सेवाओं की उपलब्धता हेतु जी.एस.एम. एवं सी.डी.एम.ए. बृहत सेल्युलर संरचना आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। बी.एस.एन.एल. एवं एम.टी.एन.एल. द्वारा उपयोग में लाई गई प्रौद्योगिकी निजी प्रचालकों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रौद्योगिकी के मुकाबले की है। बी.एस.एन.एल. एवं एम.टी.एन.एल. अंतर एवं अंतरा सेवा क्षेत्र की लंबी दूरी सेवाओं की उपलब्धता के लिए अवसंरचना के संदर्भ में मौजूदा प्रचालक हैं, जबकि निजी कंपनियों ने सार्वजनिक क्षेत्र की दोनों यूनिटों की तुलना में देरी से अपनी सेवाओं की उपलब्धता आरंभ की है। अत: उनकी अवसंरचना की तुलना एक समान आधार पर नहीं की जा सकती है।

(ग) जी, हां।

(घ) तकनीकी व्यवहार्यता एवं वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के अध्यधीन, कुछ निजी दूरसंचार प्रचालक बी.एस.एन.एल. एवं एम.टी.एन.एल. की निष्क्रिय अवसंरचना सुविधाओं जैसे भवन परिसर, डॅक्टो, टॉवरों का उपयोग कर रहे हैं।

भूमि उपयोग संबंधी राष्ट्रीय नीति

3995. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में भूमि उपयोग संबंधी कोई राष्ट्रीय नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या न्यूट्रिएंट बफर पावर जैसी मृदा प्रबंधन तकनीकों की अवधारण को देश में पर्याप्त रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे हमारे खाद्यान्न उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ता है; और

(ङ) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) और (ख) भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कृषि संबंधों और भूमि सुधारों पर व्यापक दिशा निर्देश निर्धारित करने और नीतिगत सिफारिशें देने के मद्देनजर एक राष्ट्रीय भूमि सुधार परिषद की स्थापना की है। परिषद के अन्य सदस्य हैं:- ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यावरण और वन, पंचायती राज, जनजातीय मामले, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री, अन्य गणमान्य सदस्य तथा

ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विकास के सचिव सदस्य सचिव हैं।

(ग) से (ङ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के अनुसार, पौषक तत्व बफर शक्ति अवधारणा पर आधारित मृदा उर्वरा मूल्यांकन को देश में अच्छी मान्यता मिली है। तथापि, नियमित मृदा परीक्षण कार्यक्रम में इसके अनुप्रयोग अपनी जटिल और भारी भरकम क्रियाविधि के कारण स्थान नहीं बना सके हैं। उल्लिखित को ध्यान में रखते हुए, आई.सी.ए.आर. ने बेहतर कृषि उत्पादन के लिए बाहरी पादप पोषक तत्व मांग के आकलन के लिए मृदा परीक्षण जैसी सरल, सस्ती और त्वरित मृदा उर्वरा मूल्यांकन प्रणालियां विकसित की है। आई.सी.ए.आर. अच्छे मृदा स्वास्थ्य और उच्च फसल उत्पादकता बनाए रखने के लिए पादप पौषक तत्वों के अकार्बनिक और जैविक स्रोतों दोनों के मिश्रित उपयोग के माध्यम से मृदा परीक्षण आधारित संतुलित और एकीकृत पौषक तत्व प्रबंधन की भी सिफारिश करता है।

भारत सरकार रासायनिक उर्वरकों के मृदा परीक्षण आधारित अनुप्रयोग को बढ़ावा देने तथा मृदा परीक्षण सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा जैव निम्नीकृतीय शहरी अपशिष्ट को जैविक खाद्य में बदलने के लिए कंपोस्ट संयंत्रों के गठन के लिए कृषि के बृहद प्रबंधन के जरिए उर्वरक के संतुलित और एकीकृत उपयोग पर एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। उक्त दो केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अलावा अर्थात मृदा स्वास्थ्य और उर्वरा के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना और जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना को जैविक खाद के उपयोग का संवर्धन, जैविक खेती का विपणन विकास तथा देश में मृदा उर्वरा के रख-रखाव के लिए भी आरम्भ किया गया है।

[हिन्दी]

स्प्रिंकलर सिंचाई उपस्कर

3996. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्लास्टिक के स्प्रिंकलर सिंचाई उपस्करों को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार के उपस्करों को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) से (ग) प्लास्टिक के ढले हुए स्प्रिंकलर उपकरण पहले ही उपयोग में हैं तथा धातु/एल्यूमीनियम उपकरण की तुलना में बाजार में अधिक सस्ती दरों पर उपलब्ध हैं। सरकार केन्द्र प्रायोजित स्कीम तथा लघु सिंचाई के तहत स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा दे रही है। अनेक घटक जैसे नोजिल, बैंड, निप्पल, एण्ड प्लग, टी स्प्रिंकलर टाईप इत्यादि प्लास्टिक से बने हुए है चूंकि यह परम्परागत एल्यूमीनियम स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरण से लगभग 35% सस्ते हैं।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में गैर-कृषि योग्य भूमि

3997. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपलब्ध प्राक्कलनों के अनुसार कृषि की संभावना होने के बावजूद आंध्र प्रदेश में 27,440,000 हैक्टेयर भूमि में से 11,650,000 हैक्टेयर भूमि अभी भी गैर-कृषि योग्य भूमि है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में गैर-कृषि योग्य भूमि को खेती करने योग्य बनाने के लिए कोई विशेष या पृथक योजना या कार्यक्रम नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) आंध्र प्रदेश में गैर-कृषि योग्य भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए राज्य में कार्यान्वित पनधारा विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): (क) भू-उपयोग सांख्यिकी के अनुसार आंध्र प्रदेश में 27,440,000 हैक्टे. सूचित क्षेत्र में से 2005-06 में 11,668,000 हैक्टे. अकृष्य भूमि है।

(ख) से (घ) आंध्र प्रदेश में गैर-कृष्य भूमि को कृषि के अंतर्गत लाने के लिए कोई विशेष अथवा पृथक स्कीम नहीं है। तथापि, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय विभिन्न पनधारा विकास कार्यक्रमों यथा (i) वर्षासिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना (ii) नदी घाटी परियोजना और बाढ़ संभावित नदी (आर.वी.पी. और एफ.पी.आर.) के संग्रहण

क्षेत्रों में अवक्रमित भूमियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए मृदा संरक्षण और (iii) देश में जिसमें आंध्र प्रदेश शामिल है, में अवक्रमित भूमियों के विकास के लिए क्षारीय मृदाओं (आर.ए.एस.) का उपचार। ऐसी विकसित भूमियों के भागों को भी कृषि के अंतर्गत लाया जाता है।

[हिन्दी]

सशस्त्र सेनाओं में ऑफिसर्स मैस

3998. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ऑफिसर्स मैस की संख्या कितनी है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ख) क्या जवान भी ऑफिसर्स मैस की सुविधाएं प्राप्त करने के पात्र हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) अफसर मैसों का रखरखाव सशस्त्र सेनाओं की सभी यूनिटों/विरचनाओं/स्थापनाओं द्वारा किया जाता है। इसलिए उनके ऊपर आए कुल व्यय के लिए कोई केंद्रीकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। उनका संचालन "न हानि, न लाभ" के आधार पर सभी अफसरों के अंशदान से किया जाता है। यद्यपि, संबंधित स्थापना के अन्य भवनों के साथ-साथ इन भवनों का अनुरक्षण सेना इंजीनियरी सेवा द्वारा किया जाता है तथापि, प्रत्येक स्थापना में अफसरों की संख्या के आधार पर मैस भत्ता प्राधिकृत किया जाता है। अफसर मैस केवल अफसरों के लिए होती हैं। अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं अलग से होती हैं।

हस्तशिल्प जोन

3999. श्री कैलाश मेघवाल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा तत्पश्चात आज तक राज्यवार विशेष रूप से राजस्थान में निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा स्थापित एवं स्वीकृत हस्तशिल्प जोन का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार एवं वर्षवार हस्तशिल्प जोन द्वारा निर्धारित एवं प्राप्त लक्ष्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विशेष रूप से राजस्थान में उत्पादित हस्तशिल्प मदों को अधिक निर्यातोन्मुखी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) हस्तशिल्प एवं कालीन से संबंधित दोनों निर्यात संवर्धन परिषदों में से किसी भी परिषद द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कहीं भी कोई हस्तशिल्प जोन स्वीकृत तथा स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राजस्थान राज्य सहित देश से हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लेना; वर्ष में दो बार भारतीय हस्तशिल्प एवं उपहार मेला आयोजित करना; थिमेटिक प्रदर्शनियां आयोजित करना; उत्पाद विकास कार्यक्रम के माध्यम से नवीकृत मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास, पैकेजिंग एवं निर्यात प्रक्रिया के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

"मानिक जोड़" योजना शुरू किया जाना

4000. श्री रूपचन्द मुर्मू: क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलकाता टेलीकॉम सर्किल को छोड़कर भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) के पश्चिम बंगाल टेलीकॉम सर्किल में 'मानिक जोड़' योजना शुरू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना को पश्चिम बंगाल टेलीकॉम सर्किल में कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड निगमित कार्यालय ने सर्किल प्रमुखों को प्रचलित प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य के अंतर्गत बाजार की

स्थितियों के अनुसार प्रोत्साहन योजनाओं की पेशकश के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की है।

"मानिक जोड़" योजना एक प्रोत्साहन योजना है जो कोलकाता टेलीफोन जिले द्वारा केवल अपने प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में शुरू की गई है।

यह योजना उच्च परियात संकुलन एवं नेटवर्क के अतिभार, जो दूरसंचार सर्किल के भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत रूप से व्याप्त है, के कारण पश्चिम बंगाल सर्किल के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चारा उत्पादन के लिए जैव-प्रौद्योगिकी का उपयोग

4001. श्री नन्द कुमार साय:

श्री किसनभाई वी. पटेल:

श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में चारा उत्पादन के लिए जैव-प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रस्ताव है जैसा कि दिनांक 16 मार्च, 2008 के 'जनसत्ता' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने इस संबंध में कोई अनुसंधान किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जैव-प्रौद्योगिकी कार्रवाइयों के माध्यम से आहार और चारा फसलों में सुधार लाने के लिए 01-04-2005 से केंद्रीय प्रायोजित चारा विकास योजना के अंग के रूप में जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजना नामक योजना क्रियान्वित की जा रही है। 2006-07 के दौरान निम्नलिखित दो परियोजनाओं के लिए भारतीय चरागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी के लिए 50.67 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी।

1. भ्रूण बचाव तकनीक का इस्तेमाल करके अंतर-विशिष्ट हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से बरसीम में बेहतर गुणवत्ता और रोग प्रतिरोध लाईन (रुट राट और स्टैम राट) का विकास।

2. गुणवत्ता और सूखे के विशेष संदर्भ के साथ स्टाइलों के विकास में मालीक्यूलर मार्कर का उपयोग।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नए सिम का प्रावधान

4002. श्री सुभाष महरिया:

श्री निहाल चन्द:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बी.एस.एन.एल. टेलीफोन बिल जमा कराने पर नए सिम कार्ड उपलब्ध करा रही है;

(ख) क्या इससे देश में मोबाइल फोन कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और साथ ही वर्ष 2006-07 में मोबाइल फोन की संख्या कितनी थी तथा अप्रैल, 2008 तक इसकी संख्या कितनी हो जाने की आशा है, साथ ही देश में राज्यवार अन्य कंपनियों की तुलना में इसकी स्थिति क्या है;

(घ) क्या देश में बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. मोबाइल फोन नेटवर्क संध्याकाल में जाम हो जाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) बी.एस.एन.एल. में ऐसी कोई योजना नहीं है। तथापि, एम.टी.एन.एल. दिल्ली में टेलीफोन बिल जमा करने पर नये सिम प्रदान

किए जा रहे हैं। प्रदान किए गए कनेक्शनों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	प्लान का नाम (एम.टी.एन.एल. के टेलीफोन बिल जमा करने पर दिया गया मोबाइल कनेक्शन)	कनेक्शनों की संख्या
2006-07	मोबाइल प्लान 100	21870
	लैंडलाइन 1+1 एफ.डब्ल्यू. प्लान	शून्य
	कुल	**21870**
2007-08	मोबाइल प्लान 100	7159
	लैंडलाइन 1+1 एफ.डब्ल्यू. प्लान	5857
	कुल	**13016**

एम.टी.एन.एल. मुम्बई में, 28-1-2008 से मौजूदा डॉल्फिन और लैंडलाइन उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क ट्रम्प सिम योजना शुरू की गई है। योजना की जबरदस्त सफलता को देखते हुए मौजूदा डॉल्फिन, गरूड़ पोस्टपेड और लैंडलाइन उपभोक्ताओं के लिए फरवरी, 2008 का भुगतान किया गया बिल प्रस्तुत करने पर 24-3-2008 से "एक निःशुल्क डॉल्फिन सिम" योजना शुरू की गई है।

"निःशुल्क डॉल्फिन सिम" योजना के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि हुई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

माह	निवल वृद्धि
फरवरी 2008	58934
मार्च 2008	88733

(ग) बी.एस.एन.एल. के मामले में प्रश्न नहीं उठता। अन्य कम्पनियों (निजी दूरसंचार आपरेटरों) के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, एम.टी.एन.एल. दिल्ली और एम.टी.एन.एल. मुम्बई में चालू सेल्यूलर मोबाइल फोन कनेक्शनों की स्थिति नीचे दी गई है:-

निम्नलिखित तारीख की स्थिति के अनुसार	दिल्ली	मुम्बई
31-3-2006	936146	1005009
31-3-2007	1331428	1415386
31-3-2008	1478440	1763411

(घ) और (ङ) बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा उपलब्ध करायी जा रही जी.एस.एम. आधारित सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा अपने सम्बन्धित लाइसेंसशुदा सेवा क्षेत्रों में संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और आमतौर पर ये ट्राई द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों को पूरा कर रही है। तथापि, कभी-कभी कुछ स्थानों पर नेटवर्क क्षमता संबंधी दबावों के कारण मोबाइल नेटवर्क में संकुलन देखा गया है जिसके लिए बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. अपना मोबाइल नेटवर्क बढ़ाने की दृष्टि से कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। इस कार्य से कवरेज और सेवा की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. बेहतर कार्य निष्पादन के लिए सतत रूप से अपने नेटवर्क की मॉनीटरिंग कर रहे हैं और उसका इष्टतम उपयोग कर रहे हैं।

[अनुवाद]

जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

4003. श्री उदय सिंह:

श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का आकलन किया है या करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नदी प्रवाह अथवा भूजल अभिलक्षणों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का मूल्यांकन करने तथा

अनुकूलन रणनीति की पहचान के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जय प्रकाश नारायण यादव): (क) से (घ) जल संसाधनों और प्रवाह संबंधी स्थितियो पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समुचित आकलन करने की आवश्यकता को महसूस करते हुए प्रख्यात शैक्षणिक संस्थानों की सक्रिय भागीदारी से केन्द्रीय जल आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा अध्ययन प्रारंभ किए गए हैं। केन्द्रीय जल आयोग इस अध्ययन का समन्वय कर रहा है। इस अध्ययन का उद्देश्य (क) जल की उपलब्धता और प्रवाह स्थितियों में संभावित परिवर्तनों की सीमा का आकलन करने, (ख) जल संसाधन प्रणाली के कार्य निष्पादन पर इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने और (ग) जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का समाधान करने के वास्ते उपयुक्त उपायों की पहचान करने की दृष्टि से जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की जांच करना है।

मिग-29 लड़ाकू विमान

4004. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1980 के दशक के मध्य में शामिल किए गए मिग-29 के पांच स्कवैड्रनों का उन्नयन करने के लिए रूस के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस समय से अब तक कितने लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं;

(ग) इस प्रकार के उन्नयन कार्यक्रम पर कितना व्यय होने की संभावना है; और

(घ) उन्नयन की प्रक्रिया को कब तक पूरा कर दिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) सरकार ने लगभग 964 मिलियन अमरीकी डालर की कुल कीमत पर 63 मिग-29 विमानों के उन्नयन के लिए मैसर्स आर.ए.सी.-मिग, रूस के साथ 07 मार्च, 2008 को एक संविदा की है। 1980 के दशक के मध्य में मिग-29 विमानों को शामिल किए जाने से लेकर अब तक तेरह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। सभी 63 विमानों का उन्नयन मार्च, 2014 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

बी.एस.एन.एल./एम.टी.एन.एल. की असंतोषजनक मोबाइल सेवा

4005. श्री महावीर भगोरा: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.) तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा प्रदान की जा रही असंतोषजनक मोबाइल सेवा के संबंध में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान बी.एस.एन.एल. तथा एम.टी.एन.एल. की असंतोषजनक सेवा के कारण बड़ी संख्या में कनेक्शन वापिस कर दिए गए;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार वापिस किए गए फिक्स्ड लाइन, डब्ल्यू.एल.एल. तथा जी.एस.एम. कनेक्शनों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन कनेक्शनों को वापिस किए जाने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) सरकार को एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. सहित सेवा प्रदाताओं के विरुद्ध असंतोषजनक मोबाइल सेवाओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। इन शिकायतों को समाधान के लिए संबंधित सेवा प्रदाताओं के पास भेज दिया जाता है। तथापि, बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. की जी.एस.एम. आधारित सेल्युलर मोबाइल सेवाएं संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं और ये सामान्यत: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा निर्धारित सेवा की गुणवत्ता संबंधी मानदंडों को पूरा कर रही हैं। तथापि, कभी-कभी कुछ स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क में संकुलन देखने में आया है जिसके लिए

बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. द्वारा अपनी नेटवर्क क्षमता में वृद्धि के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। इस वृद्धि से कवरेज और सेवा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त, बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. बेहतर निष्पादन के लिए अपने नेटवर्क की सतत निगरानी कर रहे हैं और इसे अनुकूलतम बना रहे हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। बी.एस.एन.एल. और एम.टी. एन.एल. की स्थिर लाइन और जी.एस.एम. आधारित सेल्युलर मोबाइल दोनों सेवाएं निजी प्रचालकों द्वारा प्रदान की जा रही सेवा के मुकाबले की हैं। भारत में दूरसंचार के मौजूदा प्रतिस्पर्द्धी परिदृश्य में बी.एस.एन.एल. के स्थिर लाइन/मोबाइल कनेक्शनों को कटवाए जाने के कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कारण शामिल हैं:-

(i) प्रतिस्पर्द्धियों द्वारा दी गई प्रशुल्क संबंधी पेशकश

(ii) प्रदान की गई सेवा से उपभोक्ता का संतुष्ट न होना

(iii) मोबाइल कनेक्शन के बदले में स्थिर लाइन कनेक्शन को वापस करना

(iv) बिलों के भुगतान न करने पर बी.एस.एन.एल. द्वारा कनेक्शनों का काटा जाना

(v) ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता के कारण इंटरनेट के लिए ली गई स्थिर लाइन सेवा के वापस करना।

जी.एस.एम. आधारित मोबाइल कनेक्शनों में कनेक्शन कटवाए जाने के बावजूद, बी.एस.एन.एल. और एम.टी.एन.एल. के जी.एस.एम. आधारित मोबाइल कनेक्शनों की कुल संख्या में व्यापक वृद्धि हुई है।

कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए विशेष कार्यक्रम

4006. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री हरि सिंह चावड़ा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कृषि श्रमिकों के कल्याण और उत्थान के लिए किसी विशेष कार्यक्रम की घोषणा करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का कृषि श्रमिकों के हित में कोई विधान लाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) सरकार कृषि श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण और भलाई को उच्च प्राथमिकता देती है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा क्रियान्वित की जा रही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आदि जैसी गरीबी उन्मूलन/ रोजगार सृजन स्कीमें इन श्रमिकों पर लागू होती हैं। सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन परिवारों को जीवन तथा अपंगता कवर प्रदान करने के लिए 'आम आदमी बीमा योजना' आरम्भ की है। इस स्कीम के हितलाभों में स्वाभाविक मृत्यु होने पर 30,000/- रुपये; दुर्घटना के कारण मृत्यु या दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी अपंगता होने पर 75,000/- रुपये की राशि शामिल हैं। दुर्घटना के कारण आंशिक अपंगता के मामले में 37,500/- रुपये का बीमा कवर होगा। असंगठित क्षेत्र में कामगारों के पांच सदस्यों के परिवार के लिए असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के लिए 1 अक्तूबर, 2007 से 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' आरम्भ की गई है। यह स्कीम प्रति परिवार प्रतिवर्ष परिवार फ्लोटर आधार पर 30,000/- रुपये का स्मार्ट कार्ड आधारित बिना किसी नकद भुगतान के स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है।

(ग) और (घ) सरकार ने 10-9-2007 को राज्य सभा में 'असंगठित क्षेत्र कामगार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007' पुर:स्थापित किया। विधेयक में कृषि श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के कामगारों हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीमें बनाने का प्रावधान है।

[अनुवाद]

टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

4007. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरसंचार क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोले

जाने के बाद भी देश में लोगों की पहली पसंद एम.टी.एन.एल. व बी.एस.एन.एल. है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मांग पर टेलीफोन देने के अपने वायदे को पूरा कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) आज की तिथिनुसार देश में राज्यवार टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची कितनी है;

(च) क्या सरकार का विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अद्यतन प्रौद्योगिकी के साथ नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा संपूर्ण देश को दूरसंचार सुविधा से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) से (ग) जी, हां। एम.टी.एन.एल. और बी.एस.एन.एल. के सरकारी सेवा प्रदाता होने से इन दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आम आदमी का विश्वास है। ये उपक्रम विभिन्न माध्यमों से अपनी सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उद्यमशील विपणन कर रहे हैं।

शहरी क्षेत्रों में तारशुदा लाइन या डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी के द्वारा अधिकांश स्थानों पर मांग पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सभी सर्किलों मे मोबाइल कनेक्शन मांग पर उपलब्ध हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) से (ग) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(ङ) एम.टी.एन.एल., दिल्ली और मुंबई में टेलीफोन कनेक्शनों के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। इस समय देश में राज्यवार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(च) और (छ) देश में 92 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की योजना है, जिसके बारे में ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	सर्किल का नाम	प्रस्तावित नए एक्सचेंजों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	11
2.	छत्तीसगढ़	08
3.	हरियाणा	02
4.	जम्मू-कश्मीर	05
5.	कर्नाटक	15
6.	मध्य प्रदेश	02
7.	पूर्वोत्तर-I	07
8.	पूर्वोत्तर-II	01
9.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	24
10.	उत्तरांचल	09
11.	चेन्नै	08
	जोड़	92

बी.एस.एन.एल. द्वारा अपनाई जा रही नीति के अनुसार नए ग्रामीण एक्सचेंज प्रस्तावित टेलीफोन एक्सचेंज स्थल से 5 किमी. की परिसीमा के भीतर कम से कम 150 की मांग वाले स्थानों पर खोले जाएंगे। जहां भी संभव और व्यावहारिक है, डब्ल्यू.एल.एल. प्रौद्योगिकी के माध्यम से टेलीफोन सेवा उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

बी.एस.एन.एल. द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार हैं:-

- बी.एस.एन.एल. ने बिखरे हुए एवं दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों की, जहां तकनीकी वाणिज्यिक दृष्टि से लैंडलाइन पर टेलीफोन कनेक्शन देना संभव नहीं है, मांग को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डब्ल्यू.एल.एल. नेटवर्क की स्थापना की है।

- ऐसे सुदूर एवं दूर-दराज के क्षेत्र, जिन्हें स्थलीय प्रौद्योगिकी से कवर किया जाना संभव नहीं है, को डिजिटल सेटेलाइट फोन टर्मिनल (डी.एस.पी.टी.) द्वारा कवर किए जाने की योजना है।

- बी.एस.एन.एल. का मोबाइल नेटवर्क अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग, महत्वपूर्ण कस्बों, तीर्थ स्थलों एवं राज्य राजमार्गों को सुविधा प्रदान करता है।

- देश के सभी एक्सचेंज पहले ही विश्वसनीय माध्यम अर्थात् ऑप्टीकल फाइबर केबल, सेटेलाइट एवं माइक्रोवेव प्रणाली के द्वारा जुड़े हुए हैं।

(ज) देशभर में सभी एक्सचेंजों को पहले ही विश्वसनीय मीडिया अर्थात ऑप्टिकल फाइबर केबल, उपग्रह और माइक्रोवेव प्रणाली के माध्यम से जोड़ दिया गया।

विवरण

31-03-2008 की स्थिति के अनुसार तारयुक्त लाइन, डब्ल्यू.एल.एल. एवं मोबाइल कनेक्शनों की सर्किल-वार प्रतीक्षा सूची

क्र. सं.	सर्किल/मैट्रो जिले के नाम	31-03-2008 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची की स्थिति			
		तारयुक्त लाइन फोन	डब्ल्यू.एल.एल. (एफ एंड एम)	सेल फोन	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान व निकोबार	198	390	0	588
2.	आन्ध्र प्रदेश	11,014	9,486	0	20,500
3.	असम	1,063	705	0	1,768
4.	बिहार	35,925	12,717	0	48,642
5.	छत्तीसगढ़	603	1,102	0	1,705
6.	गुजरात	13,278	0	0	13,278
7.	हरियाणा	2,912	1,246	0	4,158
8.	हिमाचल प्रदेश	11,724	0	0	11,724
9.	जम्मू-कश्मीर	4,471	0	0	4,471
10.	झारखण्ड	710	277	0	987
11.	कर्नाटक	40,301	60,925	0	101,226
12.	केरल	45,304	0	0	45,304
13.	मध्य प्रदेश	5,348	49,860	0	55,208
14.	महाराष्ट्र	32,480	38,742	0	71,222
15.	पूर्वोत्तर-I	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
16.	पूर्वोत्तर-II	807	0	0	807
17.	उड़ीसा	4,529	9,911	0	14,440
18.	पंजाब	120	226	0	346
19.	राजस्थान	5,530	0	0	5,530
20.	तमिलनाडु	11,822	0	0	11,822
21.	उत्तराखण्ड	357	0	0	357
22.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	16,523	1,041	0	17,564
23.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	2,483	194	0	2,677
24.	पश्चिम बंगाल	49,217	0	0	49,217
25.	कोलकाता	0	0	0	0
26.	चेन्नै	656	0	0	656
	बी.एस.एन.एल.	297,375	186,822	0	484,197

[हिन्दी]

दूरभाष केन्द्रों का कार्य न करना

4008. श्री चन्द्रदेव प्रसाद राजभर: क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक दूरभाष केन्द्र विशेषकर बिठौली और दरभंगा दूरभाष केन्द्र पिछले एक वर्ष से कार्य नहीं कर रहे हैं परंतु उपभोक्ताओं से मासिक किराया वसूला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) टेलीफोन सुविधा न मिलने की स्थिति में भी इस प्रकार से प्रभारित मासिक किराए को न लौटाये जाने अथवा समायोजित न किए जाने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया): (क) और (ख) जी, नहीं। बिहार दूरसंचार सर्किल में, बिठौली एक्सचेंज में सड़क निर्माण-कार्यों के कारण 82 टेलीफोन कनेक्शन तीन महीने की औसत अवधि के लिए प्रभावित रहे थे। उक्त अवधि के लिए इन कनेक्शनों का मासिक किराया छोड़ दिया गया है। तथापि, दरभंगा एक्सचेंज में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्ति

4009. श्री सूरज सिंह:

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

डा. चिन्ता मोहन:

डा. बाबू राव मिडियम:

श्री महावीर भगोरा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान में देश में कृषि, उद्योग, सेवा, सार्वजनिक तथा संगठित निजी क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या तथा प्रतिशत का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यबल में शामिल होने वाले 18 से 60 वर्ष की आयु समूह के व्यक्तियों की अनुमानित संख्या कितनी है; और

(घ) उक्त क्षेत्रों में वृद्धि को पूरा करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): (क) और (ख) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार एवं बेरोजगारी के अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठनों द्वारा आयोजित पंचवर्षीय श्रम बल सर्वेक्षणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। प्रमुख राज्यों में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में लगे हुए व्यक्तियों का सामान्य स्थिति आधार पर संवितरण प्रतिशत संलग्न विवरण-I, संगठित क्षेत्र में नियोजितों की संख्या विवरण-II तथा क्षेत्रवार रोजगार विवरण-III में दिया गया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित 11वीं योजना के दस्तावेज में यह पूर्वानुमान लगाया गया है कि 11वीं योजनावधि के दौरान 58 मिलियन रोजगार अवसर सृजित किए जाने की संभावना है। भविष्य में अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन, मुख्यतया सेवा तथा विनिर्माण क्षेत्रों, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पाद, फुटवियर तथा कपड़े जैसे श्रम सघन विनिर्माण क्षेत्रों तथा पर्यटन एवं निर्माण जैसे सेवा क्षेत्रों में किया जाएगा।

विवरण-I

वर्ष 2004-05 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर प्रमुख राज्यों में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों के संवितरण की प्रतिशतता

प्रमुख राज्य	ग्रामीण पुरुष			ग्रामीण महिलाएं			शहरी पुरुष			शहरी महिलाएं		
	कृषि	उद्योग	सेवा	कृषि	उद्योग	सेवा	कृषि	उद्योग	सेवा	कृषि	उद्योग	सेवा
भारत	66.5	15.5	18.0	83.3	10.2	6.6	6.1	34.4	59.5	18.1	32.4	49.5
आन्ध्र प्रदेश	66.4	14.6	19.2	78.5	11.6	10.0	6.9	31.2	62.1	17.7	27.3	55.1
असम	69.6	6.4	23.8	88.3	4.5	7.1	4.3	21.4	74.5	7.3	8.7	84.1
बिहार	75.8	8.4	15.8	86.4	8.1	5.4	17.2	19.5	63.3	46.7	14.8	38.4
छत्तीसगढ़	80.3	9.6	10.0	93.3	4.1	2.5	8.2	28.7	63.1	29.9	25.2	44.9
दिल्ली	4.6	30.2	65.3	44.6	0.0	55.4	0.2	33.5	66.3	0.0	19.8	80.2
गुजरात	69.3	14.6	16.2	89.1	6.6	4.3	4.1	46.4	49.4	15.6	40.1	44.3
हरियाणा	49.4	25.4	25.2	90.6	4.2	5.2	7.3	37.3	55.1	29.3	19.0	51.7
हिमाचल प्रदेश	49.4	28.3	22.2	91.0	3.5	5.6	2.6	41.4	56.0	28.4	23.5	48.2
जम्मू-कश्मीर	53.8	22.1	24.1	86.6	9.8	3.6	9.4	38.6	52:0	38.7	32.4	29.1
झारखण्ड	61.5	24.2	14.2	85.3	11.3	3.5	6.7	33.9	59.5	32.0	30.0	37.8
कर्नाटक	77.7	9.0	13.3	85.5	8.5	5.8	6.0	32.9	61.1	16.0	31.4	52.7
केरल	37.1	27.4	35.5	51.7	23.0	25.3	1.4	30.1	55.7	19.8	26.5	53.6
मध्य प्रदेश	79.1	10.0	11.1	88.1	8.5	3.3	9.0	29.5	61.5	23.7	31.8	44.3

महाराष्ट्र	71.4	12.4	16.2	90.7	4.5	4.9	4.6	35.5	59.8	14.2	30.3	55.6
उड़ीसा	65.9	16.2	17.9	74.6	19.8	5.8	10.1	28.7	61.1	28.3	19.0	52.8
पंजाब	54.7	24.1	21.1	89.7	3.8	6.4	4.1	36.6	59.3	15.2	25.1	59.6
राजस्थान	60.2	23.8	15.9	89.5	7.6	2.9	7.1	34.2	58.7	33.9	38.4	27.6
तमिलनाडु	58.7	22.8	18.6	73.8	16.6	9.8	6.2	38.1	55.8	13.7	40.7	45.7
उत्तराखण्ड	63.3	16.5	20.2	96.0	1.8	2.1	7.2	25.7	67.0	33.4	13.5	53.1
उत्तर प्रदेश	66.3	17.3	16.3	86.5	8.2	5.1	7.2	35.3	57.5	26.5	41.2	32.3
पश्चिम बंगाल	63.9	14.3	21.9	58.8	29.5	11.8	2.7	34.8	62.3	3.1	36.9	59.8

स्रोत: वर्ष 2004-05 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के आधार पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट। हो सकता है पूर्णांकों के कारण आंकड़े योग से मेल न खाएं।

विवरण-II

निम्न तिथि की स्थिति के अनुसार संगठित क्षेत्र में राज्य-वार रोजगार

(मिलियन में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31 मार्च 2005
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	20.43
2.	असम	11.12
3.	बिहार	5.27
4.	झारखण्ड	10.42
5.	गोवा	1.12
6.	गुजरात	16.94
7.	हरियाणा	6.48
8.	हिमाचल प्रदेश	3.17
9.	जम्मू-कश्मीर	2.10
10.	कर्नाटक	18.62
11.	केरल	11.40
12.	मध्य प्रदेश	10.71
13.	छत्तीसगढ	3.39
14.	महाराष्ट्र	35.41
15.	मणिपुर	0.81
16.	मेघालय	0.82
17.	मिजोरम	0.42
18.	नागालैण्ड	0.72
19.	उड़ीसा	7.50
20.	पंजाब	7.73
21.	राजस्थान	11.81
22.	तमिलनाडु	22.79
23.	त्रिपुरा	1.23
24.	उत्तर प्रदेश	20.88
25.	उत्तराखण्ड	2.61
26.	पश्चिम बंगाल	20.39
27.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.38
28.	चण्डीगढ	0.89
29.	दिल्ली	8.31
30.	पाण्डिचेरी	0.58
31.	दमन व दीव	0.15
	योग	264.58

विवरण-III

1993-94 से 2004-05 की अवधि के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर कार्य बल का उद्योग-वार संवितरण

उद्योग	रोजगार मिलियन में		
	1993-94	1999-2000	2004-05
1	2	3	4
कृषि	242.46	237.56	268.57

1	2	3	4
खनन व उत्खनन	2.7	2.27	2.75
विनिर्माण	42.5	48.01	53.71
विद्युत, गैस व जल आपूर्ति	1.35	1.28	1.38
निर्माण	11.68	17.62	25.71
व्यवसाय	27.78	37.32	47.29
परिवहन, भण्डारण व संचार	10.33	14.69	17.45
वित्तीय सेवाएं	3.52	5.05	6.89
समुदाय सामाजिक व वैयक्तिक सेवा	32.13	33.2	35.81
योग रोजगार	374.45	397.0	459.1

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं-

(1) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 8541/08]

(2) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियरिंग लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 8542/08]

(3) मिश्र धातु निगम लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 8543/08]

(4) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 8544/08]

(5) मझगांव डॉक लिमिटेड और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 8545/08]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला): महोदय, मैं राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड और वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2008-2009 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई, **देखिए** संख्या एल.टी. 8546/08]

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[प्रो. सैफुद्दीन सोज]

(दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 8547/08]

(3) नर्मदा, नियंत्रण प्राधिकरण इंदौर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 8548/08]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा 15 जून, 2006 को जेनेवा में अपने 95वें सत्र में रोजगार संबंधों के बारे में स्वीकृत सिफारिश संख्या 198 संबंधी विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिए संख्या एल.टी. 8549/08]

(2) (एक) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वी.वी. गिरि नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 8550/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल.टी. 8551/08]

(3) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) टैपिओका सागो श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2007 जो 22 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 193 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सेतु श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2007 जो 3 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 230 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) शिकाकाई श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, 2008 जो 2 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 66(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 8552/08]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये, **देखिए** संख्या एल.टी. 8553/08]

अपराह्न 12.05 बजे

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति

33वां से 35वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मण्डी): महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 33वां प्रतिवेदन।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 34वां प्रतिवेदन।

(3) अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2008-09) के बारे में 35वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05½ बजे

समिति के लिए निर्वाचन

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमो के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत श्री रघुनाथ झा की मंत्री के रूप में नियुक्ति होने पर उनके स्थान पर वर्ष 2008-09 के लिए लोक सेवा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उपनियम (3) के अंतर्गत श्री रघुनाथ झा की मंत्री के रूप में नियुक्ति होने पर उनके स्थान पर वर्ष 2008-09 के लिए लोक सेवा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.06 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

48वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 17 अप्रैल, 2008 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 48वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 17 अप्रैल, 2008 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 48वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमने आज सात प्रश्न पूरे किए हैं, यद्यपि, मेरा लक्ष्य 10 प्रश्नों का है। मैं सभा में मौजूद सभी दलों के पूर्ण सहयोग के लिए उनका आभारी हूं। मैं, यथा संभव अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को अवसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं जानता हूं कि वे बहुत उत्सुक हैं यद्यपि, कुछ मुद्दे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते। तब भी मैं यथा संभव अधिक से अधिक सदस्यों को अवसर दूंगा।

मैं सबसे पहले योगी आदित्य नाथ को आमंत्रित करता हूं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पूरे देश के अंदर विद्युत की भारी कटौती की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। लगभग 17 करोड़ की आबादी उस प्रदेश में निवास करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत की इतनी भारी कटौती है कि महानगरीय क्षेत्रों में जहां पहले शासन ने घोषित किया था कि हम 18 से 20 घंटे तक बिजली देंगे, वहां बमुश्किल 6 से 8 घंटे तक बिजली मिल पा रही है, वह भी उस समय जबकि नागरिक आवश्यकताओं की कमी होती है। प्रातःकाल बिजली कटौती हो जाती है, दोपहर में बिजली कटौती हो जाती है, सायं को बिजली कटौती हो जाती है, रात्रि में 12 से 4 बजे तक बिजली कटौती हो जाती है।...*(व्यवधान)* पूरा जनजीवन अस्त-व्यस्त है, बेहाल है, यहां तक कि आम नागरिक परेशान है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पावर ग्रिड कार्पोरेशन द्वारा राज्यों को जो विद्युत दी जानी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव न बरता जाए, खासतौर से गोरखपुर जैसे महानगर में, जो प्रदेश के आठ प्रमुख महानगरों में से एक है। वहां कुल 6 से 8 घंटे की विद्युत आपूर्ति हो पा रही है, जबकि ताला विद्युत परियोजना जो एन.डी.ए. सरकार के समय प्रारंभ हुई थी, लगभग दो हजार मेगावाट की बिजली भूटान और पूर्वोत्तर राज्यों से दिल्ली तक पहुंचनी थी, उसका एक सब-स्टेशन गोरखपुर में भी बना हुआ है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सैंटर के बारे में बोलिए।

महोदय, पावर ग्रिड कारपोरेशन भारत सरकार का संगठन है और उसने अपना एक सब-स्टेशन वहां स्थापित किया है। वहां पर न तो नागरिकों को बिजली की आपूर्ति हो पा रही है और न ही उद्योग-धंधों को बिजली मिल पा रही है। अगर उद्योग-धंधों को बिजली की आपूर्ति नहीं होगी तो स्वाभाविक रूप से उनके कार्य प्रभावित होंगे, उनकी कार्यप्रणाली पर असर पड़ेगा। आज यही स्थिति वहां बनी हुई है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ने गोरखपुर में एक सब-स्टेशन बनाया है। आज लगभग 1,000 मेगावाट से अधिक बिजली ताला विद्युत परियोजना के माध्यम से आ रही है। उसकी आपूर्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश, खास तौर से गोरखपुर महानगर के लिए की जाए। महानगरीय क्षेत्रों में जो 18 से 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 14 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए शासन ने पूर्व में जो अपनी नीति घोषित की थी, उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे आम जनजीवन इससे अप्रभावित रहे, आम नागरिकों के जीवन और उद्योग-धंधों पर इसका जो असर पड़ रहा है, उससे उनको बचाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): महोदय, मैं पंचायती राज सम्मेलन का मुद्दा उठाना चाहता हूं जिसका आयोजन होना है।

अध्यक्ष महोदय: यदि आप इस बारे में इतने चिन्तित हैं तो आपको इस मुद्दे के लिए कहीं और जाना होगा। यहां आप इस मुद्दे को केवल मेरी अनुमति से ही उठा सकते हैं। इसके पश्चात मैं आपको ही आमंत्रित करता परन्तु मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको बाद में अवसर दूंगा। अब श्री हन्नान मोल्लाह बोलेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। अब जानते ही हैं कि अगले वर्ष भोपाल गैस त्रासदी को 25 वर्ष हो जाएंगे। महोदय, 25 वर्ष पूर्व मैंने सबसे पहले इस मामले को इस सभा में उठाया था। अब, इस बात को 25 वर्ष बीत चुके हैं परन्तु, अधिकांश समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। यूनियन कार्बाइड के आस-पास दूषित जल के साथ अब एक दूसरी आपदा आरंभ हो गई है। दो वर्ष पूर्व माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस विषय पर ध्यान देने का वादा किया था। परन्तु, अभी तक पर्याप्त कार्य नहीं किया

गया है। पुनर्वास कार्यों तथा इन कार्यों की निगरानी करने के लिए एक विशेष आयोग की मांग की जा रही है। यह कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यूनियन कार्बाइड के विरुद्ध अभी तक उचित कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है। जहां तक वारेन एंडरसन के प्रत्यार्पण का संबंध है, पूरे देश द्वारा बार-बार मांग किए जाने के बावजूद सरकार, न्यायिक कार्यवाही करने के लिए उसे अपने देश में लाने में विफल रही है। ऐसे तीन कीटनाशक हैं, जिनको देश में पहले ही पंजीकृत किया जा चुका है और ऐसे आरोप हैं कि यह सब कृषि मंत्रालय की सांठ-गांठ से किया गया है। उनके लाइसेंसों को रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किया जा रहा है।

इस स्थिति में मेरी यह मांग है कि सरकार 25 वर्षों से लंबित समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्काल कार्यवाही करे। अगले वर्ष भोपाल गैस त्रासदी के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे विश्व का ध्यान भोपाल पर लगा होगा। हमें समस्या का समाधान करके पूरे विश्व की प्रशंसा प्राप्त करनी चाहिए। अन्यथा, इन समस्याओं का समाधान करने में विफल रहने के लिए पूरा विश्व हमारी आलोचना करेगा।

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर): महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य में जनवरी और फरवरी में पाला पड़ा और अभी मार्च एवं अप्रैल में असामयिक बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इनसे जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करते हुए मैं निवेदन करूंगा कि पाले से राज्य के 22 जिले प्रभावित हुए हैं और 8.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसलें खराब हुई हैं, 3.45 लाख हेक्टेयर में 50 प्रतिशत से अधिक फसलों की क्षति हुई है और इससे 1.40 लाख किसान प्रभावित हुए हैं। इस तरह से करोड़ों रुपए की क्षति हुई और विशेष रूप से सरसों की फसल का 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि राजस्थान के किसानों को जो करोड़ों रुपए की क्षति हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या आप कोई स्पेशल पैकेज देने की व्यवस्था करेंगे। यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन: पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार 22 से 24 अप्रैल, 2008 तक नई दिल्ली में जिला परिषद के अध्यक्षों और मध्यवर्ती पंचायतों के एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रही है।

मेरी जानकारी के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय ने प्रारूप चार्टर तैयार करते समय न तो तमिलनाडु सरकार और न ही तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी ग्रामीण स्थानीय निकाय को विश्वास में लिया गया। चार्टर में ऐसे बहुत से खंड हैं जो कि तमिलनाडु सरकार को स्वीकार्य नहीं हैं। तमिलनाडु सरकार ने उपरोक्त सम्मेलन में भाग लेने के लिए 68 निर्वाचित प्रतिनिधियों का चयन किया है। परन्तु, चार्टर में कुछ अवांछनीय खंडों के कारण ये लोग सम्मेलन में भाग नहीं ले सकते। भारतीय संविधान के अंतर्गत पंचायती राज राज्य का विषय है। पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना चाहिए तथा पूरे देश के लिए एक समान चार्टर तैयार किया जाना चाहिए। तमिलनाडु सरकार से परामर्श तथा उसे विश्वास में लिए बिना एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किए जाने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में तमिलनाडु सरकार से एक वार्ता करे तथा इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में अपने विचार व्यक्त करने के लिए राज्य सरकार तथा पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अवसर दे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, देश में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की चर्चा चल रही है और उसकी समीक्षा हो रही है। ये सिफारिशें इतनी असंतुलित हैं कि आई.ए.एस. संवर्ग को छोड़ कर बाकी सभी संवर्गों के लोग चाहे आई.पी.एस. हों या अन्य लोग हों, खासकर सेना के लोग काफी मर्माहत हैं। रक्षा मंत्रालय की संयुक्त संसदीय स्थाई समिति की रिपोर्ट में भी स्पष्ट कहा गया है कि सेना के अधिकारी और कर्मचारी इस्तीफा तक देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इन सिफारिशों से इतना असंतुलन है कि कोई भी संवर्ग संतुष्ट नहीं है। अगर इन असंतुलित सिफारिशों को लागू किया जाएगा तो हम समझते हैं कि देश में...* की स्थित पैदा हो जाएगी।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसी आशा नहीं है। उस बात का उल्लेख मत कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह आर्मी के लिए जो कहा गया है, वह शब्द डिलीट कर दिया जाए।

[अनुवाद]

सेना को ऐसे सुझाव मत दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैंने कोई असंसदीय शब्द तो नहीं कहा है।

अध्यक्ष महोदय: कभी-कभी कोई बात हमारी भी मान लें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम तो आपकी सारी बातें मानते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उस शब्द को हटा दीजिए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: आई.पी.एस. संवर्ग के लोगों में भी इस वेतन आयोग की रिपोर्ट को लेकर काफी गुस्सा और आक्रोश है। अगर इस असंतुलन को दूर नहीं किया गया तो कोई अच्छा शगुन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को संतुलित करने के लिए वह उचित कदम उठाए। मेरा यह भी कहना है कि जब भी किसी समिति का गठन किया जाता है तो उसमें आए ऐसे लोगों को सचिव या अन्य पदों पर बिठा दिया जाता है। वे लोग अपने हित में उस समिति की रिपोर्ट में सिफारिशें करवा लेते हैं, जिससे उनका तो हित हो जाता है, दूसरों का अहित होता है। मैं चाहूंगा कि इस मसले पर संसद की एक समिति बनाई जाए, जो इस रिपोर्ट की सिफारिशों की समीक्षा करे। उसके बाद इन सिफारिशों को संतुलित बनाकर लागू किया जाए ताकि किसी भी वर्ग में असंतोष न हो।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): हमने पहले भी जलवायु परिवर्तन पर एक बहुत सकारात्मक चर्चा की थी और आपने भी सार्वजनिक तौर पर चर्चा की प्रशंसा की थी। मैं, 'गूगल अर्थ से प्राप्त एक तस्वीर, जिसे कि सैटेलाइट के माध्यम से देखा जा सकता है पर आधारित जानकारी कि भागीरथी नदी आठ किलोमीटर क्षेत्र में सूख चुकी है की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

2004 में यह क्षेत्र केवल एक किलोमीटर था परन्तु, चार वर्षों में भागीरथी नदी का सात किमी. क्षेत्र सूख चुका है। इसके अतिरिक्त, गंगोत्री हिमनदी से निकलने वाली चार या पांच अन्य नदियां भी बहुत तेजी से सूख रही हैं। यह सब बांध के त्रुटिपूर्ण निर्माण, गलत डिजाइन और दोषपूर्ण आयोजनों के कारण हुआ है। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है।

अतः, मैं सरकार से इस संबंध में इस विषय से संबंधित सभी पहुलओं की जांच करने के लिए तत्काल एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का अनुरोध करता हूं, जो इस संबंध में सुनियोजित सिफारिशें दे सके।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि उचित स्तर पर इस गंभीर मामले की जांच की जाएगी।

श्री हितेन बर्मन (कूच बिहार): महोदय, मैं बंगाली भाषा में बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि सभा में अनुवादक मौजूद है। इस सभा में बंगाली भाषा में बोलने की अनुमति है।

**श्री हितेन बर्मन:* माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दिन्हाटा सब-डिवीजन में सिताई सीमावर्ती क्षेत्र में लगभग दो लाख लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में सड़क संपर्क प्रदान करने के लिए मंचाई (सिंगीमरी) नदी पर उपरिपुल बनाए जाने की आवश्यकता है और इस सम्माननीय सभा में

---

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

यह मांग कई बार उठाई गई है। सीमा क्षेत्र विकास निधि द्वारा निधियां जारी की जानी थी और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा गया था। इसके बाद बी.ए.डी.एफ. ने योजना आयोग से अतिरिक्त धन की मांग की। उसने योजनागत प्राक्कलन भी भेजा परन्तु कुछ भी नहीं हुआ। किसी ने भी इस सेतु के निर्माण हेतु आज तक कोई पहल नहीं की है। मैं इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह सीमावर्ती क्षेत्र विकास निधि की सहायता से तत्काल इस परियोजना को आरंभ करे जिससे कि इस जिले के आम लोगों को इसका लाभ मिल सके।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता वर्ष 1964 में आई.डी.बी.आई. अधिनियम के माध्यम से, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप उद्योगों के वित्तपोषण, संवर्धन और विकास में लगी संस्थाओं के कार्य में समन्वय स्थापित करने हेतु एक प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य ऐसी संस्थाओं के विकास में सहायता प्रदान करना था जो उद्योगों को ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करती थीं। जब आई.डी.बी.आई. (उपक्रम का अंतरण और निरसन) विधेयक पारित किया गया था और इस सभा में वर्ष 2003 में यह शंका जताई गई थी कि क्या इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् आई.डी.बी.आई. का विकासकारी चरित्र क्षीण तो नहीं हो जाएगा।

इसीलिए हमने कुछ आपत्तियां उठाईं और संशोधन भी प्रस्तुत किए थे। हमें इसी सभा में माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वस्त किया था - आप भी यह अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप भी तब यहां उपस्थित थे - कि आई.डी.बी.आई. का विकासकारी चरित्र नहीं बदलेगा और आई.डी.बी.आई. को आई.डी.बी.आई. बैंक में परिवर्तित करने से, इस संशोधन के पारित होने के बाद, इसके कर्मचारियों की सेवा शर्तें नहीं बदलेंगी और न ही प्रभावित होंगी लेकिन आई.डी.बी.आई. का वर्तमान प्रबन्धन, स्वेच्छा से, तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन का उल्लंघन कर रहा है और वह कर्मचारियों की सेवा शर्तें भी बदल रहा है। इस प्रकार, वे, जिस उद्देश्य से 1964 में आई.डी.बी.आई. की स्थापना की गई थी, उस उद्देश्य को ही बदल रहे हैं और आई.डी.बी.आई. किसी भी अन्य वाणिज्यिक बैंक की भांति कार्य कर रहा है।

अतः. मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह आई.डी.बी.आई. के वर्तमान प्रबन्धन को ऐसा करने से रोके। उन्हें सभा में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और केवल अपनी ओर से ही कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नहीं बदलना चाहिए, जैसा कि वे अभी कर रहे हैं। मैं सरकार से यह अनुरोध भी करता हूं कि वह आई.डी.बी.आई. के प्रबन्धन को यह निदेश दे कि वे ऐसा न करें।

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.एस. गढ़वी - उपस्थित नहीं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं आपके माध्यम से समाज विशेषकर रक्षा मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

हम सभी प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण करने के पक्ष में हैं। लेकिन 'ऑलिव रिडले' कछुओं के अंडे देने से संबंधित एक नई समस्या खड़ी हो गई है। यह मामला 'ऑलिव रिडले' कछुओं के अंडे देने से संबंधित है जो कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) द्वारा किए जा रहे प्रक्षेपास्त्रों के परीक्षण के कारण बाधित हो रहा है। ये परीक्षण इस संगठन द्वारा उड़ीसा वन और पर्यावरण विभाग के साथ किए गए समझौते के विरुद्ध हैं। पर्यावरणविद अब इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि संकट ग्रस्त 'ऑलिव रिडिले' कछुओं का गहिरामाथा समुद्री अभयारण्य में वार्षिक अंडे देने का कार्य इस वर्ष अभी तक नहीं हुआ है। यह स्थान विश्व में संकटग्रस्त 'ऑलिव रिडले' कछुओं का सबसे बड़ा अंडे देने का स्थान है।

डी.आर.डी.ओ. द्वारा यहां प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण किए जाने से इस संकट ग्रस्त प्रजाति, जिसे बाघ के समान ही कानूनी संरक्षण प्राप्त है, के अंडे देने का मौसम प्रभावित हो रहा है। उड़ीसा वन्य जीव विभाग के साथ किए गए समझौते के अनुसार डी.आर.डी.ओ. को कछुओं के अंडे देने के मौसम में न तो प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण करना चाहिए और न ही तेज लाइटों का उपयोग करना चाहिए। इस समझौते के बावजूद, जब कछुए अंडे देने के लिए एन.ए.एस.आई.-I और एन.ए.एस.आई.-II नामक दो छोटे द्वीपों की ओर बढ़ रहे थे, जो कि गहिरामाथा के उत्तरी भाग में स्थित हैं, तभी वहां प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण किया गया। इसीलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह पता लगाए कि यह समझौता किस प्रकार तोड़ा गया और इस पर आगे कार्यवाही करे क्योंकि निकट भविष्य में, इस महीने के अंत तक, अग्नि-III का परीक्षण होने जा रहा है। अतः संकटग्रस्त 'ऑलिव रिडले' कछुओं को बचाने के लिए पर्याप्त

[श्री भर्तृहरि महताब]

कदम उठाए जाने चाहिएं। इसी के साथ-साथ, प्रक्षेपास्त्रों का परीक्षण संकटग्रस्त कछुओं को हानि पहुंचाए बिना किया जाना चाहिए।

श्रीमती पी. सतीदेवी (बड़ागरा): महोदय, मैं आपके माध्यम से इस प्रतिष्ठित सभा का ध्यान देश में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के लिए मूल टीकों की आपूर्ति की कमी की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे बच्चों को गल-घोंटू, काली खांसी, टेटनिस, पोलियो, टाइफाइड और बच्चों को तपेदिक से बचाना है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में बी.सी.जी, डी.पी.टी., ओ.पी.वी. और खसरे के टीके सम्मिलित हैं। इन टीकों की भारी कमी है और केरल - जहां सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम को इतना सुदृढ़ किया गया - के लिए इनके आबंटन में कटौती की गई है। केवल 30 प्रतिशत आबंटन किया गया है जबकि वास्तविक आवश्यकता कहीं अधिक है। वहां इसकी केवल 30 प्रतिशत आपूर्ति की गई है।

हाल ही में, यह सूचना मिली है कि इन टीकों और अन्य औषधियों का वैकल्पिक प्रबन्ध किए बिना इन्हें बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की देश के तीन प्रमुख औषध निर्माता कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। वास्तव में इससे औषध निर्माण के क्षेत्र में बेईमान निजी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

हिमाचल प्रदेश के कसौली में स्थित सेन्ट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु में पी.आई.आई. और चेन्नै में बी.सी.जी.वी.एल., जैसी औषध निर्माता कंपनियों के लाइसेंस बिना कोई वैकल्पिक प्रबन्ध किए रद्द कर दिए गए हैं। केरल को इन टीकों की आपूर्ति में कमी के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः, मैं मंत्रालय से यह अनुरोध करती हूं कि केरल व अन्य राज्यों में हमारे बच्चों की सुरक्षा और बचाव सुनिश्चित करने हेतु इन टीकों की पर्याप्त आपूर्ति के लिए तत्काल कदम उठाए।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं स्वयं को इस मामले में श्रीमती सतीदेवी के साथ संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: हां, आप कृपया स्वयं को इससे संबद्ध कीजिए। मैं आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उड़ीसा सरकार के द्वारा बारंबार लिखित रूप से विरोध किए जाने के बावजूद भी हाल ही में आन्ध्र-प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के चपारा गांठ और उड़ीसा के गजपति जिले के आगराखण्डी गांव के बीच स्थित महेन्द्रातनाया अन्तर-राज्यीय नदी पर एक अपतटीय जलाशय सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु आधारशिला रख दी है जिससे *...1962 की अन्तर-राज्यीय नदी जल संधि का उल्लंघन होता है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया राज्य सरकार पर आरोप मत लगाइए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: केवल तथ्यों को सामने रखिए, आरोप मत लगाइए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। उन्होंने निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है...उल्लंघन।

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से आपने "गैर-कानूनी रूप से" कहा है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: ...* 1962 की संधि, 1962 की अन्तर-राज्यीय संधि, दो राज्यों के बीच - उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश। यह महेन्द्रातनाया

श्री के.एस. राव (एलुरू): अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदय: यही समस्या है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री राव, ऐसा मत कहिए। मैं पहले ही यह कार्यवाही कर चुका हूं। उन शब्दों को मत लीजिए। मैंने हस्तक्षेप किया है। मैंने इसे देखा है। कृपया तथ्यों को बताइए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महेन्द्रातनाया नदी उड़ीसा के महेन्द्रगिरी पहाड़ों से निकलती है। आन्ध्र प्रदेश नदी के बहाव को नदी के बाएं किनारे पर एक जलमार्ग बनाकर मोड़ने का प्रयास कर रहा है। इससे नदी का सारा पानी

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आन्ध्र प्रदेश की ओर मुड़ जाएगा जिससे उड़ीसा, जो कि इस नदी के नीचे की ओर स्थित है, प्रभावित होगा। मुझे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री के.एस. राव जी मैं आपको बुलाऊंगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आप मुझे बोलने की अनुमति नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने की अनुमति दे चुका हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुमति दी है। आप की बड़ी कृपा है।

अध्यक्ष महोदय: यही कारण है कि मैंने आपको बुलाया है। कृपया बोलिए। मैंने आपको अनुमति दी है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: तकनीकी मत यह है कि धारा रेत को काट सकती है, जिससे अंततः नदी के मार्ग में परिवर्तन हो सकता है। अतः, यदि वे नदी को मोड़ते हैं, तो इससे नदी का मार्ग परिवर्तित हो जाएगा - यह तकनीकी रिपोर्ट है। इस संबंध में, उड़ीसा के मुख्य मंत्री कई बार विरोध कर चुके हैं और इस परियोजना को रोकने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। इस समझौते के अनुसार, किसी अंतर-राज्यीय नदी पर किसी परियोजना के निर्माण के लिए दूसरे राज्य को संभावित नुकसान, जलमग्न होने वाले भूक्षेत्र से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर दोनों राज्यों के बीच सहमति होनी चाहिए। ये सारी बातें समझौते में ही हैं। कोई भी निर्माण शुरू होने से पूर्व, दोनों राज्यों को इसके बारे में निर्णय करना चाहिए और दूसरे राज्य को कितनी क्षति होगी, इस बारे में भी प्रभावित राज्य से विचार-विमर्श करना चाहिए। आंध्र प्रदेश द्वारा इस बात पर विचार नहीं किया गया है। यह नदी उड़ीसा के नक्सल प्रभावित गजपति जिले के लिए पेयजल और सिंचाई का मुख्य स्रोत है। महोदय, आप जानते ही हैं कि यह सर्वाधिक नक्सल-प्रभावित जिला है। जिले में ही आंदोलन चल रहा है और लोग आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि यदि नदी मार्ग बदल दिया जाता है तो उन्हें पेयजल मिलने की भी संभावना नहीं रहेगी। इससे समूचे परालखेमुंडी और गजपति जिले प्रभावित होंगे। अब केन्द्र सरकार को एक अंतर-राज्यीय नदी अधिकरण के गठन कर इस मामले को सुलझाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की जरूरत है। केन्द्रीय जल आयोग से भी सलाह-मश्विरा नहीं किया गया है। उन्होंने भी इस बारे में अपनी राय नहीं दी है। अंतर-राज्यीय नदी विवाद से संबंधित किसी भी विषय पर केन्द्रीय जल आयोग की राय और तकनीकी राय आवश्यक है और यह दोनों राज्यों पर बाध्यकारी होनी चाहिए। अंतर-राज्यीय नदी विवाद अधिकरण अधिनियम में यह प्रावधान है और यह अधिदेश है। आंध्र प्रदेश इस बारे में सलाह-मश्विरा नहीं कर रहा है। उड़ीसा और भारत सरकार से सलाह-मश्विरा किए बगैर केन्द्रीय जल आयोग की राय अथवा तकनीकी रिपोर्ट लिए बिना वह अकेला ही कार्यवाही कर रहा है* वे यह सब कर रहे हैं। यह एक-तरफा यातायात नहीं है। यही कारण है कि उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित होगा। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वह इन दोनों राज्यों के विवाद के निपटारे के लिए शीघ्र ही एक अंतर-राज्यीय नदी अधिकरण का गठन करे। संघवाद, यही की मूल भावना है। भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए और दोनों राज्यों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। अन्यथा दोनों राज्यों के बीच वैमनस्य उत्पन्न होगा।

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि आप सभी सहयोग कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: इस समय दोनों राज्यों के अच्छे संबंध हैं। लेकिन भविष्य में वैमनस्य उत्पन्न होगा और एक अत्यंत गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। यही कारण है कि मैं सरकार से इस बारे में हस्तक्षेप करने का अनुरोध कर रहा हूं। मैंने इस बारे में एक पत्र भी लिखा है। मुख्यमंत्री ने भी केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। मैंने इस बारे में माननीय प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है।

मैंने यह मामला उनके हस्तक्षेप के लिए उनके ध्यान में दिया है। मैं अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार इस मामले में तुरंत कार्यवाही करे। मैं मंत्री महोदय की राय जानना चाहता हूं। सदन के नेता भी यहां मौजूद हैं। अतः भारत सरकार से जवाब चाहता हूं और उन्हें शीघ्र ही एक अंतर-राज्यीय नदी जल अधिकरण गठित करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। अब श्री के.एस. राव आपनी बात रखेंगे। लेकिन, कृपया एक दूसरे पर दोषारोपण न करें।

श्री के.एस. राव: जी नहीं महोदय, मैं कोई दोषारोपण नहीं करूंगा। बात यह है कि पोलवरम परियोजना का निर्माण

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री के.एस. राव]

150 फीट के स्तर तक हो रहा है। उड़ीसा से निर्वाचित माननीय सदस्य पहले भी यह कहते हुए यह मुद्दा उठा चुके हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार इस बांध का निर्माण 150 फीट से ज्यादा कर रही है। बाद में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि आंध्र प्रदेश सरकार इस परियोजना का निर्माण बचावत पंचाट के अनुसार ही कर रही है और यह जल प्रयोग के संबंध में भी अपनी सीमा को लांघ नहीं कर रही है।...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, मुद्दा पोलवरम परियोजना का नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यही कारण है कि मैं कहता हूं कि ये मुद्दे यहां न उठाए जाएं। उत्तर देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार यहां मौजूद नहीं है। वे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव: महोदय, जब वे बोले तब मैं चुप रहा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बता रहे थे कि उड़ीसा उस पानी से वंचित हो जाएगा जो उसे वास्तव में मिलना चाहिए। वास्तविक तथ्य यह है कि आज भी 3,600 टी.एम.सी. फुट पानी समुद्र में जा रहा है और आंध्र प्रदेश सरकार पोलवरम परियोजना में 300 टी.एम.सी. फुट से भी कम पानी का प्रयोग कर रही है।...*(व्यवधान)* यह कोई तकनीकी आपत्ति नहीं है और माननीय सदस्य इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। यदि यह तकनीकी पहलू होता तो मैं इसे समझ सकता था, लेकिन इसे एक राजनैतिक मुद्दा बना दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: यहां पर राजनीति न करें।

श्री के.एस. राव: जी नहीं, यह आंध्र प्रदेश में एक राजनैतिक मुद्दा बनाया गया था।...*(व्यवधान)* मैं उड़ीसा से निर्वाचित सदस्य के खिलाफ कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। आंध्र प्रदेश में, विपक्षी दल वस्तुतः उड़ीसा सरकार को भड़का रहे हैं, जिसने कोई आपत्ति नहीं की है। यह मामला न्यायालय में भी केवल आंध्र प्रदेश के विपक्षी दलों के कारण ही गया। अतः, आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी भी तकनीकी पहलू का उल्लंघन नहीं किया है और यह बचावत पंचाट के अनुसार चल रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने किसी अन्य परियोजना का जिक्र किया है।

...*(व्यवधान)*

श्री के.एस. राव: महोदय, मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहा हूं। लेकिन आंध्र प्रदेश के कुछ विपक्षी दल और निहित स्वार्थी तत्व सोचते हैं कि यदि पोलवरम परियोजना पूरी हो गई, तो वे अलोकप्रिय हो जाएंगे और कांग्रेस दल लोकप्रिय हो जाएगा। इसिलए, वे इस मुद्दे पर उड़ीसा सरकार को भड़का रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जल एक राष्ट्रीय संसाधन है, जो लोगों के फायदे के लिए है। मुझे विश्वास है कि इसका बंटवारा इस प्रकार होगा कि सभी के हित की पूर्ति हो। इस मुद्दे पर अब और कुछ नहीं। हम अगली मद ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.33 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेंगे।

डा. करण सिंह यादव - उपस्थित नहीं

(एक) ओ.एन.जी.सी. द्वारा किसानों से अधिग्रहित भूमि के बदले उन्हें दी गई प्रतिपूरक धनराशि पर लगाए गए टी.डी.एस. को समाप्त किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाणा में तेल एवं गैस काफी मात्रा में मिल रहा है और

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बड़े पैमाने पर किसानों की जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है। जिस किसान की जमीन पर तेल एवं गैस मिलता है उसकी जमीन का मुआवजा ओ.एन.जी.सी. देती है परंतु जब उनको जमीन का मुआवजा मिलता है तो उन पर केंद्र सरकार द्वारा टी.डी.एस. लिया जाता है जिसको वापस लेने के लिए वकील करने पड़ते हैं और न्यायालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं जिसके कारण किसानों को काफी धन खर्च करना पड़ता है। किसानों को उनकी कृषि भूमि का जो मुआवजा मिलता है उस पर टी.डी.एस. नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह कृषि से जुड़ा मामला है एवं अधिग्रहण के बाद ओ.एन.जी.सी. द्वारा तेल एवं गैस निकालने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि किसानों की जमीन को जब ओ.एन.जी.सी. अधिग्रहीत करती है तो उन पर टी.डी.एस. नहीं लिया जाए।

(दो) अमरेली, गुजरात और मुम्बई के बीच एक सीधी पैसेंजर गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. दुम्मर (अमरेली): अध्यक्ष महोदय, हमने रेलवे मंत्रालय को अमरेली से सीधे मुम्बई जाने के लिए रेल सेवा शुरू करने का आग्रह कई बार किया और संसद में बार-बार इस विषय को उठाया भी है, क्योंकि मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ जुड़े अन्य जिलों को देश के अन्य कोने तक के लिए सीधी रेल सेवा की सुविधा आजादी के 60 साल के बाद भी अभी तक नहीं मिली है। यहां के लोगों को देश के अन्य क्षेत्रों में आने-जाने के लिए तीन-तीन रेल सेवाएं बदलनी पड़ती हैं। अगर परिवार साथ में हो तो बहुत ज्यादा असुविधा होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमरेली से सूरत के लिए रोजाना 500 प्राइवेट डीलक्स बसें चल रही हैं और सूरत का डायमंड उद्योग पूरी तरह से अमरेली के मजदूरों पर निर्भर है। इसलिए सौराष्ट्र की जनता को रेल सुविधा दिलाने के लिए अमरेली से मुम्बई के लिए सीधी रेल सेवा के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों के लिए सीधी रेल सेवा चलाने हेतु रेल विभाग की ओर से कदम उठाये जाएं। इस कार्य के लिए अमरेली जिले में मीटरगेज लाइनों को ब्रॉडगेज लाइनों में बदलना अति आवश्यक है।

इसलिए सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस पर शीघ्र किया जाए।

(तीन) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के लिए क्रयादेश जुटाने और इसके कर्मकारों को सभी लंबित बकाया राशि अदा किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली): हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एच.एस.एल.), विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। यह छह दशकों से अधिक समय से पोत निर्माण और पोत मरम्मत, निर्माण, तटीय और अपतटीय संरचनाओं की मरम्मत पनडुब्बियों के आधुनिकीकरण में लगा हुआ है। अब यह 2000 करोड़ रुपए के क्रयादेशों, सुदृढ़ प्रौद्योगिकी, बेहतर उत्पादकता, बेहतर वित्तीय स्थिति और उत्कृष्ट औद्योगिक संबंधों के साथ बहुत अच्छी तस्वीर पेश कर रहा है। यह उल्लेखनीय है कि एच.एस.एल. पिछले 3-4 वर्षों के दौरान हुई सतत हानियों से उबर चुका है और बड़े वित्तीय संकट से बच गया है। घरेलू आवश्यकताएं पूरी करने के अनुभव और दक्षता की पृष्ठभूमि में एच.एस.एल. आगामी वर्षों में और भी विकास के लिए तैयार है। मंत्रि समूह के निर्णय के अनुरूप अब एच.एस.एल. का अधिग्रहण रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। जब तक एच.एच.एल. को अपने कर्मचारियों को काम देने के लिए लगातार कार्य क्रयादेश नहीं मिलते, तब तक यह निठल्लेपन की स्थिति में रहेगा।

इसलिए, इसके कर्मचारियों के लिए कार्य की सततता, पर्याप्त कार्यशील-पूंजी और कर्मचारियों को मजदूरी/वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्रालय को भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल को एच.एस.एल. को शीघ्र क्रयादेश देने के लिए अनुदेश जारी करने चाहिएं।

मैं रक्षा मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एच.एस.एल. को रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने से पूर्व वह सरकार के 28-02-08 के आदेश के अनुसार, 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन के साथ मिलाने को कार्यान्वित करने के अलावा, 5100 कर्मचारियों के लंबित मजदूरी संशोधन की बकाया 40 करोड़ रुपए की धनराशि भुगतान करे।

अध्यक्ष महोदय: श्री एस.के. खारवेनथन - उपस्थित नहीं।

श्री मनुसुखभाई डी. वसावा - उपस्थित नहीं।

श्री संतोष गंगवार

(चार) देश के अन्य महानगरों के समकक्ष बरेली में बुनियादी सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र बरेली उत्तर प्रदेश का मुख्य महागनर है। इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा इसका चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत काउन्टर मैगनेट सिटी के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है तथा इसी अनुसार केन्द्र नगरीय सुविधाओं हेतु आधारभूत संरचनाएं विकसित करवाने का प्रयास कर रही है। परंतु यह जानकारी में आया है कि बरेली, जो उत्तर प्रदेश का मुख्य महानगर है, को केन्द्र सरकार की सूची में महानगर का दर्जा प्राप्त नहीं है, केन्द्र सरकार में इसकी गणना मझोले व छोटे नगरों के रूप में है। इस कारण इस महानगर का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। मेरा शहरी विकास मंत्रालय से आग्रह है कि बरेली, जो पिछले 25 वर्षों से महानगर के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित है, को केन्द्र में महानगर की श्रेणी में शामिल कर इसी अनुरूप आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करवाई जाएं।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर - उपस्थित नहीं।

श्री अविनाश राय खन्ना

(पांच) देश में बेरोजगार युवाओं को मौद्रिक भत्ता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): अध्यक्ष महोदय, देश को आजाद हुए करीब 60 वर्ष हो चुके हैं। देश में पढ़े लिखे तकनीकी ज्ञान प्राप्त, कुशल एवं अकुशल युवा नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार होने के कारण कई बच्चे नशे जैसी बुरी आदतों के शिकार हो चुके हैं, कई अपनी जीवन लीला समाप्त कर आत्महत्या का रास्ता अपना रहे हैं। सरकार इन बेरोजगार युवाओं को जब तक कि वे किसी नौकरी को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उन्हें सम्मानजनक भत्ता करीब 2500/- रु. प्रति माह देवें अन्यथा युवाओं में चिंता व्याप्त रहेगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री गणेश सिंह - उपस्थित नहीं।

श्री ए.वी. बेल्लारमिन - उपस्थित नहीं

श्रीमती सी.एस. सुजाता

(छह) प्रधानमंत्री खाद्य सुरक्षा योजना का केरल के कुट्टानाड तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीक्कारा): महोदय, कुट्टानाड केरल का सर्वाधिक चावल उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र की चावल उत्पादकता दर राष्ट्रीय औसत से बहुत ज्यादा है। कुट्टानाड में अलापुझा, कोट्टायम पशानामथिट्टा जिले आते हैं। कुट्टानाड उन क्षेत्रों में से एक है जो कृषि संकट से बुरी तरह ग्रस्त हैं। अनवरत प्राकृतिक संकट ने भी किसानों की समस्याओं को गंभीर बना दिया है। प्रधान मंत्री खाद्य सुरक्षा योजना के मापदंडों के कारण राज्य के इस सबसे महत्वपूर्ण चावल उत्पादन वाले क्षेत्र को इस योजना में शामिल नहीं किया जा सकेगा। इसलिए सरकार को 70,000 हेक्टेयर से अधिक समस्त कुट्टानाड क्षेत्र को एक विशेष मामले के रूप में कृषि जिला मानना चाहिए ताकि इस योजना के लाभ इस क्षेत्र के किसानों को भी मिले।

मेरा सरकार से आग्रह है कि वह इस अनुरोध पर विचार करे।

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन - उपस्थित नहीं।

श्रीमती जयाप्रदा

(सात) उत्तर प्रदेश के रामपुर में 22 नवम्बर 2007 को हुई रेल दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर के केमरी स्थान पर मानव रहित रेलवे क्रासिंग पर 22 नवम्बर, 2007 को रेलवे इंजन के साथ ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट से ट्रैक्टर में सवार कई लोग मौत का शिकार हो गये और कई बुरी तरह से घायल हुए परन्तु अभी तक रेलवे विभाग ने मृतकों के परिवार को मुआवजा नहीं दिया है और घायल आदमी को भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। मृतक परिवार के लोग भुखमरी के शिकार हैं और घायलों को अपने इलाज पर काफी पैसा खर्च करना पड़ा है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मृतक

परिवार को कम से कम दो लाख रुपये एवं घायल व्यक्ति को कम से कम एक लाख रुपये तत्काल दिये जाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री ई.जी. सुगावनम - उपस्थित नहीं

श्री महेन्द्र कुमार निशाद

(आठ) उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले को जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री महेन्द्र प्रसाद निशाद (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र फतेहपुर, उत्तर प्रदेश की ओर अकृष्ट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार देश के अनेक राज्यों के कई जनपदों/जिलों का चयन जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना के तहत किया है जिसमें जनपद/जिला का शहरी क्षेत्र सीवर लाइन, स्ट्रोम वॉटर, पेयजल आपूर्ति सहित अनेक कार्य कर शहर को नया रूप दिया जा रहा है। अतः मैं चाहता हूं कि अति पिछड़े जनपद फतेहपुर, उत्तर प्रदेश को भी जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना में शामिल कर लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर

(नौ) गुजरात में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अकादमी स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवादी]

श्री जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): महोदय, योजना आयोग ने सिफारिश की थी कि जिन राज्यों में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में विकास की संभावना है वहां भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) खोला जाए। गुजरात सरकार केन्द्र सरकार की सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने को सहमत है।

अतः, मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि गुजरात में शीघ्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अकादमी स्थापित करे।

अध्यक्ष महोदय: श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील - उपस्थित नहीं।

श्री देविदास पिंगले - उपस्थित नहीं।

श्री मोहन जेना - उपस्थित नहीं।

डा. अरुण कुमार शर्मा

उपस्थित होने के लिए धन्यवाद।

(दस) असम में जिन सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों को सरकारी सहायता नहीं प्रदान की गई उनको केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, सरकार का ध्यान असम में भारी संख्या में ऐसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों और कालेजों की ओर दिलाना चाहता हूं जो राज्य में कुल 50 प्रतिशत औपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। किंतु सरकार की ओर से उन्हें कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती है। इस समय असम में लोगों द्वारा स्थापित तथा सरकारी अनुमोदन प्राप्त प्रबंध समितियों द्वारा 8587 लोअर प्राइमरी (एल.पी.), 4638 मिडिल इंगलिश (एम.ई.) मदरसों और हाई मदरसों सहित 1825 हाई स्कूल तथा 133 मान्यता प्राप्त कालेज संचालित किए जाते हैं। स्कूल निरीक्षकों तथा विश्वविद्यालय अधिकारियों द्वारा इनकी नियमित जांच की जाती है। ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं तथा वाणिज्यिक निजी संस्थानों के विपरीत ट्यूशन फीस के बिना समुदाय द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसलिए इन्हें 'वेन्चर' स्कूल और कालेज भी कहा जाता है जो केवल विशेष रूप से असम के लिए ही हैं।

दुर्भाग्यवश, इन संस्थानों के लगभग एक लाख शिक्षक और कर्मचारी दशकों से अवसंरचना, वेतन आदि हेतु केन्द्रीय या राज्य सरकार से बिना किसी सहायता अनुदान या सहायता के शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इनकी शिक्षा किसी भी सरकारी संस्थाओं के समकक्ष होती है। असम सरकार की वित्तीय कमी के कारण, संघ सरकार भी इन्हें निजी संस्थाओं की श्रेणी में डाल कर केन्द्रीय सहायता अनुदानों से बंचित रखती है।

अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन संस्थाओं के वित्तपोषण हेतु उपयुक्त व्यवस्था करे क्योंकि असम में औपचारिक शिक्षण संस्थाओं में इनकी संख्या आधी है। यदि आवश्यक हुआ तो सरकार द्वारा सभी को शिक्षा प्रदान करने के प्रयासों में इन संस्थाओं के दीर्घकालिक योगदान को

[डा. अरुण कुमार शर्मा]

देखते हुए केन्द्रीय सरकार के वर्तमान मानदंडों में संशोधन कर विशेष उपबंध किए जाने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय: आज बहुत समय बाद हमने सदस्यों को नियम 377 के अधीन उनके मामलों को पढ़ने हेतु आमंत्रित किया है। परन्तु नियम 377 के अधीन उन माननीय सदस्यों के मामले, जो उपस्थित नहीं हैं, को भी सभापटल पर रखा गया, माना जाएगा।

(ग्यारह) राजस्थान में भरतपुर-अलवर-बहरोड को हरियाणा में नारनोल से जोड़ते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 14 की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए उपाए किए जाने की आवश्यकता*

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भरतपुर से अलवर होते हुए नारनौल जाने वाला राजमार्ग संख्या 14 अत्यधिक खराब स्थिति में है। अलवर से बहरोड़ होते हुए नारनौल तक की सड़क तो पूर्ण रूप से टूट चुकी है।

अत: माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी से प्रार्थना है कि केन्द्रीय सड़क निधि से इस राजमार्ग संख्या 14 के सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण हेतु शीघ्र बजट आबंटित करने की कृपा करें।

(बारह) ई.आई. टैन्ड लेदर पर निर्यात शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता*

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): तमिलनाडु ई.आई. टैन्ड लेदर का भारी मात्रा में उत्पादन करने वाला पहला ऐसा राज्य है जो विगत 15 दशकों से इसका निर्यात करता रहा था। तथापि वर्ष 1990 में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारी संख्या में दलित, अल्पसंख्यक और महिलाएं इस उद्योग में कार्यरत हैं। वे उद्योग जो मूल्य वर्धित उत्पाद के निर्यात का दावा कर रहे थे उन्होंने इस प्रकार के लेदर की खरीद बन्द कर दी है जिसके कारण यह उद्योग अपनी क्षमता का 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत क्षमता का ही उपयोग कर रहे हैं। तमिलनाडु में चमड़ा उद्योग ने प्रदूषण शोधन संयंत्र पर 100 करोड़ रुपये पहले ही व्यय किए हैं तथा प्रदूषण को शून्य करने हेतु 150 करोड़ रुपये व्यय करने का निर्णय लिया है।

चमड़ा उद्योग को पाकिस्तान और बांग्लादेश से कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। ई.आई. टैन्ड लेदर के निर्यात पर 15 प्रतिशत निर्यात शुल्क से निर्यात असंभव हो जाता है। इसलिए टेन्ड लेदर के निर्यात संबंधी राजस्व लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। यदि यह स्थिति जारी रहती है तो आशंका है डिन्डीगुल, त्रिची तथा तमिलनाडु के अन्य जिलों में चमड़ा शोधन कारखानों के बन्द होने से लाखों दलित, महिलाएं और अल्पसंख्यक बेरोजगार हो जाएंगे और भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। यह धारणा गलत है कि भारत से ई.आई. टैन्ड लेदर निर्यात से उनके उद्योग हेतु अर्द्ध-प्रसंस्कृत चमड़े की कमी होंगी। परन्तु वास्तव में अधिकतर मूल्य वर्धित उद्योग कच्चा चमड़ा और अर्ध प्रसंस्कृत चमड़ा भारतीय बाजार से खरीदने के बजाए खाड़ी और अफ्रीकी देशों से सस्ते मूल्य में आयात करते हैं। डा. सीता रमैया समिति की सिफारिशों से पूर्व भारत से चमड़े के निर्यात में तमिलनाडु का हिस्सा 70 प्रतिशत था जो घट कर पिछले वर्ष 40 प्रतिशत रह गया था। और ऐसे प्रबल आशंका है कि तमिलनाडु से चमड़े का निर्यात समाप्त हो जाएगा। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि ई.आई. टैन्ड लेदर से निर्यात शुल्क तत्काल समाप्त करे ताकि देश में बन्द होते ई.आई. लेदर उद्योग को बचाया जाए।

(तेरह) शिपमेंट और रसायनिक अवशिष्ट, जिसके कारण गुजरात के अंकलेश्वर में प्रदूषण तथा समुद्री जीवन को खतरा उत्पन्न हो रहा है, को विनियमित किए जाने की आवश्यकता*

[हिन्दी]

श्री मनुसखभाई डी. वसावा (भरूच): अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंकलेश्वर में अप्रैल के प्रथम सप्ताह में केमिकल कबाड़ में भीषण आग लगी थी जिसको बुझाने के लिए कई दिन लग गये। यह केमिकल कबाड़ पुन: उपयोग के लिए अंकलेश्वर में लाया जाता है जिसका स्टोरेज सही ढंग से नहीं

*सभापटल पर रखा माना गया।

*सभापटल पर रखा माना गया।

होता है और न ही नियमों का पालन किया जाता है जिसके कारण अंकलेश्वर कूड़े कचरा वाला शहर बन गया है और बुरी तरह से प्रदूषित है। भरूच जिले के साथ जो समुद्र तट लगे हैं वहां पर विदेशों से बड़े पैमाने पर कूड़ा करकट लाया जा रहा है इसमें ऐसी वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है और जो समुद्र में फेंक दिया जाता है जिसके कारण समुद्र की मछलियां मर रही हैं और समुद्र तट का पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे इस जिले में जो गलत ढंग से कचरा ला रहे हैं और उनका सही ढंग से स्टोरेज और नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये।

(चौदह) देश में बीड़ी कर्मकारों को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाने की आवश्यकता*

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर मौजूदा समय में बीड़ी श्रमिक जिनकी संख्या देश में 2.70 करोड़ से अधिक है, अत्यंत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। बीड़ी ठेकेदारों द्वारा जहां एक ओर इनका शोषण हो रहा है वहां दूसरी तरफ केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधायें पर्याप्त नहीं हैं। आज तक इन मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तक तय नहीं की जा सकी। कहीं तो 40 रुपये और कहीं 50 रुपये मजदूरी मिलती है। इन श्रमिकों में से अधिकांश श्रमिकों के न तो परिचय पत्र बन पाये और न ही भविष्य निधि के हकदार हो पाये। केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य और आवास व्यवस्था हेतु सुविधाएं देने का प्रावधान तो आरंभ किया है लेकिन चिकित्साकों के बिना अस्पताल बंद पड़े हैं और आवास व्यवस्था भी न के बराबर है।

बीड़ी उद्योग को विश्व स्वास्थ्य संगठन के दवाब में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बंद किये जाने की पहल की जा रही है लेकिन करोड़ों बीड़ी श्रमिकों के लिए वैकल्पिक रोजी रोटी की व्यवस्था करने के उपरांत ही बीड़ी उद्योग को बंद किया जाये। फिलहाल बीड़ी श्रमिकों के परिचय पत्र, आवास एवं चिकित्सा सुविधा सभी को उपलब्ध करायी जाये एवं उनके भविष्य निधि की भी व्यवस्था करायी जाये।

*सभापटल पर रखा माना गया।

(पन्द्रह) ऋण माफी योजना को सभी कृषि ऋणों पर 29-2-2008 तक लिए गए, लागू किए जाने की आवश्यकता*

[अनुवाद]

श्री ए.वी. बेल्लारमिन (नागरकोइल): मैं सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 31-3-2007 तक दिए गए गोल्ड लोन्स सहित कृषि ऋण जिनकी 31-12-2007 तक अदायगी नहीं की गई थी की सरकार वसूली कर रही है। ऋणों के इस मद की गणना करने से पहले इस बारे में निम्नलिखित तथ्यों को संज्ञान में लेना आवश्यक है। कृषि प्रयोजन हेतु गोल्ड लोन बेंचमार्क ऋण दर से बहुत कम ब्याज पर मात्र एक वर्ष हेतु टर्म लोन के रूप में दिया जाता है। यदि ऋण की पूर्ण अदायगी ब्याज सहित एक वर्ष के भीतर नहीं की जाती है तो आभूषण की नीलामी कर दी जाएगी बकाया राशि का नीलामी राशि से समायोजन कर लिया जाता है। निर्धन ऋणदाता पड़ोसी से ऋण लेकर आभूषण छुड़ा लेते हैं और इसे उसी दिन या आगामी दिन पुनः गिरवी रख देते हैं। कभी-कभी ऋणदाता चालू ब्याज दर से अधिक दर पर गोल्ड लोन लेते हैं। इस प्रकार ऋणदाता को दोनों स्थिति में मजबूरन बैंक के पास आभूषण रखने पड़ते हैं। इस प्रकार सरकार द्वारा 31-3-07 तक ऋण स्वीकृति तथा 31-12-07 तक अदायगी न किए जाने की तिथि का कोई औचित्य नहीं रह जाता है और इससे उन ऋणदाताओं को भी कोई लाभ नहीं होगा जिन्होंने 31-12-07 को या इससे पहले गोल्ड लोन लिया था। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभी बकाया ऋणों की माफी की तिथि से 29-2-2008 तक बढ़ाया जाए जैसा कि बजट में ऋण माफी की घोषणा की गई थी।

(सोलह) मथुरा स्थित इंडियन ऑयल रिफाइनरी से वातावरण में छोड़ी गई सल्फर-डय-ऑक्साइड के उत्सर्जन मानदंडों की जांच किए जाने की आवश्यकता*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, सरकार हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपए पर्यावरण संरक्षण व जागरूकता पर खर्च करती है पर पर्यावरण की सुरक्षा को धत्ता बताकर जानलेवा हानिकारण सल्फर डाई आक्साइड नामक गैस जो प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार

*सभापटल पर रखा माना गया।

[श्री रामजीलाल सुमन]

मानी जाती है, को अनियंत्रित तरीके से वातावरण में छोड़ा जा रहा हो तो स्थिति और ज्यादा खतरनाक होती है और ऐसे में यह जीवन के लिए धीमा जहर से कम नहीं है।

यह कार्य बहुत दूर नहीं बल्कि दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर दूर इंडियन ऑयल की इकाई मथुरा रिफाइनरी में सुरक्षा और आकाशीय पर्यावरण में सल्फर डाई आक्साईड नामक गैस को नियंत्रित करने वाली तीन रिकवरी यूनिटों में से एक यूनिट के खराब होने से पैदा हुई है। सल्फर को रिफायनरी की चिमनी से निकलने वाली आग के साथ वातावरण में छोड़ा जा रहा है। चिमनी की गैसें मानकों के अनुरूप न होने के कारण आसपास के वातावरण को दूषित करने के लिए काफी है जो पर्यापरण एवं स्वास्थ्य के लिए खतरों को जन्म दे रही है।

यह स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से जुड़ा अत्यधिक गंभीर मामला है। सरकार को अविलम्ब इस ओर ध्यान देना चाहिए। जो अधिकारी इस कार्य के लिए दोषी है उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे मानव जीवन से खिलवाड़ करने का हक किसी को न दिया जाये।

(सत्रह) अफगानिस्तान में कार्य कर रहे भारतीयों को समुचित सुरक्षा दिए जाने की आवश्यकता*

श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरी): महोदय, 12 अप्रैल, 2008 को दो भारतीय अभियंताओं श्री सी. गोविंदस्वामी और श्री एम.पी. सिंह अफगानिस्तान में आत्मघाती बम हमले में मारे गए और पांच अन्य घायल हो गए। ये लोग अफगानिस्तान में सीमा सड़क संगठन की परियोजना के अतंर्गत वहां पुनर्वास और पुनर्निर्माण का काम कर रहे थे।

श्री गोविंद स्वामी मेरे निर्वाचन क्षेत्र कृष्णागिरी (तमिलनाडु के गांव बी. तिप्पनापल्ली का रहने वाला था और उसे शीघ्र ही वापस लौटना था लेकिन उसकी असामयिक दु:खद मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उनके परिवार में उसकी पत्नी, तीन छोटी बेटियां और एक बेटा है।

तालिबान द्वारा सीमा सड़क संगठन परियोजना के अंतर्गत काम करने वाले भारतीयों पर हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है। सीमा सड़क संगठन परियोजना 2½ वर्ष पूर्व शुरू हुई थी। नवम्बर, 2005 में सीमा सड़क संगठन के चालक, श्री एम.आर. कुट्टी का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। अप्रैल, 2006 में श्री के. सूर्यनारायण का अपहरण कर लिया गया और बाद में उसका सिर विहीन धड़ पाया गया। जनवरी, 2008 में भी दो भारतीय तालिबान में आत्मघाती बम हमले में मारे गए।

अफगानिस्तान, जो चारों ओर से स्थलीय सीमा से घिरा हुआ है, के लिए सड़क परियोजना एक अच्छी बात है लेकिन यह काम निर्दोष कामगारों की जान के कीमत पर नहीं होना चाहिए। इस परियोजना के दौरान लगातार हमले हुए हैं। भारत और अफगानिस्तान दोनों उन कामगारों को पर्याप्त सुरक्षा देने में असफल रहे हैं। आतंकवादियों के निर्मम कारनामों को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन मारे गए लोगों के परिवार वाले सरकार की उदासीन रवैये से अधिक दु:खी है। अफगानिस्तान से समय पर उनके मृत शरीर के भेजे जाने के बारे में उन्हें कोई सरकारी सूचना नहीं दी गई है।

इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि पीड़ित परिवारों तथा घायलों को तत्काल पूरा मुआवजा दिया जाए और भविष्य में पुन: ऐसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने तथा अफगानिस्तान में कार्यरत भारतीयों की जान की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाए।

(अठारह) महाराष्ट्र के परभनी में कपास आधारित उद्योग तथा टैक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता*

[हिन्दी]

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी): अध्यक्ष महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र परभनी में कॉटन काफी मात्रा में पैदा होता है और बहुत सी अच्छी क्वालिटी का है। परंतु इस क्षेत्र में कॉटन आधारित कोई भी उद्योग नहीं है और न ही कोई प्रोसेस यूनिट है जिसके कारण यहां से कॉटन अन्य क्षेत्र में जाता है जहां पर उत्पादन लागत ज्यादा आती है। अगर इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार की सहायता से छूट, रियायत एवं अन्य सुविधाओं सहित कॉटन आधारित उद्योग, प्रोसेस यूनिट स्थापित करने के लिए कदम उठाये जाये एवं टैक्सटाइल पार्क बनाने की पहल की जाये तो इस क्षेत्र में कम लागत पर कपड़ों का उत्पादन किया जा सकता है और इस पिछड़े क्षेत्र का संतुलित विकास हो सकेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

*सभापटल पर रखा माना गया।

*सभापटल पर रखा माना गया।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि परभनी में कॉटन आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कदम उठाये जायें।

(उन्नीस) महाराष्ट्र में नासिक रोड रेलवे स्टेशन का विकास किए जाने की आवश्यकता*

श्री देविदास पिंगले (नासिक): अध्यक्ष महोदय, नासिक शहर एक विकासशील शहर है। बड़ी तेजी से नासिक का विकास हो रहा है। गत पांच सालों में नासिक की लोकसंख्या लगभग दुगनी हो गई है। वर्तमान परिस्थितियों में नासिक में लगभग 1000 से 1500 छोटे बड़े कारखाने कार्यरत हैं। बड़ी मात्रा में उद्योग समुदाय नासिक में कारखाना लगाना चाहता है। अपर्याप्त यातायात के साधन नासिक के विकास में रोड़े उत्पन्न कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से मांग करता हूं कि वह नासिक रोड रेलवे स्टेशन को टर्मिनल के रूप में विकसित करने की घोषणा करे।

नासिक रोड रेलवे स्टेशन पर आवश्यक जमीन रेल विभाग के पास मौजूद है। यदि अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता है तो राज्य सरकार वह जमीन भी देने के लिए तैयार है। मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से विनती करता हूं कि वह तुरंत नासिक रोड रेलवे स्टेशन को टर्मिनल के रूप में विकसित करने की घोषणा करे।

(बीस) उड़ीसा के जाजपुर में धार्मिक महत्व के स्थान नाभी गया में सड़क और रेल सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मोहन जेना (जाजपुर): उड़ीसा के जाजपुर जिले में वैतरणी नदी के किनारे स्थित नाभी गया धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नाभी गया पितृश्राद के लिए नियत तीन स्थानों में से पहला है। दूसरा स्थान बिहार के गया में 'मस्तक गया' है, तथा तीसरा आंध्र प्रदेश के राजमहिन्द्री में 'पाडा गया' है। यद्यपि गया और राजमहिन्द्री के बीच यातायात का अच्छा मार्ग है, नाभी गया को राज मार्ग तथा रेल मार्ग से जोड़ना बाकी है। जाजपुर तत्कालीन क्रासिंग की सबसे प्राचीन राजधानी थी। यह तीर्थ स्थान महाभारत काल से पूर्व का है, और ज्यादा संभवाना है कि यह पुरी के जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क के सूर्य मंदिर दोनों से ज्यादा पुराना है। अनेक पुराणों और महाभारत में इस स्थान के महत्व का वर्णन है जिसके अस्तित्व को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा साबित करने तथा प्रमाणित करने की जरूरत है। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री, स्वर्गीय विश्वनाथ दास स्व. एच.एन. बहुगुणा और श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी जैसे प्रमुख लोगों ने इस स्थान को मान्यता देने की मांग की थी। इसलिए, सरकार से मेरी मांग है कि द्वादशमेघ घाट के साथ-साथ वैतरणी नदी पर 'नाभी गया' के समग्र विकास के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। इस स्थान को 12 कि.मी. की दूरी पर से गुजरने वाले राजमार्ग 5 के सतीपुर तथा रेलमार्ग द्वारा जाजपुर-केंदुझर रोड रेलवे स्टेशन से भी जोड़ा जाना चाहिए।

---

*सभापटल पर रखा माना गया।

अपराह्न 12.47 बजे

अनुदानों की मांगें, (सामान्य) 2008-2009

गृह मंत्रालय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 12 - बजट (सामान्य) दूसरा चरण, चर्चा और गृह मंत्रालय के अधीन वर्ष 2008-09 के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान - पर विचार करेगी। इस चर्चा के लिए निर्धारित समय चार घंटे है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 51 से 55 और 95 से 99 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए, कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से, राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत वर्ष 2008-2009 के लिए गृह मंत्रालय और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित बजट (सामान्य) की अनुदानों की मांगें

[अध्यक्ष महोदय]

मांग संख्या	मांग का नाम	दिनांक 14 मार्च, 2008 को सभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की मांगों की राशि		सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
गृह मंत्रालय					
51.	गृह मंत्रालय	148,20,00,000	11,71,00,000	740,97,00,000	58,52,00,000
52.	मंत्रिमंडल	50,45,00,000	1333,00,000	252,24,00,000	66,67,00,000
53.	पुलिस	2753,30,00,000	890,75.00,000	13766,52,00.000	4453,74.00.000
54.	गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	166,51,00,000	4,37,00,000	832,52,00,000	21,83,00,000
55.	संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	294,73,00,000	12,00,00,000	1473,66,00,000	60,00,00,000
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)					
95.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	205,67,00,000	125,14,00,000	1028,34,00,000	625,69,00,000
96.	चंडीगढ़	212,89,00,000	38,28,00,000	1064,45,00,000	191,39,00,000
97.	दादरा और नगर हवेली	199,94,00,000	5,23,00,000	879,69,00,000	26,12,00,000
98.	दमन और दीव	82,26,00,000	7,88,00,000	411,32,00,000	39,39,00,000
99.	लक्षद्वीप	64,28,00,000	30,01,00,000	321,41,00,000	150,06,00,000

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय से संबंधित विभिन्न आंकड़े पुस्तकों के माध्यम से हम सबके सामने प्रसुत्तु भी किये हैं लेकिन ये आंकड़े जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का हम विरोध तो नहीं करेंगे लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह अनुरोध अवश्य करना चाहूंगा कि इस देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति अत्यंत खराब है, अत्यंत संवेदनशील है और एक खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी है। जिस प्रकार से गृह मंत्रालय देश की आंतरिक स्थिति को देख रहा है, उस पर इस देश के नागरिकों के पास खून के आंसू बहाने के अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं है।

महोदय, जब हम मुख्य रूप से इस देश की नागरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो स्पष्ट है कि घोषणाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कितना हो पाता है और कितनी ईमानदारी हम उसमें बरत पाते हैं, इस पर भी सदन में चर्चा आवश्यक है। चाहे आप काश्मीर की स्थिति देखें, देश के पूर्वोत्तर राज्यों की, नकस्लवाद की समस्या हो, देश के दक्षिण-भारत में एक बार पुनः सिर उठा रही अलगाववादी और उग्रवादी संगठनों की गतिविधियां हों, ये अत्यंत खतरनाक मोड़ पर हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह अत्यंत दुखद बात है कि काश्मीर के अंदर आज भी हम घोषणाएं कर रहे हैं, 18 वर्ष हो चुके हैं, काश्मीर से जो नागरिक विस्थापित किए गए थे, उन लोगों के लिए केवल घोषणाओं के सिवाए अब तक कुछ भी वहां पर जमीनी तौर पर ईमानदारी से नहीं कर पाए हैं। उन लोगों को वापस काश्मीर में बसाने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, वे भी नहीं हुए हैं। सबसे दुखद बात यह है कि अपने ही देश में 15 से 18 वर्षों से लोग विस्थापित हों, खानाबादोश जैसी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हों, इससे दुखद अन्य कोई स्थिति नहीं हो सकती है।

जहां तक आंकड़ों की बात है, काश्मीर के बारे में गृह मंत्री जी ने बताया है कि वहां पर घटनाएं कम हुई हैं। अगर आप आंकड़ों के माध्यम से देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से जैसा ट्रेंड चला है कि जब कहीं पर कोई घटना घटित हो तो उसके मामले ही दर्ज नहीं होंगे तो आंकड़े कम हो जाएंगे। इस प्रकार की स्थितियां हुई हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में उल्फा ने तेजी के साथ सिर उठाया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। चाहे वह असम हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश हो, इन सभी प्रदेशों की स्थिति कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील हुई है। पिछले एक वर्ष के अंदर उल्फा के द्वारा जिस प्रकार से वहां के स्थानीय नागरिकों और उत्तर-भारतीय नागरिकों को, खास तौर से हिन्दीभाषी नागरिकों को निशाना बनाया गया, उसमें कोई कमी नहीं आई। केवल घोषणाएं होती रहीं कि हम वहां उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं। उल्फा ने एक बार फिर पुनः कैसे सिर उठाना प्रारम्भ किया है। नागालैंड में एन.एस.सी.एन. का मामला, त्रिपुरा एवं अरुणाचल प्रदेश की स्थिति भी अत्यंत खतरनाक है, ये भी खराब स्थिति में पहुंच रही है। इस देश के अंदर सबसे दुखद स्थिति नक्सलवादी गतिविधियों की है। माननीय गृह मंत्री जी ने इस बात को ईमानदारी से स्वीकार भी किया है कि नक्सलवाद की घटनाओं में पूरे देश के अंदर वृद्धि हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जिस प्रकार से भारतीय राजनेताओं ने नेपाल के अंदर हिंसा, लूटपाट और अराजक गतिविधियों में लिप्त माओवादियों का समर्थन किया, उन्हें शुभकामनाएं दीं, जिस रास्ते से नेपाल में माओवादी सत्ता में पहुंचे हैं, अगर उनके प्रति हमारी शुभेच्छाएं उनके इस कृत्य के प्रति होंगी तो स्वाभाविक रूप से भारत के अंदर नक्सलवाद की समस्या का समाधान आप नहीं कर पाएंगे और भारत का नक्सलवादी भी उसी प्रकार से सिर उठाने की स्थिति में पहुंचेगा, जैसे नेपाल के अंदर उन्होंने किया। पिछले दो वर्षों के अंदर हम लोग नेपाल की स्थिति को बहुत नजदीक से देख रहे थे और हम लोग इस बात को महसूस भी कर रहे थे कि नेपाल के अंदर, जब नेपाल राजा के द्वारा सत्ता सात दलों के गठबंधन तथा माओवादियों को सौंपी गई थी, वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करनी थी। लेकिन इन दो वर्षों के अंदर एक भी दिन नेपाल के अंदर शांति नहीं हुई। वहां लूटपाट एवं हिंसा में कोई कमी नहीं आई। आप आंकड़े भले ही छुपा दें, लेकिन वहां की वास्तविक सच्चाई क्या है और जिस प्रकार से वहां की स्थितियों को हल्केपन से लेकर के हम लोगों ने देखा है, हम उन स्थितियों में भारत के अंदर, उन्हीं नजरिये से अगर हम भारत के अंदर नक्सलवाद की समस्या को देखने का प्रयास करेंगे तो संभवतः नक्सलवाद की समस्याओं पर कोई अंकुश नहीं लग पाएगा और आज यही हो रहा है। नेपाल के अंदर जैसे ही संविधान सभा के चुनाव हुए, वहां माओवादियों ने जैसे बढ़त हासिल की तो भारत के अंदर नक्सलवादियों ने किस तरह जश्न मनाने प्रारम्भ किए, यहां के सैनिकों पर, कहीं पैरामिलिट्री पर और कहीं छावनियों पर हमले प्रारम्भ हुए। सामूहिक रूप से नरसंहार की घटनाएं प्रारम्भ हुईं, कहीं पर रेलवे लाइन उड़ाई जा रही है। कई जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। यहीं नहीं, पिछले चार वर्षों के अंदर नक्सलवाद की घटनाओं में पूरे देश के अंदर वृद्धि हुई है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003-04 में देश में बमुश्किल 6-7 राज्यों के 56 जिले ऐसे थे, जो नक्सलवाद से आंशिक रूप से या पूरी तरह से प्रभावित थे, लेकिन चार वर्षों में इस देश के आधे से अधिक राज्यों में नक्सलवाद फैला और अब लगभग 175 जिले ऐसे हैं, जो आंशिक या पूरी तरह से नक्सलवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश जिसके अंदर नक्सलवादी गतिविधियां पूरी तरह से बन्द हो चुकी थीं, लेकिन आज सोनभद्र में नक्सलवादी गतिविधियां फिर से सिर उठा रही हैं। स्थिति यह है कि सोनभद्र, मिर्जापुर और चन्दोली जनपदों में जैसे ही सूर्यास्त होता है, उसके बाद आम नागरिक तो घर से निकलना बन्द कर ही देते हैं, बल्कि अब तो पुलिस के जवान भी बाहर निकलने में डरते हैं। आखिर ऐसी स्थिति कैसे पैदा हुई; आखिर नक्सलवादियों के पास इतने संसाधन कहां से आ गए, आखिर वे इतने ताकतवर कैसे बनते जा रहे हैं; यह हम सबकी चिन्ता का विषय है? जब तक यह हमारी चिन्ता का विषय नहीं बनेगा और जब तक हम अपने दुश्मन को सही दृष्टि से पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम रोग

[योगी आदित्यनाथ]

को पहचानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक रोग का उपचार कैसे होगा? केवल घोषणाओं से तो उसका उपचार नहीं होगा। इस दृष्टि से बार-बार बातें यहां आती रही हैं।

माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने बार-बार कहा कि हम एक ऐसी केन्द्रीय जांच एजेंसी गठित करेंगे, जो पूरे देश में समान रूप से कार्य करेगी। बहुत सारे मामलों में समस्याएं हो सकती हैं। राज्य सरकार कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखती है। केन्द्र सरकार अपने विषय को देखती है, लेकिन उन स्थितियों में भी जिस प्रकार की एक केन्द्रीय जांच एजेंसी होनी चाहिए या उस एजेंसी का कार्य पूरे देश के अंदर नक्सलवादी गतिविधियों को, आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने हेतु होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। जिस प्रकार इस्लामिक आतंकवादी गतिविधियों का वर्चस्व पूरे देश में छा रहा है, उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से उसका केन्द्र बनता जा रहा है और आतंकवादी गतिविधियां उत्तर प्रदेश को केन्द्र बनाकर की जा रही हैं और उत्तर प्रदेश के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे देश को आतंक की चपेट में लाने का प्रयास किया जा रहा है, वह अत्यन्त खतरनाक है और उसे समाप्त करने के लिए जब तक हम कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक वह समाप्त नहीं होगा।

महोदय, जब एन.डी.ए. की सरकार थी, तब घोषणा की थी कि हम राज्यों की पुलिस के आधुनिकीकरण के कार्य को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यह घोषणा भी यू.पी.ए. सरकार आने के बाद घोषणा तक ही सीमित रही। कुछ क्षेत्रों में थोड़ा बहुत प्रयास हुआ, लेकिन जिस ईमानदारी से प्रयास होना चाहिए था, वह ईमानदारी उसमें नहीं बरती गई। उसी प्रकार से आपस में सूचना तंत्र को मजबूत करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए थे, वे प्रयास भी उस ईमानदारी से नहीं हुए।

हर राज्य की लोकल इंटैलीजेंस होती है। उसकी सूचनाएं या फिर आई.बी. की सूचनाओं का किस प्रकार से मेल हो, आपस में दोनों सूचनाओं का किस प्रकार से आदान-प्रदान हो, इनमें आपस में कहीं कोई तालमेल नहीं। आर्मी की जो इंटैलीजेंस है, उसमें किस प्रकार से तालमेल हो, कहीं कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है, जिससे देश के अंदर आतंकवाद की समस्या, देश के अंदर उग्रवाद की समस्या, देश के अंदर अलगाववाद या नक्सलवाद की समस्या पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए हम लोगों ने कहीं भी खुफिया तंत्र को आपस में जोड़ने का, एक-दूसरे के प्रति सूचनाओं का आदान-प्रदान करने का, न तो कोई ईमानदारी से प्रयास किया है और न ही इसमें सफलता मिली है। केवल मुख्य सचिवों और महानिदेशकों की बैठक कर के घोषणाएं कर देने से या फिर पुलिस के आधुनिकीकरण की घोषणा कर देने से, मैं समझता हूं कि हम देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे। मैं समझता हूं कि हम अनुदान की मांगों पर चर्चा कितनी भी कर लें, लेकिन जब तक देश के अंदर पनप रही अलगाववादी शक्तियों पर सख्ती से अंकुश नहीं लगेगा, जब तक देश में, देश-विरोधी गतिविधियों और समाज-विरोधी गतिविधियों में लिप्त तत्वों पर सख्ती से अंकुश लगाने का कोई कार्यक्रम सरकार नहीं बनाएगी, तब तक सफलता नहीं मिल सकती है।

महोदय, हम केवल अपने देश के अंदर ही नहीं, बल्कि आसपास के देशों के अंदर जो अस्थिरता है जब तक हम उसे गम्भीरता से नहीं लेंगे, तब तक भारत के अंदर पूर्ण रूप से शान्ति नहीं बना पाएंगे और न ही आन्तरिक सुरक्षा की स्थिति को मजबूत बना पाएंगे। हम सब के सामने सबसे दुखद तो यही है कि पहले हम लोग आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराते थे। पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान को देखते-देखते आज बांग्लादेश भी भारत-विरोधी गतिविधियों का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। आखिर सिमी और हूजी के आतंकवादियों को भारत में कौन शरण देता है, क्या सरकार के पास इस प्रकार की सूचनाएं नहीं हैं? आतंकवादी पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ होती है और उसे जेल में डाला जाता है। फिर कुछ ही दिनों के बाद सूचना आती है कि आतंकवादी पुलिस कस्टडी से भाग गया या जेल से भाग गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारत इतना कमजोर हो गया है कि अपने देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने हेतु बांग्लादेश पर दबाव नहीं बना सकता है? जैसे एन.डी.ए. सरकार के समय भूटान पर एक दबाव बनाया गया था कि वहां पर जितने भी उल्फा के उग्रवादी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसी तर्ज पर हम बांग्लादेश पर दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं?

अपराह्न 12.59½ बजे

अध्यक्ष महोदय: योगी जी, क्या आपको अपनी बात कहने में समय लगेगा?

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हम पहले लंच-ब्रेक कर लेते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.05 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.05 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री मोहन सिंह *पीठासीन हुए*]

अनुदनों की मांगें सामान्य, (सामान्य) 2008-09 *(जारी)*

गृह मंत्रालय

[हिन्दी]

सभापति महोदय: योगी आदित्यनाथ, आप अपना भाषण कंटीन्यू करें।

योगी आदित्यनाथ: सभापति महोदय, गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय की अनुदान से संबंधित जो मांगें प्रस्तुत की हैं, उसके बारे में मैं अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम देश की आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे को बाह्य सुरक्षा के कहीं कम न समझें। लेकिन दुर्भाग्य है कि उसे लगातार कम आंकने का प्रयास किया जा रहा है। हर मुद्दे पर उसके प्रति लापरवाही बरती जा रही है। गृह मंत्री जी ने जो मांगें प्रस्तुत की हैं, हम कहते हैं कि आप उन्हें लीजिए, उसमें कहीं कोई रोक-टोक नहीं है, पूरा सदन एकमत से देश के सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए उनकी सुविधाओं को बढ़ाने का पक्षधर है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ या नक्सलवाद के खिलाफ देश की जो ठोस रणनीति होनी चाहिए, वह कमी अक्सर दिखाई देती है। उस प्रकार की दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी देश के नेतृत्व के अंदर दिखाई देती है और मैं उस संबंध में कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अवैध रूप से बंगलादेशी घुसपैठियों की संख्या जिस रूप में बढ़ी है, बंगलादेश ने सन् 2001 के अपने सैन्सस में इस बात को स्वीकार किया कि उसके तीन करोड़ नागरिक बंगलादेश से गायब हैं। स्वाभाविक रूप से वे तीन करोड़ लोग गायब नहीं हुए हैं।...*(व्यवधान)* यदि असम के राज्यपाल की रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाए तो उन्होंने इस गंभीर खतरे की ओर भारत का ध्यान आकर्षित भी किया है कि पांच हजार से छः हजार लोग प्रतिदिन बंगलादेश से भारत आ रहे हैं। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जनसांख्यिकीय असंतुलन की स्थिति पैदा हुई है। कौन नहीं जानता कि बंगलादेशी घुसपैठिए भारत के अंदर हूजी के सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में काम कर रहे हैं। आई.एस.आई. ने पूरे देश के अंदर अपना जो नेटवर्क फैलाया है, बंगलादेशी घुसपैठिए उसमें उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। वे दिनभर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, गलियों में घूमेंगे और पुनः उन क्षेत्रों में जाकर कहीं बम विस्फोट करवाते हैं, कहीं निर्दोष नागरिकों की हत्या करवाते हैं। न केवल कानून-व्यवस्था के लिए अपितु राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरनाक स्थिति बंगलादेशी घुसपैठियों ने की है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस सबके बावजूद बंगलादेशी घुसपैठियों के बारे में गृह मंत्री जी का जिस प्रकार का वक्तव्य आता है, वह अत्यन्त खेदजनक है। दूसरा, दो घटनाएं घटित होती हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो दो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हुई थीं, लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे। उसके बाद सी.आर.पी.एफ. के कैम्प पर रामपुर में आतंकी हमला हुआ था। दोनों में राज्य सरकार केन्द्र सरकार पर जिम्मेदारी थोप रही थी और केन्द्र सरकार राज्य सरकार पर थोप रही थी, यानी आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के प्रति हम सबमें बेहतर तालमेल हो। जब राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच ही तालमेल नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से खूफिया तंत्र के बीच तालमेल होने की संभावना या पुलिस और अर्धसैनिक बलों में किसी प्रकार के तालमेल हो, इसकी संभावनाएं स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं। यह देश के लिए चिन्ताजनक है। इससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता प्रभावित हो रही है और यही कारण है कि कई क्षेत्रों में राष्ट्र की एकता को चुनौती देने की मुद्रा में तमाम वे संगठन उठ खड़े हुए हैं जिनकी पूर्व सरकारों ने कमर तोड़ दी थी। वे लोग फिर से सिर उठाकर चुनौती दे रहे हैं और उसी सन्दर्भ में नेपाल की घटना भी है। आज इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग पाकिस्तान को कहते थे कि वह हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। हम बांग्लादेश को हमेशा हल्केपन से लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज पूर्वोत्तर राज्यों में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, देश में हूजी, सिमी, लश्करे तैयबा और जैशे मोहम्मद जैसे जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उन सबकी गतिविधियों का केन्द्र वहां है।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहबाद): आप आर.एस.एस. और बजरंग दल के बारे में भी बताइए।

योगी आदित्यनाथ: मुझे आश्चर्य होता है कि लश्करे तैयबा या जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से इनका क्या संबंध है?...*(व्यवधान)* आगर कोई सदस्य इस सदन में रहकर आतंकवादी संगठनों की हिमायत करता है तो उसे धक्के मारकर इस सदन से बाहर किया जाना चाहिए, उसे अपमानजनक तरीके से सदन से बाहर निकाला जाना चाहिए। अगर देश के सर्वोच्च सदन में रहकर कोई सदस्य आतंकवादी संगठनों को खुलेआम प्रश्रय देता है तो यह शर्मनाक स्थिति होगी। ऐसे लोगों के चेहरे देश की जनता के सामने आने चाहिए। बांग्लादेश पहले ही इन सब गतिविधियों में लिप्त था, लेकिन आज हमारा सहोदर और मित्र राष्ट्र नेपाल जिस दुर्गति को प्राप्त हुआ है, वहां माओवादियों ने जिस प्रकार से चुनाव के माध्यम से बढ़त हासिल की है, वह दुखद है।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी: आप दुनिया के अकेले हिंदू राष्ट्र को तो बचा नहीं पाए, अब क्या बात कर रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ: पिछले दो वर्षों में माओवादियों ने जबरन वहां पर भारत विरोधी आतंकवादी गतिविधियों का गढ़ बनाया है। हमारी नेपाल से लगने वाली 1751 किलोमीटर सीमा आज अत्यंत संवेदनशील एवं खतरनाक हो चुकी है। एन.डी.ए. सरकार के काल में वहां सशस्त्र सीमा बल की तैनाती की गयी, लेकिन सशस्त्र सीमा बल के पास संसाधनों की कमी है। मैंने इसके बारे में आपको एक पत्र गत 31 मार्च को लिखा था। सशस्त्र सीमा बल का मुख्यालय और ग्रुप सेंटर एफ.सी.आई. कैम्प्स में बना हुआ है। वहां की स्थिति यह है कि कुछ समय पहले जब मैंने वहां का दौरा किया था तो उस समय वहां पिछले पांच दिनों से विद्युत सप्लाई नहीं आ रही थी। वहां इसकी वजह से बहुत खराब स्थिति बनी हुई थी, बगावत की स्थिति बन गयी थी, तो उस समय मैं वहां मौके पर गया। वहां मैंने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अधिकारियों को बुलाया था। स्थानीय अधिकारियों ने वहां विद्युत सप्लाई बहाल करने से बिल्कुल मना कर दिया। मैंने उनसे कहा कि ये लोग सीमा पर सुरक्षा का दायित्व निभा रहे हैं, आखिर इनको क्यों वंचित किया जा रहा है, तो मुझे बताया गया कि उनके ऊपर तीन करोड़ रुपए का विद्युत बिल बकाया है, जिसकी वजह से लखनऊ के आदेश पर विद्युत सप्लाई रोकी गयी है। इसके बारे में मैंने पावर कारपोरेशन के एम.डी. से भी बात की। मैंने उनसे कहा कि एक महीने के लिए वहां बिजली सप्लाई चालू कर दी जाए और इस समयावधि में हम लोग इसके बारे में गृहमंत्री जी और गृहमंत्रालय से बकाया बिल का भुगतान करने के लिए अनुरोध करेंगे।

महोदय, जब इस क्षेत्र में एस.एस.बी. की तैनाती की गयी तो हम लोग आश्वस्त थे कि भारत-नेपाल सीमा पर जो तस्करी होती थी, मादक द्रव्यों और असलहों की तस्करी होती थी, उन पर अंकुश लगेगा। एस.एस.बी. को इस काम में काफी हद तक सफलता भी मिली थी, लेकिन अकेले गत फरवरी महीने में गोरखपुर से होते हुए सोनौली सीमा को पार करके कई ट्रक नेपाल के अंदर गए, जब वे भैरहवा में पकड़े गए, वहां के स्थानीय नागरिकों ने जब उन ट्रकों को पकड़कर उनसे असलहे बरामद किए, तो काफी दिनों तक नेपाल के अंदर भी इस बात के लिए उपद्रव होता रहा कि इस प्रकार के असलहे कैसे उस पार गए। यह जांच का विषय होना चाहिए कि अगर वहां पर एस.एस.बी. है तो क्या उसे इन वाहनों की या किसी प्रकार आवागमन पर रोक-टोक लगाने, जांच करने की शक्ति प्राप्त है। अगर यह शक्ति प्राप्त नहीं है तो उन्हें यह शक्ति प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि वाहन जांच के बाद ही सीमा के पार जा सकें या हमारी सीमा के भीतर आ सकें। कौन नहीं जानता है कि इस देश की संसद पर हुए हमले का एक षडयंत्रकारी गाजी बाबा, जिसे कश्मीर में बी.एस.एफ. ने मार गिराया, वह बार-बार करांची से काठमाण्डू और काठमाण्डू से होते हुए कश्मीर में घुसता था। इस तरह आज नेपाल भारत विरोधी गतिविधियों का केन्द्र बन चुका है। चाहे वह नक्सलवाद हो या नॉर्थ-ईस्ट के आतंकवादी संगठन हों, सभी के अड्डे नेपाल में बन चुके हैं। इन सबका एक अड्डा आज नेपाल बन चुका है। इसलिए नेपाल की स्थिति पर हम उतनी ही गम्भीर हों, जितना की हम उसे अब तक हल्केपन से लेते रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण है कि भारत में नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं और उग्रवादी हैं। नेपाल के माओवादियों को हम लोगों ने पहले आतंकवादी क्यों नहीं माना? नेपाल का माओवादी कैसे राष्ट्रवादी हो सकती है। नेपाल के माओवादियों को किन कारणों से सत्ता में हावी होने के लिए हम लोग मौका देते रहे और किस प्रकार से उन्हें प्रेरित करते रहे? इस देश के कुछ राजनैतिक दलों के लोग खुलेआम उन्हें प्रश्रय देते रहे हैं यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर वे कौन लोग हैं, जो राजनीति के केन्द्र में बैठकर राजनैतिक दलों के नाम पर लोकतांत्रिक

प्रक्रियाओं पर अपना विश्वास जताने के बावजूद भी इस प्रकार के आतंकी समूहों को सरेआम संरक्षण देते हैं। नेपाल की स्थिति वही है।

माननीय प्रधान मंत्री ने एक बार मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में इस बात को कहा था कि नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक है। अगर नक्सलवाद खतरनाक है तो फिर मैं जानना चाहता हूं कि आखिर बिहार में एम.सी.सी. से चुनावी गठबंधन करने का प्रयास कौन करता है? आंध्र प्रदेश में पी.डब्ल्यू.जी. से समर्थन कौन लोग लेते हैं? इस देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां क्यों हुई हैं? केन्द्र में यू.पी.ए. सरकार आने के बाद उल्फा ने असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में सिर उठाना शुरू कर दिया है। ये सब ऐसे विषय हैं, जिन पर विचार किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा खतरनाक नेपाल बनने जा रहा है। माओवादियों ने माओलैंड की बात कही है। उनका माओलैंड नेपाल तक ही सीमित नहीं है, उसकी सीमा हिमालय के उत्तंग शिखर से लेकर आपके दक्षिण भारत तक जाती है। इस माओलैंड से भारत को आप कैसे बचा पाएंगे, इसके लिए गृह मंत्रालय ने अभी से कोई प्रयास शुरू किया है या नहीं? अब तक माओवादी डर कर और छिपकर हमला करते थे, लेकिन नेपाल में जिस दिन वे सत्ता में आएंगे वह दिन भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। भारत की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ भारत की एकता और अखण्डता के लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि नक्सलवादियों का दुस्साहस बढ़ेगा और देश में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का भी दुस्साहस बढ़ेगा।

पुलिस के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे। आखिर पुलिस के आधुनिकीकरण का क्या हुआ? उसके आधुनिकीकरण के नाम पर जो पैसा विभिन्न राज्यों को दिया गया, क्या उसकी मानिटरिंग की व्यवस्था हुई? आखिर इस मद का पैसा कहां खर्च हुआ? हमें जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार कई राज्यों ने उस पैसे को दूसरी मदों में खर्च किया है। पुलिस की स्थिति विभिन्न राज्यों में क्या है, मैं इस बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं। बिहार में 1262 नागरिकों पर एक पुलिस कांस्टेबल है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1060 नागरिकों पर एक पुलिस कांस्टेबल है। यह स्थिति इसलिए है कि आप लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक रूप से पुलिस में इतने पद खाली हैं। उन पदों को भरने के लिए निर्देश देना, जो भी उनकी बुनियादी सुविधाएं हैं, उन्हें प्रदान करना, आतंकवादी और नक्सलवादियों की तर्ज पर पुलिस को आधुनिक हथियार दिए जाने की बात भी थी और उन हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करके उनकी मानिटरिंग करने की बात भी थी। लेकिन यह सब कुछ नहीं हो पाया है। केवल हम पुलिस को 303 की गन देकर कहें कि वह ए.के. 47 का मुकाबला करे 9 एम.एम. की पिस्टल का मुकाबला पुलिस करे, तो यह सम्भव नहीं हो पाएगा। इसलिए सुरक्षा बलों को अत्याधुनिक हथियार देने होंगे और उन्हें अन्य सुविधाएं भी देनी होंगी।

एक नई परिपाटी चली है, रामपुर की घटना ने देश की आंखें खोल दी हैं। अभी तक जम्मू-कश्मीर में ही इस प्रकार की घटना घटी थी। आतंकवादियों को अर्धसैनिक बलों और पुलिस में भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, इसे तुरंत रोका जाए। जब तक उन लोगों की पूरी जांच-पड़ताल न हो जाए, आप उन्हें सिविल कार्य दे दें। लेकिन अगर आप उन्हें पुलिस या अर्धसैनिक बलों में भरती करेंगे तो उनके हाथ में जो हथियार आएंगे वे कहां जाएंगे, बंदूक की नाल किधर जाएगी, इसका प्रमाण हमें रामपुर में मिल गया है। जम्मू में एक उग्रवादी की भर्ती सी.आर.पी.एफ. में की गई, वह रामपुर में जाता है और वहां जाकर उस व्यक्ति के द्वारा जो कृत्य किया गया, मैं समझता हूं उसे छिपाने का काम किया जा रहा है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें, क्योंकि आपने काफी समय ले लिया है।

योगी आदित्यनाथ: मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने जो गृह मंत्रालय की मदें यहां पेश की हैं, किसी का उस पर विरोध नहीं होना चाहिए। देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति देश का हर नागरिक चिंतित है। देश में भय मुक्त वातावरण हो, लेकिन भय मुक्त वातावरण के साथ-साथ इस राष्ट्र के हर नागरिक को सुरक्षायुक्त वातावरण प्रदान करना भी सरकार का दायित्व होना चाहिए। सरकार इसे गम्भीरता से ले। राज्यों और केन्द्र के बेहतर संबंध बनें, खुफिया एजेंसियों में आपस में बेहतर तालमेल बने और पुलिस, गृह मंत्रालय और सेना की एजेंसियों के बीच में बेहतर तालमेल बने और राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा के प्रति हम जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकें।

[योगी आदित्यनाथ]

इसी आशा और विश्वास के साथ, आपने यहां पर जो गृह मंत्रालय की अनुदान मांगें प्रस्तुत की हैं, न चाहते हुए भी मैं उनका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। हमें न केवल आंतरिक सुरक्षा अपितु गृह मंत्रालय के साथ कार्य-व्यापार पर चर्चा करने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गृह मंत्रालय ऐसा प्रमुख मंत्रालय है जिस पर पूरे देश का विकास और प्रगति निर्भर करती है।

[हिन्दी]

जिस तरह से आदमी के लिए घर ही मूल होता है और घर का वातावरण शांतिमय हो, विश्वासमय हो, तो बाहर वाले उसे तंग नहीं कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। बाहर जब हम व्यवसाय करते हैं तो उसमें लाभ होता है और वह लाभ हम घर लेकर आयें, लेकिन अगर घर में शांति न हो तो उस लाभ का कोई फायदा नहीं होता है।

[अनुवाद]

वाणिज्य और व्यापार फल-फूल सकता है परंतु यदि घर में शांति नहीं है तो वह निरर्थक हो जाता है।

[हिन्दी]

बाहर के लोगों से हमारी दोस्ती अच्छे ढंग से चले लेकिन घर में शांति न हो तो कोई लाभ नहीं होता है। मैं विदेशी मामलों के बारे में बात कर रहा हूं। हम घर को अच्छी तरह से चलाते हैं, घर का सामान, आलू-प्याज और दूसरे घर के सामान ठीक ढंग से लाते हैं लेकिन अगर घर में भाईचारा न हो, मां-बाप-बेटे में झगड़ा हो तो उस घर के कोई मायने नहीं रहते हैं।

[अनुवाद]

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि गृह मंत्रालय सुचारू रूप से कार्य नहीं करता, यदि देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति शांतिपूर्ण नहीं रहती है, यदि हमारे घर में ही हम एकमत नहीं हैं तो विदेशी मामलों, वाणिज्य, व्यापार और अन्य सभी गतिविधियों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि गत चार वर्षों में सं.प्र.ग. सरकार के शासन के अंतर्गत गृह मंत्रालय ने प्रशंसनीय कार्य किया है।

[हिन्दी]

मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम

[अनुवाद]

उन्होंने 'लौह पुरुष' बनने का प्रयास नहीं किया। वे लौह पुरुष नहीं बनना चाहते थे। आदमी हाड़-मांस से बना है।

[हिन्दी]

आदमी तो खून और मांस का ही होना चाहिए। उसका जो दिल है, हृदय है वह अगर लोहे का हो जाए, तो आदमी के लिए खतरा हो सकता है। लौह मानस को छोड़कर हमें जो एक आदमी के रूप में गृह मंत्री मिले हैं, उनको मैं बधाई देने के साथ यह कहना चाहता हूं कि हमारे होम-मिनिस्टर की गत् चार सालों में जो अप्रोच रही है,

[अनुवाद]

देश की आंतरिक सुरक्षा और अन्य पहलुओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर उनका रवैया प्रशंसनीय रहा है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि इसके परिणामस्वरूप सुरक्षा की स्थिति बहुत सुधरी है। चिंता के विषय बहुत से रहे हैं और हम उनके प्रति बहुत ईमानदार रहे हैं। प्राप्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सभी स्तरों पर स्थितियों में बहुत सुधार हुआ है। हां, पूर्वोत्तर में उग्रवादी गतिविधियां हुई हैं और नक्सलवाद का खतरा एक चिंता का विषय है परन्तु हमने ढोंग नहीं किया है। हमने तथ्यों को छिपाया नहीं है। हमने तथ्यों को सामने रखा है। हमने यह बताया है कि हम क्या पहल कर रहे हैं। हमने इस संबंध में और अधिक सुझावों का स्वागत किया है।

[हिन्दी]

स्वामी आदित्यनाथ जी ने जो कहा और माननीय आदित्यनाथ जी की बातें सुनकर मुझे थोड़ी हैरानी इसलिए हुई कि एन.डी.ए. की तरफ से, गृह मंत्रालय को दुर्बल बोलकर जानबूझ कर हमला किया गया था।

[अनुवाद]

ऐसा प्रतीत होता है कि अब उन्हें यह महसूस हो गया है कि इससे कोई परिणाम हासिल नहीं होगा और उनके इन हमलों में अब कोई धार नहीं रह गई है। इसीलिए एक कनिष्ठ व्यक्ति से गृह मंत्रालय से संबंधित मामलों के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। मैं यह नहीं समझ पाया कि वे भारत के आंतरिक मामलों के बारे में अधिक बोल रहे थे या नेपाल के। नेपाल में कुछ संवैधानिक परिवर्तन हुए हैं। नेपाल में एक नई सरकार बनी है। मैं यह जानता हूं कि किसी को इस बात से कुछ व्यक्तिगत दुःख हो सकता है; किसी का नेपाल के राजनैतिक समीकरणों के प्रति कुछ व्यक्तिगत जुड़ाव हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे विचारों को यहां अभिव्यक्त किया जाना चाहिए और किसी को यहां उस पर आंसू बहाने चाहिएं।

[हिन्दी]

आदित्यनाथ जी को आंसू बहाने की आदत हो गई है। पहले वे सदन में अपनी पार्टी की वजह से रोये थे, हमें उनसे हमदर्दी है। मैं समझता हूं कि नेपाल में जो कुछ हो रहा है, उसे लेकर इन्होंने अपनी स्पीच में जो कहा है, उससे यह सिद्ध हो जाता है कि हमारा देश ठीक है। हां, नेपाल में नक्सलवादियों का डर है, उस पर मैं अभी बात कहूंगा।

[अनुवाद]

महोदय, आंकड़े कुछ सच्चाइयों को नहीं दर्शाते, यदि आंकड़े सही तस्वीर नहीं दिखाते तो फिर आंकड़े क्या करते हैं? यदि आंकड़ों में कुछ गड़बड़ियां हैं तो उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। विपक्ष के मेरे वाक्पटु मित्र ने ऐसा नहीं किया। मैं इससे सहमत हूं कि कश्मीर में हिंसा में वृद्धि हुई है। कश्मीर के मुद्दे पर अनगिनत बार विभिन्न अवसरों पर चर्चा की गई है फिर वह चाहे रा.ज.ग. की सरकार हो या यह सरकार। यह एक चिंता का विषय है। परंतु क्या यह सत्य नहीं है कि अब कश्मीर की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है? क्या यह सत्य नहीं है कि कश्मीर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ी है? यह सत्य है कि पाकिस्तान में हो रहे कुछ सकारात्मक परिवर्तनों और संभवतः आतंकवाद या अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों में मात्र कुछ बदलावों से कश्मीर की स्थिति अब उतनी खतरनाक नहीं है जितनी कि पहले थी। मैं अभी भी पड़ रहे हानिकारक प्रभावों को कमतर करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। लेकिन फिर भी सच यही है कि आज कश्मीर में हमें कुछ आशा की किरणें दिखाई दे रही हैं। एक समय पर हम कश्मीर को छोड़ चुके थे। लेकिन सरकार व समग्र रूप से देश द्वारा की गई पहल के कारण हमने कश्मीर की स्थिति को बेहतर होते देखा है, मैं यह कहकर कि रा.ज.ग. के शासनकाल में वहां की स्थिति कैसी थी और सं.प्र.ग. के शासन काल के दौरान वहां किस प्रकार कार्य हो रहा है, गृह मंत्रालय को राजनीति का रंग नहीं देना चाहता। जैसा कि मैंने आरंभ में ही ठीक ही कहा था कि मेरे विचार से किसी को मतभेदों को दूर करने के लिए "लौह पुरुष" बनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तथ्य यही है कि आज प्रगति के संकेत दिखाई दे रहे हैं और लोग उस राज्य के भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। बहुत से विकास कार्य हो रहे हैं। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पहल कर रही है कि वहां जो परिस्थितियां पहले थीं वे किसी भी तरह से और अधिक खराब न हों।

महोदय, कश्मीरी विस्थापितों और उनके पुनर्वास के मुद्दे पर मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार उनके दुखों को कम करने हेतु बहुत से कदम उठा रही है। बहुत से लोग धीरे-धीरे राज्य में वापस जा रहे हैं और कश्मीर में राज्य सरकार द्वारा भी निरंतर एक बेहतर माहौल बनाया जा रहा है। मैं राज्य सरकार की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने लोगों में विश्वास पैदा करने हेतु बहुत से नए उपाय किए हैं जिससे कि विस्थापित हुए लोग अपने स्थानों पर वापस लौट रहे हैं। यह सही नहीं है कि कुछ लोगों को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी उकसावे के कारण अपना राज्य छोड़ना पड़े। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा उनके पुनर्वास हेतु उठाए जा रहे कदम प्रशंसनीय हैं।

महोदय, नक्सलवादियों के मुद्दे पर मुझे यह कहना है कि यह केवल पुलिस की समस्या नहीं है। हमारा यही दृष्टिकोण रहा है। यह सत्य है कि आतंकवाद का मुकाबला सख्ती से किया जाए और देश में आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने हेतु बहुत कठोर कदम उठाए जाएं, लेकिन एक तरफा दृष्टिकोण में मेरा विश्वास नहीं है। इसके लिए बहु-आयामी और बहु-मुखी रणनीति अपनाए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि केन्द्र सरकार कर भी रही है। इसका परिणाम मिल रहा है। वहां आतंकवाद का खतरा है। लेकिन गंभीरतापूर्वक और समुचित रूप से इसका सामना किया जा रहा है। मेरे विचार से, परिस्थितियों के बेहतर होने के संकेत मिल रहे हैं, मैं यह नहीं कर रहा हूं कि

[श्री किरिप चालिहा]

नक्सलवादी आंदोलन को केवल पुलिस की कार्यवाही से रोका जा सकता है क्योंकि यह भी आतंकवाद की भांति एक सामाजिक समस्या है। इसके लिए बहुत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आखिरकार, आंतरिक सुरक्षा का अर्थ केवल पुलिस व्यवस्था नहीं है। इसके भी कई अन्य पहलू भी हैं। मैं आगे बढ़ते हुए उन पर भी चर्चा करूंगा।

महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों पर कुछ टिप्पणियां की गई हैं। मैं यह कहूंगा और आंकड़ों से भी यही परिलक्षित होता है कि असम जैसे राज्यों में उग्रवादी गतिविधियों में हिंसा में वृद्धि हुई है। मणिपुर से छुट-पुट हिंसा के समाचार मिले हैं। कुछ समुदाय विशेष पर हमले हुए हैं।

[हिन्दी]

मुझे यह बताने में कोई हिचक नहीं है कि वहां जो कुछ हो रहा है, उसे एक्सट्रीमिस्ट्स ग्रुप कर रहे हैं। इसमें लोकल आदमी का कोई हाथ नहीं है। हिन्दी भाषी लोगों पर जो आक्रमण करते हैं, उनसे आम लोग घृणा करते हैं।

[अनुवाद]

मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि मैं जमीनी अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग ऐसी विघटनकारी सोच को पसंद नहीं करते वहां की युवा पीढ़ी की सोच बहुत सकारात्मक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के सैकड़ों छात्र दिल्ली और बंगलौर जैसे शहरों में अध्ययन कर रहे हैं। यहां एक समन्वय की प्रक्रिया है। मेरे विचार से यह कोई नकारात्मक नहीं अपुति सकारात्मक विचार है और विघटनकारी शक्तियों का आधार खिसक रहा है।

[हिन्दी]

मैं कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में उल्फा के पास कोई समर्थन नहीं है। एक समय में उल्फा के पास आम आदमी का जो समर्थन था, वह आज नहीं है।

[अनुवाद]

उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिलता। वहां कुछ नहीं है और वे हताशा में आसान लक्ष्यों को चुन रहे हैं तथा विभिन्न स्थानों पर आक्रमण कर रहे हैं, ऐसे हमलों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमें और कड़ी मेहनत करनी होगी जिससे कि वहां की परिस्थितियां बेहतर हो सकें।

महोदय, गृह मंत्रालय केवल आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए ही नहीं है, इसके कार्यों में बहुत सी अन्य गतिविधियां भी सम्मिलित हैं। इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते हुए मैं कुछ उल्लेखनीय बातों को इंगित करना चाहता हूं। उदाहरण के लिए, पुलिस बल के आधुनिकीकरण के मामले को लीजिए। मांग दर्शाती है कि इस प्रयोजनार्थ आबंटन में वृद्धि हुई है। हम सब जानते हैं कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। केंद्र सरकार पर्यवेक्षक की भूमिका निभाती है और राज्य सरकारें कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। मेरे विचार से यह वक्तव्य देना ठीक नहीं है कि राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु आबंटित धनराशि का दुरुपयोग, अन्यत्र प्रयोजनार्थ प्रयोग कर रहे हैं। यदि इस संबंध में कोई खास शिकायतें हैं तो उन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाना चाहिए और इस संबंध में कोई भी सुधारात्मक कदम उठाएगा मुझे विश्वास नहीं है कि इस संबंध में लगाए गए कुछ आरोपों में कोई दम है।

महोदय, आगे मैं सीमा प्रबंधन के विषय पर आऊंगा। मेरे विचार से सीमा प्रबंधन के लिए उठाए जा रहे कदम सही गति से उठाए जा रहे हैं। परंतु यहां, मैं माननीय गृहमंत्री के ध्यान में उन कतिपय घटनाओं को लाना चाहूंगा जो भारत-बांग्लादेश सीमा पर हुई। कल ही स्थानीय टी.वी. चैनलों ने रिपोर्ट दी थी कि बी.डी.आर. राइफल्स असम-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ बनाने का विरोध कर रही हैं। मेरे विचार से इस संबंध में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। यह सच है कि सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य को समुचित प्राथमिकता देने की आवश्यकता है क्योंकि सीमा पर केवल बाड़ लगाने से पूर्वोत्तर राज्यों बांग्लादेश के व्यक्तियों की और घुसपैठ को रोका जा सकता है।

एक अच्छी बात जो हुई है वह यह है कि लोग केंद्र सरकार द्वारा की गई आपदा प्रबंधन की पहल के प्रति उत्साह दिखा रहे हैं। यह नई पहल है। हमने आपदा प्रबंधन के पहलुओं की जांच करते हुए और लोगों को भूकंप, सुनामी और बाढ़ जैसी आपात स्थितियों में आवश्यक कदम उठाने के लिए जानकारी देने, शिक्षित करने हेतु केंद्रीय गृहमंत्रालय से व्यक्तियों को जाते हुए देखा है। मेरे विचार से इस पहलू पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे पूर्ण मंत्रालय के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।

महोदय, मुझे इस तथ्य के बारे में प्रसन्नता है कि संघ राज्य क्षेत्रों को अधिक आबंटन किया गया है। मांग सं. 95, 96, 97, 98 और 99 के किए गए आबंटन दर्शाती है और उनके आबंटन में थोड़ी वृद्धि की गई है। मेरे विचार से इसमें और वृद्धि की जानी चाहिए क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र शांति और प्रगति के द्वीपसमूह हैं चाहे वह दादर और नगर हवेली हो अथवा अंडमान और निकोबार हो। यह बात वास्तव में अति प्रशंसनीय है जिसको हम प्रायः अनदेखी करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में पथभ्रष्टता की घटनाएं शायद ही देखी जाती हैं जैसी कि अन्य हो रही हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अपराध और आतंकवाद के बारे में सुनने को नहीं मिलता। चंडीगढ़ संवेदनशील क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद अति शांतिपूर्ण है। दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव तथा लक्षद्वीप शांति के दीपसमूह रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के प्रयास करने होंगे कि ये क्षेत्र ऐसे ही बने रहें।

मैं स्वापक नियंत्रण ब्यूरो से बात करना चाहूंगा। नशीले पदार्थ कम से कम पूर्वोत्तर में चिंता का कारण हैं। सीमा पार से पूर्वोत्तर में नशीले पदार्थों का आना और उनके युवा पीढ़ी पर दुष्प्रभाव के कारण चिंता हो रही है और हम यह महसूस करते हैं कि इन स्थितियों को और न बिगड़ने देने के लिए कुछ और खास कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। समाचार पत्रों में खबरें छपती हैं और सीमापार से आने वाले स्वापक, गांजा आदि जैसे नशीले पदार्थों को साथ लेकर चलने पर कई व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं। दुर्भाग्यवश हमने हाल ही में असम में नशीले पदार्थों की समस्या के विरुद्ध जूझ रहे कुछ अधिकारियों की निर्मम हत्या देखी है। मेरे विचार से हमें इस भयानक समस्या के विरुद्ध जूझते हुए अपने प्राण न्यौचावर करने वाले इन व्यक्तियों के प्रति अत्यंत सहानुभूति रखनी चाहिए और हमें स्वापक ब्यूरो के बलों को मजबूत करना चाहिए तथा पूरे क्षेत्र को नशीले पदार्थ की समस्या की गिरफ्त में आने से रोकने के प्रयास करने चाहिए।

आतंकवाद से संबंध में, स्वाभाविक है, जोर आतंकवाद पर देना होगा। हम सब सहमत हैं कि आतंकवाद विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यदि हम कहें कि आतंकवाद किसी व्यक्ति के क्रोध की अपनी निजी अभिव्यक्ति हो तो यह गलत रवैया होगा। आज आतंकवाद बड़ा व्यवसाय बन चुका है। आज लोग किसी के हित का समर्थन करने के लिए आतंकवादी नहीं बनते हैं बल्कि इसलिए बनते हैं क्योंकि आतंकवाद उन्हें तत्काल धन, तत्काल ताकत और तत्काल मान्यता दिलाता है और इसीलिए मेरी राय है कि आतंकवादियों से अधिक उस व्यक्ति से ज्यादा सख्त तरीके से निपटा जाना चाहिए जो कोई आतंकवादियों को आदर्श बताता है, जो आतंकवादियों की गतिविधियों को आदर्श बताता है। मैं कहना चाहूंगा कि इन ताकतों से निपटने के लिए काफी प्रशासनिक और कानूनी उपबंधों की आवश्यकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कुछ बुद्धिजीवियों को इससे बचाया जा सकता है। आतंकवाद एक प्रकार का बड़ा व्यवसाय बन गया है। आतंकवादी देश के बाहर से अपनी गतिविधियां चलाते हैं, वे धन उगाहते हैं और बड़ा वसूली रैकेट बना लेते हैं। आतंकवादी माफिया की तरह बन चुके हैं। अतः, इन मामलों में जनता विशेषकर युवाओं को यह संदेश देना होगा कि आतंक फैलाने से धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा प्रतीत होता है और दुर्भाग्यवश, लोग ऐसा महसूस करते हैं कि आप तीन या चार वर्षों के लिए आतंकवादी बन सकते हैं, अवैध धन वसूल करके वापस आ सकते हैं तथा आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में शामिल हो सकते हैं और अति लाभकारी व्यवसाय चला सकते हैं। महोदय, मेरे विचार से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम आतंकवादियों को जो रियायते देते हैं वे भविष्य के आतंकवादियों के लिए आधार न बने।

महोदय, इस संदर्भ में, मैं अपने एक अनुभव के बारे में बताना चाहता हूं। असम में एक लड़का था। उसने तभी उच्च माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

[हिन्दी]

उसने मुझे कहा कि मैं अगर अल्फा बन जाता हूं तो मुझे कम से कम पांच सौ रुपये मिलेंगे, मैं गन लेकर जाऊं तो दो दिन के बाद इतना बड़ा आदमी बन जाऊं और मेरे पास लाख रुपये आ जाएं। मैं हायर सैकेंड्री स्टूडेंट हूं और मैं नौकरी के लिए जाऊं तो मुझे नौकरी नहीं मिलती है, मुझे काम नहीं मिलता है, इस तरह से मेरे पास नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है।

[अनुवाद]

बेरोजगारी विशेषकर पूर्वोत्तर में शिक्षित व्यक्तियों की बेरोजगारी भी आतंकवाद के लिए आधार बन चुकी है। यह आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए एक प्रकार की पेशेवर प्रोत्साहन बन चुकी है। हमें इस समस्या से दूरदर्शिता के साथ निपटना

[श्री किरिप चालिहा]

होगा और इस समस्या से निपटने हेतु काफी योजना बनाने की आवश्यकता है। मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रमुख विपक्षी दल ने भी गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध न करने का निर्णय लिया है। आरंभ में, राजग सदस्यों ने संप्रग सरकार द्वारा कानून और व्यवस्था की स्थिति से सख्ती से न निपटने के बारे में काफी कुछ कहा था। परंतु आज उन्होंने गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का बिना किसी द्वेष के समर्थन करने का निर्णय लिया है। संभावित विरोध का न होना हमारे अति शांत और दयालु गृहमंत्री की एक और उपलब्धि है। मैं सभा का आभारी हूं।

मैं गृह मंत्रालय के अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए सारे माननीय सदस्यों से पुनः अपील करता हूं। हम सब एकजुट होकर भारत को शांतिपूर्ण देश बनाएं। हम स्थिति का सांप्रदायिकीकरण न करें क्योंकि सांप्रदायिकता आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है।

[हिन्दी]

अगर हमारे घर के अंदर ही भाइयों में झगड़ा होगा तो बड़ी प्राब्लम होती है और यह सब करने के लिए हमारी अपोजीशन पार्टीस और अन्य सभी पार्टीज की एक रिसपांसिबिलिटीज होती है। मैं एक लास्ट एग्जाम्पल देता हूं।

[अनुवाद]

कल मेरा बेटा आया और उसने एक मुद्दे पर मुझसे विवाद किया है। मैं काफी क्रोधित और परेशान हो गया।

[हिन्दी]

फिर मैंने बाद में सोचा यह तो मेरा बेटा है इसे मैं कहां छोड़ूगा। इसको तो मुझे ही ठीक करना होगा।

[अनुवाद]

मुझे उसको समझाना होगा।

[हिन्दी]

मैंने आज सुबह उसे बुलाया और समझाया कि ऐसा मत करो, यह गलत है।

[अनुवाद]

यह भी क्रोध को नियंत्रित करने का ही हिस्सा है। नक्सलवाद हो या आतंकवाद, मेरे विचार से हमारे गृह मंत्री इससे बहुत अच्छी तरह निपट रहे हैं।

[हिन्दी]

जब थप्पड़ की जरूरत है, वह भी दे रहे हैं और जब प्यार की जरूरत है, वह भी कर रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब और यू.पी.ए. सरकार को बधाई देता हूं कि पिछले चार सालों में हमारी सरकार ने इस देश को सुरक्षा देने में बड़ी अच्छी तरह से सफलतापूर्वक कार्य किया है।

[अनुवाद]

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, हम गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। अभी हाल में जो तथ्य प्रकाशित हुए हैं, उनमें कहा गया है कि वर्ष 2006 की तुलना में वर्ष 2007 में हिंसा की घटनाएं कुछ कम हुई हैं। आज बहस का मुद्दा यह नहीं है कि दो-चार घटनाओं में कमी आई है या दो-चार घटनाएं बढ़ी हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आतंकवाद देश की बड़ी समस्या है और यह समूल नष्ट होनी चाहिए। पिछले दिनों जो घटनाएं हुईं, उनसे एक बात बहुत स्पष्ट है कि जो आतंकवादी हैं, उन पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं है और जहां उनके मन में आता है, वे इस प्रकार की घटनाएं कर देते हैं। गृह मंत्री जी यहां बैठे हैं, मि. नारायण, जो देश के सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने पी.सी. लाल मैमोरियल व्याख्यानमाला में भाषण देते हुए अभी थोड़े दिन पहले कहा था कि आई.एस.आई. प्रायोजित आतंकवादी संगटनों के भारत पर कभी भी हमले हो सकते हैं। इस तरह से स्थिति बहुत खतरनाक है। आप सभी जानते हैं कि तीन मोर्चों पर चुनौती है - आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद। जहां तक आतंकवादी गतिविधियों का सवाल है, यह न सिर्फ पाकिस्तान से संचालित हो रही हैं, बल्कि बंगलादेश भी इनमें पूरा सहयोग कर रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बंगलादेशी घुसपैठिए काफी संख्या में आये हैं। इसके अलावा नक्सलवाद का दायरा जो बहुत सीमित था, बहुत तंग था, वह बढ़कर 15-16 राज्यों में फैल गया है। इनमें आंध्र प्रदेश, मध्य

प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्य प्रमुख हैं और वहां स्थिति यह है कि पुलिस बल सहित पूरा सरकारी तंत्र भयभीत है। कई राज्यों में तो नक्सलवादी समान्तर सरकारें चला रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक नक्सलवाद का सवाल है, इस नक्सलवाद को सिर्फ बंदूक के जरिये हल नहीं किया जा सकता। ये जो नकसलवादी हैं, इनके साथ जनाधार भी जुड़ा है। इस जनाधार को नष्ट करना पड़ेगा और इस जनाधार को नष्ट करने का तरीका एक ही हो सकता है कि इन क्षेत्रों में सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को आपको तेज करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि जो उपेक्षित और पिछड़े क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में दौलत गई या न गई, वहां दौलत का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन ही मूलरूप से नकसलवाद की जड़ है।

यह अत्यधिक चिंता का विषय है कि जब देश में कोई आतंकवादी घटना हो जाती है तब केन्द्र सरकार का बयान छपता है, राज्य सरकार चाहे जिस दल की हो लेकिन राज्य सरकारें चिल्लाती हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। राज्य और केन्द्र में आतंकवाद से निपटने का अत्यधिक अभाव है। मैं जरूर चाहूंगा कि पुलिस बल को हाइटैक प्रशिक्षण मिले दुनिया के देशों से भी हमें सबक लेना चाहिए। अमेरिका एवं ब्रिटेन की जो गुप्त एजेंसी हैं, इन देशों ने अपनी खुफिया एजेंसियों को न केवल चाक चौबंद किया है बल्कि उन्हें जवाबदेह भी बनाया है और यही कारण है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद वहां कोई भी आतंकवादी संगठन दुस्साहस नहीं कर पाया।

यह बात सही है कि कानून-व्यवस्था राज्य का विषय है। लेकिन ये आतंकवादी संगठनों का ढांचा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय है। इसलिए आज एक ऐसे तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता है जो सांझा हो। मैं जानता हूं कि पिछली बार कुछ समय पहले माननीय गृह मंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी और संभवतः इस सवाल पर चर्चा भी हुई थी लेकिन आज के संदर्भ में नकसलवाद और आतंकवाद का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को देखते हुए जब तक भारत सरकार और राज्य सरकारों में परस्पर समझ नहीं होगी, तब तक इन हालात से नहीं निपटा जा सकता। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आतंकवाद के खिलाफ विश्व समुदाय को भी आपको विश्वास में लेना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आतंकवाद के संबंध में कारगर प्रस्ताव पास किये। किंतु अधिकतर देशों ने उसका अनुमोदन ही नहीं किया। प्रस्ताव में कहा गया था कि सदस्य देश ऐसे लोगों को दंडित करेगा जो आतंकवादी संगठनों को नैतिक या आर्थिक सहयोग देते हैं लेकिन कोई भी देश इस संबंध में कदम नहीं उठा रहा है और आतंकवादी विरोधी जो अन्तर्राष्ट्रीय संधियां थीं, उनका पालन नहीं हो रहा है। कुछ समय पहले पाकिस्तान के साथ हमने एक सांझा तंत्र विकसित किया और उसके सिलसिले में सरकार ने प्रधान मंत्री समेत बड़े लम्बे-चौड़े भाषण किये। कहा गया कि सांझा तंत्र के बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे लेकिन अक्तूबर, 2006 में यह सांझा तंत्र क्या बना और इसका क्या उपयोग हुआ? पाकिस्तान ने मुम्बई के ट्रेन बलास्ट में संलिप्त 11 पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत को सौंपने से मना कर दिया। पिछले दिनों भारत और बंगलादेश के अधिकारियों को आतंकवाद के सिलसिले में बात हुई थी। भारत ने कहा कि बंगलादेश में 141 आतंकवादी शिविर हैं, बंगलादेश की सरकार सहयोग करे, लेकिन बंगलादेश की सरकार ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बंगलादेश से हमारी जो सीमा लगी है, वह 4096 किलोमीटर लंबी है और सिर्फ 67 प्रतिशत सीमा पर कंटीले तार लगे हैं। शेष सीमा पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। यह कितनी गंभीर समस्या है कि आजादी के बाद भारत के जो युद्ध हुए हैं, उसमें भारत ने सिर्फ 8023 लोगों को खोया है और लगभग दो दशकों में आतंकवाद से हिन्दुस्तान में 71000 लोगों की जानें गई हैं। 22 सितम्बर, 2006 को उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर सोरबजी कमेटी ने पुलिस सुधार के लिए एक एक्ट की रूपरेखा तैयार की। मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्री जी ने बैठक की। नया पुलिस एक्ट बनाने पर सहमति हुई। मैं नहीं जानता कि उसमें आज तक क्या प्रगति हुई है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि जब आप जवाब दें तो इस संबंध में बताएं।

सभापति महोदय: उस पर सहमति नहीं हुई है।

श्री रामजीलाल सुमन: सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार बैठक बुलाने के बाद अगर सहमति नहीं हुई है तो यह इतना गंभीर मामला है कि दोबारा आपको बात करनी चाहिए। आज इस संबंध में अगर राज्य सरकारें भारत सरकार के साथ अपेक्षित सहयोग नहीं करेंगी तो किसी भी कीमत पर उसके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। शेयर बाजार में इन आतंकवादियों की घुसपैठ है। आपके सुरक्षा सलाहकार ऐसा कहते हैं। वह कैसे दुरुस्त होगा, इसकी व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, एक अजीब तमाशा है कि जहां-जहां ये घटनाएं होती हैं, वहां परस्पर विरोधी बयान आने शुरू हो जाते हैं।

[श्री रामजीलाल सुमन]

मैं भारत सरकार और राज्य सरकार की बात नहीं कह रहा हूं। यहां रासा सिंह रावत जी बैठे हुए हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर अजमेर शरीफ में जब आतंकवादी हमला हुआ तो उसमें राज्य के गृह मंत्री और मुख्य मंत्री के बयान में ही फर्क था। राजस्थान के गृह मंत्री कहते हैं कि हमको सब जानकारी थी लेकिन हम कोई मदद नहीं कर पाए। यह जो बयानों का परस्पर विरोधाभास है, यह तत्काल रुकना चाहिए।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर, इसके बारे में जब मंत्री जी जवाब देंगे तो बताएंगे कि उस समय आपने कहा था कि विदेशी आतंकियों का हाथ है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: रावत जी, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब आप जवाब दीजिए।

श्री रामजीलाल सुमन: 25 अगस्त को हैदराबाद में दो स्थानों पर घटना हुई। गृह मंत्री जी का भी यही बयान था कि हमें जानकारी थी लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। यह जो असहाय और लचर स्थिति है, इसमें से सरकार को निकलना पड़ेगा।

अंत में, मैं आपके मार्फत विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र बैठे हैं, मुझे आत्मसंतोष और खुशी है कि विभाजन के बाद भारत के मुसलमानो ने किसी ऐसी पार्टी को वोट नहीं दिया जो मुसलमानों की प्रतिनिधि होने का दावा करती हो अथवा इस्लाम के नाम पर अपील करती हो। उन्होंने अपनी आस्था गैर मुस्लिम नेतृत्व वाले संगठन को दी। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में एक भी आतंकवादी पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबरी मस्जिद की शहादत और गुजरात में मुसलमानों के साथ जो कुछ हुआ, इससे उनका विश्वास हिलता है। सभापति महोदय, यह जो प्रवृत्ति है, यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है और हिन्दुस्तान के आम मुसलमान की नीयत पर भी जब शक किया जाता है, उसको नंबर दो का नागरिक समझा जाता है तो उसका विश्वास टूट जाता है।

सभापति महोदय, आज मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए मेहरबानी करके कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। मेरा आपसे पुन: आग्रह है कि यह जो राज्य सरकारों का राग अलग और बारत सरकार का राग अलग, ये जो अलग-अलग राग अलाप रहे हैं, यह बंद होना चाहिए। आपको एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए, जिससे देश को इस समस्या से निजात मिल सके।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: चौबे जी, आप बैठ जाइए।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): सभापति महोदय, जब इन्होंने आरोप लगाया है तो मैं जानना चाहता हूं, मुसलमानों को यह कह कर कि इनका विश्वास देश से टूट रहा है। किस ने कहा कि मुसलमानों का विश्वास क्यों टूट रहा है, वे किस तरह कमजोर हैं, किस तरह उनका देश में हिस्सा नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: चौबे जी, आप हमारे पुराने मित्र हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपस की बातचीत लिखी नहीं जाती है। चौबे जी, आपको जब बोलने का मौका मिलेगा तब आप बोलिए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): इस तरह बीच में खड़े होकर बोलने का यह कोई तरीका नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बिना अनुमति के बोल रहे हैं, आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

...*(व्यवधान)**

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): सभापति महोदय, गृह मंत्रालय के बजट में प्रावधान और उनके कामकाज के बारे में यहां बहस हो रही है। इस सत्र में नहीं, पिछले सत्र में भी लोक सभा में कई बार इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन गृह मंत्रालय की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें बहुत से विषय हैं। मैं पहले भी इंटरनल सिक्योरिटी पर बोला हूं, मैं समझता हूं कि दूसरे कुछ विषयों पर भी इस मौके पर रोशनी डालनी चाहिए। खास करके गृह मंत्रालय का जो मैंडेट है, उसमें एक मैंडेट यह भी है कि मैंटीनेंस ऑफ कम्युनल हारमोनी एंड प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन और दूसरा है प्रोवाइडिंग रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन टू रिफ्यूजीस डिसप्लेस्ड परसंस। जिन पहलुओं में ज्यादातर ध्यान नहीं आते हैं, ऐसे कई विषय हैं, अगर मुझे समय मिलेगा तो उन पर मैं बोलना चाहूंगा।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमने इस बार डिमांड्स फोर ग्रांट्स में 29820.99 करोड़ रुपए देखे हैं, करीब 30 हजार करोड़ रुपए का इस बजट में प्रावधान रखा गया है। इसमें इस बार बढ़ोत्तरी हुई है, हम देख रहे हैं कि लगातार इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। यह हमारे भारत सरकार का जो कुल बजट है, उसका 3.97 प्रतिशत है, जो करीब-करीब चार प्रतिशत है। शिक्षा और स्वास्थ्य में हम जो खर्च करते हैं, ये उससे भी ज्यादा है। रोजाना ऐसे मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए इसमें कोई न भी नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ क्या यही रास्ता है, चूंकि हमारी सिक्योरिटी एवं सुरक्षा में जो स्ट्रेटजिक सवाल है, उस पर सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो नॉन स्ट्रेटजिक इश्युज हैं, जो सुरक्षा से संबंधित हैं। आजकल आप विश्व के सब मुल्कों में देख लीजिए, जो युद्ध एवं जंग होते हैं, असुरक्षा के भाव होते हैं, वे सीमा पर कम होते हैं। आज टैक्नोलॉजी हाईटैक पर चली गई है, पालिटिक्स में इतने काम्प्लेक्सेस हो गए हैं, वर्ल्ड सिचुएशन इतने काम्प्लीकेटेड हो गए हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

सभापति महोदय, अब तो सीमा पर युद्ध होते नहीं और युद्ध होते भी हैं तो देश के अंदर होते हैं। ईराक में हम देख रहे हैं, अफगानिस्तान में हम देख रहे हैं, वे बॉर्डर प्रोटैक्ट कर के कुछ नहीं कर पाए। हमारे देश में बम ब्लास्ट की बात, असुरक्षा की बात, टैररिस्ट अटैक की बात, माओइस्ट की बात आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में मिलिटेंसी का सवाल है। अभी हमारे ट्रैझरी बैंच के, कांग्रेस के सदस्य कह रहे थे कि अल्फा में क्यों नौजवान रिक्रूट हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है। वे भूखे हैं, वे बेरोजगार हैं। ये हमारी सुरक्षा संबंधी मुद्दों के गैर-सामरिक पहलू हैं। यू.पी.ए. गवर्नमेंट से हमारी यह उम्मीद थी। कॉमन मिनीमम प्रोग्राम में भी यह लिखा हुआ था कि इस मुद्दे पर वे बल देंगे। यह लौंग टर्म में हमारे लिए बहुत हितकारी होगा। वर्ना ब्लास्ट होंगे और हम पोस्ट ब्लास्ट सिचुएशन में दौड़ेंगे, स्टेटमेंट होंगे, मंत्री मंडल भी पहुंचेगा, पिर इन्क्वायरी भी चलती रहेगी। ब्लेम गेम भी चलता रहेगा। आपको उसे रोकने का बंदोबस्त करना चाहिए। लेकिन ब्लास्ट के बाद हम कहेंगे कि इंटैलीजेंस को हम और मजबूत करेंगे। हम हर मामले में कहते हैं कि हम इंटैलीजेंस को और मजबूत करेंगे।

महोदय, लुधियाना में बम ब्लास्ट हुए। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंटैलीजेंस की व्यवस्था करने में कमजोरी रह गई, इसलिए ये बम ब्लास्ट हुए। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि हमें केन्द्र सरकार ने ठीक प्रकार से सूचना नहीं दी। हमें केन्द्र सरकार की ओर से ठीक प्रकार से इंटैलीजेंस की सूचना नहीं दी गई और हमारी तरफ से सुरक्षा में कोई कमी नहीं की गई। मैं इस ब्लेम में नहीं जा रहा हूं, लेकिन हकीकत तो यह है कि सिविलियन मर रहे हैं।

महोदय, सरकार जो आंकड़े दे रही है, उसके अनुसार जम्मू-कश्मीर में पिछले एक साल में वारदातें घटी हैं, यह बात सही है। यह सरकार की कामयाबी है। पिछले सालों के मुकाबले यदि आप देखें, तो जम्मू-कश्मीर में घटनाएं कम घटी हैं और सिविलियनों के ऊपर जो हमले हो रहे थे या उनके जो नुकसानात हो रहे थे, वे कम हुए हैं, लेकिन अभी भी हो रहे हैं।

महोदय, ऐसी घटनाएं देश भर में कहीं भी हों, ठीक नहीं हैं। फिर वे चाहे नॉर्थ-ईस्ट में हों, चाहे माओइस्ट इन्फैक्टेड एरियाज में हों और चाहे जम्मू-कश्मीर में हो, चाहे ये जो टैररिस्ट्स के अटैक हो रहे हैं, ब्लास्ट्स हो रहे हैं, नुकसान तो सिविलयन्स का हो रहा है। आमतौर पर जो आंकड़े आ रहे हैं, उनके अनुसार ज्यादातर सिविलियन्स मारे जा रहे हैं। बेशक यह ठीक है कि कुछ टैररिस्ट्स भी मारे जा रहे हैं, कुछ माओईस्ट भी मारे जा रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान मारे जा रहे हैं। अगर आप कैजुअलिटीज देखेंगे, तो इन्नोसेंट पीपुल की ज्यादा हो रही हैं। इसलिए दो तरफा नुकसान हो रहा है। एक तरफ सुरक्षा के अभाव के कारण जो घटनाएं घट रही हैं, उनका वे शिकार हो रहे हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा के नाम पर जो प्रावधान किए जाते हैं, उसमें भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो आम इंसान है, उसका ही नुकसान हो रहा है।

महोदय, चूंकि समय कम है, इसलिए मैं ज्यादा विस्तार में न जाते हुए, कहना चाहता हूं कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, हमारे जो शैल्टर्स हैं, जो हाउसिंग है, जो हमारा रूरल अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर है, पीने का पानी, नदी का पानी आदि को हम यदि सिक्योर नहीं करेंगे, तो 110 करोड़ के मुल्क में, हम सिर्फ सिक्योरिटी आरक्षी संबंधी प्रावधान कर के देश को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि फ्रांस बहुत आगे बढ़ा हुआ देश है, लेकिन कुछ दिन पहले वहां अनएम्पलाइड लोगों ने किस तरह से हंगामा किया, गाड़ियों को आग लगा दी। इसलिए हम समझते हैं कि इन्क्लूसिव ग्रोथ का, समावेशी विकास का जो मंत्र है, उसका ध्यान हमें अपने सुरक्षा तंत्र में रखना पड़ेगा।

[मोहम्मद सलीम]

एक्सक्लूसिव नहीं इन्क्लूसिव एनवायरनमेंट बनाने की जरूरत है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, तो पिर हम बजट के 4 प्रतिशत की बजाय 40 प्रतिशत भी खर्च करेंगे, तो भी हम सुरक्षा का भाव तैयार नहीं कर पाएंगे।

पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसा बढ़ाया गया है, जरूरत भी है, लेकिन हम अपनी स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में देखते हैं कि बॉर्डर एरिया डैवलपमेंट का मामला हो या पुलिस मॉडर्नाइजेशन का मामला हो, हम कहां बल दे रहे हैं? अभी सुबह बॉर्डर एरिया के बारे में एक बात आ रही थी कि एक पुल कूच बिहार की सीमा पर टूटा हुआ है, उसे बनाना है. लेकिन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स की इसी साल की रिपोर्ट में स्टेंडिंग कमेटी कहती है कि बॉर्डर एरिया डैवलपमेंट फंड से कहीं बगीचे बनाए जा रहे हैं, कहीं बाग लगाए जा रहे हैं और कहीं बागवानी की जा रही है। हमें प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जो सीमावर्ती लोग हैं, उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए, उनके विकास के लिए, सड़क के लिए, सेतु के लिए प्रायोरिटी देंगे या हम अपने कैम्प के आसपास बागीचा लगाने को प्रायोरिटी देंगे? बेशक इसकी भी जरूरत है, लेकिन प्रायर्टी और नॉन प्रायर्टी को देखना चाहिए।

महोदय, मैं सीमा से ही शुरू करता हूं। अभी त्रिपुरा के चुनाव हुए थे। केन्द्र के मंत्रिमंडल के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के प्रचार में हम देख रहे थे और स्टेट गवर्नमेट को ब्लेम कर के यह कहा जा रहा था, क्योंकि वहां जमीन पर बहुत प्रैशर होता है, बॉर्डर फेंसिंग में, बंगाल में, पंजाब में, आसाम में, सभी जगह एक ही स्थिति है कि हमें जीरो लैवल से हटकर, जमीन छोड़कर, फेंसिंग करनी पड़ी। यह देश की पॉलिसी है। वहां राज्य के चुनाव हो रहे थे और हमें लोग बोल रहे थे कि आप चूंकि एम.पी. हैं, इसलिए आप बता दीजिए क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि राज्य सरकार और सी.पी.आई.एम. की करतूत के कारण इतनी जमीन बांग्लादेश में चली गई है और फेन्सिंग इस साइड मे है। वे कह रहे थे कि हमें यदि आप वोट देंगे तो हम इसे जीरो लेवल पर ले जाएंगे। मैंने यह एक कम्पीटिटीव पॉलीटिक्स का उदाहरण दिया था। पंजाब, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में ऐसे लाखों किसान हैं, जिन्हें गेट की बंदी की समस्या झेलनी पड़ रही है। उनकी जमीन उस पार होती है। महिलाएं वहां नहीं जा सकती हैं, क्योंकि महिला फ्रिस्कींग का प्रबन्ध नहीं है। वहां बी.एस.एफ. में महिला पुलिस नहीं है। ऐसी बहुत सी परेशानियां सीमावर्ती इलाकों में हैं। पहले यह परेशानी नहीं थी, लेकिन जब से फेन्सिंग की गई है, तब से यह हो रहा है। लेकिन फेन्सिंग करना भी जरूरी है। लेकिन उसे जीरो लेवल पर ले जाने के लिए विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं, यह देखना होगा। इसकी जिम्मेवारी भारत सरकार को ही लेनी होगी। जब पंजाब में चुनाव होगा, पंजाब सरकार को ब्लेम करेंगे, जब त्रिपुरा में चुनाव होगा, वहां की सरकार को दोष देंगे। लेकिन यह ऑल इंडिया पॉलिसी है, जिससे हम बच नहीं सकते हैं।

तीसरी बात, हमें बार्डर ट्रेड को डेव्लप करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को कहा है। यह साउथ एशियन एकॉनामी है। ऐसा न करके हम बी.एस.एफ. को करप्ट कर रहे हैं। हम अपनी फौज को भेज रहे हैं, फिर भी स्मगलिंग हो रही है। सरकार को जो टैक्स आना चाहिए था, वह अनआफिशियल रूप से दिया जाता है। इसके कारण बार्डर एरिया में अनसिक्योरिटी पैदा होती है, चीफट्न्स तैयार हो रहे है, स्मगलिंग गैंग तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा जिन्हें आप पोस्ट कर रहे हैं, उन्हें भी आप करप्ट कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप बोर्डर लेवल की लोकल मार्किट्स को तवज्जो दें। इसे कानूनी रूप दें। आप कुछ वस्तुओं को फ्री ट्रेड घोषित कर रहे हैं, कुछ वस्तुओं को नेगेटिव लिस्ट से हटा रहे हैं। इससे अच्छा बोर्डर ट्रेड रहेगा और इससे लोकल लोगों को फायदा भी होगा।

महोदय, पहले कम्यूनिज्म की बात हो रही थी और मुझ से पहले माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक-दूसरे को दोष देते हैं। हमारे देश में वर्ष 1992 में अयोध्या कांड हुआ था और बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था। इसके बाद लिब्रहान आयोग बनाया गया। इतना लम्बा कमीशन कभी नहीं बनाया गया था। वर्ष 1992 में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उनके बाद करीब आधा दर्जन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए, लेकिन वह यन-मैन कमीशन चल रहा है। इसी सदन में मैंने पिछले साल जब कहा था कि आप बार-बार इस आयोग को एक्सटेन्शन दे रहे हैं और इस पर कुछ भी फैसला नहीं हो रहा है और यह इसका आखिरी एक्सटेन्शन होना चाहिए तो गृह मंत्री जी मेरे ऊपर झुंझुला गए थे। मेरे पास डॉक्यूमेन्ट नहीं है, नहीं तो मैं कोट कर सकता था, इन्होंने कहा था कि ये लोग हमें समझ नहीं रहे हैं, लेकिन यह आखिरी एक्सटेन्शन है, इसके बाद एक्सटेन्शन

नहीं होगा। एक कमीशन के पीछे करीब आठ करोड़ रुपये इन 16 वर्षों में खर्च हो चुके हैं। लेकिन हम अभी भी यह नहीं जानते हैं कि अयोध्या का केस कहां है? जिन लोगों ने षड्यन्त्र रचा, उन लोगों को केस से बाहर निकाल दिया गया। मैं खुद नहीं कह रहा हूं, यह बात उमा भारती जी ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि राम यात्रा से लेकर राम मन्दिर के निर्माण का मामला हमारे लिए भावनात्मक था। उस वक्त के उनके नेता और हमारे इस समय के प्रतिपक्ष के नेता के लिए वह भावना नहीं थी, सियासत थी। यदि इसमें राजनीतिक षड्यन्त्र है तो जो सरकार सैक्यूलरिज्म के नाम पर बनी है, उसकी भी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? चार साल हो चुके हैं इस सरकार को, उसे निकालना चाहिए था कि वह राजनीतिक षड्यन्त्र क्या था? उसके मास्टरमाइन्ड कौन लोग थे? गुजरात तो आफ्टर एफैक्ट है। इसी तरह से गुजरात के मामले में भी हमने शुरू से यह मांग की थी कि कम्यूनल हारमनी और सेक्यूलरिज्म के नाम पर हमने सरकार बनाई है, इसलिए जितने सीरियस केस हैं, जिनका फैसला गुजरात में नहीं हो सकता है और ह्यूमन राइट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने कहा है कि सरकार को सभी सीरियस केस सी.बी.आई. को दे देने चाहिए और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना चाहिए। यह हमारी पुरानी मांग थी और हमने बजट में देखा कि गुजरात के कम्पनशेषन के लिए पिछले साल प्रावधान बढ़ाया गया था। वर्ष 1984 के दंगा पीड़ित लोगों को जिस तरह से दिया गया था, उसी तरह से गुजरात के फसादजदा लोगों को देने की बात कही गई थी। बजट में यह कहा गया कि रुपया बढ़ाया गया है। स्थायी समिति की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि बजट बढ़ाने का मकसद यही है कि गुजरात के दंगा पीड़ित लोगों को कम्पन्सेट किया जा सके। लेकिन गुजरात में आज भी जो फसादजदा लोग है, जो सडक के किनारे पड़े हुए हैं, डम्पिंग ग्राउन्ड के बाजू में पडे हुए हैं। मिस्त्री जी मेरे साथ थे और हम लोगों ने स्वयं जाकर देखा है कि वे लोग किस हालत में हैं। वहां पर कुछ भी इम्पलीमेंट नहीं हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): नंदीग्राम निकालिए, वह भी निकलेगा। गुजरात में दो बार सरकार बन गयी।...*

मोहम्मद सलीम: ...* जो बात मैं नहीं कह रहा हूं, वह आप क्यों कह रही हैं?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: बातचीत रिकार्ड नहीं होगी।

*(व्यवधान)**...

सभापति महोदय: सलीम जी, आप चेयर को कहिए।

मोहम्मद सलीम: यही वजह है कि होम मिनिस्ट्री की जिम्मेवारी है, श्रीप्रकाश जायसवाल जी, जो मिनिस्टर आफ स्टेट फार होम अफेयर्स हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम एस.ई.-4 के तर्ज पर कंपंसैशन देंगे, लेकिन आज भी वह लागू नहीं हुआ। हम जब इस बजट पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमको इसका लेखा-जोखा लेना पड़ेगा कि सरकार की घोषणा क्या है, मंशा क्या है, प्रावधान क्या है और कितना काम इसने किया है? अगर गुजरात की सरकार नहीं करती है, तो उसके इंप्लीमेंट करने के लिए डिलेवरी मैकेनिज्म, आप क्या कर रहे हैं? गुजरात के लिए कमीशन बना, वह भी चल रहा है। आपने देखा कि जज की जगह खाली हुयी, वहां जो जज को नामिनेट किया गया, मैं उनका नाम बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आपरेशन तहलका में, आपरेशन कलंक में दिखाया गया, वहां जो खुद फसाद किए, जो जलाए, मारे-काटे, वे खुशी के साथ बोल रहे हैं और उस जज को सर्टीफिकेट दे रहे हैं कि दूसरे जज हमें बेल नहीं दे रहे थे और इस जज ने हमें बेल दे दी। चूंकि अपना आदमी है, उसने अपने मनुष्य का ध्यान रखा। जो कातिल के साथ हैं उनको आप मौका दे रहे हैं कि आप फैसला सुनाइए, इंसाफ कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? यह स्टेट की असेंबली नहीं है। स्टेट का मामला होगा, लेकिन कम्युनल हारमोनी को प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट की है। सरकार इस मामले में नाकाम है।

कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में यह प्रामिस था कि एक कांप्रिहैंसिव बिल कम्युनल वायलेंस को रोकने के लिए आएगा। आज तक वह नहीं आया। जो ड्राफ्ट है, वह हमें नामंजूर है। उसका परपज ही खराब हो जाता है। डायलॉग प्रोसेस करके, कंसेंसेज तैयार करके बिल को लाने की जरूरत है, उसके लिए पहल करने की जरूरत है, एक राय बनाने की जरूरत है। बाकी जो यू.पी.ए. या यू.पी.ए. की सपोर्टिंग पार्टीज हैं, जो एंटी कम्युनल लोग है, जो फसाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो फसादजदा लोग हैं, उनके साथ चर्चा चलनी चाहिए। मैं नहीं समझता हूं कि इस प्वाइंट पर कोई चर्चा चल रही है, लेकिन वह भी जरूरी है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[मोहम्मद सलीम]

महोदय, जो सीरीज आफ ब्लास्ट हुए, उसके बारे में बात भी आयी। इंटरनल सिक्योरिटी पर चर्चा के समय मैं बोला था, बेशक यह पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, हमारे देश में भी चल रहा है और इसके हम शिकार हैं। हम किसी को जो टेररिस्ट के रास्ते में जाते हैं, मिलिटैंसी के रास्ते पर जाते हैं, उसके लिए क्षमा याचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो माइंड सेट है, पूरे विश्व में यू.एस. स्पांसर्ड वार आन टेररिज्म के नाम पर एक पर्टीकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट करके वार आन टेररिज्म, मतलब वार अगेंस्ट इस्लाम करने की जो कोशिश है, वह गलत हो रही है और गलत साबित हुयी है। इराक में जहां टेररिज्म कहीं नहीं था, वहां टेररिज्म पैदा किया गया। हमारे देश में भी जो यू.एस.-इजरायल-इंडिया हुआ, जब बृजेश मिश्रा जी अमेरिका गए थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के साथ, तो वहां जो जायोनिस्ट लाबी है, उनकी मीटिंग में उन्होंने कहा था कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए यू.एस.-इंडिया-इजरायल एक साथ रहेगे। आज भी वह सोच हमारे देश में यू.पी.ए. सरकार बनने के बाद भी है और उसी सोच के मुताबिक यह मामला चल रहा है।

मैं. तमिलनाडु के एक मामले के बारे में कहना चाहूंगा। वहां एक के बाद एक ब्लास्ट होते हैं, सरकार कुछ कह देती है, स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। तमिलनाडु पुलिस ने इंक्वायरी की, तेनकाशी में जो ब्लास्ट हुए, न्यूज पेपर में एडीटोरियल में लिख गया कि मुस्लिम मिलिटैंस का यह काम है, जबकि आर.एस.एस. के तीन नेता पकड़े गए। खुद आर.एस.एस. के आफिस में ब्लास्ट हुआ और तमिलनाडु पुलिस के डी.आई.जी. लेवल की इन्वेस्टिगेशन टीम बनी। इन्वेस्टिगेशन करके तीनों को पकड़ा गया। उन तीनों ने कन्फेस किया। तेनकाशी के बारे में आप जानते हैं कि उसे साउथ का काशी कहा जाता है। वहां काशी विश्वनाथ का टैंपल है, उनके द्वारा कहा गया कि हमारे ऊंचे लेवल में कांस्पिरेसी हुयी, हमें तैनात किया गया। हमें ट्रेनिंग दिया गया, उसके बाद अपने आफिस में ही बम-ब्लास्ट करवाया गया, ताकि हिन्दू-मिस्लिम...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): इसमें आर.एस.एस. कहां से निकल आया?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: आपको ये जानकारी कहां से मिली। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: मैं इन्वेस्टीगेशन की रिपोर्ट पढ़कर सुना देता हूं। कोर्ट में केस चल रहा है।...*(व्यवधान)* सच सुनने की हिम्मत रखिए।

सभापति महोदय: हल्ला गुल्ला रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)...*

सभापति महोदय: सलीम साहब, आपका समय समाप्त हो गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: आप यह रिपोर्ट कहां से लाए हैं। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: आप सुनेंगे तब आपको मालूम होगा। आप पढ़ते नहीं हैं।...*(व्यवधान)* महोदय, यह सुनना चाहते हैं, इन्हें जानकारी होनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: लेकिन अब आपका समय समाप्त हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: आप अखबार पढ़ते हैं, मैं अखबार नहीं पढ़ता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम: आप नहीं समझेंगे...*(व्यवधान)* मैं कोट कर रहा हूं:-

तिरूनेलवल्ली रेंज के डिप्टी-इन्सपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस दल ने तेनकासी आर.एस.एस. के कार्यालय में बम-विस्फोट के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री खारबेल स्वाईं: आपने मुझसे पूछा है कि हमें यह जानकारी कहां से मिली।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: यह सुनना नहीं चाहते हैं। मोहदय, क्या मैं इसे ले कर दूं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप ले नहीं कर सकते। अब आप समाप्त कीजिए, आपका समय हो गया है।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: यह इनकी पुरानी आदत है कि जब इनके खिलाफ कोई बात होती है तब यह सुनने के लिए तैयार नहीं होते।...*(व्यवधान)* हमारे पास एक नहीं, बहुत सारे मामले हैं, यह यहां भी साजिश कर रहे हैं। यह बोलने नहीं देना चाहते।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जवाब दीजिए।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: इसी तरह नान्देड़, परबनी में, महाराष्ट्र में...*(व्यवधान)* मैं ले कर सकता हूं।...*(व्यवधान)* तमिलनाडु पुलिस की आई.जी. की रिपोर्ट है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: सभापति महोदय, कृपया उनसे पूछिए कि इन्होंने यह खबर कहां से पाई...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: कृपया बैठ जाइए। कुछ बातें हैं जिन्हें आप नहीं समझेंगे...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): महोदय, वे उनके लिए व्यवधान पैदा कर रहे हैं। यह उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री मिस्त्री, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: हल्ला-गुल्ला रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

*(व्यवधान)**...

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मोहम्मद सलीम: महोदय, यह बोलने का अधिकार छीन रहे हैं।...*(व्यवधान)*

मैं बोल रहा हूं कि तमिलनाडु पुलिस की रिपोर्ट है। आपको और क्या चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: मैं आपकी विचारधारा जानता ...*(व्यवधान)* मैं आपको चुनौती देता हूं आपने यह सूचना कहां से पाई...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: आप पहले बैठ जाइए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: यह सब रिकार्ड नहीं होगा।

*(व्यवधान)**...

मोहम्मद सलीम: ठीक है, यदि इतना चैलेंज करते हैं, मैं होम मिनिस्टर को चुनौती देता हूं। तेनकाशी के ब्लास्ट के बारे में तमिलनाडु पुलिस डी.आई.जी. श्री कनप्पा ने जो इन्वैस्टीगेशन किया, उसकी रिपोर्ट तमिलनाडु से मंगवाएं और सदन में पेश करें। तब इन्हें मालूम होगा कि क्या है। ...*(व्यवधान)* राज्य से रिपोर्ट मंगवा सकते हैं।

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप अपनी बात कहिए, कोई आक्षेपात्मक बात मत कहिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम: यह उचित नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम: *(व्यवधान)**

महोदय, मैं आपसे माफी मांगता हूं...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): *(व्यवधान)**

मोहम्मद सलीम: मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रहा हूं।

[अनुवाद]

अभियुक्त के नार्को एनालिसिस के दौरान रहस्योद्घाटन के बावजूद कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: किसी एक्यूज्ड के इंटेरोगेशन को आप सदन के सामने ऐसे नहीं रखिए। यदि कोई ऑथेंटिक डौक्यूमैंट हो तो उसका रैफरेंस दे सकते हैं।

मोहम्मद सलीम: ठीक है।

सभापति महोदय: आप हर इंटेरोगेशन को यहां डिसकस नहीं कर सकते हैं।

मोहम्मद सलीम: महोदय, यह तेनकाशी बम विस्फोट मामले में डी.आई.जी. की रिपोर्ट है। मैंने चैलेंज दिया है, उसे तो होम मिनिस्टर जी मंगवाएंगे।

सभापति महोदय: आपने चैलेंज दिया, उसका जवाब होम मिनिस्टर जी देंगे। वह बात समाप्त हो गयी।

मोहम्मद सलीम: दूसरा आर्टिकल ज्योति मुन्नानी, टाइम्स ऑफ इंडिया, 22 अक्तूबर, 2007 का है। यह अलग आर्टिकल है। यह नांदेड़ के बारे में है। मैं इसे पढ़ना चाहूंगा।

महोदय, मैं उद्धृत करूंगा।

[हिन्दी]

श्री खारबेल स्वाईं: अगर किसी ने भी कोई आर्टिकल लिख दिया, तो क्या वह आथेंटिक हो जाएगा?

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम: महोदय आप उनको रोकिए।

[हिन्दी]

मुझे सदन में कुछ पढ़ने का हक है या नहीं?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: वे तो यही चाहते हैं कि वे जो चाहते हैं, आप वही करें। आप अपनी बात कहिए।

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम: अभियुक्त के नार्को जांच के दौरान रहस्योद्घाटन के बावजूद कि...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सलीम जी, यह ठीक नहीं है। यह नियमानुसार ठीक नहीं है। आप किसी इंटेरोगेशन को यहां पेश नहीं कर सकते हैं।

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम: मैं एक लेख को उद्धृत करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपने अपनी बात कह दी है, गृहमंत्री जी अगर जवाब देना चाहेंगे तो बाद में जवाब देंगे।

मोहम्मद सलीम: ठीक है, मैं न्युज पेपर कोट नहीं करूंगा। लेकिन मेरे बोलने पर तो रोक नहीं है।

महोदय, नांदेड़ में कुछ एक्यूज्ड बम बनाते हुए पकड़े गए, ब्लास्ट हुआ और महाराष्ट्र पुलिस ने उनको पकड़ा। जब उनका नार्को एनालिसिस टेस्ट हुआ तो यह पता चला कि वे आर.एस.एस.के सदस्य हैं और उन्होंने आर.एस.एस. की ट्रेनिंग ली है।...*(व्यवधान)* उस बम ब्लास्ट की घटना से पहले फरवरी में बम ब्लास्ट हुआ, महाराष्ट्र में ऐसे तीन केसेज हुए जिनमें आर.एस.एस. के लोग इनवाल्व थे। इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि हमारी होममिनिस्ट्री, इंटेलिजेंस सेट-आप, महाराष्ट्र पुलिस - के अंदर एक ऐसी सोच बनी हुई है कि वे वन साइडेड होते हैं। कुछ मिस्लिम इस्लामिक टेररिस्ट फोर्सेज भी हैं, अलग-अलग गैंग हैं, अलग-अलग जगहों पर विस्फोट भी हुए हैं, लेकिन पहले से अगर हम प्रीकंसीव्ड नोशन से युक्त होंगे तो हमारा व्यवहार वनसाइडेड हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार को और सिक्योरिटी पर्सनल्स को खुले दिल से ऐसी घटनाओं की तह में जाना चाहिए। हमारे देश में पिछले 11 सालों में जितने विस्फोट हुए, उनमें अलग-अलग संगठन, अलग-अलग लोग शामिल थे, लेकिन उनमें से किसी भी घटना में कोई मास्टर माइंड अब तक पकड़ा नहीं गया है। चाहे वह

उनका जमाना रहा हो या अब इनका जमाना हो, वर्ष 1998 से लेकर 2008 तक एक भी मास्टर माइंड नहीं पकड़े गए। इसे हम वर्ष 1993 के बम विस्फोटों की घटना से देख सकते हैं जिसके मास्टरमाइंड टाइगर मेनन, दाउद इब्राहिम, आज तक के 15 सालों में देश से बाहर हैं, पकड़े नहीं जा सके हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब कहीं ब्लास्ट होता है तो इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग में कहीं कमजोरी थी, ब्लास्ट होने के बाद फिर अपराधियों का पकड़ा नहीं जाना, हमारी कमजोरी प्रकट करता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है। आप अपनी बात खत्म कीजिए।

मोहम्मद सलीम: इस देश की जनता को सुरक्षा का भाव देने के लिए हमारा यह कहना है कि सरकार को पहले से ही इस पर ध्यान देना चाहिए। हर ब्लास्ट के बाद कोई मंत्री कह देगा कि एक मोबाइल फोन हुआ था, पुलिस कमिश्नर प्रेस कांफ्रेंस करके बोल देते हैं कि ये संगठन हैं, हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और फिर जब उस केस के बारे में फेहरिस्त पढ़ा जाए तो कहीं कुछ नहीं मिलता है। देश के लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि ये जानें कौन लोग ले रहे हैं, कैसे और क्यों ले रहे हैं?

रिफ्यूजीज के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जो इंटरनल रिफ्यूजीज हैं, कश्मीरी पण्डित, उनको कश्मीर वैली से निकाला गया और आज भी जब कश्मीर में सरकार कह रही है कि आतंकवादी घटनाएं कम हो रही हैं, अमन बहाली हो रही है, कांफिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो रहे हैं, तो जो कश्मीर के जो लोग जम्मू में, दिल्ली में रह रहे हैं, वे अगर वापस नहीं जाते हैं या वहां जाकर अपनी प्रॉपर्टीज का उपभोग नहीं कर पाते हैं तो यह देखना केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। इसी के साथ कुछ ऐसे रिफ्यूजीज जम्मू में हैं, जो वर्ष 1947 में, 1965 में या 1971 में युद्धों में, पश्चिमी पाकिस्तान से इधर चले आए। उनकी संख्या हजारों में है, लेकिन आज तक वे न तो सिटीजन हैं, न ही उनको कोई हक प्राप्त है। उनका मामला आज तक हल नहीं हुआ है। इसको लेकर राजनीति की गयी, न एन.डी.ए. सरकार ने किया, न यू.पी.ए. सरकार ने किया, न पहले की कांग्रेस की सरकारों ने किया और न ही राज्य सरकार को उनकी चिंता है। यह एक मानवीय त्रासदी है। मैं खुद जाकर उनके कैंप में मिलकर आया हूं। वे लोग हमारे मुल्क में स्टेटलेस सिटीजन्स हैं। रिफ्यूजीज के बारे में हमारी जो सोच है,जो अंतर्राष्ट्रीय कंवेंशन है, यह मामला उसके भी खिलाफ है।

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त करें।

मोहम्मद सलीम: सभापति महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने ही जा रहा हूं। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं कि जो माओवादी हैं, जो मैनेस है, उस पर काफी चर्चा हुई है। वे जिस तरह से फैल रहे हैं, उसके बारे में लैफ्ट विंग में जो एक्स्ट्रीमिज्म है, हम बंगाल से आते हैं, हमारे ऊपर झारखंड और छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा प्रैशर है, हिट और रन होता है। वहां पर लोग भाड़े पर लाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये लोग वैल आर्गेनाइज्ड हैं, वैलनिट हैं एकदम रिवोल्युशनरी कोई आउटफिक्स हैं, क्योंकि जो पकड़े गए हैं, जैसे उनके सेक्रेटरी बंगाल में काम करते थे, झारखंड में पकड़े गए, वह स्वीकार करते हैं कि कैसे रिक्रूटमेंट होता है, उनका क्या नैटवर्क है। इसी तरह इंटरस्टेट क्राइम सिंडीकेट बढ़ रहा है। दिल्ली और नोएडा में रोजाना घटनाएं हो रही हैं, हमारे शहरों में भी हो रही हैं। आप क्राइम के जितने भी रिकार्ड्स देखें, पाएंगे कि क्राइम आजकल कितना हाईटैक हो गया है, वैल आर्गेनाइज्ड हो गया है और इनका नेटवर्क बड़ा विस्तृत हो गया है। इसलिए यह कहना कि सुरक्षा राज्य का विषय है, उसे राज्य पर छोड़े दें, इससे काम नहीं चलेगा। इंटरस्टेट क्राइम सिंडीकेट से निपटने के लिए आपस में इन्फार्मेशन शेयरिंग होनी चाहिए। अभी यू.पी. के ब्रजेश सिंह उड़ीसा में पकड़े गए। उनका वहां 30 साल से सिंडीकेट चल रहा था। आजकल वह दिल्ली में बंद हैं। उनका आपरेशन बंगाल में भी था। वहां उन्होंने एक सिटिंग एम.एल.ए. को मारा था। इस तरह से आपरेशन चलते हैं। उनका जो नेटवर्क चल रहा है, उससे निपटने के लिए हमारे इंटैलिजेंस डिपार्टमेंट को, गृह मंत्रालय को भी चुस्त नेटवर्किंग करनी होगी। सेंटर स्टेट रिलेशन भी गृह विभाग की जिम्मेदारी है। जब यू.पी.ए. सरकार बनी, तो हमारा कमिटमेंट था कि सेंटर स्टेट रिलेसन मजबूत बनाएंगे। इससे पहले सरकारिया आयोग ने भी यह बात कही थी। वह काफी पुराना हो गया। उसके बाद नए कमीशन बने, लेकिन उनकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। हमारा जो फैडरल स्ट्रक्चर है, जो फैडरलिज्म है, उस पर हमला हो रहा है, रिफार्म प्रोसेस के नाम पर हो रहा है, सरकार के फैसले के नाम पर हो रहा है। यह गम्भीर मामला है। गृह विभाग उसे सुपरवाइज करता है इसलिए उसे देखना चाहिए कि केन्द्र और राज्य का आपस में सम्पर्क कायम रहे और जो हमारा संघीय ढांचा है, वह बना रहे।

श्री देवेन्द्र कुमार यादव (झंझारपुर): सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर इस सर्वोच्च सदन में चर्चा हो रही है, मैं उसके हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत रखने की दिशा में केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिए, हम सभी माननीय सदस्यों को विभाग की तरफ से आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर स्थिति पत्र उपलब्ध कराया गया है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसमें सब चीजों का उल्लेख किया गया है। नक्सल गतिविधियों पर स्थिति-पत्र में काफी जानकारी दी गई है। वर्ष 2008-2009 की गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर मैं कुछ कहना चाहूंगा।

सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो कदम उठाए हैं. उनके क्या प्रभाव रहे हैं, वे कदम कितने प्रभावी रहे हैं, जमीनी स्तर पर कितने सकारात्मक रहे हैं, उस बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। कई माननीय सदस्यों ने समस्या पर चर्चा की है। लेकिन उसके कारण और समाधान पर भी चर्चा होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं और इसीलिए मैं इस पर तवज्जो देना चाहता हूं। देश में जो उग्रवादी हिंसा है, नक्सलवादी हिंसा है या आतंकवादी हिंसा है या धर्मपंथियों द्वारा, कट्टरपंथियों ताकतों द्वारा देश में अमन-चैन को खत्मकरना चाहती हैं, साम्प्रदायिक हिंसा फैलाना चाहती हैं. दंगे कराकर भाईचारे को समाप्त करना चाहती हैं, कौमी एकता को तोड़ना चाहती हैं और अपनी सत्ता के लिए देश को धर्म के आधार पर बांटने का काम करने वाले जो लोग हैं. ये सारे मामले आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। देश में आंतरिक सुरक्षा तब तक नहीं होगी, जब तक साम्प्रदायिक सद्भाव पूरी तरह मजबूत नहीं होगा, महफूज नहीं रहेगा। इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है।

आप असम को देख लें। मैं किसी राज्य की चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन जो उग्रवादी हिंसा चाहे उल्फा के जरिए या अन्य के जरिए पूर्वोत्तर के मणिपुर, मेघालय, असम और नगालैंड में हो रही है। सदन में आसन से आदेश लेकर विशेष उल्लेख के जरिए उस पर चर्चा होती रही है। कुछ समय पहले असम में 12 हिन्दी भाषी मजदूरों का कत्ल कर दिया गया। उसके बाद मेघालय में चार हिन्दी भाषी मजदूरों को जिंदा जला दिया गया। जब इस पर चर्चा हुई तो उल्फा के उग्रवादियों का हवाला इसमें आया। केन्द्र सरकार द्वारा इस नरसंहार को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात भी कही गई थी, लेकिन वह सिलसिला नहीं रुका। यह आश्चर्यजनक स्थित है।

आखिर इस तरह का सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा है। हिंदी-भाषा-भाषी मजदूरों के नरसंहार का सिलसिला लगातार चल रहा है, यह रुकता क्यों नहीं है थमता क्यों नहीं है? हर दो-तीन महीने में, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, हिंदी-भाषा-भाषी के नाम पर असम में हिंसा हो रही है। ये कौन लोग हैं जो असम में हिंसा कर रहे हैं, चाहे वहां के उल्फा के लोग हों या और कोई आतंकवादी संगठन हो, लगातार हमले, हत्या और नरसंहार का सिलसिला वहां चल रहा है। इन हमलों में कभी उल्फा उग्रवादियों द्वारा और कभी दीनशा चर्मपंथियों के एक गुट ब्लैक-बिडो के द्वारा यह नरसंहार किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से असम में बिहार, बंगाल, राजस्थान और झारखंड आदि के मजदूरों और आदिवासियों पर हमले और हत्याएं होती रही हैं। राज्य सरकार वहां क्या पहल कर रही है? माननीय गृह मंत्री जी के लिए यह एक चिंतन का विषय है, ऐसा मैं मानता हूं और माननीय गृह मंत्री जी इस पर चिंतन जरूर करें। एक प्रमाण, ज्युडिशियल इंक्वायरी कमीशन का, आपके आदेश से, मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह ज्युडिशियल इंक्वायरी कमीशन आसाम सरकार के द्वारा गठित है। असम में अभी जो चुनाव हुआ है उस पर ज्युडिशियल इंक्वायरी कमीशन क्या कहता है?

[अनुवाद]

> "विधान सभा का अंतिम चुनाव बिना किसी व्यवहार के सम्पन्न हो सका, स्थानीय प्रतिबन्धित उग्रवादियों को धन्यवाद।"

[हिन्दी]

ज्युडिशियल कमीशन की भाषा देखिये? कैसे उल्फा को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। उग्रवादी संगठन को प्रोत्साहन कैसे मिल रहा है, यह आप देख सकते हैं। राज्य सरकार एक ज्युडिशियल कमीशन बनाती है और ज्युडिशियल कमीशन उनको प्रोत्साहित करती है, धन्यवाद देती है कि चुनाव में आपने बहुत गड़बड़ी नहीं की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हिंदी-भाषा-भाषी को मारते हैं तो कमीशन को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। यह एक बहुत ही दु:खद बात है कि ज्युडिशिरी कमेटी की एक रिपोर्ट में ऐसा है जिसके न्यायमूर्ति के.एन. साइकिया हैं। मैंने इसीलिए इस बात का जिक्र किया है और मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर चिंतन की जरूरत है। आप अपने लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग कीजिए। आप अभियान

चलाते हैं और कई बार फोर्स भी भेजते हैं लेकिन वह प्रभावी क्यों नहीं होती है। यह जो सिलसिलेवार हिंसक गतिविधियां हैं, ये रुकती क्यों नहीं हैं, हिंदी-भाषा-भाषियों का नरसंहार रुकता क्यों नहीं है? अगर जाइंट-आपरेशन में कोई कमी है, या रेगुलर मॉनिटरिंग में कहीं कोई कमी है, इस पर विचार करना चाहिए।

दूसरी बात, जो नक्सलपंथी हिंसा है यह बहुत बड़ा रूप ले रही है और इसका दायरा पशुपति से लेकर तिरुपति तक का है और यह जो रेड-कॉरिडोर है। इस रेड-कॉरिडोर पर माननीय सदस्य ने जब चर्चा शुरू की तो वह इसे दूसरे रूप में इसे ले गये। हम उससे सहमत नहीं है, इसीलिए अपनी बात को दर्ज कराना चाहते हैं। नेपाल हमारा मित्र देश है और नेपाल से हमारा सांस्कृतिक और हर तरह का सहयोग रहा है और वर्षों से हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध चला आ रहा है। नेपाल की राजनीति में आज जो परिवर्तन हो रहा है वह मैनडेट के जरिये हो रहा है, जनमत के जरिये हो रहा है, वहां चुनाव के जरिये परिवर्तन हो रहा है। इसलिए किसी कट्टरपंथी विचारधारा से अगर वह मेल न खा रहा हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदुस्तान उसे तवज्जो नहीं देगा। दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर लोकतंत्र की बहाली होगी तो हिंदुस्तान को उसके पक्ष में होना पड़ेगा और उसे होना भी चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में अगर गणतंत्र की बहाली होगी तो हिंदुस्तान को उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। दुनिया के किसी भी मुल्क में आजाद पसंद लोगों के हक में हिंदुस्तान खड़ा रहेगा, चाहे विचारधारा हमारी उनसे मिले या नहीं मिले। नेपाल में नयी सरकार आ रही है तो हम यह उम्मीद करते हैं कि नयी सरकार वहां के मधेशियों की, आम आदमियों की भी चिंता करेगी और अमन-चैन भी बहाल करेगी। सरकार जब भी बनेगी तो एक कांस्टीट्यूशन फ्रेम में बनेगी और संविधान सभा द्वारा बनाया हुआ है। इसलिए संविधान में इन सब बातों का उल्लेख होगा और एक लोकतांत्रिक सरकार वहां उभरकर आयेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। भारत से साथ सहयोग मजबूत होगा और हमारा रिश्ता स्थायी होगा और भारत से साथ सहयोग बढ़ेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। इसलिए अगर किसी की विचारधारा नहीं मिलती है तो जो लोग चुनाव में जीते हैं उन्हें भी ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं - यानी विचारधारा के चलते ये लोग डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के भी खिलाफ हो जाते हैं।

सभापति महोदय, यह बहुत ही अद्भुत स्थिति है। यह सर्वोच्च सदन है। यहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनी हुई सरकार आती है। नेपाल के नागरिक को वोट देकर सरकार बनाने का अधिकार है। लोकतंत्र में ऐसी बहस, मैं समझता हूं कि चलती रहेगी, लेकिन इस तरह से चुनी हुई सरकार के लिए ऐसी बातेंकही जा रही हैं, यह अच्छी बात नहीं है।

जहां तक नक्सली हिंसा का सवाल है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, तिरुपति हो, इस बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं वर्ष 2007 के स्टेटस पेपर में देख रहा था, इसमें दिया गया है कि आदिवासियों का जल और जंगल पर अधिकार रहेगा। इस संबंध में एक साल पहले जो अधिनियम पारित हुआ, आज तक वह रूल फ्रेम नहीं हो सका है। गृह मंत्री जी जब उत्तर देंगे, मैं समझता हूं कि अद्यतन स्थिति की जानकारी हमें देंगे। जब उसका रूल फ्रेम होगा, तभी वह लागू होगा। नक्सल गतिविधियां केवल पुलिस को आधुनिक करने से और केवल बंदूक के जरिए नहीं रोक सकते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है और मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। जब इस देश में बीस रुपए बी.पी.एल. परिवार को खाने के लिए देंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, यह एन.एस.एस. का सर्वे है, तो देश में क्या होगा? देश के नौजवान दिशाहीन होंगे, हिंसा के लिए तैयार होंगे। जब तक आर्थिक विषमता रहेगी, तब तक नक्सलिज्म का उदगम क्षेत्र बना रहेगा। पिछड़े इलाके हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, रिमोट एरियाज हैं, जहां आजादी के साठ वर्षों के बाद भी विकास की किरण नहीं पहुंची, वहां अगर नक्सलिज्म पर कब्जा पाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आर्थिक विषमता को दूर करें। उनकी गरीबी के उन्मूलन के लिए ठोस कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह अच्छी बात है कि जन, जल और जंगल रूल फ्रेम हो रहा है, इससे आदिवासी लोगों को हक मिलेगा और यह आदिवासियों के आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध होगा।

सभापति महोदय, इस देश में दो प्रतिशत लोग आकाश में 35000 फीट पर सफर करते हैं। प्राचीन काल में बहुत अमीर आदमी हाथी पर बैठते थे। पांच फीट का आदमी 15, 16 फीट पर सफर करता था। गरीबी और अमीरी का ऊंचाई में फर्क 5 से 16, 17 फीट का था। लेकिन आज वह अंतर बढ़ कर 35000 फीट हो गया है। इक्नोमिक डिस्पेरिटी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए हिंसा और हथियार की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। मैं मानता हूं कि सभी को बराबरी पर नहीं लाया जा सकता है, लेकिन संभव

[श्री देवेन्द्र कुमार यादव]

बराबरी तो हो सकती है। आप जानते हैं कि डा. लोहिया ने कहा था कि सबको बराबर नहीं किया जा सकता है, लेकिन संभव बराबरी हो सकती है। जियो और जीने दो, ऐसा होना चाहिए, लेकिन आज जीने नहीं देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, जो नकस्लवादी हैं। वे इलाके में विकास भी नहीं होने देते हैं। नक्सली गतिविधियां ऐसी हैं, जब विकास का काम होता है तो उसे अवरुद्ध किया जाता है। सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों के विकास के लिए कई बार पहल की है, वित्त दे कर, एडिशनल सहायता दे कर, लेकिन हम अभी तक इस बारे में कामयाब नहीं हो पाए हैं।

महोदय, मैं आखिरी बिंदू पर बोलना चाहूंगा। केवल उग्रवादियों की गतिविधियों से ही देश की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा नहीं है, केवल नक्सलवादी गतिविधियों से देश की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा नहीं है, बल्कि मैं साफ कहना चाहूंगा कि कट्टरपंथी ताकतें, जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं, देश के अंदर भाई-चारे को कमजोर करना चाहती हैं, सांप्रदायिक सद्भाव को खत्म करना चाहती हैं, ये कट्टरपंथी ताकतें भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मेरा मानना तो है कि देश के लिए आतंकवाद जितना घातक है, उतना ही घातक सांप्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने वाले कट्टरपंथी लोग हैं। क्योंकि निर्दोष लोगों की जानें दंगा-फसाद से जाती हैं। आतंकवाद से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, कम्युनलाइज सिचवेशन पैदा करने से देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है और कट्टरपंथी विचारधारा के चलते भी देश कमजोर होता है। बहारी हमले से हमारा देश कमजोर नहीं होगा क्योंकि हमारा देश मजबूत हैं और हम बॉर्डर पर मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सैन्यशक्ति और सुरक्षा बल हैं लेकिन दंगा-फसाद और साम्प्रदायिकता से देश के भाईचारा और कौमी एकता को जब कमजोर किया जाता है तो देश को सबसे ज्यादा खतरा होता है। इस पर बंदिश लगाने के लिए गृह मंत्री जी ने कहा था कि एक बिल आएगा। केवल बिल लाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए इच्छा शक्ति भी चाहिए। धारा 355 में संवैधानिक संशोधन लाकर केन्द्र सरकार को अपनी एजेंसी भेजने और इनक्वायरी करने की छूट होनी चाहिए। ऐसे तत्व जो देश के किसी भी हिस्से में हों, उन पर रोक लगाने का केन्द्र सरकार को अधिकार होना चाहिए। सैंटर और स्टेट रिलेशन की अभी जो व्यवस्था है, उसमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 355 के तहत स्टेट से कनसैंट लेना जरूरी है। जो देश की आंतरिक सुरक्षा को कमजोर करता हो, जो कट्टरपंथी ताकतें देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाती हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र में क्या हुआ, वहां देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने की खुली छूट मिली। क्या उन्हें खुली छूट दी जाएगी? देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उसे अक्षुण्ण बनाने के लिए धारा 355 में संशोधन करके ऐसे राज्यों को चिंहित करना चाहिए। अगर जिलों में केन्द्रीय सुरक्षा बल भेजना पड़े, आपको अधिकार होना चाहिए और सी.बी.आई. से जांच कराने के लिए राज्यों से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। देश की एकता अखंडता को महफूज रखने, हिन्दुस्तान के नागरिकों को सुरक्षित रखने और उनके जान-माल को सुरक्षित रखने की केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर चाहे राज्यों का विषय रहे लेकिन केन्द्र सरकार को विशेष परिस्थिति में हस्तक्षेप करने की आजादी होनी चाहिए। इसी सदन में धारा 355 में संशोधन लाकर केन्द्र सरकार शक्ति प्राप्त करे। तभी आंतरिक सुरक्षा महफूज हो सकती है और देश के आम नागरिक अमन-चैन से रह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैं इस सभा में गृह मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगें, 2008-09 पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं। वस्तुतः, मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन तक अनेक मामलों की देखरेख करता है। चूंकि आंतरिक सुरक्षा हमारे देश और देश के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, इसलिए मैं इसी पर विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा।

आज हर भारतीय पूछ रहा है कि इस देश में आतंकवाद क्यों अपना सिर उठा रहा है। इस पर सरकार का क्या उत्तर है? क्या आतंकवादी बाहर से आ रहे हैं? वे कौन-से स्थानीय लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं? वे क्यों उनकी मदद कर रहे हैं? इन प्रश्नों का मेरे पास यही उत्तर है कि उनके मन में कानून का भय नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की गोपनीय रिपोर्ट में भारत की आतंकवाद विरोधी तैयारी में खामी पायी गयी है। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन में राष्ट्रीय कानून से लेकर सीमा चेकपोस्ट, न्यायालय, बैंक, पुलिस के कार्य और पासपोर्ट

तक की जांच में देश के आतंकवाद-विरोधी ढांचे में आए विखराव को जिम्मेदार ठहराया है।

यह रिपोर्ट जुलाई में सरकार को सौंपी गई थी। कुछ अनुमानों के अनुसार जब भारत में आतंकवाद ने एक वर्ष में 90,000 जानें ले ली थीं, प्रतिनिधियों ने यह पाया है कि देश का आतंकवाद वित्तपोषण संबंधी कानून अमरीका पर 11 सितम्बर, 2001 को हुए हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र संकल्प 1373 के पूरी तरह अनुरूप नहीं है। यह इस सरकार पर एक गंभीर दोषारोपण है।

धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत सरकार ने मार्च, 2006 में एक वित्तीय आसूचना यूनिट की स्थापना की थी। वित्तीय आसूचना यूनिट सैकड़ों; हजारों नकदी लेन देन रिपोर्टों की छानबीन करता है और संदिग्ध लेन देनों का ब्यौरा प्राप्त करता है। लेकिन क्या इस यूनिट में कर्मचारियों की संस्था पर्याप्त हैं? क्या उन्हें अन्य स्वदेशी विधि प्रवर्तन एजेंसियों से पर्याप्त समर्थन मिलता है? रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता पाने से रोकने के लिए कोई व्यापक रणनीति मौजूद नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आतंकवाद वित्तीय प्रणाली को आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए प्रयोग में लाने से रोकने के लिए कई उपाय विकसित किए हैं। तथापि, जब आतंकवाद विरोधी मामलों की सुनवाई ऐसे न्यायाधीशों द्वारा नहीं की जाती है जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हों, तो देश के समक्ष यह समस्या पैदा हो जाती है कि देश का कानून नरम है, आतंकवाद से लड़ने वाला तंत्र धीमा है और न्यायालयों में मामलों की भरमार है। सरकार को ऐसे सख्त कानून लागू करने वाली सख्त एजेंसियां तथा सजग और सशक्त न्यायिक तंत्र बनाने से किसने रोका है, जिनसे आतंकवादियों के मन में तथा मदद उनके प्रति सहानुभूति रखने वालों के मन में भय पैदा हो सके। जब तक कानून के प्रति भय नहीं रहेगा तब तक सरकार इसे कैसे रोक पायेगी?

गृह मंत्री जी ने पुलिस के लिए नये युग की चुनौतियों के प्रति राज्यों को आगाह करने की कोशिश की है। आतंकवादी और अपराधी बहुत चालाक होते जा रहे हैं और अपने हित में वे प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आतंकवादियों द्वारा अत्याधुनिक हथियार और उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। कुछ माह पूर्व ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के लिए विधि सम्मत वित्तीय उपक्रमों और चैनलों के दुरुपयोग के बढ़ते खतरे के प्रति सचेत किया था। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि कई मौकों पर स्टॉक एक्सचेंज फर्जी पाये गए है या फर्जी कम्पनियां स्टॉक मार्केट संचालन में संलिप्त पाई गई हैं। आतंकवाद-बाजार का यह संपर्क एक गंभीर चिंता का विषय है। वित्त मंत्री ने इसकी पुष्टि की हैं। सउदी व्यापारी, जो ओसामा बिन लादेन से जुड़ा है, पर संदेह है कि उसने पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से हमारे वित्त बाजार में पैसा लगाया है।

सरकार क्या कर रही है? क्या गृह मंत्रालय इस बात का संज्ञान ले रहा है?

इस समय भारत चारों ओर से कई असफल देशों से घिर गया है। हाल ही में प्रकाशित असफल राष्ट्रों की सूची के अनुसार पाकिस्तान, म्यांमार, बंगलादेश, नेपाल और श्रीलंका, उसी क्रम में विश्व में सबसे अस्थिर 25 राष्ट्रों में से हैं। वहां आतंकवाद-पाठशालाएं भी हैं। यदि हम अपने सीमाओं के भीतर आतंकवाद को रोकना चाहते हैं, तो हमें इस सोच को त्यागना होगा कि केवल पाकिस्तान ही इसके लिए जिम्मेवार है और हमें अपने सभी पड़ोसी देशों विशेषकर बंगलादेश, पर भी सकारात्मक सोच के साथ विचार करना होगा। राजनीतिक शून्यता का मतलब है कि उस देश में कुछ वर्षों से आतंकी समूह पनप रहे हैं। विश्लेषकों ने आतंकी समूहों के विकास के लिए मदरसों की बढ़ती संख्या को जिम्मेदार माना है, जिनका वित्तपोषण मुख्य रूप से सउदी अरब से आए धन से होता है। भारत में जो कुछ हो रहा है वह गंभीर चिंता का विषय है।

जिन तीन मुद्दों पर मैं विस्तार से चर्चा करना चाहूंगा, वे हैं नक्सलवाद, उग्रवाद और आंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, जो हमारे देश के लिए बड़े खतरे हैं। नक्सलवाद का संबंध सामाजिक अव्यवस्था से है; आतंकवाद गलत विचारधारा का परिणाम है और उग्रवाद को विकास के अभाव का परिणाम माना जाता है।

इन तीनों मोर्चों पर सरकार लड़ रही है, जिसमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिल रही है, जैसाकि बढ़ते हुए हमलों से जाहिर हो रहा है इसका हल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर राजनयिक समन्वय और सहयोग से किया जाना चाहिए। आतंकवाद का सामना करने के लिए तथा आतंकवादियों का सामना करने हेतु लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए और धन खर्च किया जाए। यदि अमरीका ने 9/11 हमले के बाद

[श्री भर्तृहरि महताब]

'होमलैण्ड सुरक्षा का गठन किया है जिसके पास व्यापक शक्तियां हैं और उसने आतंकियों को दूर रखने में सफलता पाई है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते।

'टाडा' और 'पोटा' पर चर्चा होती रही है। इन दोनों सख्त कानूनों से निर्दोष लोग पीड़ित हुए हैं और ये आतंकवाद को खत्म करने में निश्चित रूप से असफल रहे हैं, लेकिन कानूनों में कोई कमी नहीं है। इन्हें लागू करने में हमारी अयोग्यता जिम्मेवार है और इसमें सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय के अभाव ने समस्या को जटिल बनाया तथा इससे इसका दुरुपयोग हुआ। इसके तहत कोई निवारण तंत्र नहीं था, लेकिन कुछ राज्यों ने अपने-अपने राज्यों में ऐसे सख्त कानून लागू करना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ऐसे दो राज्य हैं। लेकिन संप्रग सरकार कुछ और ही सोच रही है।

अब मैं सबसे दुःखद पहलू की चर्चा करने जा रहा हूं। आज छह में से एक या लगभग 180 मिलियन लोग जो ब्रिटेन का तीन गुणा है, उग्रवाद के साये में जी रहे हैं और माओवादियों का प्रभाव देश के लगभग 600 जिलों के 5वें हिस्से में फैला हुआ है। हाल ही में यह बात प्रकाश में आई है कि नक्सलवाद-माओवाद द्वारा संरक्षित उग्रवाद के पास 1000 करोड़ रुपये का खजाना मौजूद है। मंत्री जी इसे माने या न माने, लेकिन अपुष्ट आसूचना एजेंसियों का आकलन बताता है कि बिहार का इसमें योगदान 200 करोड़ रुपये का है; छत्तीसगढ़ 150 का योगदान दे रहा है और खनिज सम्पदा से सम्पन्न झारखंड का हिस्सा इससे भी बड़ा है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कितना योगदान देते हैं, इसका मुझे नहीं पता। सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को कितना धन दे रही है?

जब नक्सलपंथियों का वार्षिक बजट 1000 करोड़ रुपये का है, तो क्या यह स्पष्ट चिंता का विषय नहीं है? क्या यह सच है कि गिरफ्तार किए गए कुछ शहरी माओवादी समर्थकों ने पूछे जाने पर यह बताया है कि आस्ट्रेलियाई विक्रेताओं से ए.के.-47 खरीदने का असफल प्रयास किया गया था तथा उन्हें मलेशिया के रास्ते अवैध रुप से भारत में समुद्र के रास्ते लाया गया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि पश्चिम बंगाल के रास्ते पूर्वोत्तर से हथियारों की एक खेप भेजी गई थी? आतंकवादियों के हमले पर सख्त नजर तथा यह बात कि आसूचना करों की चेतावनी पर कार्रवाई हुई अथवा नहीं, दोषारोपण के लिए उतना संगत नहीं है, जितना सुधारात्मक कदम उठाने की जरूरत है। हमारा ध्यान ऐसी त्रासदियों से बचने के तौर-तरीकों पर होना चाहिए और यदि ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उससे निपटने पर होना चाहिए।

हमारे पास अल्प-सुसज्जित अल्प प्रशिक्षित कम दूरदर्शिता वाली और अल्प संसाधन युक्त पुलिस बल है। इस सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन को मैंने पढ़ा है, जिसमें विभिन्न राज्यों में कुछ अधिकृत अनंतिम राज्य-वार पुलिस-संख्या तथा वास्तविक स्थिति/संख्या दी गई है। मैं पूरी संख्या बता रहा हूं। कुल योग 3886 है; यही अधिकृत संस्था है, जबकि स्थिति गत संख्या 3234 है और कुछ राज्यों में जहां उग्रवादी, माओवादी और आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, वहां पुलिस कर्मियों की संख्या काफी कम है।

अखिल भारतीय स्तर पर अपराध ने दोष सिद्धि - दर्ज किए गए तथा जिन पर मुकदमा चलाया गया - की दर अभी भी 6 से 8 प्रतिशत है। क्या यह प्रणाली का दोष है, जिसके चलते ऐसी घटनाएं बार-बार होती हैं? कुल सेवा क्षेत्र की तुलना में पुलिस का अनुपात बहुत कम है और एक राज्य से दूसरे राज्य में इसमें भिन्नता है। प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के लिए अखिल भारतीय अनुपात 42, है जो 728 व्यक्तियों के लिए एक पुलिस वाले का अनुपात है। लगभग 6.5 लाख गांवों के लिए 13,000 थाने हैं। इसलिए न केवल पुलिस-जनसंख्या के अनुपात को तत्काल सही करने की आवश्यकता है, बल्कि उस पुलिस बल को प्रशिक्षित करने की भी आवश्यकता है, जो वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सके और पुलिस सेवा के सकारात्मक मूल्यों की भी मांग है। बी.पी.आर.एन.डी. द्वारा राज्य पुलिस बल योजना के आधुनिकीकरण का मध्यावधि मूल्यांकन होता रहा है। यह देखा गया है कि कोष का 50 प्रतिशत से ज्यादा पुलिस के रखने पर तथा पुलिस के लिए भवन बनाने संबंधी गतिविधियों पर खर्च हो जाता है। इसलिए, प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता है। राज्य को भारी धनराशि दिए जाते समय इन दोनों के बीच अंतर कीजिए, 50 प्रतिशत से अधिक धनराशि निर्माण कार्य में निवेश की जाती है। मैं समझता हूं कि योजना आयोग को एक व्यापक प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है। इस परियोजना का नाम सी.आई.पी.ए. है जो अपराध के मामलों को दर्ज करने, जांच करने और अभियोजन पर विचार करेगा और इसे ब्राडबैंड सी.डी.एम.ए.वी. सैट

नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यह सी.आई.पी.ए. योजना देश के पूरे पुलिस तंत्र का नेटवर्क बनाने की दिशा में नई पहल है। इसमें संदेह नहीं है कि इससे पुलिस और जनता के बीच संपर्क के मामले में प्रत्यक्ष परिवर्तन आएगा। इसलिए, पुलिस कार्मिकों के रवैये और व्यवहार पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: अब मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उल्लेख करूंगा। मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि इस सरकार ने अब तक आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम को वर्ष 2005 में लागू किया गया था। यदि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रारूप नीति तैयार कर ली गई है तो इसे यथाशीघ्र अंतिम रूप दीजिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय आपदा सहायता कोष की स्थापना अब तक परामर्श के चरण में है। बावजूद उसके कि अधिनियम वर्ष 2005 में लागू हो गया था। इसमें इतना अधिक विलंब क्यों है? क्या ऐसा वित्त मंत्रालय अथवा योजना आयोग के कारण है अथवा कुछ और वजह से है। हमें सूचना दी गई है कि सरकार ने भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार करने और बहुदेशीय राष्ट्रीय पहचान-पत्र जारी करने हेतु प्रायोजिक परियोजना का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है। ऐसे में, आपकी अन्य विशेष पहचान संख्या योजना है। यह कार्य सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: ठीक है, अब हो गया।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया और अब समाप्त कीजिए। आप अपना शेष भाषण ले कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, ये मुद्दे हैं। क्या मैं बोलना जारी रखूं?

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप समाप्त करते तो अच्छा होता क्योंकि अभी काफी माननीय सदस्य बोलने के लिए बाकी हैं और समय की कमी है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: विशेष पहचान संख्या योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली और गरीबी रेखा से नीचे वालों की योजना के बारे में है। क्या यह सच है कि मंत्री समूह का यह सुनिश्चित करने के लिए गठन किया गया है कि एम.एन.आई.सी. योजना और यू.आई.डी. योजना का कैसे अभिसरण किया जा सकता है? आप इस प्रकार की तदर्थता क्यों अपनाते हैं? एम.एन.आई.सी. को यू.आई.डी. योजना की घोषणा से पूर्व प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था। आप दो समानांतर योजनाएं क्यों चलाते हैं? क्या सरकार इस सभा को आश्वस्त कर सकती है कि अभिस्तरिता के पश्चात इस कार्य को तर्कसंगत और सीमित समयावधि के भीतर व्यवहार्य बनाया जाएगा?

अंततः, मैं सरकार का ध्यान स्वतंत्रता सेनानियों के मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

अपराह्न 4.00 बजे

महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री का ध्यान 'सम्मान' पेंशन के मुद्दे की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। यह पेंशन स्वर्गीया इंदिरा गांधी के कार्यकाल में वर्ष 1969 में शुरू की गई थी जिससे बड़ी संख्या में गरीब और दुखी स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता मिली। इस सम्मान ने उन्हें वित्तीय सहायता तो प्रदान की ही साथ ही साथ समाज में उन्हें और उनके परिवार को भी प्रतिष्ठा दिलाई। आज सम्मान पेंशन की राशि पर्याप्त है और इसे मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ दिया गया है। अब, उन्हें रेल से यात्रा करने के लिए निःशुल्क पास प्रदान किया गया है। इसके लिए, मैं समझता था कि गृह मंत्रालय ने रेलवे के पास धनराशि जमा कराई है। जब मैंने वार्षिक प्रतिवेदन का अध्ययन किया तो मैंने पाया कि जो स्वतंत्रता सेनानी यह पेंशन ले रहे हैं उनकी कुल संख्या मुश्किल से लगभग एक लाख सत्तर हजार है। जब यह योजना वर्ष 1970 में शुरू की गई थी तो यह संख्या चार लाख या पांच लाख थी। मेरी चिंता यह है कि अधिकांश स्वतंत्रता सेनानियों की आयु 75 वर्ष से अधिक है। मैंने रेल मंत्री से अनुरोध किया था और अब मैं आपसे

[श्री भर्तृहरि महताब]

अनुरोध कर रहा हूं, चूंकि आपका मंत्रालय मुख्य मंत्रालय है जिसने रेलवे को धनराशि उपलब्ध करायी है तो आप कृपया उन्हें शताब्दी और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति देने पर विचार करें। संख्या कम है और यदि सब कुछ किया जा रहा है तो धनराशि अधिक नहीं होगी क्योंकि रेलवे द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जा रही है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: उसमें पैसा बच रहा है। वे लोग यात्रा कम कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, इस मुद्दे का समर्थन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं माननीय गृहमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू पर विचार करें और स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता एवं सम्मान प्रदान करें।

महोदय, मैं इन शब्दों के साथ मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगोंडा): महोदय, आज हम गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है और गृह मंत्रालय को विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटना पड़ता है। यह बहुत बड़ा कार्य है। सभा को मंत्रालय द्वारा किए जा रहे इस कार्य की जांच करनी होगी।

आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा एक महत्वपूर्ण कार्य है। दुर्भाग्यवश, गत कुछ वर्षों में अनेक घटनाएं हुई हैं जिनसे हमारी आंतरिक सुरक्षा में विघ्न पड़ा है। मस्जिदों, मंदिरों, गिरजाघरों, पार्कों, रेस्तराओं पर हमले किए गए। लोगों में ऐसी भावना है कि आज के समय में कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। आम जनता में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है। परंतु हमारे देश के लोग साहसी हैं और वे डर की उस भावना से उभर गए हैं जिसको इन आतंकवादी गतिविधियों द्वारा उत्पन्न करने की कोशिश की गई थी। लोगों ने इन आतंकवादियों के हाथों की कठपुतली बनने और सांप्रदायिक होने से इन्कार कर दिया।

महोदय, मैं हैदराबाद से हूं। यह एक सुंदर शहर है जिसमें शांतिप्रिय और धर्मनिरपेक्ष सोच वाले व्यक्ति रहते हैं। हाल में लगातार हुए बम विस्फोटों ने इस शहर को हिलाकर रख दिया था। अनेक युवा और निर्दोष व्यक्ति ऐसी आतंकवादी गतिविधियों के शिकार हुए थे। यद्यपि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है तथापि आतंकवाद से लड़ने के लिए केंद्रीय स्तर पर समन्वय की आवश्यकता है। कुछ कदम उठाए गए हैं परंतु मेरे साथी मोहम्मद सलीम ने सही कहा है कि इन हमलों के लिए जिम्मेवार असली अपराधियों, सरगनाओं की अब तक न तो पहचान की गई है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हर बार कोई घटना हो जाती है और हम यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि ऐसी गतिविधियों के पीछे कौन से व्यक्ति हैं और हम कुछ व्यक्तियों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। दुर्भाग्यवश, ऐसी आतंकवादी गतिविधियों के लिए बार-बार एक विशेष समुदाय के व्यक्तियों पर आरोप लगाने के प्रयास किए जाते हैं। समस्या को हल करने की यह पद्धति अनुचित ही नहीं बल्कि बहुत गलत भी है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी तो आतंकवादी होते हैं। उनके साथ केवल अपराधियों जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए।

जब कुछ अपराधी या कुछ आतंकवादी विशेष समुदाय से आते हैं तो ऐसे में बार-बार एक विशेष समुदाय को इससे जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं जैसे कि वह समुदाय देश में सारे आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इससे अधिकाधिक नई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। महोदय, गत कुछ वर्षों या संभवत: एक दशक में देश में आतंकवादी गतिविधियों के कारण 11000 सुरक्षाकर्मियों सहित लगभग 70,000 व्यक्ति मारे जा चुके हैं। हमने जितने भी युद्ध लड़े हैं इनमें उनसे अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। जब भी हमला होता है तो हम सबको गुस्सा आता है परंतु हम स्वयं को असहाय महसूस करते हैं। अपराधियों की रोकथाम करने, उनकी पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए और गंभीर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ताकि देश में आतंकवादी कार्रवाई ना दोहराई जा सके।

अपराह्न 4.06 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुईं*]

महोदय, मेरा अनुरोध है कि निदान बिल्कुल सही होना चाहिए ताकि हम देश में बार-बार होने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए समुचित उपाय कर सकें। भिन्न-भिन्न राज्यों में आतंकवाद के कारण भिन्न-भिन्न हैं। जम्मू-कश्मीर में अलग कारण है। पूर्वोत्तर में अलग है और

कुछ अन्य राज्यों में माओवादी हिंसा अलग प्रकार की है। सीमा-पार आतंकवाद भी है जिससे अपने सुरक्षा बलों और प्रति-आसूचना को मजबूत बनाकर अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी तरीके से निपटना चाहिए।

इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि वामपंथी दल न्यूनतम साझा कार्यक्रम का समर्थन कर रहे हैं जिसमें वादा किया गया था कि सांप्रदायिकता से बहुत सख्ती से निपटने के लिए सांप्रदायिकता विरोधी अधिनियम लाया जाएगा। इस बारे में चर्चा की गई थी और इसे पुरःस्थापित किया गया है। मुझे पता नहीं कि इसका क्या हो रहा है। यह वर्ष सरकार का अंतिम वर्ष है। मैं माननीय गृहमंत्री से जानना चाहूंगा कि सांप्रदायिकता विरोधी अधिनियम लाने के लिए राष्ट्र से किए गए इस वादे को इस वर्ष में पूरा किया जाएगा या नहीं। या फिर यह हमेशा के लिए लंबित रहेगा? यह एक प्रकार से राष्ट्र के साथ अन्याय करना होगा।

मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि सांप्रदायिकता सबसे बड़ा खतरा है जिसका हम देश में सामना कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि मुंबई में किस प्रकार से गैर-मराठियों और उत्तर भारतीयों पर हमला किया गया। यह ऐसे हताश राजनीतिक समूह का कार्य है जो समाज के कुछ वर्गों से थोड़ा समर्थन चाहता हो। पूरे देश ने इसकी निन्दा की है। परंतु मैं यह पूछना चाहता हूं कि मुंबई जैसे बड़े शहर में उन्होंने आगे आकर समाज के एक वर्ग पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। मुंबई शहर में सांप्रदायिकता फैलाने के दोषियों को गिरफ्तार करने में सरकार के असफल रहने के कारण ऐसा संभव हुआ है। श्रीकृष्ण आयोग की रिपोर्ट आने के बाद गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और पहले के सांप्रदायिक कृत्यों के कारण दंड पाने वाले व्यक्ति खुले घूम रहे हैं और इसीलिए इस प्रकार के हताशापूर्ण कार्यों की पुनरावृति हो रही हैं। मुंबई शहर में जो हुआ वह हम सबके लिए शर्म की बात है। इससे राष्ट्रीय एकता में सहायता नहीं मिलेगी। इसके कारण देश के विभिन्न भागों में ऐसी घटनाओं की अधिकाधिक पुनरावृत्ति होगी। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रालय इन बातों को अधिक गंभीरता से ले और इन पर रोक लगाए तथा रोजगार, शिक्षा, बजट आबंटन आदि में समान अवसर उपलब्ध कराके समाज के विभिन्न वर्गों विशेषकर अल्पसंख्यकों में विश्वास जगाए। यदि ऐसा नहीं किया जा सकता तो राष्ट्रीय एकता नहीं आ सकती। मैं जानता हूं कि इस प्रकार की टिप्पणी करके कुछ वर्ग कहेंगे कि इससे अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण हो रहा है और यह सब वोट बैंक के लिए है। यह कार्य पूरी तरह से बहुमत समुदाय के वोट बैंक पर कब्जा करने और जनता में सांप्रदायिकता के बीज बोने के लिए किया जा रहा है। गृह मंत्रालय को इन मुद्दों से अत्यंत सख्ती से निपटने और दोषी व्यक्तियों को दंड देने की आवश्यकता है।

महोदय, मैं नक्सलवाद के मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा, जिस पर हमारी सभा में बार-बार चर्चा हो रही है। यह कहा जाता है कि नक्सलवाद फैल चुका है और नक्सली गतिविधियां लगभग 112 से 140 जिलों में चल रही हैं। गृहमंत्रालय द्वारा दी गई रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2003 से 2007 तक औसतन लगभग 1500 से 1600 नक्सली घटनाएं हुईं; प्रतिवर्ष 450 और 500 के बीच व्यक्ति हताहत हुए और सुरक्षाकर्मियों के हताहतों की संख्या 200 और 250 के बीच थी। इन वर्षों के दौरान लगभग 150 से 250 नक्सलवादी भी मारे गए।

इस बारे में काफी सूचना दी गई है कि गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के सहयोग से किस प्रकार की कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है क्या कार्रवाई की जा रही है। परंतु मैं यह कहना चाहूंगा कि वर्ष 2003 से 2007 तक अर्थात गत चार वर्षों में कमोवेश उन्हीं आंकड़ों की पुनरावृत्ति हुई। नक्सली घटनाओं पर रोक नहीं लगाई जा सकी। अधिक से अधिक पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है; अधिकाधिक आधुनिक हथियारों की पूर्ति की जा रही है। समस्या को कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में देखा जा रहा है। गोलियों से समस्या का समाधान नहीं होगा। भारत सरकार द्वारा बार-बार दोहराया गया है और वह इस बात से भी सहमत है कि यह सामाजिक-आर्थिक समस्या है। परंतु सामाजिक-आर्थिक समस्या पर उस प्रकार से विचार नहीं किया जा रहा है जिस प्रकार से उस पर विचार किया जाना चाहिए। गत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों के विकास के लिए थोड़ी विशेष धनराशि नियत की गई है, जहां पर नक्सली गतिविधियां बढ़ रही हैं। अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव, सामाजिक अन्याय, गरीबी और बेरोजगारी के कारण नक्सलवाद के लिए भर्ती जारी है। यदि आप इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते, तो आय दस गुणा अधिक पुलिस कार्मिकों की व्यवस्था करके भी नकसलवाद की समस्या को हल नहीं कर सकते।

मैं अनुरोध करता हूं कि भू-सुधारों को लागू किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा पूर्व में किए गए वायदे के अनुसार दूरवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि की जानी चाहिए। जिन योजनाओं की घोषणा की

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

गई हैं, वे कागजों में ही अधिक हैं और उनका कार्यान्वयन कम हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, जहां नक्सलवाद बहुत अधिक फैला हुआ है। मैं बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में गया था। सलवा जुडुम को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसे पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में बनाया और प्रोत्साहित किया गया था। इसे भाजपा सरकार द्वारा जारी रखा जा रहा है। सलवा जुडुम सबसे अधिक अलोकप्रिय संगठनों में से एक है। एक प्रकार से, सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, परंतु जनता खुश नहीं है। उस राज्य में जनता यह महसूस करती है कि वे शत्रु हैं वहां सलवा जुडुम के प्रोत्साहन देने के नाम पर मानवाधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है। मेरी मांग है कि भारत सरकार को सारी वित्तीय सहायता बंद कर देनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने भी इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है। एक जांच समिति गठित की गई है। इन समस्याओं को हल करने के लिए अधिक समुचित और अर्थपूर्ण सुधार होने चाहिएं। इससे कानून और व्यवस्था की बजाय सामाजिक-आर्थिक समस्या के रूप में निपटा जाना चाहिए।

स्वतंत्रता सेनानियों के प्रश्न पर, पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य में कई हजार स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने काफी पहले स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हेतु आवेदन किया था। श्री वी.पी. सिंह के शासन काल में एक समिति गठित की गई थी। स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हेतु लगभग 13500 नामों की सिफारिश की गई थी। लगभग 15 से 20 वर्षों तक यह मुद्दा लंबित रखा जा रहा है।

यहां, मैं एक अति महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी: महोदया, यह अति महत्वपूर्ण पहलू है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं तेलंगाना क्षेत्र से हूं जहां हजारों स्वतंत्रता सेनानी कष्ट झेल रहे हैं। दुर्भाग्यवश, गृह मंत्रालय के अधिकारियों का हाल का रवैया व्यक्तियों को उन स्वतंत्रता सेनानी पेंशन न देने का है, जो वास्तव में उसके हकदार हैं। गत 15 वर्षों में अनेक समितियां गठित की गई हैं और हर सप्ताह बार-बार जांच और सत्यापन का कार्य चल रहा है। वे वृद्धावस्था के कारण मर रहे हैं। संसद सदस्य के नाते हमें इनकी अंत्येष्टि में जाकर माफी मांगते हुए शर्म आती है कि हम उनके जीते जी न्याय नहीं कर सके। बहुत थोड़े से शायद चार या पांच हजार व्यक्ति ही जीवित हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको पेंशन देने से मना नहीं किया जाना चाहिए।

महोदया, अब यह व्यवस्था है कि जिस व्यक्ति को पेंशन मिल रही है, उसे अन्यों के मामले की सिफारिश करनी चाहिए। यदि सिफारिश असत्य साबित हो जाती है अथवा आवेदन असत्य सिद्ध हो जाता है, तो मूल स्वतंत्रता सेवा भी अपनी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का अधिकार खो देगा। उसके द्वारा संस्तुत सभी मामलों को भी रद्द किया जा रहा है। यह अति अमानवीय है। ऐसा नहीं किया जा सकता। यदि किसी अधिकारी को भ्रष्टाचार के कारण गिरफ्तार किया जाता है, तो क्या आप उस अधिकारी द्वारा पूर्व में किए गए सारे आबंटनों अथवा आदेशों को रद्द कर देंगे? यह क्या किया जा रहा है? कई स्वतंत्रता सेनानी पेंशनों को इसलिए रद्द कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने जो कुछ सिफारिशें की थीं उन्हें गृह विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। इस स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए और यह पेंशन दी जानी चाहिए। दफ्तरशाही को यह निर्णय नहीं करना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन दी जाए अथवा नहीं। यह राजनैतिक निर्णय होना चाहिए और इस निर्णय को कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने देने का निर्णय किया है और पेंशन देने से बार-बार मना करने की हिम्मत कैसे की जा रही है। इन मामलों पर कार्यवाही करने हेतु कितने दिनों की आवश्यकता है? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त विशेष जांच समिति द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन हेतु सिफारिश किए गए सभी नाम के व्यक्तियों का सम्मान किया जाना चाहिए।

महोदया, मैं कहना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय में स्वतंत्रता सेनानियों हेतु स्कंध है। स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया जा रहा है और उन्हें कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं दी जाती। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक कार्यालय है। स्वतंत्रता सेनानियों को बाहर फुटपाथ पर खड़े रहना पड़ता है। क्या स्वतंत्रता सेनानियों का इसी प्रकार सम्मान किया जाना चाहिए? यह पूरे देश के लिए शर्म की बात है। स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। अतः मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के इन मुद्दों की जांच कराएं मुझे मालूम नहीं है कि उन्हें 'सम्मान' दिया जाएगा या नहीं, परन्तु उनका इस प्रकार अपमान नहीं किया जाना चाहिए। इन सभी मामलों पर समुचित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

श्री ए.के. एस. विजयन (नागापट्टिनम): महोदया, अब गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा की जा रही है। इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। मैं अपने नेता डा. कलाईगनार करूणानिधि को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने तमिलनाडु के लोगों के साथ मुझे इस सम्माननीय सभा में नागापट्टिनम के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सक्षम बनाया है।

हमें अपनी विविधता में एकता पर गर्भ है। इसलिए केन्द्र को विभिन्न राज्यों के लोगों की भावनाओं का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले हर मामले पर केन्द्र सरकार का समाधान सावधानीपूर्वक करना चाहिए। पंचायती राज मंत्री सहित सभी केन्द्रीय मंत्रियों को अवश्य इसका ध्यान रखना चाहिए।

कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा देश में सिविल प्रशासन की दो आंखें हैं। इनकी जिम्मेदारी राज्य और केन्द्र सरकार; दोनों, को होती है। यही कारण है कि गृह मंत्रालय पुलिस पर लगभग 21,860 करोड़ रुपये खर्च करती है। इसमें बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. और सी.आई.एस.एफ. जैसे केन्द्रीय सुरक्षा संगठन सम्मिलित हैं और कोस्टल गार्ड भी सम्मिलित हैं। सभी केन्द्रीय बलों के लिए एक समान सेवा शर्तों तथा वेतन और अन्य अनुपलब्धियां होनी चाहिएं। जहां कहीं भी सीमा पार से संबंधित समस्या है वहां केन्द्रीय बलों को सतर्क रहना चाहिए। उनके द्वारा हमारी भूमि की रक्षा अवश्य की जानी चाहिए तथा ऐसा करते समय स्थानीय लोगों का ध्यान रखना चाहिए। जम्मू और कश्मीर के अनुभव को देखते हुए केन्द्र को सावधान रहने की जरूरत है। जिस प्रकार जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय बलों द्वारा सीमा की रक्षा के लिए स्थानीय युवाओं को सिम्मिलित किया जा रहा है वैसे ही तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में किया जाना चाहिए।

हम जेल सुधारों की बात कर रहे हैं। हमारे कानूनों का उद्देश्य लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए अवसर प्रदान करने का है। परन्तु, दुर्भाग्यवश, केन्द्र ने कारागारों के लिए मात्र एक करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की हैं।

राष्ट्रीय आपदा राहत भी केन्द्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस साल के केन्द्रीय बजट में इस शीर्ष के अंतर्गत 86 करोड़ रुपये की अल्प धनराशि आवंटित की गई है। लेकिन राज्यों की ओर से अधिक की मांग की गई है। मैं चाहता हूं कि राज्यों को बेहतर ढंग से मदद करने के लिए इस आवंटन को बढ़ाया जाए। उदाहरण के लिए केन्द्रीय दल के दौरे के बाद भी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कुछ बेहतर नहीं किया गया।

जम्मू-कश्मीर में हिंसा में नागरिकों के हताहतों की संख्या की बात करें तो यह संख्या क्रमशः दोनों वर्षों 2004 और 2007 में 2565 और 1092 थी। एक बड़ा परिवर्तन देखा गया है। यह भविष्य के लिए आशा है। मैं डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व और संप्रग अध्यक्षा सोनिया गांधी के मार्गदर्शन वाली केंद्र सरकार की सराहना करता हूं।

ऐसे में नक्सल प्रभावित राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों की समस्याओं में बदलाव नहीं आया है। वर्ष 2004 में पूर्वोत्तर में हिंसा में हताहतों की संख्या 1234 थी; नक्सल प्रभावित राज्यों में यह संख्या 1533 थी। वर्ष 2007 में यह संख्या 1489 और 1565 पर बनी रही। वर्ष 2007 में भी पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित राज्यों में भी नागरिकों के हताहतों की संख्या क्रमशः 498 और 460 पर बनी रही। वर्ष 2004 में ये संख्याएं 414 और 466 बनी रही जो कमोवेश उतनी ही हैं। परंतु सुरक्षाकर्मियों के हताहतों की संख्या अधिक है जबकि नक्सली हताहतों की संख्या अब भी कम है। अतः, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जनता को आर्थिक कारणों से असंतोष नहीं होना चाहिए विशेषकर तब जब हमारा शीर्षस्थ नेता एक अर्थशास्त्री हो।

रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करना होगा और गुमराह युवकों को मुख्यधारा में लाना होगा। जम्मू-कश्मीर का अनुभव दर्शाता है कि एक विशेष अभियान के रूप में केंद्रीय बलों में बोरोजगार युवकों को भर्ती करने से राज्य और देश को सहायता मिल सकती है।

तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था से सख्ती से निपटा गया है। परंतु सीमा पार विशेषकर बंगाल की खाड़ी की समस्याओं को केंद्र द्वारा अब भी बेहतर तरीके से नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है।

उदाहरण के लिए, तमिलनाडु के तटों पर गरीब मछुआरों के मरने वाली संख्या में वृद्धि हो रही है। गरीब मछुआरों को पेश आ रही कठिनाइयों में वृद्धि हो रही है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र नागापट्टिनम में यह बार-बार होने वाली सामान्य बात हो गई है। मैं केंद्र सरकार से गरीब मछुआरों की जान की रक्षा करने हेतु कदम उठाने का आग्रह करता हूं।

[श्री ए.के. एस. विजयन]

तमिलनाडु का लंबा समुद्री इतिहास है। संभवतः, अकेला तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो उप-महाद्वीप के बाहर तमिल साम्राज्य के प्रसार के बारे में कहता है। पारंपरिक पृष्ठभूमि वाले तटवर्ती इलाकों में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा की गई है। मछुआरे समुदाय के ऐसे युवकों को तटरक्षक बल और तटवर्ती पुलिस में अवश्य भर्ती किया जाना चाहिए। इसके अभाव में, तटवर्ती क्षेत्र में स्थानीय व्यक्तियों का शोषण किया जाएगा।

न्यायपालिका को सुदृढ़ करने और इसकी सेवाओं का विस्तार करने से कानून और व्यवस्था में भी वास्तव में सुधार होगा। उदाहरण के लिए दिनांक 31 दिसंबर, 2007 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु में निचली अदालतों में 5 लाख दीवानी मामले और 4.3 लाख फौजदारी मामले लंबित हैं। दीवानी मामलों के अधिक समय तक लंबित रहने के कारण फौजदारी मामले होते हैं। यद्यपि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इसी वर्ष 100 करोड़ रुपये आबंटित करके प्रभावी कदम उठा रहे हैं तथापि अधिक अवसंरचना की आवश्यकता है। तमिलनाडु सरकार के गहन कार्यक्रम की लागत 300 करोड़ रुपये से अधिक होगी।

तमिलनाडु में मध्यस्थता और सुबह सहित सांध्यकालीन अदालतों, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रों और मध्यस्थता को सुदृढ़ किया जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय में तमिल भाषा को लागू करने से समस्याओं को कम करने में सहायता मिल सकती है। इसके पश्चात् मुकदमों का शीघ्र निपटान संभव है। मुझे मालूम है कि हम 'कानून और न्याय' की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम केवल गृह संबंधी मामलों की चर्चा करते हैं। परंतु इसमें कानून और व्यवस्था एवं सामाजिक सद्भाव भी सम्मिलित है। अतः मैं गृह मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि वह इस संबंध में समन्वित प्रयास करे। तटवर्ती सुरक्षा योजना को मजबूत बनाने के लिए केंद्र की ओर से उदारतापूर्वक सहायता की आवश्यकता है। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है तो हमारे अपने मछुआरों की आजीविका की रक्षा करने की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार, महानगर की पुलिस व्यवस्था के लिए केंद्र की ओर से अधिक धनराशि की आवश्यकता है। पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर भी केंद्र द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं प्रभावी पुलिस व्यवस्था हेतु अवसंरचना सुविधा को और मजबूत करने हेतु तमिलनाडु को सहायता देने के लिए गृह मंत्रालय से आग्रह करता हूं और अनुदानों की मांगों के अपने समर्थन को अभिव्यक्त करने वाले भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति महोदया, गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा हो रही है और मैं भी उसी चर्चा में भाग ले रहा हूं। गृ मंत्रालय की मांगें पारित भी होंगी क्योंकि यदि सकारात्मक विपक्ष होता है और अच्छे काम के लिए पैसे मांगे जाते हैं तो उसमें कहीं से आना-कानी नहीं करता। हम भी इस मांग को मंजूर करवाएंगे। गृह मंत्री जी ने बहुत अच्छा दस्तावेज दिया है। उसमें उन्होंने सब चीजों का बहुत बारीकी से वर्णन किया है। लेकिन मैं गृह मंत्री जी को एक बात कहना चाहूंगा कि आपने सन् 2004 में जब से गृह मंत्री के रूप में प्रभार संभाला, हम आपकी नीयत पर कोई शंका नहीं करते, आप प्रयास भी ईमानदारीपूर्वक करते होंगे कि देश की आंतरिक सुरक्षा बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रहे। लेकिन इतने प्रयास के बाद, इतना धन खर्च करने के बाद आपके ही आंकड़े बताते हैं कि जो सफलता हासिल होनी चाहिए, वह हासिल नहीं हो पाई है। किसी एक वर्ष में घटनाओं में कमी हुई है और ठीक उसके दूसरे वर्ष में घटनाओं में वृद्धि हुई है। पुलिस के जवान मारे गए हैं, अर्ध-सैनिक बल मारे गए हैं, आम नागरिक मारे गए हैं, कुछ नक्सली, माओवादी, आतंकवादी भी मारे गए हैं। इन सब घटनाओं से देश के लोग संशय में जिन्दा रहते हैं और संशय में सिर्फ लोग ही जिन्दा नहीं रहते, हमें लगता है कि संशय में सरकार भी जिन्दा रहती है।

अभी दिल्ली के इंडिया गेट में ओलम्पिक मशाल निकली थी। लगता था कि सेना की छावनी बनी हुई है। हम अपने देश में, अपने घर में यदि कोई कार्यक्रम करते हैं तो अंदर से इतने संतुष्ट नहीं होते कि हम सुरक्षित हैं, असुरक्षित हैं, हम जिन्दा रहेंगे, मर जाएंगे, हम इतने भयभीत रहते हैं कि किसी कार्यक्रम में सेना की छावनी बना देते हैं। यह प्रमाण सामने है। 15 अगस्त और 26 जनवरी, को झंडारोहण होता है। प्रधान मंत्री जी, राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं। लेकिन जो चौक-चौबन्दी, पुलिस का जो बंदोबस्त होता है, दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है, घरों पर चारों तरफ सेना तोप लेकर खड़ी रहती है। झंडे के प्रति लोगों में जो सम्मान है, दो-तीन किलोमीटर पैदल और पुलिस की जांच की वजह से वे लोग स्थल तक पहुंच नहीं पाते।

यह बात इसे प्रमाणित करती है कि सिर्फ आम लोग

ही नहीं, सरकार भी संशय में है। यह संशय की जिंदगी मौत से भी बुरी होती है। इसलिए सभापति महोदया, मैं माननीय गृहमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि देश के लोगों के मन से और सरकार के मन से इस संशय को हटाने के लिए कोई न कोई राह हमें निकालनी होगी। वैसे अखबारों के माध्यम से यह सूचना मिलती है कि भारत में 175 आतंकवादी संगठन हैं, जिनमें से 115 संगठन जम्मू-कश्मीर में और लगभग 60 संगठन देश के दूसरे हिस्सों में कार्यरत हैं। ये संगठन टुकड़ों में काम करते हैं। पहले जंगल और पहाड़ पर इनका कब्जा था, अब ये लोग समतल जमीन की तरफ बढ़ रहे हैं। देहाती इलाकों में लोग कहते हैं कि यह नक्सलवादियों का इलाका है या यह माओवादियों का इलाका है और एक बार गृहमंत्री जी ने लोकसभा में बयान दिया था कि उनका जल पर भी कब्जा हो गया है, तो अब केवल आसमान बाकी है। इसका मतलब यह है कि इतने प्रयासों के बाद भी उनकी ताकत बढ़ती ही जा रही है और सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ रही है, उनका मनोबल भी बढ़ रहा है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

उड़ीसा में मिश्र बेसरा एक माओवादी संगठन के नेता हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि वह 15 राज्यों में नक्सली संगठन का संचालन करते हैं, 15,000 से 20,000 सशस्त्र माओवादी सेना के रूप में उनके संगठन में काम करते हैं, कश्मीर के आतंकवादियों, नेपाल के माओवादियों और श्रीलंका के लिट्टे से उनके सीधे संबंध और सम्पर्क हैं। अखबार में यह समाचार इतनी प्रमुखता से छापा गया था जैसे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी ने किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कोई बयान दिया हो। ऐसे समाचार टी.वी. चैनल्स पर बड़ी प्रमुखता और बारीकी से दिखाए जाते हैं। इस तरह के समाचारों को प्रमुखता देकर उनको हीरो बनाया जाता है। मैं मीडिया के लोगों से भी निवेदन करूंगा कि इस तरह के बयानों को अगर प्रमुखता देकर छापा जाता है तो इससे इन नक्सलवादियों, आतंकवादियों, माओवादियों का मनोबल बढ़ेगा। इन लोगों का मनोबल बढ़ने का क्या कारण है? आपने ऐसी घटनाओं में मरने वालों की जो संख्या दी है, उनमें जितने आम नागरिक और पुलिसकर्मी मारे गए हैं, उनसे कम संख्या ऐसे मारे गए आतंकवादियों की है। आपकी सारी तैयारी के बाद वे अचानक हमला करते हैं। जिस समय हमला होता है, हमारे जवान तैयार नहीं होते हैं और इसका कारण यह है कि उनको खुफिया तंत्र से सही समय पर सूचना नहीं मिल पाती है। पहले भी सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है और सभी ने यह महसूस किया है कि हमारा खुफिया तंत्र कमजोर हो चुका है। यह कुफिया तंत्र कैसे मजबूत होगा, इस पर आपको सोचना होगा। आप इसके लिए कौन सी नयी तकनीक अपनाने जा रहे हैं? क्या विश्व के अन्य देशों में कोई बेहतर प्रशिक्षण व्यवस्था है, जिसके माध्यम से उनको प्रशिक्षण दिलाकर आप अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करेंगे? आपने जो किताब में लिखा है, अगर उसके अलावा आपकी कोई तकनीकी सोच हो, कोई जानकारी हो, तो सदन को बताने का कष्ट करें। हमारे वामदल के साथी चले गए हैं। अभी सलीम साहब बड़े जोर-शोर से भाषण दे रहे थे। मैं उनकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। वह कह रहे थे कि वह सच बोल रहे हैं। वह सच बोलते भी हैं। एक तरफ सरकार में रहकर सरकार का मजा लेते हैं और दूसरी तरफ से मौके-मौके पर सरकार पर हमला भी करते रहते हैं।

यदि सच बोलते थे तो उन्हें यह सच भी बोलना चाहिए था कि मामून मियां बांग्लादेश का जो नाजायज शस्त्र विक्रेता है, उसके साथ त्रिपुरा के मंत्री के कैसे सम्बन्ध थे और वह किस दल के हैं। वह क्यों मंत्रिमंडल से हटाए गए, यह मैं बताना चाहता हूं। वह वामपंथी मंत्री थे और सदन में हमारे यह मित्र गरज-गरज कर भाषण दे रहे थे। भले ही उन्होंने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वह दल से नहीं निकाले गए हैं। जो दल सत्ता में है, उसके मंत्री दूसरे देश से हथियारों की तस्करी कराते हों और उसी दल के नेता यहां लम्बा-चौड़ा भाषण देकर देश की सुरक्षा पर चर्चा करते हों, यह लज्जा आने वाली बात है। यहां केन्द्र में वह दल सत्तारूढ़ पार्टी को सहयोग दे रहा है और त्रिपुरा में वह दल सत्ता में है। यदि ऐसे लोगों को संरक्षण देते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि आतंकवाद, नक्सलवाद और माओवाद पर जितने भी आप प्रयास कर लें, सफलता हासिल नहीं हो पाएगी।

सभापति महोदया, मैं यहां नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर नाम लूंगा तो कहा जाएगा कि जो व्यक्ति सदन में नहीं है, उसका नाम नहीं लिया जा सकता। असम सरकार में एक ताकतवर मंत्री हैं। हम लोग कभी-कभी सेंट्रल हॉल में बैठ जाते हैं। एक माननीय सदस्य जो यहां भाषण दे रहे थे, वह वहां क्या कहते हैं और यहां अपने भाषण में क्या कह रहे थे, मैं उनका चेहरा देख रहा था और सोच रहा था कि सेंट्रले हाल में हमारे साथ बैठकर

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

जो कह रहे थे और यहां जो भाषण दे रहे थे, उसमें कितना फर्क आ गया है। वह स्वयं वहां बैठकर कहते थे कि असम में हमारे एक मंत्री स्वयं उल्फा को संरक्षण देते हैं। जब सत्ता में रहने वाले मंत्री आतंकवादी संगठन को संरक्षण देते हों, सत्ता में रहने वाले मंत्री दूसरे देश से हथियारों की आपूर्ति करते हों, तस्करी कराते हों और उग्रवादी संगठनों को उसकी आपूर्ति कराते हों, ऐसी स्थिति में मैं नहीं समझता कि गृह मंत्री जी आपको कामयाबी मिलेगी। ऐसे लोगों पर भी आपको कार्रवाई करनी होगी। इसी तरह की कार्रवाई के लिए जब कमी पोटा की बात चलती है तो काफी हल्ला किया जाता है और ये लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। हमारे सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. में ऐसा प्रावधान है कि बिना साक्ष्य के कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती। जो माओवादी, नक्सलवादी या आतंकवादी संगठन हैं, जिस तरह कानून में त्रि स्तरीय सिस्टम है, उसी तरह इनका संगठन भी त्रि स्तरीय चलता है। एक वे लोग होते हैं जो सफेद कपड़े पहन कर बड़े-बड़े लोगों के साथ घूमते हैं, बी.आई.पी. कहलाते हैं और उन्हें सम्मान भी मिलता है। वे इस समाज के चिंतक हैं और वे चिंतन करके मार्गदर्शन करते हैं, निर्देश देते हैं। उस निर्देश की पालना कराने वाला दूसरा वर्ग होता है। उस अनुपालना के बाद जमीनी हकीकत पर कार्रवाई कराने वाला तीसरा वर्ग होता है। पुलिस और सैनिक बलों का मुकाबला उसी वर्ग से होता है। पहला और दूसरा वर्ग जो बड़े-बड़े लोगों की चाय पार्टी में शामिल होता है, उसका कुछ नहीं होता है। इसलिए एक ऐसे कानून की जरूरत है इस देश में यदि पुलिस और सैनिक बल संतुष्ट हो जाएं कि सफेद कपड़े पहनने वाला ही इन लोगों को संरक्षण देने वाला है, कार्रवाई को अंजाम देने वाला है, निर्देश देने वाला है, उसे पांच, दस या 20 साल के लिए निरुद्ध कर दिया जाए। आपके सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. के जो कानून हैं, वे कमजोर हैं, उनमें बिना साक्ष्य के कार्रवाई नहीं हो सकती और ऐसे लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिलना कठिन होता है। इसलिए वे सारी कार्रवाई करने के बाद बेझिझक बाजार में घूमते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। असम के मंत्री के खिलाफ आई.बी. की भी रिपोर्ट है और आई.बी. गृह मंत्रालय के अधीन है। इसलिे वह रिपोर्ट गृह मंत्रालय में ही होगी। हमें किसी ने बताया है, उस आधार पर हम बोल रहे हैं। हम गृह मंत्री जी से जानना चाहेंगे, वह अपने उत्तर में बताएं कि अगर हमारी जानकारी सही है, तो असम सरकार में वह कौन मंत्री हैं, उनका नाम क्या है, जिनके खिलाफ आई.बी. की रिपोर्ट है? अगर आई.बी. की रिपोर्ट होने के बाद भी वह सरकार में मंत्री के पद पर बने हैं तो उसमें किसका आशीर्वाद है, हम यह माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहेंगे?

बिहार के बट जाने के बाद अब 38 जिलों का बिहार बचा है। उन 38 जिलों में 30 जिले पूरी तरह नक्सलवाद से प्रभावित हो चुके हैं। हालांकि बिहार सरकार बहुत मजबूती से वहां काम कर रही है और माननीय गृह मंत्री जी के आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि वहां घटनाओं का सिलसिला कम हुआ है। लेकिन हम माननीय गृह मंत्री जी से एक बात कहना चाहते हैं कि 30 जिले जिस प्रकार से प्रभावित हैं केन्द्र सरकार ने उसे गंभीरता से नहीं लिया है। अर्ध-सैनिक बलों की 23 कंपनियां बिहार को दी गयी है और उसमें से एक कंपनी, केन्द्र सरकार के निर्देश पर एक केन्द्रीय मंत्री की सुरक्षा पर लगा दी गयी है। अब बची 22 कंपनियां, लेकिन 30 जिलों में अभी कम से कम 75 अर्ध-सैनिक बलों की कंपनियों की जरूरत है। इससे कम पर, बिहार में जो नक्सलवाद और माओवाद की ताकत बढ़ती जा रही है, उस पर नियंत्रण करना मुश्किल होगा। इसलिए हम माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि बिहार आपका ही राज्य है, इस देश में ही है, वहां अर्ध-सैनिक बलों की बढ़ोत्तरी करने के लिए आप कार्रवाई कीजिए। अगर वहां अर्धसैनिक बलों की संख्या नहीं बढ़ेगी, तो वहां जो राज्य की फोर्स है उसे लेकर नक्सलवाद और माओवाद से मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा, संभव नहीं होगा।

हिंदुस्तान के पड़ोसी देशों के रिश्तों पर तो बराबर चर्चा होती रही है और चर्चा में यह बात प्रमाणित भी हो चुकी है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा सुनियोजित तरीके से इस देश में आतंकवाद की घटनाएं करायी जाती हैं। इस बात को सरकार ने भी कहा है और इस बात के प्रमाण भी मौजूद हैं। एक पड़ोसी देश, जिसका निर्माण हमारे देश की पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, वह भी हमारे खिलाफ आज मुहिम चला रहा है। करीब 148 प्रशिक्षण केन्द्र वहां भी हमारे खिलाफ चल रहे हैं। उन प्रशिक्षण केन्द्रों पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार ने पत्राचार भी किया था लेकिन वहां से सकारात्मक उत्तर नहीं आया। हम बराबर दोस्ती का हाथ बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अभी भी बंगला देश में हम रेल ले गये हैं, रेल चला रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी हम दोस्ती का बराबर प्रयास

करते रहे हैं लेकिन जब-जब हम ज्यादा दोस्ती बढ़ाने की तरफ बढ़े हैं तब-तब हमारे देश के साथ कुछ अनहोनी हुई है। जिस दिन से बंगला देश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है हम उसी दिन से चिंतित हैं कि क्या हमारे देश में फिर कुछ होने वाला है? हम माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि दोस्ती हो तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जब-जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तब-तब कुछ-न-कुछ खतरा हुआ है। हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहें और पड़ोसी देश साजिश के तहत, हमारे देश में उथल-पुथल मचाते रहें, इसके लिए तो सैनिक बलों की और हथियारों की मजबूती की जरूरत पड़ेगी।

नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है और नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। माननीय गृह मंत्री जी, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि नेपाल में बहुत ही सुनियोजित तरीके से, भारत के खिलाफ, एक साजिश चल रही है। जिस समय एन.डी.ए. की सरकार में, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री थे, हमने सदन में इस बात को कहा था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लिया था। वहां पर रेडियो से जो प्रसारण होता है उसमें भी भारत विरोधी बयान ज्यादा आते है। नेपाल से, जाली रुपये बिहार के रास्ते, देश के कोन-कोने में पहुंचाये जाते हैं और आई.एस.आई. के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला किया जाता है।

सभापति महोदया, माओवाद का गढ़ बन चुका है। नेपाल की सीमा पर अगर मजबूती से सैन्य बल को तैनात नहीं किया गया, तो बिहार का गांव-गांव नक्सलवाद और माओवाद से ग्रसित हो जाएगा। संयोग से अभी आठ जिले नक्सलवाद से बचे हुए हैं। नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश बिलकुल सटा हुआ है। अगर सीमा पर सख्ती से चौकसी नहीं बरती गई, तो उत्तर प्रदेश भी नक्सलवाद से अछूता नहीं बचेगा। हमारे नेपाल से पूराने अच्छे संबंध रहे हैं। हम नहीं चाहते कि नेपाल से संबंध विच्छेद हों, लेकिन वहां जो नई सरकार बनी है, वे लोग बहुत संशय की नजर से देखने लगे हैं। पहले इतना संशय नहीं था, लेकिन अब संशय की निगाह से देख रहे हैं।

मैं अपनी बात यह कह कर समाप्त करना चाहूंगा कि गृह मंत्री जी इस देश में संवैधानिक मामलों पर बराबर हमला हो रहा है। आपने भी सदन में कहा है कि देश के हर नागरिक को अधिकार है कि वह देश के किसी भी हिस्से में जा सकता है, कही भी रह सकता है, कहीं भी रोजगार कर सकता है, लेकिन इस देश में ऐसा नहीं हो रहा है। असम, महाराष्ट्र और खास कर कांग्रेस की जहां-जहां सरकार है, वहां यदि दूसरे प्रांत के लोग रह रहे हैं, तो उन पर हमला हो रहा है। गृहमंत्री जी अलगाववादियों या आतंकवादियों को संरक्षण देने का नुकसान स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के रूप में यह देश उठा चुका है। अब अगर ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से संरक्षण मिला, तो दूसरा भिंडरावाला पैदा हो जाएगा।...*(व्यवधान)* हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम सिर्फ अपने मन की चिंता, यदि सदन में नहीं कहेंगे, गृह मंत्री से नहीं कहेंगे, तो माननीय सदस्य को कह कर क्या करेंगे, जो स्वयं कहते हैं कि हमें कोई सुनने वाला नहीं है। कहने की यही जगह है।

हम आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इन सभी सवालों पर ध्यान दें। खास कर दिल्ली की मुख्य मंत्री के बयान की तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के आने से दिल्ली में गंदगी फैलती है। यह बहुत शर्मनाक बात है। वे कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें हिदायत देनी चाहिए, ऐसा बयान उन्हें नहीं देना चाहिए। ऐसा बयान देने से जहां लोगों के सम्मान को चोट पहुंचती है, वहीं चुनाव में यदि ऐसा होता रहा, तो कांग्रेस का जनाजा भी निकल जाएगा। इन्हीं बातों को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम): महोदया, इस प्रकार के शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): वह पहले ही वक्तव्य वापस ले चुकी थी जिसके साथ उन्हें संबद्ध किया गया था। उन्हें इन बातों को हर बार दोहराना नहीं चाहिए ...*(व्यवधान)* इन शब्दों को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: नाम निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप आपस में बात मत कीजिए। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है।

श्री अनंत गंगाराम गीते।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): महोदया, गृह मंत्रालय की मांगों पर सदन में चर्चा हो रही है। जब वित्त मंत्री बजट पर इस सदन में बोल रहे थे, तब उन्होंने एक बात बहुत दृढ़ता से कही थी, जब वे डिफेंस के बारे में कह रहे थे। डिफेंस बजट के बारे में कहते हुए उन्होंने कहा था कि सबसे अधिक धन हम डिफेंस पर खर्च कर रहे हैं। डिफेंस पर जितनी भी आवश्यकता है, उतना सरकार की तरफ से दिया जाए। वैसे उनकी यह भूमिका स्वागय योग्य है। डिफेंस के बाद गृह मंत्रालय की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और आवश्यकता भी है। मुझे नहीं लगता कि गृह मंत्रालय को धन की कोई कमी है लेकिन मैंने आज इस बात को इसलिए बहस में उठाया है कि डिफेंस पर हम जो खर्च करने जा रहे हैं और गृह मंत्रालय पर जो बोझ पड़ रहा है, उसकी बुनियाद में जाने की कोशिश करें तो उसकी जड़ें एक ही जगह हैं। वैसे देश की सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए और वह किसी भी सरकार की प्राथमिकता निश्चित रूप से होगी। देश की आजादी से ही और उसके बाद हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे। हम जिस दिन आजाद हो गए, तभी से रिश्ते अच्छे नहीं रहे। कई बार पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ और हर बार हमला पाकिस्तान ने किया, हमने अपना बचाव किया है। मुझे इस पर डिटेल में नहीं कहना है। आखिरी युद्ध कारगिल का हुआ है। उसके बाद आज देश में यह स्थिति बनी है, जैसे प्रभुनाथ सिंह जी ने यहां जानकारी दी कि 175 आतंकवादी संगठन हैं, उनमें से 115 जम्मू-कश्मीर में हैं और 60 बाकी देश में हैं। आज एक तरह से हम सभी इस बात को कबूल करते हैं कि देश में पाकिस्तान की ओर से प्रॉक्सी वार चलाया जा रहा है। आतंकवाद एक समय में जम्मू-कश्मीर तक सीमित था, अब वह धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते सारे देश में फैल गया है। अब कोई राज्य इससे बचा नहीं है। वैसे कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है लेकिन आतंकवादी घटना होने पर जितनी जिम्मेदारी राज्यों की है, उतनी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की भी है। आतंकवाद करने वाले संगठन किसी एक राज्य से जुड़े नहीं हैं। दुर्भाग्य यह है कि अब माओवादी और नक्सलवादी हमले भी बढ़ने लगे हैं। हमारा ईस्ट कोस्ट नक्सलवाद से घिरा है लेकिन अब माओवाद से भी घिर गया है। इन सारे संगठनों को सपोर्ट विदेशों से मिल रही है और उन्हें धन भी मिल रहा है। जैसा प्रभुनाथ जी बता रहे थे कि नक्सलिस्ट संगठन का बजट एक हजार करोड़ रुपए का है। इसलिए मैं बुनियादी बातों की ओर गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दुर्भाग्य से इन आतंकवादी संगठनों को इस सरकार का भय बिल्कुल नहीं रहा है जबकि हमारा सार्वभौम राष्ट्र है। हमारे पास अपनी सेना है, सीमा सुरक्षा बल है। हमारे देश के सभी राज्यों में पुलिस है, हम अपने देश की रक्षा के लिए सक्षम हैं, जिस काबलियत और हिम्मत वाले जवान हमारे पास है, शायद दुनिया में उतने काबिल जवान किसी देश में नहीं हैं लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से आज यह स्थिति है कि आतंकवाद और आतंकवादियों से हम डर रहे हैं। सरकार डरती है, इस प्रकार की स्थिति आज इस देश में है। जैसा प्रभुनाथ सिंह जी ने कहा, मैं भी उन से सहमत हूं कि हमारे पड़ोसी के साथ अच्छे रिश्ते नाते होने चाहिए। इसमें दो राय नहीं है लेकिन यदि उनकी नीयत खराब है, यदि उनका इरादा खराब है, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और वे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, तो हमें इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आखिर इस तरह से कितने साल दोस्ती का नाटक करते रहेंगे? कितने सालों से इन आतंकवादी गतिविधियों को पनाह और ट्रेनिंग हमारे पड़ोसी देशों में मिल रही है, यह जानते हुए भी कितने साल तक दोस्ती, मित्रता के नाम पर इसे बर्दाश्त करते रहेंगे, सहते रहेंगे? यह दुर्भाग्य की बात है कि संसद पर हमला हुआ, जिन लोगों ने संसद पर हमला किया, जिस आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार किया, हम उस आतंकवादी को फांसी अब तक नहीं दे सके हैं, कैसी हमारी सरकार है? हम कैसे अपने देश की आंतरिक सुरक्षा को बचा सकते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था, उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम भी आंतरिक सुरक्षा के मामले पर चिंतित हैं। इसका मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारी आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में चिंताजनक स्थिति है। यदि किसी को भय नहीं होगा, आतंकवादियों को नहीं होगा, आतंकवादी संगठनों को नहीं होगा तो उनका हौसला बढ़ता जाएगा। आतंकवादी हमले एक के बाद एक होते जा रहे हैं और हम हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, इस तरह से कितने साल तक हम एक तरफा दोस्ती का नाटक करते रहेंगे? इस देश को, इस देश की सरकार को और हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह कहने की आवश्यकता है कि बर्दाश्त करने की कोई हद

होती है और इसके बाद हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे? मुझे लगता है कि अब इस बात की आवश्यकता है, इस प्रकार से सरकार की ओर से दुश्मनों को इशारा किया जाए। अभी प्रभुनाथ सिंह जी कह रहे थे कि आज जनता भयभीत है, आम आदमी भयभीत है, हमें क्रीड़ा ज्योति ओलंपिक में कई जगह कैंसल करनी पड़ी है कि हम ज्योति नहीं लेकर जाएंगे, यह कैसी स्थिति है? अपनी, देश और जनता की सुरक्षा के लिए सख्त कानून की आवश्यकता है। इन सब आतंकवादी संगठनों को जहां से भी धन आता है, इनको जहां भी पनाह दी जाती है, जो लोग इन गतिविधियों में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़े कानून की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है हम इस तरह के कानून भी नहीं बनाते हैं। एक कानून बनाया था लेकिन उसे भी यह कहकर खत्म कर दिया कि इसका दुरुपयोग होता है। जो लोग दुरुपयोग करना चाहते हैं वे तो दुरुपयोग किसी भी हालत में करेंगे। दंगे होते रहते हैं, कानून का दुरुपयोग हुआ है, होता है और होगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कोई कड़ा कानून ही न बनाएं।

अपराह्न 5.00 बजे

क्या अपने हाथ को ही हम काट दे, यह कौन सी राजनीति है। इसलिए गृह मंत्री जी जब जवाब दें तो वह इस समस्या के बारे में बतायें।

सभापति महोदया, हमारे देश में एक दूसरी समस्या बंगलादेशी घुसपैठियों की है। जैसे पाकिस्तान से प्रोक्सी वार चलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि शायद अब इसमें थोड़ा सुधार होने की संभावना है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री परवेज मुशर्रफ का शासन अब धीरे-धीरे कम हुआ है। वहां पर इलैक्टिड सरकार आई है। मुझे लगता है कि अब वहां थोड़ा बदलाव आयोगा, थोड़ा सुधार आयेगा। लेकिन सरकार जो नीति अपनाती है, उस नीति के तहत ये सारी घटनाएं होती रहती हैं। आज लगभग दो करोड़ से भी ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिये हमारे देश में हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं। यदि गलत हो तो गृह मंत्री जी इसमें सुधार कर सकते हैं। ये आंकड़े सरकार से ही मिलते हैं। जो प्रश्न सदन में किये जाते हैं, उनके जवाब में ही ये आंकड़े मिलते हैं। जो आंकड़े अखबारों में आते हैं, वे भी सरकार से ही मिलते हैं। आज इस देश में लगभग दो करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं और लगभग तीस से चालीस लाख केवल मुम्बई में हैं। राज्यों में उसकी वजह से कानून और व्यवस्था बिगड़ती है।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): क्या ये सारे मुसलमान तो नहीं हैं?

श्री अनंत गंगाराम गीते: नहीं, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं कह रहे हैं। आप इसे मोड़िये मत।

श्री इलियास आजमी: सारे मुसलमान मिलकर भी तीस-चालीस लाख मुम्बई में नहीं होंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: प्लीज, आप क्रास टाक मत कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मुम्बई के आंकड़े आपको पता नहीं है।

सभापति महोदया: गीते जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैं अभी समाप्त करूंगा। लेकिन जो तीस से चालीस लाख के आंकड़े मैं बता रहा हूं तो उसमें मुम्बई, ठाणे और पुणे से लेकर सारा इंडस्ट्रियल बैल्ट आता है, जहां पर अभी बड़ी संख्या में डैवलपमैन्ट हो रहे हैं। तीस से चालीस लोगों का आंकड़ा यदि गलत है तो उसे गृह मंत्री जी सुधार सकते हैं। ये सारे लोग बांग्लादेशी हैं। मैं किसी धर्म का नाम लेकर नहीं कह रहा हूं। बांग्लादेश हमारा पड़ौसी देश है, यदि कोई बड़ौसी घुसपैठिया है, उसके द्वारा घुसपैठ होती है और वह यहां पर गैरकानूनी रूप से यहां रहता है तो वह जुर्म है। आप उसका समर्थन करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री इलियास आजमी: उन्हें फौरन निकाल बाहर करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: वही तो हम कह रहे हैं। हमारे यहां पहले से ही इतने ज्यादा बेरोजगार हैं,...*(व्यवधान)* हमारे यहां इतनी बेरोजगारी है, हमारे गांवों में बेरोजगारी है, जिसकी वजह से लोगों को गांवों से शहरों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। बेरोजगारी और भुखमरी यहीं है, गरीबी हमारे देश में है और ऐसी स्थिति में पूरे देश में यदि दो करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिये हैं तो वह हमारे लिए खतरा ही है। उसका प्रभाव हमारी इकोनोमी पर जरूर होता है। उसका कुप्रभाव हमारे यहां की कानून व्यवस्था पर हो सकता है। यदि वे डकैती और चोरी करते हैं तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, न उनका कोई ठिकाना है और न उनका कोई पता है। उनके कारण निश्चित रूप से कानून

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

व्यवस्था बिगड़ सकती है और उसका कुप्रभाव पड़ सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है तो उसकी जिम्मेवारी केन्द्र सरकार की है। राज्य सरकार तो इन मामलों में निषप्रभावी होती हैं। इसलिए ऐसे मामले में राज्य सरकारों को पूरी तौर पर सहायता करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया, जब पहली बार दिल्ली से लाहौर के लिए बस शुरू हई तो उस समय एन.डी.ए. की सरकार थी, श्री अटल बिहारी वेजपेयी प्रधान मंत्री थे।...*(व्यवधान)* मैं अपनी सरकार के बारे में भी कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ही नहीं कोस रहा हूं। जब एन.डी.ए. की सरकार थी और उसके प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तो हम सरकार में थे, हम एन.डी.ए. के घटक दल हैं। तब भी हमने यह चेतावनी दी थी कि आपने लाहौर बस शुरू की है, ऐसा करके एक तरह से आप आतंकवाद को खुलेआम बढ़ावा दे रहे हैं। उसी समय अमरनाथ यात्रा पर हमला हुआ। बस वहां गई और हमला अमराथ यात्रा पर हुआ। मुझे डर यह लग रहा है कि अब हमने जो यह नयी रेल मैत्री एक्सप्रैस और समझौता एक्सप्रैस शुरू की है, अब बंग्लादेश में शुरू हो गई है, क्या यह परमिट एक तौर पर तो नहीं दिया जा रहा है या आप इजाजत तो नहीं दे रहे हैं कि अब 2 करोड़ है, वह 5 करोड़ जल्दी हो जाए।...*(व्यवधान)* आप यदि उन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो यह मामला उन देशों का है, यह अपने देश से जुड़ा हुआ मामला नहीं है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: गीते जी, अब आप अपनी बात समाप्त करिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते: मैडम, इसीलिए यदि वह गलती है तो जिन्होंने गलती की है, आप उनको कहिए। आप यह मानते हैं तो जाहिर तौर पर कहिए कि यह गलती आपने की है और इसीलिए बंग्लादेशी घुसपैठिया एक बहुत बड़ी समस्या है। पूरे देश के लिए समस्या है। दिल्ली में भी वही स्थिति है। दिल्ली में भी इनकी संख्या कम नहीं है। दिल्ली में भी 3 लाख से ज्यादा घुसपैठिये हैं। जो भी है, सरकार के पास आंकड़े होंगे। सरकार इस बारे में जानकारी दे सकती है, 3 लाख से ज्यादा दिल्ली में हैं। वही हालत कोलकाता और आसाम में है। हर राज्य में वही स्थिति है और एक तरफ पूरा ईस्ट कोस्ट नैक्सेलाइट्स से घिरा हुआ है। एक तरफ देश के हर राज्यों में, जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे देश में आतंकवाद फैलता जा रहा है और ऐसी स्थिति में आन्तरिक सुरक्षा दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। आम आदमी भयभीत होता जा रहा है, वह डर रहा है, उसका जीवन आज सुरक्षित नहीं है। जो रेल में मुम्बई में दो साल पहले बम विस्फोट हुआ था, आज भी दुर्भाग्यवश उसमें जो घायल हो गये थे और जो आज भी अस्पतालों में सड़ रहे हैं, उनकी तरफ आज भी किसी का ध्यान नहीं है। उनकी क्या गलती थी कि जो वे घर से रोजगार के लिए निकले थे और वे अपनी नौकरी, बिजनैस करके घर जा रहे थे, रेल से सफर कर रहे थे और रेल में बम विस्फोट हो गया, किसी का हाथ चला गया, किसी का पांव चला गया, किसी की आंखें चली गईं और कोई तो वही जगह पर ही खत्म हो गया। अब जो अपाहिज होकर अस्पतालों में पड़े हैं, उनकी क्या गलती थी? क्या पाप उन्होंने किये थे जो जिन्दगी भर आज भी कई घायल अस्पतालों में पड़े हुए हैं और यह देश के हर हिस्से में हो रहा है और इसीलिए गृह मंत्रालय को इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

पोटा जैसा कानून आपने भले ही यह कहकर खारिज किया है कि इसका दुरुपयोग किसी विशिष्ट वर्ग के खिलाफ किया जाता है। यदि किसी विशिष्ट वर्ग के खिलाफ किसी ने भी इसका दुरुपयोग किया हो तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है।

श्री इलियास आजमी: क्या आप वाइको के बारे में कह रहे हैं?

श्री अनंत गंगाराम गीते: वही हम कह रहे हैं। यदि किसी सरकार ने किया है, आप उन्हीं के साथ दोस्ती बना रहे हैं। आप वाइको का यहां पर उदाहरण दिये जा रहे हैं और सरकार उन्हीं के साथ सरकार चला रही है। यदि वाइको के मामले में सरकार ने गलती की है तो आप उन्हीं के साथ क्यों हैं? यदि दुरुपयोग होता है तो सरकार उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि यदि कोई बीमार है, यदि किसी को बीमारी लगी है तो बीमारी का इलाज करवाए, यदि हाथ में कोई इंजुरी है तो हाथ ही काट दो, यह कोई इलाज नहीं हो सकता। आप कानून किसलिए खत्म कर रहे हैं? इस वक्त सख्त से सख्त कानून की आवश्यकता है और जब तक आतंकवादियों के मन में डर नहीं होगा, वे हमारे घर तक, हमारी संसद तक, दिल्ली तक पहुंच गये। वे दो-दो महीने

यहां रहे, दो महीने आतंकवादी यहां रह रहे थे, गृह मंत्रालय का यहां पर जवाब है। जब इन आतंकवादियों पर कार्रवाई हुई, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो यह जानकारी मिली कि दो महीने से वे दिल्ली में थे। वे कहां रहते थे? किनके घर में रहते थे? किन्होंने उनको सहारा दिया? किन्होंने उनको व्हीकल्स प्रोवाइड किये? किन्होंने उनको खाना खिलाया? किन लोगों ने उनको धन दिया? क्या वे लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं?

क्या सिर्फ यही पांच आतंकवादी जो हम पर हमला करने आए और यहां पर जो मर गए, वही इसके लिए जिम्मेदार हैं? वे दो महीने कहां रहे? जिनके यहां रहे, उनके खिलाफ कौन से कानून से कार्रवाई होगी? इसलिए जब पोटा खारिज हुआ, उस दिन एक तौर पर आपने आतंकवादियों को इस देश में खुली छूट दे दी कि आइए, हमारे देश के सारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, जहां भी बम विस्फोट करना है, आप करिये और इसलिए पोटा जैसे कानून की आवश्यकता है जिसे आपको तुरंत वापस लाना चाहिए। बंगलादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सारे के सारे घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना चाहिए। जब तक यह कड़ी कार्रवाई सरकार नहीं करती है, यह सरकार इतनी सख्ती से नहीं आती है, तब तक हमारे देश के आतंकवादी हमले खत्म नहीं होंगे, आंतरिक सुरक्षा का खतरा कम नहीं होगा। आंकड़े देने से इसमें कोई सुधार नहीं आएगा। इसलिए मैं आज गृह मंत्री जी से चाहता हूं कि आपको इन बुनियादी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पाकिस्तान कभी भी हमारा मित्र नहीं रहा, न भविष्य में कभी रहने की संभावना है। मित्रता के नाम पर हमेशा पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान की पीठ में खंजर भोंका है और इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

सभापति महोदया: सभी माननीय सदस्य कृपया ध्यान में रखें कि मेहरबानी करके पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करें। विषय महत्वपूर्ण है, यह बात सही है मगर फिर भी समय का ध्यान रखने की कोशिश करें।

श्रीमती परमजीत कौर।

श्रीमती परमजीत कौर गुलशन (भटिंडा): जब भी पंजाब की बारी आती है तो टाइम की शॉर्टेज हो जाती है। पता नहीं क्या बात है?

सभापति महोदया: आप शुरू करें।

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:** धन्यवाद, महोदया। मैं अपने दल 'अकाली दल' की ओर से वर्ष 2008-09 के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। तथापि, कुछ बिन्दु हैं जिन्हें मैं माननीय गृह मंत्री के ध्यान में लाना चाहती हूं। आतंकवाद और आतंकवादियों के बारे में अनेक सदस्य बोल चुके हैं। लेकिन मैं इस सम्माननीय सभा के सदस्यों का ध्यान आतंकवाद के एक अन्य चेहरे की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। मुझे खेद है कि किसी भी माननीय सदस्य ने आतंकवाद के इस पहलू पर कुछ नहीं कहा है। जब आतंकवादी देश की अवसंरचना का ध्वंस करते हैं तो समय गुजरने के साथ हम अवसंरचना का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जब देश की महिलाओं के मन में भय व्याप्त हो जाता है तो यह भय सदैव के लिए होता है। महिलाएं आतंकवादियों और अपराधियों द्वारा की गई हिंसा का शिकार हैं।

आज, देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं का बलात्कार होता है और कोई दंड नहीं मिलता। युवा स्कूली छात्राओं के साथ स्वयं उनके शिक्षकों द्वारा छेड़छाड़ और बलात्कार किया जाता है। विदेशी महिला यात्रियों का बलात्कार और उनकी हत्या की जा रही है। यह पूरे देश के लिए शर्म की बात है। क्षेत्र में कार्य करने वाली महिला कामगार सुरक्षित नहीं हैं। छात्राएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं अपने कार्य-स्थलों पर सुरक्षित नहीं हैं। पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। मैं माननीय गृहमंत्री से ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का अनुरोध करती हूं। बलात्कार की शिकार महिला को संपूर्ण समाज अपमानजनक दृष्टि से देखता है। उसके मन में भय व्याप्त होता है। संपूर्ण समाज उसे हेय दृष्टि से देखता है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं और अपराधियों को कड़ा दंड दिया जाए। हमारे देश में आपराधिक तत्व बच निकलते हैं। उन्हें दंड नहीं मिलता। प्रभावशाली और समाज के समृद्ध वर्ग के युवा इन जघन्य अपराधों में शामिल रहते हैं। अक्सर, हमारे पुलिस अधिकारियों के पुत्र भी इन अपराधों में शामिल होते हैं। समय की मांग है कि इन अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाए। केवल तभी हम महिलाओं के विरुद्ध होने वाले इन अपराधों पर काबू पा सकते हैं।

मैं एक महिला हूं। अत: आज मैं महिलाओं द्वारा सामना

*मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्रीमती परमजीत कौर गुलशन]

किए जाने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालूंगी। इस देश की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। लेकिन गृह मंत्रालय इसमें बुरी तरह विफल रहा है।

एक और मुद्दा है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या बढ़ रही है। इस वर्ष के बजट में महिला कल्याण के लिए करोड़ों रुपए निर्धारित किए गए हैं। लेकिन, मात्र निधियों के आबंटन से यह समस्या हल नहीं होगी। देश के निजी नर्सिंग होमों में लाखों कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। सरकार ने इस समस्या की ओर से आंखें बंद कर रखी हैं। मैं सरकार से इस संबंध में विभिन्न कानूनों को लागू करने और इस खतरे को यथाशीघ्र रोकने की अपील करती हूं। न्यायपालिका को इस जघन्य अपराध में शामिल लोगों को कड़ा दंड देने के लिए निदेश दिया जाना चाहिए।

हमारे देश की सीमाओं पर सुरक्षा से अछूते रास्तों से नशीले पदार्थों, स्वापकों और मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। हमारे युवाओं को, जो देश का भविष्य है, नशे की लत पड़ रही है। हेरोइन और ऐसे ही अन्य नशीले पदार्थों की हमारी सीमाओं पर बेखौफ तस्करी की जा रही है। हमारी सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल और सेना तैनात हैं। फिर कैसे ये नशीले पदार्थ हमारे देश में आ जाते हैं। सरकार इस अभिशाप को रोकने में क्यों विफल रही है। ऐसा लगता है कि हमारे कुछ पुलिस वालों और सीमा सशस्त्र बल के कार्मिकों की इन नशीले पदार्थ के बेचने वालों और तस्करों के साथ सांठ-गांठ है। प्रभावशाली और बड़े परिवारों के अनेक युवक इस अवैध व्यापार में लिप्त हैं। यहां तक कि पुलिस थानों से भी ये नशीले और मादक पदार्थ बरामद होते हैं। अनेक एस.एस.पी., एस.पी, डी.एस.पी. और थानाध्यक्ष इस काले धंधे में लिप्त हैं। खेद की बात है कि सरकार ने इस ओर ध्यान न देने का निर्णय ले लिया है। दवा की दुकानों पर भी ये मादक पदार्थ खुल्लमखुला बिक रहे हैं। नशीले पदार्थों का यह अभिशाप हमारी भावी पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। सरकार को इन गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

महोदया, 1984 में सिख-विरोधी दंगे हुए। निर्दोष सिखों की हत्याएं हुईं। लेकिन, ऐसे जघन्य अपराधों में लिप्त व्यक्तियों को खुला घूमने दिया गया। अनेक सिखों को पुलिस के अत्याचार से बचने के लिए विदेशों में जाना पड़ा। लेकिन, सरकार ने उनके नाम एक 'काली सूची' में रख दिए। सरकार द्वारा इस काली सूची में शामिल व्यक्तियों के नामों को सार्वजनिक नहीं किया गया है। इन निर्दोष लोगों को जबरदस्ती उनके देश से निष्कासित कर दिया गया है। ये लोग अपनी मातृभूमि का दौरा करना चाहते हैं। मैं माननीय गृह मंत्री से लोगों की इस 'काली सूची' को सार्वजनिक करने का अनुरोध करती हूं। इन निर्दोष पुरुषों और महिलाओं के नाम इस 'काली सूची' से हटाए जाने चाहिए।

महोदया, अमृतसर-लाहौर बस सेवा आरंभ करने के लिए मैं सरकार का धन्यवाद करती हूं। लेकिन, ज्यादातर समय, इस बस की अधिकतर सीटें खाली रहती हैं। दिल्ली में लोगों को वीसा लेने के लिए यहां से वहां चक्कर लगाने पड़ते हैं। लोगों के पास नौकरशाही की लालफीताशाही के लिए फुर्सत नहीं है। इसलिए, अमृतसर में एक वीसा कार्यालय खोला जाना चाहिए। इस शुरुआत से पंजाब के लोगों को केवल तभी लाभ होगा। वीजा प्रदान करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाना चाहिए।

महोदया, पंजाब सरकार ने पंजाब में एक अनिवासी भारतीय स्कंध खोला है। अनेक अनिवासी भारतीय भारत के दौरे पर आते हैं। वे भारतीय महिलाओं से शादी करते हैं। लेकिन, अनेक बार, उन्हें अपनी पत्नी को भारत में छोड़कर वापस विदेश जाना पड़ता है। ऐसी अभागी महिलाओं की देखभाल के लिए कोई नहीं है। इसलिए, पंजाब सरकार ने इस संबंध में पहल की है। महिला-पुलिस वाला एक विशेष स्कंध खोलने का प्रस्ताव है। इस स्कंध में महिला पुलिसकर्मी हैं। यह स्कंध बलात्कार के मामलों और अनिवासी भारतीयों से संबंधित ऐसे मामलों से निपटेगा जिसमें महिलाए शामिल हैं। यह पंजाब सरकार द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है। मैं केन्द्र सरकार से जिला स्तर पर भी महिला पुलिसकर्मियों वाला विशेष स्कंध खोलने की अपील करती हूं ताकि देश की महिलाओं में विश्वास का संचार हो सके और उनको समय पर न्याय मिल सके।

महोदया, कभी-कभी विदेश जाते समय लोगों के पासपोर्ट खो जाते हैं। नए पासपोर्ट के लिए वे भारतीय दूतावास पहुंचते हैं। लेकिन यह एक लंबी और दुरुह प्रक्रिया साबित होती है। कई बार, लोगों को नए पासपोर्ट के लिए छह माह अथवा एक वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है। मैं सरकार से इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अपील करती हूं ताकि लोग ऐसे असाधारण विलंब से बच सकें।

महोदया, माननीय मंत्री के लिए मेरे पास एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं उनसे उत्तर चाहती हूं। आम आदमी यही कहता है: ऐसा क्यों होता है कि जब केन्द्र अथवा राज्यों में कांग्रेस दल सत्ता में होता है तो चोर और अपराधी बेखौफ होकर अपराध करते हैं? तत्कालीन राजग सरकार के काल में, इन चीजों पर नियंत्रण था। लेकिन, जब भी कांग्रेस सरकार सत्ता में होती है तो ऐसे अपराधी तत्व साफ बच निकलते हैं। इससे उनकी हिम्मत और बढ़ती है। मैं माननीय गृह मंत्री से उत्तर चाहती हूं।

[हिन्दी]

श्री किरेन रिजीजू (अरुणाचल प्रदेश): सभापति महोदया, मैं गृह मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। बोलने से पहले रिमार्क देना चाहूंगा कि हमारे गृह मंत्री थोड़े से सख्त हैं, लेकिन केबिनेट मिनस्टर थोड़े से कमजोर हैं। मैं इसका तर्क भी दूंगा। ...*(व्यवधान)* मैं ऐसा क्यों नहीं कह सकता हूं। मैं तर्क दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा है? मैं गृह मंत्रालय में गया और मंत्री जी से बार-बार मिला, उनके अधिकारियों से मिला, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक्शन नहीं होता है, इसे मैं बाद में यहां बताऊंगा। सबसे पहले जब हम आंतरिक सुरक्षा की बात कहते हैं, तो हमारे हिंदुस्तान की जो सीमा है, वह सुरक्षित होनी चाहिए। खास कर पूर्वी सीमावर्ती जितना भी इलाका है, वहां न तो चौकी है और न ही फैंसिंग है। आने-जाने की कोई रुकावट नहीं है। आप मीडिया को, सांसद को या कमेटी ले कर वहां जाएं, बिना रोक-टोक के आप आ-जा सकते हैं। मैं एक दल को वहां लीड करके ले गया था और जो हालत है, उसे देख कर लगता नहीं है कि हमारा देश किसी भी हालत में सुरक्षित होगा। मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं, जो मुझे सुनाई दी है, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश के किसी संगठन नेयह बयान दिया है कि हिंदुस्तान में एक राजनीतिक दल ऐसा है, जो ग्रेटर बांग्लादेशी डिजाइन के लिए वह फेवरेबल पार्टी है। आकस्मिक रूप से और दुर्भाग्यवश यह राजनैतिक दल आज सत्ता में हैं। यह नौबत है। राज्य सभा में मिनिस्टर आफ स्टेट ने जो बयान दिया, उसे आप लोगों ने पलट कर वापिस लिया, इससे हम लोगों को दुख हुआ है। पूर्वोत्तर में, असम में कितनी बांग्लादेशी घुसपैठ है, जब उसके सही आंकड़े पेश किए गए, उसका इतना दबाव पड़ा कि बयान वापिस लेना पड़ा। यह कितनी गलत बात है। यह चिंता करने का विषय है, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक पार्टियों को चिंता करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि बांग्लादेश से जो आता है, वह बी.जे.पी. को तो वोट नहीं देता है। हम धर्म के रूप में भी किसी की तरफ नहीं देखते हैं। किसी न किसी दल को तो उसका राजनीतिक लाभ मिल रहा है। यह गंभीर समस्या है, इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं। इस विषय पर मैं पहली बार नहीं बोल रहा हूं। बार-बार मैं इस विषय पर बोल चुका हूं।

नक्सलिज्म, रेड कोरिडोर की बात कही गई है, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा खतरा ग्रीन कोरिडोर पूर्वोत्तर और बंगाल में बन रहा है, वह भी उतना ही खतरनाक है, जितना कि हम रेड कोरिडोर की बात कह रहे हैं। आपने आंकड़े दिए कि असम में वर्ष 2007 में असम में हिंसक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। विशेष कर बम ब्लास्ट बहुत हुए हैं। हैदराबाद में ब्लास्ट होता है, महाराष्ट्र में ब्लास्ट होता है, तब प्रधान मंत्री, गृह मंत्री सब लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जब पूर्वोत्तर में बम ब्लास्ट होता है, तब अखबार में छोटे से कोने में मेंशन करते हैं, किसी के पास वहां जाने का समय नहीं है कि वहां भी ऐसी घटनाएं घट रही हैं और यह भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। गृह मंत्री जी बहुत ज्ञानी हैं। ज्ञानी होने के साथ-साथ इफेक्टिव होना भी बहुत जरूरी है और इफेक्टिव होने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए, इसका सभी सदस्यों ने जिक्र किया है।

दूसरी बात, जिसका कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है - राजनीतिज्ञों और चरमपंथियों के बीच सांठगांठ। यह बहुत सीरीयस बात है। आर्मी चीफ ने खुद कहा है कि मणिपुर के सी.एम. के नाम पर इतने पैसे का लेन देन हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आर्मी चीफ की जो अफिशियल बात है, उसमें है। साथ-साथ असम का जिक्र हुआ, त्रिपुरा में एक मिनिस्टर का जो नेक्सलाइट्स के संबंध में बात आयी, तो उसे रिजाइन करना पड़ा, इसलिए मेरी गृहमंत्री जी से स्पेशल रिक्वैस्ट होगी कि आप एक कमीशन बैठाइए, एक जुडीशियल कमीशन या किसी लेवल का कमीशन बैठाइए। इसकी टोटल इंक्वायरी होनी चाहिए, कि वे राजनीतिज्ञ, विशेषत: सरकार में कौन हैं जिनके चरमपंथियों से सीधे संपर्क और सांठगांठ है? यह होना चाहिए, नहीं तो हमारे भाषण देने से फायदा क्या है? जो सत्ता में लोग हैं, वहीं इसे पनपा रहे हैं, सारे देश के खिलाफ काम तो वहीं से शुरू हो रहा है।

[श्री कीरेन रिजीजू]

यह बहुत ही गंभीर मामला है। इसलिए मेरी यह मांग रहेगी।

गृहमंत्री जी के जूनियर कुलीग, जो अरुणाचल प्रदेश के फार्मर एम.पी. रहे हैं, कांग्रेस के नेता थे, जो बहुत अच्छा टेररिस्ट के खिलाफ बोलते थे, उनके अपने ही घर में घुसकर ए.के. 47 के 17 बुलेट्स उनकी छाती में ठोंक दिए। वह किसलिए हुआ? आज तक उसका क्या हुआ? इसकी इंक्वायरी कहां तक चली? वे आपके कांग्रेस के नेता और बहुत अच्छे आदमी थी। उनकी आज से तीन महीने पहले अरुणाचल प्रदेश में मौत हो गयी। हमने वर्षों से बार-बार कहा है कि जो शांति प्रदेश है, उसे नजरंदाज मत कीजिए। वह स्टेट डूब जाएगा, जहां ए.के. 47 लेकर लोग घूमने लगेंगे। जो हमारा डर था, वह आज सच हो गया। अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का आइलैंड आफ पीस माना जाता था, शांति का द्वीप माना जाता था। वहां टेररिज्म आ गया। वर्षों से हमने कहा कि इसको रोकिए, इसे शांति के द्वीप के नाम से जाना जाता था, सावधान हो जाइए, पूर्वोपाय कीजिए। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, उसे भी आपने टेररिज्म में ढकेल दिया। इसकी किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले चालीस-पचास बच्चों को उठाकर बर्मा ले गए। गृहमंत्री जी जब आप रिप्लाई देंगे, तो यह बताइए कि उनमें से कितने बच्चे लौटकर आए हैं और कितने लौटकर आने बाकी हैं? यह जरूर बताइए।

हम लोगों में से जब कोई पत्र गृह मंत्रालय को लिखता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि बाकी मंत्रालय का जवाब चार-पांच दिनों में आ जाता है, लेकिन गृह मंत्रालय का कोई हिसाब नहीं हैं और किसी-किसी का तो जवाब भी नहीं आता है। जब गृह मंत्रालय की यह हालत होगी, तो देश की क्या हालत होगी? सदस्य होने के नाते इस सदन में जब हम मुद्दा उठाते हैं, तो उसका जवाब भी दो-चार महीने के बाद आता है। इसे दुरुस्त करना चाहिए, इसे इफेक्टिव करना चाहिए और फौरन होना चाहिए। मंत्री जी आप इतने सीनियर हैं, आप अगर इफेक्टिवली अपने मंत्रालय को नहीं चलायेंगे, तो देश की सुरक्षा तो बहुत बड़ी बात है।

मैं पुलिस माड्रनाइजेशन पर बात करना चाहूंगा। आप यहां से कहते हैं कि हमने राज्यों को काफी पैसा दिया। जब राज्यों में हम बात करते हैं, तो पता चलता है कि हमारे पास गाड़ी खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे अपने पुलिस एस्कॉर्ट की जो गाड़ी है, उसका पेट्रोल भी मैं पाकेट से भरता हूं। मंत्रालय और सरकार किसलिए बैठी है? मंत्रालय को कितने पत्र लिखे, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, कोई एक्शन नहीं हुआ। यह दिल का दर्द है और सच्चाई है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आपका जो रवैया है, अगर ऐसा ही बना रहेगा, तो यह अच्छा संकेत नहीं है।

सभापति महोदया: कान्कल्यूड करिए।

श्री कीरेन रिजीजू: मैडम, मैं सिर्फ प्वाइंट्स पर बोल रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं। पुलिस माडर्नाइजेशन के साथ-साथ उसे किस तरह से पेश आना चाहिए। मैं इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं इस बिन्दु पर बात कर रहा हूं। मैं ओलम्पिक टार्च की बात कह रहा हूं। दिल्ली में तिब्बती महिलाओं ने डिमांस्ट्रेशन किया। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में सीधे-सीधे आता है। मर्द पुलिस वालों ने मिलकर महिलाओं की डंडे से पिटाई की और वे आज तिहाड़ जेल में बंद हैं। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मैडम, आप समझ सकती हैं। महिलाओं को हैंडल करने के लिए महिला पुलिस होनी चाहिए। पुरुष पुलिस ने जो डंडा लगाया, वह सीन देखने लायक नहीं है, वे अभी भी तिहाड़ जेल में हैं। यह डेमाक्रैटिक कंट्री है। यहां पीसफुल डिमांस्ट्रेशन करने का पूरा अधिकार होना चाहिए।

अंत में मैं डेवलपमेंटल प्वाइंट पर आता हूं। आज मैंने टेलिकॉम मिनिस्टर से भी सवाल किया था कि जब हम पूर्वोत्तर के बार्डर एरिया में जाते हैं, तो उसके पड़ोसी देश की मोबाइल सर्विस अचानक काम करने लगती है और हमारे अपने देश की मोबाइल सर्विस वहां नहीं है। तर्क यह दिया जाता है कि

[अनुवाद]

सुरक्षा कारणों से ऐसा है। अपने निहित उद्देश्यों के लिए आप निर्दोष लोगों को दंड क्यों दे रहे हैं? आप बेहतर उपकरण प्राप्त कर सकते हैं। आप विभिन्न साधनों के जरिए रोक सकते हैं। हमारे पास प्रौद्योगिकी है।

हमारे पास प्रौद्योगिकी है लेकिन आप ऐसा करने में असमर्थ हैं और निर्दोष लोगों को सजा दे रहे हैं।

[हिन्दी]

कई-कई जगहों में आने-जाने के रास्ते भी बंद कर दिए जाते हैं। सेटेलाइट के जमाने में आने-जाने को बंद करते हैं, लेकिन आप गुगुल अर्थ के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं। गृह मंत्री जी, आप बहुत ही सीनियर हैं, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि नार्थ-ईस्ट के इन मामलों के बारे में तुरंत जांच करवाइए।

भाषा भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। मैं कहना चाहता हूं कि भोटी लैंग्वेज बहुत ही प्राचीन भाषा है। उसकी रिकगनेशन के लिए बार-बार कहा गया है। ग्रंथों के बारे में कुछ बाकी नहीं है। रामायण, महाभारत आदि जो पाली स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी, बाद में उसे चेंज करके भोटी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। आज हिन्दुस्तान का इतिहास जानने के लिए हमें भोटी स्क्रिप्ट को रैफर करना पड़ता है। यह इतनी रिच स्क्रिप्ट है, उसके इंट्रोडक्शन के लिए हमने बार-बार जिक्र किया है, लेकिन आपकी तरफ से अच्छा इशारा नहीं आ रहा है। इसलिए मेरी गृह मंत्रालय से प्रार्थना है कि इसके बारे में भी सोचें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा (बोब्बिली): सभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर बोलने का अवसर दिया, जो कि हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अनुदानों की मांगें 2008-09 का एक भाग है।

मैं स्वयं को अपने राज्य आन्ध्र प्रदेश तक ही सीमित रखूंगी। जहां तक आन्ध्र-प्रदेश में नक्सलवादी हिंसा का संबंध है, ऐसी घटनाओं की संख्या 2004 में 310 से घटकर 2007 में 34 रह गई है। इसलिए, हम यह देख सकते हैं कि सरकार आन्ध्र प्रदेश में नक्सल हिंसा पर रोक लगाने में सफल रही है। मैं सं.प्र.ग. सरकार और आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को बधाई देती हूं कि उसने इस हिंसा को नियंत्रित किया है, लेकिन फिर भी यहां कुछ छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं।

विकास और शांति साथ-साथ चलते हैं। आंतरिक सुरक्षा की अच्छी स्थिति से विकासात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यहां, मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि आंतरिक सुरक्षा, बाहर की परिस्थितियों तथा वैश्विक घटनाक्रम, विशेषकर हमारे पड़ोसी देशों में शांति पर निर्भर करती है। हम सभी यह जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के घटनाक्रम का प्रभाव हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ता है। सौभाग्यवश, साम्प्रदायिकता की स्थिति नियंत्रण में है, परन्तु दुर्भाग्यवश आतंकवादी आसानी से निशाना बनाए जा सकने वालों को चुन रहे हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए हमारे देश को सभी आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध अक्षम्यता की नीति अपनानी चाहिए।

हमारे देश में प्रति एक लाख की आबादी पर अपराध की घटनाएं मात्र 455.8 हैं और उनमें से भी गंभीर अपराध केवल 24.6 होते हैं। वर्ष 2007 में आतंकवादी घटनाओं में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। पुलिस कर्मियों और नागरिकों की हत्याओं की घटनाओं में 9.6 प्रतिशत की कमी आई है। हैदराबाद और लखनऊ में बम विस्फोटों की तीन बड़ी घटनाएं हुई हैं। इन बम विस्फोटों में बहुत सी अमूल्य जानें गई हैं। हो यह रहा है कि बंगलादेशी भारत में घुसपैठ कर स्थानीय आबादी के साथ घुल-मिल जाते हैं। एक बार स्थापित हो जाने के पश्चात् बिना कोई संदेह पैदा किए वे हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। भारत में बहुत से बंगलादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। उनका शीघ्रातिशीघ्र पता लगाकर उन्हें तत्काल वापस उनके देश भेजा जाना चाहिए। गृह मंत्रालय को भी उन विदेशियों का सर्वेक्षण कराना चाहिए जो उनके वीजा की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी हमारे देश में रह रहे हैं और उनके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए स्थानीय समुदायों के नेताओं की भागीदारी हासिल की जानी चाहिए।

अमरीका में 9/11 के आतंकवादी हमले के पश्चात कोई बड़ी घटना नहीं हुई क्योंकि उन्होंने इसके लिए अभूतपूर्व सुरक्षोपाय किए हैं। लेकिन हमारे देश में एक के बाद एक नियमित रूप से आतंकवादी हमले हो रहे हैं। हमारी सरकार को भी नए और नूतन सुरक्षोपाय करने चाहिएं। हमारे लोगों को भी सुरक्षा कर्मियों पर दोषारोपण करने के बजाय नए सुरक्षा माहौल में अपने आपको समायोजित करना चाहिए। सरकार को भी पुलिस संगठनों में रिक्त पदों को भरने हेतु कदम उठाने चाहिएं। मंत्रालय को भी पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर ध्यान देना चाहिए। राज्य पुलिस बलों के बीच प्रभावी समन्वय होना चाहिए। सरकार को पुलिस बल को उन्नत प्रशिक्षण देकर उनकी जांच क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना चाहिए। इन उपायों से नक्सलियों की हिंसक गतिविधियों

[श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा]

को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी, जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए एकमात्र सबसे बड़ी चुनौती है। यदि हम इस हवा का रुख सरकार की ओर मोड़ना चाहते हैं तो यह निवेश बहुत आवश्यक है।

हम सभी यह जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ लगती हमारी सीमा अभेद्य नहीं है, सीमा पर बाड़ लगाए जाने का कार्य पूरा किया जाना चाहिए। हाल ही में संसद में नेपाल और भूटान में लगती हमारी सीमाओं की रक्षा हेतु सशस्त्र सीमा बल विधेयक पारित किया गया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी को इस बल के गठन हेतु बधाई देती हूं।

सरकार को विदेशों से हवाला के माध्यम से आतंकवादी संगठनों को मिलने वाले धन पर रोक लगानी चाहिए।

हमारे देश की जनसंख्या में आधी संख्या महिलाओं की है। मेरी माननीय साथी ने भी अपने भाषण में इसका उल्लेख किया है। अधिकांश हिंसक गतिविधियों का शिकार महिलाएं और कमजोर वर्ग होते हैं। अब, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को नियंत्रित करने का यही उचित समय है। मैं यह मांग करती हूं कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में कम-से-कम एक महिला पुलिस थाना होना चाहिए। प्रत्येक पुलिस थाने में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने हेतु एक अनिवार्य प्रावधान किया जाना चाहिए।

आपातकालीन परिस्थितियों को सम्भालने हेतु मैं यह मांग करती हूं कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में दमकल केन्द्रों की संख्या दोगुनी कर दी जानी चाहिए।

मैं साइबर अपराधों को नियंत्रित करने हेतु भी अधिक धनराशि आबंटित किए जाने की मांग करती हूं क्योंकि यह जंगली विषाणु की भांति फैल रहे हैं तथा आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं।

लोगों और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु पुलिस-नागरिक वार्ता मंचों को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। इन गतिविधियों का अंतिम समाधान सामाजिक-आर्थिक विकास है।

मैं सं.प्र.ग. सरकार को ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, एन.आर.ई.जी.पी., राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, समेकित आल विकास सेवा योजना और अन्य विभिन्न आय सृजन योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए बधाई देती हूं। इनका व्यवस्थित और गुणात्मक ढंग से कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। इनकी सघन निगरानी किए जाने की भी आवश्यकता है।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं इंदिराम्मा कार्यक्रम (इंडीग्रेटिड नोवल डवेलपमेंट एक्टीविटीज् इन रूरल एरियाज् एण्ड मॉडल म्युनिसिपल एरियाज्) के अंतर्गत विकासात्मक गतिविधियों पर जोर देना चाहती हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, डा. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के ओजस्वी नेतृत्व में आन्ध्र प्रदेश में आवास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, अवसंरचना, शिक्षा आदि से संबंधित व्यापक विकासात्मक कार्यक्रमों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि यदि उच्च स्तर पर समन्वय किया जाए तो आतंकवादी तथा नक्सलवादी गतिविधियों पर काफी हद तक रोक लगेगी और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर होगी तथा विकास के लिए एक अनुकूल माहौल बनेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): सभापति महोदया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे होम मिनिस्ट्री की अनुदानों की मांगों पर अपने ख्याल रखने का मौका दिया। मेरा पहले बोलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन हमारे एक-दो साथियों ने जिस अंदाज से मुस्लिम संगठनों की तरफ इशारा किया कि आतंकवाद उन्हीं की वजह से है।

सभापति महोदया: मेरे खयाल से ऐसा किसी ने नहीं कहा।

श्री इलियास आजमी: यह मुल्क के लिए और हमारे समाज के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। मैं उन लोगों को याद दिला दूं कि इस वक्त पिछले एक वर्ष में उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक जितना भी असला, गोला-बारूद बरामद हुआ है, वह आर.एस.एस. परिवार के संगठनों के पास से पकड़ा गया है और सबसे ज्यादा असला महाराष्ट्र में पकड़ा गया है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): आप असत्य आरोप लगा रहे हैं। आर.एस.एस. देश की सेवा करने वाला संगठन है, कोई आतंकवादी संगठन नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी: ये ही असली आतंकवादी हैं, जो दूसरों पर अंगुली उठाते हैं और जो दूसरों को आतंकवादी कहते हैं, वही लोग पकड़े गए हैं।...*(व्यवधान)* ये सब आर.एस.एस. के लोग हैं, यह फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में भी है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप बार-बार किसी संगठन का नाम न लें और अपनी बात कहें।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती करुणा शुक्ला: संघ के लोग देश की सेवा करने वाले लोग हैं।...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी: परभनी और नांदेड़ में जितने भी लोग पकड़े गए हैं, वे सब आर.एस.एस. के लोग थे। यह सच्चाई है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप अपनी बात कहें, बार-बार किसी संगठन का नाम न लें।

श्री इलियास आजमी: जितनी अदालतों में इनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, उनमें से एक अदालत में रायबरेली में राजा राम नाम का एक आदमी पकड़ा गया और दूसरे का नाम मैं भूल गया, उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि वह मुसलमान नहीं था। अगर वह भी मुसलमान होता तो शायद उसका आतंकवादी संगठन से, लश्करे तोइबा से रिश्ता जोड़ दिया गया होता।...*(व्यवधान)* उसके पास से एक-दो नहीं, छः बम बरामद हुए थे। नांदेड़ और परभनी में आर.एस.एस. के लोग पकड़े गए थे।...*(व्यवधान)*

श्रीमती करुणा शुक्ला: ये सब मुसलमान थे, कोई संघ का नहीं था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: करुणा जी, जब आपकी बारी आएगी, तब आप अपनी बात कहना। इस तरह बीच में टोकना सही नहीं है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): इनकी टोका-टाकी को रिकार्ड से बाहर निकालना चाहिए।

श्री इलियास आजमी: बजरंग दल के महाराष्ट्र कार्यालय से नकली दाढ़ियां, टोपियां, असला और गोला-बारूद बरामद हुआ था। वहां इनकी सरकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की है। वहां इतनी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई, फिर भी उन पर मकोका नहीं लगाया गया और मामूली पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। वहां के गृह मंत्री का शर्मनाक बयान आया कि जरूर पकड़े गए और आर.डी.एक्स. भी पकड़ा गया, लेकिन उनका आतंकवादी गतिविधियों से कोई ताल्लुक नहीं था। अगर उनका नाम आसिफ इकबाल या इलियास होता तो इन्हें पकड़ लिया जाता। यह महाराष्ट्र सरकार के लिए शर्म की बात है कि उसकी नजर में कोई आतंकवादी नहीं था।

बांग्लादेश से यहां घुसपैठ की भी चर्चा हुई। मैं घुसपैठ के सख्त खिलाफ हूं। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा बाहैसियत बी.एस.पी. सदस्य, बाहैसियत इलियास आजमी और मुसलमानों की तरफ से भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई आंकड़ा है, कोई जानकारी है कि यहां दो-तीन करोड़ बांग्लादेशी हैं, इनकी तो छोड़ दें, अगर कहीं दो-चार या पांच-दस भी हैं, मैं सिर्फ...* जिसे आपने अभी तक यहां रोक रखा है और अब वह शायद यहां से यह देश छोड़ कर जाने वाली है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती करुणा शुक्ला: तसलीमा नसरीन के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना शोभनीय नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप बार-बार बीच में न बोलें। जब आपका समय आएगा, तब आप अपनी बात कहना।

श्री इलियास आजमी: अगर मैं उसकी किताब का एक पेज ही यहां कोट कर दूं तो सदन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप इस तरह बीच में बोलें। आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी। जब आपको मौका मिलेगा, तब आप अपनी बात कहना।

...*(व्यवधान)**

श्री इलियास आजमी: सिर्फ दो ही आपकी पसंद के हैं। एक तो वह...* इसके अलावा आपको कोई दूसरा मुसलमान पसंद नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आजमी जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें। काफी सदस्यों को बोलना है।

श्री इलियास आजमी: अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। ये लोग मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री इलियास आजमी]

आप सदन में जरूर बताएं, अगर आपके पास आंकड़े हो, अगर आपको जानकारी हो कि इतने बांग्लादेशी यहां हैं। अगर हैं तो फिर क्यों नहीं उन्हें पकड़ कर बाहर किया गया? चाहे बांग्लादेशी घुसपैठि हों, या पाकिस्तानी हों या चीनी हों, उन्हें पकड़कर बाहर करना चाहिए, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। मैं हिन्दुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए कहता हूं कि मैं इससे सहमत हूं, लेकिन जो लोग गलत आरोप लगाते हैं उनको और बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हुए यह कहता हूं कि मैं उससे सहमत हूं लेकिन झूठे आरोप लगाने वालों को और ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मुम्बई में 40 लाख बंगलादेशी हैं, मैं कहता हूं कि मुम्बई में कुल मुसलमान ही 40 लाख नहीं है, बंगलादेशी मुसलमानों की बात तो बहुत बड़ी बात है। मुम्बई के सारे मुसलमानों की आबादी भी गिन ली जाए तो मुम्बई में 40 लाख मुसलमान नहीं हैं।

दूसरी बात मैं नेपाल के बारे में कहना चाहता हूं। नेपाल के बारे में बहुत सी बातें कही गयी हैं। हमारे भाई योगी आदित्यनाथ जी अभी यहां नहीं हैं। मैं कहता हूं कि इन लोगों के...* भारत जैसे सेक्युलर देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक हिंदू राष्ट्र पड़ोस में था लेकिन वहां की हिंदू आवाम ने उसको रिजैक्ट करके माओवाद को पसंद किया, हम कहते हैं कि तुम्हे क्या तकलीफ है। हम कहते हैं कि हम एक जम्हूरी मुल्क हैं, हमें नेपाल के आवाम के फैसले का स्वागत करना चाहिए और जो लोग वहां पावर में आये हैं उनके साथ बेहतर संबंध बनाने चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी, हमें वह गलती नेपाल में नहीं करनी चाहिए जो हमने माजी में अफगानिस्तान जैसे दोस्त के साथ अपनाई थी जब रूसी साम्राज्य ने वहां कब्जा कर लिया था और हमने...* गैर-मुल्की कब्जे का समर्थन किया था। आज अमरीकी...* वहां कब्जा किये हुए हैं और बेशर्मी के साथ अमरीकी...* का समर्थन कर रहे हैं, यह पॉलिसी बेहतर नहीं है। आवाम जिसके साथ है, इसलिए हमें वह गलती नेपाल में नहीं दोहरानी चाहिए, जो गलती हम अफगानिस्तान में दोहराते रहे हैं। हमें आज भी अफगानिस्तान के जो सही जनता के नुमाइंदे हैं उनका समर्थन करना चाहिए, लेकिन...* अमरीका उन्हें आतंकवादी कहता है और हम 20 बार...* उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं। कल वे भी अफगानिस्तान में पावर में आने वाले हैं, इसलिए हमें अपने दोस्तों की संख्या बढ़ानी चाहिए, दुश्मनों की नहीं। अमरीका जिसे कह दे कि आतंकवादी है, हमें उसे आतंकवादी नहीं कहना चाहिए, आतंकवादी का नारा नहीं लगाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

मैं देश के हित में कहना चाहता हूं कि नेपाल के बारे में इन लोगों की बातों में आप मत आइयेगा और नेपाल के आवाम ने, जनता ने जो फैसला किया है उसका ऐतराम करते हुए, नेपाल की जनता और सरकार से बेहतर संबंध बनाने चाहिए। अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान के बारे में भी हमें अपनी पॉलिसी पर नजर-सानी करनी चाहिए। अमरीका के दलालों और पिट्ठुओं का समर्थन बंद करना चाहिए और वहां जो कल पावर में आने वाले हैं उनसे हमें अभी से ताल्लुकात कायम करने चाहिए। हम एक जम्हूरी मुल्क हैं और बार-बार कहा जा रहा है कि पोटा खत्म कर दिया गया। मैं कहता हूं कि अगर शैतानी कानूनों के जरिये आतंकवाद रोका जा सकता था तो पोटा से दस गुना ज्यादा खतरनाक टाडा था, टाडा ने हजारों आतंकवादी पैदा किये, आतंकवाद को रोक नहीं सका। अगर कानून के द्वारा आतंकवाद रोका जाता और इंटरनल सिक्योरिटी इंसाफ के जरिये कायम हो सकती तो अच्छा होता। बिना भेद-भाव के, ब्राह्मण से लेकर शुद्र तक, हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई, सारे भेदभाव से बरी हो जाएंगे और जिस दिन हम सबके साथ एक सा इंसाफ करना सीख जाएंगे, उस दिन आतंकवाद अपनी मौत आप मर जाएगा। गुमराह लोगों को, जो लोग इंसाफ से मायूस हो गये हैं और उन्हें लगता है कि हमें इंसाफ नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारी जात अलग है, हमारा धर्म अलग है, हम अमीर नहीं गरीब हैं, ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाइये। नाइंसाफी के पेट से ही हमेशा बगावत का जन्म हुआ है जिन्हें हम आतंकवादी कहते हैं, वे सब के सब सामाजिक नाइंसाफी की देन हैं। आप समाज में इंसाफ कायम करके आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। बंदूक का जवाब बंदूक नहीं होता है। गोली का जवाब अगर आप गोली से देंगे, तो देश की आंतरिक सुरक्षा कभी मजबूत नहीं हो सकती है।

महोदया, मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूं, लेकिन समय की कमी है, इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदया, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। गृह मंत्रालय के कार्यकरण के अनुरूप यह मांग पूरी तरह औचित्यपूर्ण है। गृह मंत्रालय 10 मांग शीर्षों के अंतर्गत 29,820 करोड़ रुपये के व्यय हेतु सभा की स्वीकृति मांग रहा है। जैसाकि आप जानते ही हैं कि यह मंत्रालय बहुत-सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहा है, जिनका परिणाम आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस मंत्रालय के कार्यकरण पर दोष लगाना तो सरल है, परन्तु इसके बारे में ठोस सुझाव देना उतना सरल नहीं हैं। यह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा, अर्धसैनिक बलों के कार्य प्रबन्धन, सीमा प्रबंधन, केन्द्र-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन और आपदा प्रबन्धन के कार्यों में संलग्न है। हाल ही में, यह मंत्रालय 22 अत्यंत महत्वपूर्ण योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है, जिनसे देश में आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था बनाये रखने की क्षमता में वृद्धि होने की संभावना है।

अतः इन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु इस धनराशि की आवश्यकता है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। अतएव, मेरा निवेदन है कि यह सभा गृह मंत्रालय के इस व्यय को अवश्य स्वीकृति दे। गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण विषय संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन है। आज देश में सात संघ राज्य क्षेत्र हैं - पांच बिना विधानमंडल के हैं और दो विधान मंडल सहित हैं। मैं एक ऐसे ही संघ राज्य क्षेत्र पुड्डुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। अतः संघ राज्य क्षेत्र पुड्डुचेरी का एकमात्र चुना हुआ प्रतिनिधि होने के नाते, मैं माननीय गृहमंत्री का ध्यान संघ राज्य क्षेत्र पुड्डुचेरी के कुछ ऐसे मुद्दों की ओर दिलाना चाहता हूं, जिनका समाधान नहीं किया गया है।

वर्ष 1954 में इस संघ राज्य क्षेत्र को फ्रांसीसी शासन से स्वतंत्र कराया गया। वर्ष 1963 में इसे संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 के दायरे में लाया गया। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार या चंडीगढ़ से अलग संघ राज्य क्षेत्र पुड्डुचेरी का 30 चुने हुए सदस्यों की एक विधानसभा है। ये 30 सदस्य विधानसभा में बैठकर विधान पारित करते हैं। परन्तु दुख की बात यह है कि विधानसभा में विधान प्रस्तुत किये जाने से पूर्व उन्हें गृह मंत्रालय से जांच कराकर स्वीकृति लेनी पड़ती है। ये लोगों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि हैं। लोगों ने विधानसभा को शक्ति प्रदान की है परन्तु हमें इससे पहले स्वीकृति लेने को कहा गया है। इसके पश्चात भी यह आवश्यक नहीं है कि गृह मंत्रालय इसे स्वीकृति दे ही दे। वहां राजनीतिक दृष्टि से एक दयनीय और अतार्किक स्थिति विद्यमान है। बिना विधानमंडल के संघ राज्य क्षेत्र में पृथक स्थिति होती है। परन्तु, हमारे यहां विधान मंडल है, परन्तु हर बात के लिए उपराज्यपाल उत्तरदायी है और वहां का प्रशासन गृह मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। अतः मैं गृह मंत्रालय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतंत्र के राजनीतिक सिद्धांत और राजनीति दर्शन के अनुरूप हमें अधिक शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं क्योंकि चुने गये लोगों को अधिक शक्तियां दिये जाने से ही लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। अतः मैं गृह मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र पुड्डुचेरी को और अधिक राजनीतिक शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां प्रदान करने के तरीकों का पता लगाया जाए। तत्पश्चात, समय आने पर स्थिति के अनुरूप हमें अधिक-से-अधिक शक्तियां प्रदान करने पर विचार किया जाए ताकि भारत सरकार के अंतर्गत हम स्वतंत्र रूप से रह सकें।

सायं 6.00 बजे

दूसरा मुद्दा स्थानीय निकायों के संबंध में है। स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि माननीय गृहमंत्री से मिले थे और उन्हें अपनी दुर्दशा बतायी थी। पुड्डुचेरी संघ राज्य क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र था, जहां पिछले 38 वर्षों में चुनाव नहीं कराये गए थे और वर्ष 2006 में चुनाव कराये गए, परन्तु स्थानीय निकायों को अभी तक आवश्यक शक्तियां, कार्य, कार्यकर्ता और निधियां प्रदान नहीं की गयीं हैं। संघ राज्य क्षेत्र, पुड्डुचेरी के समक्ष यह एक गम्भीर लोकतांत्रिक प्रश्न है जिसका समाधान गृह मंत्रालय द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए।

तीसरा मुद्दा, संघ राज्य क्षेत्र, पुड्डुचेरी की राजधानी पांडिचेरी शहर है, जो कि देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शहर है और पुड्डुचेरी आने वाले काफी लोग यह कहते हैं कि यह देश के सर्वोत्तम शहरों में से एक है। पांडिचेरी शहर ने सिद्ध किया है कि यह छोटा भी है और बहुत खूबसूरत भी। परन्तु काफी लम्बे समय से इस शहर का 'ग' श्रेणी में रखा गया है। शहरीकरण के मामले में, पुड्डुचेरी की 64 प्रतिशत जनता शहरों में रहती है और यह अखिल भारतीय स्तर पर चौथे नम्बर पर है।

सभापति महोदया: प्रो. रामदास, कृपया आप एक मिनट के लिए बैठिए। अभी भी इस चर्चा में भाग लेने के इच्छुक 15-16 सदस्य शेष हैं।

[सभापति महोदया]

[हिन्दी]

2-3 मिनट में सभी अपनी बात समाप्त करें। हम उतनी देर के लिए हाउस का समय बढ़ा देते हैं लेकिन सभी समय का ध्यान रखें और 3-4 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। जब तक यह डिबेट समाप्त नहीं होती, हाउस का समय एक्सटैंड किया जाता हैं लेकिन सभी सदस्य बहुत थोड़े में अपनी बात कहें।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): जो माननीय सदस्य अपनी स्पीच ले करना चाहते हैं, आप उसे भी साथ करवा दीजिए।

सभापति महोदया: अगर कोई अपना भाषण ले करना चाहे तो उसका जरूर स्वागत होगा।

[अनुवाद]

प्रो. रामदास, अब आप अपना भाषण जारी रखें और कृपया दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

प्रो. एम. रामदास: महोदया, पुड्डुचेरी आज देश का अत्यधिक शहरीकृत क्षेत्र है। गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति ने जब पुड्डुचेरी का दौरा किया था, तो सर्वसम्मति से यह सिफारिश की थी कि पुड्डुचेरी को बी-2 का दर्जा दिया जाए और छठे वेतन आयोग का भी यही विचार है। अतः, माननीय गृहमंत्री से आग्रह है कि पुड्डुचेरी को बी-2 श्रेणी का दर्जा दिये जाने की घोषणा करने के लिए यथाशीघ्र कदम उठाये जाएं।

संघ राज्य क्षेत्र पुड्डुचेरी में पिछले 100 वर्षों से भी अधिक समय से सात जनजातीय समुदाय रह रहे हैं, परन्तु इन समुदायों को अभी तक जनजातीय समुदाय के रूप में मान्यता नहीं दी गयी है। हमने इस बारे में बहुत से अभ्यावेदन दिये हैं और भारत के महापंजीयक को प्रमाणित साक्ष्य भी उपलब्ध कराये हैं परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसके परिणामस्वरूप इन समुदायों को इनकी पात्रता के अनुसार जनजातीय दर्जे का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। अतः इन समुदायों को शीघ्रातिशीघ्र अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया जाए।

महोदया, जैसा कि आप जानती ही हैं कि वर्ष 2004 में सुनामी आया था और पुड्डुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के मछुआरे इससे अत्यधिक प्रभावित हुए थे, परन्तु आज भी पुड्डुचेरी सरकार ने अधिक संख्या में आवासों का निर्माण नहीं कराया है और केवल स्वैच्छिक संगठनों ने ही कुछ आवासों का निर्माण कराया है। अतः संघ राज्य क्षेत्र को आवास बनाने के लिए दी गई धनराशि का उपयोग इस योजना को मूर्तरूप देने में किया जाए।

अगला मुद्दा यह है कि गृह मंत्रालय द्वारा दिये गए वित्तीय संसाधन के दो भाग हैं - एक तो गैर-योजनागत अन्तर अनुदान और दूसरा योजनागत अनुदान। गैर-योजनागत अन्तर अनुदान की धनराशि में वर्ष-दर-वर्ष कमी आ रही है। योजनागत सहायता के संबंध में गृह मंत्रालय ने हमें बाजार से ऋण लेने को कहा है, जो कि संघ राज्य प्रशासन के लिए अत्यधिक कठिन है। अतः विगत की भांति अनुदान की 90 प्रतिशत धनराशि योजनागत अनुदान के रूप में दी जानी चाहिए। स्वदेशी कॉटन मिल्स और एन.टी.सी. की बराथे मिल्स संघ राज्य क्षेत्र को सौंप दी गयी है और इसके लिए हमें 38 करोड़ रुपयों का भुगतान करना है परन्तु इस धनराशि को जारी किये जाने का कार्य अभी गृह मंत्रालय के पास लम्बित है। अतः इसे भारत सरकार द्वारा शीघ्र जारी किया जाना चाहिए।

मेरा अंतिम मुद्दा कराईकस जिले के बारे में है, जिसे हाल ही में जिला घोषित किया गया है। इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु हमें काफी मात्रा में अवसंरचनात्मक ढांचे का सृजन करना है। अतः मेरा गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि 'पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि' के अंतर्गत इसके लिए यथासम्भव अधिकाधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

महोदया, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय पर है। अतः लम्बे समय से लम्बित इन हल न किये गए मुद्दों पर विचार किया जाए और उन्हें यथाशीघ्र हल किया जाए। यदि शीघ्रतापूर्वक ऐसा किया जाता है तो गृह मंत्रालय के संरक्षण में इस छोटे परन्तु खूबसूरत संघ राज्य क्षेत्र के विकास की गति बढ़ाने में काफी सहायता मिलेगी।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदया, मैं देश की वर्तमान कानून व्यवस्था पर बोलना चाहता हूं। मेरे पास इतनी सामग्री है कि मैं घंटों बोल सकता हूं, परन्तु मैं थोड़ा समय लूंगा।

आज हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं कि हमें

अपनी जांच के तरीके से आमूलचूल बदलाव लाने की सोचनी पड़ेगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी दोष सिद्धि की दर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत ही कम है। मेरे विचार से यह सात प्रतिशत है अर्थात अभी तक दर्ज और जांच किए गए 100 मामलों में से 93 मामलों में आरोपी बच जाता है। हमारे देश में यही स्थिति है कि हम रोज डकैती, लूटपाट, बम विस्फोट, मानव बमों तथा दिन दहाड़े बलात्कार और हत्या की जाती है। देश में आज यही स्थिति विद्यमान है। हमारी विधि व्यवस्था कैसी है? हमें इस पर विचार करना होगा।

मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ स्थिति स्पष्ट करूंगा। थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि हम दाऊद इब्राहिम जो विदेश में है, उसे पकड़ लेते हैं और उस पर भारतीय न्यायालय में मुकदमा चलाते हैं। मुकदमे में वर्षों लग जाएंगे। मुकदमे के दौरान दाऊद कटघरे में मूक दर्शक बना रहेगा। वह अपने ऊपर लगे आरोप को गलत सिद्ध करना चाहेगा परन्तु न्यायालय इसकी अनुमति नहीं देता है तथा मुकदमे में भाग लेने की उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।

हमारी व्यवस्था में यह माना जाता है कि आरोपी निर्दोष है तथा हमें आरोप को पूर्णतः सही साबित करना होता है। आरोप साबित करने के लिए अनेक साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। वर्षों तक साक्षी का साक्ष्य लिया जाएगा और अंत में न्यायाधीश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत कुछ प्रश्न पूछेगा और दाऊद इब्राहिम उन प्रश्नों का उत्तर देगा। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद दाऊद इब्राहिम निर्दोष पाया जाएगा और देश के बाहर चला जाएगा। न्यायधीश बाध्य नहीं हैं कि वह इसे दोषी घोषित करे।

इसलिए, पहली महत्वपूर्ण बात यह कि आरोपी का यह दायित्व हो कि वह अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को झूठा साबित करे। विधि में परिवर्तन किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष का यह दायित्व नहीं होना चाहिए कि वह अपराध को शत-प्रतिशत सिद्ध करे। इसलिए, विधि में परिवर्तन किया ही जाना चाहिए।

भारत में तीन प्रकार के अपराध होते हैं। पहला राज्य में किया गया अपराध, दूसरा अंतर-राज्यीय अपराध और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय अपराध। राज्य के अपराध वहां की पुलिस द्वारा जांच हेतु लेती है। अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध की कौन जांच करेगा? हमें इस पर विचार करना होगा।

मैं वर्तमान कानून व्यवस्था की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कानून व व्यवस्था मूलतः राज्य का विषय है। ऐसे मामलों की जांच में केन्द्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। हमारे यहां शीर्ष जांच एजेंसी, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) है जिसकी स्थापना पुरानी दिल्ली पुलिस स्थापन अधिनियम के तहत की गई थी। यह अपनी इच्छा से जांच नहीं कर सकती है। यह तभी जांच कर सकती है जब राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या न्यायालय द्वारा ऐसा करने को कहा जाए।

हमारे देश में अंतर-राज्यीय अपराध या किसी स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध किया जाता है, तो स्थानीय पुलिस इसकी जांच करेगी।

वह पूरी तरह से हथियारों से सुसज्जित नहीं हैं। आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं। ऐसी स्थिति से निपटने में स्थानीय पुलिस पूर्णतः अक्षम होती है। आपराधिक जांच के मामले में आरंभिक जानकारी महत्वपूर्ण होती है तथा एकत्रित आरंभिक साक्ष्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सी.बी.आई. के पास मामला बहुत बाद में आता है। ऐसे अपराध करने वाले आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं। स्थिति यह है। इसलिए ऐसे अपराध करने वाले अधिकतर अपराधी छूट जाते हैं। इसलिए गृह मंत्रालय को कानून में परिवर्तन करने का प्रयास करना ही चाहिए। इस बारे में आप राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर सकते हैं।

हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में संघीय अपराध को परिभाषित नहीं किया है। अन्य सभी देशों में संघीय अपराध परिभाषित होते हैं। अमेरिकी संविधान में भी संघीय एजेंसी द्वारा संघीय अपराध की जांच करने का प्रावधान है परन्तु हमारे यहां ऐसी सांविधिक संघीय एजेंसी नहीं है। हमने अपने संविधान में संघीय अपराध परिभाषित नहीं किए हैं। इसका परिणाम यह है कि राज्य पुलिस को ऐसे समस्त अंतर-राज्यीय अपराधों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों की जांच करनी होती है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह राज्य सरकारों को स्थिति समझने के लिए कहे और उन्हें समझाए कि ऐसा करना उनके अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है क्योंकि स्थिति ऐसी है कि हमें आतंकवादी गतिविधियों की जांच करनी है जिनका जाल समस्त देश में फैला हुआ है तथा राज्य पुलिस उन अपराधों की जांच करने में सक्षम नहीं है। आपको कतिपय प्रक्रियात्मक बदलाव भी करने होंगे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपने बहुत सार्थक और अच्छी बात कही है। यह वास्तव में बहुत ही अच्छी बात है। अब आप बात समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं एक और बात कहना चाहूंगा। सभी अपराधी छूट जाते हैं, क्यों? साक्षियों द्वारा मुकर जाना आम बात हो गई है। हमें साक्षियों को मुकदमे से रोकना होगा। अपराध घटित होने की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि साक्षी मुकर जाएगा और अपराध को पूर्णत: सिद्ध नहीं किया जा सकेगा। इसलिए गवाह द्वारा मुकरे जाने को रोकना होगा। तथा इस स्थिति से निपटने के लिए प्रावधान करने होंगे।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी वह कि विधि में संस्वीकृति का प्रावधान करनी...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: अब आप बस एक बात और कह सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह एक पुराना कानून है। अब जानकारी का चरण आता है। साक्षियों के बयान को रिकार्ड करने के लिए हमारे पास अत्याधुनिक उपस्कर हैं। पहले पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकृति साक्ष्य अधिनियम के तहत अनुमत्य नहीं है। ऐसा सही हो सकता है। अब सूचना प्रौद्योगिकी के कारण परिवर्तित स्थिति के अनुसार साक्ष्य अधिनियम में परिवर्तन किया जाना चाहिए। अब हमारे पास हर प्रकार की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। यहां तक कि 'मीडिया प्रोसेसिंग' और 'मीडिया ट्रायल' भी संभव है, तो फिर हम साक्ष्य अधिनियम में इस स्थिति को क्यों बदल नहीं देते? आपराधिक दंड संहिता की धारा 162 के तहत वक्तव्य को छोड़ा जा सकता है और किसी सक्षम अधिकारी के समक्ष वैज्ञानिक तरीके, जो अब संभव है, से आप अपना बयान दे सकते हैं, तो फिर हम पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकृति पर जोर क्यों दे रहे हैं? इसलिए व्यापक बदलाव किए जाने की आवश्यकता है। हम विधि निर्माता हैं। हम विधि में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हैं। जब तक हम अपनी प्रक्रिया संबंधी विधि तथा मूल विधि में बदलाव नहीं करते तब तक हम इस देश में आतंकवाद नियंत्रित नहीं कर सकते।

भारत में आतंकवाद के शिकार व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है और यह इराक के बाद दूसरे स्थान पर है। बम विस्फोटों और मानव बमों के कारण सैकड़ों निर्दोष लोगों की जानें गई हैं। हमारे देश में ऐसे व्यक्ति की संख्या इराक में शिकार हुए ऐसे व्यक्तियों की संख्या के बराबर है।

इसे तब तक नहीं रोका जा सकता है, जब तक आप विधि आयोग की सिफारिशों को लागू कर विधि में व्यापक परिवर्तन नहीं करते।

मुझे आशा है कि मेरे मित्र श्री शिवराज वि. पाटिल विधि आयोग की ऐतिहासिक सिफारिशों के आधार पर हमारी विधि प्रमाली में कतिपय परिवर्तन करेंगे, ताकि आतंकवादी और अन्य जघन्य अपराधी बच न सकें।

इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभापति महोदया, मैं गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए दो-एक महत्वपूर्ण बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जिस देश की आन्तरिक और बाह्य दोनों स्थिति सुदृढ़ होती है, उस देश की एकता, अखंडता, सबलता, सशक्तता और सुदृढ़ता आन्तरिक स्थिति के ऊपर निर्भर करती है। अगर आन्तरिक कानून-व्यवस्था अच्छी है, शांति का वातावरण है तो देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा और देश सर्वांगीण विकास भी कर सकेगा। लेकिन अगर देश में प्रांतीयतावाद, पृथकतावाद, उग्रवाद या आतंकवाद है या और कोई विभिन्न प्रकार की जो देशद्रोही गतिविधियां प्रचलित हैं, यदि वे व्याप्त हैं तो निश्चित रूप से वह देश कमजोर होगा।

महोदया, याद दिलाने की आवश्यकता नहीं कि जिन स्वाधीनता सैनानियों ने हंसते-हंसते अपने प्राणों को भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए न्यौछावर कर दिया था और जो गर्व के साथ वन्दे मातरम और भारत माता की जय बोलते हुए स्वाधीनता सैनानी यह कहते थे कि:

"न इज्जत दे, न अज्मत दे, न सूरत दे, न सीरत दे,
या रब मुझे वतन के वास्ते मरने की हिम्मत दे।"

जिन लोगों ने ऐसा कहते हुए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वे कैसे भारत की कल्पना करते थे? वे एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जो सशक्त हो, एकता के सूत्र में बंधा हुआ हो, जहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक,

गुजरात से लेकर नागालैंड तक सारा राष्ट्र एकात्मकता के सूत्र में बंधा रहे और जहां पर निरन्तर विकास पथ पर अग्रसर होते हुए हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहला सके और अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त कर सकें। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि यू.पी.ए. की सरकार जब से सत्ता में आई है, वैसे मैं कहूंगा कि आजादी के बाद जो भी सरकारें आई हैं, सभी ने अपनी-अपनी तरफ से प्रयास किया लेकिन मैं वर्तमान सरकार के संबंध में कहना चाहूंगा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति के आंकड़ों को दिखाकर आप कह सकते हैं कि आतंकवादी घटनाएं थोड़ी कम हुई हैं लेकिन आज वहां कांग्रेस के साथ जो पी.डी.पी. की पार्टी के लोग जम्मू-कश्मीर में शासन में हैं, वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुद्रा का प्रचलन कश्मीर में होना चाहिए, कश्मीर से सेनाओं को हटा देना चाहिए। इस प्रकार की बात कहना कहां तक उपयुक्त है या फिर असम में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पर उस कांग्रेस के राज्य में हिन्दी भाषियों की हत्या की जाती है और वहां पर उत्तर भारत के लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है। क्या कांग्रेस का यही शासन है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मणिपुर के अंदर आज राष्ट्रपति शासन लागू होने जैसी स्थिति है। रोज वहां की सरकार वहां कानून-व्यवस्था का पालन कराने में अक्षम सिद्ध हो रही है। मणिपुर केवल एक ऐसा राज्य है जहां पर चुनी हुई सरकार का शासन नहीं है बल्कि आतंकवादियों का शासन है। स्थिति वहां बेकाबू है, राज्य सरकार लाचार है। अपनी ही पार्टी की राज्य में सरकार होने के कारण ये लोग उसे बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। अगर विपक्ष की सरकार होती तो बर्खास्त कर देते। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर रहने वाला हर अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और राज्य सरकार के अधिकारी और कर्मचारी आतंकवादियों को पैसे देकर वहां रह रहे हैं और वहां छोटे से राज्य के अंदर 39 आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। असम में 36 संगठन और जम्मू-कश्मीर में 32 आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर जैसे छोटे से राज्य के अंदर स्थिति कितनी भयावह है। यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है। आन्तरिक सुरक्षा की बात हो रही थी,...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आपकी बात आ गई है। समाप्त करिए। अभी आपकी पार्टी के और सदस्य बोलने वाले हैं। जल्दी समाप्त करिए।

प्रो. रासा सिंह रावत: सभापति महोदया, केन्द्र में कब तक कानून-व्यवस्था को राज्य का विषय मानकर अगर केन्द्र सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी और राजनैतिक इच्छाशक्ति का परिचय नहीं देगी तो फिर हमारी आन्तरिक सुरक्षा कमजोर हो जाएगी।

सायं 6.19 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

लेकिन केन्द्र सरकार यही गाना गाए जा रही है कि आतंकवाद के संदर्भ में देश को किसी कठोर कानून की आवश्यकता नहीं है। अपराधियों से निबटने के लिए, नक्सलवादियों से निबटने के लिए और देशद्रोही आतंकवादियों की गतिविधियों को काबू में लाने के लिए कटोर कानून की आवश्यकता होती है।

हमने पोटा जैसा कठोर कानून बनाया ताकि गवाही देने वाले डरें नहीं, उनकी सुरक्षा भी बनी रहे और एविडेन्स वगैरह भी हो सके, लेकिन इस सरकार ने आते ही पोटा कानून को खत्म कर दिया। मान्यवर, जिन देशों में आतंकवाद कम है, वहां की सरकारों ने भी कठोर कानून बनाए हैं। हमारे यहां आतंकवाद इतना अधिक है, चाहे आप उत्तर पूर्व में देख लीजिए या कश्मीर में देख लीजिए, फिर भी हमारी सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए कठोर कानूनों का निर्माण नहीं कर रही है। परिणामस्वरूप कौन गवाही देगा, कौन अपने प्राणों को संकट में डालेगा? आखिर वे कौन लोग हैं जो उनको शरण देते हैं, उनके खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं, उनके आने-जाने की व्यवस्था करते हैं? उन सब लोगों को कानून के शिकंजे में लाने के लिए एक कठोर कानून का होना अत्यंत आवश्यक है।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। केन्द्रीय जांच एजेन्सी की बात बहुत समय से चल रही है। यद्यपि हमारे यहां सी.बी.आई. है, लेकिन सी.बी.आई. तब जांच करती है जब कोई राज्य सरकार कहती है। फैडरल एजेन्सी के गठन की जो बात चल रही थी, लगता है कि उसको भुला दिया गया है। जब राज्य सरकारों से पूछा गया तो उनके सामने फैडरल एजेन्सी का प्रारूप क्या होगा, इसका कार्यक्षेत्र क्या होगा, इसकी शक्तियां और अधिकार क्या होंगे, अगर वे सब राज्य सरकारों को और मुख्य मंत्रियों को समझाया जाता तो वे अपनी सहमति प्रदान कर देते। यह फैडरल जांच एजेन्सी केन्द्र सरकार के हाथ में होनी चाहिए। ताकि यदि कोई राज्य सरकार काम न करे, कोई

[प्रो. रासा सिंह रावत]

राज्य सरकार आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई न करे तो ऐसी स्थिति में केन्द्र को जांच का अधिकार हो, उसकी अपनी एजेन्सी हो।

महोदय, जिस प्रकार हमें अपनी सेनाओं पर गर्व है, उसी प्रकार हमें अपने अर्द्ध-सैनिक बलोंपर भी गर्व है। वे भी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए और सीमा पर रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को संकट में डालकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन जैसे फौज में कोई वीरगति को प्राप्त हो जाता है और उनको सम्मान, नकद राशि और पेंशन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि अर्द्धसैन्य बलों के सैनिकों को भी वही सुविधाएं प्रदान की जाएं, चाहे ये सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ., एस.एस.एफ., आई.टी.बी.पी. अथवा बी.एस.एफ. के जवान हों। चाहे आप उनको सेना के मुकाबले में कुछ कम सुविधाएं दें लेकिन सुविधाएं उनको अवश्य देनी चाहिए क्योंकि वे भी अपने प्राणों को संकट में डालकर देश की रक्षा करते हैं।

मान्यवर, आपदा प्रबंधन के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में पाला पड़ गया। पाला से और किसी राज्य में इतना नुकसान नहीं होता है। माननीया सोनिया जी यहां विराजमान हैं। उनसे भी राजस्थान के कांग्रेस मित्रों ने प्रार्थना की। हम भी आपके माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि आपदा प्रबंधन की जो लिस्ट है, जिसमें बाढ़ आदि सम्मिलित हैं, उसमें पाला को भी सम्मिलित कीजिए क्योंकि पाला के कारण वहां करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है। इसलिए पाला को उस सूची में सम्मिलीत करके सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. के नियमों में परिवर्तन किया जाए ताकि राज्य सरकारें गरीब किसानों को भली प्रकार से सहायता दे सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें। आप हर बार बोलते हैं। आप हर विषय पर बोलते हैं। फिर आप क्यों चिंता करते हैं?

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: मान्यवर, मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं। नक्सलवाद से निपटने के लिए सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए, नहीं तो जैसे नेपाल में बात करते करते माओवादी विचारधारा का शासन हो गया, कहीं ऐसा न हो कि लाल गलियारा चाहे झारखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश का हो, अन्य प्रदेश हों, महाराष्ट्र हो या उड़ीसा हो, जो उत्तर से दक्षिण तक फैल रहा है, आगे जाकर बड़ा भारी खतरा हमारे देश के लिए यह बनेगा। इसलिए नक्सलवाद से निपटने के लिए भी यूनिफाइड कमांड की बात होती है। सब राज्यों में मिलकर तालमेल हो और केन्द्र के अधीनस्थ यूनीफाइड कमांड हो जिसके अंतर्गत सारी सूचनाएं भी एकत्रित हों, इंटैलिजेन्स नैटवर्क भी हो जिससे पता चले कि आतंकवादी कहां छिपे हुए हैं और उनका मुकाबला किस प्रकार किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि आप भाषण समाप्त नहीं करेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा कि कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: मान्यवर सभापति जी, मजबूत हाथों से देश का शासन होता है। केन्द्र कमजोर होगा तो राज्य कमजोर होंगे और देश भी कमजोर हो जाएगा। राज्य मजबूत हों और केन्द्र भी मजबूत हो तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा और तब हम कह सकेंगे कि भारत राष्ट्र शक्तिशाली है, इसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के हक में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और इनकी ताईद करता हूं। मुझे इंतिहाई खुशी है और मैं इस बात के लिए यू.पी.ए. की सरकार को मुबारकबाद दूंगा कि हमारी यू.पी.ए. की सरकार जब से आई, तब से हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर के हालात बहुत साजगार हैं, और बहुत अच्छे हालात बनाए हैं। मैं इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं उन्हें भी मुबारकवाद दूंगा, जिन्होंने अपनी जानें देकर कुर्बानियां दीं। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं - चाहे वह सी.आर.पी.एफ., जे.के.पी., आर्म्ड पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इन्होंने हमारी स्टेट के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, इनके लिए मैं कह सकता हूं कि हमें इस बात का फख्र है और मैं उन्हें इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे यहां जो एस.पी.ओज, बी.डी.सी. और डी.डी.सी. बनी है, इसमें वहां 425 नौजवानों ने जानें दीं। वालंट्री फोर्स में एडोप्ट किया, उन्हें सिर्फ

ऑनरेरियम दिया जाता है। हमारी सरकार ने 1500 रुपए से 3100 रुपए किए, लेकिन बी.डी.सी. को कुछ नहीं मिलता। बी.डी.सी. को एक एस.पी.ओ. दिया जाता है और चार नौजवानों में पैसा बांटा जाता है। एक आदमी को महीने का पांच सौ रुपया मिलता है, वह बहुत कम है। यह उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, जो देश के लिए जानें दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए आप तनख्वाहें एवं ऑनरेरियम नहीं बढ़ाएंगे, उन्हें अच्छी वर्दी, जूते एवं हथियार नहीं देंगे तो उन्हें इंसाफ कहां से मिलेगा? उन्हें इंसाफ की जरूरत है। वहां इस बात के लिए लोग बड़े परेशान हैं, खास कर एस.पी.ओज, बी.डी.सी. और डी.डी.सी. को कुछ नहीं मिला, जो हमारे दूरदराज पहाड़ों पर करते हैं।

महोदय, एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है और मैं इस तरफ गृह मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किसी भी लीडर एवं मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को यह अधिकार नहीं है कि वह पाकिस्तान जाए और वहां जाकर किसी पाकिस्तान के लीडर से एक घंटा कमरे के अंदर बात करे। इस बात का उसे हक नहीं है कि वह वहां जाकर जम्मू-काश्मीर का फैसला करेगा। उनको ऐसा हक नहीं है। उसकी क्या हिम्मत है कि वह वहां जाकर ऐसे बोले? उस दिन पहले जरदारी जी क्या बोल रहे थे और उनके साथ एक घंटा मीटिंग करने के बाद उल्टा बोलना शुरू हो गए। मैं कहना चाहूंगा कि यह गंभीर बात है। यह किसी को अधिकार नहीं है कि जम्मू-काश्मीर स्टेट का कोई भी उठ कर यह कहे कि हम इसकी करेंसी चेंज करवा देंगे और पाकिस्तान के हिस्से के साथ करेंसी बना देंगे। हमारे लोगों में कौन करेंसी चाहता है और इन लोगों को क्या अधिकार है? आप ऐसे बेवकूफ व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। उनकी हिम्मत कैसे हुई? मेरा आपसे यह सबमिशन है कि देश प्रायोरिटी है, इसके आगे किसी आदमी की प्रायोरिटी नहीं है। मुझे दुख लगता है, जब कई बार लोग कहते हैं कि हिन्दू और दूसरा कहता है मुस्लिम। मैं कहता हूं कि उन्हें लानत है और अगर हम लोग हिन्दू, मुसलमान बन कर चलेंगे तो कंट्री बर्बाद हो जाएगी। यही चीजें आप लोग कर रहे हो, सिर्फ लोगों का सपोर्ट लेने की खातिर लोग इतने छोटे हो जाते हैं और कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। वे लोग कंट्री को भूल जाते हैं, अच्छे-अच्छे लोग, जो अपने आपको प्रोग्रेसिव सोच का कहते हैं, वे भी हिन्दू-मुस्लिम में पहुंच जाते हैं, यह शर्म की बात है। मैं कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों को बंद करना चाहिए, इन्हें नोटिस करना चाहिए कि कोई किसी कास्ट या कौम को यहां रिप्रेजेंट नहीं करेगा और जो करेगा वह कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। आपको कानून बनाना ही चाहिए। यह गंभीर बात है।

सभापति महोदय, कई पाकिस्तानी जम्मू-काश्मीर में 60 वर्ष से बैठे हैं, तीन पीढ़ियां हो गई हैं। उनको क्या सजा है कि वे न एम.एल.ए. का वोट डाल सकते हैं, न सरपंच बन सकते हैं। उन्हें आई.ए.वाई. का मकान और बी.पी.एल. का राशन नहीं मिलता है, वे जिल्लत की जिन्दगी 60 वर्षों से जी रहे हैं। मुझे इस बात का अफसोस है, इसे कौन डिसाइड करेगा, यह मैं जानना चाहता हूं? भारत सरकार को इसमें रुचि लेनी चाहिए। जम्मू-काश्मीर की सरकार का कौन सा हिस्सा एवं अंग कहता है कि इन्हें एडोप्ट नहीं करना। मैं एम.पी. हूं, दो एम.पी. जम्मू सूबे से हैं। हम लोग और एम.एल.ए. कहते हैं कि इन्हें सेटल होने दें, कहीं से आवाज भी आ जाती है। पाक आकुपाइड के लोग आए, उन्हें जो चीजें मिलनी थीं, जो तयशुदा थीं, वे भी उन्हें नहीं मिल पाईं। हमें इस बात का अफसोस है कि 24 सीटें हमारी असेम्बली में हैं।

सभापति महोदय, सब लोग चाहते हैं कि पी.ओ.के. के लोग वहां आएं और अपने हित की बात करें। हमने एक और काम किया। हमारी जमीन पर हमने पाकिस्तान में मंगला डैम बनने दिया। हमारे लोगों की जमीनों पर मंगला डैम बन गया, लेकिन हमारे लोगों को अभी तक कंपैन्सेशन नहीं मिला। यह डैम पाकिस्तान में किस की परमीशन से बना जबकि वह डिस्प्यूटेड पार्ट है? वह हमारा ही हिस्सा है। पाकिस्तान ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसने हमारे पार्ट को ही इस्तेमाल कर लिया। हमारे लोगों को कुछ नहीं मिला।

जो हमारे जम्मू-कश्मीर में आए, जो इसी देश के लोग हैं, जिन्होंने बंटवारे के समय हिन्दुस्तान को एडॉप्ट किया, उन्हें आज तक कुछ नहीं मिला। उन्हें क्यों सजा दी जा रही है, उन्हें क्यों सैटल नहीं किया जा रहा है? हमारे छम्ब-जोरियां के लोगों को वर्ष 1971 की लड़ाई में वापस बुलाया गया, लेकिन उनकी 37 हजार कनाल जमीन पाकिस्तान को दे दी गई। उसके बदले आज तक उन काश्तकारों को जमीन नहीं मिली। वे लोग आज तक हैबीटेट नहीं किए गए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मसले हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कोई आदमी अपनी आइडेंटिटी दिखाना चाहता है और जिसकी आईडेंटिटी लुट रही है, चाहे वैस्ट पाकिस्तानी हों, जिन्हें हम इंडियन नहीं बना पाए, चाहे वे पी.ओ.के. के आदमी हों, या छम्ब के लोग हों, किसी को कुछ नहीं मिला।

[चौधरी लाल सिंह]

महोदय, आज मैडम सोनिया जी भी यहां बैठी हुई हैं। मेरी सब्मीशन है और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इन गरीबों पर मेहरबानी करो। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि यह गुनाह है। किसी की परवाह किए बगैर, दुनिया आपके साथ है। लोग आपके साथ हैं। वहां भी सरकार हमारी पार्टी की और यहां भी हमारी पार्टी की सरकार है। अगर अब भी हमारे लोग सैटल नहीं होंगे, तो कब होंगे? मेरी यही सब्मीशन है।

महोदय, लास्ट में, मैं यह कहूंगा कि यू.एन. एड्स की इतनी हिम्मत कैसे बन गई कि उन्होंने हमारे जम्मू-कश्मीर के भाग को हिन्दुस्तान के नक्शे से काटा और अलग दर्शाया। अभी तक उन्होंने उस हिस्से को नहीं जोड़ा। किसी ने उसके लिए एक्शन नहीं लिया, किसी ने नहीं पूछा? मैं जानना चाहता हूं कि इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? यू.एन. एड्स की हिम्मत देखो कि वह जम्मू-कश्मीर को काटकर एक अलग कंट्री बना रहा है और हिन्दुस्तान को अलग कर रहा है। मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब वे इस बहस का उत्तर दें, तो इस बारे में जरूर बताएं।

महोदय, हमारे लोग गोवा में लड़ाई लड़ने गए थे। वे फ्रीडम फाइटर थे। उनमें से कुछ लोग मर गए और गोवा को आजाद कर के ही वापस आए। अभी तक जम्मू-कश्मीर में गोवा के नौ लोग बचे हैं। उन्हें अभी तक फ्रीडम फाइटर का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्हें फ्रीडम फाइटर का अधिकार नहीं दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये बी.ए.डी.पी. में रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बसोली, बिलावर, बनी, कठुआ का कंडी एरिया और किश्तवाड़ के बॉर्डर एरिया में भर्तियां नहीं की गईं। मुझे अफसोस है कि पूरे जम्मू-कश्मीर में कहीं-कहीं भर्तियां होती हैं, लेकिन जो एरिया मैंने बताए हैं, उनमें आज तक कभी भर्तियां नहीं हुईं और न ही कभी भर्ती करने की ख्वाहिश रहती है। मैं चाहता हूं कि आप एक्शन लें और इन एरियाज में भी भर्तियां कराएं।

सर, लास्ट में, मैं होम मिनिस्ट्री की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का सपोर्ट करता हूं। मैं आपके सहयोग के लिए खड़ा हूं।

[अनुवाद]

*श्री हितेन बर्मन (कूचबिहार): माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद, मैं गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वर्ष 2008-09 की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं और इस संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहता हूं। देश के विभाजन के साथ ही यहां आतंकवाद और उग्रवाद की समस्याएं शुरू हुईं। भारत और पाकिस्तान बनने के बाद से यह एक स्थायी समस्या हो गयी और देश का विभाजन करने वाले इसके लिए पूर्णतः जत्तरदायी हैं। हम उनके इस दुस्साहसिक कार्य का परिणाम भुगत रहे हैं। मैं पश्चिम बंगाल में भारत-बंगलादेश सीमा के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं। इस क्षेत्र में सड़के बनायी गई हैं, प्रतिकिलोमीटर की दूरी पर बी.एस.एफ. की चौकियां स्थापित की गयी हैं और बंगलादेश से घुसैपठ रोकने के लिए बाड़ लगायी गयी है। इस पर करोड़ों रुपये खर्च किये गए हैं। मैं समझता हूं कि सीमा क्षेत्र में कंटीली बाड़ लगाने की केन्द्र सरकार की नीति पूर्णतया अनुचित है। पश्चिम बंगाल की सीमा क्षेत्र 2200 किलोमीटर लम्बा है तथा बी.एस.एफ. और बाड़ लगाने पर काफी अधिक धनराशि व्यय करने से कोई फायदा नहीं हो सकता है। इससे ना तो इस क्षेत्र के लोगों को कोई लाभ हो रहा है और ना ही आतंकवाद को रोका जा सका है। देखा जा सकता है कि इस पूरे क्षेत्र में गेट लगाये गए है, बी.एस.एफ. कर्मी भी तैनात किये गए परन्तु तस्करी और अवैध व्यापार में कोई कमी नहीं आयी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही यह गतिविधि जारी है। आतंकवादी और घुसपैठिये आ रहे हैं और वे इस तरह देश में घुस नहीं सकते हैं। गेटों पर बी.एस.एफ. के जवान तैनात हैं जो कि तस्करों की मदद करते हैं। इस संबंध में कुछ भी नहीं किया गया है। मैं यह भली-भांति जानता हूं कि सीमा क्षेत्र में क्या हो रहा है क्योंकि मैं उसी क्षेत्र का हूं और लोगों के सामने आ रही समस्याओं से रोज दो-चार होता हूं। सायं 6.00 बजे के बाद बाजार खुलते हैं, उस समय कारोबार किया जाता है, रात में बी.एस.एफ. के जवानों की मिलीभगत से वस्तु और पशुओं की तस्करी की जाती है। यह वास्तविकता है। अतः इस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ायी जानी चाहिए। आज वहां के लोग बी.एस.एफ. कर्मियों को अपना मित्र नहीं बल्कि शत्रु मानते हैं क्योंकि सीमा से केवल 150 गज की दूरी पर भी वे अपनी भूमि

*मूलतः बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनकी कितनी दयनीय स्थिति है। जब कोई किसान अपने परिवार के साथ भूमि पर खेती करने के लिए गेट से बाहर जाता है तो उसे दिन में खाने के लिए घर आने की अनुमति नहीं है। स्थिति ऐसी है कि पीने के पानी की बोतलें भी गेट से बाहर फैंकी जाती हैं। किसान भूखे-प्यासे रहते हैं। वहां लोगों की यह दुर्दशा है। बी.एस.एफ. के जवानों द्वारा उनके प्रति अमानवीय व्यवहार किया जाता है और इसलिए उन्हें शत्रु समझा जाता है।

जहां तक सीमा सुरक्षा का संबंध है, केवल बी.एस.एफ. द्वारा गश्त लगाना पर्याप्त नहीं है। मैं समझता हूं कि बी.एस.एफ. के साथ स्थानीय लोगों और स्थानीय पुलिस को भी शामिल किया जाना चाहिए। वस्तुतः वहां स्थानीय लोगों, पुलिस और बी.एस.एफ. के बीच सहमति बननी चाहिए - उन्हें आतंकवाद और घुसपैठ की समस्या के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए अन्यथा कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि एक किलोमीटर की दूरी पर स्थापित किये गए इन गेटों को बंद कर दिया जाए।

पश्चिम बंगाल की लगभग 3 लाख एकड़ भूमि बंगलादेश के क्षेत्र में आती है। केन्द्र सरकार द्वारा किसानों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देकर यह भूमि अधिग्रहीत करनी चाहिए या कंटीली बाड़ को सीमा पर शून्य क्षेत्र में लगाना चाहिए ताकि सीमा को सील किया जा सके। तभी इस समस्या का समाधान किया जा सकेगा और यह मेरा प्रस्ताव है।

उत्तरी बंगाल के छह जिले आतंकवाद से ग्रस्त हैं। वहां एक ओर तो नेपाल के माओवादियों का खतरा है और दूसरी ओर असम के उल्फा उग्रवादियों का खतरा है। इसके साथ ही, उत्तरी बंगाल के कूचबिहार में के.एल.ओ. से भी सुरक्षा को खतरा है। यह राज्य की ज्वलंत समस्या है। माओवादी सिलीगुड़ी में अपना ठिकाना बना रहे हैं। और भूटान ऑपरेशन के बाद के.एल.ओ. ने बंगलादेश से संरक्षण मांगा है। इस समस्या से बचने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल विशेषकर उत्तरी बंगाल की सुरक्षा की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मैं एक अन्य समस्या का भी उल्लेख करना चाहूंगा। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए भारत और बंगलादेश के बीच 'छितिमहल' के आदान-प्रदान को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में बहुत सी संधियां की गयी परन्तु उनमें से किसी को भी मूर्त रूप प्रदान नहीं किया गया। इसीलिए एक तरफ तो आतंकवादी स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। अतः इस संबंध में शीघ्रतापूर्वक कुछ किया जाना चाहिए।

सीमा क्षेत्र विकास निधि का उचित निरीक्षण किया जाना चाहिए ताकि सीमा क्षेत्र में धनराशि का समुचित उपयोग हो पाए। इस निधि में धनराशि का आबंटन भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि सीमा क्षेत्रों का विकास किया जा सके। सरकार से मेरी यही पुरजोर अपील है।

सभापति महोदय: यदि आप बोलते रहेंगे तो कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री मणि चारेनामै।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल न किया जाए। केवल श्री चारेनामै का भाषण ही कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: श्री चारेनामै, क्या आप बोल रहे है?

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): महोदय, आपका धन्यवाद। मैं, अपनी मुख्य बात कहने से पूर्व मैं हमारे माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने वर्ष 2006 में मणिपुर में जातीय हिंसा का शिकार हुए लोगों के लिए राहत पैकेज जारी किया है। इसके लिए 8.80 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। महोदय, मैं यहां यह याद दिलाना चाहता हूं कि मणिपुर में 700 से अधिक घरों के लिए राहत की मांग की गई है और यह मामला राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया है। मैं गृह मंत्री जी से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

वर्तमान में, मणिपुर के सुदूर स्थित चूड़ाचन्द्रपुर जिले में गंभीर स्थिति बनी हुई है। बांस पर फूल आने के कारण लंबे समय से भुखमरी और कुपोषण के चलते लगभग 20 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। यह एक बहुत गंभीर समस्या

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मणि चारेनामै]

है। अतः मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि मिजोरम में उग्रवाद की समस्या भी बांस पर फूल आने से ही शुरू हुई थी। बांस पर फूल आने की इस समस्या के कारण ही भुखमरी और अकाल पड़ा था। अतः यदि स्थिति को नियंत्रित नहीं किया जाता तो कल कुछ भी हो सकता है।

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। भारत सरकार और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के बीच बातचीत की गति बहुत धीमी है। इससे नागा लोग इस शांति प्रक्रिया में सफल होने के प्रति शंकित हो गए हैं। इन लंबे दस सालों में इसका शांतिपूर्ण समाधान न निकल पाने से नागा लोग, विशेषकर युवा वर्ग बहुत असंतुष्ट है। यह विलंब दोनों में से किसी भी पक्ष के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इससे लोगों के प्रति केन्द्र में विश्वास कम होता जा रहा है, जिससे अधिकाधिक युवा भूमिगत गतिविधियों में सम्मिलित होते जा रहे हैं। यदि यही स्थिति जारी रही तो शांति प्रक्रिया में सम्मिलित पक्षों में वार्ता की धीमी प्रगति के लिए आरोप-प्रत्यारोप का खेल शुरू हो जाएगा और अंततः केन्द्र दूसरे पक्षों पर इसका आरोप लगाकर शांति वार्ता से बाहर हो जाएगा। मैं इस प्रतिष्ठित सभा में एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि केन्द्र सरकार का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में नागा लोगों की पीड़ाओं को देखते हुए उनके साथ किए गए अन्याय का प्रतिकार कर शांति का एक अवसर प्रदान करने के बजाए नागाओं के भूमिगत समूहों विशेषकर, एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) को केवल बातचीत में उलझाए रखना है, तो मुझे डर है कि चाहे केन्द्र सभी नागा अतिवादी समूहों का सफाया ही क्यों न कर दे वहां आने वाले वर्षों में वास्तविक शांति की वापसी नहीं हो सकती। नागा लोगों को शांति मिलनी चाहिए; उनकी मांग उचित है और उनकी एकीकरण या एक ही प्रशासन के अंतर्गत रहने की मांग असंवैधानिक नहीं है। यह मांग गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है। ऐसा इस देश के सभी राज्यों में हुआ है। राज्यों का गठन भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर किया गया है। सभी नागाओं का इतिहास सांझा हैं। उनकी संस्कृति और परंपरा सांझी है। उनकी मांग पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सं.प्र.ग. सरकार का कार्यकाल भी समाप्त होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से, शांति के लिए लड़ रहे नागाओं की पीड़ाओं को कम करने हेतु शांति प्रदान करने के लिए साहसपूर्ण कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): सभापति महोदय, सदन में गृह मंत्रालय की अनुदान मांगें, जो 29,800 करोड़ रुपये का व्यय करने वाली हैं, उन पर चर्चा चल रही है। मैं इन मांगों का समर्थन करती हूं और आपके माध्यम से कुछ बिन्दुओं की ओर गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। देश की एकता, अखंडता और सम्प्रभुता के लिए देश में आंतरिक सुरक्षा बहुत आवश्यक है। जब तक आंतरिक सुरक्षा ठीक नहीं होगी, तब तक हम बाहरी खतरे का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आंतरिक सुरक्षा से मेरा तात्पर्य है कि देश में जो 175 संगठन चल रहे हैं, वे माओवादी हों, आतंकवादी हों, नक्सलवादी हों, वे हमारे देश की एकता को जार-जार करके खतरनाक स्थिति में लाने के लिए खड़े हुए हैं। सरकार जहां भारत निर्माण की बात करती है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि साठ साल की आजादी के बाद जब हमारी आंतरिक सुरक्षा खतरे में हो तब आप कौन से भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। इस सदन में कुछ लोगों ने गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर अपने विचार ठीक से रखे, मैं उनका समर्थन करती हूं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अलगाववाद की बात की। आप बंगलादेश से तीन करोड़ घुसपैठिए इस देश में ला चुके हैं, लेकिन एक लेखिका, एक साहित्यकार जो मुल्ला, मौलवी और कठमुल्लों के खिलाफ लिखती है, उसे आपकी सरकार शरण नहीं दे सकी और उसके खिलाफ इस सदन में लोग बोलने की हिमाकत करते हैं।...*(व्यवधान)* मैं इस सदन में बोलना चाहूंगी कि प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन जब-जब आतंकवादी पकड़ा जाता है, वह मुसलमान ही क्यों होता है, यह सरकार प्र प्रश्नवाचक चिन्ह है और सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह ने...*(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): यह गलत है।

श्रीमती करुणा शुक्ला: गलत नहीं है, कृष्णा जी, जो सच्चाई है, उसे स्वीकार कीजिए। उस समय आप सदन में नहीं थीं जब आर.एस.एस. को लोगों पर आरोप लग रहा था।...*(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा तीरथ: कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है, जातिवाद नहीं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती करुणा शुक्ला: मैं कह रही हूं कि मुसलमान आतंकवादी नहीं होते।...*(व्यवधान)* जिन्होंने जातिवाद की बात

शुरू की, अलगाववाद की बात जिन्होंने शुरू की, मुझे भी बोलने का अधिकार है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: जब दूसरे लोग आरोप लगाते हैं तब उस आरोप का जवाब देने का मुझे अधिकार है। ...*(व्यवधान)* छत्तीसगढ़ के आतंकवादी पश्चिम बंगाल से आए हैं और पश्चिम बंगाल से आकर एन.जी.ओ. के नाम पर काम कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री वहां जा चुके हैं। वे सलवा जुडुम को असफल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों ने नक्सलवाद के खिलाफ सलवा जुडुम आन्दोलन चलाया है जो शान्ति मार्च का आन्दोलन है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री जे.एम. आरुन रशीद (पेरियाकुलम): क्या आप इसे सिद्ध कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): सभा में यह क्या हो रहा है? क्या यह सही है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उन्हें बोलने दीजिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: मैं क्यों चुप रहूं। जब आप बोल रहे थे तब मैं सुन रही थी। सभापति महोदय, मैं कैसे बोल पाऊंगी। मुझे आपका संरक्षण चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन: वे किसी समुदाय विशेष के बारे में कैसे बोल सकती हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: मैं किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बोल रही हूं। जो सरकार की सच्चाई है, जो कड़वा सच है, उसे गृह मंत्री जी के सामने रख रही हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्रीमती करुणा शुक्ला के कथन के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: यदि मुझे डिस्टर्ब किया जाएगा, तो मैं बोल नहीं सकती।

महोदय, मैं किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही हूं। जिन्होंने भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, मैं उनको जवाब दे रही हूं। जो लोग बोलकर चले गए, वे यहां होते तो मुझसे तर्क करते। मैंने तस्लीमा नसरीन के बारे में जो कहा, उसमें क्या गलत कहा है। हमारी सरकार उनको शरण नहीं दे सकी। बांग्लादेश से आए हुए तीन करोड़ लोग देश में हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्रीमती करुणा शुक्ला के भाषण के अलावा अन्य कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: जिन लोगों ने पहले भाषण दिए, वे भी सब्जेक्ट पर नहीं बोल रहे थे। किस-किस ने क्या-क्या कहा, मैंने सभी की बातें सुनी हैं।

मैं यह बात इसलिए कह रही हूं कि आंतरिक सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए हौसला चाहिए, ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए। गृहमंत्री जी बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। वह जब यहां स्पीकर के पद पर थे, मैं विधायक हुआ करती थी। मैंने बहुत बार आपको सुना है और बहुत बार आपके साथ बैठी हूं। मैं आपका सम्मान करती हूं। इनकी नीयत पर संदेह नहीं है, लेकिन इनकी इच्छाशक्ति पर अवश्य संदेह है। दृढ़ इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति ही गृहमंत्री के पद को संभाले तो ठीक रहेगा। आपकी इच्छाशक्ति में कमी आ गयी है। अगर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती करुणा शुक्ला]

अलगाववाद की बात करेंगे, तो कैसे चलेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पोरबंदर से लेकर सिल्चर तक भारत एक है। इसलिए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों द्वारा ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। भारत के किसी कोने में रहने वाले लोग अगर देश के दूसरे प्रदेशों में जाएंगे और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अलगाववाद की बात करें तो उचित नहीं होगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: महोदय, मैं अपनी बात कैसे कंप्लीट करूं, मैंने अभी तो बोलना शुरू किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप इसका उत्तर देने में अपना समय क्यों नष्ट कर रहे हैं। आप उनकी बात मत सुनिए।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला: आप इन लोगों को बोलने से रोकिए। अगर ये लोग ऐसे बोलते रहेंगे तो मैं कैसे बोलूंगी।

सभापति महोदय, अगर अलगाववाद की बात करेंगे तो जिस तरह आज नक्सलवाद और माओवाद हैं, आने वाले समय में अलगाववाद भी एक समस्या बन जाएगी। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अगर यह कहें कि पाकिस्तान की करेंसी उस प्रदेश में चलनी चाहिए तो यह सरकार के लिए चिन्ता का विषय होना चाहिए। गृहमंत्री जी आपने नक्सलवाद को बहुत पास से देखा है। आपने नक्सलवाद से लड़ने के लिए राज्यों को संसाधन भी उपलब्ध कराए हैं, लेकिन केन्द्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय नहीं है। पैसे देने से ही आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। आप पैसे देते हैं, साधन देते हैं, लेकिन उनका हौसला कौन बढ़ाएगा। नक्सलवाद से लड़ने में राज्यों का हौसला तब बढ़ेगा जब आप बस्तर और दांतेवाड़ा में जाकर उनके साथ रहकर देखेंगे कि वे किन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। एक विषय यह है कि ऐसे क्षेत्रों में विकास नहीं हुआ है, वहां अन्य काम नहीं हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि नक्सलवाद का, आतंकवाद का विकास से, सामाजिक समरसता से कोई संबंध नहीं है। वे कुछ लक्ष्यहीन लोग हैं, जो देश में भय का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। हमारी एन.डी.ए. सरकार ने पोटा कानून बनाया था, लेकिन आपने पोटा कानून को समाप्त करके उनका हौसला बढ़ाया है। मैं गृहमंत्री जी से यही कहूंगी कि "भय बिनु होय न प्रीति" अर्थात आप जब तक उनको भय नहीं दिखाएंगे, भय का वातावरण पैदा नहीं करेंगे तब तक आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद आदि का भय समाप्त नहीं हो सकेगा। जो लोग गलत काम करें उनको सजा मिलनी चाहिए।

इसी के साथ मैं अनुदानों की इन मांगों का समर्थन करती हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रालय की वर्ष 2008-09 की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। अनुदानों की मांगों का समर्थन करते हुए मैं देश की आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था की समान स्थिति पर मेरी कुछ विनम्र टिप्पणियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

आंतरिक सुरक्षा की स्थिति से संबंधित वस्तुस्थिति प्रतिवेदन में यह ठीक ही इंगित किया गया है कि आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्मुख मुख्य चुनौतियां जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां तथा साम्प्रदायिक हिंसा है। जहां जम्मू और कश्मीर की स्थिति लगातार सुधरती जा रही है, वहीं असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के मणिपुर में समग्र स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित हूं और इस दृष्टिकोण से मैं इस प्रतिष्ठित सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि देश के उस भाग में आतंकवाद विरोधी कार्यवाहियों में वृद्धि हुई है तथा इन कार्यवाहियों में आतंकवाद के विरोध के नाम पर बहुत सी हत्याएं की जा रही हैं। उग्रवादियों के साथ-साथ नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की हत्याएं हो रही हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उस क्षेत्र में मुख्य प्रश्न यह है कि इंसान ही इस प्रकार इंसानों की हत्याएं क्यों कर रहे हैं?

महोदय, मणिपुर बड़े पैमाने पर जातिय आधार पर

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बंटे उग्रवादी संगठनों की आतंकवादी गतिविधियों से लगातार प्रभावित हो रहा है। यह इस तथ्य के बावजूद भी हो रहा है कि एक बहुत अप्रचलित अधिनियम, सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम, उस क्षेत्र में अभी भी लागू है। अतः मैं पुनः इस सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इस अधिनियम विशेष से उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से आतंकवाद को कम करने में मदद नहीं मिल रही है।

सभापति महोदय: अब आपको अपना भाषण समाप्त करना पड़ेगा।

डा. टोकचोम मैन्या: महोदय, आपको मुझे थोड़ा समय और देना पड़ेगा। मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी केन्द्र सरकार ने न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। उस समिति ने इस अधिनियम विशेष के सभी पहलुओं व उनके प्रभावों का अध्ययन करने के पश्चात इस सब अधिनियम को निरमित करने की सिफारिश की है। मैं इसका समर्थन करता हूं। अब सरकार को यह रिपोर्ट विशेष मिल गई है और मैं माननीय गृह मंत्री जी और केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इन सिफारिशों पर ध्यान दें और इस अधिनियम को निरस्त करें...*(व्यवधान)* लोग सुरक्षा संबंधी इन समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। इस मामले पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय तथा मंत्रिमण्डल सचिव के स्तर पर चर्चा की जा रही है। शिमला में पिछली बार हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मणिपुर को देश में सर्वाधिक संकटग्रस्त राज्य माना गया है। निश्चित रूप से हम भी इससे सहमत हैं कि हमारे यहां आतंकवाद, कानून और व्यवस्था, अवैध वसूली, हत्याओं तथा विभिन्न कारणों से सरकार द्वारा धन व्यय करने में समर्थ न होना जैसी समस्याएं हैं। माननीय सदस्यों को इस बात से उकताहट हो सकती है कि मैं बार-बार इस सभा में उन्हीं मुद्दों को दोहराता हूं, परंतु यह भी सत्य है कि उस राज्य के लोग इन समस्याओं से बुरी तरह प्रभावित हैं। मुझे डर है कि राज्य की स्थिति नियंत्रण से बाहर न हो जाए। मणिपुर राज्य में कानून विहीनता की स्थिति पैदा होती जा रही है और आतंकवादी समूह तबाही मचा रहे हैं। वे चिकित्सकों को डरा रहे हैं, महिलाओं और हिन्दी-भाषी प्रवासी मजदूरों सहित सरकारी कर्मचारियों को मार रहे हैं तथा मंदिरों से भी अवैध वसूली कर रहे हैं।

सायं 6.57 बजे

[श्रीमती कृष्णा तीरथ *पीठासीन हुईं*]

सभापति महोदया: यदि आपके पास लिखित भाषण है, तो आप उसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

डा. टोकचोम मैन्या: महोदया, मैं केवल मुख्य बातों का ही उल्लेख कर रहा हूं।

महोदया, हम मणिपुर में ऐसी स्थिति को नहीं बने रहने दे सकते। मैं एक बहुत रोचक घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। एक बहुत परेशान कर देने वाला तथा असहनीय प्रश्न यह है कि कैसे भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ कोई व्यक्ति गंभीरतापूर्वक भ्रष्टाचार से अलग कैसे हो सकता है? अवैध वसूली करने वालों से हाथ मिलाने वाले कानून के रक्षक कैसे अवैध वसूली को रोकने में रुचि ले सकते हैं? ऐसे बेईमान ठेकेदार और व्यवसायी गैर-कानूनी तरीके से फायदा उठाये बिना कैसे रह सकते हैं जिन्हें इस बात की पूरी जानकारी है कि नियम बनाने वालों को रिश्वत दी जा सकती है? इस समय मौजूदा स्थिति यही है। हर तरफ सांठ-गांठ का बोलबाला है। बल्कि यह एक चक्र है। एक व्यक्ति दूसरे के पीछे भाग रहा है परंतु कोई किसी को पकड़ नहीं रहा है। यही पूरी समस्या है।

महोदया, मुझे माननीय गृहमंत्री को एक सुझाव देना है। देश में विशेषकर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्रों में भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। एकमात्र समस्या यह है कि इन सुरक्षाकर्मियों को कस्बों और छोटे कस्बों में रखा जाता है। मेरा सुझाव है कि इन्हें सीमा पर सुदूर क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिए। अब यदि यह कार्य किया जाता है और यदि वे बीमार पड़ते हैं तो वहां उस स्थान पर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा; और ऐसे स्थानों तक उनके परिवहन हेतु सड़कें बनाई जाएंगी।

सायं 7.00 बजे

यदि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो वे खेती करेंगे। यदि उनके लिए जलापूर्ति की सुविधा नहीं है तो वे जलापूर्ति योजना बनाएंगे। यदि उनके पास विद्युत आपूर्ति की सुविधा नहीं है तो वे विद्युत आपूर्ति के लिए योजना बनाएंगे। इस प्रकार, उस क्षेत्र तक सभ्यता पहुंचेगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अभावग्रस्त लोगों के वंचित वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। चूंकि हम सब छोटे कस्बों तक सीमित हैं

[डा. टोकचोम मैन्या]

इसलिए सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास नहीं हो रहा है। यह वास्तव में एक अति गंभीर समस्या है। एक बार सेवा अथवा सुरक्षा कर्मियों को वहां तैनात कर दिया गया तो शायद इन समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। मैं अनेक बातें विशेषरूप से विपक्ष के सदस्यों द्वारा कही गई बातों का खंडन करना चाहूंगा। परंतु चूंकि समय कम है इसलिए मैं इन सब बातों को गंभीरता से नहीं लेता हूं।

मणिपुर और त्रिपुरा रजवाड़े थे और वर्ष 1949 में इनका संघीय भारत में विलय कर दिया गया था। भारत में विलय करते समय हमारी सुस्पष्ट भौगोलिक सीमाएं थी। मणिपुर और त्रिपुरा स्वतंत्र राज्य थे। इसलिए हम अपनी प्रादेशिक अखंडता के साथ कोई समझौता बरदाश्त नहीं कर सकते।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय से इसकी जांच करने का आग्रह करता हूं और अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री टी.के. हमजा (मंजेरी): महोदया, मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा करते समय अपने देश में स्थिति अर्थात् आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं का विश्लेषण करना न्यायसंगत और उचित है। निसंदेह, संबद्ध राज्य द्वारा कानून और व्यवस्था को बनाए रखना होता है परंतु हमें देश में आंतरिक सुरक्षा के व्यापक पहलुओं पर दृष्टि डालनी होगी। दिल्ली शहर में भी अपहरण, सेंधमारी, सामूहिक बलात्कार, डकैती और महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं होती हैं। हम गुड़गांव और नोएडा की घटनाओं को नहीं भूल सकते।

हम देखते हैं कि नक्सली अत्याचार दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। उन्हें भारी मात्रा में धन, हथियार और गोलाबारूद मिलते हैं। उन्हें ये सब कहां से मिल रहा है? जो इनकी आपूर्ति कर रहा है हम उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हम सीमावर्ती राज्यों में जनजातियों की समस्याओं का भी सामना कर रहे हैं। कभी-कभी उन्हें आत्मरक्षा के लिए हथियार लेकर चलने की अनुमति दी जाती है परंतु कई बार वे नक्सलवादियों के साथ जुड़ जाते हैं।

सभापति महोदय: आपके पास लिखित पत्र है। आप इसे सभापटल पर रख सकते हैं क्योंकि आपके दल का समय समाप्त हो गया है।

श्री टी.के. हमजा: बांगलादेश जैसे पड़ोसी देश से लोग हमारे सीमावर्ती रज्यों से देश में घुसपैठ कर रहे हैं। वे नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं। कभी-कभी हथियार और गोलाबारूद की भी तस्करी की जाती है। इसी तरह से आतंकवाद भी बढ़ रहा है।

जब हम अपने देश की वास्तविक तस्वीर देखते हैं तो पाते हैं सांप्रदायिक हिंसा में भी वृद्धि हो रही है। उड़ीसा, गुजरात और बिहार में ईसाइयों पर हुए हमले को याद कीजिए। पूजा स्थलों और संपत्तियों को नष्ट किया जा रहा है और हत्या का भी समाचार मिला है। ननों पर अत्याचार की घटना हुई थी।

वर्ष 2005 में हमने सुना कि सरकार सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कानून लाने वाली है। सांप्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक 2005 का अधिनियम संप्रग सरकार की न्यूनतम साझा कार्यक्रम की नीति थी। चार वर्ष बीत चुके हैं परंतु संप्रग सरकार द्वारा इस विधेयक को अब तक संसद में पुर:स्थापित नहीं किया गया है।

तिब्बत के लोग यहां पर शरणार्थियों के तौर पर रह सकते हैं परंतु हम उन्हें समस्याएं उत्पन्न करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? वे यहां पर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्हें नियंत्रित किया जाए।

मुझे स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन के बारे में कुछ कहना है। स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या इस समय देश में बहुत कम है। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिल रही है परंतु स्वतंत्रता सेनानियों के एक वर्ग को यह लाभ इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनका नाम भारत सरकार की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, वे केरल के पुन्नापारा, वयलार, करूवल्लूर और कांबुई और आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित थे। केरल सरकार स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित रहे व्यक्तियों को पेंशन दे रही है परंतु भारत सरकार इसकी अनुमति नहीं दे रही है। अत: मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर पुनर्विचार किया जाए।

मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): सभापति महोदय, हम

गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कर रहे हैं। शांति और सद्भाव एक सशक्त एवं संपन्न राष्ट्र के विकास और निर्माण के लिए आवश्यक पूर्व शर्तें हैं। इस प्रयोजन के लिए, मंत्रालय में बजट आबंटन में वृद्धि की है। इन चार या पांच वर्षों में 71.89 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस मंत्रालय को अन्य मंत्रालयों की तुलना में अधिक आबंटन किया गया है। वर्ष 2004-05 में बजट आबंटन 17,384.04 करोड़ रुपए था। वर्ष 2008-09 में यह 29,820.99 करोड़ रु. था जो 71.89 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

यह मंत्रालय अपने दस अनुदानों में से अनुदान संख्या 51, 53 और 54 के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। इसे भी बढ़ाकर वर्ष 2008-09 के लिए 23,700 करोड़ रु. कर दिया गया था जो कि लगभग 3000 करोड़ रुपये की वृद्धि थी। अतः, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हम कल्याणकारी राज्य से पुलिस राज्य की दिशा में बढ़ रहे हैं। परंतु मैं समझता हूं कि यह सरकार की बाध्यता है और इसीलिए वह बाजार आबंटन में वृद्धि कर रही है।

यह सरकार आंतरिक सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति को नियंत्रित करने में बुरी तरह असफल रही है जोकि इस मंत्रालय की मुख्य जिम्मेदारी है। आंतरिक सुरक्षा की मुख्य चुनौतियां जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के अन्य भागों में आतंकवादी हिंसा, नक्सलवाद, सांप्रदायिक हिंसा आदि पर केंद्रित कानून और व्यवस्था की हैं। भारत में इस समय जो हो रहा है वह गंभीर चिंता का कारण है। नक्सलवाद, विद्रोह और आतंकवाद के कारण भारत को खतरा उत्पन्न हो गया है। इसका अर्थ है कि आतंकवादी कहीं भी, किसी भी समय और किसी को भी निशाना बना सकते हैं। यह तो बुरा है बल्कि जिस तरह से हम इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं वह बदतर है। इससे सरकार की कानून और व्यवस्थ बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा के मामलों में सरकार की असफलता और कमजोरी सामने आ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार की कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। मैं इस संबंध में केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। दिनांक 14 अगस्त, 2005 को सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने भारतीय विमान का अपहरण करने के विरुद्ध निवारक के तौर पर कार्य करने के लिए सख्त नए उपायों को स्वीकृति दी थी। 15 अगस्त को माननीय प्रधान मंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने भाषण में सरकार के सख्त दृष्टिकोण की पुष्टि की परंतु सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। यान-हरण निवारण अधिनियम, 1982 में अब तक संशोधन नहीं किया गया है। इन तीन वर्षों के दौरान आवश्यक संशोधन करने का समय नहीं मिला, जिसके लिए उन्होंने तीन वर्ष पूर्व वायदा किया था। वे एक राजनैतिक रणनीति तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निराशा की बात यह है कि राजनैतिक परिणामों के भय के कारण इसके पास इसे निष्पादित करने की शक्ति नहीं है।

मैं आपको एक अन्य उदाहरण दे रहा हूं। यह सरकार और इसके सहयोगी दल इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, जिससे देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है...*(व्यवधान)*

इस सरकार की जम्मू और कश्मीर नीति के संबंध में देश पूरी तरह अंधेरे में है...*(व्यवधान)*

जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री जिन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था - और राज्य में जिनकी संयुक्त सरकार थी - और जो इस देश के पूर्व गृह मंत्री भी थे, की क्या मांग थी? श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व वाले पी.डी.पी. की क्या मांग है? उन्होंने कश्मीर में दोहरी मुद्रा के रूप में पाकिस्तानी मुद्रा के उपयोग की मांग की है, और यह भी कहा है कि जम्मू और कश्मीर में राज्यपाल को राज्य विधान मंडल द्वारा चुना जाए, कश्मीर में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा जैसी केन्द्रीय सेवाओं को चरणबद्ध ढंग से समाप्त कर दिया जाए और कश्मीर आदि में धारा 356 को समाप्त कर दिया जाए। मैं सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। उनके सहयोगी दल इन सब चीजों की मांग कर रहे हैं और वे पी.डी.पी. के समर्थन से राज्य में सरकार भी चला रहे हैं। इस सरकार की इस संबंध में क्या धारणा हैं? क्या वे पी.डी.पी. की मांग का समर्थन कर रहे हैं? श्री मुफ्ती मुहम्मद सईद ने यह भी कहा है कि वे माननीय प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे और यह मांग पूरी करने की अपनी इच्छा भी व्यक्त करेंगे। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि इन मांगों का वास्तव में क्या हुआ। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार और जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार उन आतंकवादियों के लिए सुरक्षित रास्ते पर विचार कर रही है जो पाकिस्तान-शासित कश्मीर से आए हैं। भारत सरकार की वास्तविक स्थिति क्या है? क्या केन्द्र सरकार इस मांग को मानने पर विचार कर रही है?

महोदया, पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भाग कुछ समय से विद्रोह की चपेट में हैं। अन्य सदस्यों ने भी इसका जिक्र किया है। वर्ष 2004 में इन घटनाओं की संख्या 1,234 थी

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

और 2007 में यह बढ़कर 1,489 हो गई है। इस प्रकार, इसमें कई गुना वृद्धि हुई है। पूर्वोत्तर में आम लोगों की मृत्यु की संख्या भी बढ़ी है। सदस्यों ने इसके बारे में उल्लेख किया है। त्रिपुरा के सी.पी.एम. मंत्री, जो यू.पी.ए. के सहयोगी है, ने भी इन गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के कारण त्याग-पत्र दे दिया है। असम और मणिपुर से भी कुछ आरोप सामने आ रहे हैं। इसलिए, यह पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों, मंत्रियों, मुख्य मंत्रियों पर इन आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है।

अतः, मैं भारत सरकार की वास्तविक नीति के बारे में जानकारी चाहता हूं कि क्या उच्च-स्तरीय जांच की जाएगी, या न्यायिक जांच की जाएगी या किसी अन्य प्रकार की जांच, जो आवश्यक हो, की जाएगी। अन्यथा, क्या इससे इस प्रकार का वातावरण तैयार नहीं होगा और हम इस आतंकवाद की समस्या का मुकाबला किस प्रकार करेंगे? यदि उच्च पदों पर आसीन लोग इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हैं, तो हमारे लिए इस आतंकवाद की समस्या का मुकाबला करना संभव नहीं होगा।

नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में सुरक्षा समस्या भी बहुत गंभीर है। उड़ीसा सरकार ने पुलिस बल और अन्य वस्तुओं के आधुनिकीकरण के लिए अधिक धनराशि की मांग की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मांग को स्वीकार कर रही है अथवा नहीं। सरकार नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिये क्या कर रही है, क्योंकि यह भी बढ़ रही है? नक्सलवाद-आधारित राज्यों में भी हताहतों की संख्या बढ़ रही है।

महोदया, अब मैं नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के बारे में बात करना चाहूंगा। नियंत्रक-महालेखा परीक्षक ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के संबंध में वर्ष 2007 के अपने प्रतिवेदन सं. 2 में और सीमा सुरक्षा बल के संबंध में पैरा 10.2 में और अपने सातवें और आठवें प्रतिवेदन में याचिका समिति के प्रतिवेदन और अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन में प्राक्कलन समिति की टिप्पणियों पर कुछ टिप्पणियां की है। सरकार ने इन सभी प्रतिवेदनों के संबंध में कोई प्रतिक्रिया नहीं की है या स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

अतः, मैं माननीय गृह मंत्री से इन सभी चीजों की जांच करने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि इस विभाग के मामलों के संबंध में गंभीर आरोप सामने आए हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इन सभी मामलों की जांच की जाए।

महोदया, अंत में, मैं महिलाओं पर अत्याचार और महिलाओं के अवैध व्यापार पर बात कहना चाहूंगा। इससे भी देश में काफी बढ़ोत्तरी हो रही है। इसके क्या कारण हैं? यह भी भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। यह कोई सामान्य कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। महिलाओं के अवैध व्यापार के मामलों में कई गुना वृद्धि हो रही है। भारत सरकार इस बारे में क्या सोचती है? महिलाओं के अवैध व्यापार के इन मामलों को नियंत्रित करने के लिए वे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं, जो इस देश में बड़ी संख्या में बढ़ रहे हैं।

अतः, मैं आशा करता हूं, सभी मोर्चों पर, हम धनराशि के उपयोग की अनुमति दे रहे हैं। इसलिए, धनराशि का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए और पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये आवश्यक सभी चीजें प्रदान करने के लिये सरकार को आगे आना चाहिए। हम उनकी सहायता करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आंतरिक सुरक्षा संबंधी स्थिति पत्र की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके अनुसार, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि समाज सेवा, अवसंरचना और सीमा सुरक्षा योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा शत प्रतिशत वित्त पोषण किया जाता है।

जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी भी जानते हैं, कि कच्छ और बनासकांठा जिलों को जोड़ते हुए कच्छ की सीमा बनाने वाली गधुली-हाजीपुर-जावडा-संतालपुर नामक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जो कि हमारे सुरक्षाकर्मियों के लिए बहुत लाभकारी है तथा इस सड़क का निर्माण गत 10 वर्षों से अधिक समय से अधूरा पड़ा हुआ है। मूल्य वृद्धि हमारे नियन्त्रण से बाहर हो गई है। अतः, माननीय गृह मंत्री जी से मेरा केवल यही अनुरोध है कि वह इस सड़क का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करें, जो कि हमारे सुरक्षा कर्मियों, सीमा सुरक्षा बल और 'ढोला वीरा स्थल', जो कि कच्छ सीमा पर प्राचीन विरासत स्थलों में से एक है, के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसका निर्माण हो जाता है, तो पर्यटक बहुत आसानी

से भुज से 'ढोलावीरा' जा सकते है। वर्तमान में, उन्हें यह दूरी तय करने में छह से अधिक घंटे लगते हैं। यदि इस सड़क का निर्माण हो जाता है तो पर्यटक भुज से 'ढोलावीरा' दो घंटे में पहुंच सकते हैं। 'गथुली-संतालपुर' सड़क का कार्य 10 वर्ष पहले आरंभ हुआ था और यह अभी तक अधूरा है। अतः, मैं माननीय गृह मंत्री से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

दूसरे मैं आंतरिक सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु प्रस्तावित पहल पर आता हूं। यह उल्लेख किया गया है:-

> "केन्द्र सरकार राज्यों के साथ समन्वय करती रहेगी और देश में आंतरिक सुरक्षा स्थिति की बारीकी से निगरानी करती रहेगी तथा देश में आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति की चुनौतियों और खतरों का सफलतापूर्वक समाधान करने संबंधी उनके प्रयासों और संसाधनों को समर्थन प्रदान करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी।"

गुजरात सरकार आतंकवाद का सामना कर रही है तथा सरकार ने एक विधेयक पारित किया है। गुजरात सरकार ने 2003 में गुजरात संगठित अपराध नियन्त्रण विधेयक, 2003 पारित किया था। इस विधेयक को 1 अप्रैल, 2003 को महामहिम भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। तत्पश्चात्, केन्द्र सरकार ने उसमें कुछ संशोधन का प्रस्तावित किये थे। गुजरात सरकार ने वर्ष 2004 में उस प्रस्तावित विधेयक को भी पारित कर दिया था। वर्ष 2004 से, यह विधेयक महामहिम भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहा है। स्वीकृति न दिए जाने के क्या कारण हैं? इस विधेयक को स्वीकृति क्यों प्रदान नहीं की गई है, जबकि इसी प्रकार के विधेयक कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी मौजूद हैं? अतः मैं माननीय गृह मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस विधेयक को तत्काल स्वीकृति प्रदान की जाए।

इसके पश्चात्, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विश्वास-निर्माण संबंधी उपायों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। इस पुस्तिका में इन उपायों का उल्लेख किया गया है। कई विश्वास निर्माण संबंधी उपाय आरंभ किए गए हैं जैसे: श्रीनगर-मुजफ्फराबाद बस सेवा, अमृतसर-लाहौर बस सेवा; अमृतसर-ननकाना साहिब बस सेवा; समझौता एक्सप्रैस, थार एक्सप्रैस; 40 वर्षों के पश्चात् मुनाबाव-खोखारापाड रेल संपर्क पुनः स्थापित किया जाना; पुंछ-रावलकोट बस सेवा आदि। भारत के पश्चिमी भाग और पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक नियमित स्टीमर सेवा थी, जो कि 1967 तक चालू रही। 1967 में इसे बंद कर दिया गया। अतः हमने भारत सरकार से करांची और अहमदाबाद के बीच सड़क संपर्क सेवा आरंभ करने का अनुरोध किया है जिसमें केवल 16 घंटे लगते हैं। करांची से यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान स्थित हैदराबाद आता है, उसके पश्चात् भी की होता हुआ सीमा पर पहुंचता है तो वह आसानी से भारत पहुंच सकता है। इसके लिए केवल 35 किमी. लंबे लुप्त-संपर्क का निर्माण करने की आवश्यकता है। यदि उस लुप्त-संपर्क को पूरा कर दिया जाता है, तो पूरे सिंध और गुजरात और महाराष्ट्र जैसे देश के पूरे पश्चिमी भाग को आपस में जोड़ा जा सकता है। अतः हमने सरकार से इस अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध किया है।

मेरा एक अनुरोध है और मैं माननीय गृह मंत्री से उस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। गुजरात सरकार ने वर्ष 2007-08 की अवधि के लिए 113 करोड रुपये के अनुदान का अनुरोध किया था, जिसमें से गुजरात सरकार को अनुदान के रूप में केवल 22 करोड़ रुपये प्राप्त हुए है। अभी भारत सरकार से 90.58 करोड़ रुपये से भी अधिक राशि प्राप्त होना शेष हैं, जिसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि अनुदान की शेष राशि शीघ्र जारी की जाए। मैं, माननीय गृह मंत्री जी से यह भी अनुरोध करता हूं कि वह गुजरात सरकार द्वारा पुनःनिर्माण, बाढ़ बचाव और नियन्त्रण तथा जल आपूर्ति हेतु 56 करोड़ रु. और विद्युत हेतु 150 करोड़ रु. आदि, इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं में लगने वाली दीर्घावधि लागत हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर भी शीघ्र विचार करें।

सभापति महोदय: यह सब लिखित में है। आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री पी.एस. गढ़वी: इन छह महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों हेतु अपेक्षित कुल 2284 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है। अंतः, मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि गुजरात सरकार के इन प्रस्तावों को यथा संभव शीघ्र अनुमोदित किया जाए। मैं भी इसे सभा पटल पर रखता हूं।

*महोदया, मैं वर्ष 2008-2009 हेतु गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

---

*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पी.एस. गढवी]

महोदया, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) गुजरात सरकार के अंतर्गत गधुली-हाजीपुर-जावड़ा-तंतालपुर (कच्छ-बनासकांठा जिलों को जोड़ने वाला 8 भागों में 151.71 कि.मी. क्षेत्र) को कवर करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा सड़क के निर्माण। सुधार हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

यह सड़क संपर्क कच्छ के विशाल क्षेत्र के सामने वाले क्षेत्र में पड़ता है तथा इससे हमारी सुरक्षा बलों को गतिशीलता और पहुंच में और सुधार होगा, जिससे उन्हें प्रभावी तरीके से चौकसी करने में सहायता मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल ढोलाविरा, जिसे अब हडप्पा काल का विरासत स्थल घोषित किया गया है और जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, को इस सड़क के निर्माण से कवर किया जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र के पर्यटन कार्यकलापों में काफी वृद्धि होगी।

वर्तमान में जिला मुख्यालय भुज से ढोलाविरा पहुंचने में छह घण्टे से अधिक समय लगता है, परन्तु यदि इस सड़क का निर्माण हो जाता है, तो पर्यटक भुज से ढोलाविरा दो घण्टे में पहुंच सकते हैं।

यह सड़क सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों जिनकी इस क्षेत्र में 30 से अधिक जांच चौकियां हैं, के लिए भी काफी उपयोगी होगी। इस सड़क के बिना सीमा सुरक्षा बल को अपना दैनिक राशन, पेयजल और अन्य आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने में काफी कठिनाई होती है।

यद्यपि इस सड़क के निर्माण को गृह विभाग द्वारा बी.ए.डी.पी. और अन्य योजनाओं के अंतर्गत 10 वर्ष पहले स्वीकृत किया गया था, परन्तु अभी तक 10% से अधिक कार्य नहीं हुआ है, अतः इस सड़क की निर्माण लागत में काफी वृद्धि हुई है। गुजरात सरकार द्वारा इस सड़क के निर्माण हेतु 127.11 करोड़ रुपये का संशोधित अनुमान भारत सरकार को भेज दिया गया है और मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अपने मंत्रालय के संबंधित प्राधिकारियों को इस सड़क के निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दें।

महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि गुजरात सरकार ने वर्ष 2007-08 की अवधि हेतु विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 113.39 करोड़ रु. के अनुदान की मांग की थी, जिसमें से गुजरात सरकार को केवल 22.80 करोड़ रु. प्रदान किए गए हैं। इसलिए अभी भी भारत सरकार से 90.58 करोड़ रु. की राशि प्रतीक्षित है, जिसके लिए मैं माननीय गृहमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस संबंध में उपयुक्त निदेश दें ताकि गुजरात सरकार को यथाशीघ्र शेष अनुदान जारी कर दिया जाए।

महोदया, गुजरात सरकार आतंकवाद और अन्य संगठित अपराध से लड़ रही है, और इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए, गुजरात राज्य विधान सभा ने वर्ष 2003 में 'गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक' नामक एक विधेयक पारित किया था, और जिसे गुजरात के महामहिम राज्यपाल द्वारा 1-4-2003 को भारत के राष्ट्रपति को अग्रेषित किया गया था।

महोदया, इसके उपरांत गृह मंत्रालय ने अपने दिनांक 24-12-2003 को पत्र द्वारा खण्ड 14 से 16 में कतिपय संशोधनों की सिफारिश की और तदनुसार गुजरात राज्य विधान सभा ने उक्त विधेयक में संशोधन किए और 19-4-2004 को उक्त विधेयक को पुनः महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा था तब से गुजरात राज्य विधान सभा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति अपेक्षित है।

महोदया, महाराष्ट्र और कर्नाटक द्वारा भी इसी प्रकार के विधेयक पारित किए गए थे और अन्य कई राज्यों में भी ऐसे कानून हैं।

इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे यह देखें कि विधेयक को यथाशीघ्र महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त हो।

महोदया, मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वह उन प्रस्तावों पर विचार करें जो निम्नलिखित महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों के पुनर्निर्माण, बाढ़ से बचाव, उसे कम करने में शामिल दीर्घगामी लागत हेतु गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए थे:

क्र. सं.	मद	राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	जल आपूर्ति	56.06 रु.
2.	विद्युत	1104.16 रु.

1	2	3
3.	सिंचाई	43.79 रु.
4.	स्वास्थ्य	98.73 रु.
5.	सड़क और भवन	557.68 रु.
6.	शहरी विकास और यू.एच.डी.	960.72 रु.

इसलिए इन छह महत्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों के लिए आवश्यक कुल राशि लगभग 2280.44 करोड़ रु. है।

इसलिए मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि गुजरात सरकार के इन प्रस्तावों को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जाए। मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे पड़ोसी देश अर्थात् पाकिस्तान के साथ हमारे तीन सड़क संपर्क मार्ग हैं अर्थात कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से। इसी प्रकार यह अत्यंत आवश्यक है कि दक्षिणी पाकिस्तान अर्थात सिंध की ओर से और पश्चिमी भारत अर्थात गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की ओर से भी सड़क संपर्क मार्ग बनाए जाएं। मैंने भारत सरकार से अनेक बार अनुरोध किया है कि कराची से अहमदाबाद [वाया हैदराबाद और मिट्ठी (पाकिस्तान) और खवादा, भुज (भारत)] को सीधे जोड़ने वाले सड़क मार्ग के प्रस्ताव पर विचार करे। इस मार्ग द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के लोग काफी लंबे समय से दोनों देशों के धार्मिक स्थलों की यात्रा करने की मांग कर रहे हैं। यहां पर मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में दलितों और सोढ़ा राजपूतों तथा अन्य लोगों के धार्मिक स्थल पाकिस्तान में हैं, जिन्हें पिथोरा पीठ और हिंगलाज माता के नाम से जाना जाता है और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय तथा मुस्लिमों के धार्मिक स्थल मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात् कच्छ जिले में हैं, जिनके नाम हैं- हाजीपीर मटाना - मढ़ और नारायण सरोवर एवं कोटेश्वर।

दूसरे, मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि वह पाकिस्तान से गुजरात में कच्छ की यात्रा करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वीजा औपचारिकताओं को सरल बनाने संबंधी काफी लंबे समय से की जा रही मांग पर विचार करें।

*डा. के.एस. मनोज (अल्लेपी): महोदया, मुझे गृह मंत्रालय का अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं, गृह मंत्रालय, जो कि देश की आंतरिक सुरक्षा की देखरेख करता है, की अनुदानों की मांगों पर चर्चा कराने के लिए सरकार को बधाई देता हूं।

पुलिस थाने, देश के लोगों के जीवन को सुरक्षा प्रदान करने की राज्य के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संप्रभु कार्य को करते हैं, यह मंत्रालय सी.सु. बल, भा.ति.सी.पु. के.रि.पु.ब. आदि के माध्यम से देश को सुरक्षा प्रदान करने और उग्रवादियों, अपराधियों और विदेशी ताकतों द्वारा प्रेरित आतंकवादियों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। देश की सुरक्षा करते हुए बहुत से पुलिस कर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 1989 से 2007 के दौरान लगभग 19000 पुलिस अधिकारियों ने अपनी जान गंवाई। कानून को लागू करने वाली एजेंसी से भी अधिक पुलिस एक बहु उद्देश्यीय जन सेवा है, जो स्टेशनों के वितरण के साथ-साथ सभी प्रकार के आपातकालीन कार्यों को भी देखती है। उन्हें अपना अत्यधिक सक्षम कार्य दवाब और तनाव में करना पड़ता है।

परन्तु, छठे वेतन आयोग की सिफारिशों की घोषणा के पश्चात सिपाही से लेकर भा.पु. से के वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी में भारी चिन्ता और असन्तोष व्याप्त है। उनका ऐसा मानना है कि वेतन आयोग ने उनके स्तर को कम किया है और इससे पूरे पुलिस बल का मनोबल गिरा है। मैं, सरकार से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। सरकार ने इस मामले पर विचार करने के लिए एक सचिव समिति का गठन किया है। मेरा सुझाव है कि इस मुद्दे पर एक मंत्री समूह ध्यान दे।

महोदया, पुलिस बल की संख्या में जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक वृद्धि होने के बावजूद पुलिस और जनसंख्या का अनुपात अभी भी 1:699 का है। राज्यों के पुलिस बल को कर्मियों की संख्या और उनकी दक्षता को बढ़ाकर सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। राज्यों के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु आवंटित 3740 करोड़ रुपये की धनराशि में से 1607 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस बल के लिए एक अल्पावधिक और दीर्घावधिक आधुनिकीकरण योजना होनी चाहिए।

वर्तमान पुलिस अधिनियम, 1861 काफी अप्रचलित है। इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। मॉडल पुलिस अधिनियम

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. के. एस. मनोज]

अभी मात्र प्रारूप ही है, इसमें अभी संशोधन नहीं किया गया है। पुलिस अधिनियम में पूर्ण रूप से संशोधन किया जाना चाहिए।

सामुदायिक पुलिस: पुलिस अपराध दर में वृद्धि और पुलिस बल की संख्या में अवरोधों को ध्यान में रखते हुए, सामुदायिक पुलिस का विचार एक आदर्श विचार है और इसे जहां भी लागू किया गया था, वहां इसे जनता की ओर से काफी सराहा गया है। इसने यहां तक कि आम आदमी में पुलिस की अवधारणा को भी परिवर्तित किया है। इससे छिटपुट अपराधों में भी कमी आई है। सामुदायिक पुलिस की अवधारणा को वैज्ञानिक ढंग से और अधिक पुलिस थानों में लागू किया जाना चाहिए।

पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों में सेवानिवृत रक्षा कर्मियों की भर्ती: रक्षा कर्मी काफी युवा आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यदि इन्हें राज्य पुलिस और अर्द्ध सैनिक बलों में रखा जाता है, तो पी.एम.एफ. को इससे अधिक प्रशिक्षित जनशक्ति प्राप्त होगी और प्रशिक्षण पर व्यय होने वाली राशि को बचाया जा सकेगा।

दिल्ली पुलिस में भर्ती: दिल्ली पुलिस बल गृह मंत्रालय का प्रशासनाधीन है। राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस बल होने के कारण रक्षा सेवाओं में भर्ती की समान दिल्ली पुलिस में लिए भर्ती देश के लगभग सभी राज्यों में की जाती थी। परन्तु अब इसे बंद कर दिया गया है। 1982 में जब दिल्ली में नौवें एशियाई खेल हुए थे, दिल्ली पुलिस में और अधिक कार्मिकों की भर्ती की गई थी। अंतिम भर्ती वर्ष 1990 में हुई थी। चूंकि इसे बंद कर दिया गया है, अतः दिल्ली पुलिस में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व नहीं है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि 2010 के आगामी राष्ट्रमण्डल खेलों को ध्यान में रखते हुए सी.आर.पी.एफ., सी.आई.एस.एफ., आई.टी.बी.पी. आदि की तरह ही राज्यों में भर्ती अभियान पुनः शुरू किया जाए।

ईसाई और अल्पसंख्यक संस्थानों पर आक्रमण: हाल ही में अल्पसंख्यक संस्थानों विशेषकर ईसाई गिरजाघरों और अल्पसंख्यक संस्थानों पर आक्रमण की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इससे देश के ईसाइयों में असुरक्षा की भावना और असंतोष पैदा हुआ है। सरकार को इन संस्थानों को जिन संस्थानों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं उन स्थानों पर विशेष संरक्षरण प्रदान करना चाहिए।

सीमा क्षेत्रों विशेषकर चीनी सीमा पर अवसंरचना की कमी: सीमा क्षेत्रों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं, परिवहन और संचार सुविधाओं, दोनों की कमी है। सरकार ने इनमें सुधार हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। सीमा सड़क संगठन वहां काफी निर्माण कार्य कर रहा है। परन्तु सीमा सड़क संगठन की जनशक्ति को बढ़ाया नहीं गया है। उन्हें अधिकाधिक कार्य सौंपे जाने के बावजूद, सीमा सड़क संगठन हेतु मानव संसाधन आयोजना की जानी चाहिए और वार्षिक प्रारूप भर्ती आयोजना (ए.डी.आर.पी.) के अनुसार भर्ती प्रतिबंध से सीमा सड़क संगठन और अन्य पुलिस बल को छूट प्रदान की जानी चाहिए।

आपदा प्रबंधन: सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया है और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अभी अपना कार्य प्रारंभ करना है। इसे बिना विलंब के कार्यरत किया जाए।

राज्यों को राष्ट्रीय आपदा सहायता: सरकार सी.आर.एफ./ एन.सी.सी.पी. से राष्ट्रीय आपदा के मामलों में राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रही है। परन्तु राज्यों को ये अनुदान जारी करने में अवांछित विलंब हो रहा है। प्रायः ये अनुदान केन्द्रीय दल के तत्स्थानिक दौरे के बाद स्वीकृत किए जाते हैं। परन्तु सामान्यतः इन समूहों के दौरे लंबित हो जाते हैं। हाल ही में केरल में धान की फसल और अन्य नकदी फसलों को अप्रत्याशित, बेमौसमी, मूसलाधार वर्षा के कारण काफी क्षति हुई थी। केरल के संसद सदस्यों ने इस मामले को संसद में उठाया था। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय और कृषि मंत्रालय को लिखा था। परन्तु केन्द्रीय दल ने केरल का दौरा दो सप्ताह बाद किया था। यह पता चला कि गृह मंत्रालय से दौरे के लिए नियुक्त अधिकारी छुट्टी पर थे। इस दल को उस अधिकारी विशेष के छुट्टी के बाद कार्यग्रहण करने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसलिए मैं गृह मंत्रालय को सुझाव देना चाहूंगा कि वह गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों से युक्त समूह का गठन करे और प्रभावित क्षेत्रों का तत्काल दौरा करे और इसके लिए एक समय-सीमा का निर्धारण किया जाए। नकद सहायता प्रदान करने हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों में संशोधन किया जाए।

महोदया, समुद्र तट पर होने वाला भू-कटाव भी एक प्राकृतिक आपदा है, जिसके कारण प्रत्येक वर्ष अनेक तटीय लोगों की जानें चली जाती हैं और जीवकोपार्जन खो जाता है। परन्तु सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. से वित्तीय सहायता

प्राप्त करने हेतु यह एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। सरकार ने 13वां वित्त आयोग नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय को 13वें वित्त आयोग को समुद्र से होने वाले भू-कटाव को प्राकृतिक आपदा के रूप में सम्मिलित करने की सिफारिश करनी चाहिए। विश्वभर में तापमान बढ़ने और समुद्र के बढ़ते जल स्तर को ध्यान में रखते हुए यह अत्यधिक जरूरी है।

स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन (एस.एस.एस.पी.): हमारी स्वतंत्रता की रजत जयंती मनाने के लिए 15 अगस्त, 1972 को स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एस.एस.एस.पी. प्रारंभ की गयी थी। अब हम अपनी स्वतंत्रता की हीरक जयंती मना रहे हैं। महोदया, पुन्नप्परा-व्यालर संघर्ष, कयवूट, करिवेकूट, कावूमबई, मोरजा, और मालाबार विशेष बल के स्वतंत्रता सैनानियों को एस.एस.एस.पी. प्रदान नहीं की गई। जिन लोगों ने इस संघर्ष में भाग लिया था और जिन्हें राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता सैनानी माना गया था उन्हें एस.एस.एस.पी. प्रदान की जानी चाहिए। स्वतंत्रता सैनानियों के आवेदनों की संवीक्षा करने के लिए एक राजनीतिक समिति का गठन किया जाना चाहिए और इस संबंध में और अधिक विलंब नहीं होना चाहिए।

पुलिस साक्ष्य अधिनियम का संशोधन: अनेक पुलिस थानों में विभिन्न मामलों पकड़े गए वाहनों की संख्या बढ़ रही है और उन्हें साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। ये यहां जंग खाते रहेंगे और सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस अधिनियम में संशोधन करें ताकि साक्ष्य लेने के उपरांत इन वाहनों को इनके मालिकों को वापस किया जा सके। मेट्रो रेल के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए: आतंकवादियों की धमकियों और हमला होने की स्थिति में होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण मेट्रो रेल स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए और मेट्रो स्टेशनों पर सामान सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिएं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदया: अब माननीय गृह मंत्री उत्तर देंगे।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटिल): सभापति महोदया, आज की इस चर्चा में जिन सम्माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया है, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं और उनका अभिनन्दन भी करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाये हैं और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर बहुत गहराई में जाकर सोचकर हमें कदम उठाने हैं, हमने उठाये भी हैं और उसके अलावा उसमें यदि ज्यादा कुछ करना होगा तो हमें वह भी हमें करना पड़ेगा। हमने इस चर्चा के उपयोग के लिए कुछ पुस्तिकाएं तैयार की थीं, जो सदस्यों के हाथों में दे दी गई हैं और इन पुस्तिकाओं में बहुत ही संक्षेप में आज की जो हमारी सुरक्षा की स्थिति है, उस पर प्रकाश डाला गया है। हमारी जो वार्षिक रिपोर्ट है, उसमें भी बहुत सारी बातें बताई गई हैं और बजट के संबंध में जो कागज-पत्र सारे सदस्यों को दिये गये हैं, उनमें भी बहुत सारी बातें हैं, जिनके बारे में यहां पर चर्चा हुई है। मैं सारे सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा कि इन सारी पुस्तिकाओं का और रिपोर्ट्स का उपयोग करे, चूंकि आज जो प्रश्न यहां उठाये गये हैं, उनके उत्तर भी उसमें से ही मिल जायेंगे। पिछले चार सालों से हम सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं और सुरक्षा पर जितनी चर्चा इस सदन में और दूसरे सदन में हुई है, उतनी चर्चा शायद दूसरे किसी विषय पर नहीं हुई है। इन सारी चर्चाओं में आज जो बहुत सारे मुद्दे उठाये गये हैं, उनका भी उल्लेख किया गया था और एक-एक मुद्दे और एक-एक नुक्ते पर चर्चा हुई है। इसलिए आज मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहूंगा कि सारे मुद्दों पर मुझे जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। अभी साढ़े सात बज रहे हैं और इन सारे मुद्दों का जवाब सदन में देना मैं थोड़ा मुश्किल काम समझता हूं।

हमें एक बात रखनी है और वह यह है और कुछ सदस्यों ने यहां पर वह बात बताई भी है कि गृह मंत्रालय का काम केवल सुरक्षा का काम नहीं है। कुछ सम्माननीय सदस्यों ने बड़े सही ढंग से कहा कि सुरक्षा का काम एक काम है। गृह मंत्रालय को जो बहुत सारे काम करने हैं, उनमें एक काम सुरक्षा का काम है। जितने काम हमें इस मंत्रालय के द्वारा करने हैं, उनका उल्लेख भी उपलब्ध समय में करना मुश्किल है। तीन अहम काम जो इस मंत्रालय को करने पड़ते हैं, वे इस प्रकार के हैं। केन्द्र और प्रांतों के संबंध अच्छे रखने का काम गृह मंत्रालय को करना पड़ता है। गृह मंत्रालय देखता है कि जो भी सरकारें चलाई जा रही हैं, वे संविधान के मुताबिक चलाई जा रही हैं या नहीं। संविधान के मुताबिक चलाई जा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं चलाई जा रही हैं तो उनको दुरुस्त करने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल ही संविधान के खिलाफ काम हो रहा है तो उस सरकार को चेतावनी दी जाती है और उस सरकार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। यह काम बहुत ही अहम है और शायद इसी काम

[श्री शिवराज वि. पाटिल]

के लिए इस मंत्रालय को गृह मंत्रालय का नाम दिया गया है, आंतरिक सुरक्षा के लिए और कानून व्यवस्था के लिए इस मंत्रालय को गृह मंत्रालय का नाम नहीं दिया गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस काम में हम लोगों को बहुत सुविधा प्राप्त हुई है और यह काम हम आसानी से और अच्छे ढंग से कर सके। यह काम आसानी से और अच्छे ढंगसे हो सका है, वह सिर्फ हम यहां से जो करते हैं, उसकी वजह से नहीं है, मगर प्रांत की सरकारों ने जो रवैया अपनाया, उसकी वजह से यह भी हुआ है। किसी भी पक्ष की कोई भी सरकार प्रांत में हो, उनके साथ बातचीत करने में या उनके सुझाव मंगाने में या उनको सुझाव देने में और एक प्रकार से काम उनकी तरफ से हो, हमें यह बताने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इसका कारण यह है कि बड़ी खुशकिस्मती है कि प्रांतों की सारी सरकारों ने सही रवैया इसके संबंध में अपनाया हुआ है। जो कुछ भी हुआ है, वह बहुत अच्छा है, ऐसा मैं मानकर चलता हूं। यहां कभी-कभी हम सुनते हैं, सम्माननीय सदस्य उठकर लोगों पर टीका टिप्पणी करते हैं, नाराजगी व्यक्त करते हैं, कड़ी जबान में हम पर वार करते हैं मगर उनकी सरकार, उनके मुख्य मंत्री इस प्रकार की बात कभी नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। यह जानने के बाद वे समझते हैं कि किस मर्यादा में काम किया जा रहा है, कहां तक मांगें की जाएं और किस प्रकार से जो कुछ किया गया है, उसकी ओर देखा जाए। इसीलिए सारे प्रांतों की सरकारों की वजह से हमें कोई शिकायत नहीं आई, मगर कुछ सम्माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, उनकी तरफ से हमें शिकायतें जरूर सुनने को मिली हैं। कभी-कभी बड़ी तीखी भाषा में शिकायतें सुनने को मिली है। उनका जो कर्तव्य है, वे करते हैं। उसके लिए हमें नाराज नहीं होना है और हम नाराज हो कर काम नहीं कर सकते हैं। यह काम और अच्छा हो, इसके लिए एक सरकारिया कमीशन पहले बैठाया गया था। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट बहुत अच्छी थी और उसकी बहुत सारी सिफारिशों पर कार्रवाई करके उन पर अमल भी किया गया। यह मांग हो रही थी कि और भी इस दृष्टि से विचार होना चाहिए। इसकी और गहराई में जाना चाहिए और समझना चाहिए कि जितना हम कर रहे हैं, उससे अच्छा क्या कर सकते हैं। इसके लिए, सैन्टर स्टेट रिलेशन लिए एक नया कमीशन अपॉइंट किया गया है और उस कमीशन की तरफ से रिपोर्ट आ जाएगी। किसी सम्माननीय सदस्य ने पूछा कि रिपोर्ट जल्दी क्यों नहीं आती। यह ऐसा काम नहीं है कि इसकी रिपोर्ट जल्दी से आपके हाथ में आ जाएगी।

सरकारिया कमीशन को भी बहुत दिन काम करना पड़ा था। इसके बारे में भी काम करना पड़ेगा। यहां जो लोग काम करते हैं, उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी। प्रांत में जो काम करते हैं, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। बाहर के लोग इस बारे में क्या समझते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और जिन्हें संविधान की अच्छी तरह से जानकारी है, वे लोग किस प्रकार से इस मामले में सोचते हैं, उनसे चर्चा करनी पड़ेगी और उसके आधार पर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। वह रिपोर्ट आएगी तो उसके ऊपर जरूर विचार किया जाएगा। सैंटर, स्टेट के रिलेशन अच्छे होने के लिए और कार्यवाही करने के लिए एक डेवेलपमेंट काउंसिल हमारे पास बनाई हुई है, जो पंडित जवाहर लाल जी ने बनाई थी और दूसरी उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल बनाई थी। बहुत सारी दूसरी कमेटियां हैं। हमारे कांस्टीट्यूशन में भी रीजनल चीफ मिनिस्टर्स की चर्चाएं होती हैं। गृह मंत्री अलग-अलग हिस्सों में जाकर वहां के मुख्य मंत्री से चर्चा करते हैं जो सवाल हैं, वे किस प्रकार से हल किए जा सकते हैं, कहां अड़चनें आ रही हैं, इस पर चर्चा करते हैं।

मुझे बड़ी नम्रता से सदन के सामने कहना है कि यह हिस्सा मेरी दृष्टि से गृह मंत्रालय का बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व है। इस दायित्व में अगर कोई गलती हो जाए तो शायद गृह मंत्रालय का काम ठीक से हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर इसमें यश प्राप्त हो, कामयाबी मिल जाए तो यह कहा जा सकता है कि यह काम आसानी से हुआ है। इस क्षेत्र में हमें काम करने में कम दिक्कत आई है। थोड़ी सी दिक्कत इधर-उधर जरूर आई है, मगर कम दिक्कत आई है और प्रांत की किसी भी सरकार से, चाहे वह किसी भी पक्ष की हो हमारे पास शिकायत के रूप में कोई चीज नहीं आई है, उन्होंने सुझाव के रूप में हमें बहुत सारी बातें बताईं।

दूसरा जो काम हमें गृह मंत्रालय के द्वारा करना है वह हमारे देश की सुरक्षा के बारे में है। मैंने बहुत दफा कहा है, इस सदन में प्रश्नों के उत्तर में कहा है। जब नक्सलवाद एवं आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा हुई और दूसरे विषयों में चर्चा हुई तो उस समय मैंने यह कहा कि हमारे संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था है कि कानून एवं व्यवस्था का काम केवल प्रांत की सरकार देख सकती है। स्टेट

लिस्ट में दिया हुआ जो पहला सब्जैक्ट है, वह लॉ एंड आर्डर का है और युनियन लिस्ट का पहला सब्जैक्ट डिफेंस है। हम सब लोगों को मालूम है कि जो युनियन लिस्ट में कहा गया है वह एक्सक्लुसिवली विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द युनियन गवर्नमेंट है और स्टेट लिस्ट में जो कहा गया है वह एक्सक्लुसिवली विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है सारी मुश्किल यहां पैदा हो जाती है। यह माना जाता है कि कहीं पर, किसी भी प्रांत में अगर कुछ हो जाए तो यहां कहा जाता है कि आपने क्या किया। न हम वहां पर अपनी तरफ से पुलिस को भेज सकते हैं और न ही वहां के पुलिस अधिकारी को कह सकते हैं कि आपको यह काम करना है, हां हम यह जरूर कर सकते हैं कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट हमें मांग करने पर, उन्हें मदद करने के लिए हमारे यहां से पुलिस भेज सकते हैं, साधन भेज सकते हैं और पैसा भेज सकते हैं, इंटेलीजेंस भेज सकते हैं, इस तरह हम उनकी पूरी तरह से मदद करते हैं। लॉ एंड आर्डर का काम प्रांत की सरकार को करना होता है और उस काम में केन्द्र की सरकार मदद करती है। मगर इस बात की कितनी दफा यहां और बाहर भी चर्चा करने के बाद, जब भी कोई केन्द्र का मंत्री मिल जाए या कोई सरकार का अधिकारी मिल जाए तो यह कहा जाता है कि आपने यह काम क्यों नहीं किया?

सभापति महोदया, बहुत सारे हादसे हुए हैं। मैं वहां गया भी हूं, लेकिन वहां की सरकार को बताकर और उन्हें साथ लेकर गया हूं। वहां जाने के बाद, मैं ऑर्डर नहीं दे सकता। मैं यहां से पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज सकता हूं, मगर ऑर्डर नहीं भेज सकता। इस बात को समझना बहुत-बहुत जरूरी है, अन्यथा हमें अपने संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि इस प्रकार के अधिकार दिए जाएं। अनेक सदस्यों ने यहां पर इस बारे में कहा है। आपने भी कहा है और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कहा है कि आप संविधान के इस कानून को, इस प्रावधान को बदल दीजिए और ऐसे अधिकार ले लीजिए कि जहां कोई ऐसी गड़बड़ हो, तो वहां आप यहां से कार्रवाई कर सकें। मान लीजिए, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल अथवा राजस्थान में कोई गड़बड़ी हो रही हो, तो हम यहां से अपने अधिकार के अन्तर्गत, अपने लोगों को भेजकर वहां की परिस्थितियों को काबू में लाने का काम करें। ऐसे प्रावधान आप बना दीजिए। अगर बना दिए, तो हम वैसा करेंगे। मगर अभी जब तक वैसे कानून या प्रावधान नहीं हैं, तब तक ऐसा नहीं हो सकता है। सभी लोगों से मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यह बात बार-बार रिपीट की जाती है। बार-बार हमें पूछा जाता है कि आपने क्या किया? असल में आप अपनी स्टेट में जाकर अपनी सरकार से राय पूछ सकते हैं, राय दे सकते ं और जो करवाना चाहें, करवा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर हम यहां से जितनी मदद चाहें, उतनी दे सकते हैं। इसे हमें ध्यान में रखना बहुत-बहुत जरूरी है।

महोदया, यहां आन्तरिक सुरक्षा के बारे में भी काफी चर्चा हुई है। मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय है, जिसके बारे में हमें गहराई से सोचना जरूरी है। नैशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या है; इंटरनल सिक्योरिटी, आन्तरिक सुरक्षा का मतलब क्या है और कानून और व्यवस्था यानी लॉ-एंड-ऑर्डर का मतलब क्या है? इन तीनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, जब नैशनल सिक्योरिटी का प्रश्न उभर कर आ जाता है? जब कोई देश हमारे देश पर आक्रमण करता है, तब नैशनल सिक्योरिटी की बात पैदा होती है। अगर कहीं किसी गांव में किसी का मर्डर हुआ है, किसी का रेप हुआ है या कहीं किसी के घर में डकैती हुई, तो वह भी लॉ-एंड-ऑर्डर का प्रश्न है। अगर पूरा प्रान्त उसके शिकंजे में आ जाए और पूरे प्रान्त में अगर गड़बड़ हो जाए और पूरा प्रान्त वहां की सरकार को बदलने की कोशिश करे, तो उस स्थिति को हम इंटरनल सिक्योरिटी जरूर कह सकते हैं। मगर इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पर भी अगर हमें वहां पहुंचना है, तो हमें वहां की सरकार को बर्खास्त करना पड़ेगा, अन्यथा हम वहां नहीं पहुंच सकते; या उनके बुलाने पर पहुंचना पड़ता है। इसलिए नैशनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ-एंड-ऑर्डर में क्या फर्क है, यह समझना बहुत ही जरूरी है।

महोदया, मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं कि लॉ-एंड-ऑर्डर का जो प्रश्न है, वह बहुत बड़ा प्रश्न है। इंटरनल सिक्योरिटी से भी कई गुना बड़ा प्रश्न है। यह बहुत लोगों के सामने नहीं आया है। एक ही सम्माननीय सदस्य यहां ऐसे निकले, जिन्होंने लॉ-एंड-ऑर्डर के संबंध में चर्चा की और कहा कि आप कानून बदलो, क्रिमिनल प्रॉसीजर कोड बदलो, एवीडेंस एक्ट बदलो और इंडियन पीनल कोड बदलो। यही आपने कहा है। इन्हें बदले बिना यह काम नहीं होगा। वह मान्य हो सकता है या नहीं, वह अलग बात है। मगर आपके कहने से वह पीड़ा प्रकट हो रही थी कि लॉ-एंड-ऑर्डर का प्रश्न बहुत बड़ा है।

[श्री शिवराज वि. पाटिल]

महोदया, अगर हम इंटरनल सिक्योरिटी के संबंध में विचार करने जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो आंकड़े हैं, हर साल जो खून-खराबा होता है और उसमें जो लोग मारे जाते हैं, उनकी संख्या टैररिस्ट्स एक्टीविटीज में मारे जाने वाले लोगों से बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो खून-खराबा होता है और जो ऑर्डीनरी मर्डर्स होते हैं, वे कितने-कितने हुए हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि टैररिस्ट्स एक्टीविटीज में मारे जाने वाले लोगों की संख्या लगभग 2000 है और जो मर्डर हुए हैं, वे 32 हजार हैं। इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है। आपका ध्यान गया है, यह अच्छी बात है। शायद आप क्रिमीनल प्रैक्टिस करते होंगे, इसलिए आपका ध्यान इस तरफ गया होगा।

यह बात सही है कि उस पर आपका ध्यान गया है और हमें उसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस काम को प्रान्त की सरकार को करना है और हम उन्हें बार-बार करने के लिए बोल रहे हैं। हमने कहा है कि देश में जनसंख्या बढ़ रही है और हर साल हम नये-नये कानून बना रहे हैं, लेकिन अपराधी अलग-अलग पद्धति से क्राइम कर रहे हैं तो हमारी पुलिस की भी संख्या बढ़ानी होगी और सिक्योरिटी पर ज्यादा खर्च करना होगा। एक माननीय सदस्य ने यहां कहा और बहुत ही सही ढंग से कहा कि सुरक्षा के मुद्दे को कम महत्व का मानकर मत चलिए। सुरक्षा का महत्व उतना ही है, जितना विकास का है। इसलिए सुरक्षा पर भी आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, ज्यादा खर्च करना होगा, ज्यादा मनुष्य शक्ति देनी होगी, नये यंत्र और तंत्र देने होंगे और सुरक्षा के महत्व को बढ़ाना होगा। इस संबंध में हमने राज्य सरकारों से बात की और मुझे बहुत खुशी है कि कुछ राज्य सरकारों ने इसे मान लिया, जिनमें महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड की सरकारें हैं। उन्होंने इस काम के लिए अपने बजट में धनराशि को बढ़ाया है। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, अभिनन्दन करना चाहेंगे। अन्य राज्यों को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि आप भी अपने बजट को बढ़ाइए क्योंकि बिना बढ़ाए यह काम नहीं चलेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने भी इस संबंध में कदम उठाए हैं। एक सम्मानित सदस्य बोल रहे थे कि आप होम मिनिस्ट्री को पुलिस के काम के लिए बहुत पैसा दे रहे हैं। हमने इसके आंकड़े दिए हैं कि पिछले चार सालों में होम मिनिस्ट्री ने 72 प्रतिशत तक इजाफा किया है। महाराष्ट्र ने दुगुनी की है और हमने 72 प्रतिशत तक बढ़ायी है। वे कह रहे थे कि क्या आप वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने जा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कि वेलफेयर के लिए भी सुरक्षा की आवश्यकता है। बिना सुरक्षा के वेलफेयर नहीं हो सकती है और वेलफेयर के बिना सुरक्षा नहीं हो सकती है। यह आपको जानना आवश्यक है। हमने जो कदम उठाए हैं, वे अधिक अच्छी सुरक्षा देने के लिए उठाए हैं, इसे ध्यान में रखना जरूरी है। हमने बहुत सी राज्य सरकारों को कहा कि आप अपने पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी कीजिए। हम तो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी कर रहे हैं। हमने बी.एस.एफ., एस.एस.बी. की बटालियन्स बढ़ाई हैं, आई.टी.बी.पी. को 20 बटालियन्स बढ़ाने के लिए दे रहे हैं और पांच-साल में यह संख्या बढ़कर दो-तीन सौ तक पहुंच जाएगी। महाराष्ट्र सरकार को जब हमने बताया तो उन्होंने कहा कि हम 50 हजार बढ़ाएंगे। आन्ध्र प्रदेश से कहा तो उन्होंने कहा कि हम तीस हजार बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ और झारखण्ड ने भी बढ़ाने की बात कही है। ऐसा करना जरूरी है। यदि नहीं बढ़ाएंगे तो काम नहीं चलेगा। एक बात जो हमारे सामने आ रही है, वह यह है कि उनके पास जो पुलिस की संख्या है, उसमें भी राज्य सरकारों को जो कदम उठाने चाहिए थे, वह भी नहीं उठाए हैं। मैं उन राज्यों के नाम नहीं लूंगा, लेकिन दो-चार राज्य ऐसे हैं, जहां पुलिस की 21 प्रतिशत, 24 प्रतिशत, 28 प्रतिशत तक वैकेंसीज हैं। आप अपनी फोर्स के पद नहीं भरेंगे और केंद्र को कहेंगे कि आप फोर्स को भेज दो, केंद्र कहां से आपके लिए फोर्स भेज देगा। केंद्र के लिए केवल एक प्रांत नहीं है, 30 प्रांतों को केंद्र को देखना है। आप अपने प्रांत की वैकेंसीज को भरने का काम कीजिए। यह हम सब राज्यों से कह रहे हैं और मुझे खुशी है कि उनकी समझ में आ गया है कि हम जो कह रहे हैं, वह बिलकुल दुरुस्त बात है। खाली वैकेंसीज को भरना बहुत जरूरी है, यह हमने उन्हें बताया है।

कुछ लोगों ने जितनी उनकी संख्या है, उसे बढ़ाकर तीस और पचास हजार करने का काम किया है। वैकेंसीज को पूरा करने का काम वे कर रहे हैं। हम भी यहां पर उस दृष्टि से काम कर रहे हैं। पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए कितना पैसा दिया गया? कुछ साथियों ने यह कहा कि मॉडर्नाइजेशन के लिए आप मदद नहीं करते हैं। हम आंकड़े देते हैं कि कितने पैसे दिए, चार हजार या पांच हजार करोड़ रुपए एक साल में दिए, सारे प्रांतों के बारे में हम बताते हैं, फिर हमसे पूछा जाता है कि वह पैसा खर्च नहीं

हुआ, वह पैसा कौन खर्च कर सकता है? यह पैसा तो स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना है। अगर स्टेट गवर्नमेंट्स ने पचास प्रतिशत पैसा खर्च नहीं किया, तो हम उनसे विनती करते हैं कि आप इसको खर्च कीजिए। इसे अपने लिए कीजिए, अपनी पुलिस को दुरुस्त करने के लिए कीजिए। जब तक आपकी पुलिस मजबूत नहीं होगी, तब तक हमारा देश भी मजबूत नहीं होगा। हमारी जो केंद्र सरकार की जो पुलिस है, उसके बारे में आपकी मालुमात के लिए मैं बताना चाहता हूं कि करीब-करीब साठ से सत्तर प्रतिशत पुलिस बार्डर पर लगी हुयी है। वह बार्डर की सुरक्षा के लिए लगी है। सी.आर.पी.एफ. ही सिर्फ दूसरों को देने के लिए है, बाकी बी.एस.एफ., आई.टी.बी.पी., एस.एस.बी., असम राइफल्स ये सारी पोर्सेस बार्डर्स पर लगी हुयी हैं। इंटरनेशनल बार्डर्स पर फोर्स नहीं है, वहां पैरा-मिलिट्री फोर्सेज हैं, सिर्फ एल.ओ.सी. पर फोर्स है। इंटरनेशनल बार्डर पर पैरा-मिलिट्री फोर्स है, जिनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। हम सी.आर.पी.एफ. के लोगों को उन्हें देते हैं, मगर हम सी.आर.पी.एफ. कितनी देंगे? सी.आर.पी.एफ. सारे प्रांतों में जाते हैं। सी.आर.पी.एफ. का मतलब होता है - रिजर्व पुलिस। रिजर्व पुलिस का मतलब है कि काम के लिए वहां जाएंगे और काम के बाद वापस आ जाएंगे। हमने जिन्हें रिजर्व पुलिस दी, वे जाने के बाद वापस आती ही नहीं। हमें फिर बार-बार कहा जाता है कि हम आपके लिए संख्या नहीं बढ़ाते हैं।

सभापति महोदया: आपके भेजने के बाद जिस स्टेट से वापस नहीं आती, उस स्टेट पर पेनल्टी डालिए, वह स्टेट उसकी पेनल्टी भुगतेगा।

श्री शिवराज वि. पाटिल: यही हम कह रहे हैं कि एक स्टेट के पास भेज दिया, अगर आप वापस नहीं भेजेंगे, तो दूसरे स्टेट की मांग को कैसे पूरा करेंगे? ऐसे तो हम मांगें पूरी नहीं कर सकते हैं। वह रिजर्व पुलिस रैग्युलर पुलिस हो जाती है। उसे वापस करना जरूरी है। हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं और खुशी की बात है कि हमारे साथी आजकल यह समझ रहे हैं और इस दृष्टि के सब लोग हो गए हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। कुछ लोगों ने कहा कि आपने क्या किया? पैसा तो दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं आपको क्या बताऊं? आंकड़े देना तो अच्छी बात नहीं है। हमने पुलिस स्टेशंस बनाने के लिए कितने पैसे दिए हैं और उन्होंने कितने बनाए हैं। हमने 2,588 पुलिस स्टेशंस बनाए हैं और स्टेट पुलिस के लिए जो घर बनाए हैं, उनकी संख्या करीब-करीब 58 हजार है, लाइट वेहिकल्स 19 हजार दिए हैं। अभी कहा गया कि मेरी मोटर में पेट्रोल नहीं, मुझे डालना पड़ता है, वह चलती भी नहीं है। 19 हजार मोटरें हमने यहां से दी हैं। मीडियम-हेवी वेहिकल्स करीब-करीब 19 हजार दिए हैं, 27 हजार मोटर साइकिल्स दी हैं और जो वेपन्स दिए हैं, उसके आंकड़े मैं आपको नहीं दूंगा। वे आंकड़े भी ऐसे हैं कि अगर मैं आपको बताऊंगा, तो आप बड़े खुश हो जाएंगे। मैं ये आंकड़े नहीं दूंगा कि हमने कितने एन.एस.ए. राइफल्स दी हैं, ए.के. 47 दी हैं, एम.एन. कैरिबल दी हैं, एस.एल.आर. कितनी दी हैं, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। इसको ओपन करना जरूरी नहीं है, मगर यह सब दिया हुआ है। इसके अलावा बीस हजार तक बुलेट प्रूफ जैकेट्स उनको हमने दी हैं, नाइट वीजन वेव डिवाइसेज सात सौ के करीब हमने उनको दी हैं, माइन मैटल डिटेक्टर करीब-करीब आठ हजार तक दिए हैं, बुलेट प्रूफ वेहिकल्स तीन सौ पैंतीस दी हैं और माइन प्रोटेक्टेड वेहिकल्स एक सौ पैंसठ दिए हैं। उसके साथ-साथ हेलीकाप्टर्स भी दिए हैं और यू.ए.वीज. भी दिए हैं। यह सब हमने स्टेट पुलिस को दिया है।

आप अगर हमसे पूछेंगे कि क्या किया है? हम आंकड़े आपको देते हैं, तो मुश्किल और नहीं देते हैं, तो मुश्किल। आप कहते रहेंगे कि आपने तो कुछ भी नहीं किया है। पहले कहेंगे कि प्लान नहीं किया, हम बोलेंगे कि प्लान किया है, तो बोलेंगे कि पैसा नहीं दिया है, हम कहेंगे कि पैसा दिया है, तो आप कहेंगे कि पैसा खर्च नहीं हुआ है, हम कह देंगे कि उनको पैसा खर्च करना है और फिर ये सारी जो चीजें हैं, उनको देखना जरूरी है। मैं समझता हूं कि लॉ एंड आर्डर की चर्चा इस सदन में जरूर होनी चाहिए। आप जब चर्चा करते हैं, तो हमें भी हिम्मत मिलती है। आप जो कहते हैं, उस बात को लेकर भी हम प्रांत की सरकार को कह सकते हैं, उनसे विनती कर सकते हैं, लेकिन उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, वे हमारे बराबर के लोग हैं। उनका दर्जा हमारे से कम नहीं है, हमारे बराबर का दर्जा है। हम उनकी मदद जरूर कर सकते हैं लेकिन आपके कहने पर हमें कह सकते हैं। लेकिन हमारे देश के लोगों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि सारा काम हमें यहां से करना है, राज्य सरकार को कुछ नहीं करना है। इसलिए मैंने आपको सारी चीजें बताईं।

माडर्नाइजेशन आदि के बारे में मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन यहां चर्चा में क्या उभरकर आया। किसी माननीय सदस्य ने एक सवाल उठाया जिसका जवाब दूसरे साथियों

[श्री शिवराज वि. पाटिल]

ने दे दिया। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आप नक्सलिज्म और टैरेरिस्ट एक्टीविटीज को कठोरता से रोकिए, आप आयरन विल लेकर जाइए। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि आप बहुत समझदार हैं लेकिन शायद आपकी विल पावर कम है, कठोरता से काम कीजिए। इसका मतलब क्या है? कोई भी दिखाई दिया, यदि उसके ऊपर गोली चलाने की जरूरत हो तो चलाइए। दूसरे माननीय सदस्यों ने इसी सदन में कहा, आज ही कहा, आपके सामने कहा और आपने भी सुना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बन्दूक और गोली से ये मसले हल होने वाले नहीं हैं, आप उनके साथ इंसानियत से बर्ताव कीजिए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी माली हालत खराब है तो उसे सुधारिए, सामाजिक अन्याय हो रहा है तो उसे दुरुस्त कीजिए और यदि प्रान्तीय असमानता है तो उसे दूर कीजिए और इसकी वजह से एक माहौल पैदा कीजिए और उसे हल कीजिए। आप मुझे बताइए कि सरकार के नाते हम क्या करें। कठोरता से बर्ताव करें या समझदारी से बर्ताव करें। क्या करें, आप यहां बताइए।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: दोनों कीजिए।

श्री शिवराज वि. पाटिल: बिल्कुल सही बात है। जहां कठोरता की आवश्यकता हो वहां कठोरता से और जहां समझदारी की आवश्यकता हो वहां समझदारी से करना चाहिए। आपने ही जवाब दिया। एक माननीय सदस्य ने सवाल उठाया, थीसिस एक एंटी-थीसिस दूसरा और सिनथीसिस आपकी तरफ से आ रहा है। आप कह रहे हैं कि दोनों चीजें करनी पड़ेंगी, जिस चीज की जरूरत है, उसे आपको करना पड़ेगा। हम वही कर रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग हमें कहते हैं कि आप सिर्फ पुलिस स्टेट बनाने जा रहे हैं, आप बन्दूक के आधार पर सब कुछ करना चाहते हैं, यह डिक्टेटरशिप की बात हो गई और कुछ लोग कहते हैं कि आप सॉफ्ट और टैरर हैं। सॉफ्ट औन टैरर का मतलब क्या है। हमने समझदारी से काम किया तो सॉफ्ट औन टैरर और अगर हमने ताकत लगाकर काम किया तो कहा जाता है कि दरिन्दगी से काम किया। इसमें यह सारी चीजें आती हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत: मध्यम वर्ग अपनाइए।

श्री शिवराज वि. पाटिल: आप मध्यम मार्ग कह रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब मिलकर यह कह रहे हैं और हम उसी मार्ग से चल रहे हैं। इस चर्चा का फायदा एक ही है कि एक सवाल उठता है तो उसका जवाब आ जाता है और सवाल और जवाब मिलकर ऐसा रास्ता बन जाता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पसंद होता है। हमें उस रास्ते से चलना चाहिए। यहां इस प्रकार का वातावरण बना है। इसे हम जरूर करेंगे। हमने पहले कहा कि आपको चर्चा करनी है तो कीजिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं तो हमने कहा कि कीजिए। यह कहा गया कि चर्चा करने से कहीं मामला ठीक होता है, आप क्या कह रहे हैं। हमने कहा कि उन्हें चर्चा करने के लिए हमने नहीं कहा, वे चर्चा करना चाहते हैं। हमने कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि इससे आपका मामला सुधर जाएगा तो आप जरूर चर्चा कीजिए। कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि चर्चा से मामला बिगड़ रहा है, बन नहीं रहा है, हम अपनी ताकत से इसे हल करना चाहते हैं। हमने कहा कि आपकी इच्छा है, आप कीजिए। उन्होंने वह किया और खुशी की बात यह है कि आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा में टैरेरिस्ट एक्टीविटीज बिल्कुल नीचे आ गई। 70 प्रतिशत आंध्र प्रदेश में और त्रिपुरा में 40 से 50 प्रतिशत टैरेरिस्ट एक्टीविटीज नीचे आ गईं। उन्होंने समझदारी और ताकत दोनों से काम किया जिसके कारण टैरेरिस्ट एक्टीविटीज नीचे आ गई। वही तरीका हम भी यहां अपना रहे हैं। लेकिन हम किस-किसको जाकर बताएं कि हम मजबूती से काम कर रहे हैं, हम समझदारी से काम कर रहे हैं।

हम यह कह रहे हैं कि आपको जैसा समझना है, समझिए। हम तो जैसा कि आपने कहा, जहां पर जिस रास्ते का उपयोग हो सकता है, उसी रास्ते का उपयोग कर रहे हैं। यहां एक अन्य बात यह उठाई गयी कि आप किसी को भी पकड़ लेते हैं, एक धर्म के नाम पर लोगों को कहते हो कि उन्होंने आतंकवाद या अलगाववाद को फैलाया है, क्या यह सही बात है। मैं इस मत का हूं कि बहुत जगहों पर ऐसा होता है, लेकिन यह नहीं होना चाहिए, इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। मगर दूसरे किनारे पर जाकर हम कह देते है कि यह होता है, इसलिए कानून बदलिए और यह बताइए कि जो एक्यूज्ड है, उसे यह प्रूव करना होगा कि वह इनोसेंट है। हजारों साल से यह जो जूरिसप्रूडेंस, रोमन जूरिसप्रूडेंस, ब्रिटिश जूरिसप्रूडेंस और अब इंडियन जूरिसप्रूडेंस के रूप में चलता आ रहा है कि जब तक किसी को दोषी सिद्ध नहीं कर दिया जाता है तब तक उसे दोषी नहीं मानना चाहिए, उसे केवल आरोपी

मानना चाहिए, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। यह बात आसान होगी या नहीं, यहां यह सवाल उठता है। यहां बहुत से लोगों ने कहा कि आपने पोटा को क्यों समाप्त किया या टाडा को क्यों निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टाडा निकालने लिए हमें उन्हीं लोगों ने मजबूर किया जो बाद में पोट लेकर आए। पोटा में भी वही बात आ गयी थी, जो टाडा के अंदर थी। बहुत सारे इंटरनेशनल आर्गनाइजेशन के लोगों ने कहा कि आपने कानून बनाया है, किसी ने हमसे पूछा कि आप अपना कानून क्यों बदल रहे हैं तो हमने कहा कि हम पूरा कानून नहीं बदल रहे हैं। मगर जो प्रमाण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष से अपराधी के पास स्थानांतरित की जा रही है। जिसकी वजह से लोगों को बहुत तकलीफ होती है, केवल उतना ही हमने कम किया है। पैसे और एक्सटॉर्शन के बारे में जिस कानून की जरूरत है, हमने उसे रखा है। मगर पोटा वही कर रहा था, जिसके बारे में यहां सुझाव दिए गए थे कि कानून बदलो। कानून बदलकर ऐसा कानून बनाओ जिस कानून के तहत एक्युज्ड को प्रूव करना होगा कि वह निर्दोष है। एक तरफ सरकार की इतनी बड़ी ताकत और दूसरी तरफ वह एक आदमी जिसको प्रूव करना है कि मैं दोषी नहीं हूं और मैं मासूम हूं यह कितना आसान होगा या कितना कठिन, जिन्होंने क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस की है, वे समझ सकते हैं। कुछ जगहों पर, कुछ हालात में यह ओनस अवश्य शिफ्ट होता है। ये दो चीजें कंट्राडिक्टरी यहां पर आई हैं, इनके बारे में हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आपने बताया है कि सख्ती से बर्ताव करो या समझदारी से बर्ताव करो, उसी प्रकार से कानून के बारे में हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): यह फ्रैंच विधिशास्त्र है। हमारे यहां अभी भी यह संशोधन चल रहा है विशेषकर दहेज के कारण मौतों के मामले में। दहेज के कारण हत्या के मामले में पति और ससुराल पक्ष पर यह जिम्मेदारी होती है कि वे सिद्ध करें कि वे मासूम है। अतः ऐसा नहीं है कि हमारे यहां फ्रैंच विधिशास्त्र नहीं है परन्तु इसके क्रियान्वयन में कमी है। मुझे केवल यही कहना है।

श्री शिवराज वि. पाटिल: जी हां, आप शत-प्रतिशत सही है।

[हिन्दी]

मैंने भी यही कहा कि हमारे पास ऐसे कानून हैं, जिनमें यह प्रूव करने का ओनस एक्यूज्ड पर है कि वह निर्दोष है। मगर यह सारे कानूनों में नहीं है, अगर इसे सारे कानूनों में लायेंगे तो किसी भी आदमी को पुलिस वाले पकड़कर ले जाएंगे, तो उसके लिए अपनी निर्दोषता को सिद्ध करना बहुत मुश्किल होगा और यह दवा, उस दर्द से भी भयंकर हो जाएगी। हमारे सामने यही डिलेमा है। इसी में से रास्ता निकालना है। आप जो कह रहे हैं, वह बिल्कुल दुरुस्त बात है। डोअरी एक्ट में है, कुछ अन्य एक्ट्स में भी ऐसा है, आई.पी.सी. और एविडेंस एक्ट में भी कुछ मामलों में ऐसे प्रॉविजन हैं जिनमें यह प्रूव करना जरूरी हो जाता है कि he is not guilty. अगर किसी के पास ब्लड स्टेन्ड डैगर है, तो उसे यह प्रूव करना होगा कि उसके पास वह डैगर कैसे आई।

रात्रि 8.00 बजे

ओनस अपराधी पर आता है, लेकिन सारा नहीं आता है। इसीलिए यह जो मामला है, जो हजारों साल से विचार करके, सोच कर चलता आ रहा है, उसे बदलना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं, उसमें तथ्य जरूर है, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसमें जल्दबाजी करेंगे तो सही नहीं होगा। इसमें एक इलाके से, एक्सट्रीम पाइंट से, स्विंग करके दूसरे एक्स्ट्रीम पाइंट पर स्विंग होना, यह करना भी गलत होगा, सरकार वैसा नहीं कर सकती। आप भी उसे ऐसा नहीं करने देंगे और जब हाऊस में कोई ऐसा बिल आएगा तो आप उसे नहीं मानेंगे और पास नहीं होने देंगे। इसलिए ये बातें इसमें नजर आती हैं और हमें सोच-समझकर ही कोई बात करनी है।

यहां पर यह भी कहा गया कि इतने हादसे हो गए। टैररिज्म जम्मू-कश्मीर में हो या पूर्वोत्तर राज्यों में हो या नक्सलवाद की समस्या हो, इन सब पर चर्चा हुई। खुशी की बात है कि जम्मू-कश्मीर का टैररिज्म 70 प्रतिशत कम हो गया है। आंध्र प्रदेश का भी 70 प्रतिशत कम हो गया है। त्रिपुरा का भी काफी कम हो गया है और अन्य राज्यों का भी कम हुआ है। कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में तकलीफ है। हम किसी पर दोष नहीं लगा रहे और यह नहीं कहते कि वहां हमारी पार्टी का शासन नहीं है इसलिए ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। इसके कारण हैं

[श्री शिवराज वि. पाटिल]

और हम बैठकर चर्चा करके उसका हल करने की कोशिश करेंगे। यहां बैठकर आप हमें गालियां दें और बाहर जाकर हम आपको दें, कुछ समाचार पत्रों में छपवा दें, यह भी ठीक नहीं है। हम इसके लिए भी नहीं कह रहे हैं। हम सही तरीके से इस समस्या को देख रहे हैं और हल करने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह मामला मुश्किल जरूर है, मगर ऐसा नहीं है कि हम उसे हल नहीं कर सकते। आपने देखा होगा, दूसरे बड़े देशों में भी ऐसे मसले पैदा हुए और उन्होंने हल भी किए। अमेरिका में भी पैदा हुए, जैसे वहां लिक्कर के क्राइम का मामला हुआ, लेकिन उन्होंने उसे हल किया। इस तरह दूसरे देशों ने भी ऐसे मसले हल किए और हम भी करेंगे। मसला पेचीदा है, कठिन है, मेहनत करनी पड़ेगी, विजिलेंस से काम करना पड़ेगा और बड़ी सतर्कता से करना पड़ेगा। मगर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इससे डरकर काम नहीं चलेगा। डर पैदा करके कुछ फायदा नहीं होगा। असल में टैररिस्ट का मतलब क्या है, टैररिस्ट का मतलब उस व्यक्ति से है जो आतंक और भय की मानसिकता पैदा करे। इसका दूसरा मतलब क्या है, आतंकवाद का मतलब क्या है कि एक आदमी को मार दो और हजारों को डराओ। अगर वही हम करने लगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ हो रहा है, उस पर आंख बंद कर लें और कहें कि यह सब ठीक है, यह कहना भी उचित नहीं होगा। यहां पर भी मध्यम मार्ग अपनाना सही होगा और अपनी ओर से टीका करने से यह जो फीयर माइकोसिज है, यह भय की भावना न बढ़े यह देखने की जरूरत है। इस बारे में हमें कुछ करने की जरूरत है।

बॉर्डर के बारे में चर्चा हुई। यह एक अहम् विषय है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मसला सबसे महत्वपूर्ण है। बाहर से अगर कोई आकर यहां गड़बड़ न करे या यहां ऐसी कोई चीज हो जाए जिससे तकलीफ हो, उसे भी देखना बहुत जरूरी है। हर जगह, हर प्रांत में कहीं-कहीं तकलीफ है, भले ही कम हो या ज्यादा हो। लेकिन यह कहना कि यहां से वहां तक कोरिडोर हुआ है वह भी सही नहीं है। मुझे लोगों ने कहा कि दस राज्यों में यह हो रहा है। दस राज्यों का मतलब देश का एक तिहाई हिस्सा प्रभावित है। किसी ने कहा कि 180 जिलों में हो रहा है। 180 जिलों का मतलब है कि एक तिहाई देश इससे प्रभावित है। मैंने पूछा कि कितने पुलिस थानों में हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि 300-350 पुलिस थानों में हो रहा है, जो 3 प्रतिशत होता है। वह अगर पुलिस थाने का आंकड़ा लें तो तीन प्रतिशत तक आ जाता है और गांव के आंकड़ें लें तो एक प्रतिशत से भी कम हो जाता है। अगर इंसीडेंट का आंकड़ा लें तो एक प्रतिशत से भी कम होता है। अगर हम इस ढंग से लोगों के सामने यह चीज रखें, तो जिस वजह से भय का वातावरण या भावना पैदा हुई है, उससे राहत मिलेगी। अगर ऐसे नहीं रखेंगे तो उन लोगों की मदद होने वाली नहीं है, फायदा उन लोगों को होगा जो भय की भावना का निर्माण करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। इसलिए हमें भय की भावना का निर्माण नहीं होने देना है। ऐसे रोकना है। अगर इस काम में पुलिस की मदद लेना जरूरी हो तो वह भी हम लेंगे, लेकिन समझदारी से काम लेंगे और डवलपमेंट करेंगे।

हमसे बार-बार पूछा जाता है कि आप लोग आर्थिक विकास के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम क्या है, यह आर्थिक विकास का ही अंग है। एम्प्लायमेंट गारंटी स्कीम के लिए, तीस हजार करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, दस स्टेट नक्सलवाद से प्रभावित हैं। उनमें दस हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं जो एक साल का एम्पलायमेंट देने के लिए खर्च होते और पांच साल में वह आंकड़ा पचास हजार करोड़ रुपये का हो जाता है। हमारी जो बैकवर्ड एरिया डेवलेपमेंट की स्कीम है या दूसरी स्कीम्स जो हमने बनाई हैं, उनका सारा हिसाब मैंने किया तो पांच साल में करीब 75 हजार करोड़ रुपया सिर्फ दस स्टेट्स के अंदर आर्थिक विकास के लिए खर्च किया जाता है। दस स्टेट में 75 हजार करोड़ ऑन एंड एवरेज दूसरे स्टेटों को दिया जाता है। वहां पर हम कितना काम कर रहे हैं वह और बात है, मगर उस अंग को भी हमने नजर-अंदाज नहीं किया, आंखों से ओझल नहीं होने दिया, आर्थिक और सामाजिक विकास का काम भी हमने वहां किया। हमारे आदिवासी भाई-बहनों के लिए जमीन के अधिकार का भी काम किया। एक भाई ने हमसे पूछा कि आपने रूल्स बनाये हैं या नहीं बनाये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमने रूल्स बनाये हैं, वे पब्लिश हो जाएंगे और वह काम भी उसके अंतर्गत हो जाएगा।

हमारा जो दृष्टिकोण आतंकवाद को काबू में लाने का है वह मल्टी-डायमेंशनल है, वह एक चीज को देखकर नहीं

है। इसमें हम पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, आर्थिक उन्नति करेंगे, सामाजिक न्याय करेंगे तथा उनकी जो अड़चनें हैं, उन्हें दूर करेंगे और अपने भाई-बहनों को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा कि ये भी तो अपने भाई-बहन हैं, उनसे झगड़ा क्यों करते हो, तो मेरे ऊपर भाई-बहन कहने पर ही टीका-टिप्पणी होती रही। कहने लगे कि होम-मिनिस्टर कहता है कि ये भाई-बहन है। भाई-बहन नहीं बोलें तो क्या दुश्मन समझकर चलें। अगर गोली चलानी है तो चलानी है, उनको कोई डराना नहीं है। अगर उनको भाई-बहन नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? वे हमारे ही खून का हिस्सा है, इस दृष्टिकोण से हमें यह सब करना है। हमारी बहन ने कहा कि आप उनका मानसिक बल बढ़ाने के लिए आ जाइये। मैं एक बार, दो बार नहीं चार बार आ जाऊंगा। आपने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं आने वाला हूं, मगर इससे ही काम नहीं चलेगा। अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाली जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां के लोग, वहां की सरकार जो काम कर रही है उसमें मुझे दोष नहीं लगता है, कोई दोष नजर नहीं आता है, मगर यह कहना कि आपने सिर्फ पैसा दिया है, ठीक नहीं है। आपको शायद मालूम नहीं है कि छत्तीसगढ़ के लिए हमने कितनी बटालियन्स दी है, तेरह बटालियन्स दी है, तेरह हजार मैन-पावर दी है। छोटे-मोटे राष्ट्र की सेना के बराबर मैन-पावर दी है। ये जो नक्सलवाद से प्रभावित स्टेट्स हैं उन में 33 हजार पुलिस बल हमने दिया है, 33 बटालियन्स दी हैं तथा 25 और बटालियन्स खड़ी करने के लिए हमने उनको इजाजत दी है। मदद करने में हमने कमी नहीं की है। आपको मैंने बताया कि आर्थिक विकास के लिए पांच साल में 75 हजार करोड़ रुपये जाने वाले हैं और पुलिस आधुनिकीकरण के लिए, दस स्टेट्स में करीब-करीब 16 हजार करोड़ रुपये जाने वाले हैं। केन्द्र की सरकार वह पराया प्रांत है, यह समझकर नहीं चल रही है। उनका अच्छा-बुरा हमारा ही अच्छा बुरा है, इस दृष्टि से हम उनकी ओर देख रहे हैं। बार्डर पर हम लोगों ने सब कुछ किया है, बार्डर को सुरक्षित रखने के लिए हमारी कोशिश है। नेपाल, भुटान, तिब्बत और म्यांनमार के बार्डर पर हमने फैन्स नहीं लगाई है, फैन्स तो हमने पाकिस्तान के बार्डर और बंगलादेश के बार्डर पर लगाई है। उससे कुछ प्रश्न निकले हैं और उसकी बहुत दफा चर्चा हुई है। मैं उसका जवाब यहां पर देना नहीं चाहता हूं। जिस हद तक हम उसे सुधार सकते हैं, हम जरूर सुधारने की कोशिश करेंगे। बार्डर एरिया में हम वह कर नहीं सकते हैं। ये दूसरे प्रांत के साथ बात कर रहे हैं कि 150 मीटर तक करना है या जीरो-पाइंट पर लेना है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से इस बारे में हमारे लोग भी उनसे चर्चा कर रहे हैं, मगर दो राष्ट्रों के बीच का यह सवाल है। उसके लिए हम यह कर रहे हैं।

नेपाल के साथ हम अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। नेपाल में जो कुछ हुआ है, वह चुनावों के मुताबिक हुआ है। उसको अच्छा या बुरा कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। उन लोगों ने तय किया है और उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। उनका राज्य बने, अच्छी तरह से चले, हमारे संबंध उनसे अच्छे रहें और हम जितनी मदद एक-दूसरे की कर सकते हैं, वह करें, ऐसा दृष्टिकोण हमारा नेपाल के संबंध में रहेगा।

पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। हम सतर्क रह कर यह सब कर रहे हैं. हमारी कॉस्ट लाइन करीब-करीब 7000 किलोमीटर की है। हमारा इकॉनामिक जोन उनसे सटा हुआ है, इसलिए उसकी रक्षा करना भी आवश्यक है। इसमें नौ सेना और कोस्ट गार्ड हमारी मदद करते हैं। कोस्टल पुलिस की स्थापना के लिए हमने प्रान्तीय सरकार को लगभग 550 करोड़ रुपये दिए हैं। उनको कहा है कि आप पुलिस थाने, बनाये बोट्स और पुलिसकर्मियों की भर्ती कीजिए। वहां हम नहीं जा रहे हैं, इस काम के लिए केवल उन्हें पैसा दे रहे हैं। पांच साल के लिए कोस्टल पुलिस खर्च के लिए हम दे रहे हैं। लेकिन वह पैसा हमें खर्च नहीं करना है, उसे राज्य को खर्च करना है, हम तो केवल उसे दे रहे हैं।

प्रो. रासा सिंह रावत: लेकिन खर्च की निगरानी तो आपको रखनी होगी।

श्री शिवराज वि. पाटिल: निगरानी तो हम हर चीज पर रख सकते हैं और अल्टीमेटली हम चाहें तो एक्शन भी ले सकते हैं। लेकिन यदि मैं राजस्थान पर एक्शन लेता हूं तो भी आप मुझे क्या बोलेंगे।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: यह बात कहने की नहीं है, वे अपने आप ही अपनी बात रखेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटिल: मैं किसी एक राज्य पर एक्शन ले लूं तो आप मुझे कहेंगे कि आप बहुत सख्त हो रहे हैं। ...*(व्यवधान)* मैं इसका जवाब दूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: हमारा इंटेन्शन यह नहीं है, हमारा इन्टेन्शन यह है कि जो पैसा आप राज्यों को मुहैया करवा रहे हैं, उस पर निगरानी हो रही है या नहीं?...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटिल: हम लोग उन पर कोई मेहरबानी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यह पैसा लोगों का है, लोगों के कल्याण के लिए जा रहा है, उस प्रान्त का है, इसलिए मेहरबानी की बात नहीं है। लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ऐसी भावना फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। इस तरह का प्रतिबिम्ब हमारे समाज के मन-मस्तिष्क पर नहीं बनना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं।

महोदया, आखिरी बात डिजास्टर मैनेजमेन्ट की है। यह काम भी बहुत बड़ा हो गया है क्योंकि एक मिनट में हजारो लोगों की जान चली जाती है। हमारे यहां लातूर में भूकम्प के कारण दो मिनट में दस हजार लोगों की जान चली गई। गुजरात में भूकम्प के कारण 35 हजार लोगों की जान चली गई। उड़ीसा में सायक्लोन के कारण हजारों लोगों की जानें चली गई, इसलिए यह मामला लड़ाई से भी भयानक होता है। सुल्तानी तो ठीक है, लेकिन आसमानी गतिविधियों से बहुत नुकसान होता है। उसे रोकने के लिए हमने कोशिश की है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया है। उसके लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमें प्रोत्साहित किया और मदद की। उनकी मदद के बिना शायद हम इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकते थे। हमने डिजास्टर मैनेजमेन्ट एक्ट बनाया। नेशनल लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेन्ट अथॉरिटी बनायी और राज्य स्तर पर स्टेट डिजास्टर अथॉरिटी बनाने के लिए हमने राज्यों से कहा है। उनको यह भी कहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेन्ट अथॉरिटी बनाइए। डिजास्टर मैनेजमेन्ट के लिए काफी पैसा दिया जा रहा है। राज्यों ने भी काफी कदम उठाए हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, फायर और इमरजेंसी सर्विसिज के लिए कदम उठाए हैं। यहां पूछा गया कि डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी क्यों नहीं बनी है? पॉलिसी बनी है, लेकिन पॉलिसी का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो सालों तक हमारे हाथ में रहती है और उसी तरीके से काम करना पड़ता है। उन्होंने बनाया है, होम मिनिस्ट्री ने बनाया है, दूसरों ने बनाया है। इन सब की चर्चा हुई है। अंत में कैबिनेट के सामने आने के बाद, चर्चा होने के बाद मान्य हो जाएगा और आपके सामने वह पॉलिसी आ जाएगी। डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में जो प्रोजैक्ट्स बनाए हैं, वे हैं-

[अनुवाद]

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना (नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट), राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम प्रशमन परियोजना (नेशनल अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट), राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रशमन परियोजना (नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क, राष्ट्रीय बाढ़ प्रबंधन परियोजना और अन्य आपदा प्रबंधन परियोजनाएं।

[हिन्दी]

इन सब में काम हो रहा है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपदा आने पर कदम उठाने की जरूरत न पड़े, बल्कि उसके पहले कदम उठाए जाएं। आपने देखा कि सुनामी आने के बाद बहुत सारे लोगों को कितनी ज्यादा तकलीफ़ हुई और उड़ीसा, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, केरल, अंडमान और निकोबार में कितनी हानि हुई? हम केन्द्र सरकार, प्रान्तीय सरकार, लोगों और एन.जी.ओज की मदद से उस हादसे और भूकम्प का मुकाबला कर सके। फ्लड आने पर प्रान्तीय सरकार द्वारा मदद के रूप में राशि मांगने से पहले दे दी गई। डिजास्टर आने पर शायद हम सब मिल कर कुछ काम कर सकेंगे। इसके बारे में सभी लोगों ने अच्छी बात कही, टीका-टिप्पणी वाली कोई बात नहीं कही। दूसरे देश इसके लिए जितना काम कर सके, हम अपने यहां उससे अधिक अच्छे ढंग से कर सके हैं। हमारा आगे इससे भी अच्छा काम करने का प्रयास होगा लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा एक बहुत बड़ा काम हो गया है। वह शायद इंटरनल सिक्योरिटी से भी अधिक मानव हानि और आर्थिक हानि की दृष्टि से बड़ा काम है। डिजास्टर मैनेजमेंट एथॉरिटी को और अधिक मजबूत करना जरूरी है, उसे ज्यादा मैन पावर देना जरूरी है, ज्यादा पैसा देना जरूरी है और उसके द्वारा ज्यादा काम करना जरूरी है तभी वह कुछ दिनों में कुछ पावरफुल होगा।

मैं बहुत सारे डिटेल्स में नहीं गया हूं क्योंकि मैं डिटेल्स लिख कर...*(व्यवधान)* बांग्लादेश के घुसपैठियों का प्रश्न हमारे सामने हैं। हमने उसे हल करने के लिए सभी राज्य सरकारों को अधिकार दिए हैं। कौन बांग्लादेशी हैं। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे उनको देख कर निकाले, कार्रवाई करें और उन्हें वापिस भेजें। केन्द्र सरकार के पास

प्रान्तों में देखने के लिए कोई मशीनरी नहीं है। हमने वह काम प्रान्त की सरकार को दिया है और कोशिश कर रहे हैं कि प्रान्तीय सरकार की मदद से गलतियों को दुरुस्त करने का काम हो।...*(व्यवधान)*

प्रो. रासा सिंह रावत: दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: ऑनरेबल मिनस्टर ने बहुत विस्तार से सारी बात रखी है। दिल्ली में सभी लोग रह रहे हैं। आप उसकी बात मिनिस्टर साहब के कमरे में जाकर कर लें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब मैं गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदया: यदि मैं स्पष्टीकरण की अनुमति दूं तो इसमें घंटों का समय लगेगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदया: आप मिनिस्टर साहब के पास जाकर पूछ ले।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: आप कोऑपरेट करिए। समय बहुत हो गया है। एक-एक प्वाइंट पूछने के लिए बहुत सारे मैम्बर्स हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजों को डिटेल में देने की जरूरत नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कृपया अध्यक्षपीठ का सम्मान करें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया: कृपया सहयोग करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कीरेन रीजीजू (अरुणाचल पश्चिम): मंत्री जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। इसलिए मैं इसके विरोध में वाक-ऑउट करता हूं।

रात्रि 8.19 बजे

तत्पश्चात कीरेन रिजीजू सभा से बाहर चले गए।

सभापति महोदया: अब में गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगें सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

प्रश्न यह है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 51 से 55 और 95 से 99 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गयी राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अब सभा कल मंगलवार 22 अप्रैल, 2008 के पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.21 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा मंगलवार 22 अप्रैल, 2008/2 वैशाख, 1930 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्रीमती झांसी लक्ष्मी बोचा श्री मधु गौड यास्खी	381
2.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	382
3.	डा. सत्यनारायण जटिया श्री एस.के. खारवेनथन	383
4.	डा. राम लखन सिंह	384
5.	डा. के.एस. मनोज	385
6.	श्री हंसराज गं. अहीर	386
7.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	387
8.	श्री पी.एस. गढ़वी	388
9.	श्री सुनील खां	389
10.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री काशीराम राणा	390
11.	श्री वी.के. दुग्मर	391
12.	श्री थावरचन्द गेहलोत	392
13.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव श्री हरिसिंह चावड़ा	393
14.	श्री चन्द्रभान सिंह श्री इकबाल अहमद सरडगी	394
15.	श्रीमती सी.एस. सुजाता	395
16.	श्री बालासाहिब विखे पाटील श्री किन्जरपु येरननायडु	396
17.	श्री रूपचन्द मुर्मू	397
18.	नन्द कुमार साय श्री किसनभाई वी. पटेल	398
19.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्री हरिकेवल प्रसाद	399
20.	श्री बाडिगा रामकृष्ण श्री कैलाश मेघवाल	400

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	3806, 3904, 3989
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	3881
3.	आदित्यनाथ, योगी	3817
4.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3847, 3859, 3877, 3951, 3991
5.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3795, 3921
6.	अहीर, श्री हंसराज गं.	3816, 3896, 3958, 3993
7.	अजय कुमार, श्री एस.	3868, 3910, 3986
8.	अप्पादुरई, श्री एम.	3913
9.	आठवले, श्री रामदास	3815, 3908, 3916, 3990
10.	बारड़, श्री जसुभाई धानाबाई	3813, 3891
11.	बर्मन, श्री हितेन	3860, 3874, 3935
12.	बर्मन, श्री रमेन	3874, 3935
13.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	3880, 3952
14.	भडाना, श्री अवतार सिंह	3809

1	2	3
15.	भगोरा, श्री महावीर	3781, 3902, 3981, 4005
16.	भक्त, श्री मनोरंजन	3870, 3948, 3988
17.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3786, 3836, 3905, 3974, 4003
18.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	3794, 3893, 3922
19.	बोस, श्री सुब्रत	3873, 3949, 3973, 3986
20.	बोचा, श्रीमती झांसी लक्ष्मी	3913
21.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3850
22.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	3843, 3930
23.	चावडा, श्री हरिसिंह	3941
24.	चिन्ता मोहन, डा.	3829, 3972
25.	चौधरी, श्री पंकज	3839
26.	चौधरी, श्री अधीर	3828
27.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	3876
28.	देवरा, श्री मिलिन्द	3782, 3909
29.	धनराजू, डा. के.	3835
30.	दूबे, श्री रमेश	3840, 3928, 3965
31.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	3824
32.	गढ़वी, श्री पी.एस.	3813, 3914
33.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3788, 3866, 3913, 3917, 3925
34.	गंगवार, श्री संतोष	3840
35.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3851
36.	गोहेन, श्री राजेन	3827
37.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	3816
38.	हसन, चौ. मुनव्वर	3825, 3840
39.	जगन्नाथ, डा. एम.	3837, 3846, 3923, 3932, 3977
40.	जैन, श्री पुष्प	3855
41.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3840
42.	जयाप्रदा, श्रीमती	3931
43.	जिन्दल, श्री नवीन	3784, 3892, 3935, 3956
44.	कनोडीया, श्री महेश	3813
45.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3813
46.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3871, 3913
47.	खां, श्री सुनील	3915
48.	खन्ना, श्री अविनाश राय	3799
49.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3888, 3955, 3992
50.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3780, 3819, 3885, 3966, 3996
51.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	3852, 3938
52.	कृष्ण, श्री विजय	3883
53.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	3863, 3943, 3984
54.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3848, 3914
55.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	3820

1	2	3
56.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3796
57.	महरिया, श्री सुभाष	3791, 3840, 3889, 3975, 4002
58.	महतो, श्री नरहरि	3973, 3986
59.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	3836, 3864, 3941, 3944, 3974
60.	माझी, श्री परसुराम	3818, 3949
61.	माने, श्रीमती निवेदिता	3788
62.	मनोज, डा. के.एस.	3887, 3935
63.	मसूद, श्री रशीद	3811, 3906, 3964
64.	मिडियम, डा. बाबू राव	3823, 3912
65.	मेघवाल, श्री कैलाश	3895, 3957, 3999
66.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	3822
67.	मैन्या, डा. टोकचोम	3826
68.	मिश्रा, डा. राजेश	3857
69.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	3813
70.	मोल्लाह, श्री हन्नान	3832
71.	मंडल, श्री अबु अयीश	3836
72.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3840, 3865, 3869, 3947, 3987
73.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	3919, 3970, 4000
74.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	3833
75.	निहाल चन्द, श्री	4002
76.	निखिल कुमार श्री	3865, 3931, 3945
77.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	3808
78.	ओराम, श्रीजुएल	3819
79.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3789, 3913, 3946, 3985, 4007
80.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	3807, 3941
81.	पाण्डा, श्री प्रबोध	3862, 3942
82.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3834
83.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3783, 3901, 3972
84.	पासवान, श्री रामचन्द्र	3814
85.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3941
86.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3979, 4001, 4004
87.	पाठक, श्री हरिन	3813
88.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3918
89.	पाटील, श्री प्रतीक पी.	3861, 3927
90.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3894
91.	पटेल, श्री शिशुपाल एन.	3845, 3907
92.	पिंगले, श्री देविदास	3842, 3845, 3907, 3929
93.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3858, 3940
94.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3850, 3897, 3966, 4006
95.	राजगोपाल, श्री एल.	3793
96.	राजभर, श्री चन्द्रदेव प्रसाद	3803, 4008

1	2	3
97.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3886, 3962, 3997
98.	राणा, श्री काशीराम	3850, 3917, 3926
99.	राणा, श्री राजू	3853
100.	राव, श्री के.एस.	3785, 3893, 3909
101.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3850, 3935
102.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3837, 3927
103.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	3843, 3930
104.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	3804, 3903, 3963, 3995
105.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	3821, 3931, 3976
106.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3840, 3872
107.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3805, 3953
108.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3799, 3921
109.	रिजीजू, श्री कीरेन	3834
110.	साई प्रताप, श्री ए.	3802
111.	साय, श्री नन्द कुमार	3818, 3920, 3971, 4001
112.	सारदीना, श्री फ्रांसिस्को कोज्मी	3812
113.	सत्पथी, श्री तथागत	3797
114.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3847, 3859, 3877, 3917, 3933
115.	शिवन्ना, श्री एम.	3820
116.	शुक्ला श्रीमती करुणा	3833
117.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3790, 3858, 3899, 3960, 3994
118.	सिकदर, श्रीमती ज्योतिर्मयी	3884
119.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3917
120.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3875, 3950
121.	सिंह, श्री दुष्यंत	3865, 3879, 3922, 3935
122.	सिंह, श्री गणेश	3858
123.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3817, 3840, 3937, 3980
124.	सिंह, श्री राकेश	3792, 3924
125.	सिंह, श्री रेवती रमन	3841
126.	सिंह, श्री सुग्रीव	3882, 3950, 3954, 3971, 4001
127.	सिंह, श्री सूरज	3829, 3922
128.	सिंह, श्री उदय	3849, 3934, 3978, 4003
129.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	3844
130.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	3813
131.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	3800, 3898, 3959
132.	सुब्बारायण, श्री के.	3831, 3923
133.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3801, 3900, 3961
134.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	3890
135.	सुमन, श्री रामजीलाल	3922
136.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3813

1	2	3
137.	थामस, श्री पी.सी.	3810, 3911, 3925, 3983
138.	दुम्मर, श्री वी.के.	3907, 3916, 3967, 3969
139.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3818, 3913, 3936, 3979, 4004
140.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3832, 3836, 3838
141.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3813
142.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3907, 3967, 3968, 3998
143.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3847, 3859, 3877, 3917, 3933
144.	वाघमरे, श्री सुरेश	3787
145.	यादव, श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3808, 3866, 3913, 3917, 3925
146.	यादव, श्री गिरिधारी	3926, 3998
147.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3798
148.	यादव, श्री मित्रसेन	3845, 3854, 3939, 3982
149.	यादव, श्री पारसनाथ	3830
150.	यास्खी, श्री मधु गौड	3788, 3866, 3925, 3973
151.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3820
152.	जावमा, श्री वनलाल	3867

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	381, 382, 383
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	387, 388, 389, 391
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	384, 390, 394
रक्षा	398
श्रम और रोजगार	385, 393, 396, 397, 399
वस्त्र	386, 400
जल संसाधन	392, 395

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि	3782, 3788, 3794, 3797, 3798, 3799, 3800, 3805, 3806, 3814, 3831, 3832, 3834, 3836, 3843, 3851, 3860, 3863, 3865, 3866, 3867, 3871, 3873, 3874, 3878, 3879, 3883, 3886, 3888, 3889, 3893, 3898, 3906, 3908, 3911, 3913, 3914, 3918, 3922, 3923, 3924, 3927, 3930, 3931, 3932, 3938, 3941, 3942, 3945, 3948, 3949, 3963, 3965. 3966, 3972, 3973, 3976. 3982, 3986, 3987, 3995, 3996, 3997, 4001
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी	3780, 3783, 3785, 3786, 3790, 3791, 3795, 3796, 3801, 3803, 3807, 3811, 3812, 3813, 3815, 3821, 3822, 3825, 3826, 3833, 3841, 3848, 3849, 3852, 3853, 3854, 3855, 3857, 3870, 3875, 3880, 3881, 3882, 3891, 3892, 3894, 3902, 3905, 3907, 3910, 3912, 3920, 3925, 3928, 3933, 3934, 3939, 3952, 3953, 3955, 3956, 3958, 3961, 3962, 3964, 3967, 3969, 3970. 3974, 3978, 3980, 3981, 3989, 3994, 4000, 4002, 4005, 4007, 4008
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण	3781, 3793, 3802, 3810, 3823, 3830, 3840, 3869, 3896, 3899, 3916. 3929, 3935, 3946, 3947, 3951, 3992
रक्षा	3787, 3809, 3816, 3817, 3819, 3839, 3844, 3868. 3872, 3885, 3909, 3915, 3937, 3943, 3944, 3957, 3968, 3971, 3979, 3990, 3991, 3998, 4004

श्रम और रोजगार	3804, 3820, 3824, 3828, 3829, 3845, 3850, 3856, 3876, 3884, 3887, 3890, 3926, 3959, 3960, 3983, 3984, 4006, 4009
वस्त्र	3784, 3789, 3808, 3818, 3835, 3837, 3842, 3846, 3847, 3859, 3861, 3862, 3877, 3897, 3900, 3917, 3919, 3921, 3940, 3950, 3954, 3977, 3985, 3988, 3993, 3999
जल संसाधन	3792, 3827, 3838, 3858, 3864, 3895, 3901, 3903, 3904, 3936, 3975, 4003.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि मे प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण, वाद-विवाद के अंग्रेजी संस्करण तथा इनकी अनुक्रमणिकाएं, संसीदीय समितियों के प्रतिवेदन एवं संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाषः 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानाकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के
प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित